राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उन्तीसवां दिवस [संख्या : 15

सोमवार;

22 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-242.

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरू खान।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हमारे दल के उप नेता बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं बोलना आपको, प्रश्न का नम्बर बोल दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न का नम्बर बोल दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): प्रश्न संख्या 243.

नियम का निलम्बन

प्रक्रिया के नियम 306 के तहत प्रश्न काल का कुछ समय के लिये स्थगन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक विनम्र आग्रह करना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और आपकी अनुकम्पा से परसों यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विधायक हैं, जिनका निलम्बन किया गया है, उनको हम वापस ले लेंगे। हमने भी जो इस सारी बातचीत में निंदा प्रस्ताव रखा था उस पर कोई जोर नहीं दे रहे हम भी और जिस प्रकार का वातावरण बना था, मैंने पहले भी खेद व्यक्त किया था। आपसे अब मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदन का जो प्रश्न काल है, पांच-सात मिनट तक उसका निलम्बन करके, सरकारी मुख्य सचेतक से मैं आग्रह करूंगा कि वह काम हो जाए तो विधान सभा बहुत बढ़िया ढंग से चले और हम सब हमारा इसमें पूरा योगदान दे सकेंगे। जो सारा घटनाक्रम हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहता हूं हम सब इसमें एक साथ मिलकर काम करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और पार्लियामेंटरी मिनिस्टर साहब को भी, मुख्य सचेतक साहब को भी, सभी माननीय विधायक जो धरने के समय यहां रहे, उनको भी धन्यवाद। सत्ता पक्ष का भी जिस प्रकार का व्यवहार रहा, हम सब एक साथ मिलकर काम करें, उसने यह संदेश दिया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसका निलम्बन करके इस प्रकार की कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: भारतीय जनता पार्टी के माननीय उप नेता ने जो बात कही है, मेरे चैम्बर में मुख्य मंत्रीजी और उप नेता महोदय के साथ चर्चा के बाद जो गतिरोध था उसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। किन्तु प्रश्नकाल को स्थगित करके लिया जाना उचित नहीं है। हालांकि जब आपने इस ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की विशेष परिस्थितियों में इस बात को रखा है तो मैं अलाऊ तो कर रहा हूं चीफ व्हिप को लेकिन न तो यह परम्परा रहेगी, न यह क्वेश्चन आवर सस्पैण्ड होगा और उसके तत्काल बाद प्रश्न की कार्यवाही भी चलेगी।

निलम्बन निरस्तीकरण

हनुमान बेनीवाल, श्री एवं राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य का निलम्बन निरस्तीकरण

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ, उससे सदन के सभी माननीय सदस्य, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के उप नेता तथा हम सब बहुत शर्मिन्दा हैं। शनिवार, दिनांक 20 मार्च, 2010 को

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

माननीय मुख्य मंत्रीजी की पहल पर आपस में सहमति बन पाई कि इस सदन की जो गरिमामय परम्पराएं रही हैं, उनका संरक्षण करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और भविष्य में ऐसा नहीं हो, इस बात का जो संकल्प दोहराया है। उसके अन्तर्गत आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, दिनांक 17 मार्च, 2010 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य को आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते हुए आक्रामक मुद्रा में माननीय मंत्रीजी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाने और वैल में आकर अशोभनीय भाव-भंगिमाएं बनाते हुए अपने हाथों का प्रदर्शन कर क्रोधावेश में बेकाबू होने के फलस्वरूप सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया गया था।

दिनांक 17 मार्च, 2010 को ही श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा वैल में उत्तेजित होते हुए नियमावली पुस्तिका को अपने हाथ में हिलाते हुए कागज छीनने के उद्देश्य से अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यों को साथ लेकर उकसाते हुए माननीय जल संसाधन मंत्रीजी की ओर झपटे और दिनांक 18 मार्च, 2010 को सदन में प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही बिना आसन की अनुमति के बोलना शुरू कर दिया जबकि प्रक्रिया के नियमों के तहत अध्यक्ष महोदय के निर्णय एवं उनकी अनुमति के पश्चात् ही कोई प्रस्ताव उठाया जा सकता है। यही नहीं, श्री राठौड़ द्वारा सदन में घोर अव्यवस्था फैलाने हेतु अन्य माननीय सदस्यों को उकसाने की कार्यवाही के कारण आसन को तीन बार एक एक घंटे के लिये सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इन कारणों के दृष्टिगत श्री राठौड़ का कृत्य संविधान व संसदीय प्रक्रियाओं के विरुद्ध रहा। जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर श्री राठौड़ को दिनांक 18 मार्च, 2010 को एक वर्ष के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का सदन ने निर्णय लिया। निलम्बन के पश्चात् भी श्री राठौड़ आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते रहे और सदन में डटे रहे जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर मार्शल एवं सुरक्षा कर्मियों द्वारा बल प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न हुई।

इस सदन की उच्च एवं गौरवशाली परम्परा रही है फिर भी विगत में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब सदन में अनुशासन बनाए रखने एवं प्रक्रिया नियमों की पालना हेतु सदस्यों को निलम्बित करने सम्बन्धी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे तथा इस सदन की गौरवशाली परम्पर अक्षुण्ण। यथावत बनी रहे, इस हेतु

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पूर्व में सदन के नेता अथवा प्रतिपक्ष के नेता अथवा सम्बन्धित माननीय सदस्य की ओर से खेद प्रकट करने पर निलम्बन काल की अवधि को समाप्त किया गया है।

अत: पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए मैं यह संकल्प सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं कि माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल व श्री राजेन्द्र राठौड़ का निलम्बन अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस संकल्प के पारित होने के बाद उनका शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा श्री हनुमान बेनीवाल व श्री राजेन्द्र राठौड़ के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

श्री हनुमान बेनीवाल व श्री राजेन्द्र राठौड़ के निलम्बन को समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि विगत तीन-चार दिनों से इस तरह का वातावरण इस विधान सभा में बना हुआ है, वह हम सब के लिए बहुत ही तकलीफदेह और दुर्भाग्यपूर्ण रहा।

दिनांक 17, 18 व 19 मार्च को सदन में जिस तरह का वातावरण बना उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी पक्ष के साथ-साथ प्रतिपक्ष की भी है। सभी जानते हैं कि राजस्थान विधान सभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यह सर्वोच्च सदन है और हम सब राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तार्किक एवं रचनात्मक बहस हो वह हम सब का उद्देश्य होना चाहिए।

सदन के संचालन के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत प्रक्रिया के नियम बने हुए हैं । माननीय सदस्य इन्हीं नियमों के तहत अपनी बात बेहतर ढंग से रख सकते हैं। प्रक्रिया नियमों में किसी के विरुद्ध आरोप लगाने के सम्बन्ध में भी प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत आरोप भी लगाए जा सकते हैं जिसका सरकार सामना करने के लिए तैयार है। बिना किसी

(श्री अशोक गहलोत)

प्रमाण के मिथ्या आरोप लगाना इस सदन की परम्परा नहीं रही है। सदन में शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह भी मैं मानता हूं।

गतिरोध जो समाप्त हुआ है उसके लिये तो मैं प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सदन आगे सुचारू रूप से चले यह सुनिश्चित करने का काम हम सब को करना है, आगे भी। सरकार की मंशा सदैव रही है कि सदन में तार्किक और रचनात्मक बहस हो, सरकार की कमियां बतायी जाएं ताकि उन्हें भी हम दुरुस्त कर सकें। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना रहे तथा यह सदन जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता रहे।

कई बार भावावेश के अन्दर माननीय सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी कर दी जाती है या ऐसे कृत्य कर दिये जाते हैं जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं होते हैं। ऐसे में सदन के नेता अथवा प्रतिपक्ष के नेता अथवा सम्बन्धित सदस्य द्वारा खेद प्रकट करने की निरन्तर परम्परा रही है जिसका निवर्हन आज हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता ने किया। उसके लिये भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु भी हम सभी को सोचना चाहिये तभी हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरू खान।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

श्री मोहनलाल गुप्ता।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन में अभिवृद्धि

243. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है? यदि हां, तो इन्हें पेंशन निर्धारण करने हेतु निर्धारित नीति/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि की जाती है? यदि हां, तो किस आधार पर और नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में नीति बनाने का विचार रखती है?

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(3) वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानियों को चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रहीं विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): (1) जी हां। राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 की प्रति परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्व-विवेक के आधार पर स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन की राशि में वृद्धि की जाती है।

(3) राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रित को एक वित्तीय वर्ष में 10,000/- रुपये तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसमें से 600/- प्रति माह पेंशन के साथ नकद भुगतान किये जाते हैं एवं शेष राशि का स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्हें कितनी-कितनी राशि प्रति माह दी जा रही है?

दूसरा, यह जो 10,000 रुपये साल में और 600 रुपये प्रति माह उनको दी जा रही है और आपने जवाब दिया है कि स्वं-विवेक के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में हम वृद्धि करते हैं, तो यह स्व-विवेक के आधार पर ना होकर स्वत: ही जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाती है और अन्य लोगों का तथा सरकारी कर्मचारियों की राशि जिस प्रकार से बढ़ती जाती है उसी प्रकार से इनको भी महंगाई बढ़ने पर राशि देते रहें, इस प्रकार का सरकार क्या विचार रखती है?

तीसरा, मेरा यह प्रश्न है कि यह जो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम 1959 है, जिसमें राजनीतिक आंदोलन की बात कही गयी है और राजनीतिक आंदोलन की परिभाषा दी गई है, इसमें है- (क) भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हो, या (ख) किसी भूतपूर्व रियासत में जो अब राजस्थान का ही भाग है, उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए हो, या (ग) कृषकों या पिछड़े वर्गों या श्रमिकों की हालत में सुधार करने के लिए हो, या (घ) राजस्थान राज्य के निर्माण के लिए हो, या (ड) जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज पत्र में

(श्री मोहन लाल गुप्ता)
इन नियमों के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा राजनीतिक आंदोलन घोषित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता संग्राम दूसरा भी हुआ था 1975 में। एक बहुत बड़ा काला अध्याय था, लोगों की जबानें बंद कर दी गयी थीं। हमारे यहां के विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये आप।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मामला केवल स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। केवल मूल प्रश्नकर्ता को मैंने पूरक प्रश्न की इजाजत दी है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): स्पेसिफिक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, यह भाषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। (व्यवधान) केवल प्रश्न पूछें। (व्यवधान).

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया था, जेलों में यातनाएं दी गयी थीं और उनके लिए भी पिछली सरकार ने पेंशन योजना लागू की थी, मीसा बंदियों के लिए। वह योजना इन्होंने बंद कर दी। मैं यह पूछना चाहता था कि इस दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन-जिन लोगों ने बलिदान दिया, यातनाएं सहीं, उन लोगों को क्या सरकार पेंशन देने का विचार रखती है? पिछली सरकार ने किया था उसको कंटीन्यु करने का विचार है? उनको देने का विचार है? (व्यवधान) आपको मालूम नहीं है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जवाब में पहले भी कह चुका हूं, एक वित्तीय वर्ष में रुपये 10,000 तक की चिकित्सा सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है और 600 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने के 7,200 रुपये उपलब्ध कराती है। अब रह गये बाकी 2,800 रुपये, 2,800 रुपयों का अगर वह बिल पेश करते हैं तो कलक्टर के द्वारा उसका पुनर्भरण कर दिया जाता है। रहा सवाल इस बात का कि उनको कितनी पेंशन दी जाती है, लास्ट ईयर तक आखिरी जो वित्तीय वर्ष निकला है उस वक्त तक 8000 रुपये दी जाती थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी बजट घोषणा में यह घोषणा की है कि उनको 10,000 रुपये दिये जायेंगे।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तीसरा सवाल आपने पूछा स्वं-विवेक के लिए। स्व-विवेक का अर्थ आप क्या समझे? स्व-विवेक का अर्थ मैंने कभी यह नहीं कहा कि हम चाहे जिसको दे दें और चाहे जिसको ना दें। स्व-विवेक का अर्थ यहां पर साफ-साफ यह है कि राज्य सरकार जब भी अपने स्व-विवेक से यह समझेगी कि हमें सारे पेंशनर्स की पेंशन बढ़ानी है या अन्य किसी प्रकार की सुविधा देनी है तो उन सभी को देनी है, उसमें से पिक एंड चूज नहीं किया जायेगा। स्व-विवेक का अर्थ यह है। विराजें-विराजें, अभी 3-4 सवाल और हैं आपके, वह भी बताता हूं।

चौथा सवाल आपने पूछा कि जैसे महंगाई बढ़ती है उसी प्रकार से यह बढ़ा दी जाये। यह सम्भव नहीं होता है। ये कोई कर्मचारी नहीं हैं। यह महंगाई भत्ते या अन्य चीजें, यह सब कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है, मेहरबानी करके इन कर्मचारियों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को मत जोड़िये।

पांचवां सवाल आपने पूछा कि राजनीतिक आंदोलन की परिभाषा क्या है। बहुत साफ-साफ शब्दों में लिखी हुई है राजनीतिक आंदोलन की परिभाषा यहां पर और मैं यह समझता हूं कि आप उसमें कन्फ्युज नहीं होवें। आप दुबारा से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जायेगा। आखिरी सवाल आपने पूछा 1975 की बात। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आपसे ही नहीं बल्कि सदन के समस्त सदस्यों से नम्र निवेदन है कि 1975 की घटना को, आपातकाल की घटना को मेहरबानी करके 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन से मत जोड़िये, मत जोड़िये। उसकी गरिमा को खतम मत करिये। वह एक गजब का आंदोलन था, विश्व में इस प्रकार का आंदोलन कभी हुआ ही नहीं। अहिंसा का हथियार लेकर के महात्मा गांधी ने और उनके सहयोगियों ने इस देश को आजाद करवाया था उसमें कांग्रेस का जबरदस्त योगदान था। मेहरबानी करके उसको इसमें मत जोड़िये। जहां तक सवाल इस बात का है कि मीसा बंदियों को आपने पेंशन चालू की, वह निश्चित रूप से हमने बंद की और हम नहीं देंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों को डिग्रेड मत कीजिये हम डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं? इसीलिए प्रश्न पूछा है और उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए मैंने अनुरोध भी किया है महंगाई के आधार पर। लेकिन 1975 में जो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायणजी के नेतृत्व में, वह भी अहिंसात्मक आंदोलन ही था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? भाषण नहीं माननीय सदस्य! भाषण नहीं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हजारों युवकों ने अहिंसात्मक आंदोलन किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह भाषण देने का मंच नहीं है, बाहर देना भाषण। सवाल करें आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयप्रकाश नारायणजी, आचार्य कृपलानी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, भाषण नहीं। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

रोहट पंचायत समिति (पाली) की इंदिरा आवास योजना हेतु स्वीकृत राशि

244. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति रोहट जिला पाली में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितने इंदिरा आवास किस-किस परिवार को कब-कब स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों की पहली किश्त, दूसरी किश्त एवं अंतिम किश्त किस-किस आवास की कब-कब जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(4) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों में ग्राम सेवक द्वारा पहली किश्त की राशि का उपयोग हो जाने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने के बावजूद दूसरी किश्त की स्वीकृति जारी होने में विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार हैं?

(5) क्या सरकार नयी स्वीकृति जारी करने एवं दूसरी किश्त की स्वीकृति जारी करने में विलम्ब करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनका पूरक प्रश्न था, पहले कह दूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): (1) पंचायत समिति रोहट जिला पाली में वर्ष 2008-09 में 50 परिवारों के आवास स्वीकृत किये गये हैं। (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है) एवं वर्ष 2009 -10 में 56 परिवारों के आवास स्वीकृत किये गये हैं (सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है)।

(2) वर्ष 2008-09 में 50 परिवारों के आवास स्वीकृत किये गये हैं (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है) एवं वर्ष 2009-10 में 56 परिवारों के आवास स्वीकृत किये गये हैं (सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है)।

(3) वर्ष 2008-09 में 50 परिवारों के आवास की प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त जारी करने का विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है एवं 2009-10 में 56 परिवारों के आवास की जारी प्रथम किश्त का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों में ग्राम सेवक द्वारा पहली किश्त की राशि का उपयोग हो जाने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने के बावजूद दूसरी किश्त की स्वीकृति में विलम्ब के लिए जांच करवायी जा रही है।

(5) नयी स्वीकृति जारी करने एवं दूसरी किश्त की स्वीकृति जारी

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

करने में विलम्ब बाबत् जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रश्न के उत्तर में दिया है, उसमें स्पष्ट है कि प्रथम किश्त के जारी होने में और दूसरी किश्त के जारी होने में एक साल और चार महीने लगे हैं। यह जो इतना विलम्ब हुआ, इंदिरा आवास जो गरीबों के लिए सरकार चाहती है, आपने कह तो दिया कि जांच करवाएंगे, यह जांच आप कितनी अवधि में करवा देंगे?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि प्रथम किश्त जारी होने के बाद में जो आप दूसरी किश्त जारी करने के लिए औपचारिकताएं मांगते हैं वह औपचारिकताएं कौन-कौनसी है? और जिला परिषद् ने कौन-कौनसी औपचारिकतएं उनसे मांगी जिनकी वजह से यह विलम्ब हुआ?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि कब तक आप इसमें विलम्ब के लिए कार्यवाही करेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाएगी और जो भी लोग-बाग़ दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि नियमानुसार पहली किश्त और दूसरी किश्त उसको भुगतान करने के लिए जो समय प्रोवाइड किया है, वह 7 दिन के अन्दर आवेदन प्राप्त होने के बाद पहली किश्त का भुगतान कर देना चाहिए और दूसरी किश्त का भुगतान भी उसको 7 दिन के अन्दर किया जाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि 7 दिन के अन्दर का नियम तो हमने बना दिया मगर वास्तव में 7 दिन के अन्दर भुगतान हो नहीं पाता है क्योंकि विभिन्न स्तरों के ऊपर जो डाक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं तब हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद बैंक का अकाउण्ट भी खुलवाना पड़ता है, उसकी तस्वीर भी आती है, सब चीजों को कलेक्ट करना पड़ता है। 7 दिन के अन्दर, उस आवेदन के यह व्यावहारिक नहीं है। इसलिए हमको व्यावहारिक तौर पर 7 दिन की अवधि को बढ़ाना होगा, कम से कम उसको 15 दिन का समय देना होगा।

इसके अन्दर जो विलम्ब हुआ है, मैंने पूरी उसकी जांच की है और

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

तीन महीने तक का समय लगा है। इतना समय नहीं लगना चाहिए और उसके लिए हम जांच करके कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्रीजी, आपकी तालिका देखें। 1 साल और 4 महीने लगे हैं उस गरीब को दूसरी किश्त के भुगतान में, 1 साल और 4 महीने। माननीय मंत्रीजी, कौन-कौनसी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती हैं, मेहरबानी करके आप वह भी बता दो। दूसरी किश्त जारी करने में आप कौनसी फार्मेलिटीज मांगते हैं?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ग्राम पंचायतवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्थायी प्रतीक्षा सूची वरियताक्रम में पात्र परिवारों के निर्धारित परिपत्र में आवेदन पत्र ग्राम सेवक द्वारा तैयार करवाकर जिला परिषद् को प्रेषित करने का प्रावधान है। जिला परिषद् आवेदन की जांच कर वरियता क्रम में स्वीकृतियां प्रदान करती है तथा स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान भी लाभार्थी को भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम से या चैक के माध्यम से किया जा सकता है। प्रथम किश्त के पश्चात प्लिंथ लेवल तक मकान पूरा करने के बाद में उसको दूसरी किश्त का भुगतान किया जाता है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं यही पूछ रहा हूं कि आपकी औपचारिकताओं में यह है कि प्लिंथ लेवल तक काम हो जाए उसका प्रमाण पत्र अगर ग्राम सेवक जारी कर दे तो उसको दूसरी किश्त तत्काल मिल जानी चाहिए। पर, मंत्री महोदय, आप इस बात की भी जांच करवा लें कि ग्राम सेवक द्वारा जब प्लिंथ लेवल की रिपोर्ट दे दी गई तो जिला परिषद् से कौन-कौनसी औपचारिकताएं जो आवश्यक नहीं हैं वह भी मांगी गईं, जिसकी वजह से इस भुगतान में विलम्ब हुआ।

मेरा प्रश्न है कि जिला परिषद् द्वारा डी डी या बैंकर्स चैक कब जारी हुआ और लाभार्थी के खाते में कब जमा हुआ? यह इसलिए जरूरी है कि ग्राम सेवक उस चैक को जेब में लेकर घूमते रहे जब तक वह लाभार्थी उसको कुछ न कुछ दे दें। यह हकीकत बता रहा हूं आपको, यह सब चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कह चुके हैं कि जांच कराकर तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्रीजी, आप इसकी भी जांच करवा लें कि चैक कब जारी हुआ और लाभार्थी के खाते में कब जमा हुआ। उन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जमा की तारीखों में अंतर है, वह किस कारण से रहा है, यह भी आप बता देना।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले ही सदन को अवगत करा चुका हूं कि भुगतान तो नियमानुसार 7 दिन में होना चाहिए और अधिकांश इसकी इन्फोर्मेशन माननीय सदस्य को दी है, उसमें मैक्सिमम समय तीन महीने का लगा है। वह तीन महीने का समय क्यों लगा, इसकी विस्तृत जांच करके हम कार्यवाही करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला चुका हूं और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं, इसमें विलम्ब ग्राम सेवक स्तर पर यदि जान-बूझकर किया जाता है तो हम इस बात को आगे भविष्य में भी देखेंगे कि इसमें विलम्ब न हो।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) सफिशिएंट और स्पष्ट जवाब है, प्लीज। अगला प्रश्न है, श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): महीने, दो महीने में? अवधि तो बता दें, माननीय मंत्रीजी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके इसकी एक महीने के अन्दर कार्यवाही करायी जाएगी।

प्रदेश के गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण हेतु शुल्क समाप्ति

245. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों से भर्ती के लिए शुल्क लिया जाता है? यदि हां, तो किस-किस पाठ्यक्रम के लिए कितनी-कितनी राशि शुल्क के रूप में ली जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में कई गरीब मेधावी छात्र-छात्राएं उक्त पाठ्यक्रमों में भर्ती शुल्क लिए जाने के कारण अध्ययन नहीं कर पाते? क्या सरकार गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए भर्ती शुल्क समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): (1) जी हां। राजकीय महाविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रम तथा स्व वित्त पोषी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है। विश्वविद्यालयों में संचालित विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों तथा स्व वित्त पोषी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'स' एवं 'द' पर संलग्न है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा छात्राओं से विश्वविद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। अनुदानित महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु लिए जाने वाले शुल्क का विवरण परिशिष्ट 'च' पर है। निजी विश्वविद्यालयों तथा गैर अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शुल्कों का संकलन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है जिससे वे विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क अदा कर सकते हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह बिलकुल सही बात है, आपने ठीक फरमाया कि गवर्नमेंट कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में आप उनसे कोई शुल्क नहीं लेते लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर फरमाया है कि कौन-कौन से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो आपके इन गवर्नमेंट कालेजेज के अन्दर हैं? क्या यह सही नहीं है कि आपके कुल मिलाकर 98 कालेज हैं जो आपसे एक्रेडिटेड हैं, इनमें भर्ती होने के बाद बच्चों को आपने कोई न कोई रियायत दे रखी है फीस या छात्रवृत्ति के माध्यम से लेकिन इनमें से तकरीबन 99 प्रतिशत कालेजों की रेटिंग 'बी' और 'सी' प्लस है। हम 21वीं शताब्दी में उन कालेजों की बात कर रहे हैं जिनकी रेटिंग 'ए प्लस' और 'ए डबल प्लस' है। मुझे यह बताते हुए अफसोस होता है कि सिर्फ 4 ऐसे कालेज हैं जिनकी रेंटिंग 'ए' या 'ए' प्लस है। 'ए' प्लस तो पूरे राजस्थान में सिर्फ एक है, बाकी 2 कालेज 'ए' में है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य गरीब बच्चे जो इन कालेजेज में आ रहे हैं, वे बाध्य होते हैं आपके वहां उपलब्ध उन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए जो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

21वीं शताब्दी के काबिल नहीं हैं मगर उनको 21वीं शताब्दी के पाठ्यक्रमों के लिए अपने हिसाब से दूसरी जगह जाना पड़ता है। वे प्राइवेट कालेजों में जाते हैं1 आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि नैनो साइन्स का पाठ्यक्रम कहां है आपके कालेजों में, ओशियनोग्राफी का कहां है? एविएशन साइन्स का कहां है? स्पेस रिसर्च का कहां है? ये 21वीं शताब्दी के इमर्जिंग फील्ड्स हैं। एक भी आपका कालेज इन पाठ्यक्रमों की इजाजत नहीं देता है।

बच्चों को आप मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, मुझे आप यह बताइए कि नेशनल पालिसी आफ एजुकेशन की तर्ज पर स्टेट पालिसी आफ एजुकेशन राजस्थान में बनी है? और अगर बनी है तो उन नियमों और गाइडलाइनों का आपने आज तक क्या किया? और आगे क्या एक भी माडल कालेज के नाम से आपने एक भी माडल कालेज विकसित किया है?

पहले तो आप इनका जवाब दें फिर मैं मेरा दूसरा प्रश्न पूछता हूं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारे 126 कालेज और 14 विश्वविद्यालय हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, 16 यूनिवर्सिटीज और लगभग 1 हजार कालेज प्राइवेट सेक्टर में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है हमारे कालेजेज का उसमें हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे 126 कालेजेज हैं, इनिशियल स्ट्रक्चर शिक्षा में, महोदय, जो गरीब अंतिम छोर पर बैठा है, इनको जो इनिशियल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इनिशियल फैसिलिटी में, अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर आर्टस, उसमें कामर्स और साइंस तो हमारी सरकार की प्रथम वरियता है। जो हमारे 126 गवर्नमेंट कालेजेज हैं उसमें हम हर कालेज के अन्दर साइंस और कामर्स की फेसिलिटी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइम फैसिलिटी हैं, वह इस प्रथम चरण में हम उनको अवेलेबल कराएं और उसका, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष यह कार्यक्रम बन रहा है। अभी इसी वर्ष हमने साइंस सैक्टर में 16 हमारे जो कालेजेज हैं उनमें हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, 6 के अन्दर कामर्स चालू कर रहे हैं। गत वर्ष 13 में साइंस चालू की थी और करीबन 4 के अन्दर कामर्स चालू की थी। तो, अध्यक्ष महोदय, जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान का, उसमें जो गरीब अंतिम छोर का व्यक्ति उसको इनिशियल बेनिफिट मिले, वह प्रथम योजना है और जो एसएफएस स्कीम के अन्दर, जैसा कि माननीय शाहपुरा से आने वाले बहुत सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने फरमाया, वह एक नेशन के डवलपमेंट के अन्दर बहुत इम्पोर्टेंट महत्व के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

सब्जेक्ट हैं, जो आप फरमा रहे हैं और नेचुरली उसका पहला स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जिन कालेजेज में अगर साइंस नहीं है और उनको हम सीधे नैनो और अन्य टेक्नोलोजी से जोड़ें तो... Of course, Sir, it is a very advanced technology. तो उसके अन्दर इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में साइंस होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, जैसा कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि माडल कालेज के रूप में केन्द्र सरकार ने, अपने राजस्थान के अन्दर 30 माडल कालेजेज खोलने की घोषणा की है लेकिन वह बजट है जो उसका 75 परसेंट साढ़े 5 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना होगा और ढाई करोड़ रुपया केन्द्र सरकार देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारा बना लेंगे साढ़े 5 करोड़ रुपये खर्च करके, तदुपरान्त केन्द्र सरकार देगी। वह माडल कालेज का रूप है। जब दिल्ली में मीटिंग थी तो मैंने माननीय केन्द्र के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था, उनसे अर्ज किया था कि सर, हमारा राजस्थान बहुत गरीब इलाका है और इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के अन्दर माडल कालेजेज को डवलप करने के लिए आप इसको कृपया उल्टा करें, स्टेट हमारा ढाई करोड़ रुपया खर्च करे, साढ़े 5 करोड़ केन्द्र सरकार दे। आफ कोर्स, वह योजना माडल कालेजेज की बहुत अच्छी है लेकिन वह आर्थिक साधनों के उपलब्ध होने के अनुसार ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, किया जा सकेगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बातें पूछी थीं। आपने नेशनल पालिसी आफ एजुकेशन की तर्ज पर राजस्थान की स्टेट पालिसी आफ एजुकेशन बनाई या नहीं बनाई? मेरा मूल सवाल यह था। यह तो सही है कि एससी, एसटी या पिछड़ा वर्ग के या बीपीएल परिवारों के लोगों के लिए आपने गवर्नमेंट कालेजेज में तो प्राविजन कर रखा है लेकिन जब फेकल्टी साइंस की ही उपलब्ध नहीं होंगी तो क्या वह मजबूरन बीए और एमए की डिग्री लेकर क्या करेगा जिनसे एम्प्लायमेंट के बारे में कोई सुनिश्चितता नहीं है? ऐसी कालेज आप बता दीजिए जहां जाब प्लेसमेंट के लिए कोई बड़ी कम्पनी आती हो? आपकी एक ऐसी कालेज बता दीजिए जहां बड़ी कम्पनी आती हो? एक मैनेजमेंट कालेज आप बता दीजिए जहां बड़ी कम्पनी का प्लेसमेंट आता है? तो इन बच्चों को आप रोजगार और स्वरोजगार और मैं तो यह कहता हूं कि why only job seekers? Why are we not produc-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ing job creators? यह बच्चे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, मजबूर होते हैं क्योंकि मां-बाप के पास में फीस के लिए पैसे नहीं होते, यह सी और डी या बी ग्रेड के कालेजेज में जाते हैं, ए और ए प्लस के कालेजेज में नहीं जा सकते क्योंकि पैसा इनके पास नहीं है। छात्रवृति आप देते हैं लेकिन छात्रवृति के समय अगर आप यह सुनिश्चित कर लें कि अगर वह जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड की व्यवस्था आपके सरकारी कालेजेज में नहीं है तो कम से कम जिस कालेज में वह जाना चाहता है, वहां पात्रता रखता है और उसका सलेक्शन हो जाता है तो उसको छात्रवृत्ति न देकर सीधे ही उसकी फीस माफ करवा के आप भर्ती की व्यवस्था कर दें। कम से कम इस तरीके की तो कोई बात कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने साइंस के बारे में फरमाया, मैं आप ही की वेबसाइट की बात कर रहा हूं। यह कृषि प्रधान राज्य है। आपका एग्रीकल्चर में बच्चों का परसेंटेज 0.28 है। 3 लाख 93 हजार 389 बच्चों में सिर्फ 0.28 परसेंट एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। साइंस की आपसे बात करूं, तो साइंस के अन्दर अगर आप काम्प्रीहैंसिव साइंस का लें तो 11.8 ही जा रहे हैं। इस साइंस के अन्दर इमर्जिंग फील्ड्स जो हैं उसका एक मात्र बच्चा भी आपके यहां नहीं पढ़ रहा है क्योंकि आपके पास में व्यवस्था नहीं है। मैं बात यह नहीं कर रहा हूं, यह एक सतत् प्रक्रिया है, रातोंरात क्रिएट नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): लेकिन यह बात आप बताने की कृपा करें कि कब तो आपके मेडिकल कालेजेज बनेंगे? कब यह सिस्टम्स आएंगे? तीन-तीन, चार-चार लाख बच्चे हर साल आपके यहां अध्ययन के लिए आना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण की इस बात के लिए तो हम तारीफ करेंगे कि बच्चों को विदेश भेजने की बात कर रहे हैं परन्तु आदरणीय यह जमाना वह है कि विदेशी ही आपके यहां पढ़ने आएं...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न करिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह व्यवस्था आप करिए...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्योंकि टेक्नोलोजी के साथ-साथ दिमाग अपने यहां है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं ...... (व्यवधान) यह उच्च शिक्षा का मामला है, जब तक मैं कहूंगा नहीं, तब तक वह जवाब नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दे देंगे जवाब, दे देंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक और क्या यह सही नहीं है कि जितने सिलिकान वैली के अन्दर कम्प्यूटर साइंस वाले बच्चे बैठे हैं उसमें से अधितर एशियन रीजन के हैं। और उसमें से भी तीन चौथाई भारतवर्ष के हैं? अगर ये कालेजेज यहां होते और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां होता तो सिलिकान वैली अमेरिका में नहीं होती, सिलिकान वैली हिन्दुस्तान में होती...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): और शायद राजस्थान में होती।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप यह फरमायें कि कब यह इंफ्रास्ट्रक्चर इन-प्लेस आ जाएगा? जिस तीव्र गति से साइंस आज की तारीख में प्रवाह कर रही है, कब इंफ्रास्ट्रक्चर इन-प्लेस ले आएंगे और कब हम नौनिहालों को जिनका शुरू से एक दुर्भाग्य है कि इनके घर में पैसा नहीं है, यह प्राइवेट कालेजेज में जा-जा कर मोटी कीमत पर, फीस पर और बच्चों को पढ़ाते हैं, कब राजस्थान की सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ये बच्चे उच्च कोटि का अध्ययन इन कालेजेज में कर सकें?

श्री अध्यक्ष: बिराजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो हमारे पुअर इंटेलीजेंट स्टूडेंट्स हैं जो समाज के हर वर्ग के हमारे छात्र हैं, उनके लिए व्यवस्था की है, शिक्षा में जिससे आगे लाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं और माइनोरिटिज के लिए आलरेडी स्कालरशिप का प्रावधान है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सिर्फ हम ही बचे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): नहीं, सर, आप भी इस क्यू में हैं इसलिए हम लटके हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष पिछड़ा वर्ग जिसमें गुर्जर, बंजारा, अन्य वर्ग के बारे में भी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनका विशेष ध्यान रखते हुए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसमें सारे गरीब बच्चों

(डा. जितेन्द्र सिंह)
का अप-लिफ्ट होगा और उनको एससी, एसटी की केटेगिरी में हमने पढ़ने के लिए लाभ दिया है। मैं समझता हूं, राजस्थान के लाखों गरीब बच्चे इसमें पढ़ाये जाएंगे।

रिगार्डिंग, सर, जो छात्रवृत्ति के बारे में माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने कहा, मेधावी छात्रों के लिए फर्स्ट तो मैंने अर्ज किया कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, माइनोरिटिज के लिए आलरेडी हमारे पास स्कालरशिप है और उसके अलावा, उनका अगर कहीं एसएफएस कोर्सेज में वे पैसा देते हैं तो उसको वापस देने का उसमें क्लाज है।

नम्बर दो, विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नम्बर तीन, सर, मेधावी छात्रों के लिए आलरेडी हमारे पास केन्द्र सरकार की योजना है, जो पहले से ही आलरेडी चल रही है, जिसमें मेधावी छात्र लाभान्वित हो रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी वर्ष केन्द्र सरकार ने योजना बनाई है कि जिन छात्रों और छात्राओं के 80 परसेंट से अबोव 10+2 में मार्क्स आएंगे, उनको भी प्रतिवर्ष 10 से 20 हजार का यूजी के अन्दर 10 हजार रुपये देंगे और पीजी में 20 हजार रुपये देंगे। It will be for 5 years Sir. और उनके अन्दर 80 परसेंट में 50 परसेंट छात्राएं होंगी। इस तरह से उनके लगातार 5 वर्ष तक there should be 60 per cent marks next time. और यह 5 वर्ष तक माननीय अध्यक्ष महोदय, लाभ मिलेगा।

इसी तरह से, केन्द्र सरकार ने हमें मेधावी छात्रों के लिए स्कालरशिप के बारे में जो उन्होंने डाइरेक्शन दिये हैं, फंड्स दिये हैं उसमें राजस्थान के 25 हजार मेधावी छात्र लाभान्वित होंगे।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्र सरकार ने की वह योजना है, राज्य सरकार ने अपनी योजनाएं बता ही दी हैं अत: माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने जो बात कही है, मैं समझता हूं उससे उसका लाभ मिलेगा और हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक और पूछ लूं। आप तो यह फरमा दें कि आप ही के डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ है, फार्मास्युटिकल रिसर्च में आपने कितने एससी, एसटी के बच्चों का दाखिला किया? आप तो बता दें, फार्मास्युटिकल रिसर्च की ब्रांच के अन्दर कितने बच्चों का दाखिला आपने किया है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): Can you repeat, Sir?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): फार्मास्युटिकल रिसर्च में कितने बच्चों को ...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सर, फार्मास्युटिकल के बारे में शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं आपको अतिरिक्त रूप से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा क्योंकि मेडिकल एण्ड हैल्थ से है...

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं एक आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा और, अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इसमें तवज्जो चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष: आपको सारी जानकारी दे देंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जितनी इसमें बात है, इस प्रश्न का एक ही मूल सार इतना था कि जो ऐसे परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, बच्चे के पास दिमाग है, अध्ययन कार्य के लिए वह पैसा खर्च नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी अच्छी फील्ड में जाने के लिए हम कोई स्थायी नीति बना दें जिससे जो बच्चा 12वीं से आ रहा है उसका हो सके। आपको मालूम है कि जब वह 12वीं पास करके आ रहा है उसकी क्या स्थिति है। इसलिए उस वजह से हम कहीं काउन्सलिंग करके, यूनिवर्सिटीज को आप आइडेंटिफाई कर दीजिये, आईआईएम इंस्टीट्युशंस को आप कर दीजिये, हाई-टेक इंस्टीट्युशंस को आप कर दीजिये कि इनमें हम करेंगे, उस बच्चे को आप सीधा वहां भेजिये जब तक आपके यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री दिगम्बर सिंह।

राष्ट्रीय कृषि बीमा के अन्तर्गत कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान

246. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा व मौसम फसल बीमा योजना अन्तर्गत इस वर्ष रबी व खरीफ में कितने किसानों को बीमित किया गया तथा कितनी राशि किसानों को प्रीमियम के रूप में देनी पड़ी और बीमित किसानों को कितना-कितना मुआवजा प्राप्त हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों को इस वर्ष खरीफ व रबी की फसल की बीमा राशि का मुआवजा इसलिए वितरित नहीं किया गया कि केन्द्र सरकार ने बीमा मुआवजा के रूप में देय राशि में अपनी हिस्सा राशि नहीं दी? यदि हां, तो सरकार ने उक्त हेतु क्या-क्या प्रयास किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(3) राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की गई गिरदावरी के अनुसार कुल कितने किसानों की सूखे के कारण कितनी फसल 75 प्रतिशत से अधिक नष्ट हुई तथा बाजार मूल्य क्या हैं?

(4) जिला चूरू में मौसम फसल बीमा योजना के कितने किसानों की कितनी मुआवजा राशि कब से व क्यों लम्बित हैं और अब सरकार कब तक मुआवजा राशि का भुगतान कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री) : (1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों का विवरण निम्नानुसार है:-

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

मौसम	**बीमित कृषक लाख**	**कृषकों से प्राप्त प्रीमियम राशि करोड़**	**मुआवजा राशि (करोड़ रुपये में)**
खरीफ, 2009	25.91	79.47	प्रक्रियाधीन
रबी 2008-09	8.64	46.30	76.53
रबी 2009-10	3.03	18.73	रबी 2009-10 के फसल कटाई प्रयोगों से औसत उपज के आंकड़े राजस्व मण्डल से दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक प्राप्त होंगे। तदोपरान्त एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना।

मौसम	**बीमित कृषक लाख**	**कृषकों से प्राप्त प्रीमियम राशि करोड़**	**मुआवजा राशि (करोड़ रुपये में)**
खरीफ, 2009	3.20	18.37	44.59
रबी 2009-10	5.50	34.36	फसल जोखिम अवधि समाप्त होने के 45 दिन में किये जाने का प्रावधान है।

(कृषि मंत्री)

(2) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रबी 2008-09 एवं खरीफ 2009 के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत भी रबी 2008-09 के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

खरीफ फसल मौसम, 2009 के अन्तर्गत कृषि बीमा योजना में राजस्व मण्डल द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी को जनवरी, 2010 में (समय पर) उपलब्ध करा दिये हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा खराबे के आधार पर देय मुआवजे की गणना करने की कार्यवाही की जा रही है।

एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा देय हिस्सा राशि की जानकारी उपलब्ध कराने पर राज्य की हिस्सा राशि इंश्योरेन्स कम्पनी को हस्तांतरित करवायी जायेगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी को प्राप्त होने पर कृषकों को मुआवजा दिया जायेगा।

(3) गिरदावरी के अनुसार 19,662 ग्रामों में 75 से 100 प्रतिशत खराबा है। इसके अतिरिक्त 13,802 ग्रामों में 50 से 74 प्रतिशत खराबा है। सूखे के कारण अभावग्रस्त सभी 33,464 ग्रामों की फसल का अनुमानित नुकसान 1,55,250 करोड़ रुपये का हुआ है।

(4) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में निम्न विवरणानुसार कृषक बीमित किये गये एवं मुआवजा वितरित किया गया:-

फसल मौसम	**बीमित कृषकों की संख्या**	**लाभान्वित कृषकों की संख्या**	**मुआवजे की राशि (करोड़ रुपये में)**
रबी 2007-08	70658	62239	46.86
खरीफ 2008	0	0	0.00
रबी 2008-09	2123	219	0.08
खरीफ 2009	1951	1204	0.52

(कृषि मंत्री)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत चूरू जिले का पूर्व वर्षों का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत भारी-भारी धन्यवाद हमने दिया था कि प्रश्नों के जवाब हमारे एकदम से पहले ही आने लगे थे परन्तु आज पता नहीं, यह सवाल भी ऐसा कोई क्लिष्ट नहीं था और सीधा किसानों के हित से जुड़ा हुआ सवाल था पर इसका जवाब मुझे 10 बजकर 58 मिनट पर मिला है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था कैसे हुई, इसकी आप एक बार जानकारी करके इसकी व्यवस्था दें।

अध्यक्ष महोदय, यह मौसम आधारित जो बीमा योजना शुरू की गई इसमें शुरू में 12 जिले लिये, वे भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, जालोर, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, गंगानगर हैं और जो फसल इसमें ली हैं वे गेहूं, जौ, चना, सरसों, धनिया, तारामीरा, जीरा, ईसबगोल हैं। इसमें खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरसों पैदावार वाले जिले हैं, जहां से मैं आता हूं वह भरतपुर जिला है, मेरे बगल में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनके गंगानगर, बारां, कोटा, नागौर, दौसा हैं। जो मापदण्ड इस योजना में बनाये गये हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या-क्या पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर यह मुआवजा राशि तय की जाती है? यह माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी नाम है, मैं भी सवाल कर लूं ताकि फिर साथ में जवाब आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र, जिसको इन्होंने सरकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है, उसमें फसल बीमा योजना को ग्राम पंचायत इकाई मानकर लागू करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो सरकार अपनी इस घोषणा को कब पूरा करना चाहती है?

नम्बर दो, आपने प्रश्न के खण्ड एक में कहा है कि खरीफ 2009 – बीमित कृषक 25.91 लाख, कृषकों से प्राप्त प्रीमियम 79.47 करोड़, फिर आप यह कह रहे हैं कि खरीफ फसल मौसम, 2009 के अन्तर्गत कृषि बीमा योजना में राजस्व मण्डल द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी को 2010 में उपलब्ध करा दिये हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा

(श्री राजेन्द्र सिंह)

खराबे के आधार पर देय मुआवजे की गणना करने की कार्यवाही की जा रही है। उसके साथ ही आप इसमें लिख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ने राज्य का कितना हिस्सा देय है और केन्द्र का कितना हिस्सा देय है इसकी गणना नहीं की है इसलिए एक पैसा भी आपने किसानों को नहीं दिया।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहा कि चूरू जिले में खरीफ 2008 में एक भी कृषक ने बीमा नहीं कराया?

मेरे इन तीनों प्रश्नों का जो पाइंटेड प्रश्न हैं, इनका उत्तर साथ में दे दें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना 2003 में चालू हुई और खराबे का आकलन करने का आधार तहसील स्तर पर था। तहसील स्तर पर पूरे एरिया में अगर 50 या 75 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हो तब कोई मुआवजे की बात होती थी। तो लोगों का शुरू से ही आग्रह था कि यह पंचायत लेवल पर होनी चाहिए और सरकार ने तभी से प्रयत्न किये होंगे। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में यह तय किया था लेकिन इनके प्रयत्न करने के बाद भी यह लागू नहीं हो सका क्योंकि इसमें गांव स्तर पर करने में बहुत बड़ा खर्चा होगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): घोषणा क्यों की थी? फिर आपको किसने कहा था कि आप घोषणा करो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उत्तर तो देने दो आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप तो निर्दलीय थे, आपकी घोषणा नहीं है। (व्यवधान) अभी तक ये निर्दलीय ही हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): फिर बीच में ही क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान)

दूसरा, इसमें एक कठिनाई यह थी कि मुआवजा तय करने में बहुत समय लगता है। गिरदावरी रिपोर्ट अलग और रेवेन्यु बोर्ड का आकलन अलग और लोगों की शिकायतें उसमें यह रहतीं कि यह पटवारी ने मिलकर गिरदावरी कर दी, कहीं तहसीलदार पर आरोप लगते कि उसने गिरदावरी सही नहीं करवाई। इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल काश्तकारों को लाभ पहुंचाने के लिए यह मौसम आधारित बीमा योजना लागू

(श्री हरजीराम बुरडक)

की जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। इसमें मुआवजा देने में सिर्फ 45 दिन का समय लगता है। इसलिए तत्काल...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अभी घोषणा पर तालियां मत बताओ, क्रियान्विति पर बजाना।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): ...लोगों को इसमें राहत मिलती है इसलिए यह फसल बीमा योजना लागू की गई।

फसल बीमा योजना में पैरामीटर्स क्या हैं, खराबा देखना। यह तहसील स्तर पर जो यंत्र लगा हुआ है, उसमें मौसम की सारी जानकारी रिकार्ड होती है और वह जानकारी सारी कम्प्यूटराइज्ड है। यहां स्टेट लेवल पर भी उसकी रोज मोनेटरिंग होती है कि कहां तापमान ज्यादा हो गया या कहां कम हो गया या बरसात कब हुई? जिस पीरियड में बरसात होनी है, अगर उससे ज्यादा हुई, कम हुई और उसमें नमी का भी आकलन होता है। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं हुई और तत्काल काश्तकारों को लाभ मिलता है इसलिए इस बीमा योजना को शुरु किया। सरकार ने इस साल से पूरे राज्य में इसका उपयोग करने का काम शुरू कर दिया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाह रहा था कि तापमान और बरसात का औसत, यह दो पैरामीटर्स आपने बताये हैं। जिस जिले से मैं आता हूं, इसमें जो मेन क्रोप हमारी है, सरसों है। सरसों के लिए, माननीय मंत्री महोदय, आपकी इस मौसम आधारित फसल बीमा योजना में भरतपुर जिले के लिए लिखा है कि माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड से लगातार दो दिन अगर तापमान कम रहेगा तो उसको खराबे का मुआवजा मिलेगा। दूसरी तरफ मैंने और जिलों का भी देखा है। गंगानगर के मेरे मित्र बैठे हैं। गंगानगर में 0.5 डिग्री से कम अगर लगातार दो दिन टेम्प्रेचर रहता है...

श्री अध्यक्ष: यह आपकी जानकारी में है कि उन्होंने बताया है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, यह मेरी जानकारी में है, मैंने इनको बताया है।

और बारां में आठ डिग्री से अगर कम रहता है, कहीं चार डिग्री है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले 25-30 साल में जहां तक मेरी जानकारी है, भरतपुर जिले में माइनस दो डिग्री से टेम्प्रेचर नीचे कभी नहीं गया परन्तु सरसों की फसल बरबाद हुई कई बार। तो यह जो कम्पनी है, एग्रीकल्चर

(डा. दिगम्बर सिंह)

इन्श्योरेंस कम्पनी, इसका ध्येय केवल प्रीमियम कलेक्ट करने का है और कृषकों को उसका लाभ देने का नहीं है। अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: यह इन्श्योरेंस कम्पनी इनके अधीन है क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हां, बिलकुल है ना साहब।

अब तक का भरतपुर जिले में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ, कितने किसानों से और अब तक कितने बीमे की राशि किसानों को दी गई, यह मंत्री महोदय बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री जी। मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इसके जो पैरामीटर्स निश्चित किये हैं, इसमें 30 साल का औसत यह तापमान लिया गया है और भरतपुर में माइनस दो डिग्री से नीचे गया है, गंगानगर में गया है, यह मेरे पास आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। यह गया है 30 साल में और 30 सालों के आंकड़े देखकर जिलेवाइज जो पैरामीटर्स तय किये गये हैं, उसमें यह सारी जानकारी है। इसमें किसी प्रकार की कोई यह बात नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 30 साल का अगर आपके पास रिकार्ड है तो कब-कब माइनस डिग्री में भरतपुर में टेम्प्रेचर गया, यह आप मेहरबानी करके सदन में बता दें और क्या इन्श्योरेंस कम्पनी ने यह तय करके लिया कि ना तो माइनस में टेम्प्रेचर जाना और ना मुआवजा देना? मुआवजे की राशि भरतपुर में अब तक कितनी दी है? आज तक जितनी दी है मुआवजे की राशि, वह बता दो और टोटल प्रीमियम जो कलेक्टेड है, उसकी राशि आप बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल आपके माध्यम से और पूछना चाहूंगा। मैंने एक पाइंटेड सवाल किया था कि राज्य सरकार ने खरीफ 2009 में राष्ट्रीय फसल बीमा... दो तरह का बीमा है, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में खरीफ 2009 में राज्य सरकार ने कितना राज्यांश दिया, यह आप बता दें। एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, इन्श्योरेंस कम्पनी ने जो यंत्र लगा रखा है मौसम संबंधी, वह यंत्र खराब है। वह सारे जिले की जितनी भी तहसीलें हैं, उनकी जितनी जो रिपोर्ट है, वह सारी पटवारी की रिपोर्ट है, वह सही है। उसके बावजूद भी वह केवल चूरू जिले के अन्दर जो जिला हैडक्वार्टर पर लगा हुआ यंत्र है, उसी की मानते हैं। उसके चलते ही चूरू जिले में यह मुआवजा नहीं मिल सका। यह बहुत गलत बात है, अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच करवाइये। वह मीटर गलत है इनका। जो यंत्र लगा हुआ है, वह गलत है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि गंगानगर जिले के लिए जो आपने मापदण्ड बताये हैं, ...सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिए आभार प्रकट करूंगा कि यह बहुत अच्छी योजना चालू की है, इसका सारे हाउस को...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड सवाल था, भरतपुर में कितनी राशि प्रीमियम के तौर पर कलेक्ट की गई और कितना मुआवजा किसानों को दिया गया? यह पाइंटेड सवाल का जवाब तो मंत्री महोदय दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बताइये ना, 11.57 मिनट हो गये हैं, दो मिनट बाकी हैं। और कितना राज्यांश दिया, यह भी बता दो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): शुरू में प्रश्न के भाग-एक में बताया है, इसमें...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैंने भरतपुर जिले के लिए स्पेसिफिकली पूछा है, मंत्री महोदय।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): नहीं, इसमें भरतपुर जिले का अलग से नहीं है। इसमें अलग से सिर्फ चूरू जिले का ही है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भरतपुर जिला राजस्थान में ही है, मंत्री महोदय। भरतपुर जिला राजस्थान में ही है मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिला राजस्थान से बाहर नहीं है। भरतपुर जिले से केवल राज्यांश का कलेक्शन करना है, यह जो नीति बनी है उससे साफ जाहिर है कि भरतपुर जिले में किसानों से केवल प्रीमियम वसूल करना है और दूसरे जिलों में इसका बंटवारा करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनिये मंत्रीजी का, जवाब तो सुनिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इसको जरूर देख लें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल चूरू जिले का पूछा है। पूरे राजस्थान का है, कोई भरतपुर का नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ना ना ना, चूरू जिला तो आखिर में है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह राजस्थान का है, केवल भरतपुर का नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सवाल मेरा है पहला और मैं भरतपुर जिले का हूं, मंत्री महोदय और यह कृषि नीति, जो मौसम आधारित बीमा योजना है, यह बिलकुल दोषपूर्ण है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं माननीय सदन के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इसको वापस दिखवाइये क्योंकि अभी तक जो मुझे लगता है, बीमा कम्पनी को पेमेंट नहीं करना पड़े, केवल प्रीमियम लेना है, इस तरह की यह योजना मुझे लगती है। मंत्री महोदय जवाब दे नहीं पा रहे हैं...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि योजना बहुत अच्छी है, किसान को बड़ा इससे लाभ हो सकता है लेकिन इसमें दुबारा जब तक आप इसका पूरा विश्लेषण करके...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी, आप बता दें, क्या आपने घोषणा की थी ग्राम पंचायत तक को इस योजना में इकाई मानने की?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2003 में जब पहली बार यह योजना शुरू हुई थी, आपका भी अनुभव रहा पांच साल तक कि इसमें क्या शिकायतें आती रहीं किसानों की।

(समय : 12.00 बजे)

मैं समझता हूं, अधिकांश किसानों की शिकायतें रहीं कि न तो टाइम पर पेमेंट होता है, न पूरा पेमेंट होता है क्योंकि इकाई गांव को नहीं माना जाता है। अब यह एक साइंटिफिक तरीके से नई एक योजना आई थी उसको सरकार ने पूरे राज्य में, अभी आपको मालूम है कि मैंने बजट में घोषणा की, सभी जिले कवर कर लिये गये हैं। क्योंकि नई योजना है, अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जायेगा। मैं खुद इसकी मानिटरिंग करूंगा। किसानों के हित को देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, मैं खुद दिखवाऊंगा इसको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त । चर्चा समाप्त।

सूचना

इमामुद्दीन शौकीन, श्री, पाकिस्तान में सिंध सूबे की सरकार के मंत्री का दर्शक दीर्घा में आगमन

मुझे सदन को सूचित करना है (व्यवधान) कृपया शांति। मुझे सदन को सूचित करना है। कि पाकिस्तान के सूबे में सिंध से श्री इमामुद्दीन शौकीन, यह वहां के एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, सिंध और मिनिस्टर, मिनरल एण्ड मिनरल, गवर्नमेंट आफ सिंध कार्यवाही देखने के लिए आप लोगों के बीच पधारे हैं। धन्यवाद।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से सवाई माधोपुर के बौंली थाना क्षेत्र में दिनांक 15 मार्च, 2010 को मोरेल नदी में गिरी बस के मृतकों एवं घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री अनिल जैन पर्ची के माध्यम से आज अपने विचार सदन में रखने जा रहे हैं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति में महिलाओं का कोटा 70 प्रतिशत निर्धारित करने के संबंध में।
2. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की उप तहसील किशनगढ़ रेनवाल को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में।
3. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से राज्य की आल इण्डिया

(श्री अध्यक्ष)

परमिट की बसों का टैक्स 25,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रति माह कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना-रूपवास को पांचना बांध से सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में।

5. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में निर्मित 33 के.वी.ए. के विद्युत ग्रिड सब-स्टेशन्स को चालू कराये जाने के संबंध में।

6. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जयपुर में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए खुले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा विद्यार्थियों के साथ की जा रही धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर को रोकने हेतु उपाय करने के संबंध में।

8. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला टोंक के श्योपुर महादेव के पास ग्राम सुरेली एवं जलसीना-कंवरावास के भूमिगत जलस्तर में बढ़ोतरी हेतु बनास नदी में एनीकट का निर्माण करवाने के संबंध में।

9. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर सत्ता क्षेत्र से गुजरने वाले जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर सड़क व रपट निर्माण कराये जाने के संबंध में।

10. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने के संबंध में।

11. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कृत्रिम विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण कराने के संबंध में।

12. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के नगर लोसल में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती अनिता भदेल ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नर्सिंग कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत कोटे का निर्धारण

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत नर्सिंग कर्मचारियों में नियुक्ति हेतु महिलाओं का कोटा 70 प्रतिशत निर्धारित करने बाबत निवेदन है कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान, जयपुर के द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2001, 2002, 2003 में 80 प्रतिशत महिलाओं का चयन करने एवं 20 प्रतिशत पुरुषों का प्रशिक्षण में चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी तथा उसी के अनुसार जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा 80 प्रतिशत महिलाओं एवं 20 प्रतिशत पुरुषों का चयन कर जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण दिया गया था...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में चर्चाएं नहीं। आपस में चर्चाएं नहीं, कृपया विराज जाइये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): परन्तु जब निदेशालय द्वारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई एवं 19 फरवरी, 2003 को नर्सिंग कर्मचारियों की राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई जिसके द्वारा 70 प्रतिशत महिलाओं एवं 30 प्रतिशत पुरुषों का चयन दर्शाया गया। तुरन्त ही उक्त विज्ञप्ति को निरस्त करवा कर सरकार ने निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, जयपुर को आदेशित कर पुन: एक नई विज्ञप्ति 31 जुलाई, 2003 को जारी करवाई जिसमें राजकीय सेवा में नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु 70 प्रतिशत पुरुषों एवं 30 प्रतिशत महिलाएं निर्धारित किये गये एवं तदनुसार ही नियुक्तियां भी प्रदान की गईं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं बताना चाहती हूं कि वर्तमान में जनरल नर्सिंग प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क पर करीब डेढ़ लाख रुपये तक खर्च करना पड़ता है। इतने महंगे प्रशिक्षण के पश्चात् भी महिलाएं चयनित होने से वंचित हो जाती हैं एवं सभी प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। महिलाएं महंगा प्रशिक्षण प्राप्त करके भी बेरोजगार ही रह जाती हैं।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे महिलाओं हेतु प्रशिक्षण का जितना कोटा निर्धारित है उसी अनुपात में उनके चयन का कोटा

(श्रीमती अनिता भदेल)

भी 31 जुलाई, 2003 के पूर्व की भांति रखवायें ताकि सभी प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अवसर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा की उप तहसील किशनगढ़-रेनवाल का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित उप तहसील किशनगढ़-रेनवाल को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा दिये जाने के संबंध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किशनगढ़ रेनवाल उप तहसील वर्ष 1982-83 में खोली गई थी। किन्तु इसे आज तक तहसील का दर्जा नहीं दिया गया। उक्त उप तहसील के अधिकार क्षेत्र में 94 ग्राम आते हैं। उक्त उप तहसील कार्यालय तहसील मुख्यालय सांभरलेक में स्थित है जिसके करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर होने से आम जन जो कि कृषि पर आश्रित हैं तथा कृषि, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, इन लोगों को तहसील स्तर का कार्य करवाने हेतु सांभर लेक में आना पड़ता है जिसमें काफी समय व पैसा खर्च होता है। इसलिए इस उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,: उप तहसील किशनगढ़-रेनवाल को तहसील का दर्जा नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता में न केवल आक्रोश उत्पन्न होने की सम्भावना है बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय राजस्व मंत्री महोदय से अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में उप तहसील किशनगढ़-रेनवाल को तहसील का दर्जा चालू वित्त वर्ष में ही दिया जाकर आम जनता की समस्या का निराकरण किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

आल इण्डिया परमिट बसों का टैक्स बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के संचालन संबंधी नियमों नियम 295 के अन्तर्गत मैं सरकार का ध्यान

(श्री बंशीधर खण्डेला)

इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आल इण्डिया बसों का टैक्स 25,000 प्रति माह से 35,000 प्रति माह करके सरकार ट्यूरिज्म को राजस्थान से खत्म करने पर तुली हुई है। सरकार अपनी आमदनी इस टैक्स को बढ़ाकर ज्यादा आमदनी करना चाहती है परन्तु उससे कई गुणा आमदनी सरकार को खोनी पड़ेगी, जैसे होटलों की कम बुकिंग, बाहर के अन्य राज्यों से जो बसें, टैक्सी इत्यादि आती हैं उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वह कम हो जायेगा। राजस्थान में तकरीबन 2,000 बसें आल इण्डिया परमिट लेकर चलती हैं। ये बसें ज्यादातर सवारी व माल ढोने का कार्य करती हैं जो आल इण्डिया परमिट के नियमों का पुलिस व आरटीओ अधिकारियों की मिलीभगत से खुला उल्लंघन कर रही हैं। बसों के ऊपर ट्रकों की तरह माल लाद कर लाया जा रहा है जबकि नियमों के अनुसार बसों पर केरियर नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की राजधानी में सायंकाल 7.00 बजे से प्रात: 9.00 बजे तक सैकड़ों बसें आती हैं व जाती हैं, परन्तु सरकार आंख बंद करके बैठी है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार पुलिस अधिकारियों व परिवहन अधिकारियों को नियमों को कठोरता से लागू करने के लिए बाध्य करे। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली।

बयाना-रूपवास को पांचना बांध से जल वितरण

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पांचना बांध बनने से पूर्व गम्भीर नदी, जो बयाना-रूपवास विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों से गुजरती है, से पानी आता था। फलस्वरूप नदी में पानी रहने से सिंचाई हेतु पानी की समस्या नहीं थी एवं जलस्तर भी ऊपर रहता था। पांचना बांध बन जाने से पानी रुक गया है और गम्भीर नदी सूखी पड़ी है। पानी का जलस्तर भी नीचे चला गया है। लगभग 250 गांव पानी से वंचित हैं। पशुओं को पीने का पानी जो उपलब्ध रहता था, बिल्कुल नहीं है चूंकि इस क्षेत्र का मुख्य कार्य पशुपालन ही है, अत: विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। पीने का पानी भी सहज रूप से नहीं मिल रहा है। यह एक आम जनता की ज्वलंत समस्या है। कृषि उपज भी बाधित हो रही है एवं कृषकों में गरीबी बढ़ती जा रही है।

मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि पांचना बांध बनते समय भरतपुर जिले के हित में समझौता हुआ था एवं उसकी पालना में पानी देना तय हुआ

(श्री ग्यारसाराम कोली)

था। निवेदन है कि पांचना बांध में चम्बल नदी का पानी लिफ्ट कर डलवाया जाये एवं उसके ओवर-फ्लो से पानी गम्भीर नदी में डलवाया जावे ताकि 250 गांवों को पानी उपलब्ध हो सके। कृषकों को इस पानी का लाभ मिल सके, कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके तथा क्षेत्र में खुशहाली आ सके।

अत: अविलम्ब योजना बनाकर चम्बल का पानी पांचना बांध में लाया जाकर गम्भीर नदी में पानी प्रवाह कराया जावे। यह आम जनता के हित का कार्य होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह।

वैर में निर्मित 33 के.वी.ए. के विद्युत ग्रिड सब-स्टेशनों को प्रारम्भ किया जाना

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियमों के नियम-295 के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में अलीपुर, अलूपुरा, सलैमपुर खुर्द, धरसोनी, नावर आदि ग्राम पंचायतों में 33 के.वी.ए. के ग्रिड सब-स्टेशन करीब 2 साल से बनकर तैयार खड़े हुए हैं लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए हैं जिसके कारण क्षेत्र में पूरी बिजली सप्लाई नहीं मिल पा रही है। फलस्वरूप किसान की फसल सूख गई जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन सभी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई सही नहीं आने के कारण पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे आने वाले गर्मी के मौसम में आम जनता एवं पशुओं के पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत उत्पन्न होने की सम्भावना है। जिसके कारण क्षेत्र में गम्भीर समस्या पैदा हो जाएगी। इन क्षेत्रों में सरकारी ट्यूबवैल लगे हुए हैं जिनसे विद्युत सप्लाई सही नहीं आने के कारण पानी की आपूर्ति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। अगर इन विद्युत सब-स्टेशनों को चालू कर दिया जाता है तो क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

जयपुर में प्रतियोगी/व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर हो रही धोखेबाजी

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि गत

(श्री केसाराम चौधरी)

कुछ वर्षों से जयपुर में विभिन्न विभागों की काम्पीटीशन परीक्षाओं का क्रेज बढ़ता जा रहा है जिसके कारण शहर में एक अलग ही प्रकार के रैकेट का प्रादुर्भाव हुआ है जो भोले-भाले व गरीब विद्यार्थियों के साथ छल-कपट करके उनको ठगी का शिकार बनाकर अपनी जेबों को हरा-भरा कर रहा है। राज्य में शिक्षित बेरोजगारी से आप और हम सभी भली-भांति परिचित हैं। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी एक शिक्षित बीमारी बन गई है जिसका आजकल हर गरीब व मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्ति शिकार है। इसका कारण सिर्फ एक है और वह है सरकार की इस वर्ग की तरफ अनदेखी।

महोदय, विभिन्न लोक सेवा संघों की होने वाली भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने हेतु राज्य में अनेकों प्राइवेट इन्स्टीट्युटस खुले हुए हैं। वे गांवों व शहरों के भोले-भाले विद्यार्थियों को परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होने का झांसा देकर फीस के नाम पर उनसे 40 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक की मोटी रकम ले लेते हैं। फीस लेने से पहले वे विद्यार्थियों को कई मीठे सपने दिखा देते हैं। फीस चैक से, डीडी से ना लेकर नकद ही भुगतान को विवश करते हैं तथा फीस लेने के बाद कोई रसीद भी नहीं देते हैं। बड़े-बड़े विश्वविद्यालय के नाम पर अपने प्रशिक्षण संस्थाओं का नाम रखते हैं तथा दिल्ली, मुम्बई इत्यादि बड़े शहरों की प्रशिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के नामी अध्यापकों, व्याख्याताओं का नाम लेकर विद्यार्थियों के साथ ठगी करते हैं। फीस लेने के पश्चात् विद्यार्थियों को 10-15 दिन बुलाकर थोड़ा बहुत जो कि बिना मतलब का होता है, पढ़ाकर उन्हें गुमराह करते हैं। तब तक उनकी परीक्षा भी निकल जाती है और विद्यार्थी जो ना जाने कहां-कहां से काम करके या ऋण लेकर अपनी फीस देते हैं उन्हें निराश होना पड़ता है। यहां तक कि कई विद्यार्थियों का भविष्य बरबाद हो जाता है और कई विद्यार्थी आत्महत्या तक कर बैठते हैं।

जयपुर शहर के लाल कोठी, बापू नगर, गांधी नगर, बरकत नगर, सोडाला जैसे कई इलाकों में ऐसी संस्थाएं अपनी ठगी की दुकानें लेकर बैठी हैं जिनका राज्य सरकार से कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और प्रशासन भी इनकी भरपूर मदद कर रहा है क्योंकि ये अपनी काली कमाई के कुछ हिस्से से प्रशासन के अधिकारियों की भी जेबें भर रहे हैं। राज्य भर से आशा लेकर आने वाले विद्यार्थी अपनी आशा जयपुर से रखते हैं परन्तु यहां आकर इन ठगों व जालसाजों का शिकार होकर उन्हें इतना शिक्षित होकर भी किसी के यहां

(श्री केसाराम चौधरी)

मजदूरी करनी पड़ती है। वे और उनकी आत्मा प्रशासन और सरकार को अंतिम क्षण तक कोसते रहते हैं। परन्तु सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।

अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस लोक महत्व के विषय को गम्भीरता से लेते हुए उन तमाम विद्यार्थियों के हित में जो ऐसे ठगों के शिकार हुए हैं या अपने भोलेपन में शिकार होने वाले हैं, जल्द से जल्द उपाय कर इस समस्या का निराकरण करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली ।

श्री रामनारायण मीणा।

भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी हेतु एनीकट निर्माण की अनुमति

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गिरते जा रहे भूमिगत जल स्तर से ग्रामीण क्षेत्र में मनुष्यों एवं पशुओं की गहराती जा रही पेयजल समस्या के निवारणार्थ खारे फ्लोराइडयुक्त एवं उच्च टीडीएस वाले पानी को मीठे पानी में बदलने तथा भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी के लिए भू-संरक्षण कार्य एवं जल ग्रहण क्षेत्रों में निर्मित किए जाने वाले स्थायी एनीकटों की निर्माण की महती आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक हो गया है। मात्र 2 मीटर तक की ऊंचाई के एनीकट निर्माण के आदेश सरकार द्वारा दिए जाने के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा जनहित के विरुद्ध अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करके स्वीकृति जारी नहीं करने से एनीकटों के निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं साथ ही, एनीकट निर्माण के लिए ऊंचाई की सीमा 2 मीटर के स्थान पर 3 मीटर की जानी जनहित में अति आवश्यक है।

बीसलपुर बांध तथा राज्य के अन्य बांधों से भूमिगत जल बढ़ोतरी तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण के नाम पर समय-समय पर नदी में पानी छोड़े जाने से पानी का दुरूपयोग हो रहा है। बनास नदी में श्योपुर महादेव के समीप ग्राम सुरेली में तथा ग्राम जलसीना (देवली) एवं कंवरावास (टोडारायसिंह) के मध्य नदी में निम्न तल से 2 मीटर तक की ऊंचाई के एनीकट निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं करने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों को भारी नुकसान हो रहा है एवं कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। ग्राम जलसीना एवं कंवरावास के मध्य प्रस्तावित एनीकट का स्थान बीसलपुर बांध के करीब 17 किलोमीटर दूरी पर नीचे की तरफ तथा श्योपुर महादेव ग्राम सुरेली में

(श्री रामनारायण मीणा)

प्रस्तावित एनीकट ईसरदा में निर्मित काफर डेम से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर डाउन-स्ट्रीम में स्थित है।

नियमानुसार बांध स्थल से 3 किलोमीटर दूरी पर 2 मीटर तक की ऊँचाई के एनीकट निर्माण किए जाने की छूट दी हुई है। एनीकट के निर्माण से करीब 600 कुओं एवं अनेकों ट्यूबवेलों के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। एनिकट निर्माण से बरसात के समय बहकर आने वाली मिट्टी के भी बांध के पैंदे तक पहुंचने पर रोक लगने से बांध की उत्तरजीविता में भी वृद्धि होती है। उक्त एनीकटों के निर्माण क्षेत्र में कोई निजी भूमि तथा सम्पत्ति नहीं आती है।

अत: प्रार्थना है कि राष्ट्रहित में जन-भावना को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में गहराती जा रही जल समस्या को ध्यान में रखकर टौंक ज़िले में श्योपुर महादेव के पास ग्राम सुरेली एवं जलसीना-कंवरावास के मध्य लघु सिंचाई मद, महानरेगा योजना के तहत या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी भी मद से दो मीटर ऊंचाई के एनीकट निर्माण की स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाए जाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: बाबूसिंह राठौड़।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): कुछ आश्वासन दे दो न मंत्री जी, मेरा काम हो जाये। यह बोलते ही नहीं है कुछ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप विराजिए। आप चैम्बर में मिल लें। श्री बाबूसिंह राठौड़। आपस में चर्चा नहीं।

शेरगढ़ के बालेसर सत्ता क्षेत्र से गुजरने वाले जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर उचित मानक के निर्माण कार्य का अभाव

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 सड़क जोधपुर से बालेसर पोकरण-रामदेवरा होते हुए जैसलमेर जाती है। इस सड़क पर अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यटकों का अधिक आवागमन रहता है। वर्तमान में विश्व के मानचित्र पर भी जैसलमेर अपना स्थान बना चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आर्मी (मिल्ट्री) व बी.एस.एफ. के भारी वाहनों की गतिविधियां भी निरन्तर इसी मार्ग पर रहती हैं।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

उक्त सड़क मार्ग का राष्ट्रीय उच्च मार्ग में परिवर्तन होने के बावजूद मापदण्ड अभी भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अनुरूप नहीं है। इस सड़क पर पूर्ण यातायात बालेसर जैसे महत्वपूर्ण कस्बे से होकर गुजरता है, जहां पर स्थानीय लोगों का आना-जाना भी रहता है। सड़क मार्ग कम चौड़ा होने के कारण व अधिकाधिक वाहनों के दबाव के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और हर वक्त दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। पुलिस मुख्यालय ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बालेसर से गुजरने वाले मार्ग को भी दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र घोषित किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बालेसर कस्बे में मुंसिफ मजिस्ट्रेट आवास (क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालय) से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर सत्ता मुख्य मार्ग की सड़क जो कि 1.00 कि.मी. के लगभग है, मार्ग को छह लेन में परिविर्तित करवाना व मीठी बेरी चौराहा से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुई इन्दा कुई चौराहा तक मार्ग जो 5.00 कि.मी. के लगभग है, को दो लेन से चार लेन में तथा उक्त मार्ग पर पूर्व में बनी रपटों को भी चौड़ा करना, डिवाइडर व नाली का निर्माण करवाना अति आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बढ़ते वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

अत: उक्त वर्णित तथ्यों पर गौर फरमाते हुए ग्राम बालेसर सत्ता क्षेत्र में गुजरने वाले जोधपुर-जैसलमेर सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-114 पर सड़क व रपट के निर्माण कार्य करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: कर्नल सोनाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री शिवजी राम मीणा।

जहाजपुर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण कराने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

(श्री शिवजीराम मीणा)

सम्बन्धी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल 1993-98 के दौरान प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की नीति बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में सड़कों के निर्माण हेतु नोडल एजेंसी कृषि विपणन बोर्ड को बनाया गया था। इस नीति के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बरोदा, फलासिया, बावड़ी, जालमपुरा, तस्वारिया, गुढा, बेई, बागूदार, बागड़ी, कांटी इत्यादि गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 1997-98 में पूर्ण कर लिया गया था किन्तु संवेदकों द्वारा सड़क निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र देरी से अर्थात् वर्ष 2000 तक प्रस्तुत किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के पश्चात् एक निर्धारित समयावधि में चक्रानुक्रम में नवीनीकरण करवाया जाता है किन्तु इन सड़कों का निर्माण होने के दस वर्ष बाद भी नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वर्तमान में उक्त सड़कों का नामोनिशान भी मिटने को है। कई बड़े-बड़े खड्डे हो गये हैं जिससे और तो और दुपहिया वाहन के साथ-साथ पैदल चलना भी दूभर हो गया है।

अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित उक्त सड़कों का शीघ्रातिशीघ्र नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था कराने का कष्ट कर जनता को राहत पहुंचावें।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

धोद के नगर लोसल में उप-तहसील की स्थापना

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत धोद विधान सभा क्षेत्र के नगर लोसल में उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धोद विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र नगरपालिका लोसल है, जिसके आस-पास की सात ग्राम पंचायतें मय नगरपालिका लोसल, दांतारामगढ़ तहसील के अन्तर्गत आती हैं। इस नगर व आस-पास की पंचायतों की जनसंख्या लगभग एक लाख हैं। जो तहसील व एस.डी.एम. दांतारामगढ़ के क्षेत्राधिकार में आती है।

इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज बनवाने, किसानों को

(श्री पेमाराम)

अपनी भूमि सम्बन्धी प्रकरण निपटाने के लिए दांतारामगढ़ जाना पड़ता है। लोसल नगर, जाना, मंगरासी, भीमा, चिड़ासरा, सांगलिया, भीराणा, भगतपुरा, खूड व बानूड़ा आदि गांवों की दूरी लोसल शहर से दांतारामगढ़ जाने पर लगभग 40-45 कि.मी. है। आने-जाने में 80-85 कि.मी. का सफर तय करना पड़ता है। जिससे जन-साधारण के धन व समय की बरबादी होती है। वहीं लोसल शहर में जी.एस.एस., स्कूलें, ए.ईएन. कार्यालय पुलिस थाना व अन्य सरकारी दफ्तर हैं।

अत: जनता की परेशानी को देखते हुए व सरकारी कार्य में गति लाने हेतु लोसल नगरपालिका में उप-तहसील कार्यालय बनाया जावे।

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 22 मार्च, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 24 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका द्वारा निम्न चार पर्चियां निकाली गईं :-

(1) श्री कालीचरण सराफ, पांच्यावाला, सिरसी रोड निवासी बबली भण्डारी की अगुआ कर बलात्कार के बाद की गई हत्या के अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री ओम जोशी, विधान सभा क्षेत्र फलौदी में अकाल से उत्पन्न गम्भीर समस्या के निदान हेतु पशु शिविर खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रघु शर्मा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जुगाड़ एवं ट्रकों द्वारा चारा परिवहन के उपजे संकट के सम्बन्ध में।

(4) श्री अनिल जैन, सवाई माधोपुर जिले की मोरेल नदी में 15.3.2010 को हुई बस दुर्घटना में 27 मौतों के सम्बन्ध में।

श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। दो मिनट का काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: किस विषय पर पाइंट ऑफ ऑर्डर?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक जोधपुर के अन्दर फिजीयोथेरिपी कॉलेज...

श्री अध्यक्ष: किस विषय पर पाइंट आफ आर्डर, किस बात का?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बता रही हूं न साहब, फिजियोथेरेपी कालेज खोलने ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: नहीं, होता नहीं है इसमें पाइंट आफ आर्डर। इसमें होता ही नहीं है। विराजें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: अब यों जबरदस्ती से आप कराओ तो...।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर की कोई बात कहां से आएगी, माननीय सदस्या?

सूचना

जोधपुर में प्रस्तावित फिजियोथैरेपी कॉलेज का रुका कार्य व स्थान बदलने की सम्भावना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): इतनी तो छूट दें। इन्फोर्मेशन मान लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिजियोथेरेपी कालेज खोलने की पिछले बजट में सदन के नेता ने बोला था और वहां जोधपुर के अन्दर काम भी शुरू हो गया है। मगर अब वो काम क्यों रुका है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाकर देख कर आयी हूं। नीवें भर गयी हैं। इसे कमला नेहरू नगर के अन्दर टी.बी. होस्पिटल है वहां पर खोलने का था अब ऐसा नहीं हो कि वह कहीं दूसरी जगह लेना चाहते हों।

श्री अध्यक्ष: विराजें। आप विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना देना चाहती हूं और मंत्री महोदय हों तो मेरे को थोड़ी जानकारी मिल जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर स्थित पांच्यावाला निवासी एक लड़की की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले 11 मार्च को जयपुर में सिरसी रोड पर रामविहार, पांच्यावाला के निवासी श्री विशंभर दत्त भण्डारी की पुत्री बबली भण्डारी जो 22 साल की थी उसका

(श्री कालीचरण सराफ)

अपहरण किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई एवं अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 मार्च को एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी बबली, वहां से यह लापता हुई। उसके पिता ने थाने में जाकर के रिपार्ट दर्ज करायी गुमशुदगी की। उसके बाद सुबह साढ़े पांच बजे चंदवाजी के पास एक कार में इसकी क्षतविक्षत लाश मिली। उसके बाद जब उसका मेडिकल कराया गया तो यह पाया गया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है।

अफसोस की बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि इसमें जिस लड़के को नामजद किया गया है, मृतका के परिवार के लोगों ने जो बताया है, विकास यादव नाम का एक लड़का है जो ट्रैफिक पुलिस में यहां ए.एस.आई कोई मि. यादव का लड़का है, उसको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि उसको न केवल गिरफ्तार ही नहीं किया अपितु जब क्योंकि वह उत्तराखंड की बच्ची थी तो उत्तराखंड के लोगों का एक यहां संगठन बना हुआ है, उन्होंने यह निर्णय किया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को रैली के रूप में जाकर अपना ज्ञापन देंगे और यह रोष प्रकट करेंगे कि पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। कल स्टेच्यू सर्किल पर 8.00 बजे हजार-डेढ़ हजार की संख्या में ये सारे लोग इकट्ठा हुए और वहां से शांतिपूर्ण तरीके से सरदार पटेल मार्ग होते हुए सिविल लाइन फाटक पर जा रहे थे। क्योंकि इसमें पुलिसकर्मी का लड़का इन्वोल्वड है, पुलिस ने यह कह कर कि आपके पास इस जुलूस की परमीशन नहीं है जबकि उन लोगों ने कहा कि हमने सात दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन कर दिया था, इस रैली को रोकने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके पास जबरन उस जुलूस को रोकने की कोशिश की जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पत्थरबाजी की। उसका परिणाम यह हुआ कि चार-पांच पुलिसकर्मियों को चोटें आ गईं। जब पुलिस अधिकारी के चोट आ गई, यह देख लिया पुलिस वालों ने तो उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से आपा खोया और छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर, महिलाओं पर जिस प्रकार से निर्मम लाठीचार्ज किया गया' उसकी फोटो आज के अखबारों में छपी है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखी होगी।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र में यह उचित है कि यदि किसी

(श्री कालीचरण सराफ)

बच्ची के साथ बलात्कार हो जाये, उसकी हत्या कर दी जाये और उसके अभियुक्त के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी जाये और उसके बाद भी वह अभियुक्त गिरफ्तार न हो और गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्थान के मुखिया, मुख्य मंत्रीजी के यहां गुहार लगाने के लिये जनता जाये तो उनको इस प्रकार से निर्ममतापूर्वक पीटा जाये, महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर मारा जाये, 12 साल की बच्ची के ऊपर लाठी प्रहार किया जाये? और उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस गये। वहां अन्दर जाकर पुलिस ने जिस प्रकार से उनको पीटा है आज सारे अख़बार इस बात को बयान कर रहे हैं।

मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस बात के बारे में बतायें कि अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और जो प्रदर्शनकारी थे उनमें लगभग 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर बोलना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: अपनी पर्ची पर यह बोल रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इन्हीं की बात को आगे बढाते हुए बोलना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरह से नहीं। आप विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर धारा 332, धारा 353, धारा 307, हत्या के प्रयास का मुकदमा, महिलाओं की गिरफ्तारी, थाने में उनकी पिटाई। आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या राजस्थान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है? क्या सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है? क्या पुलिस को मनमानी करने का अधिकार माननीय गृह मंत्री जी ने दे दिया है? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी सदन में इस बात की जानकारी दें कि 45 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? उन पर 307 की धारा कैसे लगाई गई? क्या अभियुक्त को गिरफ्तार करने की सरकार की मंशा है? और मंशा है तो कब तक उसको गिरफ्तार कर लिया जायेगा? इन सब बातों के बारे में माननीय गृह मंत्री जी यदि यहां जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम जोशी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब दिलाओ साहब।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं भी होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी में ऐसी घटना घटे और राज्य के गृह मंत्री जी यहां विराजे हों तो जवाब दिलाओ साहब।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पूरे राजस्थान प्रदेश का पर्वतीय समाज कल यहां जयपुर में इकट्ठा हुआ, एक जायज मांग को लेकर इकट्ठा हुआ।

श्री अध्यक्ष: श्री खाचरियावास जी। विराजिए माननीय सदस्य ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कल जो घटना हुई, वास्तव में पुलिस वालों के भी बहुत लगी है मैं मानता हूं लेकिन जिस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, उसके लिये मैं यह मानता हूं कि करणी विहार थाना जहां पर बबली हत्या कांड हुआ, उसके बाद नो डाउट इसमें पुलिस की भी कहीं न कहीं गलती इसलिए मानी जा सकती है कि पुलिस में नाम दर्ज कराया गया है और उस बबली की निर्ममता से हत्या हुई है, उसके बावजूद भले ही वह किसी पुलिस अधिकारी का बेटा है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद लोगों में उत्तेजना हुई, लोगों से गलती हुई बिना परमिशन के वहां आये, टकराव हुआ उसमें एक पुलिस अधिकारी भर्ती है। कुछ लोगों के भी लगी है। मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा, यह मामला ऐसा है कि राजधानी जयपुर में यदि इस तरह की घटना होती है और उसके बाद पुलिस के भी लगती है, लोगों के भी लगती है लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उस करणी विहार थाने में ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक, बलात्कार के बाद हत्या हो गई और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की? तो इसमें हमारी सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है कि हम इसकी जांच करायें, यदि कोई दोषी अधिकारी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी करें और सारी समस्या का इस ढंग से समाधान हो कि आगे के लिये अधिकारियों को एक नसीहत मिले।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी और मंत्री महोदय जवाब दें, जो महिलाओं पर और कुछ

(श्रीमती अनिता भदेल)

लोगों पर 302 के जो मुकदमे लगे हैं वह तो वापस ले लिये जायें क्योंकि पूरे राजस्थान भर से लोग प्रदर्शन करने के लिये आये थे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिए । श्री ओम जोशी। (व्यवधान) आपके दल के उप नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, मुझे दुःख है कि पुलिस अधिकारियों के भी लगी है, मुझे इस बात का भी दुःख है कि जनता के लगी है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर में राज्य की राजधानी में एक नामजद रिपोर्ट दर्ज होती है, सरेआम चाकू की नोक पर बच्ची का अपहरण किया जाता है, थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है, बच्ची से बलात्कार होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, यहां तक पता है कि उसका पिता कहां काम करता है, उसका क्या काम है। जब कोई अपराधी मिलता नहीं है तो आम तौर पर उसके घर वालों को पकड़ कर बैठाते हैं कि बताओ क्या बात है। यह इतना बड़ा सीरियस मामला है और कल भी जो घटना हुई वह घटना घटित नहीं होती अगर थोडा बहुत भी ध्यान्न रखते।

इसलिए मैं चाहूंगा, इस बात पर आप बोले। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये और इस प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, 307 का मुकदमा दर्ज किया है, 45 लोगों को थाने में बुरी तरह से पीटा गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम जोशी। कृपया विराजिए, कृपया विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए। अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में यदि लोक महत्व के इस तरह के विषय आते हैं तो उनका जवाब दिलवाओ। अध्यक्ष महोदय, यह तो संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील गृह मंत्री जी हैं, जवाब दिलवाइए।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर हर बात का जवाब दिलवाना जरूरी नहीं है। पर्ची के माध्यम से उठाये गये हर मामले का जवाब देना आवश्यक नहीं है। क्या आप जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, यह बहुत बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। शांतिपूर्ण जुलूस व प्रदर्शन हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जवाब चाहते हो ना, वह दे रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं तो राठौड साहब का ही इंतजार कर रहा था कि यह मुझसे कहे जवाब देने के लिये और मैं खड़ा होऊं।

श्री अध्यक्ष: आप तो सीधे अपनी बात पर आ जाओ।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह पूरा सदन जानता है दोनों में दोस्ती है और अब हम अच्छी तरह से समझ गये हैं, आप शांति भी हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह वाकई गम्भीर घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना सा यह कह देना कि लड़की का अपहरण हुआ, चाकू की नोक पर हुआ, बलात्कार हुआ और उसका कत्ल हो गया, मैं यह समझता हूं कि यह भी इतना सत्य नहीं है। लड़की को उस राजेश यादव के साथ कार में आखिरी बार जाते हुए देखा गया है। अब यह बात समझ में नहीं आती कि अगर लड़की राज़ी-खुशी नहीं जाती होती तो इतनी दूर तक जाने में कहीं तो वह चिल्लाती, कहीं तो कुछ इस तरह का एतराज करती कि यह मुझे भगा कर ले जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाड़ी के चारों कांच बंद हो, आजकल तो सिस्टम ही दूसरा हो गया खोलने का।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह नहीं है, इतना ही प्रश्न है वह कैसे गई, रजामंदी से गई, उसका बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। बात इतनी सी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न पर कम से कम 5-6 सदस्यों को बोलने की इजाजत दी है, मुझे भी पूरा वक्त दीजिए।

कोई दो राय नहीं, बात सही है कि पुलिस कर्मी का लड़का था और जब इत्तला हो गई तो पुलिस को अविलम्ब काम करना चाहिये था। मैं पुलिस के पार्ट पर जो कुछ गलती हुई है उसको स्वीकार करता हूं और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि जो कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार है निश्चित तौर पर उसको कड़े से कड़ा दंड देने का हम प्रबंध करेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ढाई

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

-तीन सौ आदमी इकट्ठा हुए और अगर पत्थरबाजी नहीं हुई तो फिर इन पुलिस वालों के चोटें कैसे आ गईं? 6-6 पुलिस वालों के चोंटें आई हैं। (व्यवधान) कालीचरण जी, प्लीज। और चोटें ही नहीं हैं बल्कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। एक व्यक्ति जो कि अभी एडिशनल एसपी हैं, प्रमोट होकर वह आईपीएस आफिसर हो गये हैं, अभी कुछ दिनों में वह एसपी बनेंगे, उनके सिर में इतनी जबरदस्त चोट आई है और रात को उनका आपरेशन हुआ है, वह मरते-मरते बचे हैं, राजेश मीणा उनका नाम है। इसी तरीके से थाना अधिकारी अशोक नगर भीमराव, उनके सिर पर 3 चोटें आई हैं। सोढाला थाने का लाखन सिंह, रघुवीर सिंह सैनी, 18 अन्य पुलिस कर्मियों के चोटें आई हैं। आखिर यह चोटें आ कैसे गईं अगर शांति प्रिय प्रदर्शन था, बात समझ में आती नहीं है।

पुलिस की गलती है पुलिस को अविलम्ब काम करना चाहिये था, मुलजिमों को गिरफ्तार करना चाहिये था, लड़की के परिवार को जितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिये था उतना देना चाहिये था, वहां तक मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस बात को सिर्फ इसलिए यह कह देना कि ढाई-तीन सौ लोग और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुस गये और कालीचरण जी टेलीफोन कर रहे हैं पुलिस को कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो घुसे हैं उनको मत पकड़ना, यह समझ में नहीं आती बात। इस तरीके के....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गलत बात मत कहिये आप, सदन को गुमराह मत करिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं जो कुछ कह रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं जो कुछ कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। आप मेरी बात को सुनिये।

किन धाराओं में इनके खिलाफ केस नहीं है? और क्यूं नहीं होगा रजिस्टर? क्यों नहीं गिरफ्तार होंगे 47 लोग? आप यह बता दें मुझे। जिस तरह की पत्थरबाजी, और पत्थरबाजी भी मामूली नहीं हुई। मीडियन पर सीमेंट के जो बड़े-बड़े ब्लाक्स लगाये जाते हैं उनको उठा-उठाकर फैंका गया है। आप यह भी देखिये, आखिर कुछ तो, इतना भी नहीं होना चाहिए था। मानते हैं हम, पूरी सिम्पेथी है उस लड़की के साथ उसके परिवार के साथ, उसके

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

परिवारजन के साथ, जितने भी कुटुम्बी हैं उनके साथ, सब कुछ है लेकिन अगर इस तरह की हकरकत होगी तो निश्चित तौर पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी और जो पुलिस ने कार्यवाही करी है 47 आदमियों की गिरफ्तारी कर, उसको जस्टिफाइ करते हुए कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जो कार्यवाही की बिल्कुल सही की है। लेकिन जिन पुलिस कर्मियों का इसमें दोष है, जिन पुलिस कर्मियों को वक्त पर कार्यवाही कर देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, मैं जांच करवाऊंगा और जांच कराकर उनको कड़ी से कड़ी जो कुछ भी सज़ा हो सकती है, वह दिलवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त । श्री रघु शर्मा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: काहे की इनफोर्मेशन ?

सूचना

होम्योपैथी डाक्टर्स का प्रदर्शन

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इस बात की इनफोर्मेशन कि होम्योपैथी के 600 डाक्टर्स विधान सभा के बाहर रैली लेकर खड़े हुए हैं जो ऐसे डाक्टर हैं जो हर लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं और सरकार ने ...

श्री अध्यक्ष: आप जैसे ?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं तो उनसे थोड़ा बड़ा हूं। सरकार ने उनका निदेशालय नहीं खोला, इस बात से दुःखी होकर वे सड़कों पर बैठे हैं। सरकार कृपया ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष: सूचना दे दी आपने, धन्यवाद। श्री रघु शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जुगाड़ पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न स्थिति

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सवाई माधोपुर में दुर्घटना हुई है, इस सदन ने भी अपनी शोकाभिव्यक्ति की । दुखद घटना हुई। उसी की लाइट में माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि राजस्थान के जितने भी जुगाड़ हैं जो राजस्थान के अलग-अलग जिलों में चलते हैं एक तो उनको प्रतिबंधित किया गया।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान में तो कई तरह के जुगाड़ हैं, आप कौन से जुगाड़ की बात कर रहे हैं ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वह दुर्घटना जुगाड़ से हुई, जुगाड़ पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा, जो चारा परिवहन कर रहे हैं हमारे ट्रक्स, सब जानते हैं कि उसमें क्वांटिटी तो होती है कम और वोल्यूम होती है ज्यादा, तो उससे भी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है हम मानते हैं इस बात को, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि राजस्थान में भंयकर अकाल की स्थिति बन रही है, सरकार ने 27 जिलों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया। अब ऐसे में हमारे पास कल जगह-जगह से टेलीफोन आये कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आरटीओ, डीटीओ ने जो पड़ोसी राज्यों से चारा हमारे ट्रक लेकर आ रहे थे उनको जगह-जगह रोक दिया उन पर तीन से पांच हजार तक की पेनेल्टी लगाई। पशुधन के लिए चारे की भयंकर किल्लत पूरे प्रदेश के अन्दर है, पीने के पानी की दिक्कत है पूरे राजस्थान के अन्दर, ऐसे में पशुधन को बचाने के लिए एक गम्भीर समस्या इस हाइकोर्ट के आदेश से उत्पन्न होने वाली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से, मैंने जो आंकड़े प्राप्त किये है उनके अनुसार जुगाड़ से बीस से ज्यादा एक्सीडेंट पूरे राजस्थान में नहीं हुए। आये दिन दुर्घटनाएं होती है। अगर एक लाख जुगाड़ है पूरे राजस्थान के अन्दर तो एक लाख जुगाड़ लोगों के रोजगार के साधन भी हैं। लोगों को जहां पर हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यातायात के साधन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा, वहां लोगों को एक से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करते है और माल को ढोने का काम भी करते हैं।

यह मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर या राज्य उच्च मार्ग पर, स्टेट हाइवे या नेशनल हाइवे, पर अगर इन पर प्रतिबंध लग जाता है तो मैं मानता कि चलो, कोई बात नहीं, छोटे रास्तों पर यह काम हो जाएगा लेकिन इस पर समूचा प्रतिबंध और उस पर जब्त करने की कार्यवाही सरकार द्वारा शुरू कर दी गई। अब यह जुगाड़ को वहां पर छुड़ा भी नहीं पाएंगे क्योंकि न तो उसकी कोई रसीद है जुगाड की, न उसके खरीद और बेचान का कोई इन्द्राज होता है ऐसे में 60 हजार से लेकर 80 हजार रुपये में एक जुगाड़ बनता है, यह जुगाड वाले जितने भी एक लाख लोग हैं उनके साथ ज्यादती होगी । या तो परिवहन मंत्री जी या सरकार इस बात की व्यवस्था करें कि जिनके जुगाड़ आप बंद करने जा रहे हैं उन रास्तों पर कोई परमिट देने की व्यवस्था करें।

(डा. रघु शर्मा)

सबसे बड़ी समस्या यह चारा परिवहन के ऊपर आ रही है। अनुदान तो सरकार की तरफ से बहुत कम दिया जा रहा है। हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि चारा परिवहन पर सरकार और अनुदान देगी, यहां तो पेनल्टी कटने लग गई। अध्यक्ष महोदय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालना के अन्दर कैटल फीड आना प्रदेश के अन्दर बन्द हो गया है। मैं सरकार से जवाब चाहता हूं इस मामले में कि यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त। राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने तय की है? क्या हमारा पशुधन खतरे में पड़ेगा, जगह जगह अकाल की स्थिति बनी है।

एक तरफ सरकार ने एक अप्रैल से बी, सी और डी ग्रेड की नगरपालिकाओं में अकाल राहत के काम चालू करने की घोषणा की इसी सदन के अन्दर। मैं कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में था, जो श्रमिक सीमा बताई गई वह 100 के करीब रखी गई है । एक म्युनिसिपल एरिये में, चाहे वह बी ग्रेड का हो, चाहे सी ग्रेड का हो, चाहे वह डी ग्रेड का हो, अध्यक्ष महोदय, बीस-बीस वार्ड हैं। 20 से 25, 30-35 हजार की आबादी इन कैटेगिरी की नगरपालिकाओं की है। 100 लैबर अगर एक अप्रैल से देंगे तो गृह मंत्री जी के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। यह कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे, जो लोग रोजगार चाहते हैं। अगर सरकार एक अप्रैल से अकाल राहत के काम इन इलाकों में शुरू करना चाहती है तो यह 100 श्रमिकों के आधार पर इसको शुरू करना, मेहरबानी करके या तो शुरू नहीं करें और करें तो पर्याप्त श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था करें। मैं इस पर भी सरकार से जवाब चाहता हूं।

दूसरी प्रोब्लम, क्योंकि अकाल से जुडी हुई चीजें हैं सारी, पीने के पानी के संकट के बारे में भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि पिछली सरकार में पांच साल में....

श्री अध्यक्ष: बात जुगाड़ की चल रही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जुगाड़ से लेकर और पानी तक आती है क्योंकि अकाल है प्रदेश के अन्दर।

यह जो हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं, पांच हैण्डपम्प, कहीं सात हैण्डपम्प पूरे विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से किये गये हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेहरबानी करके...(व्यवधान) जो हैण्डपम्प पहले से स्वीकृत होते आये हैं, जो प्रक्रिया रही है...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उसके आधार पर हमको पानी की किल्लत को मिटाने के लिए भी यह सुविधा हमको प्रदान करें, अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र में। मैं जवाब चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) सहयोग को जोड़ना भी जुगाड़ में ही आता है। प्लीज, ओम जोशी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): किसानों की बैलगाड़ी है उसी स्तर को देखकर बात करें, साहब। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है। (व्यवधान) इस अकाल की स्थिति में, (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इस कानून को और सख्ती से लागू करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) कृपया विराजे। अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):×××

श्री अध्यक्ष: किसी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम जोशी (फलौदी): ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, पशुपालकों को बचाने के लिए, पशुओं को ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है। आपको जवाब देना है ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह देना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अगर जोशी जी पहले बोलना चाहते हैं तो पहले बोल ले और आप मुझे पहले इजाजत दें तो मैं पहले बोल लूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देना चाह रहे हैं मंत्री जी। काबिल मंत्री है हमारी सरकार के, जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे दीजिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 5.3.2010 को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक आर्डर पास किया उसी सम्बन्ध में और उन्होंने चार सप्ताह में इसकी कार्य योजना मांगी है। 18.3.2010 को माननीय न्यायाधीश राठौड़ साहब और माननीय न्यायाधीश महेश जी ने एक आर्डर पास किया जिसमें इस सम्बन्ध में जिक्र किया और इस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वेलेडिटी है क्या ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): वेलेडिटी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): बता रहा हूं आपको।

जहां तक सवाल इसकी गम्भीरता का है, जिस दिन यह आर्डर पास हुआ उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर कुछ फैसले किये और फैसले के आधार पर पहले तो यह तय किया गया कि इसमें सर्वे करवाया जाए कलक्टर साहब के द्वारा, पटवारी, गिरदावर और ग्राम सेवकों के द्वारा इनकी संख्या का कि कितने जुगाड़ ऐसे हैं, क्योंकि 02.04.2010 तक यह सारी कार्य योजना बनाकर देनी है। डिपार्टमेंट ने गम्भीरता से इस पर विचार करके कार्य योजना बनाने का फैसला किया है और 02.04.2010 तक हम इसकी पूर्ण कार्य योजना बनाकर माननीय हाइ कोर्ट को पेश कर देंगे। लेकिन जो स्थिति अभी माननीय सदस्य ने चारे से उत्पन्न स्थिति पर बताई है, अब हमको इसकी जानकारी लगी है, मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से इस पर सरकार कुछ कार्यवाही करने की कोशिश करेगी जिससे पशुधन का किसी तरीके का नुकसान नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, एक यह बता दें कि आप राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: इसमें आगे कोई चर्चा नहीं होगी। श्री ओम जोशी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनका वक्तव्य आ गया, सवाल पूछने का अधिकार है हमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चर्चा होगी, अध्यक्ष महोदय। हम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। सीधा सवाल यह पूछ रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, सीधा बताइये। दूसरी बात यह है कि किसी के सांस लेने पर प्रतिबन्ध लग जाएगा, गांव में किसान के चलने पर प्रतिबन्ध लग जाएगा और आप कोर्ट में नहीं जाएंगे उसके ऊपर। यह रिव्यू करवायें या कोर्ट में जाइये। एक लाख आदमी जुगाड़ वाले बैठे हैं।

एक यह भी बताइये, जुगाड़ से सबसे कम एक्सीडेंट हुए हैं। एक्सीडेंट रोज ट्रकों से हो रहे हैं, ट्रोले लोगों को मार रहे हैं। लगा दो प्रतिबन्ध उन पर। इस गरीब आदमी पर क्यों लगाया आपने प्रतिबन्ध? वह अपना काम चला रहा है, घर में जा रहा है, गांव में जा रहा है। छोटी-छोटी सड़कों पर घूम रहा है। उस पर आप प्रतिबन्ध लगाने के लिये तैयार हो गये। (व्यवधान) एक मिनट, आप यह बताइये, आप परिवहन मंत्री हैं, एक्सीडेंट ज्यादा किस वाहन से हुए हैं? कितने लोग मरे हैं? आप जुगाड़ पर, क्योंकि गरीब आदमी का है, किसान अपना काम निकालता है, आपकी भी नजर में आ गया, हाईकोर्ट की भी नजर में आ गया। यह क्या बात हो गई? आप जवाब दीजिए इस बात का। (व्यवधान) ऊंट गाड़ी पर प्रतिबन्ध लगा देंगे आप तो। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप नेता महोदय...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा जिले के दौलतगढ़ क़स्बे में जुगाड़ से... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इनके आधे केस तो रजिस्टर नहीं होते। जुगाड़ से दुनिया मरती है परन्तु केस रजिस्टर नहीं होते हैं। मंत्री महोदय, बंद करो इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इनको बंद करो, कतई। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्षजी, भारतीय जनता पार्टी के ...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी में राजेन्द्र जी राठौड़ क्या कहते हैं, उप नेता क्या कहते हैं। मेरा तो स्पष्ट निवेदन है कि चूंकि वक्तव्य आया है मंत्रीजी का, जुगाड़ किसान की रोजी रोटी है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय

(श्री ओम जोशी)

अकाल से सम्बन्धित है और अकाल की गम्भीर स्थिति है। मैं इस विषय पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): जुगाड़ के अलावा कोई उसके पास साधन नहीं है। (व्यवधान) सरकार इस बारे में क्या कर रही है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्री महोदय को जवाब देने दें, माननीय सदस्य। वे जवाब दे रहे हैं, जवाब। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): कृपया व्यवधान नहीं करके मुझे बोलने का मौका दें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या उन जुगाड़ों को जब्त करेंगे? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं, जवाब।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): पुलिस को मंत्री जी निर्देश दीजिए कि जब तक सरकार का आदेश नहीं हो जाए तब तक जुगाड़ों को जब्त न करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको अलाऊ किया है क्या मैंने? (व्यवधान) आपको अलाऊ किया है क्या मैंने।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं सही अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: आपको अलाऊ किया है क्या?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): गांव-गांव में जाकर जब्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। (व्यवधान) राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये, आपका जुगाड़ गड़बड़ हो जाएगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जुगाड़ से सम्बन्धित, जुगाड़ चार तरीके से काम आ रहा है। पहला, जिसमें इंजन है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह सब जानते हैं, आप यह बताइये... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आप मुझे जवाब देने देंगे कि नहीं देने देंगे?

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जहां तक पानी के काम में लेता है, अपना सामान खेत से घर तक ले जाता है, वहां तक सरकार को उसके चलाने में कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर जुगाड़ कामर्शियल काम में आता है और वह अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर आता है तो निश्चित रूप से उसको चलाने पर पाबन्दी है और सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा ...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने इस जुगाड़ के साथ जुगाड़ कर रखा है। (व्यवधान) यह सही बात क्यों नहीं कहते? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह तो अपील में जाएगी कि नहीं सरकार? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय ओम जोशी। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जुगाड़ पर? नहीं, जुगाड़ पर क्या? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जी हां।

श्री अध्यक्ष: फरमाएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि प्रदेश में कम से कम एक लाख से ऊपर जुगाड़ चल रहे हैं। और अगर सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन एक गांव से दूसरे गांव में अगर कोई व्हीकल करवाता है तो वह जुगाड़ के मार्फत होता है। यह बात सही है कि जुगाड़ों की संख्या देखें, रोडवेज की बसों की संख्या देखें या जीपों की संख्या देखें या मिनी बसों की संख्या देखें या दूसरे लाइट व्हीकल्स की संख्या देखें, तो उनसे जितने

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

एक्सीडेंट होते हैं उसमें मेरा ख्याल है 5 प्रतिशत भी एक्सीडेंट जुगाड़ से नहीं होते हैं। लेकिन हमारे सामने माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है। अब उस उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। जैसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मोटे-मोटे तौर पर यह तय किया जा सकता है, स्टेट हाइवेज पर और नेशनल हाइवेज पर जुगाड़ कम से कम नहीं चलें लेकिन जो इंटरनल विलेजेज के लिंक रोड हैं, वहां पर अगर माननीय सदस्य सुझाव देते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार विचार करने के लिये तैयार है। विचार करते हुए भी अगर मान लीजिए आवश्यकता पड़ती है तो हाइकोर्ट में भी पुनर्विचार के लिये दरख्वास्त दे सकते हैं।

तो इस बारे में परसों ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक ली है। मैं यह समझता हूं कि उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद कोई टाइम लूज नहीं करते हुए मुख्य मंत्री जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें पुलिस के समस्त अधिकारी मौजूद थे, डी.जी. साहब से लेकर नीचे तक के, होम सेक्रेटरी साहब से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब और उनके सारे स्टाफ के लोग मौजूद थे और उसमें गहन चर्चा इस विषय पर की। लेकिन माननीय सदस्यों के द्वारा आज जो सुझाव यहां पर सदन में रखे गये हैं मैं उनको भी वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: आप कहां से, आपका जुगाड़ से क्या लेना-देना?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष: दे दो? आप भी दे दो। सुझाव दे रहे हैं मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति देखो सरकार की, मंत्री सवाल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुझाव दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। विराजें आप, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री सदन के अन्दर मंत्री से सवाल कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें आप। सवाल नहीं कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस जुगाड़ से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जुगाड़ से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके पीछे रेडियम की प्लेट लगा दी जाए, उससे आसानी से दिख जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लाइट के जो होते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह नहीं होने से एक्सीडेंट ज्यादा होने की सम्भावना रहती है। वह आप व्यवस्था करवा दो। हमारे बाड़मेर में.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह व्यवस्था मैं नहीं, वह तो व्यवस्था यह करेंगे, विभाग वाले।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप आदेश देंगे तो व्यवस्था हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह मंत्रीजी का जवाब आ गया क्या। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं। (व्यवधान) यह राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने कोई अच्छी बात कही उससे आपको तकलीफ होती है? मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं। (व्यवधान) मैंने एक सुझाव दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। (व्यवधान) हां, हां, ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह है कि जुगाड़ रोड के ऊपर होता है, दूसरे व्हीकल वाले को दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता है तो वह एक्सीडेंट हो जाता है। यदि वह प्लेट आप पीछे से लगा दें तो उससे दिख जाएगा। दिखने के बाद में एक्सीडेंट में कमी तो आयेगी। वह बंद तो नहीं होंगे लेकिन कमी आयेगी। एक बात कही है आपको। आपने एक बात कही, मैं तो बोलता ही नहीं क्योंकि मंत्री तो ये थे, उन्होंने कोई अपनी बात कही तो मैंने देखा, आज विचार कर लिया, मैं भी एक अगर बात कह दूं, आपको बुरा लगा तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने कोई ऐसी बुरी बात नहीं कही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब ट्रांसपोर्ट मंत्री जी के बोलने के बाद गृह मंत्री जी बोल गये तो राजस्व मंत्री जी को भी प्रेरणा मिली कि ये भी बोल जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजस्व मंत्री जी को प्रेरणा मिली, अध्यक्ष महोदय, और...

श्री अध्यक्ष: अब इसको समाप्त कराएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजस्व मंत्री जी ने बहुत साफ बात कही है कि सरकार आपके आदेश से चलती है। आप एक आदेश दे दीजिए कि पीछे प्लेट लगाकर रखें, लोगों को दिखाई दे जाए। इसमें गलत बात क्या कही इन्होंने? आप आदेश दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: चलिये, जैसा राजस्व मंत्रीजी ने सुझाव दिया है, उसकी पालना का आप भी प्रयास करिये।

श्री ओम जोशी।

फलौदी में पशु शिविर व चारा डिपो

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र का अकाल का विषय है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जुगाड़ की भेंट चढ़ने जा रहा है लेकिन आपका बहुत-बहुत आभार कि इस विषय पर मुझे वापस बोलने का मौका दिया।

(समय : 13.00 बजे)

पूरे राजस्थान में गम्भीर अकाल की स्थिति है। पश्चिम राजस्थान में मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति फलौदी और पंचायत समिति बाप में अकाल के हालात अन्य स्थानों से भी ज्यादा गम्भीर हैं और उस गम्भीरता को लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने चारा परिवहन में जो अनुदान की वृद्धि की है वह उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में, अभी विधान सभा क्षेत्र में जाने का मौका हुआ है और निरन्तर प्रयास के बाद में भी पशु शिविर खोलने के लिए प्रयास किये गये लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पशु शिविर नहीं खोला गया है। मैंने उप-जिला स्तर से लगाकर जिला स्तर और यहां तक कि आपदा मंत्रीजी से भी इसके बारे में चर्चा की थी। मेरे पड़ोस के जिले जैसलमेर में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पशु शिविर चल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमा जैसलमेर जिले से सटी हुई है। वहां का जो भौगोलिक वातावरण है वह जैसलमेर और फलौदी का एक सा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कृपया आपस में बातचीत के लिए बाहर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): मेरे विधान सभा क्षेत्र में तत्काल प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु शिविर खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए और जो बड़े गांव हैं, मैं अभी जब क्षेत्र में गया तो शेखासर से लगाकर बारू, टेकरा, सिहड़ा, कानासर तक सभी गांवों में इस समस्या को उजागर किया गया है और लोग पशुओं को बचाने में अक्षम हो रहे हैं। पशुधन को बचाने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांग के अनुसार तत्काल पशु शिविर खोलने की व्यवस्था की जाए।

उसके साथ ही चूंकि मीलों तक पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क परिवहन की व्यवस्था नहीं है तो पेयजल की व्यवस्था पशुओं के लिए भी समुचित हो। इसके लिए टैंकर के माध्यम से, चूंकि भू-जल नहीं है और तालाबों में भी पानी नहीं है, ऐसी स्थिति में पेयजल की सम्पूर्ण व्यवस्था हो। इसके लिए टेंकर्स के माध्यम से तत्काल जो दूरस्थ के गांव हैं, चाहे वह मालमसिंह की सिढ़ हो, चाहे वह सावरीज हो, चाहे वह नूरे की बुर्ज हो, पेयजल पहुंचाया जाये क्योंकि सभी क्षेत्रों में यह जबरदस्त समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु पशुओं को पूरा पेयजल मिले, इस व्यवस्था को तत्काल करने हेतु चूंकि अभी गर्मी का मौसम हो चुका है और वहां का टेम्परेचर करीब 43 डिग्री के आस-पास चल रहा है इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह सादर निवेदन है, अनुरोध है जिस तरीके से हमारी सरकार संवेदनशीलता रखते हुए पशुधन को बचाने के लिए लगी हुई है, अकाल राहत कार्य खोले जा रहे हैं, जिस तरीके से नरेगा के माध्यम से लोगों को काम दिया जा रहा है उसी तरह पशुओं को, जो मूक प्राणी हैं, उनको बचाने के लिए पशु शिविर खोलने की महती आवश्यकता है। इस महती आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए पूरे तहसील क्षेत्र में सैकड़ों गांव जो इस आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं वहां पर पशु शिविर खोले जाएं और उसकी जो संख्या है कम से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1,000 पशु रखने की व्यवस्था दो-तीन गांवों को अलग-अलग रखते हुए की जा सकती है।

(समय : 13.03 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मैं आशा करता हूं, माननीय आपदा मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, मैंने इस समस्या से आपको पहले भी अवगत कराया था आप जिलाधीश, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित करके और पशु शिविर खोलने की कृपया घोषणा करवाएं। मेरा इस सम्बन्ध में आपसे यह भी निवेदन

(श्री ओम जोशी)

है कि जो टैंकर के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था सरकार करने जा रही है उसको भी अति शीघ्र चालू कर दिया जाए क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को लम्बी दूरी से पानी लाकर पीना पड़ता है और अपने पशुओं को पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है जो कि एक बहुत ही महंगा और कठिन कार्य है। एक तरफ तो चारा उपलब्ध नहीं हो और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो पशु हैं उनकी अगर पूरी तौर से देखभाल करने में आर्थिक दृष्टिकोण से पशुपालक समर्थ नहीं हो तो हमारा दायित्व बनता है कि पशु शिविर खोलकर उस पशुधन को बचाने की कोशिश की जाए।

आपको यह ज्ञात है कि हमारा जो कृषि प्रधान क्षेत्र है उसमें पशुपालन ही मुख्य धन्धा है। उस पशुपालन के व्यवसाय को मद्देनजर रखते हुए कृपा करके अति शीघ्र पशुधन बचाने के लिए पशु शिविर खोलने की अनुकंपा करवाएं। अब तक इस विषय में निरन्तर प्रयास करने के उपरान्त में भी जिला स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता क्यों बरती गयी, यह समझ के परे है क्योंकि यह विषय गम्भीर और अपने आप में एक लोक महत्व का विषय है। मैं आशा करता हूं आपके माध्यम से कि आप मंत्री जी को निर्देशित करके इसके सम्बन्ध में एक आश्वासन अभी प्रदान करेंगे तो मेरे क्षेत्र की जनता इससे लाभान्वित हो पाएगी। जनता की ओर से जबरदस्त यह मांग की जा रही है और जो पश्चिमी राजस्थान का पिछड़ा हुआ इलाका है, पशुधन को बचाने के लिए, उसमें तत्काल मदद की आवश्यकता है। आप कृपा करके मंत्री महोदय को निर्देशित करें ताकि इसके सम्बन्ध में घोषणा करवाएं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आपके मंत्रीजी हैं। आश्वासन दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कब तक खोले जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर जिले में ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूरे जोधपुर जिले के लोग कह रहे हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से जो पशु शिविर और चारा डिपो खोले जा रहे हैं वे ग्राम पंचायत के माध्यम से खोले जाने चाहिए। जोधपुर जिले में चारा डिपो बहुत कम खुले हैं। पशु शिविर बहुत कम खुले हैं। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): मंत्री महोदय, यह सरकार की नीति है पशु शिविर खोलने की। सरकार पशु शिविर खोल रही है और हमारे क्षेत्र में अगर नहीं खुले हैं तो उसके पीछे कोई संवाद की कमी है, किसी सूचना की कमी है। हो सकता है कि नीचे के स्तर से कोई सूचनाएं बराबर नहीं आयी हों। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, तत्काल पशु शिविर मेरे क्षेत्र में खोले जाएं। आज जैसलमेर जिले में ...(व्यवधान) आज जैसलमेर जिले में चार-चार सौ पशु शिविर खुल रहे हैं। हजारों की संख्या में ...(व्यवधान) वहां पर पशु शिविर खोल दिये हैं तो फलौदी में भी खोले जाएं। (व्यवधान) यह क्या है? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, जोधपुर जिले का पहले भी आपको अवगत करवाया गया है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से खोले जाए। अभी तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खुले हैं। जोधपुर जिले में चारा डिपो, पशु शिविर बहुत कम खुले हैं। (व्यवधान) सब्सिडी मिलनी शुरू नहीं हुई है तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये1

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जहां सब्सिडी डबल की गयी है वह भी नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री महोदय, आप इसका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): यह नहीं है तो क्या ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वे माननीय सदस्य कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। यह हमारे जोधपुर जिले व पश्चिमी राजस्थान से अकाल से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की भावनाओं के अनुरूप कृषकों को और पशुपालकों को राहत देने के लिए यह

(श्री ओम जोशी)

विषय है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए मेरे क्षेत्र में जो लोग परेशान हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आप बिलकुल गम्भीर नहीं हैं। चारा डिपो खोल नहीं रहे हैं, पशु शिविर नहीं खोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): उस पीड़ा को आप महसूस करते हुए समस्या का समाधान करेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हम आपसे मांग कर रहे हैं और पूरे जोधपुर जिले के अन्दर, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर चारा डिपो नहीं खुले हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आश्वासन दिलाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री अनिल जैन।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पशु शिविर नहीं खुले हैं। नहीं खुले हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अनिल जैन।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उसके लिए तत्काल व्यवस्था करवाएं और ग्राम पंचायतों के माध्यम से नहीं खोले जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप थोड़े-बहुत गम्भीर हो अकाल के लिए तो आप इसका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अनिल जैन के अलावा अंकित नहीं हो। अनिल जैन के अलावा अंकित नहीं हो। आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। श्री अनिल जैन।

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आज पर्ची के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: मैंने नाम पुकार लिया है। माननीय सदस्य, नाम पुकार लिया है मैंने। विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो तो सही। आप विराजो।

(श्री सभापति)

अंकित नहीं हो रहा है। विराजो आप। मैंने अनिल जैन का नाम पुकार लिया है। विराजो। मैं दे दूंगा व्यवस्था। आप विराजो। आप विराजो। श्री अनिल जैन।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

सवाई माधोपुर जिले में मोरेल नदी पर बस दुर्घटना

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 14 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में मोरेल नदी पर दु:खद हादसा हुआ और उसमें 26 लोग मौत के घाट उतर गये। नौनिहाल बच्चे, गरीब तबके बच्चे, जनजाति के बच्चे, मुसलिम समुदाय के बच्चे, सभी जाति वर्ग के बच्चे उसमें, उन 26 बच्चों में, उन नौनिहालों में सम्मिलित थे। मृतकों की संख्या 26 से बढ़कर आज 27 हो चुकी है। कुल घायलों की संख्या उस हादसे में 36 थी जिसमें से 18 घायल गम्भीर हैं और 18 सिम्पल इन्जर्ड हैं। इस दु:खद हादसे में गरीब बच्चे मौत के घाट उतर गये लेकिन सरकार ने मात्र पचास हजार रुपये की मृतक के परिवारों को सहायता राशि प्रदान की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को अवगत करना चाहूंगा, सदन भी इस बात को निश्चित रूप से विचारे कि उन गरीब परिवारों के लिए पचास हजार रुपये की राशि क्या बहुत कुछ है? इससे पूर्व में जो दु:खद हादसे हुए हैं, चाहे वह बम धमाके हों, चाहे शराब दुखांतिका हो, चाहे मण्डराल नदी का हादसा हो, चाहे जोधपुर मंदिर हादसा हो, सभी हादसों में गरीब लोगों को ज्यादा राशि दी गयी है। जोधपुर और जयपुर से 350 और 500 किलोमीटर दूर स्थित झालावाड़ जिला और हाड़ौती सम्भाग मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वहां के गरीब के लिए जो संवेदनशील सरकार है, वह संवेदनापूर्वक विचार करके सहायता राशि बढ़ाने के बारे में सोचे एवं सहायता राशि बढ़ायी जाए।

सरकार गम्भीर घायलों का इलाज भी सही तरीके से नहीं करा पा रही है। कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल से उन गरीबजनों का सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पाने के कारण वे प्राइवेट नर्सिंग होम्स की तरफ अपना मुंह कर रहे हैं, जहां कि उन्हें बहुत बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ेगा और उस लायक वे गरीब लोग नहीं हैं। इसमें मैं आपको और सदन को पूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि सत्य नारायण पुत्र मांगीलाल, व्यवसाय मजदूरी; अश्वनी गौतम पिताजी का नाम परमानन्द गौतम व्यवसाय मजदूरी; इस तरह से ये

(श्री अनिल जैन)

मजदूर लोगों के बेटे हैं, लघु सीमान्त कृषकों के ये बेटे हैं। ऐसे-ऐसे इसमें नौनिहाल हैं जिनके परिवार के पास कुल पांच बीघा भूमि हैं और उसमें से दो बीघा भूमि बेचकर अपने बेटे की फीस जमाकर उसको एस.टी.सी. कराने के लिये, डिग्री लेने के लिये कालेज में दाखिला करवाया है। इसमें एस.सी. महिलाएं भी है, एस.सी.छात्राएं भी हैं जिनकी मां बीड़ी बनाने का काम करके अपनी बच्चियों को यह डिग्री दिलाने की इच्छा रखती थीं। एक आशा की किरण थी कि उनकी संतानें इस डिग्री को 4-6 महीने में हासिल कर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करेगी और अपने परिवार को सही तरीके से जीवन यापन करने के लिये मदद करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, उस दिन जब हादसा हुआ और सवाई माधोपुर जब हम पहुंचे तो वहां न तो कोई कैबिनेट मंत्री, न मुख्य मंत्रीजी वहां पहुंचे, लेकिन यह इतना बड़ा हादसा था कि वहां किसी को पहुंचना चाहिये था। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रीजी, मैं बताना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): मैं सुबह से शाम वहां पर था। ऐसे क्या असत्य बोल रहे हो? मैं इनके साथ ही था। (व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय गोलमा देवी जी वहां पहुंचीं और सार्वजनिक रूप से राज्य मंत्रीजी ने वहां पर आश्वासन भी दिया। आश्वासन भी ऐसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करेंगे। आप मंत्री थे, आपको वहां का दर्दनाक मंजर देखकर, मैं कहना चाहता हूं कि आप सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वहां पर पहुंचे थे, उस दर्दनाक मंजर को देखकर आपको वहां पर सहायता राशि की घोषणा करनी चाहिये थी। मैं मानता हूं कि आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और एक मंत्री के रूप में आप वहां पहुंचे हैं, लेकिन, माननीय मंत्रीजी, आप इसको अदरवाइज न लें, शर्मसार, आपने यह कहा कि मुख्य मंत्रीजी से मांग करेंगे, जो कि मैं समझता हूं शर्मसार बात है।

सदन के बीच में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह मांग करना चाहता हूं कि उन गरीबजनों को, जनजाति के लोगों को, मुसलिम वर्ग के लोगों को, लघु सीमान्त कृषक परिवारों को, मृतक के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा करनी चाहिये, सीरियस घायलों को दो लाख रुपये और सिम्पल घायलों को एक-एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जानी चाहिये तो संवेदनशील सरकार के लिये यह पुण्य का काम होगा।

(श्री अनिल जैन)

दूसरा, उस बी.एड. कालेज में अनियमितताएं हैं। उस बी.एड. कालेज के लिये झालावाड़ और राजस्थान के समाचार पत्रों में छप रहा है कि बी.एड. कालेज के प्रशासक द्वारा ज्यादती की गयी है बच्चों के साथ कि शैक्षणिक ट्यूर में जाना जरूरी है। चार हजार रुपये की राशि उनसे जबरदस्ती ऐंठी गई है। इस तरह की राशि फीस के साथ छात्रों से ले ली जाती है। लेकिन उन्होंने चार हजार की राशि नाजायज वसूल की है। बच्चों से यह कहा गया कि अगर ट्यूर पर जाओगे तब भी चार हजार रुपये देने हैं, नहीं जाओगे तब भी चार हजार रुपये देने हैं। तो छात्रों को मजबूरन उस ट्यूर में जाना पड़ा। अगर यह मजबूरी उनके सामने नहीं होती तो शायद इस घटना में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मौत के घाट नहीं उतरते। मैं, सभापति महोदय, सरकार से और मुख्य मंत्रीजी से पुरजोर तरीके से मांग करना चाहता हूं और हमारे कोटा से आने वाले माननीय गृह मंत्रीजी शांति धारीवालजी यहां बिराजमान हैं, मैं इनसे भी पुरजोर तरीके से मांग करना चाहूंगा कि हाड़ौती के गरीब लोगों के लिये मसीहा बनकर उभरें और पांच लाख, दो लाख और एक लाख रुपये की राशि उन गरीबों को प्रदान करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापतिजी, इन्होंने जो पैसे बढ़ाने की मांग की, वह सही है। मगर यह सूचना इन्होंने बहुत गलत दी कि वहां पर कोई नहीं था।

श्री सभापति: वह जवाब आ गया, माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): इन्होंने जो सूचना दी, पूरे मंत्री वहां पर ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आ गया जवाब, आ गया। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री रामलाल जाट। (व्यवधान) विराजिये। विराजिये माननीय सदस्य।

श्री अनिल जैन (खानपुर): उसमें भी उन्होंने इनके ऊपर ब्लेम लगाया था कि मुख्य मंत्रीजी कहां सो रहे हैं, इसलिये, सभापति महोदय, मैंने यह बात कही है। मैंने राज्य मंत्रीजी के लिये भी कहा है कि आप पहुंचे। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री अनिल जैन (खानपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, आप विराजें। मैं इतना ही कह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, माननीय गृह मंत्रीजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां विराजमान हैं, राज्य सरकार के अनुग्रह राशि के मापदण्ड तय होने चाहिये। एक एक्सीडेंट में अपन पांच लाख देते हैं, एक एक्सीडेंट में दो लाख देते हैं, एक में डेढ़ लाख देते हैं। आखिर यह जो बच्चे मरे हैं, बहुत गरीब लोगों के बच्चे हैं और इनको हमने 50-50 हजार रुपये की राशि दी है। मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि जब दो लाख हमने कुछ जगह दिये हैं, कुछ जगह डेढ़ लाख दिये हैं, इतनी बड़ी दुखान्तिका हुई है तो इसमें सरकार को निश्चित रूप से अनुग्रह राशि बढ़ानी चाहिये।

इस प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, चौमूं में एक ट्रोले ने बारात के 8-10 बच्चों को कुचल दिया और 20-20 हजार रुपये देकर हमने छोड़ दिया। तो वह भी बहुत कम राशि है और राशि कम इसलिये हुई, मुझे दु:ख है कि वह राशि इसलिये कम हुई कि जो मरने वाले बच्चे थे, वह सब माली समाज के थे और वहां के विधायक भी माली हैं और मुख्य मंत्रीजी भी, तो वह शर्माते हुए कि माली समाज के लोगों की मदद कर दी तो अच्छा नहीं होगा, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि कम से कम एक मापदण्ड सरकार तय करे यह नहीं कि किसी को पचास हजार, किसी को एक लाख, किसी को बीस हजार।

सवाई माधोपुर वाली घटना बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। माननीय मंत्रीजी, आप उस जगह के रहने वाले हैं, मैं समझता हूं कि इसकी गम्भीरता को देखकर आप अनुग्रह राशि देने के मापदण्ड तय करायेंगे और यहां की राशि जरूर बढ़ायेंगे, यह मैं मानता हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): केवल माली समाज नहीं था। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने नाम पुकार लिया। अब अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये। (व्यवधान) मैंने मंत्रीजी का नाम पुकार लिया, विराजिये आप।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ×××

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल अधिनियम, 1974 की धारा 30(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ओम बिरला।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

काली सिंध नदी पर मेजर डैम के टेण्डर में हुई कथित अनियमितताएं

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं झालावाड़ जिले की काली सिंध नदी पर मेजर डैम के टेण्डर में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, सभापति महोदय, इसमें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य, यह जो बात उठा रहे हैं, इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो घटनाक्रम हुआ, यह कब का है?

श्री सभापति: बोलने तो दो इनको, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति आपने दे दी ना ?

श्री सभापति: कहां दे दी?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप आसन को निर्देशित करने की कोशिश न करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: दी नहीं व्यवस्था।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं झालावाड़ जिले की काली सिंध नदी पर मेजर डैम के टेण्डर में हुई कथित

(श्री ओम बिरला)

अनियमितताओं के संबंध में जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति: श्री महिपाल मदेरणा।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य व सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें किसी को बेनिफिट देने का कोई भी इरादा न सरकार का था, न है और न होगा। इसमें पारदर्शिता से प्रक्रिया निभाते हुए हम पारदर्शिता से निर्णय करेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मंत्री महोदय यह भी बता दें कि वर्ष 2008 में किस निविदादाता को तत्कालीन सरकार फायदा पहुंचाना चाहती थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) डायवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजें आप तो। सिर्फ माननीय मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट जारी रखें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, माननीय विधायक का यह कथन कि इस टेण्डर में कोई चुनिन्दा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, मैं माननीय सदस्य के इस कथन को न्यायोचित नहीं मानता हूं तथा यह बेबुनियाद व निराधार है।

इस टेण्डर के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2007-08 में इस कार्य के लिए ऐसी शर्तें और कठोर शर्तें रखी गयीं जिससे देश की इक्का-दुक्का कम्पनियों ने ही इसमें भाग लिया और सिर्फ एक कम्पनी ही इसमें आयी जो लाभन्वित हो रही थी। टेण्डर की शर्त यह रखी गयी कि प्राइम कांट्रेक्टर के रूप में पिछले पांच वर्षों में 90.30 करोड़ रुपये के समान प्रकृति के कार्य किये गये हों, ई पी सी कांट्रेक्ट के आधार पर नदी पर एक मुख्य कंक्रीट ग्रेविटी डैम जिसका स्पिल वे 32,411 क्यूसेक्स और 25 मीटर की ऊंचाई का बनाया हुआ हो। ई पी सी की पद्धति पर डैम बनाने का कार्य देश में वर्ष 2008 में इक्का-दुक्का कांट्रेक्टर ही करते थे और यह काम सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में ही हो रहा था।

एक पर्टिकुलर फर्म जो इसमें क्वालीफाई नहीं थी, उसको सरकार ने पुन: एक शर्त में छूट प्रदान की कि पूर्व के कार्यो के साथ चालू कार्यों के

(श्री महीपाल मदेरणा)

अनुभवों को शामिल किया। यह सब एक विशेष कम्पनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शर्तों में संशोधन हुआ। मुख्य अभियन्ता, कोटा द्वारा तकनीकी रूप से एक कम्पनी जिसका नाम श्रीनिवासन को पात्र माना गया। इस कम्पनी को पात्र नहीं होते हुए भी पात्र बनाया गया। टेण्डर की शर्त के अनुसार अनुभव प्राइम कांट्रेक्टर का माना जाता है जबकि कम्पनी को जोइंट वेंचर के अनुभव का लाभ देकर पात्र बनाया गया।

तत्कालीन सरकार ने जब निर्णय लिया तब आचार संहिता लगी हुई थी। नयी सरकार द्वारा कोई भी निविदादाता योग्य नहीं पाये जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गयी और निविदाओं की शर्तें पुन: निर्धारित करने के लिए तीन मुख्य अभियन्ताओं की एक समिति का गठन किया। इस समिति को निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित मापदण्ड तय किये गये- अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा हो और दो वर्ष में पूर्ण करने हेतु उपयुक्त पात्रता हो। इतने बड़े कार्य को करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए क्योंकि यह पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है और उसको दो साल के अन्दर पूरा करके राजस्थान के इस पावर प्रोजेक्ट को 1,200 एम सी एफ टी पानी देना है। तो इन सभी बातों का हम ध्यान रख रहे थे। इसके अन्दर प्रतिस्पर्धा हो और जो भी फर्म और कम्पनियां आयें वह क्वालिफाई होनी चाहिए और उन्हें पूरा अनुभव होना चाहिए। पुरानी जो शर्तें थीं- "Construction of civil and hydro mechanical works of a major concrete gravity dam, across the river having a spill way capacity of 32400 cumecs or more than 25 MT high dam on a turn key project basis." इसको हमने हटाया। हटाकर हमने हाइड्रोमेकेनिकल वर्क्स हेतु और अनुभव नहीं होने की स्थिति में एम ओ यू करने की छूट प्रदान की और कंक्रीट ग्रेविटी डेम के साथ -साथ Hydro mechanical works on dams, hydro power projects or water retaining structure." को अनुभव में शामिल किया गया। हमने ऐसा इसलिए किया कि ज्यादा से ज्यादा निविदादाता भाग ले सकें और प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त हो सके। इसका यह नतीजा रहा कि 13 निविदाओं की बिक्री हुई और चार निविदाएं प्राप्त हुई। इसमें देश की नामी तीन कम्पनियों ने क्वालिफाई किया। उनकी वित्तीय निविदाएं खोली गयीं जिन पर निर्णय किया जाना विचाराधीन है। (व्यवधान) सरकार के दिए हुए हैं।

माननीय सदस्य का दूसरा बिन्दु यह था कि जोइंट वेंचर के नाम से गेट बनाने वाली कम्पनी को शामिल किया गया है। यह सही नहीं है। जोइंट

(श्री महीपाल मदेरणा)

वेंचर वित्त विभाग द्वारा टेण्डर डाक्यूमेंट शर्त के अनुसार अनुमोदित नहीं है क्योंकि जोइंट वेंचर में यह सामने आया है कि अगर एक पार्टनर काम छोड़ने दे तो फर्म के दूसरे ठेकेदार को वह कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि जोइंट वेंचर की अनुमति नहीं देते हैं। यद्यपि पूर्ववर्ती सरकार ने देवास द्वितीय परियोजना के मांदडी डैम के कार्यो में जोइंट वेन्चर की अनुमति दी थी। एक पैकेज में अनुमति दी, चार पैकेजेज में नहीं दी। इसलिए टेण्डर की आप भले ही मनमर्जी से कार्यवाही कर लो लेकिन हमारी नीयत यह थी कि इसमें प्रतिस्पर्धा हो, अच्छी कम्पनियां आयें और समय पर काम पूरा हो।

उनके टेण्डर में हमने एम ओ यू की शर्त रखी, एफ डी की अनुमति से जोड़ी गयी जिसका मूल उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिक से अधिक बनाये ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त हो सके। एम ओ यू का रूट भी पिछली सरकार ने पी एच ई डी में बहुत किया और बड़ी योजनाओं में आपका जो यह रूट है एम ओ यू करने का, समस्त कार्यों के लिए एम ओ यू की स्वीकृति दी। केवल एम ओ यू ही नहीं बल्कि पिछली निविदाएं जो हुई थीं उनमें तो यहां तक कर दिया कि एम एस पाइप की फैक्ट्री 600 किलोमीटर की परिधि में ही स्थित होनी चाहिए। यह भी एक किसी कम्पनी को विशेष लाभ के लिए प्री-क्वालिफिकेशन किया गया। हमें किसी को लाभ नहीं पहुंचाना है और हमारी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो।

कार्य की प्रकृति देखिए। समय को ध्यान में रखते हुए पिछले पांच वर्षों की शर्तो को शत-प्रतिशत अनुभव की शर्त रखी है लेकिन प्री-बिड कान्फ्रेंस में विभिन्न निविदाओं के अनुमोदन के लिए शर्तों में रिलेक्सेशन करते हुए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों पर 80 प्रतिशत कर दिया। इसमें सरकार की नीयत स्पष्ट थी कि अधिक से अधिक निविदादाता इसमें भाग ले सकें। इसका नतीजा यह हुआ कि 13 निविदाएं विक्रय की गयीं। इसमें चार निविदादाताओं ने बोली में भाग लिया।

यह कार्य दो वर्ष में पूर्ण किया जाना है जो बहुत बड़ा कार्य है। पिछले वर्षो के अनुभव के मद्देनजर मैं कह सकता हूं कि जो भी कोई डैम बने हैं वे 15 से 20 वर्ष की अवधि से पहले पूर्ण नहीं हुए हैं। यहां पर इस पद्धति के कार्य को गुणवत्तापूर्वक करें और समय पर पूरा कर सकें, इसी एम ओ यू के माध्यम से पूरा करने के लिए हमने इसमें प्रोविजन रखा। एम ओ यू की पद्धति पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सबसे पहले रखते हुए लागू की गयी।

(श्री महीपाल मदेरणा)

बांध निर्माण हेतु लागत वर्ष 2008 में (बी एस आर 2006 के आधार पर) राशि रुपये 265.74 करोड़ आंकी गयी। वर्ष 2009 में इसका संशोधित तखमीना वर्ष 2009 की बी एस आर पर और 374.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये जिसके आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गयीं। न्यूनतम दर 457.21 करोड़ रुपये आयी। अगर तुलना की जाए तो यह दर 28 प्रतिशत अधिक आयी। दरों का विश्लेषण विभाग द्वारा एक विभाग की समिति से कराया गया जिसमें विभाग के वित्तीय सलाहकार शामिल थे एवं तखमीनों के आधार पर अधिक दर आने के मुख्य कारण निम्न बताये गये।

केन्द्रीय जल आयोग की गाइडलाइन्स के मादपड़ों अनुसार बी.एस.आर. के कारण, स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, गेट के साइज 13 मीटर तक बढ़ाने के प्रावधान के कारण, स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, हाइड्रोलिक हास्ट की बाजार दरों में बढ़ोत्तरी के कारण सैल्फ-लुब्रिकेटिंग बुश की दरों के कारण, सेल्मा स्टील के प्रयोग के कारण, अतिरिक्त गेट के स्लूज गेट, फुट गेट आदि के कारण दो वर्षों तक रख-रखाव और संचालन के कारण, ऑटोमाइजेशन आदि के कारण करीब 102.60 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

यह उल्लेखनीय है कि बड़े बांध के निर्माण में मापदण्ड केन्द्रीय जल आयोग के लागू होते हैं। विभाग की बी.एस.आर. केन्द्रीय जल आयोग के मापदण्डों के अनुसार नहीं है। पूर्व में तो इस प्रकार की बड़ी परियोजनाओं में तखमीने के लिए पृथक बी.एस.आर. तैयार की जाती रही है लेकिन इस बार विभाग से प्रचलित बी.एस.आर. 2006 के आधार पर एक वर्ष 2008 में तख्मीना बनाया जिसको वर्ष 2009 में संशोधित किया गया इसलिए दरों में अन्तर आना स्वाभाविक है।

इतना ही नहीं, देवास परियोजना जो अभी भी चालू है, जिसका कार्य भी वर्ष 2007-08 में दिया गया, इसका मूल तखमीना 139.26 करोड़ रुपये था जो बाद में संशोधित हो कर 379 करोड़ रुपये किया गया। इस कार्य की संशोधित तखमीनों के आधार पर 'जी' शिड्यूल के आइटम की राशि 178.81 करोड़ थी जिसके विरुद्ध 280.100 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया जो मूल लागत से 100 प्रतिशत से अधिक था। सबसे बड़ी बात है कि टनल के कार्य को तीन भागों को बांट कर निविदाएं दी गयीं। इसमें भी एक निविदा का कार्य 157.50 प्रतिशत अधिक, दूसरे का 76. प्रतिशत अधिक एवं 77.30 प्रतिशत

(श्री महीपाल मदेरणा)

अधिक पर दिया गया। यदि निविदाओं की जांच कराएं तो यह भी विशेष कम्पनी को लाभ देने के हेतु मुख्य अभियंता की सिफारिश को दरकिनार करते हुए किया गया।

राज्य स्तरीय समिति से उसको अयोग्य करा केवल एक ही निविदा को योग्य रखा गया। कार्य को पूर्ण कराने की शर्तों को वह पूरा नहीं करता था।

इसके अतिरिक्त भी विभाग में बड़े बांधों के कार्य कई गुना लागत पर पूरे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आप तो इस योजना के बारे में बताओ न। कौनसी पोथा लेकर खड़े हो गये आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपको बता दिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो पिछली बार यह हो गया था, पिछली बार यह हो गया था ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, 2008 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह आफिसर गैलेरी वाले हमें भी यों ही दिया करते थे ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति के बिना जो बोलते हैं, आप उसमें अंकित नहीं करवाएं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इस ध्यानआकर्षण प्रस्ताव में तीन बातें थीं। पहली बात यह थी कि चुनिंदा लोगों को आपने दे दिया। दूसरा था, जोइंट वेंचर पर आप कैसे चले गये? तीसरा इनका था कि 250 करोड़ से ऊपर यह कैसे चला गया? मैंने उन सब बातों को आपके समक्ष बताया, इस सदन को अवगत कराया।

श्री सभापति: आप तो उत्तर जारी रखो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं तो माननीय सदस्य को

(श्री महीपाल मदेरणा)

कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास 250 करोड़ में काम करने वाली, कोई फर्म है तो हम उनको देने को तैयार हैं। नम्बर वन ।

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): दूसरा, हमने इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता रखी है। हमने ईमानदारी से सभी स्तर पर इसकी जांच करायी है। तीन आदमियों की तकनीकी कमेटी के द्वारा करायी गयी है , वित्तीय सलाहकार को शामिल रखा गया है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट की जो शर्तें थीं उनके अनुरूप इन प्री-क्वालिफिकेशंस को, जिससे प्रतिस्पर्धा हो और अच्छे निविदादाता आएं इसलिए हमने इसके अन्दर जो भी हमने प्री-क्वालिफिकेशन रखी हैं, बड़े राजस्थान के हित के लिए कि इतना बड़ा मैग्निट्युड का प्रोजेक्ट जिसको दो साल में पूरा करना है, इसमें हमने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहता हूं कि इनको पूरा अवसर है, ये स्वयं आकर पूरी फाइल देख सकते हैं। इतने बड़े-बड़े हैं, 13 तो बिड है, 13 फाइल वे बढ़ी हैं, इसके बाद में टैक्निकल कमेटी की रिपोर्ट है और आप ओपन हो सारा देखने के लिए। अगर इसमें आप और कोई सुझाव देते हैं तो अभी तो हमने कोई निर्णय किया ही नहीं है। हां?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 250 करोड़ 700 करोड़ में आ गया। सामने आ गया नजरिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी का जवाब तो पूरा आने दीजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बोल लिये, मंत्रीजी बोल लिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप विराजो, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा दो मिनट के लिए। पुराना जो टेण्डर हुआ था, जिसको टेण्डर दिया गया था ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा। विराजो आप, माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन को अवगत कराया कि हम स्वस्थ पारदर्शिता लाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इसका प्रयास हम करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि हाइड्रो-मेकेनिकल वर्क एक्सपीरियंस के अन्दर आपने जो शर्त लगायी है उस शर्त के अन्दर "Applicant/manufacturer in last five years in a single job for design, manufacturing, supply and erection of minimum 27 numbers of Radial Gates of size 15 M x 13.40 or more. Operated with hydraulic hoist arrangement for 250 MT (a set of two of 125 MT each) capacity during the last 5 years on EPC basis." माननीय सभापति महोदय, इसमें एक और लगा "The manufacturing plant shall be running concern/ financially sound for at least last five financial years. Furnish authenticated documents. Manufacturer should have fabricated and erected 4000 MT of Radial Gates etc. during the last 5 years for any one project." माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बता दें कि पूरे देश के अन्दर इस तरीके के अनुभव रखने वाली कितनी कम्पनियां हैं?

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह भी बता दें कि आपने पहले रखा था 31 गेट, आपने कहा कि हमने 80 प्रतिशत, जितना कार्य है उसका 80 प्रतिशत कार्य का एक्सपीरियंस वाले को माना है। तो, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह भी बता दें कि आपका दूसरा काम जो कंक्रीट वर्क है उसके अन्दर आपने जिस कम्पनी को यह टेण्डर दिया है उसमें कितना एक्सपीरियंस माना है? उसमें भी आपने 80 परसेंट माना होगा क्योंकि मैकेनिकल और सिविल दो वर्क हैं इसके अन्दर। माननीय सभापति महोदय, मेकेनिकल में आपने जब 80 परसेंट माना तो जो 15 गेट बना सकता है वो 27 भी बना सकता है, जो 14 बना सकता है वो 27 भी बना सकता है। लेकिन इसमें एम.ओ.यू. जो किया गया है, माननीय सभापति महोदय, केवल एक कम्पनी ने तीन निविदादाताओं से एम.ओ.यू. किया है। और कोई कम्पनी थी क्या इसके अलावा, एक ही शर्त जो देश में एक कम्पनी फुलाफिल करती हो, माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप लगाना चाहता हूं सदन में कि यह सारा टेण्डर एक कम्पनी को देने के लिए किया और मैं कहूं, इसके अन्दर भी एम.ओ.यू. के अन्दर भी शर्तों में जो परिवर्तन किया, आज यह भी बता दें कि जो एम.ओ.यू. किया गया है, क्या एम.ओ.यू. के अन्दर

(श्री ओम बिरला)

यह शर्त का एक आदेश नहीं निकाला कि एक कम्पनी तीन लोगों से एम.ओ.यू. कर सकती है? यह आदेश क्यों निकाले गये?

माननीय सभापति महोदय, यह भी बता दें कि इसके अन्दर जो शर्त परिवर्तन की है उस शर्त परिवर्तन से इस सरकार को फाइनेंशल रूप से क्या फायदा होने वाला था? जो टेण्डर 265 करोड़ का था, जिसकी 274 फाइनेंशल बिड खुली और फिर 457 खुली उसके बेस पर दो वर्ष, दो वर्ष के अन्दर भी अगर वह काम नहीं कर सकता है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आप गरीब विधवाओं को पेंशन देने के लिए 200 करोड़ रुपये का इंतजाम नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे स्पेसिफिक प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रक्रिया के नियम 131 खा की ओर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, मैंने नियम प्रक्रिया के तहत ही आरोप लगाया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इसमें स्पष्टीकरण माननीय सदस्य चाह सकते हैं। आरोप लगाने की जो बात कही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक तो आरोप लगाने की बात को एक्सपंज किया जाए ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं नोटिस दे रहा हूं, सदन के अन्दर नोटिस के बाद कह रहा हूं ...(व्यवधान) और सबूतों के आधार पर कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): और यह अपने स्पष्टीकरण तक अपने आप को सीमित रखें न कि भाषण दें। जो बातें बहुत विस्तार से आई हैं ......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, माननीय सचेतक महोदय ने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, नियमों के अन्तर्गत है लेकिन मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपको बताऊं, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं पढ़ा है। इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इज ए नोटिस। नोटिस में साफ ये आरोप लगाये हैं, नोटिस में ही लगाए हैं। जो ध्यानाकर्षण गवर्नमेंट को दिया है, उन्होंने आलरेडी इसमें सारी बातें लिखी हैं और इसलिए नोटिस है और नोटिस मानकर ही जवाब दें।

श्री सभापति: मंत्री जी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि प्रतिस्पर्धा को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हमने इसके अन्दर हाइड्रो-मेकेनिकल वर्क्स ऑन डैम्स को, बैरेज वर्क्स को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को शामिल किया। जिससे ज्यादा से ज्यादा निविदादाता इस प्रतिस्पर्धा में आएं। हमारी कोई मंशा नहीं थी किसी भी एक कम्पनी को फायदा पहुंचाने की।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, हमारी तो मंशा थी न? आपने आरोप लगाया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य, जवाब तो आने दो न।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): स्पेसिफिक जवाब दे दें दो बातों का। (व्यवधान) दो बातों का जवाब स्पेसिफिक दे दें ...(व्यवधान) केवल अस्सी परसेंट, और कंक्रीट वर्क में भी अस्सी परसेंट है क्या ? दो चीजों का स्पेसिफिक जवाब दे दें।

श्री सभापति: आप जवाब तो आने दो न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो प्रश्न मैं भी पूछ लूं।

श्री सभापति: हां, हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): महत्वपूर्ण मामला है। मंत्रीजी ने भी कहा है कि अभी टेण्डर फाइनल नहीं किये गये हैं और उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट में भी टेण्डर फाइनल नहीं हुए थे। दो बातों का जवाब दे दें कि बी एस आर 2006 के आधार पर 2008 में 265.74 करोड़ रुपये का मामला यह माना गया था। एक साल में बढ़कर यह 450 करोड़ का हो गया। कोई कारण नहीं है कि सीमेंट की, स्टील की इतनी प्रतिशत रेट बढ़ी हो। दो सौ करोड़ रुपया एक साथ बढ़ गया जबकि स्टील के दामों में तो भारी गिरावट आई है। क्या कारण है कि 200 करोड़ रुपया इसमें बढ़ा? पहला प्रश्न मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने यह जो लगाई है इसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

"Applicant / manufacturer in last five years in a single job for design, manufacturing, supply and erection of minimum 27 numbers of Radial Gates of size 15 m x 13.40 M or more." आप मिनिमम 27 नम्बर से रेडियल गेट्स आफ साइज 50 एम X 30.40 एम और मोर, यह क्या कारण है? 27 गेट क्यों? 22 गेट में क्या फर्क है? 30 गेट में क्या फर्क है?

तो दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। पहला प्रश्न 200 करोड़ रुपया क्यों और दूसरा यह क्यों। तीसरा, आम तौर पर दूसरी फर्मों से एम ओ यू करने की छूट नहीं मिलती है। इसमें एम ओ यू की छूट क्यों दी गयी? यह तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

यह मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं कोई चार्ज लगा रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी आपने टेण्डर फाइनल नहीं किये हैं और टेण्डर फाइनल करने से पहले राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आ जाए। यह बात कह कर हम नहीं टाल सकते कि हमने तीन आदमियों की कमेटी बना दी या फाइनैंस डिपार्टमेंट ने हमको यह राय दे दी । जो बात हमारे सामने आ रही है सीधी-सीधी कि 200 करोड़ रुपया लागत में क्यों बढ़ा और यह हमने छूट क्यों लगाई, इन दो बातों का आप स्पष्टीकरण कर दें तो यह मामला साफ होगा।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको बीच में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता था लेकिन आप तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर जो मूल प्रश्नकर्ता हैं केवल वही बोलता है और वही अपने प्रश्न आगे भी उसके अन्दर रख सकता है।

तो मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि जब मूल प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर व्यवस्था है कि कोई बात रह गई है मंत्री जी के जवाब में तो उसके बारे में वह बोल लें। सिर्फ मंत्रीजी जवाब देंगे और कुछ बाकी रह गया है तो माननीय सदस्य मूल प्रश्नकर्ता ही उसके अन्दर ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य आने के बाद में यह सदन की सम्पत्ति है। हम सवाल खड़े कर सकते हैं। यह कहीं नहीं है कि हम सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपको, माननीय सभापति महोदय, संशोधित कर देता हूं। इसमें हमारा नियम यह है कि नियम 131 के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अन्तर्गत जो माननीय सदस्य देते हैं वह खड़े होकर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हैं, फिर मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पढ़ते हैं। उसके बाद में वह भी स्पष्टीकरण लेते हैं और बाकी माननीय सदस्य भी स्पष्टीकरण ले सकते हैं। इसलिए मैंने नियमों के अन्तर्गत ही स्पष्टीकरण लिया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): लेकिन यह नियम तो यह कहता है, माननीय उप नेता महोदय, ''वह सदस्य जिसने सूचना दी है और कोई अन्य सदस्य जिसने अध्यक्ष को पूर्व प्रज्ञापना दी है, मंत्री से स्पष्टीकरण चाह सकते हैं...''

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और इस पर इस सदन में इतनी व्यवस्था हुई है इस प्रकार से ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ''...परन्तु पर कोई विचार-विमर्श नहीं होगा।'' स्पष्टीकरण माननीय सदस्य चाहते हैं तो स्पष्टीकरण चाह सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। सचेतक महोदय, मैंने बता दिया। मंत्रीजी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, अभी टेण्डर फाइनल नहीं हुआ है और इस पर माननीय सदस्यों ने जो ध्यान मेरा आकर्षित किया है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे और फिर निर्णय करेंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, उन दो प्रश्नों का जवाब दे दें जो मैंने पूछे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। श्री पेमाराम ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) वही करेंगे। मैं, सभापति महोदय, फिर इस सदन को बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) पेमाराम जी के अलावा अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

अजमेर विद्युत वितरण निगम सीकर सर्किल द्वारा की जा रही नियम विरुद्ध वसूली

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री जी का अजमेर विद्युत वितरण निगम सीकर सर्किल द्वारा की जा रही नियम विरुद्ध

(श्री पेमाराम)

नाजायज एवरेज चार्जेज के नाम पर वसूली तथा बी सी आर के नाम पर लूट के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय धोद से आने वाले सदस्य ने नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो सीकर वृत्त के अधीन सभी सहायक अभियन्ता कार्यालयों कृषि उपभोक्ताओं के सम्बन्ध भार की जांच में जो अपना प्रस्ताव दिया है उसके लिए मैं अपना जबाव पेश करना चाहूंगा।

उपभोक्ताओं के सम्बन्ध भार की जांच में लोड स्वीकृत भार से बढ़ा हुआ पाये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:-

(1) स्वीकृत भार का बीस प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन नीति 2004 बिन्दु संख्या 23 (उद्धरण की प्रति संलग्न) के अनुसार कोई पेनल्टी व बिलिंग नहीं ली जाती। अगर किसी उपभोक्ता से कोई पेनल्टी व बिल की राशि ले ली गई है तो वह राशि उपभोक्ता के बिलों में समायोजित कर ली जाएगी। बीस प्रतिशत से अधिक भार बढ़ा पाया जाता है तो विद्युत भार बढ़ा हुआ माना जाएगा और उसकी पेनल्टी व बिल निम्न प्रकार लिये जायेंगे। पेनल्टी निर्धारित विद्युत दर अनुसार बढ़े हुए भार के समानुपात से 1.5 गुना तीन माह के लिए ली जायेगी। जिसका उदाहरण इस प्रकार है- कृषि के उपभोक्ता का भार पांच एच पी स्वीकृत हो तथा चैकिंग में दस एच पी पाया जाता है तो नियमानुसार जो राशि वसूली जाती है। वह है- पैनल्टी (10-5) X1.5X140X3630 रुपये पर हार्स पावर वसूल की जाती है। अगर मानें कि उसका पांच एच पी का भार था तो उस पर 3150 रुपये वसूलते हैं। बढ़े हुए भार की स्वीकृति के लिए नियमन के लिए 1500 रुपये प्रति एच पी लिये जायेंगे।

(2) कृषि उपभोक्ताओं से मीटर खराब/बन्द/जले/दोषपूर्ण पाये जाने पर औसत चार्ज न कर निगम के आदेश संख्या अविविनिलि/प्र.नि./विधान सभा क्षेत्र/प्रे 255 दिनांक 30.11.2004 परिशिष्ट चार के अनुरूप फ्लेट रेट से बिल जारी किये जाते हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पत्रांक एफ.12(1) ऊर्जा/04/प्रे 11909 दिनांक 27.4.05 जो परिशिष्ट दो पर उल्लिखित हैं के द्वारा इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सब-सैक्शन 108 के अन्तर्गत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

(3) नम्बर तीन माननीय सभापति महोदय, जो माननीय धोद से आने वाले सदस्य ने पूछा है, ग्रामीण क्षेत्रों के गैर-आबादी क्षेत्र/ढाणियों में आवास करने वाले आवेदकों को घरेलू कनेक्शन निगम के आदेश संख्या कामर्शियल अज 439(परिशिष्ट 3) के अनुसार सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में आने पर पांच के वी ए लगा कर पांच विद्युत सम्बन्ध ही जारी किये जाते हैं, कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है। स्थापित सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की क्षमता यदि पांच के वी ए से अधिक हो तो भी उसे कनेक्शन देने के लिए पांच के वी ए ही माना जाता है तथा उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत जारी हो गये विद्युत सम्बन्धों के बाद शेष बचे आवेदकों को सैल्फ-फाइनेन्स स्कीम के तहत पांच के वी ए ट्रांसफार्मर, एच.टी., एल.टी. लाइन का पूरा खर्चा लेकर निगम आदेश संख्या कामर्शियल अज-414 (परिशिष्ट-4) के अनुरूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा जो वर्तमान में स्थापित 11 के.वी.ए. लाइन से अधिकतम 1 किलोमीटर दूरी के अन्दर स्थित ढाणी एवं कम से कम 10 आवेदकों का समूह होने पर 'मुख्य मंत्री सब के लिये विद्युत योजना' के अन्तर्गत निगम आदेश संख्या वाणिज्य अज-352 (परिशिष्ट-5) के अनुसार भी कनेक्शन दिये जा रहे हैं जिसमें आवेदकों को समूह में 3500 रुपये, प्रति आवेदक जमा करवाने होते हैं। बशर्ते उक्त ढाणी जलदाय विभाग द्वारा वर्ष 2002 में कराये गये ढाणियों के सर्वे में सम्मिलित होनी चाहिये।

(4) इस सन्दर्भ में लेख है कि ऐसा कोई भी प्रकरण निगम की जानकारी में लाये जाने पर जांच करवाकर तथ्यों के आधार पर विभागीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है मैं बहुत संक्षिप्त में ही पूछना चाहूंगा मैं दस्तावेज और आदेश इन्होंने जो निकाले हैं, उनके आधार पर नाजायज रूप से जो वसूली की है, मैं यहां सदन के पटल पर प्रमाणित कर दूं तो मंत्रीजी पहले मुझे इतना छोटा सा बता दें कि क्या सीकर जिले के किसानों को वापस लौटा देंगे ? यह लौटाने की हां करते हैं तब तो मैं यह सारे प्रमाण पेश करूं।

मंत्रीजी ने जो जवाब दिये हैं अगर, अगर कहा, इन्होंने कहा है कि विद्युत भार का 20 प्रतिशत, यह इनकी कृषि नीति है। माननीय सभापति महोदय, जिस कृषि नीति के आधार पर राजस्थान में बिजली महकमा चलता

(श्री पेमाराम)

है, उस कृषि नीति के पेज नम्बर 25 के बिन्दु संख्या 23 के पहले पाइंट पर लिखा है सतर्कता अथवा अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान विद्युत मीटर का भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर 20 प्रतिशत तक जो भार बढ़ा हुआ पाया जाता है उस भार पर किसी प्रकार के बिल, किसी प्रकार की सिक्योरिटी, कोई चीज नहीं लग पाती है। यह तो इनका है। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं ''अगर'', यह है इनका-''अगर'', मैं यह बिल लेकर आया हूं किसानों के जो 20 परसेंट से ऊपर वालों के हैं। यह डकैतों की फौज खड़ी कर रखी है इसलिये मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जो ज्यादा ले लिये वह दिलवाने की हां करें तब तो मैं सारी चीजें दे दूंगा और नहीं करें, जब सरकार कह दे कि हमारी मर्जी का सौदा है, मर्जी के मुताबिक किसान से लूटेंगे, तब मैं काहे को यहां पर बहस करूं?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है, मैं उनकी चिन्ता में अपने आपको सम्मिलित करता हूं। जो अधिक बिल वसूल किया गया है, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि वह आगे आने वाले समय में उनके बिलों में समायोजित कर देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): धन्यवाद दे दो।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं-नहीं, धन्यवाद कैसे दे दूं? अभी और चीजें हैं। धन्यवाद किस बात का दे दें ? कनेक्शन नहीं दे रहे हो आप। मेरे 4 पाइन्ट हैं। धन्यवाद किस बात का दे दूं मैं?

माननीय सभापति महोदय, सीकर जिले में कुल 11,501 किसानों से, मैं इनकी तरह एक-एक बिन्दु नहीं पढ़ रहा हूं, ए ईएन आफिस लक्ष्मणगढ़, ए ईएन आफिस फतेहपुर, ए ईएन आफिस रामगढ़ शेखावाटी, ए ईएन आफिस रींगस, श्री माधोपुर, पलसाना, खाटू श्यामजी, दांतारामगढ़, खाचरियावास, नीमकाथाना, पांपण, खंडेला, अजीतगढ़ और मेरे ए ईएन आफिस इलाके में जो आते हैं लोसल 878, पीपराली 1748, ए ईएन ग्रामीण सीकर 722, इस तरह से कुल सीकर जिले के 11,501 किसानों से 1 करोड़ रुपया नाजायज रूप से वसूल किया इन्होंने। वह किया है, यह तो कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं लेकिन इनका एक आदेश है। यह आर्डर निकाला है सीकर सर्कल के अधीक्षण अभियन्ता ने। माननीय मंत्रीजी सरकार चला रहे हैं परन्तु पता नहीं है। यह कह रहे हैं कि अगर 20 परसेंट से ज्यादा कोई वसूल कर लिया, तो लोसल

(श्री पेमाराम)
अकेले ए ईएन आफिस में बी सी आर के नाम पर छापे मारने वालों में लगभग एक हजार किसानों का जो 20 परसेंट की परिधि में आते हैं, उनका मनमर्जी के मुताबिक इनकी कृषि नीति में छूट होने के बावजूद बढ़ा करके बिल भेज दिया और किसान की जेब एक तरफ भयंकर अकाल और दूसरी तरफ लूट के लिये फौज खड़ी कर रखी है।

दूसरा, एवरेज और फ्लेट रेट के नाम पर सीकर सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता ने 23.10.2009 को एक हुक्म दिया अपने अधीन काम करने वाले ए ईएस को और उसमें लिखा कि कम उपभोग मीटर वाले वे किसान.. एक तरफ सरकार कह रही है किसानों का पैसा नहीं बढ़ायेंगे और दूसरी तरफ इनका अधिकारी कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह मीटर वाले किसान...। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को इसलिये कहना चाहूंगा पानी सूखता जा रहा है। पानी पर चर्चा आयेगी। जमीन में पानी नहीं है, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा, इसलिये आपकी ओर ही इशारा करूंगा..

श्री सभापति: जवाब दिया न मंत्रीजी ने आपको।

श्री पेमाराम (धोद): जवाब कहां दिया है। यह आदेश निकाला है। यह तो ''अगर'' कह रहे हैं, ''अगर''। जबकि यह आदेश निकला है। इस पर यह मैंने दस्तखत नहीं किये हैं। यह अधीक्षण अभियन्ता है अजमेर डिस्कॉम का सीकर सर्किल का, उसने आदेश क्रमांक 1829 दिनांक 23.10.2009 द्वारा हुक्म दिया है और उसके द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपये की नाजायज वसूली की है।

पहली चीज तो मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि यह जो हुक्म देने वाला है, सरकार को अंधेरे में रख करके हुक्म देने वाला है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें। पहली चीज तो यह है।

दूसरी, सीकर जिले के किसानों से जो नाजायज पैसा वसूल किया है वह पैसा वापस किसानों को लौटाएं।

तीसरा मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, ढाणियों के कनैक्शन। मंत्रीजी कह रहे हैं कि ढाणियों के कनैक्शन हम दे रहे हैं। परिशिष्ट -4 पर यह हुक्म मेरे को भी दिया है जिसमें है मुख्य मंत्री सम्बल योजना। इन्होंने पढ़ा है, यह तो इन्होंने दे दिया। अभी मुझे जवाब में जो दिया वह 12.5.2008 को दिया है। मगर इन वाले को कौन पूछता है, साहब ? मैं इसलिये कह रहा हूं कि इनके बाद नीचे हमारे सीकर, झुंझनूं का जोनल चीफ इंजीनियर है, माननीय मंत्री महोदय, सीकर जिले के लोगों को आप पाकिस्तान

(श्री पेमाराम)

का नागरिक समझ रहे हो? मैं पुन: आरोप, अभी बात आयेगी, आरोप की बात नहीं कर रहा हूं। सीकर जिले के जो लोग ढाणियों में आवास कर रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करो आप। स्पेसिफिक पूछ लो।

श्री पेमाराम (धोद): मय प्रमाण है।

श्री सभापति: आप उसको लम्बा मत करो। प्रश्न को बहुत लम्बा कर रहे हो। माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करो।

श्री पेमाराम (धोद): मय प्रमाण है। जनता की भयंकर समस्या है, ढाणियों में आवास करने वालों को कनक्शन नहीं मिल रहा।

श्री सभापति: लम्बा मत करो आप।

श्री पेमाराम (धोद): आप कहोगे तो मैं बात ही नहीं रखूंगा। जिले की जनता का सवाल है। यह हुक्म जारी किया है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री पेमाराम (धोद): 22.10.2009 को और उस हुक्म में ढाणियों में बसने वालों के लिये पाबन्दी लगायी है, कहा है कि ढाणियों में आवास करने वाले बिजली का कनक्शन लेने के लिये पत्रावली जमा नहीं करा सकते...

श्री सभापति: विराजो। आप विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, विराजेंगे तो सही परन्तु पत्रावलियां जो निरस्त हुई हैं इस आदेश के आधार पर...

श्री सभापति: पहले भी पूरा पढ़ दिया, किस-किस में। बैठ जाओ आप। एक साथ ही सारे बिन्दु उठा लेते आप।

श्री पेमाराम (धोद): 4 पाइन्ट एक साथ ही दिये हैं मैंने..

श्री सभापति: जवाब दे चुके मंत्रीजी। स्पेसिफिक पूछो अब आप।

श्री पेमाराम (धोद): मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चारों पाइंट एक साथ हैं...

श्री सभापति: आज गृह के ऊपर बहुत लम्बी...

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, अव्यवस्था जो चल रही है उसके सवाल पर मैंने चारों पाइंट एक साथ लिख करके दिये हैं और चारों पाइंटस का एक साथ इन्होंने जवाब दिया...

श्री सभापति: आ गया न। मंत्री जी। मंत्री जी।

श्री पेमाराम (धोद): जवाब असत्य है। जवाब असत्य है। इसलिये प्रमाण पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप विराजें । आप विराजें, माननीय सदस्य। विराज जाओ अब आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, प्रथम तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय अमरारामजी, घनश्यामजी और बहुत सारे, मैं स्वयं सीकर जिले का हूं। तो पाकिस्तान की तो बात ही मत करो, फिर तो मैं भी पाकिस्तान से हो जाऊंगा।

जैसा आपने कहा, आपकी बात से मैं मना नहीं कर रहा कि वहां अधिकारियों से कोई लैप्स नहीं हुआ। अधिकारियों ने भूलवश किया है तो मैं जांच कराऊंगा कि कौन अधिकारी इसके लिये रेस्पांसिबल है और उसमें मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री पेमाराम (धोद): कार्यवाही करेंगे ?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): I assure you. मैं कार्यवाही करूंगा उसके ऊपर, नम्बर एक।

(14.00 बजे)

जो पैसा आप बता रहे हैं कि वह अधिक वसूल कर लिया वह पूर्व में भी मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि जो आने वाले बिल हैं उसमें समायोजित कर लेंगे।

नम्बर तीन, जैसा कि आपने ढाणियों के बारे में फरमाया है कि सब लोगों ने बाहर निकलकर के ढाणियों में अपने-अपने फार्म बना लिये, खेतों में चले गये। फार्म तो अंग्रेजी नाम है, खेत ही बोलते हैं हम लोग तो। खेतों में चले गये। उनके सामने वाकई में समस्या है। उनके लिए इलैक्ट्रिक कनेक्शन की प्रोब्लम है। उसके लिए राज्य सरकार ने सबसे पहले तो ''मुख्य मंत्री सब के लिए'' एक योजना बनायी थी। उसमें 2002 में जो ढाणियां पी एच ई डी द्वारा डिक्लियर थी सौ से भी कम आबादी की, वहां 11 केवीए से जिनका एक किलोमीटर का डिस्टेंश हो, उनके लिए उन्होंने घोषणा की थी और ''मुख्य मंत्री सब के लिए'' उसमें दे देंगे। यदि कोई आपकी ढाणियां बच गयी हों तो 31.03 लास्ट डेट है, आप बतायें मैं कनेक्शन दिलवा दूंगा। कोई बच गयी हो तो बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11, वित्तीय कार्य । अनुदान की मांगों पर विचार ...(व्यवधान) श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस एवं श्री रामकिशोर सैनी, कारागृह राज्य मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 17 कारागार।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16–पुलिस की प्रस्तुति

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21 अरब 54 करोड़ 88 लाख 78 हजार (21,54,88,78,000) तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री सभापति: श्री रामकिशोर सैनी।

मांग संख्या 17-कारागार की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62 करोड़ 76 लाख 76 हजार (62,76,76,000) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 16 व 17 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर मैं अपने विचार रखूंगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंने साढ़े चार साल तक एक गृह मंत्री के नाते जिम्मेदारी निभायी। मैं केवल आरोप-प्रत्यारोप करने या कम और ज्यादा बताना इसको अपना आधार नहीं बनाउंगा। लेकिन पुलिस की वर्किंग में जब तक हम लोग मन से सुधार करने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक हमारे पास अच्छी फोर्स होने के बाद भी हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अच्छे परिणाम लाने की स्थिति में नहीं होंगे। आज की तारीख में केवल मैं कहता हूं कि कानून व्यवस्था खराब है ऐसी स्थिति नहीं है, आप कोई सा अख़बार उठाकर किसी का भी संपादकीय पढ़ें तथा एक दिन की अख़बार की कटिंग निकालें तो 10-15 ऐसी स्थितियां आयेंगी जिसके कारण से लगता है कि वास्तव में राजस्थान में कानून-व्यवस्था ठीक तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में रखेगा कौन? काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वह डीजी से लेकर के कांस्टेबल तक हो। जब तक आप उसकी वर्किंग के आधार पर उसको जगह नहीं देंगे तब तक आप और हम कितना ही प्रयास कर लें, भावना हमारी कितनी ही शुद्व क्यों नहीं हो, हमारे मन में लॉ एंड आर्डर को अच्छा करने का संकल्प भी हो, लेकिन उस संकल्प को पूरा कौन करेगा? आपकी टीम ही करेगी। जिस टीम को आपने ठीक ढंग से नहीं लगाया तो आप और हम सब कितना ही प्रयास करते रहें उसके बाद भी परिणाम नजर नहीं आयेंगे।

सभापति महोदय, आज ही आपने देखा होगा जयपुर की घटना के बारे में। अब इस घटना के कारण से जिन लोगों पर भी आपने मुकदमे बनाये या पत्थरबाजी हुई, किसी को भी लगी, उसमें पुलिस के व्यक्तियों को भी लगी, यह सब स्थितियां क्यों बनी? हमारी कोई न कोई भूल है, चूक है जिस चूक के कारण से लोगों में इस प्रकार का आक्रोश पैदा होता है और लोग कानून को हाथ में लेते हैं।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही शिप्रा पथ के थाने को, यह वह थाना है जिसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ थाना होने का अवार्ड मिला है। मुझे सुनकर के बहुत अफसोस और दु:ख हुआ कि जिस थाने को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया हो, अवार्ड मिला हो, उस थाने में आपने एक ऐसे कमजोर आदमी को, ऐसे व्यक्ति को ले जाकर के लगा दिया कि उसने सारे के सारे थाने को जो कुछ भी मिला, उसको मिट्टी में मिलाकर के रख दिया। उसके साथ-साथ सम्पूर्ण राजस्थान की पुलिस को आपने एक तरह से कालिख पोतकर के खड़ा कर दिया। उसका कारण केवल एक व्यक्ति है। व्यक्ति जब तक ठीक नहीं होगा, आपका काम ठीक नहीं होगा। इस व्यक्ति की एक बार नहीं, 50 बार शिकायतें दी गयीं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि पुलिस राजस्थान में कई बार पिटी है। अगर पुलिस पिटती है किसी झगड़े में, किसी आंदोलन में वह तो फिर भी समझ में आ सकता है लेकिन अभियुक्त पुलिस को पीटकर के चला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाये। अभियुक्त को पकड़ने जायें वहां पुलिस पिट जाये, पुलिस पर हमला हो जाये। उसके बाद भी हम जो हमला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए कौन मरने जायेगा? यह किस तरह से होगा इस बारे में आपको जरूर देखना होगा।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा, इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक हो सकता है, चाहे आप इस पद पर हों और चाहे मैं हूं, एक नरमुंड काटकर के हमारे अपने ही दफ्तर के बाहर कोई डालकर के हमें चुनौती दे? उस चुनौती को स्वीकार करके हमारी टीम जब तक उसके पीछे लगकर उसका दम नहीं निकाल दे, जब तक उसका पता नहीं लगाये तब तक वह चैन से नहीं बैठे। हमला तो हो सकता है, कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी हमको चुनौती दे सकता है पर चुनौती का मुकाबला करना भी तो हमारा ही काम है। हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं। हम उन अच्छे लोगों को लगाकर के उसकी तह में जाकर के पता लगाते तो संपूर्ण राजस्थान की पुलिस का मोराल उठता। छोटे से दाग के कारण, उसकी तह में नहीं पहुंचने के कारण से आज पुलिस किस प्रकार से अपने आपको महसूस करती है इसके बारे में आप बतायें।

सभापति महोदय, यही नहीं, आपने देखा कि जयपुर के अन्दर आपका एक सीआई आपके ही थाने में गिरफ्तार हुआ। थाने का केस था और उसी व्यक्ति को आपने दूसरे थाने में सीआई लगा दिया। यह जिस प्रकार की घटना है, सारी पुलिस ना तो दागी है, पुलिस में अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके काम से हमको कई बार बहुत संतोष भी होता है लेकिन ऐसे कुछ दागियों के कारण से सारे का सारा गृह विभाग अपने आपको लांछित महसूस करे। इसकी तह में जाने की जरूरत है कि उस व्यक्ति को वापस किस तरह से लगाया। आपको इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अगर वास्तव में राजस्थान की पुलिस को आप सशक्त करना चाहते हो तो आप राजस्थान का क्षेत्रफल देखें। सबसे बड़ा राज्य हमारे पास है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1040 किलोमीटर की हमारे है, 35 वर्षों में जनसंख्या हमारी दुगनी बढ़ी है और अपराध पांच गुना बढ़े हैं। उसी तरह से आपने देखा है कि आजकल जिस प्रकार के क्राइम होते हैं, कई प्रकार के क्राइम बढ़े हैं उसकी तुलना में हमारे पास फोर्स क्या है? इसी तरह से आपने देखा होगा कि इतना काम पुलिस को जो दिया, जुलूस वगैरह का, रोज कुछ न कुछ, उसकी तुलना में उसकी संख्या में बढ़ोत्तरी कहां हैं? और जब तक हम उसकी संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे तो उसका मुकाबला कैसे होगा?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सभापति महोदय, आज आतंकवादी गतिविधियां हैं, राजस्थान एक मात्र ऐसा राज्य है जिसमें शहरी जनसंख्या में एक हजार की पापुलेशन पर एक पुलिस कर्मचारी है और 4.8 किलोमीटर का अगर एरिया लेवें तो उसमें एक पुलिस कर्मी हमारे हिस्से में आता है। गांवों में तो लगभग ढाई हजार लोगों पर हमारे पास एक पुलिस फोर्स है। इसके लिए हम कोशिश करें, पिछली बार हमने कोशिश की और लगभग 14 हजार कांस्टेबलों की भर्ती की। मैं आगे आऊंगा, आपने भी घोषणा की लेकिन एक भी भर्ती नहीं हुई। आज की आवश्यकता के अनुसार यह जो आप 5 हजार की घोषणा करते हो, यह भी पुलिस फोर्स के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।

सभापति महोदय, अगर प्रदेश शांत रहेगा तो पचासों इन्कम के अन्य रास्ते निकल आयेंगे और अगर अशांति पैदा हो जायेगी तो हमारा व्यापार व्यवसाय ही चौपट हो जायेगा। हम चाहे कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़ें अगर हम वास्तव में लॉ एंड आर्डर को मेनटेन कर पायें तब तो इस प्रदेश का विकास सम्भव हो सकता है। इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने देखा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने पुलिस अधिनियम बनाया। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले, प्रकाश सिंह वर्सेज भारत सरकार के आधार पर एक माडल एक्ट बनाकर के हमको दिया। हम राजस्थान की पिछली विधान सभा में उस माडल एक्ट को लेकर के आये। यहां के सारे सदस्यों की राय के आधार पर हमने उसके लिए सलेक्ट कमेटी बनाई और उस सलेक्ट कमेटी में जो भी इस विधान सभा के अच्छे से अच्छे मैम्बर पक्ष और विपक्ष के थे, उनको हम साथ लेकर बैठे। आपको संतोष होगा कि 45 घण्टों तक हमने बैठकर एक-एक शब्द को ठीक करते हुए एक माडल एक्ट बनाकर इस विधान सभा से पास करवाया। लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस माडल एक्ट पर जितने भी नियम बनने थे, हमने जो बनाकर छोड़ा था, उसके बाद आपने एक कदम भी उस पर आगे नहीं बढ़ाया, किसी भी सेक्शन के बारे में। आपका 1861 का कानून चल रहा है। हमने इतने सालों के प्रयास के बाद उस कानून को बदल कर 2007 का पुलिस एक्ट राजस्थान का बनाया और यह राजस्थान विधान सभा पहली विधान सभा है जिसने इस प्रकार का माडल एक्ट यहां के सब सदस्यों को साथ लेकर बनाया, उसको माडल एक्ट के रूप में पेश किया लेकिन दुर्भाग्य है कि 14 महीनों में न तो आपका ध्यान गया न आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया कि यह माडल एक्ट आगे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कैसे बढ़ें। जो कुछ भी उसमें हमने बनाया था, इतने सेक्शन आपके लागू हो गए उसके बाद कोई सेक्शन आगे नहीं बढ़ा। आपने तो खैर घोषणा की, हमने भी उसमें डाला था कि कमिश्नर सिस्टम लायेंगे, 10 लाख से अधिक की पापूलेशन वालों के लिए होगा लेकिन उसके नियम कहां बनाए? केवल यहां घोषणा हो गई। आज की तारीख में कमिश्नर सिस्टम क्या होगा, कैसा होगा, उसके नियम हमने अभी तक भी नहीं बनाए। केवल यहां आकर घोषणा की।

यही नहीं, आपने देखा होगा कि पुलिस आयोग बनाने का भी उसमें प्रावधान था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर आज की तारीख में न पुलिस आयोग बना न पुलिस स्थापना बोर्ड बना जिसका काम था स्थानांतरण और पदोन्नति। बाकी चीजों के बारे में भी कुछ नहीं हुआ।

इसी प्रकार से पुलिस का जो सामाजिक दायित्व था उसके बारे में धारा 30 थी, उसके नियम बनने थे, वे नहीं बने। आपने देखा होगा कि हमने एक नई थ्योरी इसमें डाली थी विलेज गार्ड की। विलेज गार्ड रखकर उनका पुलिस के साथ सामंजस्य बैठाकर, जहां पर हमारी पुलिस आज की तारीख में प्रजेंट नहीं है लेकिन पुलिस से सीधा संवाद करके ग्राम रक्षा के आधार पर हमने बनायी 48 और 54। उसके बारे में भी आपका किसी का कोई ध्यान नहीं गया।

इसी तरह से आपने सी एल जी बनाई थी। इसके बारे में मेरा जो पिछले सालों का अनुभव है, मैं कहता हूं कि राजस्थान में सी एल जी की अपराधों को कण्ट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि समाज के अच्छे लोग अगर हमारे थाने के साथ सम्बन्ध बनाकर समय समय पर इस बात की मोनिटरिंग करेंगे तो अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी तथा कुछ ऐसे झगड़े हैं उन झगड़ों को सुलझाने में भी मदद करेंगे। उसमें भी यह कर रखा था कि 3 साल में एक तिहाई चेंज होंगे, कोई भी पालिटिकल पार्टी का पदाधिकारी उसका मैम्बर नहीं होगा अपितु समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, वे किसी भी समाज के होंगे और उनको हम रोटेशन से चेंज करते रहेंगे। उस सी एल जी के बारे में भी आज तक कुछ नहीं हुआ।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि धारा 61 में हमने वर्दी के बारे में कहा। आज की तारीख में पुलिस की वर्दी पहन कर कोई भी रोड पर खड़ा हो जाए और खाकी कपड़ों को देखकर जनता को लूट ले। इसके लिए वर्दी के बारे में कोड जब तक कठोर नहीं होंगे और भांति-भांति की नई-नई एजेंसियां बनती

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं उनको पुलिस की वर्दी से भिन्न वर्दी बनानी चाहिए। तब जाकर वास्तव में जनता की जिस तरह से लूट होती रहती है, वह न हो पायेगी। उसके बारे में भी हम कुछ नहीं बना पाए।

थानाधिकारियों और बाकी लोगों के ट्रांसफर का उसमें बनाया था कि 2 साल पहले उनका ट्रांसफर नहीं करेंगे और करेंगे तो रीजन लिखेंगे कि इस कारण से इस आदमी को हटाया, उसमें इस प्रकार से बनेगा। मैं सोचता हूं कि इस बारे में किसी प्रकार का किसी ने कोई ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। इतनी मेहनत से बना हुआ पुलिस एक्ट वह बेकार की स्थिति में पहुंच गया।

मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो बजट हम हर साल रखते हैं, आज भी जो आपकी डिमाण्ड है 21 अरब और कुछ की, आप लेकर आए हैं, यह बजट आज भी पुलिस के लिए कम पड़ता है। जितना पुलिस का काम है जितनी पुलिस की वर्किंग है, उसको ध्यान में रखकर यह कहना चाहता हूं कि आपकी मुझे कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी है लेकिन हमारा देखने का नजरिया ठीक नहीं है, हम पुलिस को जितना सशक्त करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी के पिछले कार्यकाल के आंकड़ों को उठाकर अगर देखें तो पिछले पांच सालों में हमने कोशिश करके इस पुलिस के बजट को बढ़ाने का प्रयास किया और उसके कारण से इस पुलिस को स्ट्रेंथन किया। कांग्रेस शासन में आपने देखा होगा, जो पांच साल का बजट अनुमान है, जो 63.5 करोड़ रुपयों से शुरू किया था और उसको लास्ट में 841 करोड़ पर लाए थे। यह अनुमानित बजट है। वास्तविक बजट में जो बढ़ोत्तरी हुई 5 साल में वह मात्र 20 प्रतिशत की हुई। इस 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के आधार पर क्या हम पुलिस को ताकत दे पाएंगे? उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और इसको बढ़ाकर जो बजट हमने 914 करोड़ पर प्रारम्भ किया और अंत में हमने 1,613 करोड़ पर लाकर इसको प्लान बजट को छोड़ा। लगभग 76 प्रतिशत बजट बढ़ाया। मैं इस बार के बजट के लिए जरूर आपको धन्यवाद देता हूं कि आप दोनों बार इस बजट को आगे ले गए, निश्चित रूप से आपने बजट को बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने 2009-2010 में 1,979 करोड़ का बजट रखा और इस बार 2,190 करोड़ का रखा लेकिन इस पर भी फिर आप विचार करिये। मैं कह रहा हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए हरेक आदमी चाहता तो है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए लेकिन उसके लिए जिस प्रकार की सुविधाएं और साधन हमको चाहिए वह भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमको मिलने चाहिए। आपने और हमने कई बार देखा है कि चोरों का पीछा करते समय पुलिस की जीप टूं-टूं टाइप बन जाती है और अपराधी जिस ढंग से निकल जाते हैं, उसका कारण यही है। उसमें उसका दोष नहीं है। जो इक्विपमेंट हमने उनको दे रखे हैं, वे उतने अधिक शक्तिशाली नहीं हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकें।

मैं जब मंत्री था तो कोई भी बोलता था, आपके टाइम पर अपराध इतने बढ़ गए, अपराध इतने बढ़ गए। आपने स्वयं ने अपने आंकड़े देखे होंगे, अपराध बढ़े कि नहीं बढ़े। अपराध बढ़े हैं, इन अपराधों के कारण से मैं कहूं कि आप अयोग्य हैं या योग्य हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। अपराध बढ़ना-घटना हो सकता है लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों के साथ क्या सलूक हुआ, उसको सज़ा किस तरह से दिलाई और चालान कैसे पेश हुआ, यह है हमारा महत्वपूर्ण विषय। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर न तो मोनिटरिंग होती है और न ठीक प्रकार से देख पाते हैं। अगर ईमानदारी से कहूं तो 2007, 2008, 2009 के सारे के सारे अपराधों के आंकड़े मेरे पास हैं, आपने देखा होगा कि 2009 में सारे के सारे मिलाकर को सब अपराधों को अगर आप जोड़ लें, हत्या से लेकर डकैती, लूट, बलवा, बाकी सारे जितने हैड्स हैं, इन सब को अगर जोड़ें तो 10.18 प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। 2007 से 2008 को लें तो 11 प्रतिशत अपराध बढ़े, 2008 से 2009 को लें तो 10 प्रतिशत अपराध बढ़े और अगर सारे को मिलाते हैं तो लगभग 20-21 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है और अपराध हो जाने के बाद इनका निस्तारण किस तरह से होता है इस बारे में भी आप देखें।

यह जो बार-बार हमारे ऊपर रोज-रोज यही आरोप लगाते थे, मुख्य मंत्रीजी सबसे ज्यादा बोलते थे कि राजस्थान की सारी कानून-व्यवस्था को बिगाड़ दिया, मेरा एक अपराध जरूर है जिसका अपराध बोध मुझे आज तक भी है कि आंदोलनों में जिस प्रकार से गोलीबारी हुई और लोग मरे, मुझे उसका मन में आज भी दु:ख है, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे फोर्स को बचाने के लिए भी और जनता को बचाने के लिए भी कठोर कदम उठाने पड़े उसके लिए अगर आप सब लोग मुझे दोषी मानते हैं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालान करें, जिसके कारण से मैं दोषी हूं। मेरी फोर्स दोषी नहीं है। क्योंकि उसका तो धर्म है। उसने अपने धर्म

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाए तो यह उसका जुर्म मैं नहीं मानता। इसको मैं अपराध भी नहीं मानता और यदि कोई अपराध हो तो मैं परिवार का मुखिया था, मैं उसके लिए अपने आप को दोषी मानता हूं। परिस्थितियों के कारण से कदम उठाने पड़े। पर रोज उसी को लेकर, रोज उसी को, आपने यह मार दिया, आपने यह मार दिया, परिस्थितियां जब जैसी आती हैं उसके अनुसार काम करना पड़ता है। उसमें भी अगर दोषी मानते हैं आप सब लोग तो उसके लिए मैं तैयार हूं। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं उसको फेस करूंगा जो भी परिणाम आएगा।

महिला अत्याचार में हमारा प्रदेश हमेशा से हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर है। इस बारे में हमारी रोज आलोचना होती है, हमारे टाइम पर भी यह नम्बर वन पर ही था। महिला अपराधों में इतनी कोशिश करने के बाद भी हम कोई कमी नहीं कर पाए और इन वर्षों में आपने देखा होगा कि महिला अपराधों में लगभग 18.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मेरे पास एक-एक के बारे में है। इसमें सबसे ज्यादा अपराध 498-ए के हैं। यह 498-ए कई बार हथियार के रूप में काम आ रहा है और निर्दोष लोगों के साथ ज्यादती में भी पाखिमित हो रहा है। इसके पीछे बहुत सख्ती से और ढंग से देखने की आवश्यकता है। किसी बच्ची ने कोई आत्महत्या की, उसका पति हो सकता है, उसकी सास हो सकती है पर उसके बहाने उसके सारे परिवार और खानदान को लपेट कर बरबाद कर डालो और सारा का सारा परिवार भिखमंगों की तरह से घूमता फिरे, मैं सोचता हूं कि इतना तो जुर्म नहीं हो सकता। ऐसे केसेज में आपको सीमा बांध कर, उसकी जांच के लिए अच्छे से अच्छे अधिकारी लगायें जो आपके पास हों। इसका मतलब यह नहीं है कि उस बच्ची को न्याय नहीं मिले। उस बच्ची को जरूर न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले लेकिन न्याय के आधार पर बाकी को बरबाद कर डालें, मैं सोचता हूं कि यह कानून का कभी भी अभिप्राय नहीं है। इस दृष्टि से आपको देखने की जरूरत है।

महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, यही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी है। शिड्यूल्ड कास्ट में भी हमारा लगभग 15.8 प्रतिशत वर्ष 2008-2009 में है। 2007 से नहीं लेकिन 2007 में भी है, इसी तरह से बढोतरी है। इसी तरह से बढ़ोतरी होती है तो उसका कारण यह है कि यह जो बढ़ोतरी है इसकी मानिटरिंग आपके नीचे के अधिकारियों के द्वारा भी समय-समय पर निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक मंथली रिपोर्ट बनती है कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आखिर यह जो अपराध बढ़े हैं, यह किस कारण से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है।

यह का यह ही आपने देखा होगा कि शिड्युल्ड ट्राइब्स में भी लगभग 14 प्रतिशत एक साल में, यह मैं आपको केवल 2008 से 2009 की तुलना कर रहा हूं, 2007 से अगर तुलना करूंगा तो यह और ज्यादा आएगा। तो इसमें भी अपराध बढे हैं।

अपराधों के आधार पर अगर आप यह मानते हो कि इस सरकार की कानून-व्यवस्था खराब है तो मेरे से तो और भी कई गुना खराब है। मेरे टाइम पर भी बढ़ोतरी थी, कभी दो परसेंट, कभी तीन परसेंट, कभी 5 परसेंट लेकिन 20 परसेंट की बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। किसी को चिंता ही नहीं है, कोई इसकी मानिटरिंग ही नहीं करता मंथली। जो कुछ भी आंकड़े आपके पास आते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आप बैठकर, आपके अधिकारी बैठकर मंथली मीटिंग करें या साप्ताहिक मीटिंग करें जब तक इन सारे आंकड़ों को नहीं देखेंगे तब तक आप कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे।

यही नहीं, मुझे इस बात का दुःख है, मैंने कहा न, अपराध हो सकता है लेकिन बरामदगी प्रतिशत घट रहा है, चालान प्रतिशत घट रहा है, एक तरह से यह संकेत ठीक नहीं है। चालान प्रतिशत घट जाए, इतना अगर हमारा बरामदगी प्रतिशत घट जाए तो फिर हमारा काम क्या है? तो किसी न किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए।

यह जो आपने देखा होगा, डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी इन सारों में 2008 में आपका परसेंटेज 23. इतना था और उसके बाद 9 में यह बढ़कर के 26 प्रतिशत हो गया। तो एक तरह से और इन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद चालानी परसेंटेज पहले 81.3 था, अब आपके ही साल का चालानी परसेंटेज आ गया है 80 । अगर एक परसेंट चालान कम करना है, मतलब एक लाख से भी अधिक, दो लाख के लगभग मुकदमे दर्ज होते हैं तो इसका मतलब क्या है? जब कि हमने इसके 78 परसेंट से उठाकर के 82 और 83 तक चालान पर ले गये और पैंडेंसी की दृष्टि से लगातार 2006, 2007 जो हमारी इण्डिया की क्राइम रिपोर्ट हैं, उन क्राइम रिपोर्ट में अगर सबसे ज्यादा कम किसी की पैंडेंसी थी और पहला स्थान किसी को मिला तो लगातार 3 साल राजस्थान को मिला। आप गलत दिशा की ओर जा रहे हो। इसलिए इसको चेक करो। जिस जगह पर अपन ने चालानी परसेंटेज बढ़ाकर के पैंडेंसी को जिस तरह से कम किया वह पैंडेंसी वापस बढ़नी शुरू हो गई है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यही नहीं, आपने देखा होगा बरामदगी प्रतिशत लूट हमारे टाइम का 77.5 था, आज की तारीख में आ गया 62 परसेंट। 77.5 परसेंट बरामदगी लूट में, वह आज की तारीख में आ गयी 62 परसेंट, नकबजनी का परसेंट था, आपके यहां हमारे से थोड़ा बढ़ा, 41 था, आपने 44 किया। चोरी में, 60 प्रतिशत चोरी की बरामदगी थी, अब आपके चोरी की बरामदगी आ गई है 53 परसेंट। 7 परसेंट बरामदगी कम होना, मतलब चोरी साल भर में अगर इकट्ठा करें तो करोड़ों की नहीं, अरबों रुपयों की होती है और उसको इस बरामदगी के आधार पर निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए।

इसमें अब यह पुलिस आधुनिकीकरण का जो कुछ भी अपन ने किया है, आधुनिकीकरण में जो व्यय करते हैं, यह पिछली बार भी आपका जो टाइम था उस समय जितना पैसा आपको मिला, मैं चाहूं तो आपका एक-एक आंकड़ा बता सकता हूं। हमको जो आधुनिकीकरण का पैसा मिला जिसमें 75 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार का, हमारा 25 परसेंट पैसा है, उस पैसे का पूरा समय पर उपयोग हो जाना चाहिए। मैंने इस बात की बराबर कोशिश की कि पिछली बार मुझे जितना पैसा मिला, मैंने सेंट-परसेंट उस पैसे का उपयोग किया। इन सारे के सारे में माडर्नाइजेशन का जितना पैसा मिला है, उसका उपयोग किया है। अगर आपको मैं बताऊं कि उपकरणों की खरीद में आपका जो पिछला कार्यकाल रहा, आपको 92 करोड़ रुपया कुल मिला था उपकरणों की खरीद में, आपने खरीद की, 69 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे और 23.33 प्रतिशत पैसा बचा। लगभग 74 प्रतिशत का आप उपयोग कर पाये और हमने किया 96.6, जो पैसा हमको मिला हथियार खरीदने में उसका हमने उपयोग किया। अगर हम यह उपयोग नहीं करेंगे तो अगली बार हमारा पैसा वैसे ही कम हो जाएगा, हमको कम मिलेगा। तो हम अधिक पैसे लेने के लिए इसका उपयोग करें।

इसी तरह से भवन के बारे में। आपकी स्थिति पिछली सरकार के समय 2000 से लेकर 2004 तक केवल 12.7 परसेंट काम में ले पाये। 12.7 परसेंट केवल काम में ले पाये और हमने 74 परसेंट पैसे का उपयोग किया।

मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं कि इस साल में भी जो आपको जो कुछ भी माडर्नाइजेशन का पैसा मिला है, इस माडर्नाइजेशन के पैसा का सही उपयोग हो जाए। इस बार भी आपको पैसा ज्यादा नहीं मिला। 42 करोड़ रुपये आपको केन्द्र की जो सहायता मिली है, वह 87 करोड़ रुपये है और हमारे राज्य का शेयर 30 करोड़ है। हम कई बार राज्य का शेयर नहीं दे पाते हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके कारण से केन्द्र का पैसा उठाने में हमको दिक्कत आ जाती है जिसके कारण माडर्नाइजेशन का जो जितना पैसा हमारा उपयोग होना चाहिए वह उपयोग नहीं कर पाते हैं।

मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूं कि पहले से ही राजस्थान के ऊपर चारों तरफ से इस प्रकार का दबाव रहता है। अब आपने तो पहले भी करामात कर दी। भर्ती के नाम से आपका जीरो आता है। यह पता नहीं आपका कब होगा या आपकी कुंडली के साथ जुड़ गया या भगवान जाने आप घोषणा बहुत लम्बी-लम्बी करते हो लेकिन भर्ती के नाम से कुछ भी नहीं होता है। केवल पिछली सरकार जो आपकी थी उसमें अगर कोई आपने भर्ती की है तो 7 हजार कांस्टेबल जरूर भर्ती किये हैं, 7352 और हम लोगों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 14,561 पुलिसकर्मियों की भर्ती करके एक तरह से... और भर्ती ही नहीं की, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि भर्ती में आज दिन तक कोई भी एक आरोप नहीं लगा सका कि इस भर्ती में यहां यह बेइमानी हुई है। हमने इतना फुलप्रूफ बनाया कि अगर एसपी भी चाहे तो अपने लड़के की भर्ती नहीं कर सकता, इसकी गारंटी दे सकता हूं। इस तरह से हमने उसको सिस्टेमेटिक करके जो काबिल था उसकी भर्ती हुई। उसके कारण से इतनी भर्ती के बाद भी, सामान्यतया पुलिस में तो रोज आरोप लगते हैं कि पैसे लेकर भर्ती हो गई, थानेदार ने यह कर दिया, एसपी ने यह कर दिया, ऐसी एक भी भर्ती नहीं हुई और आपने मृतक राज्य कर्मचारियों के अगेंस्ट में वह सारा का सारा, उसमें भी भर्ती, पदोन्नति, अब इस बारे में तो पता नहीं अब की बार भी आपने पदोन्नति तो कर दी परन्तु पोस्टिंग हुई क्या? कम से कम जो आदमी पदोन्नत हो जाता है, एसपी तो बन गया लेकिन एसपी की पोस्टिंग नहीं हो सकती। आपका क्या करता है डिपार्टमेंट? आपने आईजी से डीजी बना दिया, आपने हर संवर्ग में पदोन्नति की, तीन-तीन, चार-चार महीने हो गये, मेरे उदयपुर का आईजी भी प्रमोट हो गया लेकिन अभी तक वहां बैठा है। ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। कोई इस डिपार्टमेंट में देखने वाला नहीं है। ......(व्यवधान)...... एसपी बैठे हुए हैं प्रमोट होकर के। मैं सोचता हूं कि, कर्मचारी और क्या चाहता है, समय पर उसकी पदोन्नति हो, उसको लाभ मिले। अच्छे काम करने वाले का यही अवार्ड है लेकिन उसके बारे में भी किसी को फुर्सत ही नहीं है। तीन-तीन, चार-चार महीने गुजर गये लेकिन उनकी पोस्टिंग के आर्डर नहीं निकाल सकते। यह जो आप अपने पास शक्ति केन्द्रित कर रहे हो न कि कांस्टेबल का ट्रांसफर आर्डर कौन करेगा, गृह मंत्री करेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भले आदमी, इस डिपार्टमेंट को, बाकी को छोड़ो, इस डिपार्टमेंट को अगर सुधारना है तो आप एसपी को जब तक ताकतवर नहीं बनाओगे, अगर एसपी सही नहीं है तो +++ को हटा कर लाइन में भगा दो लेकिन एसपी को जब तक ताकतवर नहीं बनाओगे तो लॉ-एण्ड-आर्डर को कौन मेंटेन करेगा? आप और मैं मेंटेन करेंगे? उसको देखना है कि कौन व्यक्ति ठीक है। दुर्भाग्य है कि यहां के बीजू जोजफ ने कम से कम एक-एक आपके यहां के थानेदार को 20-20 बार सूचना और तीन-तीन बार नोटिस ठोक दिये लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या कानून-व्यवस्था मेंटेन करेगा? कोई कभी उसकी पीड़ा को समझे। इसका तो एक नमूना दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास इसके आंकड़े हैं कि कितनी बार उसने किस-किस को नोटिस दिये, आपके जितने भी लोग यहां लगे हुए हैं पर कोई नोटिस की पालना नहीं होती। वह क्या करेगा?

मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आपको बहुत गहराई से विचार करना है। बाकी डिपार्टमेंट में आप राजनीति कर लेना उसमें किसी को नफा होगा और किसी को नुकसान होगा, पर यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां तराजू पर अगर ईमानदारी से तोलकर न्याय मिले न तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा, प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा। इस पर अगर आपने ध्यान केन्द्रित नहीं किया तो मुझे बहुत दुःख होगा।

अभी आपने देखा होगा कि इस बार भी आपने वेकेंसी निकाली पिछले बजट में, भर्ती हो गई? फिर इस साल निकालोगे, भर्ती होने का सवाल ही नहीं। मतलब मैं इसलिए आपको इंगित कर रहा हूं, मैं कोई उसमें कमी निकाल कर अपने आपको बड़ा साबित नहीं कर रहा आज जितनी हमारी फोर्स बढ़ेगी, जितने लोग हमारे पास अधिक आएंगे, हमको पहले से ही बजट मुश्किल से मिलता है, फिर जो मिलता है उसका अगर हम समय पर उपयोग नहीं करते हैं तो फिर अगली बार हम जब मांगने जाएंगे तो फिर फाइनेंस उसमें अड़ंगा अड़ा कर बैठ जाएगा और हमको मदद नहीं मिलेगी। आपको 480 उप-निरीक्षक मिले थे, एक की भी भर्ती नहीं हुई। पिछले बजट में घोषणा की आपने। 5 हजार आपको कांस्टेबल नये मिले थे जिसमें 1,955 नये पद सृजित हुए थे, एक भी नहीं लगा। रिजर्व बटालियन आपको मिली थी, 850 की, एक भी नहीं लगा। बचे-खुचे जो हमने हाड़ा रानी बटालियन बनाई, हमने 400-450 लोगों को, महिलाओं का सलेक्शन करके छोड़ा न, वह वहीं का वहीं दफन हो गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं, विचार क्या है, कम से कम राजस्थान पहला राज्य है जिसने महिला बटालियन बनाकर हिन्दुस्तान में अपना एक नया सोच पेश किया। उसमें जो अधिकांश बच्चियां हैं वे कौन हैं? अधिकांश आदिवासी बच्चियां हैं। उन आदिवासी बच्चियों के सलेक्शन के कारण से ही हमारी यह पूरी की पूरी बटालियन बनी। लेकिन आपने उसके बारे में भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया। अभी आपने एक नई घोषणा और कर दी कि हम एक नई बटालियन बनायेंगे। जो बनाई है उसकी तो पहले पूर्ति करो। खाली घोषणा करने से लोगों को खुश करने का प्रयास करेंगे तो मैं सोचता हूं कि अपने मन को धोखा देंगे। इसमें तो जो कुछ आपको आज आवश्यकता है उसकी जल्दी से जल्दी पूर्ति कैसे हो वह पूर्ति करने का काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं भी इस बात से बहुत दु:खी था कि सड़क दुर्घटना के कारण से जो परिवार बर्बाद होते हैं न उनका दु:ख तो उन्हीं को याद रहता है। अब वह किसकी गलती से होता है और कैसे होता है वह तो अपनी जगह है पर हमने भी प्रयास किया था, सारे कलक्टर्स की मीटिंग में तय किया था कि हर साल हम 20 प्रतिशत एक्सीडेंट को घटायेंगे, डैथ घटायेंगे पर घटी नहीं और अभी भी नहीं घट रही हैं। इसके बारे में कई बार डिपार्टमेंट के लोग बैठ गये, हमने यातायात विभाग को भी बिठाया, अन्य बाकी सम्बन्धित डिपार्टमेंट को बिठाया, यहां के जेडीए को भी बिठाया और कोशिश की कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे रुके। अभी पता ही नहीं कि कोई मेरे पास टेलीफोन आ जाए कि आपके परिवार का फलां व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया तो मैं सोचता हूं कि बिजली चमक जाती है, एक छोटी-सी भूल के कारण से क्या हो गया। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि राजस्थान में जो मर्डर केस हैं वो साल में 1200-1300 हैं और एक्सीडेंट केस 9 हजार को क्रोस करके 10 हजार के आस-पास पहुंच गये हैं। इसके बारे में जब तक कोई सख्त कानून नहीं होता है, चाहे वो एक्सीडेंट मेरे हाथ से हो या आपके हाथ से हो, वो 1-2 दिन तो कम से कम हवा खाकर के आये चाहे गलती से हुआ या नादानी से हुआ तब तो उसका असर होगा। जमानती है, पर आये जब जिसको टक्कर मार दे, चाहे जानकर मारो चाहे अनजाने में मार दो। कई शरारती लोग तो इसका फायदा उठाकर के अपने दुश्मनों को गंगाजी पहुंचाने में भी इस हथियार का उपयोग कर रहे हैं। कम से कम क्या हम कानून नहीं बदल सकते? जब आपको, हम सब को इतनी पीड़ा है और हम रोजाना इसके बारे में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपने मन से कहते हैं कि आखिर इन एक्सीडेंटल डैथ को कैसे रोका जाए, अगर कोई रोड का डिफेक्ट है तो रोड का डिफेक्ट निकालो पीडब्ल्यूडी से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जल्दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं जल्दी कर रहा हूं।

इसी तरह से समाज के लिए जुआ, सट्टा और ड्रग कलंक हैं। जिस तरह से नये-नये, छोटे-छोटे बच्चे ड्रग्स से नशीले हो रहे हैं, अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली अपनी संतति बिगड़ जायेगी। यह घटना तो है लेकिन कानून हमारा इतना पोचा है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वेश्यावृत्ति में कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए तो आप कम से कम यह कह सकते हो कि जिस थाना एरिया में अगर वेश्यावृत्ति होगी, जुआ और सट्टा बिना पुलिस के संरक्षण से नहीं चल सकता है। मैं भी यह बहुत सोच समझकर कह रहा हूं। अगर कोई भी थानेदार यह चाहे कि उसके एरिया में वेश्यावृत्ति नहीं होगी तो नहीं हो सकती, यह मैं गारंटी से कह सकता हूं। इसका मतलब, इसका मतलब उसको पाबंद करें कि उसके एरिया में कोई वेश्यावृत्ति किसी दूसरे आफिसर ने आकर के पकड़ ली तो आपका तो जाना ही है और जाना ही नहीं, उसको इस प्रकार से काले दाग में डालकर रखो न, दुबारा कहीं पोस्टिंग ठीक जगह नहीं हो तो सूख जायेगा। यह जो सारा शरीर है न यह सारा शरीर दुबला हो जाएगा। इसको जब तक सख्ती के आधार पर नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, आलोचना से समस्या का समाधान नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैंने एक शुरुआत की थी जो बहुत कड़वा घूंट था। मैंने कहा कि हर साल पुलिस के ऐसे दागी लोगों को जिनको देखकर के विभाग को शर्म आती है, आपने देखा होगा न कि दारू पीकर के पैर पकड़ रहा है, नाटक हो रहा है, अख़बार में छप रहा है, यह सब देखकर के आपको और मुझे कितना कष्ट होता है कि जो पुलिस बहादुरी के लिए अपनी जान देती है वह पुलिस एक व्यक्ति के कारण से इस प्रकार से दागी होती है। यह मैंने हर साल कहा था कि ऐसे सारे दागियों को छांटो जिनकी सर्विस बुक का रिकार्ड खराब है पिछले 5 साल का, 10 साल का और उनको घर रवाना करो। उसकी नौकरी 10 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, दया करने से यह डिपार्टमेंट नहीं चलता है, मानवीयता बरतनी है तो कहीं और जगह नौकरी लगा देना लेकिन पुलिस के लायक वह आदमी नहीं है। इसलिए ये जो जितने भी दागी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोग हैं इनको हर साल मार्च और अप्रैल में स्क्रीनिंग करके सीधा अपने घर नौकरी से हटाकर के भेजा और उनको घूमता हुआ कोई दूसरा देखेगा तो निश्चित रूप से उस दूसरे को भी अक्ल आ जायेगी कि पुलिस में केवल निलम्बन ही नहीं होता है, नौकरी से घर जाने की स्थिति भी बन जाती है।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि नकली नोटों का प्रचलन काफी हो रहा है। अब नकली नोट के प्रचलन में हम रोजाना एक बहाना बनाते हैं कि यह तो बोर्डर से आता है, बोर्डर से आता है। बोर्डर से नहीं आता है। यह आपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि जितने जिलों में ये जो 34 केस बने हैं इनमें लगभग 16 जिलों में नकली नोटों के केस बने हैं। आपके थानों में एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद भी अगर इसका सारा रिकार्ड देखो तो पकड़े कितने गये हैं? पकड़ने के बाद भी कम से कम कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको आप फास्ट ट्रेक में डालो। हमने एक योजना बनाई थी, मैंने केस आफिसर स्कीम लागू की थी और उसमें हमने कहा कि यह मुकदमा है, यह व्यक्ति जब तक इसमें सज़ा नहीं मिलती है यह इसका पीछा करेगा। मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं पर मैं अपने मन के दर्द से कह रहा हूं कि जब मेरे समय में 7 साल की बच्ची का पाली में अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और मार दिया गला घोंटकर कोई 8 साल की बच्ची, कोई 10 साल की बच्ची का रेप करता है, मार देता है तो हमने उसके लिए अपने अधिकारी, अपने आफिसर को जिम्मेदार बनाया कि ऐसे मुकदमे में 7 दिन में चालान होना चाहिए। 7 दिन में चालान हुआ और मुझे कहते हुए खुशी है कि उनमें से अधिकांश को एक महीने से तीन महीने में सब को आजीवन कारावास की सज़ा मिली जिनको जेल में जाकर के आज भी संभाल सकते हो कि उन सारे के सारे अपराधियों को निश्चित रूप से जेल हुई। न एविडेंस बदल सकता है, न और कुछ। फास्ट ट्रेक में भी डालो, केस आफिसर स्कीम में भी डालो, किसी अधिकारी को उसका पीछा करने के लिए लगाओ तब जाकर के हम उसको रोक सकते हैं।

इसी प्रकार से यह नकली नोट वाला प्रकरण है। यह सामान्य नहीं है, यह सारी की सारी अर्थव्यवस्था को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर के इसका सोर्स पकड़कर के उनको भी फास्ट ट्रेक में डालकर के आप इसमें वो सारा करने का प्रयास करें यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं जेल के मंत्री जी से भी निवेदन कर रहा हूं और इसमें समस्या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दूसरी है। आप केवल जेलों में प्रहरी का दोष निकालते हो पर आपने कभी नहीं देखा कि वहां स्ट्रेंथ कितनी है, आपके कैदी कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है। उसके डेढ़ गुना आपके पास कैदी हैं और संख्या आपकी 2,900 समथिंग है। जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से आपके 800 पद खाली हैं यानी 30 प्रतिशत पद खाली हैं। 30 प्रतिशत पद खाली होकर के आप उससे कहो कि वो रिजल्ट दे तो वह क्या रिजल्ट देगा? जेल में दो आदमी नहीं, एक है। वह घर रोटी खाने गया तब तक जेल सूनी पड़ी है। भगवान भरोसे नहीं चलेगी तो और किसके भरोसे चलेगी? इसके लिए नियमित नियुक्ति नहीं करते हैं। फाइनेंस को भेजते हैं तो कभी कहते हैं कि इसमें होम गार्ड लगा दो, कभी कहते हैं कि रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन को लगा दो, कभी कहते हैं कि इसको लगा दो। क्या ये जेल संभाल सकते हैं? क्या जिम्मेदारी है उसकी अगर कहीं भी कुछ हो गया तो? नौकरी में जो एक आदमी होता है उससे अगर गलती हो जाती है तो उसको एक डर रहता है कि घर जाना पड़ेगा, बच्चे भूखे मर जायेंगे, तो ठीक प्रकार से ड्यूटी देगा। इसलिए जेल में चाहे आप, आज जिस प्रकार इतना अनर्थ है कि देखकर के भी लगता है कि आखिर हम इतने सब लोग, पहले तो वो अपराधी आता है, फिर वहां आकर के आजकल उन्होंने सुरक्षित स्थान बना लिया जेल को। जेल के अन्दर जाकर के बंद हो जाते हैं और वहां से सारा का सारा मानिटरिंग करके बाहर अपराध क्रियेट कराते हैं, बाहर लोगों को मरवाते हैं। एक नहीं, कितनी घटनाएं हो गईं लेकिन हम उसमें कोई इंतजाम नहीं कर पाये। आज वहां जिस प्रकार से ड्रग जा रहा है और आपने देखा कि जो दादा लोग हैं न वो हमारा जो नया प्रहरी जाता है.....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय कटारिया साहब, मोबाइल हैं जेल में।

श्री सभापति: आपका नम्बर है, न माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप जिस तरह से बोल रहे हो न उससे मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिल रही है लेकिन आप कर नहीं पाये इसलिए मेरी आत्मा को दु:ख भी हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका नम्बर है बोलने का।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप कर नहीं पाये। आप कोशिश तो बहुत करते थे लेकिन आप दब जाते थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, मैंने मेरे टाइम पर भी 250 की भर्ती...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मुझे मालूम है, पर कर नहीं पाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी भर्ती नहीं हुई।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यहां जो भाषण देते हैं अगर यह इम्प्लीमेंट हो जाए न तो सारा सिस्टम ठीक हो जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आज की तारीख में आपके जो अपराधी हैं वो जेल में सुरक्षित हैं और वहां बैठकर के अपराध क्रियेट कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं मान रहा हूं, आप बोल रहे हो न तो आपकी आत्मा तो बहुत शुद्ध है लेकिन आपकी कलम कठोर नहीं थी। आप बोलते तो बहुत शुद्ध बोलते हो और आपकी भावना भी अच्छी है, मैं मानता हूं पर होता नहीं है इतना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सदस्य, जो मेरे से प्रयत्न हो सका उसके लिए बराबर प्रयत्नशील रहा। इतना मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने प्रयत्न में कहीं कोई कमी नहीं की। जहां भी, जिस क्षण भी मेरे से मदद, जिस बात के लिए जिससे भी जाकर के मुझे लड़ना पड़ता, मैंने बराबर कोशिश की और इसको सुधारने की कोशिश की।

आपने देखा होगा कि 5वां वेतन आयोग जब लगा, मंत्री जी, मैंने भी इसको आगे बढ़ाया और यहां तक कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में हो गया लेकिन फिर भी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता नहीं है। पहले कांस्टेबल और प्रहरी का वेतन एक था पर आज की तारीख में प्रहरी का वेतन बिल्कुल कम है। आखिर वह भी तो अपने बच्चे पालेगा। जब आप उसको तनख्वाह भी नहीं देते हो, उसको 5वां और छठा वेतन आयोग लग रहा है, कोर्ट से जीतने के बाद भी, सारे प्रयास करने के बाद भी मैं चाहूंगा कि जो भी डीजी, जेल हैं और, मंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं कि यह अन्तर आप मिटाइये क्योंकि दोनों के बीच में पे का इतना बड़ा अन्तर हो गया कि किसी को इसका चार्म ही नहीं रहा। आज जो भी सलेक्शन करते हैं हाईएस्ट पोस्ट पर वो सब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

छोड़कर आ जाते हैं, कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि पे स्केल में इतना बड़ा अन्तर हो गया। इस पे स्केल के कारण से कोई करोड़ों रुपये का घाटा नहीं होगा, 2-5-10 करोड़ का अगर घाटा हो जाता है तो कम से कम जेल के आधार पर जहां हम इन क्रिमिनल्स को ठीक करना चाहते हैं, उनके जीवन को सुधारना चाहते हैं, यह उसकी जिम्मेदारी है।

इसी तरह से हमने देखा होगा कि ओपन जेल जितनी भी हैं, ओपन जेल के हमारे परिणाम अच्छे हैं लेकिन पिछले सालों में जो फरारी की आपके पास लिस्ट आई है, उसमें ओपन जेल से भी फरारी हुई है। इसके बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और यह जो फरारी होती है, यह कोई किसी के अनजाने में नहीं होती है। मुझे तो दु:ख इस बात का है कि यह जेल डिपार्टमेंट के लिए मैंने भी खूब कोशिश की, इसमें किसी की पदोन्नति होती नहीं है क्योंकि एक भी फाइल सही-सलामत नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो चार्जशीटेड नहीं हो। सारा का सारा डिपार्टमेंट चार्जशीटेड है। इसका जब तक कोई इलाज नहीं होगा, आखिर तब तक इनके प्रमोशन क्या होंगे? मतलब कहीं न कहीं, किसी न किसी पर, कभी न कभी, कोई न कोई ऐसा आरोप लगा जिसके कारण से सारे के सारे चार्जशीटेड हो गये और उसके कारण से नहीं रहा।

यह जो अपना ए.सी.बी. है, पहले ही आपके पास एक अच्छा हथियार है कि राज्य कर्मचारी को और बाकी लोगों को जो रिश्वतखोरी करते हैं या और कुछ करते हैं, उनको हमें कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है। डिपार्टमेंट कोशिश भी करता है, लोगों को पकड़ता भी है और अख़बार में पूरा आधा पेज आता है कि जो यह आर.ए.एस. अधिकारी 50 करोड़ रुपये का मालिक है, इसका यह हिसाब, यह हिसाब। फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आपके जमाने में भी और मेरे जमाने में भी है। मैं कोई अपने आपको बेदाग नहीं मानता हूं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इन सबका जब भी चालान पेश करने के लिए सवाल आता है, सारा केस कम्प्लीट करके, तैयार करके डिपार्टमेंट भेजते हैं तो या तो वह अधिकारी लेकर बैठ जाता है या फिर बचा-खुचा आपका कार्मिक विभाग है, जो आपके पूरे के पूरे जितने भी अधिकारी हैं। जब आप जवाब दो न तब बतायें कि कार्मिक विभाग के पास पिछले पांच साल से कितने लोगों को चालान करने के लिए कितनी फाइलें पड़ी हैं? और आज दिन तक उनको चालान करने के लिए स्वीकृति कार्मिक विभाग ने नहीं दी या संबंधित विभाग ने नहीं दी। क्या सुधारोगे, कैसे सुधारोगे?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहली बात तो यह है कि कार्मिक विभाग और संबंधित अधिकारी, ठेठ इस सीमा तक पहुंचना और चालान की स्टेज लाना, यहां अपने इस प्रदेश में और अपने इस देश में दुर्भाग्य से बहुत कठिन होता है और फिर थोड़ा-बहुत हो जाता है, उसके बाद भी अगर यह दोनों विभाग कुंडली मारकर बैठ जाये और यह देखें कि कब रिटायरमेंट हो जाये और कब इसको मुक्ति मिल जाये, उसको तीन साल कैसे गुजर जाये, उसकी पेंशन कैसे मिल जाये, इसको निश्चित रूप से सीरियसली देखें।

मेरी तो मंशा यह है कि इसमें राजनेता और जन-प्रतिनिधि भी आने चाहिए। उनके खिलाफ भी केस बनना चाहिए कि आखिर वे भी तो जनता की गाढ़ी कमाई को खाते हैं, बैठते हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी क्यों नहीं केस बने? हमारे ऊपर भी बने अगर हम मिस्यूज करते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा कमाते हैं। मैं तो चाहूंगा कि अब जन-प्रतिनिधि को पांच साल का नहीं, हर साल अपना एकाउंट निश्चित रूप से देना चाहिए कि मेरे पास यह है और यह आज की तारीख में है,तब तो हम जनता को कहेंगे, अधिकारियों को कहेंगे। हम पाक-साफ नहीं तो हम अधिकारियों को क्या कहेंगे और क्या उनके बारे में हम सोच सकते हैं? इसके बारे में बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

इधर विधि विज्ञान प्रयोगशाला है अपनी, कम से कम आज हम ऐसी स्थिति में आये हैं कि अब हमारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला काफी अच्छी स्टेज में आई है। स्टेट में जो हमारी है वह डी.एन.ए. टैस्ट के बारे में हमने कोशिश करके कुछ किया। हमारे सैम्पल हैदराबाद जाते, समय लगता लेकिन अभी भी वह कम्प्लीट नहीं है, अभी भी उसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं सोचता हूं कि सब प्रकार से उनको साधन देने के बाद भी अभी तक नहीं लगा। चार संभागीय केन्द्रों पर हमारी जो क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं बनाई हैं, उनका काम अभी कोई संतोषप्रद नहीं है। इसी तरह से हमने 30 मोबाइल नहीं, 34 मोबाइल दिये। प्रत्येक जिले में एक मोबाइल जरूर दिया है, जो उस तारीख में तुरन्त अपने अच्छे तो वहां पर एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से हमने ऐसे-ऐसे केस में सज़ा दिलाई है, फांसी की सज़ा दिलाई है, जिसके एविडेंस कहीं मिलते नहीं है। सारे एविडेंस बदल गये, उसको भी हमने इन प्रयोगशाला के माध्यम से आगे बढ़ाया है। लेकिन इसका जब चार्ट मेरे सामने आया; मंत्रीजी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, इस चार्ट को देखो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहले हमारे पास लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड प्रयोगशालाएं थीं। आज की तारीख में 34 मोबाइल हमारे पास हैं। चार संभागीय केन्द्रों पर हमारी यूनिट्स पूरी बनी हुई हैं। यहां पर सेन्टर, हमारी एफ.एस.एल. की यूनिट है, वेल-इक्विप्ड यूनिट है और उसके बाद भी हर साल में जितने केस आते हैं, उससे भी कम हमारा डिस्पोजल है। जो पेंडेंसी है, वह बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? निश्चित रूप से मैं आपसे चाहूंगा कि आप देखें कि यह एक साल में इस पेंडेंसी को खतम करके जीरो पर कैसे लायें 2011 में। तब जाकर के आपको लगेगा कि वास्तव में जिसको सज़ा मिलनी है, कई तो इसका फायदा उठाकर के और अपने आपको बरी कराकर चले जाते हैं। मैं, सभापति महोदय,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 41 मिनट हो गये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं दो मिनट में कर रहा हूं।

इसी तरह से यह जो आपके होम गार्डस हैं, मैं सोचता हूं, होम गार्ड से जितना काम हम लेते हैं, हमारे होम गार्ड बाकी प्रदेशों में भी गये हैं एवं अच्छी ड्यूटी देकर के सर्टिफिकेट लेकर आये हैं। हमारे होम गार्ड ट्रैफिक में लगे हैं, बाकी में लगे हैं। मेरा आग्रह है, आप जब घोषणा करो ना हमने 75 रुपये से 120 रुपये पर लाकर छोड़ा, मैं चाहूंगा कि कम से कम इसको 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिले। इतना तो कम से कम मिले। एक मिनिमम वेज के आधार पर कम से कम इनको मिले...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह तो गत वर्ष ही कर दिया है। गत वर्ष ही कर दिया 150 रुपये तो। पहले ही कर चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह आपका इसमें था नहीं। हो सकता है, जो कागज आपने दिया है, वह शायद मैंने देखा नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह 150 रुपये तो पिछली बार ही कर दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): धन्यवाद, और आगे बढ़िये। और आगे बढ़िये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब फरमाओ आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जितना बढ़ा सकते हैं, कम से कम 175 रुपये कर लो, इतने घंटे ड्यूटी देते हैं। एक तरह से पुलिस का काम वह करते हैं। निश्चित रूप से उसमें भी आप आगे बढ़िये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से अभियोजन के बारे में, आप इसकी मोनिटरिंग करिये। अभियोजन के बारे में आपके ए.पी.पी. फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड हैं। इसमें लिस्ट देखो कि कितने मुकदमे वह लड़ा, कितने मुकदमों में इसने सज़ा दिलाई और कितने मुकदमे बेकार गये। हमारी सज़ा का परसेंटेज यद्यपि हिन्दुस्तान की सज़ा के परसेंटेज से आगे है, हिन्दुस्तान में सज़ा का परसेंटेज 34 से लेकर 40 के बीच में है और हमारा 59 परसेंटेज तक गया है, यह सज़ा का परसेंटेज और बढ़े, इसकी मनिटरिंग की आवश्यकता है।

मैं एक बार फिर, मैं केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं कि कानून-व्यवस्था खराब है पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह जो पुलिस में पोस्टिंग करते हैं ना आप राजनैतिक आधार पर, इसको हटाओ। तो जरूर अगर इनकी कमी-दोषी है, या कुछ भी लगे, तो हटाने का अधिकार सब एम.एल.ए. को है, पर लगाने का अधिकार किसी एम.एल.ए. को मत दो। नहीं तो अपनी कानून-व्यवस्था, आप मर भी जाओगे तो भी आप इसको नहीं सुधार सकोगे। यह कड़वा घूंट जरूर पीना पड़ेगा। बेईमान और खराब आदमी हैं, उनको हटाओ इनकी राय से लेकिन लगाओ अच्छे, उनके गुणों को देखकर, उनकी सर्विस-बुक को देखकर।

दुर्भाग्य से आज जयपुर जो नम्बर तीन पर है अपराध की दृष्टि से, 35 सालों में जो आया है ना, उसका एक मात्र कारण है, कि यहां सारे के सारे ऐसे लोग बैठे हैं, जिनसे जयपुर की कानून-व्यवस्था नहीं सुधर सकती। यह आपके और मेरे, दोनों पर कलंक है। उसके लिए मैं कहता हूं, यहां अच्छे से अच्छे आफिसर लगाइये, आपको जहां से भी मिलेंगे, उनको सलेक्ट करके यहां लगाकर कानून-व्यवस्था को सुधारें। ये जिस प्रकार की घटनाएं रोज आये दिन हमारे सामने हो रही हैं, मैं कह रहा हूं, उनको अवार्ड दीजिये, जो अच्छा काम करके आते हैं, प्रमोशन दीजिये उनको, गेलेंट्री प्रमोशन दीजिये। सिफारिश के आधार पर गेलेंट्री प्रमोशन नहीं हो। दुर्भाग्य से होता यह है कि गेलेंट्री प्रमोशन में भी सिफारिशी घुसकर आगे निकल जाते हैं और जो काम करता है वह रोता रहता है। यह नहीं होना चाहिए। ऐसा परफेक्ट हो, जिससे काम के आधार पर उसको गेलेंट्री प्रमोशन मिले। एक साल में एक नहीं, दो-दो प्रमोशन भी अगर वह उस लायक हो तो उसे मिलने चाहिए ताकि आगे मूर्ति चोरी के बारे में और बाकी सब के बारे में है, दुनिया भर के हैं, मैं सोचता हूं, इसके बारे में गहराई से विचार करें। यह निश्चित है, इन वर्षों में कानून-व्यवस्था की दृष्टि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से, अपराधों की दृष्टि से 18 से लेकर 20 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, इसको कम करने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: यह जो पुलिस अधीक्षक के लिए +++ शब्द है, उसको एक्सपंज कर देना आप। और कोई कभी ऐसी टिप्पणी हो जो संसदीय नहीं है, उसको स्वत: ही आप कर देना।

श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मांग संख्या 16 और 17 पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

माननीय सभापतिजी, राजस्थान एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य रहा है। पिछले कुछ सालों में इसकी जनसंख्या अत्यधिक पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदमी आ गये या दूसरे राज्यों से यहां पर आदमी आये हैं। बहुत दिनों से इस संबंध में विचार-विमर्श चल रहा है कि यहां शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए, पुलिस को सशक्त करने के लिए, लोगों में अमन-चैन को रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायें। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार दृढ़ता से यह तय किया कि जोधपुर जहां पर अन्तरराष्ट्रीय सीमा लगती है और जुर्मों का, उग्रवादियों का और नशीले काम करने वाले लोगों का आना-जाना रहता है, वहां उस शहर में उन्होंने पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया जयपुर शहर जिसका पूरी दुनिया के नक्शे में एक अलग महत्व, स्थान है और जहां पर अपराध की दुनिया में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी, वहां पर भी उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की व्यवस्था की। इस बात के लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, बातचीत करने से, आरोप-प्रत्यारोप लगाने से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। किसी एक संस्था को आरोपित करने से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता। अभी मैं सुन रहा था, 38 साल सर्विस कर यहां आया, सोचता था कि यहां आने के बाद लोग सच बोलेंगे, सही बातें सामने रखेंगे एवं एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। एक पद से स्थानांतरण पर दूसरे दफ्तर में जाते, मालूम पड़ता था कि जाने वाला सत्यानाश कर गया। वह की वह स्थिति यहां चालू है। अभी माननीय पूर्व गृह मंत्रीजी बातचीत कर रहे थे, उनकी भाषा और शैली जैसी मैं बोल नहीं सकता,

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मैं इतना ट्रेंड हो नहीं सकता, मैं तो नया आदमी आया हूं मगर हर चार बात के बाद में एक बात यह कह देना कि आपकी शांति व्यवस्था तो बहुत खराब है, हमारे ऐसी थी। मैं आपको यह याद दिला देना चाहता हूं कि पहले जितनी भी बातें कीं, हमने बटालियन की तय की थी, हमने लोगों को पैसा देने का तय किया था, हमने यह बंद करने का तय किया था; तय तो आपने एक नहीं, हजार किया था, एक श्वेत पत्र निकाला जा सकता है, एक किताब निकाली जा सकती है। हकीकत में क्या किया, हकीकत में हमने तय किया है और याद रखिये कि जोधपुर में और जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली चालू होकर रहेगी और जो लोग-बाग़ अपराध की दुनिया में यहां पर साम्राज्य जमाये बैठे हुए हैं उन लोगों से निबटने के लिए विशेष अधिकार देकर के, विशेष साधन उपलब्ध कराये जाकर के लोगों को शांति और अमन के रास्ते पर चलाया जायेगा।

माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सरकार को मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लोगों ने औरों ने भी काम किया, हम भी उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ईमानदारी से तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में अन्तरराष्ट्रीय पुलिस के मुकाबले में कार्य सुधार के लिए 2007 में केन्द्रीय सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस बैठक में यह तय किया था कि हर राज्य नयी टेक्नालाजी अपनाने के बाद अपराध रोकने में किस तरह से एक ऐसी व्यवस्था दी जाय कि दुनिया के सामने यह देश, उसके प्रदेश आदर्श हों। उस व्यवस्था में राजस्थान के बारे में तय किया गया था, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट तय करने के लिए यह तय किया गया था कि अगर राजस्थान को एक आदर्श पुलिस व्यवस्था सम्पन्न एक राज्य बनाना है तो उसके लिए हर वर्ग में, नीचे वर्ग से लेकर ऊपर तक पच्चीस हजार व्यक्तियों की नई भर्ती करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते तब भी हमको यह करना पड़ेगा कि यह इस तरह के कुछ थोड़े, कई स्टेजेज में वह स्ट्रेंथ रखें ताकि एक छोटी से छोटी यूनिट में भी जाकर के हम यह करने की कोशिश करें और हमारा राज्य पूरे हिन्दुस्तान में एक आदर्श प्रणाली से अपराध रोकने की दिशा में प्रगति करे।

माननीय सभापतिजी, अभी पूर्व गृह मंत्रीजी ने बड़ा अच्छा लच्छेदार भाषण दिया और यह बताने की कोशिश की कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रशासन दिया मगर मैं याद दिला देना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

अगर शराब पीता है निकालो +++ शब्द से दो दिन में बड़ी मुश्किल से अपने को मुक्ति मिली है, आप एक उदाहरण बता दो कि आपने शराब पिये हुए एक व्यक्ति को, थाने में अपने कर्मचारी की पिटाई करते हुए लोगों को, जो कई केस मौजूद हैं, एक भी आपने निकाल कर बता दिया हो। कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। अगर हमको व्यवस्था सुधारनी है लॉ एण्ड आर्डर की तो, एक व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं कर सकते। अधिकारी ही जिम्मेदार नहीं है, जनता ही जिम्मेदार नहीं है, राजनेता भी जिम्मेदार हैं। उसके बारे में मैं आज यहां कहना चाहता हूं क्योंकि मैं हर क्षेत्र से, हर जगह रहकर के आया हूं, जब तक इस राज व्यवस्था को सुधारा नहीं जायेगा पूरी तरह से, जब जन सहयोग, अधिकारियों का सहयोग और जन नेताओं का सहयोग, यह तीनों अगर मिला तो निश्चित रूप से हम कुछ करने में समर्थ हो पायेंगे।

मानीनीय सभापतिजी, यह एक्सीडेंट की बातचीत चल रही है कि इसको पुलिस रोके, और दूसरे रोकें। मैं चूंकि उन विभागों से वर्षों से संबंधित रहा हूं, मोटर व्हिकल एक्ट में ओवरलोड को चालान करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। हम जब अधिकारी लगाते हैं कि पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर इस बात को रोके तो वह इसलिए नहीं रोक सकते कि उनको अधिकार नहीं है। इस बात पर वर्षों से हम बातचीत करते आ रहे हैं हर साल मीटिंग में और हमको यह चाहिए कि हम इस बात पर सोचें कि अगर हम ओवरलोड को रोकना चाहते हैं, हम एक्सीडेंट्स को रोकना चाहते हैं तो बात तो हम छोटी करते हैं, जो सही भी है कि ओवरलोडिंग के पीछे आप रिफ्लेक्टर लगा दीजिये, मगर यह छोटी सी बात, आप लगाकर देख लीजिये, फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं होगी जब तक आप ओवरलोडिंग को रोकने, करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके एक्सीडेंट और जो लोगों की मौत होती है वह कभी बंद नहीं हो सकती।

अखबारों की कटिंग की बात आई कि अखबारों में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें आती हैं पर उन अखबारों में जो खबरें आती हैं वह वाकई में लोगों की बातों को बढ़ाने के लिए आती है। मगर हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार ने पहले यह किया कि पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन लोगों को कहां-कहां लगाया जाना चाहिए उसकी एक नीति तैयार की, किन-किन अधिकारियों को किन-किन क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए वह

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

नीति तैयार की और उसके द्वारा हमने पहली बार एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसे अधिकारी ऐसे-ऐसे क्षेत्र में लगाये जायें जहां पर वे ठीक तरह से काम करें और नान-कम्युनल हों। याद रखो, पिछले दिनों में जेल में एक केस हुआ था। नमाज पढ़ने के लिए लोगों ने प्रार्थना की, जेलियों, कैदियों ने की कि नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाय, मगर वह कम्युनल विचार के लोगों ने किस तरह से उनकी पिटाई की और उनके साथ में क्या किया, एक बड़ा जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया और सरकार को बदनाम किया। मैं बधाई दूंगा मुख्य मंत्री को, गृह मंत्री को कि तुरन्त कार्यवाही की, उनको हटाया और उनको सस्पैण्ड किया, दूसरी जगह लगाया और एक ऐसा माहौल पैदा किया कि इस राज्य में भाईचारे की मिसाल रख कर के जब तक हम आगे बढ़ेंगे तब तक कुछ गलत नहीं होगा।

जुलूस की बात पर अभी पूर्व गृह मंत्री ने कहा मगर याद रखें जब हम छोटे थे, गिनती-गिनती के जुलूस सड़कों पर निकला करते थे। कोई यह बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी शोभा यात्राएं कहां से आ गयीं। महापुरुष हैं, उनकी बड़ी सभाएं करवाइये मगर उसका प्रदर्शन शहरों में क्यों हो, नाचने-कूदने की वहां पूरी उनमें क्यों हो? इनको रोकने के लिए हमने कभी बातचीत नहीं की, कभी कोई कानून बनाने की बात नहीं की कि हम उनका कानून बनायें और उनको जहां उनका निश्चित स्थान है वहीं जगह दें बजाय लम्बा-चौड़ा चलने के। कोई दिन ऐसा नहीं निकलता 365 दिन में जब कोई न कोई यात्रा नहीं निकलती हो और कोई न कोई शोभा यात्रा नहीं निकलती हो, कोई न कोई जुलूस नहीं निकलता हो। कोई त्यौहार मनाने के मैं खिलाफ नहीं हूं मगर मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि सैकड़ों आदमियों की शांति व्यवस्था को भंग करके इस तरह की व्यवस्था होती है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। इसमें कई तरह की बातचीत दूर करने में लगेंगी। एक माडल एक्ट बनाने की बातचीत की कि हमने एक माडल एक्ट बनाया। कहां है माडल एक्ट । आपने तो बहुत कुछ बनाया, आपने बहुत कुछ किया, आप बहुत कुछ घोषणाएं करके चले गये, है कहां? क्या किया? कौन सा करके दे दिया? मैं आपको बताऊं, बातचीत में ऐसा लगा, हमने सख्ती की हर जगह। हमने हमारे टाइम में, पांच साल पहले भी जहां भी कुछ इस तरह की गड़बड़ियां हुई और कुछ आंदोलन निकले, हमने सख्ती का, कर्मचारियों के प्रति सख्ती की और तुरंत हटाया, मगर यह माडल एक्ट कहां बन रहा है, कहां दिख रहा है, कहां उसमें कार्यवाही की आपने? वह कहीं आपको दिखाई देने की बात नहीं हुई।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

आपने एक बात कहने की बात रखी कि मेरे ऊपर कलंक लगा और मुझे सज़ा दीजिये वह आप व्यक्तिगत जिम्मेदार नहीं हैं, एक व्यवस्था जिम्मेदार होती है, सरकार जिम्मेदार होती है। आप खुद अकेले उसके दोषी नहीं हैं, मगर पूरा राजस्थान, पूरा हिन्दुस्तान इस बात को मानता है कि उस आंदोलन के बीच में जरूर कुछ न कुछ सरकार की गलती रही थी। 70 आदमी मर जायें, हम घर बैठे रहें, हमें कुछ पता नहीं रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिम्मेदारी होती है। याद रखिये, हम भी यहां, आपके यहां पर भी और प्रदेश की कई जगहों में भी रहे, हमने पूरी कोशिश की है कि स्थिति बिगड़ने से पहले अगर आपने प्रिकाशंस ले लिये होते प्रिकाशनरी मेजर्स ले लिये होते तो इतनी खतरनाक स्थिति नहीं होती। उसके बाद भी आंदोलन चला, हमारे टाइम पर अभी चला और वही आमना-सामना हो गया। हमने बुलाया, बातचीत की और बातचीत करने के बाद में वह संभला। मैं कोई बहुत बढ़िया...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): पुलिस वालों का क्या किया आपने?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अब हमने जो किया, बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): हमने अब भी करा और अब भी करेंगे। अब भी हम कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): तो हम यह बता रहे हैं कि हमने

(समय : 15.00 बजे)

झगड़ा नहीं होने दिया, हमने आदमी नहीं मरवाये, हमने कत्ल नहीं करवाये, हमने घर बर्बाद नहीं किया, मां-बहिनों, बेटियों के सुहाग नहीं लुटने दिये हमने और बाद में भी नहीं लुटने देंगे और आपको अधिकार भी दिलावाएंगे। यह याद रखना आप, ईमानदारी से जो वायदे किए उसको पूरा करेंगे।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था हम कितने शक्तिशाली हैं और हम कितने शक्तिशाली नहीं है, कोई लम्बी चौड़ी बात मैं व्यक्तिगत नहीं करना चाहता, अगर मैंने अख़बार में यह पढ़ा है कि काहे का गृह मंत्री हूं, मैं एक

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

कॉनिस्टेबल का तबादला नहीं कर सकता। हम भी बहुत छोटे अधिकारी रहे हैं परन्तु जहां भी हमने शराब पीते हुए दफ्तर में आदमी को देखा, उसी वक्त निकाला, चाहे बड़े आदमियों का रिश्तेदार हो, चाहे किसी का भी हो शराब पीकर के थानों में जो भी आदमी बैठेगा, शराब पीकर के जो भी ड्यूटी पर जाएगा दंडित होगा।

पिछले दिनों डी.जी. की एक बात की मैं तारीफ करना चाहूंगा और कुछ अधिकारियों की भी तारीफ करना चाहूंगा इन्होंने यह तय किया कि ये जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक रात अपनी बितायें और देखें कि क्या स्थिति हो रही है ताकि लोग उनकी बात कह सकें। काश, अगर इस बात को यह लागू कर दें और ईमानदारी से जाने लग जाएं तो वे गरीब जो बड़ी जबरदस्ती से पिसते हैं चौकियों में और थानों में और आसपास में, जिनकी समस्याएं होती हैं उनकी समस्याएं दूर होने में कोई बड़ी बात नहीं होगी और उसको आप निपटाने की कोशिश करेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सुविधाएं और आदमी बढ़ाने की सख्त जरूरत है पुलिस में। सुधार तय करने की पुलिस में बहुत सख्त जरूरत है। उनको साधन उपलब्ध करवाने की बहुत जरूरत है। मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि जो कमाण्डो की ड्यूटी देते हैं, उस आत्मघाती हमलों में उनकी मौत हो जाती है, पहली बार हमारी सरकार ने यह तय किया कि उन लोगों को जैकेट देंगे सुरक्षा के लिए ताकि वह उस खतरे से बच सके और सारी बात यह कर सके।

पिछले साल के मुकाबले में इस एक साल शांति और व्यवस्था में बड़ा फर्क आया है। मैं सवाई माधोपुर से आता हूं। सवाई माधोपुर में जातिगत वैमनस्य इतना जबरदस्त है और इतना जबरदस्त था कि आप देखिए, हैंडपम्प पर पानी भरने जाने आने में, रास्ते में आने जाने में, पूरा जिला आरक्षण की आग से, जातिगत आरक्षण से, अन्य बातों से जल रहा था। आज देखा जाए तो चाहे अधिकारी आप अयोग्य कह दें, मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं उनके कामों की आलोचना भी करता हूं जबरदस्त मगर आज वहां ऐसी स्थिति है कि सारे जो गुंडे जो कुछ भी हैं, वे अपने ठिकाने पर लगे हुए हैं और शांति व्यवस्था है।

यहां आपके जयपुर में पहले जैसी स्थिति नहीं है, जैसी यहां पर थी। एक छोटी बच्ची का मामला, जेल कर दी होगी, मैं बधाई देता हूं मगर एक

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

बात बताना चाहूंगा कि आपके टाइम पर रोजाना यह पढ़ने को मिलता था कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी मौते हो गई। वह बलात्कारियों की तादाद इतनी थी कि आज आप कह रहे हैं, परसेंटेज गिना रहे हैं, मैं ने आंकड़ों के टाइम पर पहले भी कहा था, अगर जब कभी भी आंकड़े की बात आई तो वह भी कर सकता हूं मगर उसमें जाना नहीं चाहता मगर मैं आपको बताना चाहता आम लोग जो महसूस करते हैं राजस्थान के, वे यह महसूस कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले में जाते ही एफआईआर दर्ज होती है और चाहे उसका परसेंटेज बढ़ जाए और कार्यवाही भी होती है। जिस तरह पहले की स्थिति थी, उस समय की स्थिति आज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जेलों के बारे में भी आपको एक बात बताना चाहता हूं। जेल एक ऐसी जगह है जहां पर जब तक आप जनता का, जन प्रतिनिधियों का और अधिकारियों का सहयोग लेकर सुधार की बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यहां बैठ कर के हम आरोप लगा देते हैं, मगर जन-प्रतिनिधियों को भी अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा।

दूसरा, आप पचास तरह की बात बताते हैं मगर खुद हम सहयोग नहीं करेंगे हम में से जाकर के वहां, कई बार अपने आदमी को लेकर के जाकर के, वहां पर एक्सीडेंट की बातचीत चली थी और कहा गया कि यह कभी आपके सामने नहीं आ पाती, यहां पर पचास के करीब जुगाड़ वह चल रहे थे, टकरा गये और पूरे भरे हुए जाकर के टकरा गये। मगर मैं यह भी बात कहना चाहता हूं चाहे आप तारीफ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मानवता खतम हो जाएगी, व्यवस्था खतम हो जाएगी। पूरे अस्पताल में, पूरे पुलिस प्रशासन में, पूरी जनता के लोगों ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने, यहां बैठे हुए हैं अनिल जी, सारे गए थे। इस तरह के लोग लगे हुए थे, बसों का इंतजाम किया हुआ था, आपके जीपों का इंतजाम किया हुआ था ले जाने के लिए। सबके चेहरे लटक रहे थे। 8-10 घंटों तक वह एक एसपी नीचे उतर गया, वहां पर उन लाशों को खींच रहा है। इस तरह की स्थिति देखकर हमने यह महसूस किया कि मेरे क्षेत्र में मानवता जिंदा है, सारे लोग मिलकर के इनके दुःख में दुःखी हो रहे हैं। तो वाकई में ऐसी व्यवस्थाओं से बचना चाहिए। मगर उसके उपाय में इस तरह की बात (व्यवधान) पर इन लोगों की तारीफ करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मुझे बोलने का टाइम दिया, मैं आपकी आज्ञा मानते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल जी सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, प्रदेश में कानून और व्यवस्था कैसी हो? पिछले राज में कैसी रही और अभी क्या हो रहा है, इस विषय पर मैं नहीं जाकर इतना निवेदन करना चाहता हूं सदन में और महात्मा गांधी के उन शब्दों से मेरी बात शुरू करना चाहूंगा जिन्होंने पुलिस के बारे में कुछ सोचा था, एक कल्पना की थी, एक विचार किया था और सह शब्द आपके सामने मैं प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था ''जहां तक पुलिस के कार्य का संबंध है, वह न मुसलमान है, न हिन्दू है और न ही वह सिख है, वह केवल भारतीय है और जो धर्म की ओर ध्यान दिए बिना दुखियों को पूरा-पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं।''

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे प्रदेश में इस बात की सुनिश्चितता की जाती है कि राजस्थान प्रदेश का नागरिक शांति से रहे और शांति से संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करे। सभापति महोदय, पुलिस को एक खाकी वर्दी भी दी गई है। यह वर्दी इस बात का प्रतीक है, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जो अपनी धरती माता की मिट्टी है, उसकी सुगंध के तौर पर यह वर्दी है जिसकी इज्जत बनाए रखें। यह वर्दी जब होती है तो निश्चित रूप से, सभापति महोदय, जब पीड़ित पक्ष के सामने यह वर्दी जाती है, उसको एक विश्वास होता है कि अब मुझे न्याय मिलेगा, उसको आशा की उम्मीद जगती है।

सभापति महोदय, लेकिन पुलिस की जैसी व्यवस्था है, पुलिस के बारे में जैसी जानकारी में है, पुलिस में वहीं व्यक्ति रहेगा जो पोलाइट होगा और ओबिडिएंट होगा, लायल होगा, इंटेलिजेंट होगा, ग्रेकरेजिस होगा, एफिशिएंट होगा। यह छह बिन्दु रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पुलिस का अधिकारी या पुलिस का कर्मचारी कहलाने का हकदार है। जिस जिस पुलिस कर्मी में नम्रता न हो, आज्ञाकारी न हो, विश्वसनीय न हो, होशियार न हो, बहादुर न

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हो और दक्ष न हो यदि एक भी बिन्दु की उसमें कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह पुलिस का अधिकारी है या यह उसके बारे में जो उपधारणा बनी हुई है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था यदि हम यह कहे कि यह पुलिस का ही दायित्व है, ऐसा नहीं है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व जितना पुलिस का है उतना पोलिटिशियंस का भी है, उतना प्रजा का भी है और उतना प्रशासन का भी है। यानी पब्लिक, प्रेस, पुलिस और पोलिटिशियंस यदि यह चारों मिलकर के राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था कायम करने की पहल करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक सकारात्मक पहल आती है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि पुलिस में अपनी व्यवस्था के बारे में कई प्रकार के इन्होंने अपने सैल गठित किये। चाहे वह एटीएस हो, चाहे वह एसओजी हो, चाहे वह सीआईडी हो, ट्रैफिक हो, एसटी/एससी सैल हो, महिला थानें हों, आबकारी हो, जेडीए हो, आरएसईबी हो, यानी पुलिस में हर विभाग पर नजर रखने के लिए इन्होंने अपने-अपने सैल गठित किये हैं। सभापति महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान में जो पुलिस सैल बने हैं जिसमें एसीडी है, ट्रैफिक है, एटीएस है इन्होंने निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं जिन से एक छवि राजस्थान में पुलिस की बनने लगी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का दायित्व है सुशासन और स्वस्थ लोकतंत्र की रक्षा हो। हर पुलिस थाने पर लिखा हुआ है ''हमारे योग्य सेवा'', उसके आगे लिखा हुआ है कि ''हम आपके साथ हैं और आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय हो''। यह स्लोगन पुलिस थानों में सब जगह अंकित किए हुए हैं लेकिन सभापति महोदय, आज यह देखने में मिल रहा है, क्या आम आदमी का पुलिस का विश्वास है? अपराधियों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं, वे कानून व्यवस्था में एक प्रतिशत भी चिंतित नहीं हैं। यह चिंता होनी चाहिए उस स्लोगन से, आम नागरिक को यह विश्वास होना चाहिए पुलिस पर कि निश्चित रूप से उसे न्याय मिलेगा। इस पंक्ति के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस का दायित्व बनता है आम जनता में विश्वास, अपराधियों में भय के साथ-साथ लोकतंत्र एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए जान माल की रक्षा करने का दायित्व पुलिस का है। लेकिन, सभापति महोदय, आज हम देखते हैं न जान सुरक्षित है, न माल सुरक्षित है, न मंदिरों में भगवान सुरक्षित है, गांवों में न मकान

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सुरक्षित है, शहरों में न दुकान सुरक्षित है और न सड़कों पर वाहन सुरक्षित है। यहां तक कि पूरे प्रदेश में इंसान भी सुरक्षित नहीं है। यह व्यवस्था, माननीय सभापति महोदय, देखने को मिल रही है।

सभापति महोदय, यदि हम कहें कि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन आय-व्ययक निष्पादन अनुमान 2010-2011 को हम देखते हैं तो सरकारें भी ऐसी चिंता नहीं करती हैं कि पुलिस को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए। आंकड़ो के अनुमान की मैं बात करुं तो राजस्थान में अधिकारी और कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या 82 हजार 515 है और उसमें वेतन और भत्ते पर बजट का खर्चा होगा 96.61 प्रतिशत और कार्यालय व्यय पर खर्च होगा 0.84 प्रतिशत मात्र। इसके अलावा मशीनरी पर, साजो सामान और संयंत्रों पर 0.28 प्रतिशत और वर्दी पर मात्र 0.57 प्रतिशत, कार्यालय वाहनों पर व्यय 1.23 प्रतिशत और मुद्रण लेखन पर 00.5 प्रतिशत। सभापति महोदय, इन आंकड़ों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो पुलिस व्यवस्था का बजट है, जो निष्पादन आय-व्ययक में अनुमानित दर्शाया गया है, 97 प्रतिशत जो पैसा है वह तनख्वाह पर जाएगा, सैलेरी पर जाएगा और लॉ एण्ड ऑर्डर पर किसकी बात करना चाहते हैं? हम पुलिस को सशक्त नहीं करना चाहते हैं। जैसा आप देखते हैं थानों में 50 लीटर डीजल इनको देते हैं, जबकि खर्च कितना होता है? हम उनको खुली छूट देना चाहते हैं। इस बजट निष्पादन से ऐसा लगता है कि पुलिस की जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार क्यों होता है, पुलिस अधिकारी मनमानी क्यों करता है, क्या उसके पास आवश्यक साजो सामान है, क्या उसके पास ऑफिस में बैठने की कुर्सी है? आईएसओ थाने राजस्थान में स्थापित तो कर दिये परन्तु बिजली का बिल चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, ए.सी. के बिल चुकाने के लिए नहीं हैं। सारे विधायकों ने कम्प्यूटर थाने में दे दिए हैं परन्तु कम्प्यूटर चलाने वाला आदमी उनके पास नहीं है। आखिर वे सारी व्यवस्था कहीं-न-कहीं से करते हैं। यही कारण है कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उनको काम चलाने के लिए अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है। अपराध के आँकड़ों की बात करना चाहूंगा। हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ने सारी जानकारी दी है लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अशोक गहलोतजी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासन में चारों तरफ ताण्डव नृत्य था, महिला सुरक्षित नहीं थी, आम आदमी सुरक्षित नहीं था। इस राम राज आने के बाद, सभापति महोदय, 32.32 प्रतिशत तो एससी एसटी के केसों में वृद्धि हुई हैं। कितना सुरक्षित है एससी-

(श्री प्रभुलाल सैनी)

एसटी का व्यक्ति? दूसरा, सभापति महोदय, अपहरण, 363, 366 आईपीसी की जो घटनाएं हैं उनमें 23.99 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं और महिलाओं के 498-ए मुक़दमों में 27.83 प्रतिशत वृद्धि हुई है राजस्थान में। इस बात पर हमको चिंतन करना चाहिए, इस पर हमको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पुलिस की गिरती छवि के बारे में। हम सबको चिंतन करना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डीजीपी साहब को, इन्होंने एक कार्यक्रम में पुलिस की गिरती छवि के प्रति चिंता की निश्चित रूप से उनके जहन में, उनके मन में इस बात की चिंता हुई कि राजस्थान में दिनोंदिन पुलिस की छवि गिर रही हैं। उन्होंने खुद ने माना है। यहां तक सभापति महोदय, कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने भी अपने विचार प्रकट करके यह कहा है कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ, सभापति महोदय, इस पुलिस की व्यवस्था में सकारात्मक मानसिकता नहीं है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत महसूस की गई है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल ज्यूरिस्ट लुरिस्प्रडेंस की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मेडिकल ज्यूरिस्ट फेंडेंस में अपराध के मानसिक तत्व की व्याख्या की गई है और कोई भी अपराध होने के लिए चार तत्वों का उसमें होना जरूरी है। पहला उसका इंटेंशन, दूसरा उसका मोटिव, तीसरा उसका मेंस रिया और चौथा उसकी नालेज। यदि यह चार बातें निश्चित रूप से होती हैं तो यह माना जाता है कि इस अपराधी ने अपराध किया है। लेकिन, सभापति महोदय, इसको कोई नहीं देखता है। आज चार व्यवस्थाएं अपराधियों के मन में तय हुई हैं। किसी भी अपराध निस्तारण, भी मुक़दमे के निस्तारण के लिए चार बातें तय हो गई हैं। पहली पोलिटिकल मैनेजमेंट, दूसरा मनी मैनेजमेंट, तीसरा थ्रेटनिंग मैनेजमेंट और चौथा है उसका सैल्फ मैनेजमेंट। यदि यह चार स्टेजेज से गुजरेगा तो उसको उस मुक़दमे में आगे बढ़ेगा। यदि उसका पोलिटिकल मैनेजमेंट नहीं है, यदि उसका मनी मैनेजमेंट नहीं है, यदि उसका थ्रेटनिंग मैनेजमेंट नहीं है और न सैल्फ मैनेजमेंट है तो निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति को न्याय मिलने में काफी देरी होगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जैसा हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ने कहा, यदि सीओ सर्किल थाना क्षेत्र में शराब के मदिरालय

(श्री प्रभुलाल सैनी)

चलते हों, देशी भट्टियां चलती हो, वहां पर वैश्यालय चलते हों या वहां पर जुए के अड्डे चलते हों और पुलिस को यह पता नहीं हो तो इससे ज्यादा अफसोस जनक नहीं हो सकता और यदि पुलिस को यह पता है कि ऐसा चल रहा है तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। इसलिए इसमें भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। गृह मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान देना चाहेंगे।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में अपराध होते हैं (व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूं, सुनिये आप। राजस्थान में अपराध के बारे में कानून-व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़े नहीं हैं, एक नजीर है, एक तस्वीर है जयपुर की। जयपुर में खाकी वर्दी पर कितने दाग लगे हैं, आप सुन लें मेरी बात को, जिस पुलिस से आशा की जाती है, जिस पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि हमको न्याय दिलायेगी, मांझी जब नाव डुबोये तो उसे कौन बचाये, घटना, पुलिस लाइन में रूरल में आरआई के द्वारा अपनी महिला कांस्टेबल के साथ यदि बलात्कार का प्रयास किया जाता हो तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती।

दूसरा, जयपुर में जैसा सिटी में कहा गया एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। इसी प्रकार साउथ जयपुर में, सिटी में शिप्रा पथ थाने पर, जैसा कि अभी हीराचन्दानी मामले की जो बात कही, यदि उस युवती का पासपोर्ट का वेरीफिकेशन हो जाता तो निश्चित रूप से आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होती। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा सुभाष चौक थाने में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने बिना कारण से युवक को बिठाया और जबरन उसको सात दिन तक टोर्चर किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीजीपी पुलिस को कि उन्होंने उस पुलिस अधिकारी सस्पैंड करके वहां से हटाया। मकान निर्माण में जबरन वसूली के मामले में हिण्डौली मेरे विधान सभा क्षेत्र की तो यह रही एक व्यक्ति को थाने में बिठाया और तीन दिन रख, निश्चित रूप से ऐसा टार्चर हुआ कि और पंखे के लटककर सवेरे मृत मिला और यह कहा गया कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपको कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का चयन करेगा तो क्या थाने में जाकर आत्महत्या करेगा? मैं समझता हूं, इतनी दुखद जघन्य और शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। हमारी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बहुत सारी अनसुलझी यहां की वारदातें हैं जिनके बारे में पूर्व गृह मंत्री जी ने बताया, मैं कहना चाहता हूं कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक नरमुंड काटकर तोहफे के रूप में पुलिस को दिया जाए और पुलिस आज दिन तक उसकी तलाश नहीं कर पाई कि वह नरमुंड किसका था। यह घटना अफसोस की घटना है, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। झोटवाड़ा में रेलवे ट्रैक के नीचे महिला की गला रेती हुई लाश मिले उसका यह पता नहीं लगे कि महिला कौन है, दोषी व्यक्ति कौन है। रोजाना चैन तोड़ने की घटनाएं। नाहरगढ़ में मासूम हर्षित की अगवा कर हत्या कर दी गई, उसकी कोई जानकारी नहीं है। सिटी पैलेस के बाहर चाकू मारकर एक की हत्या कर दी गई, उसका पता नहीं है। बोलेरो वाहन चोरों का पता नहीं। पर्वतीय समाज की जो कल घटना हुई बबली की हत्या, उस प्रकरण में भी अभी कोई कार्यवाही नहीं। सभापति महोदय, सबसे बड़ी दुखद घटना, चित्तौड़ सेन्ट्रल जेल से 23 कैदी फरार हो जाएं और 15 मिनट के बाद पुलिस को उसकी सूचना दे दी जाए और उसके बाद भी आज दिन तक बीस कैदी नहीं पकड़े जाते हो, यह कैसी लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था है। इस पर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। इस पर मनन करना चाहिए।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बातें हुईं, भ्रष्टाचार के लिए निश्चित रूप से राजस्थान में पुलिस सतर्कता दल बना हुआ है और पुलिस सर्तकता दल में एक एडीजी की पोस्टिंग की गई हो मैं यदि आंकड़े की बात करूं जिन व्यक्तियों के खिलाफ परिवाद प्राप्त हुए, जिसमें एफआईआर दर्ज न करने संबंधी, थर्ड डिग्री प्रणाली के प्रयोग करने संबंधी, भ्रष्टाचार संबंधी, दुराचरण संबंधी और डयूटी पर शराब पीकर नागरिकों से दुर्व्यवहार करने के जो प्रकरणों दर्ज हुये हैं इस साल में एक जनवरी 09 से लेकर 31.12.09 तक 128 प्रकरण का फैसला हुआ। मात्र दो व्यक्तियों को, दो कांस्टेबल को सेवा पृथक किया गया और बाकी सभी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया हो ऐसी स्थिति में क्या ला एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है? हम सबको कानून-व्यवस्था बनाने के लिए विचार करना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अपराध क्यों हो रहे हैं, यह पुलिस ही पुलिस का दोष नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक सौ पचास वर्षों से उस कानून को, आईपीसी के जो 1860 में बनी। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बनायी, अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए बनायी, 1860 की आईपीसी, डेढ़ सौ साल से यह पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता उसको झेल रही है। आज भी हम इसको झेलते हैं, यह लोकतंत्र के लिए एक मजाक है। जिस आईपीसी की हम बात करते हैं यह इंडियंस ने नहीं बनायी थी। ब्रिटिश और भारतीय कानून और नियम, लिविंगस्टोन ने कोड आफ लोजियाना और कोड आफ नेपालियन को जोड़ कर आईपीसी बनायी। आज हम लोग उसी आईपीसी के आधार पर पूरे देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। जहां तक सीआरपीसी की बात है 1898 में बनी और उसको 1973 में दुबारा बनाने का प्रयास हुआ। सीपीसी 1480 की है, एवीडेंस एक्ट 1872 का है।

सभापति महोदय, 63 साल जिस देश को आजाद हुए हो गये हों उस देश में डेढ़ सौ वर्ष पुराने कानून पर आज भी अमल हो, अंग्रेज उस समय अत्याचार करते थे, उस कानून को अपने हाथ से वो बनाते थे चाहे एक्सीडेंट का 279, 337, 304ए का रहा हो, चाहे 354 या 354/511 का रहा हो या 161 और 164 के सीआरपीसी के मामले रहे हों इन सारे प्रकरणों में प्रयोग किया था। यह राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन होगा।

मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। कानून-व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, आज की आवश्यकता के अनुसार कानून बनें, तभी जाकर राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति सही बन सकेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री रूपाराम जी डूडी।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16 पर जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं नागौर जिला डीडवाना क्षेत्र से आया हूं और नागौर जिला वैसे अपने आप में शांति बनाये रखने में और कानून-व्यवस्था में अग्रणी जिला रहा है राजस्थान में लेकिन पिछले पांच साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नागौर जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ी। इसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गये हैं। चाहे हथियार तस्करी का मामला रहा हो, चाहे दारू की तस्करी का मामला रहा हो, चाहे अन्य दूसरे अपराधों के मामलें, में

(श्री रूपाराम डूडी)

नागौर जिले में अपराध बढ़े हैं और वह व्यवस्था आज भी वहां पर कायम है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नागौर जिले में जो शांति-व्यवस्था थी, नागौर जिले का जो कल्चर था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत बुरी तरह से वहां पर हालात खराब हुए और वो अभी तक रुक नहीं रहे। इसके लिए मैं आपसे सदन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में एक डीडवाना में गोलीकांड हुआ और उसमें तीन मुल्जिम थे जिन जिन पर एक-एक लाख इनाम हुआ। परन्तु आज तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके लिए मैं सदन के मार्फत उनको गिरफ्तार करने के लिए मांग कर रहा हूं। पिछले दिनों में मैंने एक अख़बार में छपी खबर को भी डी.जी. साहब को मौखिक बताया था जिसकी यह मेरे पास में अख़बार की प्रति है जिसमें उसको यहां से फर्जी पासपोर्ट बनाकर किसी शर्मा नाम से जर्मन भेजने के लिए एक पासपोर्ट और उसका वीजा लगा हुआ है। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हालात जो रहे उसके अन्दर कानून-व्यवस्था में बिलकुल खामियां रही हैं और पुलिस के द्वारा उसके अन्दर नहीं के बराबर प्रयास किये गये हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उस व्यवस्था में सुधार लाने की बहुत ही अत्यावश्यक जरूरत है।

इसी तरीके से आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे डीडवाना क्षेत्र में एक 302 का खुणगरा थाने में मुकदमा हुआ और उसमें भी आज तक पुलिस नामजद मुल्जिम को एक साल बाद भी कोई भी तय नहीं कर पायी है। यह कानून की खिल्ली उड़ायी जा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस व्यवस्था में सख्ताई लाकर 302 जैसे मुकदमे में किसी मुल्जिम को नामजद नहीं करना पुलिस के लिए शर्मनाक बात है।

इसी तरह से मैं आपको निवेदन करूं कि तीन-चार लड़कियों की फिल्में बना करके उनके साथ में कई लोगों ने खिलवाड़ किया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मुझे यहां तक कहने में कोई हिचक नहीं है कि उन लड़कियों को बरामद करने के लिए सी.एम. से मैंने आग्रह करके और सी.पी. श्रीवास्तव के माध्यम से उन लड़कियों को बरामद करवाया। बरामद करने के बाद में मुल्जिम को संरक्षण देकर पुलिस ने उनके नाम निकाल दिये और उनके मुकदमों में एफ.आर. तक दे दी, जहां तीन-तीन साल तक उन लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहीं। उसके बाद में, आपको

(श्री रूपाराम डूडी)

निवेदन करूं, सी.एम. हाउस से हस्तक्षेप होने के बाद में वो लड़कियां बरामद हुईं परन्तु सी.पी. श्रीवास्तव के सामने सारा बयान देने के बाद में भी उन मुकदमों में किसी का चालान नहीं हुआ इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती।

आपको मैं निवेदन कर रहा हूं एक इसी तरह लाडनूं में बावरी जाति की अनुसूचित जाति की लड़की थी और घर से रात को उठा कर उसके साथ में तीन-चार जनों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में उस पर केरोसीन छिड़ककर कर उसको एक तलाई में डाल दिया गया और आग लगा दी गई। चिल्लाई उसकी चिल्लाहट सुनने के बाद में एक लड़के के द्वारा उसका समाचार गांव में किया गया और गांव वालों ने उसको ले जाकर हास्पिटल में भर्ती कराया। हास्पिटल में भर्ती कराने के बाद में स्थिति यह रही कि उस लड़की को बीकानेर रैफर कर दिया गया। वहां की पुलिस ने उनके बयान तक नहीं करवाये। दो दिन वहां भर्ती रहने के बाद में बीकानेर में वह मर गयी। मरने के बाद चार दिन तक वहां के हालात खराब रहे और कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप के बाद में वहां पर शांति-व्यवस्था बहाल हुई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस व्यवस्था के लिए सख्ताई लायें।

मैं सदन के मार्फत यह गृह मंत्रीजी को निवेदन कर रहा हूं कि वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं और जो वहां की व्यवस्था बना रखी है, चाहे शराब की तस्करी का मामला हो, चाहे 302 का मामला हो, चाहे दूसरे कोई भी जुर्म हो रहे हों उनके अन्दर पाबंदी करके सख्ताई करायी जाए और वहां की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के पांच साल में व्यवस्था बनायी चाहे वो किसी की जमीन पर कब्जा करने के लिए, चाहे कुछ भी जुर्म करने के लिए थी, वो व्यवस्था बदलनी है। डेढ़ साल के बाद में भी वह की वह ही व्यवस्था चल रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस व्यवस्था में बदलाव लाकर के कठोर से कठोर कार्यवाही करके उन मुल्जिमों को पाबंद किया जाए और वहां पर कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि डीडवाना में एक चौकीदार था, उसका मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद, तीन महीने बाद में जाकर तीन मुल्जिम पकड़े गये। चार दिन पहले तो इस व्यवस्था में पुलिस की बहुत बड़ी खामियां रही हैं।

(श्री रूपाराम डूडी)

एक मुखबिर शराब का ट्रक पुलिस वालों को पकड़ा रहा है। ट्रक पकड़ने के बाद में पुलिस वालों ने उस ट्रक से जो एक हजार पेटियां शराब की लादे हुआ था, थाने लाकर के पुलिस वालों द्वारा उसमें से पांच सौ पेटियां जो सी.आई. है, वह आज लाडनूं में तैनात है उस टाइम में डीडवाना में था उसने पांच सौ शराब की पेटियां खुद ने बेच दी। उसके बाद में किसी भी मुल्जिम का पता नहीं है। एक सिवाय खलासी या ड्राइवर के अलावा किसी को मुल्जिम नहीं बनाया कौन शराब मंगा रहा है और कौन भेज रहा है, उनका पुलिस वालों को कोई मालूम नहीं है, तो सिर्फ उनकी देखरेख में यह सारा धंधा चल रहा है।

इसलिए मैं सदन के मार्फत यह निवेदन कर रहा हूं कि इस कानून-व्यवस्था में ठीक से सुधार करने के लिए इसमें सख्त कार्यवाही करके आप आगे की कार्यवाही करें, यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

जिस तरह से मेरे डीडवाना क्षेत्र में 1934 में खुणगरा थाना खुला था और 1934 के बाद में वहां पर कोई भी दूसरी व्यवस्था नहीं है। एक खाटू कस्बा है उसमें मैं नया थाना खोलने के लिए निवेदन कर रहा हूं। खुणगरा थाने में बहुत बड़ा हलका है और 1934 के बाद में वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ एक मात्र चौकी लगा रखी है। उस चौकी में सिर्फ दो-तीन आदमी रहते हैं। वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं लेता है और न कोई दर्ज करता है। तो आपसे निवेदन है कि छोटी खाटू में पुलिस थाना स्थापित किया जाए।

इसी तरह से सीकर से लगता हमारा खानड़ी हलका है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर एक चौकी लगती थी जिसे कांग्रेस की पिछली सरकार ने वहां पर स्थापित किया था, उस चौकी को हटा दिया। उस रास्ते से सीकर से इधर आते हैं और बदमाशी करके उस रास्ते से चले जाते हैं। तो खानड़ी में वापस चौकी स्थापित करने के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूं।

आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, इसमें सख्ताई से कानून-व्यवस्था में व्यवस्था बनाइये।

श्री वासुदेव देवनानी। माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय बैठे हैं, नागौर का मसला है...

श्री सभापति: आप विराजें। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा प्रारम्भ हुई है लेकिन लगता है इस पर चर्चा करना शायद एक तरह से बहरी सरकार के सामने बीन बजाने के बराबर ही लगता है क्योंकि इसके जो गृह मंत्री महोदय हैं इनको अपने स्वायत्त शासन मंत्रालय जैसे मलाईदार मंत्रालय से ही फुरसत नहीं है कि वे अपने गृह विभाग को देख सकें, राजस्थान की जनता की सोच सकें कि वह जनता सुरक्षित भी है या नहीं। आज पूरी जनता एक तरह से असुरक्षित है और पूरे प्रांत में चाहे हत्याओं का मुद्दा हो, चाहे लूट हो, चाहे चैन स्नेचिंग हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि मैं कहूं कि केवल जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसमें गत एक वर्ष में 13 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, अर्थात प्रति दिन 28 से 30 प्रकरण आपकी राजधानी में दर्ज हो रहे हैं तो बाकी जिलों का तो क्या हाल होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

एक कदम यदि मैं आगे बढ़ूं, आपके मुख्य मंत्री जी का गृह जिला जोधपुर, उसमें पिछले दिनों 5 फरवरी को भरत कलवानी का मर्डर हुआ। आज तक उसका पता नहीं लगा कि किन परिस्थितियों में मर्डर हुआ। कभी आपने विचार किया, मोटर साइकिल के पास में उसकी जली हुई लाश मिली। सारे समाज ने प्रदर्शन किया। मुख्य मंत्री से निवेदन किया, हर जगह जाकर हाथ जोड़े लेकिन आज तक उसके गरीब मां-बाप को संतोष नहीं है। दोषी लोगों को आप नहीं पकड़ पाये। उसकी कैसे हत्या हुई इसका सुराग आज तक आप नहीं लगा पाये।

जयपुर में मुकेश मंगल की 20 मई को हत्या हुई, उसके बाद 13.7 को इस विधान सभा में उस पर बहस हुई, आश्वासन मिला लेकिन जिस एडिशनल एसपी ने उन दो लोगों को भगाया उसके खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन था, कार्यवाही तो दूर रही वह रिटायर्ड भी हो गया। सरकार ने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की। एक दूसरे अफसर श्रीमान रवीन्द्र यादव जो एसएचओ हैं बजाज नगर में, आज भी लगे हुए हैं, उसके खिलाफ भी आपने आज तक कार्यवाही नहीं की। यदि इसी तरह दोषियों को बचाते रहोगे, अपराधियों के मन

(श्री वासुदेव देवनानी)

में डर नहीं रहेगा कि हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कानून-व्यवस्था तो कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती।

मैं आपके पुलिस का प्रतिवेदन पढ़ रहा था। उसमें बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं कि उस हत्या का हमने सुराग पता लगाया, उस हत्या का पता लगाया लेकिन मैं अजमेर जिले की बात करूं, अजमेर जिले में बलवंता हत्या कांड हुआ, सपना हत्या कांड हुआ, हाथी भाडा में एक दंपत्ति की हत्या हुई, वंदना हत्या कांड हुआ, सीमा विधानी हत्या कांड हुआ, आशा हत्या कांड हुआ; एक भी हत्या कांड में आज तक आप किसी दोषी को पकड़ नहीं पाये। यहां तक कि वंदना हत्या कांड में सर तो मिल गया लेकिन आज तक धड़ और बाकी शरीर को पुलिस बरामद नहीं कर पायी। यह कितनी शर्मनाक बात है। सारा अजमेर आज इस बात की मांग कर रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसमें न कोई जांच हो रही है न पता लगा पा रही है।

सभापति महोदय, आज अजमेर एक बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। बांग्लादेशी आराम से अजमेर आ रहे हैं और रह रहे हैं लेकिन आप एक भी बांग्लादेशी को आज तक पकड़ नहीं पाये। मैं आपका प्रतिवेदन पढ़ रहा था, उस प्रतिवेदन में लिखा है कि पूरे 2009 में केवल 40 बांग्लादेशियों को आप बैक कर पाये और आज अजमेर में हजारों बांग्लादेशी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बांग्लादेशी पकड़ा गया था, उसने कहा कि 50 रुपये देकर मैं इस देश में आ गया और अजमेर आकर आराम से रह रहा हूं। यह आज जो स्थिति है, राजस्थान एक धर्मशाला बना हुआ है। उसमें अजमेर तो पूरी तरह धर्मशाला बना हुआ है, जो आये वह रहे। दरगाह क्षेत्र में इतने बांग्लादेशी हैं जिसका आज तक आप पता नहीं लगा पाये हैं। आराम से आते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लेते हैं और यहीं के नागरिक बनने की सारी सुविधाएं वे प्राप्त करते जा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी आपका एक प्रतिशत भी ध्यान नहीं है। यह तो रहा बांग्लादेशियों का।

सभापति महोदय, आज अजमेर शराब और मादक पदार्थों की तस्करी का पूरी तरह अड्डा बना हुआ है। रोजाना स्मैक के, चरस के प्रकरण पुलिस पकड़ रही है। जिसके पास 5-10 ग्राम है उसको तो पकड़ लिया लेकिन गहराई में वह आ कहां से रही है इसका पता नहीं लगा पा रही है। शराब के बारे में आपकी सरकार ने मुझे एक प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें लिखा है 3 वर्ष में

(श्री वासुदेव देवनानी)

2999 प्रकरण अर्थात प्रतिदिन 3 प्रकरण केवल अजमेर में पकड़े जा रहे हैं। इतनी शराब आ कहां से रही है? केवल खलासी को पकड़ लिया, ड्राइवर को पकड़ लिया और थोड़े दिन बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन वास्तव में शराब आ कहां से रही है? यदि हरियाणा की सीमा से आ रही है तो आपके हरियाणा की सीमा पर जो थाने हैं आखिर वे थानेदार कर क्या रहे हैं? उन थानों के दायित्व क्या हैं? केवल हवा में उड़ कर तो सीधा अजमेर आ नहीं रही है। कहीं न कहीं सीमाओं से आ रही है। सीमा पर आपकी जितनी भी चौकियां हैं, जितने भी थाने हैं वह नाजोगे हैं; या तो वहां के सारे लोग उनसे मिले हुए हैं या नाजोगे हैं, दोनों में से एक बात तो होगी। लेकिन आपका उस ओर एक प्रतिशत भी ध्यान जा नहीं रहा है।

आज सारा दरगाह क्षेत्र इसका केन्द्र बना हुआ है। इसके लिये आपको अलग से व्यवस्था करने की आज आवश्यकता है। यह देश का मुद्दा है, यह राजस्थान की रक्षा का मुद्दा है, केवल किसी समाज का मुद्दा नहीं है। यह अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक का मुद्दा नहीं है; न हिन्दू का मुद्दा है, न मुसलमान का मुद्दा है लेकिन दरगाह क्षेत्र को धर्मशाला बना कर यदि हम इस प्रकार से करने देंगे तो आज नहीं कल, यह अजमेर जो एक संवेदनशील शहर है, जो जिला है वह राजस्थान के लिये कानून की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा और यहां पर इस समस्या से निपटना आपके या किसी भी सरकार के लिये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अजमेर में रोज चोरियां हो रही हैं। 15 दिन में 12 चोरियां हुई हैं। माननीय गृह मंत्री जी, जरा पता तो लगाइए कि कोतवाली से 100 कदम की दूरी पर नया बाजार मुख्य मार्केट है उसमें तीन-तीन चोरियां, लगातार सोने के आभूषण लोग ले जा रहे हैं और पता एक का भी नहीं लग पा रहा है। रोज चोरियां हो रही हैं। अजमेर का एक भी दिन का अख़बार उठा कर देख लीजिए रोजाना समाचार मिलेगा कि आज यहां चोरी हुई। कोई अपने घर का ताला बंद करके न तो अपने बच्चे के यहां जा सकता है, न किसी की शादी में जा सकता है। आज स्थिति यह बन गई है कि यदि वह कहीं भी जाता है तो उसका घर उसे सुरक्षित नहीं मिलेगा। यहां तक कि पुलिस के घर भी अछूते नहीं बचे हैं, पुलिस वालों के यहां भी चोरियां होने लगी हैं। उनको तो बचाओ, जनता को तो बचाओ; गृह मंत्री जी, कुछ तो आप विचार करो। और तो और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हो,

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज अजमेर में कोई महिला सुबह मोरर्निंग वाक पर नहीं जा सकती, दिन में मार्केट में घूम नहीं सकती। उसकी चैन स्नेचिंग के मामले कितने हुए हैं, जरा कल्पना तो कीजिए। एक बहन घूम नहीं सके, एक भाभी घूम नहीं सके, कोई महिला स्वतंत्रतापूर्वक अपने शहर में घूम नहीं सके, यह आजाद भारत है, यह आपकी सरकार है। रोज चैन स्नेचिंग करके आराम से चले जा रहे हैं और एक भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या यह सरकार है? क्या है, जरा पता तो कीजिए। (व्यवधान) बहन जी आ जाइए, अजमेर में निष्पक्ष होकर जांच कीजिए। बीच में आप बोलेंगी तो आप जब बोलेंगी, मैं भी बीच में बोलूंगा। इस बात का आप ध्यान रखिए।

चैन स्नेचिंग के मामले धुआंधार हो रहे हैं। साथ में आज वहां पर दरगाह और पुष्कर दोनों में जिस प्रकार से विदेशी भी आ रहे हैं और देशी भी आ रहे हैं, मैं मांग करूंगा कि वहां पर आप एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करें जो केवल इसके लिये हो। तब जाकर इन चीजों को रोक पाओगे नहीं तो यह रोजाना की गतिविधि है, आप रोक नहीं पाओगे।

अजमेर की समस्याओं के लिये आपने एक एसओजी बनाया, स्पेशल आपरेशंस ग्रुप, लेकिन आज तक उस ग्रुप को आपने आफिस तक उपलब्ध नहीं कराया। उसका आफिस नहीं होगा तो फिर काहे के लिये बनाया? केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये आपने बनाया है क्या? सुरक्षा की दृष्टि से पहले एक सीपीओ स्कीम थी वह आज बंद पड़ी है। जब तक आप उसको प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक आगे मोहल्लों की, गलियों की और वार्डों की सुरक्षा नहीं हो पायेगी।

अजमेर की एक समस्या है, एक पंजरी धर्मशाला जो आज से 10 वर्ष पूर्व आपने इस आधार पर ली थी कि उसको हम तीन महीने में खाली कर देंगे। उसके लिये मोती कटला में निगम ने उसको स्थान भी दिया। 10 लाख रुपये मैंने अपने विधायक कोष से दिये, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्रीजी ने 15 लाख रुपये दिये। वह थाना बनकर तैयार हो गया लेकिन उस थाने में आप अपनी पुलिस को नहीं भेज रहे हैं। मुझे प्राक्कलन समिति की मीटिंग में आश्वस्त किया गया था कि तीन महीने में वह खाली कर देंगे। आज उसको भी 6 महीने होने जा रहे हैं, आज तक वह खाली नहीं हुई। इसलिए पूरा समाज आंदोलित है, उसकी तरफ विचार कीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, दो मिनट में मैं समाप्त करुंगा।

यदि मैं कारागार की बात करूं, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि एक जनवरी से 30 जून तक कितने मोबाइल पकड़े, कितनी सिम पकड़ीं, उसकी 254 सीमा थी। आश्वस्त था कि शायद अगले 6 महीने में आप इसमें कमी करेंगे लेकिन जो आंकड़े आपने 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के दिये हैं वह आंकड़े लगभग डेढ़ गुना हो गये हैं। आज जेलों में किसी प्रकार की संभाल नहीं है। आराम से सिम आ रही है और वहां कैदी बैठकर बाहर सारे प्रकार के धंधे कर रहे हैं। इसलिए लोगों का आज विश्वास हट गया है ।

एक-दो बात और जोड़ते हुए, अजमेर में केन्द्रीय कारागार है, माननीय मंत्री महोदय, वह शहर के मध्य है। यूआईटी से एक बार बातचीत हुई थी। यूआईटी पैसा देने को तैयार थी, शहर से हटकर केन्द्रीय कारागार बनाएंगे, उस स्थान का और उपयोग करेंगे तो जाकर इस समस्या का समाधान हो पाएगा।

एक बात, जो अजमेर के थाने हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार का किया गया जरा विचार तो करिये। आज मेरे क्रिश्चनगंज थाने का एरिया इतना बड़ा है और गंज थाने का एरिया छोटा है, हम कह-कहकर थक गये वहां पर पुलिस पहुंच नहीं पाती । आज तारागढ़ दरगाह थाने में है, तारागढ़ को यदि आप रामगंज थाने के साथ जोड़ेंगे तो पुलिस तुरन्त पहुंच पाएगी लेकिन वहां से पहुचने में उसको कितना समय लगेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।

जेलों में अभी आपने जैमर लगाने की बात कही, जैमर आज तक नहीं लगे, मेरे साल भर पहले के प्रश्न के उत्तर में दिया गया कि जेमर लगाए जाएंगे। तो क्या सरकार केवल घोषणाएं करती है? केवल बातें करती है या वास्तव में कुछ करने की मंशा भी रखती है? उसका कहीं भी कोई विचार नहीं लगता।

यातायात की बात करूं तो पिछले 2009 में 25114 सड़क दुर्घटनाएं हुई और 9,045 लोग मारे गये, 32,317 घायल हुए। उसे कोई नहीं रोकता, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे की बंधी बंधी हुई है, आराम से ओवर-लोडिंग होकर जाओ, जो मिले वह उसका। अवैध वाहन चल रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई पता नहीं है यदि में संक्षेप में कहूं, भ्रष्टाचार की यदि मैं बात करूं तो मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था भ्रष्टाचार में किसको पकड़ रहे हैं? जिसने 500 रुपये की रिश्वत ली, जिसने दो हजार रुपये की रिश्वत ली, जिसने दस हजार रुपये की रिश्वत ली, किसी बड़ी मछली को भी आपने पकड़ा है क्या जिसने

(श्री वासुदेव देवनानी)

एक लाख से ज्यादा की रिश्वत ली हो या भ्रष्टाचार किया हो? एक को भी पकड़ा हो तो सदन में आप अपने उत्तर में बता देना। उनको तो आपने खुले हाथ छोड़ दिया।

अपराधियों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। पुलिस का जब तक भय नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक नाटक करने के लिए आपने मेगा पुलिसिंग के तहत सशस्त्र गश्त लगाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूर बात कही लेकिन उनके पास मोटर साइकिल नहीं है, गश्त नहीं हो रही है। गश्त होती है तो केवल मुख्य सड़कों पर पेट्रोलिंग होगी और गलियों में ताले टूट रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मां-बहनों की इज्जत लुट रही है, चैन लुट रही है, लेकिन यह सरकार नींद में सो रही है।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अजमेर निश्चित रूप से एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आप उसकी चिंता करो। राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला है तो आज अजमेर है। बांग्लादेशियों की चिंता करें। परिसीमन करें थानों का और नागफनी एरिया है वहां पर यदि चौकी की स्थापना कर देंगे तो इन सारी कुछ कमियां जो मैंने समस्या बताई है उन पर कुछ अंकुश लगने में आपको सहयोग मिलेगा।

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यही निवेदन करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति जी, आपने मांग संख्या 16 और 17 पर पुलिस व कारागार पर बोलने का मौका दिया आपका आभार।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में पुलिस को और अधिक सक्षम व कारगर बनाने की जन कल्याणकारी योजनाएं, जनहित की रक्षा के लिए बनाई है। राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात काफी लम्बे अर्से से चली आ रही है। हमारे मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ने शुरुआती तौर पर जयपुर व जोधपुर में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पहल की है। हमारी सरकार का नजरिया ला एंड आर्डर को प्रान्त में और अधिक सुव्यवस्थित करने का है। मैं मुख्य मंत्रीजी को व गृह मंत्रीजी को इसके लिए साधुवाद देता हूं।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

माननीय सभापति जी, मैं पुलिस विभाग के लिए अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गंगानगर तहसील का एरिया पाकिस्तान बोर्डर से लगता है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह यहां के थानों को मोडर्नाइज करने की, बहुत सुव्यवस्थित करने की, व इक्विप करने की बहुत आवश्यकता है। आज के जमाने में जिस प्रकार से जुल्म और जुल्म करने वाले लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से नये तरीकों से जुल्म करते हैं तो हमारी पुलिस के पास जो व्यवस्था है, उनको पकड़ने के लिए जो होनी चाहिये वह कुछ कम है। मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि थानों को सुव्यवस्थित ओर लेटेस्ट इक्विपमेंट से सुसज्जित किया जाए, साधनों से सुसज्जित किया जाए।

पुलिस विभाग में पुलिस विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है। मेरा इसमें निवेदन है कि जो हमारी रेगुलर फोर्स के लोग हैं उनको कम्प्यूटर में नहीं लगाकर जो कम्प्यूटर के एक्सपर्ट लोग हैं उनकी भर्ती की जाए। वे डेडिकेशन से अपनी डयूटी को ज्यादा अच्छा निभा सकते हैं। जो रेगूलर फोर्स के लोग हैं, ट्रेनिंग के अभाव में उसका वे पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो मेरा निवेदन है कि उनकी भर्ती के अन्दर कम्प्यूटर से ट्रेंड जो लोग हैं उनकी भर्ती की जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय कटारिया साहब फरमा रहे थे कि पुलिस को सुधार की आवश्यकता है। निश्चित तोर पर हर इंसान को, हर फील्ड के अन्दर लगातार, हर वक्त सुधार की आवश्यकता रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस के अन्दर हर तरह से सुधार और बहुत ज्यादा मोडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है। करेक्टर में मोरल के अन्दर और बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोग हैं, जिनको इस तरीके के ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ला एण्ड आर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की महती भूमिका है। सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा और माननीय कटारिया साहब, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम जन-प्रतिनिधि हैं हमें भी अपने में सुधार, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा। हमें बहुत ही संयम से काम लेते हुए पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा, न कि उन पर दबाव बनावें मुल्जिमों को छुड़ाने में, नाजायज काम करवाने में। हमें हमारे खुद के आचरण को सुधारना पड़ेगा, यह मेरी एक सोच है।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मैं, माननीय सभापति जी, एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय की बात है, वर्ष 2000 की एफआईआर संख्या 321/5 पुलिस थाना कोतवाली की चर्चा करना चाहूंगा। एसएचओ ने अपने स्टाफ को लेकर 16 बोरियां पोस्त की पकड़ी, एसएचओ ने तफ्तीश की मुलिजम को पकड़ा लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के संगरिया विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने दवाब, अपनी सरकार का इस्तेमाल करते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों का वहां से स्थानान्तरण करवाया, केस का ट्रांसफर करवाया तफ्तीश के लिए और उसके अंदर जिनका उस जुल्म से जुड़ाव था उन लोगों को निकलवाकर के, हो सकता है जिनको सज़ा हुई वे भी उसमें शामिल हों लेकिन जिनका असल जुड़ाव था उन लोगों को उस केस से निकलवाकर उन लोगों के खिलाफ जो पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ सरकार का दबाव बनाकर कार्यवाही की। उनको सस्पेंड कराया गया, 16 सीसी की कार्यवाही करवाई गई। जिस आदमी ने गलती की वह भुगतेगा लेकिन जिस प्रकार से स्थानीय विधायक ने उन विधायकों ने, और उनके परिवार के लोगों ने इस केस के अंदर जो कार्यवाही की, यह भारतीय जनता पार्टी के समय की बात कटारिया साहब फरमा रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके राज की यह बात है।

इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 28/8 पुलिस थाना कोतवाली का, निर्वाण कुटिया में दुखिया, हरबनसिंह दुखिया का कत्ल हुआ, ब्लाइंड मर्डर था। भाई राधेश्याम जी बैठे हैं, जानते हैं, उनको ध्यान है, मानासिंह इसके अंदर मुल्जिम पाया गया उसको गिरफ्तार किया गया उसके पास से 9 हथियार, 370 ग्राम स्मैक, 4 देशी जिंदा बम और सुपारी, किसी को कत्ल करने के लिये सुपारी के साढ़े पांच लाख रुपये बरामद हुए। जैर-ए-तफ्तीश उस आदमी ने एक और आदमी हरदीप सिंह का नाम लिया। हरदीप सिंह को थाने में लाया गया। उससे तफ्तीश की गई और उसने 'हां' किया कि हां, मैंने तीन मर्डर किये हैं। उसी प्रकार दो हथियार भी थे। लेकिन उन्हीं विधायक ने और उनके पूरे परिवार ने फिर दबाव बनाया, धरना प्रदर्शन किया और उस मुलजिम को छुड़वा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम इंगित करके इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मेरे पास रिकार्ड है, मैं इसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: बोलने दें, बोलने दें। बोलें आप। (व्यवधान) आप विराजें। माननीय सदस्य, बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो आप अलाऊ कर रहे हैं? (व्यवधान) नहीं, ठीक है, आपने व्यवस्था दी, शिरोधार्य है, फिर इधर से भी छूट रहेगी।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह रिकार्ड के आधार पर बात कर रहा हूं। रिकार्ड के आधार पर यह बताया गया है कि माननीय विधायकजी ने, यह डीवाई.एस.पी., सिटी के, सूचना के आधार पर यह नकल ली गई है और डीवाई.एस.पी. ने यह लिखकर दिया है। यह इसके अन्दर दर्ज है कि कहां-कहां से, सादुलशहर थाने से, कोतवाली से, कहां-कहां से मुलजिमों को इन्होंने छुड़ाया है। मेरा यह कहने का मतलब है कि इस प्रकार जब हम राजनीतिज्ञों में, हम जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनके अन्दर हमारी भावना रहेगी तो पुलिस कैसे मुलजिमों को पकड़ेगी? मेरा यह निवेदन है, सभापतिजी, कि इसके अन्दर जिन लोगों ने, इस 28/8 में मुलजिमों को पकड़ा, जुडिशियल कराया और दूसरे मुलजिमों को पकड़ा, उन लोगों की रिकमण्डेशन की फाइल गई, उन लोगों ने अच्छे काम किये, फिर ट्रांसफर कर दिये गये, उनको फिर 16 सी.सी.ए. के नोटिस दे दिये गये। उनकी जो प्रमोशन की फाइल्स गईं। उनको भी रोका गया। अभी तक उनके प्रमोशन नहीं हुए। तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का जो आचरण हम जन प्रतिनिधियों का है, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा, मेरे किसी से राजनीतिक विचार भलें नहीं मिले लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं है। जो तथ्य हैं उनके आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं। यह सब मेरे पास फाइल है और मेरे पास रिकार्ड है, जो सरकारी रिकार्ड है, यह मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है।

इस प्रकार मैं आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि पुलिस को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए ताकि इस प्रकार के जुर्म और इस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप कम हों तथा पुलिस भी फ्री-हैंड से मुलजिमों को पकड़ करके लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 17- कारागार पर थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। हमारे गंगानगर की सेण्ट्रल जेल का भवन बहुत पुराना हो गया है और इसके अन्दर जगह भी बहुत कम है। तो मेरा कारागार मंत्रीजी

(श्री संतोष कुमार सहारण)

से निवेदन है कि इस कारागार भवन को शहर से दूर और नये तरीके से बढ़ी हुई आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाए। कारागार के अन्दर जो आज जेल से जुर्म संचालित हो रहे हैं, सभी लोगों ने कहा है, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि इस पर प्रभावी रोक लगाई जाए और इस पर अंकुश लगाया जाए। इसके अन्दर जो स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ की पूर्ति की जाए।

पुन: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस के नेताओं ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 5 साल में प्रदेश की कानून-व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, सरेआम अपराधी अपराध करते हैं और चले जाते हैं। हमारा राज आने के बाद हम प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज लाएंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे, अपराधों पर नियंत्रण करेंगे, अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करेंगे। मैं आदरणीय गृह मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, आपका राज आये 15 महीने हो गये, न अपराधों पर अंकुश लगा, न अपराधियों पर नियंत्रण किया गया, न प्रदेश की कानून-व्यवस्था में कोई सुधार हुआ। क्या पुलिस का खौफ हम अपराधियों में पैदा करने में सफल हुए? यदि मैं यह कहूं कि कांग्रेस का राज राजस्थान में बनने के बाद कानून-व्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है, अपराधों में नियंत्रण की तो कोई बात ही नहीं है, अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस के प्रति खौफ का तो मामला यहां तक है कि इनके 15 महीने के राज में 265 स्थानों पर अपराधियों के द्वारा पुलिस की पिटाई की गई। यानी अपराधी पुलिस को पीटें, जनता से पुलिस पिट जाए, चोर का पीछा करे पुलिस और चोर फायर करके निकल जाए, पुलिस पर हमला करके पुलिसकर्मी को घायल करके अपराधी चला जाए, इससे ज्यादा दुखद स्थिति नहीं हो सकती है।

आप बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि अपराधियों पर नियंत्रण किया

(श्री कालीचरण सराफ)

जाएगा। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2008 और 2009 में यदि घटित अपराधों की तुलना की जाए तो 2008 में जहां 1,51,164 अपराध आई.पी.सी. के तहत दर्ज हुए थे, 2009 में इनके शासनकाल में 1,66,565 अपराध आई.पी.सी. के तहत दर्ज हुए हैं। यानी एक साल में 10.18 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 2008 में हमारे प्रदेश में हत्याएं हुई 1,297 और 2009 में इनका राज आने के बाद 1,395 । यानी 98 हत्याएं एक साल में ज्यादा हुईं। लूट की घटनाएं जहां 2008 में 829 हुईं, इनके राज में आने के बाद 886 यानी 57 घटनाएं अधिक हुईं। बलात्कार की घटनाएं, महिला उत्पीड़न की बात करते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार कम करेंगे, जहां 2008 में 1,355 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, इनका राज आने के बाद आप आश्चर्य करेंगे, 1,519 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कुल 164 महिलाओं के साथ ज्यादा बलात्कार किया गया। नकबजनी की 4,536 घटनाएं 2008 में हुई थीं और इनका राज आने के बाद 2009 में 5,294 । यानी 558 नकबजनी की घटनाएं बढ़ीं। चोरी में तो कमाल कर दिया। चोरी में 2008 में 20,411 और इनके राज में 22,144 । यानी 1,733 चोरी की घटनाएं बढ़ीं।

(समय : 13.59 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

महिला उत्पीड़न की बात करते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न कम किया जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार कम किया जाएगा। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं बताना चाहूंगा कि महिला उत्पीड़न की घटनाएं जहां 2008 में 8,113 हुईं, आपका राज आने के बाद 2009 में 10,371 घटनाएं। यानी 2,258 महिला उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई। महिला अत्याचारों से सम्बद्ध अपराधों की संख्या जहां 2008 में 15,174 थी, इनका राज आने के बाद 18012 है। यानी 10.81 प्रतिशत की वृद्धि महिला अत्याचारों में हुई। शिड्युल्ड कास्ट का बड़ा गुणगान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज था शिड्युल्ड कास्ट पर बड़ा अत्याचार हो रहा था, शिड्युल्ड ट्राइब्स पर बड़ा अत्याचार हो रहा था। हमारा राज आ गया तो हम शिड्युल्ड कास्ट, शिड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों की सुरक्षा करेंगे। अब इनका आंकड़ा भी सुन लीजिये। अनुसूचित जाति,

(समय : 16.00 बजे)

जनजाति के लोगों पर जहां 2008 में 5340 घटनाएं अपराध की हुई थीं इनका

(श्री कालीचरण सराफ)

राज आने के बाद 6,168 । यानी 828 अधिक प्रकरणों में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार किया गया 2009 में। किसी भी क्षेत्र में चले जाइये, किसी भी वर्ग में चले जाइये, हर जगह अपराधों में वृद्धि हुई है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस महकमे में जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, सरकार का उन पर विश्वास नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि एक-एक पुलिस अधिकारी, जो उच्चाधिकारी हैं, उनका तीन-तीन बार, चार-चार बार, पांच-पांच बार ट्रांसफर किया गया। मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा। के.एस. बैंस, जो डी.जी. पुलिस थे राजस्थान के उनको ए.सी.डी. में डी.जी. लगाया गया, थोड़े दिन बाद उनको होम गार्ड में डी.जी. लगा दिया। तीन बार ट्रांसफर हुआ। इसी प्रकार से ओमेन्द्र भारद्वाज ए.सी.डी. में डी.जी. थे, होम गार्ड में लगाया गया और उसके बाद में अब जेल में डी.जी. हैं। तीन बार ट्रांसफर। एन.के. देवराजन पहले प्लानिंग और वेलफेयर में डी.जी. थे, फिर इंटेलिजेंस में डी.जी. हुए और फिर ए.सी.डी. में डी.जी. और अब उनको पदमुक्त कर दिया। इसी प्रकार से बाल मुकुन्दजी वर्मा, डूंगरपुर में पहले एस.पी. थे, उसके बाद नगर निगम, जयपुर में लगाया गया, फिर वहां से फिर डूंगरपुर में एस.पी. लगा दिया, फिर ए.पी.ओ. कर दिया और अब नागौर में एस.पी. । यानी, पांच बार, एक साल में पांच बार ट्रांसफर। इसी प्रकार से जोस मोहनजी ये ए.सी.डी. में एस.पी. थे, फिर डूंगरपुर में एस.पी. लगाया और अब जयपुर (साउथ) में इनको एस.पी. लगाया गया है। एन.आर.के. रेड्डी, उदयपुर में। आई.जी., फिर आई.जी., सी.आई.डी. में, फिर भरतपुर में फिर सी.आई.डी. में। यानी, चार बार ट्रांसफर। इसी प्रकार से डी.एन. पाण्डे, सी.आई.डी. में एस.पी., फिर चूरू में एस.पी., फिर जयपुर रूरल में एस.पी.। तीन बार। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के उच्चाधिकारियों पर सरकार का विश्वास नहीं है। किसी का चार बार, किसी का पांच बार, किसी का छह बार स्थानान्तरण किया जा रहा है। इससे पुलिस का मनोबल निरन्तर गिरता जा रहा है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): छह बार कहां किया?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या हो गया? क्या फरमा रहे हैं यह?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): छह बार कहां किया?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): छह बार कहां किया पर पांच बार तो किया न। यह तो मानते हो? पांच बार तो किया। यह कीर्तिमान स्थापित कर दिया आपने। विराजये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): पर छह बार का असत्य शब्द क्यों इन्वाल्व कर रहे हो?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चलिये। विराजो, आप विराजो।

और तो और, माननीय सभापति महोदय, जब से राजस्थान में कांग्रेस का राज आया है, कांग्रेस और इनके अग्रिम संगठनों के जो छुटभैया नेता हैं, वे कानून अपने हाथ में लेकर जिस प्रकार की हरकतें पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस सेवा दल के हमारे कार्यकर्ता जे.डी.ए. में गये। वहां एक किसी काम को लेकर तहसीलदार को धमकाया। तहसीलदार ने कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो उसके साथ मारपीट की गयी। होना तो यह चाहिए था कि तहसीलदार के साथ जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ कार्यवाही होती परन्तु मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, उलटा इस तहसीलदार को निलम्बित कर दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस प्रदेश के लिए हो नहीं सकती।

इसी प्रकार हमारे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नगर निगम के कमिश्नर, सांगानेर जोन के कमिश्नर थे मिस्टर ओ.पी. गुप्ता, उनके आफिस में गये। कोई अतिक्रमण हटाने के मामले में उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की। जलदाय विभाग के आफिस में गये, जे.ईएन. के साथ वहां पर पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए मारपीट की और अब उनको यह कहा जा रहा है कि या तो आप मुकदमे वापस ले लें और मुकदमे वापस नहीं लिये तो आपकी खैर नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार का राज आप राजस्थान में कायम करना चाहते हैं?

जहां तक जयपुर शहर का सवाल है बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी एक दिल्ली पुलिस की क्राइम रेट के बारे में छपा था। हमारा सिर शर्म से झुक गया जब यह बताया गया कि हिन्दुस्तान के 35 प्रमुख शहरों में क्राइम रेट के मामले में हमारा जयपुर शहर तीसरे नम्बर पर आ रहा है। यानी यहां की क्राइम रेट 606.8 । इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

कांग्रेस का राज आने के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर जो एक पर्यटन केन्द्र है, जिसके लिए यह कहा जाता था कि हिन्दुस्तान में सबसे शांत यदि कोई शहर है तो वह जयपुर शहर है, आज इनका राज आने के बाद

(श्री कालीचरण सराफ)

उसकी क्या स्थिति हो गयी? मैं बताना चाहूंगा, 2008 में जहां 112 हत्याएं हुईं, 2009 में 128 हत्याएं। लूट के मामलों में 2008 में 201 घटनाएं लूट की, इनके राज में आने के बाद 270 घटनाएं। यानी 25 परसेंट की वृद्धि लूट के मामलों में। अपहरण के मामले जहां 2008 में 295 थे, इनका राज आने के बाद 314 । बलात्कार, 2009 में 123 बलात्कार की घटनाएं, डकैती की 11 घटनाएं, नकबजनी में 25 परसेंट की बढ़ोतरी, 2008 में 923 और 2009 में 1,067 ।

इतना ही नहीं, जहां नकबजनी की घटनाएं तो बढ़ीं परन्तु इनका चालानी प्रतिशत क्या रहा? यह पुलिस की एफिशिएंसी बता रहा हूं मैं आपको। 2007 में जहां नकबजनी में 31 प्रतिशत, का खुलासा हुआ और उनका चालान पेश हुआ, 2008 में नकबजनी में 25 प्रतिशत चालान, यानी रेट 6 प्रतिशत घट गयी और 2009 में तो यह 22 प्रतिशत रह गया।

इसी प्रकार से चोरी की 2008 में 5,953 घटनाएं, 2009 में 6,503 घटनाएं और यदि इनका चालानी प्रतिशत देखा जाए तो 2008 में 18 प्रतिशत और यह 2009 में गिर कर हो गया 15 प्रतिशत।

वाहन चोरी के मामले में तो कमाल हो गया। कमला बेनीवाल हमारे प्रदेश की उप मुख्य मंत्री, गुजरात की राज्यपाल, उनकी बोलेरो चोरी हुई। यद्यपि 24 घंटे में मिल गयी, बाकी आये दिन बोलेरो चोरी हो रही है। अब तो यह स्थिति हो गयी कि किसी की बोलेरो चोरी होती है, अगर वह थाने में रिपोर्ट कराने के लिए जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि मैं उनका फोन नम्बर दे देता हूं, आप पैसे का लेन-देन करके अपनी बोलेरो छुड़वा लीजिए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती जयपुर शहर के लिए।

2007 में जहां 2,955 वाहन चोरी हुए, 2008 में 3,736 और 2009 में 4,479 मामले दर्ज किये गये। जो मैंने अभी कमलाजी का जिक्र किया उसके बारे में तो यह भी चर्चा है पूरे जयपुर शहर में कि हमारे पुलिस के एक बड़े अधिकारी जेल में गये और जेल में जो वाहन चोर सरगना हंसराज मीणा सज़ा काट रहा है, उसके जाकर पैरों में गिर गये कि हमारी नौकरी का सवाल है, कमलाजी बेनीवाल की बोलेरो चोरी हो गयी, यह तो कम से कम वापस दिलवा दो। उसने वहीं से मोबाइल से फोन किया कि यह वापस दे दो और वह बोलेरो वापस मिल गयी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): यह असत्य बात है। आपको पता है क्या यह? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप विराजो। आप विराजो। आपका नम्बर आये तब बताना आप। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): नहीं, आप ऐसी असत्य बात कह रहे हैं कि पैरों में पड़ गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हंसराज से आपका क्या सम्बन्ध है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी कोई रिश्तेदारी है क्या इनसे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हंसराज के रिश्तेदारी है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इनका राज आने के बाद बैंक डकैतियां जयपुर शहर के लिए आम बात हो गयी है। आप यह देखिये कि 3 जून, 2009, विद्याधर नगर सेंट्रल स्पाइन के श्रीनाथ टावर में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा में एक नकाबपोश लुटेरा बैंक मैनेजर को एयरगन दिखाकर 1 लाख 62 हजार रुपये लूटकर ले गया। पता नहीं लगा अभी तक। 19 सितम्बर, 2009, चार लुटेरे सांगानेर स्टेडियम के पास स्थित मणपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कम्पनी में घुसे, 5 लोगों को बंधक बनाया, करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये की ज्वैलरी और तीन लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गये। आज तक पता नहीं लगा। 22 फरवरी, 2009, दुर्गापुरा स्थित एस.बी.बी.जे. की शाखा में सेंध लगाकर 33 लाख 60 हजार रुपये निकाले। बैंक के पीछे से भागते समय चोरों को पड़ोसियों ने देख लिया तो वे नकदी छोड़कर भाग गये। 6 अप्रैल, 2009, एम.आई.रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 9 लाख रुपये लूट कर फरार हुए। इसमें इन्होंने जरूर सफलता प्राप्त की, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 21 अक्टूबर, 2009 को खातीपुरा में द लक्ष्मी महिला अरबन को आपरेटिव बैंक में घुसे तीन लुटेरे, स्टाफ को रिवाल्वर दिखाकर चार लाख रुपये ले गये। दस मिनट के अन्दर हुई वारदात के तुरन्त बाद गार्ड ने बाहर आकर बंदूक से चार हवाई फायर किये, तब तक लुटेरे दो मोटर साइकिलों पर फरार हो चुकें थे।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में महिलाओं का गले में सोने की चेन पहनकर निकालना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। सोने की चेन ने महिलाओं का चैन छीन लिया। चेन तोड़ने की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। पॉश इलाके में महिलायें अकेली निकल नहीं सकतीं। चेन लुटेरे

(श्री कालीचरण सराफ)

आराम से मोटर साइकिलों पर आते हैं, चेन तोड़कर चले जाते हैं। पुलिस वाले उसके बाद फोर्मेलिटी पूरी करते हैं, नाकाबंदी करते हैं और फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। चेन लुटेरे पकड़े नहीं जाते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पिछले दो सालों में जितनी चेनें जयपुर शहर से तोड़ी गयीं, उनका यदि वज़न किया जाये तो आप यह देखेंगे कि 350 तोला सोना अर्थात् 60 लाख रुपये का सोना महिलाओं के गले से चेन तोड़कर लुटेरे लेकर भाग गये और किसी का भी पता नहीं लगा। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिये नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस कंट्रोल रूम, यादगार के सामने नरमुंड मिला, आज तक पता भी नहीं लगा। झोटवाड़ा में रेलवे ट्रेक के नीचे महिला की गला रेती लाश मिली, आज तक अपराधियों का पता नहीं लगा। नाहरगढ़ रोड पर मासूम हर्षित सोनी की अगवाकर हत्या कर दी गयी, अपराधियों का आज तक पता नहीं लगा। सिटी पैलेस के पास चाकू घोंपकर एक हत्या कर दी गयी, आज तक अपराधी का पता नहीं लगा। रोजाना चेन तोड़ने की वारदात होती है, कोई वारदात सुलझाई नहीं गयी। रोजाना वाहन चोरी की घटनाएं, वाहन चोर मिलते नहीं। जो वाहन चोरी जाते हैं उनका कोई अता-पता नहीं। अभी तक जितनी घटनाएं हुई हैं, अधिकांश घटनाओं में पुलिस उनको सुलझाने में नाकामयाब रही है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले डी.जी. साहब ने हमारे जयपुर शहर के अधिकारियों की मीटिंग ली और उसमें यह कहा कि आप लोगों ने पंचायत चुनाव इतने शांतिपूर्ण तरीके से करा दिये, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। डी.जी. साहब, पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गये, इसके लिये आपने धन्यवाद दिया, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं, पर आपके पुलिस के अधिकारियों को कम से कम यह भी कहो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजधानी में जिस तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं, जिस प्रकार से संगठित गिरोह अपराध कर रहे हैं, उनका पता लगाने में यदि कुछ अपना योगदान दें तो जयपुर शहर की जनता का भला होगा और जयपुर की जनता आपकी वाहवाही करेगी।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के आधार पर पुलिस अधिकारियों को लगाया जा रहा है। अभी एक दिन अख़बार में छपा कि कांस्टेबल की पोस्टिंग के

(श्री कालीचरण सराफ)

आर्डर भी गृह मंत्रालय से सीधे आ रहे हैं। यानी इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि राजनीतिक संरक्षण के आधार पर, राजनीतिक आधार पर एस.पी. की नियुक्ति, डी.आई.जी. की नियुक्ति, डिप्टी की नियुक्ति, एडिशनल एस.पी. की नियुक्ति, सी.आई. की नियुक्ति, एस.आई. की नियुक्ति, ए.एस.आई. की नियुक्ति, हैड कांस्टेबल की नियुक्ति और कांस्टेबल की नियुक्ति। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का नहीं हो सकता।

ये दागदार अधिकारी रोज अखबारों में आप पढ़ते होंगे, अभी एक ऐसे अधिकारी को लगाया, जिसके बारे में अख़बार में आया था कि एक महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का प्रयास करते हुए एक सी.आई. गिरफ्तार। यह पता किया कि ये श्रीमानजी पहले भी ऐसी वारदातें कर चुके हैं। गत वर्ष आपके शाहपुरा में एक शराब दुखान्तिका हुई थी, उसमें ये श्रीमानजी निलम्बित भी हुए हैं। उनको यहां सी.आई. लगा दिया। इसी प्रकार से जवाहर सर्किल थाना, जो मेरे इलाके में पड़ता है, वहां सी.आई. के पद पर कोई सुगन चंद जी लगे हैं। इनको थोड़े दिन पहले जवाहर नगर थाने में एक पारिवारिक विवाद में पीड़िता से रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनको जवाहर सर्किल का सी.आई. बना दिया। इसी प्रकार से सोडाला थाने में लगाये गये एक शब्बीर अहमद साहब, जो कुछ महीने पहले इसी थाने में थानाधिकारी के कार्यकाल में चर्चा में रहे..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: आदरणीय, अब आप सुझाव दे दो। आपकी बात तो समझ गये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट और लेऊंगा।

श्री सभापति: कोई सुझाव हो तो दे दो कि यह कैसे ठीक हो जाये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि शिप्रा पथ थाने में एक बच्ची पासपोर्ट बनाने के लिये गयी और उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया वहां के इंचार्ज साहब ने कि आत्महत्या के लिये उसको मजबूर होना पड़ा। यानी इतनी फेहरिस्त है।

मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्रीजी के पास कई भारी भरकम महकमे हैं- नगरीय विकास मंत्री हैं, स्वायत्त शासन मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। अब इनकी रुचि मुझे लगता है गृह विभाग में कम है, क्योंकि 90 बी कैसे हो, करनी चाहिये कि नहीं करनी

(श्री कालीचरण सराफ)

चाहिये, बिल्डर्स के लिये किस प्रकार के नक्शे पास किये जायें, भूमि अवाप्ति किस की, की जाये, किसको भूमि अवाप्ति से छोड़ा जाये, इनमें हमारे मंत्रीजी की रुचि ज्यादा है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में यदि आप कानून-व्यवस्था का राज लाना चाहते हैं और यदि प्रदेश में अमन चेन चाहते हैं तो आपके जो 100 और कुछ विधायक हैं, इनमें से किसी योग्य व्यक्ति को देखकर गृह मंत्री बनाओ और हमारे नाकारा सिद्ध हुए, निकम्मे और नाकारा गृह मंत्रीजी हैं, इनसे प्रदेश की जनता को निजात दिलायें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कालीचरणजी, आपने भी बना दिया। आपके पीछे चलते हैं ये तो। आपने जो लकीर डाली, उसी पर चल रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब विराज जायें। कृपा करके विराज जायें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके पीछे चलते हैं यह तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप सबसे होनहार हैं, आपको गृह मंत्री बनाने के लिये कह देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय माननीय सदस्य, अब आप विराज जायें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16 और 17 के ऊपर अपने विचार रखूंगा। जो गृह विभाग है, गृह विभाग एक ऐसा विषय है, जो पूरे देश के हर राज्य की एक महती आवश्यकता है। राज्य की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाये, आम जन अपने आपको सुरक्षित समझें, यह हर राज्य की सबसे पहली प्राथमिकता की सूची के अन्दर होता है। कानून व्यवस्था न सिर्फ हमारे राजस्थान के लिये, बल्कि विश्व के लिये भी एक चुनौती बना हुआ है और देश के लिये भी चुनौती बना हुआ जिस तरह से अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसका मूल कारण है बेरोजगारी एवं अन्य कारण हैं आधुनिकतम तरीकों का आना और राजनैतिक संरक्षण। इन सब के चलते अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है।

सूचना

सूरतगढ़ के शेखावाटी ग्रामीण बैंक में डकैती

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट

(श्री श्रवण कुमार)

आफ इन्फोर्मेशन है। मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में साढ़े 11 लाख रुपये का डाकुओं ने सुबह शेखावाटी ग्रामीण बैंक में डाका मार लिया। अभी डेढ़ बजे ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो तब है जब यहां गृह मंत्रालय की डिमांड चल रही है। यह कानून व्यवस्था है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): साढ़े 11 बजे और ले गये। कोई सूचना भी नहीं मिली है। मेरे पास इन्फोर्मेशन आई है। कृपा करके ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्रीजी वहीं गये हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान का हरियाणा से लगता क्षेत्र है, उसको सुरक्षा क्षेत्र में लिया जाये। सुरक्षा की जाये ऐसे क्षेत्र की। सूरतगढ़ बहुत गरीब क्षेत्र है और हरियाणा से लगता हुआ है।

श्री सभापति: आपकी सूचना आसन तक आ गयी है और आदरणीय मंत्रीजी तक इस सूचना को हम पहुंचा देंगे।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, पूर्व गृह मंत्रीजी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी माना कि अपराधों की संख्या हर वर्ष अनुपात के अन्दर बढ़ती जा रही है। यह संख्या न उस शासन काल में रुकी और न इस शासन काल के अन्दर रुक पा रही है और कारण हैं कि जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, राजनीतिक संरक्षण बढ़ता जा रहा है, दखलदांजी बढ़ती जा रही है। कुछ पुलिस के अन्दर इच्छा शक्ति जब कम हो जाती है तो यह चीज भी पनपती जाती है। उन्होंने भी माना कि मेरे समय के अन्दर भी गोलीकाण्ड हुए। उस वक्त आतंकवादी घटनाएं जयपुर में भी हुईं। अजमेर के ख्वाजा साहब के यहां पर भी हुई, चित्तौड़ के अन्दर भी कर्फ्यू लगा, साम्प्रदायिक हिंसा भी हुई। लेकिन यह रुकना चाहिए।

कोई भी शासन हो, हर शासन के अन्दर आम जनता और सत्तापक्ष यह चाहता है कि पुलिस का मनोबल ऊंचा रहे और पुलिस आम जन को सुरक्षा दे सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो पुलिस महकमा है, मैं उसकी एडवोकेसी कर रहा लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि उनका मनोबल ऊँचा रहना चाहिए। आज सेना का मनोबल ऊँचा रहता है तो पाकिस्तान ने जब जब भी आक्रमण किया उसको मुंह की खानी पड़ी। हम हर वक्त पुलिस

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

को कोसने लग गये। जो पुलिस आपके वक्त भी थी, वही पुलिस आज भी है। जब भी शासन तंत्र बनेगा वह की वह पुलिस के अधिकारी रहेंगे, वही पुलिसकर्मी रहेंगे। समय के साथ थानाधिकारी बदल जाएंगे, पुलिस अधीक्षक बदल जाएंगे। अच्छे पुलिस अधिकारियों का मनोबल ऊंचा रहे, उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे।

मैं मेरे जिले की बात आपको निवेदन करूं, अभी 2009 के अन्दर एक बहुत बड़ा अपहरण काण्ड हुआ चित्तौड़ के अन्दर। श्री अरुण भरडिया एक मार्बल व्यावसायी थे उनको चंगुल में फंसाकर भद्रेसा नाम का एक व्यक्ति मुम्बई से आया और मार्बल का एक सौदा थाइलैण्ड में रहने वाले व्यक्ति से करवाकर उनको मुम्बई बुला लिया। वहां से उनको लेकर वह बैंकाक चला गया और उसका समाचार आया कि उसका अपहरण हो गया। उस वक्त हमारे राजस्थान की पुलिस ने कितने एफर्टस किये, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं क्योंकि चित्तौड़ शहर का मामला था। मेरे घर से बिलकुल नजदीक वह व्यक्ति रहता था। 28.03 को मुकदमा दर्ज हुआ। 26 तारीख को उसके अपहरण की सूचना मिली। उस वक्त तत्कालीन एस पी ने रात को बारह बजे तक पूरी काल डिटेल निकलवाकर यह बता दिया कि अमुक व्यक्ति हिन्दुस्तान में तो कम से कम नहीं है। तीन घंटे में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को, ए टी एस प्रमुख श्री कपिल गर्ग को, मुख्य मंत्री कार्यालय तक यह सारी की सारी सूचना, गृह मंत्रीजी तक को सूचना दे दी गयी। मैं मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं। जो संवेदनशीलता मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त दिखाई, मैं स्वयं उनके परिवारजन को लेकर जयपुर आया और पूरी घटना मैंने मुख्य मंत्रीजी को बतायी। मुख्य मंत्री कार्यालय ने चार घंटे तक रात नौ बजे से एक बजे तक तथा मुख्य मंत्रीजी ने विदेशी दूतावास, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रीजी से बात की क्योंकि उनको मुम्बई से ले जाया गया था, और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि त्वरित कार्यवाही की जाए। ए टी एस प्रमुख श्री कपिल गर्ग ने चित्तौड़ पहुंचकर दो दिन कैम्प किया। गृह मंत्रीजी ने पूरी रुचि दिखाई उस वक्त और दो दिन तक रहकर सारे तथ्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करके उसकी लोकेशन पता की गयी। लोकेशन बैंकाक के अन्दर आ रही थी और उनको पकड़ने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास शुरू हुए।

राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ, सभापति महोदय, कि मुख्य मंत्रीजी ने हमारे पुलिस अधिकारियों का एक दल बैंकाक भेजा उनको

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

छुड़ाने के लिए। वहां का दूतावास सक्रिय हुआ, हमारा विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ और सारा का सारा हमारे मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयासों से सम्भव हो सका। महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र के ए टी एस प्रमुख थे, उन्होंने भी पूरी की पूरी सूची देखकर पूरी गैंग का पता लगाया कि इस तरह की वारदात की वह गैंग है कौनसी और उसके सार्थक परिणाम आये। जब दबाव बढ़ता गया, बढ़ता गया और एक माह बाद 30.04 को अरुण भरडिया को उन अपहरणकर्ताओं को छोड़ना पड़ा और वे सकुशल भारत की भूमि पर लौट सके।

मुख्य मंत्रीजी ने उस परिवार को संरक्षण दिया, अरुण भरड़िया की पत्नी को। जिस तरह से एक पिता अपनी पुत्री के ऊपर हाथ रखकर ढांढस बंधाता है, उन्होंने बंधाया। उसने अन्न जल त्याग दिया था और उसने पांव में चप्पलें पहनना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि बेटी, यह दर्द मेरा है और अरुण भरडिया को सकुशल राजस्थान की धरती पर लेकर आऊंगा, तू अन्न जल ग्रहण कर और चप्पलें पहन, मैं एक पिता की तरह तुझे आश्वासन दे रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी का यह कहना, इससे बड़ी बात कोई और राजस्थान की जनता के लिए हो नहीं सकती।

हमारे यहां पर और भी कई वारदातें हुईं, सभापति महोदय। अभी हाल ही हाईवे पर रोबरी हुई। एक करोड़ का ताम्बा लूट लिया गया था। हमारी पुलिस ने उसको बरामद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक करोड़ का ताम्बा, माल सहित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से अभी जिंक के अन्दर चोरी हुई। जिंक के अन्दर काफी चोरियां होती आ रही हैं लेकिन अभी ऐसा पर्दाफाश हुआ, करोड़ों की जिंक को अहमदाबाद से बरामद किया गया और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

चित्तौड़ के अन्दर गैंग रेप हुआ। अभी हुआ एक वर्ष पूर्व और अभी हाल ही एक माह पूर्व फिर गेंग रेप हुआ। अपराधियों को पकड़ा गया और उसमें विलम्ब नहीं हुआ। जो शम्भूपुरा पुलिस थाने के अन्तर्गत जो गेंग रेप हुआ, वह इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि अगर राजस्थान की पुलिस या गृह मंत्रीजी या राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी प्रभाव में आ जाते तो उनके लिए बहुत आसान काम था। लेकिन सातों के सातों व्यक्ति मात्र तीन दिन के अन्दर पकड़े गये। अभी हाल ही एक भील जाति की महिला के साथ गैंग रेप हुआ। दो दिन में पुलिस ने पर्दाफाश किया। इसी तरह पारौली के अन्दर एक घटना हुई, सभापति महोदय, गिरफ्तारी दो घंटे में हुई और 48 घंटे में चालान पेश कर दिया गया।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

हमारे यहां पर एन डी पी एस के बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं क्योंकि अफीम का उत्पादन चित्तौड़ के अन्दर काफी होता है। अभी बीस हजार किलोग्राम डोडा चूरा चित्तौड़ की पुलिस ने पकड़ा है। 123 किलोग्राम अफीम के साथ अपराधियों को भी पकड़ा है। माल ही नहीं, अपराधियों को भी पकड़ा है।

शराब तस्करी हो रही है। चित्तौड़ पुलिस ने लगभग चालीस हजार बोतलें अंग्रेजी शराब की, जो चित्तौड़ से निर्मित होकर आयी हैं, उनको पकड़ा है। वाहनों को जब्त किया है।

चोरियां बढ़ रही हैं। अपराध भी बढ़ रहे हैं लेकिन, सभापति महोदय, यह जरूरी है कि इसके साथ-साथ पुलिस के अन्दर नफरी बढ़ायी जाए। चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर्स की हो, चाहे इंस्पेक्टर्स की हो और चाहे डीवाई एस पी की हो। यह नफरी अगर कम होगी तो जो अपराधों के अन्दर अनुसंधान होता है और जो त्वरित कार्यवाही होती है, उसके अन्दर कमी आती है।

सभापति महोदय, पुलिस का सबसे जरूरी हथियार वाहन और सूचना तंत्र होता है। आज सूचना तंत्र का अभाव है। खुफिया तंत्र हमारा इतना मजबूत नहीं है। इस वजह से इतने बड़े-बड़े आन्दोलन हुए, गुर्जर आन्दोलन हुआ, उस वक्त अगर खुफिया तंत्र मजबूत होता तो बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाल लिया जाता और उस वक्त इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। जिस तरह की जयपुर में आतंककारी घटनाएं हुईं जयपुर में, अगर खुफिया तंत्र बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होता तो ये आतंककारी घटनाएं नहीं होतीं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि खुफिया तंत्र को बहुत अधिक मजबूत किया जाए और उसके अन्दर उन अधिकारियों को लगाया जाए जो बहुत ही ज्यादा मेरिटोरियल हों चाहे उनको विशेष भत्ता दिया जाए, चाहे उनको इस नाते भेजा जाए कि आपका प्रमोशन बहुत जल्दी-जल्दी, अगर आप इसमें आयेंगे तो होगा। तो ऐसे बहुत अच्छे पुलिसकर्मी और अधिकारी खुफिया तंत्र के अन्दर शामिल होंगे तो काफी सारी दुर्घटनाएं, आन्दोलन, हत्याकाण्ड और साम्प्रदायिक हिंसा, इन सब को रोका जा सकेगा।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी अनुरोध है कि आज जो ईंधन के लिए पैसा दिया जाता है उसकी राशि काफी कम है। साधन भी काफी कम हैं। आज चित्तौड़ के अन्दर हमारे पास जो वाहन हैं उनके अन्दर टायर ट्यूब्स की बहुत कमी पड़ रही है। अपराधी अपराध करके जायेगा तो

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

गाड़िया दौडेंगी कहां से? ईंधन के लिए कई बार पैट्रोल पम्प वाले मना कर देते हैं कि हम डीजल नहीं देंगे क्योंकि समय पर भुगतान नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पुलिस थाने खोलना बहुत आवश्यक है। एक बस्सी के अन्दर, एक चित्तौड़ शहर के सैंती के अन्दर और एक ट्रैफिक का पुलिस थाना होना बहुत आवश्यक है। भदेसर उपखण्ड के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने एस डी ओ हैडक्वार्टर खोल दिया है, इसके साथ ही एक डी एस पी कार्यालय भी वहां पर खोला जाना चाहिए। इसके साथ साथ चित्तौड़ शहर के अन्दर तीन पुलिस चौकियां जो अस्थाई रूप से काम कर रही हैं, गांधी नगर की, देहली गेट की और गांधी चौक की, इन पुलिस चौकियों को स्थाई किया जाए। इसी तरह से घटियावली कस्बा जहां से पुलिस स्टेशन 15 किलोमीटर दूर पड़ता है तथा इसी तरह से अभयपुर है, वहां से वहां का पुलिस स्टेशन लगभग 13 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहां पर अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की जाएं। यही मेरा गृह मंत्रीजी से और आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है।

अब मैं अंतिम बात कहता हुआ ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोलो आप। बोलो, बोलो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): चित्तौड़ नेशनल हाई-वे संख्या 76 और 79 गुजरता है और वहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कल भी एक दुर्घटना हुई जिसमें तीन लोग काल-कलवित हो गये। रोज की वहां नेशनल हाइ-वे पर दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती जा रही हैं। उसके लिए आवश्यक है कि ऐड पोस्ट स्थापित की जाए। वहां पर हाई-वे पैट्रोलिंग के लिए साधन और एक अलग यूनिट स्थापित करने की बहुत महती आवश्यकता है। यह जो हाई-वे रोबरी होती है इन सब के पीछे मुख्यत: कारण यह ही रह पाता है कि हाई-वे पैट्रोलिंग जब तक नहीं होगी तो वे अपराधी आराम से बच कर निकल जायेंगे।

आज जो हमारे जेल से कैदी भाग कर गये, ये कैदी ऐसे ही भाग कर नहीं चले गये। माननीय सभापति महोदय, यह मोबाइल, जो हम लोग सदन में नहीं ला पाते हैं और सदन में अगर चुपचाप आ भी जाता है तो साइलेंट पर रहता है लेकिन जेलों में इनका उपयोग बहुत अधिक होता जा रहा है। इसके ऊपर प्रभावी व्यवस्था अगर हो जायेगी तो इन अपराधों पर बहुत बड़ा नियंत्रण लग सकेगा। अपराधों का एक ऐसा तंत्र विकसित हो जाता है, माननीय

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सभापति महोदय, जेल के अन्दर जो अपने प्रभाव से बड़े-बड़े काम वहां बैठे बैठे करा लेता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो एक अन्दर संगठित गिरोह बन रहा है उस संगठित गिरोह को तोड़ा जाए। वो ही सारी योजनाएं बनाते हैं और वहीं से सारी की सारी इस तरह की योजनाओं को अंजाम दिया जाता है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में यह हाई-वे पैट्रोलिंग मजबूत होती तो ये 23 अपराधी भी पकड़े जाते। यह हमारे लिए दुःख का विषय है कि 23 अपराधी सुबह भाग जाएं; सुबह गये, कोई रात को जाते तो फिर भी बात होती लेकिन ऐसे गये कि उनका मालूम ही नहीं पड़ा लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी चित्तौड़ की पुलिस को और राजस्थान की पुलिस को और गृह मंत्रीजी को कि उन्होंने अपने पूरे प्रयास किये, तीन-चार को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ और लोकेट होने जा रहे हैं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना न करके अच्छे सुझाव माननीय सदस्य सदन के अन्दर देवें। पुलिस का मनोबल ऊँचा रखने के लिए यह आवश्यक भी है कि उनका मनोबल भी बढ़ाएं और हम भी राजनीतिक संरक्षण ऐसे पुलिसकर्मियों को नहीं दें, ऐसे अपराधियों को नहीं दें जो एक सांठगांठ के रूप में विकसित हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम सुझाव है कि 16 साल की जिसकी सेवा सर्कल इंस्पेक्टर की हो जाती है उसको बहुत अच्छा अनुभव सर्कल का हो जाता है। इस सरकार ने फैसला कर लिया है कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जायेगी। जो आदमी इतना अनुभवी हो जाता है, जिसको हर क्षेत्र का ध्यान हो जाता है कि आखिर किस तरह के अपराध में शामिल होने वाले कौन लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस समाज के लोग हो सकते हैं, उस आदमी को बिलकुल एक तरह से हाथ पर हाथ देकर के बैठने वाले विभाग के अन्दर भेज दिया जाता है पुलिस के अन्दर। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह पाबंदी हटायी जानी चाहिए और पुलिसकर्मियों को जितनी सुविधा देवें उसके साथ-साथ उनके ऊपर उतनी जिम्मेदारी देकर करके भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए और राजनीतिक संरक्षण भी हमारा बंद होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, सदन के अन्दर प्रदेश की कानून-व्यवस्था का चित्रण जारी है और प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में हमारे गृह मंत्रीजी कितने गम्भीर हैं, आज महत्वपूर्ण उनके खुद के विभाग की मांग चले और वे इस समय अपने कक्ष में आराम फरमा रहे हों, इससे यह स्पष्ट लगता है कि राज्य के गृह मंत्रीजी, जो तुनकमिजाजी के लिए धीरे-धीरे प्रसिद्धि पा रहे हैं, उनके मन में इस राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए न कोई कल्पना है न कोई इच्छा है।

माननीय सभापति महोदय, हालात बहुत विकट हैं। चुनाव घोषणा पत्र हो चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, सदन के नेता मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सदन में पूर्ववर्ती सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर की गई तल्ख टिप्पणियां सदन के रिकार्ड में हैं परन्तु, माननीय सभापति महोदय, इसमें भी शक नहीं कि राजस्थान का अवाम आज जर्जर कानून-व्यवस्था का दंश झेल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात प्रारम्भ करूं, उसके साथ ही मैं 03.01.2009 को जब राज्य के मुख्य मंत्री इस सदन के अन्दर अपना पहला भाषण दे रहे थे, उनके द्वारा की गयी टिप्पणी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि ''पिछली सरकार में पुलिस वाले पिटते रहे; सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी होती रही: एक महिला मुख्य मंत्री थी तो खुशी थी, महिला ही हमारी अध्यक्ष है, महिला ही हमारी राज्यपाल, गर्व था हमें इस बात को लेकर परन्तु बहनों की चैनें खींची जाती थीं; गुडागर्दी, डकैती आम बात थी, छह-छह बैंकों में डकैती हो गयी, डेढ़ महीने में जयपुर में हो गयी, जोधपुर में हो गयी, हिण्डौन में हो गयी, अलवर में हो गयी, हालात कुछ नहीं, यह तमाम बातें उस वक्त के हालात को बयान करती हैं कि शासन क्या था, अफसोस इस बात का कि मैंने जिंदगी में ऐसा राज नहीं देखा।'' यानी कि आज हमारे राज्य के गृह मंत्री और मुख्य मंत्रीजी को अफसोस नहीं जब उन्हीं के द्वारा दिया गया यह प्रगति प्रतिवेदन यह कहता है कि राज्य में प्रतिदिन चार हत्याएं और पांच बलात्कार हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे एक मित्र हैं खुरानाजी, पहले होजरी का व्यापार किया करते थे, पिछले आठ महीनों से रोल्ड गोल्ड की चेन आती है जिनको महिलाएं पहनती हैं, उसका व्यापार कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भला हो इस सरकार का, जब से यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुकूमत आयी है, जितनी बड़ी संख्या में महिलाओं के गले से चेन छिनती जा रही है, हमारे रोल्ड गोल्ड की जो नकली सोने की चेन की दुकान है वे मेरी धड़ल्ले से चल रही है।

मानानीय सभापति महोदय, खुद इनका प्रगति प्रतिवेदन यह कह रहा है कि 2008 की तुलना में 11.8 प्रतिशत अपराध बढ़े। यह अपराध बढ़ने की बात नहीं है, माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ तो इस बात की है कि अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर होता चला गया, चालानी प्रतिशत कम होता चला गया, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में बरामदगी प्रतिशत कम होता चला गया। इसी प्रगति प्रतिवेदन के, जो गृह मंत्रीजी के हस्ताक्षर से हमें मिला है, पृष्ठ-14 में वर्ष 2009 में घटित कुल हत्याओं के बारे में जिक्र हुआ है, 1,395 और यह कहते हैं कि इनमें से 342 में तो एफ.आर. लगानी पड़ गयी। हत्या, माननीय सभापति महोदय, हत्या का मुकदमा तब दर्ज होता है जब कोई लाश मिलती है। 342 में तो एफ.आर. लग गयी। 196 में पूरा एक वर्ष व्यतीत हो गया, पुलिस के पास पेंडिंग हैं। माननीय सभापति महोदय, आप महसूस करेंगे कि जिस किसी मां के लाल की हत्या हो जाए, बहन के भाई की हत्या हो जाए, हत्यारे पकड़ से बाहर चले जाएं या पुलिस का वे थानेदार जो गृह मंत्रीजी के नेतृत्व में इस विभाग में डिजायर पद्धति से ऊपर पहुंचने लगे, वे कह दे कि इसके अन्दर मैं कुछ कर नहीं सकता, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले भाषण में बड़ी चिंता की डकैतियों के बारे में। एक वर्ष में 53 डकैतियां हुईं। माननीय सभापति महोदय, 28 के अन्दर डकैत पकड़े गये, शेष पकड़ से बाहर हैं।

महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का रिकार्ड बजाना तो कांग्रेस की फितरत है। इसी प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ-14 में कहा है- 1,519 बलात्कार हुए पिछले 2009 में, यानी प्रतिदिन पांच और इन बलात्कारों में 501 में एफ.आर. लग गयी, 138 पेंडिंग हैं। यानी 50 परसेंट बलात्कार के मामलों में पुलिस चालान नहीं कर पायी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और आंकड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य के अन्दर पिछले एक वर्ष में 22,144 चोरी की घटनाएं दर्ज हुईं और 17,131 के अन्दर एफ.आर. लगी। यानी चालान हुआ 4,646 का।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब किस तरह महफूज है यह राजस्थान इन लोगों के हाथ में, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान की राजधानी के बारे में यह चर्चा चले कि देश के 35 शहरों में अपराध की दृष्टि में यह तीसरे स्थान के पायदान पर आ कर खड़ा हो जाए, 11 वाहन रोज चोरी हो जाएं। मेरे मित्र हैं नावां से आने वाले माननीय विधायक, बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, 12 जनवरी को इनके घर के सामने से इनकी बोलेरो चोरी हो जाए। गुजरात की राज्यपाल कमला जी की बोलेरो चोरी हो जाए। 2 फरवरी, 2010 को मुरारी लाल सैनी की बोलेरो चोरी हुई, कानोता थाने में गया रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। टेलीफोन की घण्टी बजी, चोर ने कहा अलवर में हूं, सत्तर हजार रुपये दे जाओ, बोलेरो ले जाओ। उसने कहा, थानेदार जी, सुनो क्या बात हो रही है। थानेदार ने कहा कि मेरी भी राय यही है कि आप सत्तर हजार रुपये देकर बोलेरो ले आओ वरना बोलेरो मिलेगी नहीं। हमारे दूसरे तेज-तर्रार विधायक रामनारायण जी मीणा यहां नहीं हैं, चोखी ढाणी में खाना खाने गये, वापस आए, बैग गायब। रिपोर्ट दर्ज कराने गये सांगानेर के अन्दर, कहा सांगानेर सदर में जाओ और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने गये कि यहां नहीं, सदर में नहीं होगी, प्रताप नगर में जाओ। मतलब एक विधायक को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इतनी जगह घूमना पड़े तो आम आदमी की क्या बात है।

सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि हमारी रक्षा का जिम्मा जिनका है, उस पुलिस का इकबाल राजस्थान में समाप्त हो गया। हमारे पूर्व गृह मंत्रीजी ने वह आंकड़ा दिया। मैंने एक सवाल किया था राजस्थान की विधान सभा में, मेरे सवाल के जवाब में यह कहा गया कि 15 दिसम्बर, 2008 के बाद 161 दिन में, उप नेता जी, 175 जगह हमारे खाकी वर्दीधारियों की दुर्गति हुई है, पिटाई हुई है। जहां पुलिस का इकबाल खतम हो जाएगा वहां कानून का राज कैसे रहेगा? सभापति महोदय, इस पूरी पिटाई की अगुवाई वह नौजवान कर रहा है जिसको दिग्भ्रमित करके इन्होंने वोट लिया। आज जब वह पूरे हालात को देखता है, जब थाने में जाता है किसी बात को लेकर और थानेदार कहता है एफ आई आर दर्ज कराने से पहले कि इस पर थोड़ा वज़न रखो, उसका आक्रोश उबल पड़ता है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी गृह मंत्री जवाब देंगे, लफ्फाजी से जवाब देंगे, पूर्ववर्ती सरकार के समय अपराध में यह हुआ था, पूर्ववर्ती सरकार के समय यह हुआ, निश्चित तौर पर कोई कमी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खामी रही, हम वहां से यहां आ गये। मैं समझता हूं कि हमारी यात्रा तो बाद में प्रारम्भ हुई पर आपकी यात्रा जिस तेजी से प्रारम्भ हुई वह किसी से छिपी हुई नहीं है। सभापति महोदय, सात हजार अपराधी इस राजस्थान की धरती पर खुले घूम रहे हैं। इसमें से ढाई हजार तो घोषित अपराधी हैं और पांच हजार अपराधियों का चालान उनकी गैर-मौजूदगी में पुलिस को करना पड़े। जयपुर रेंज, राजस्थान की राजधानी जहां हो वहां ग्यारह हजार अपराधी खुले घूम रहे हैं। जयपुर रेंज सैकिण्ड में 6500 घूम रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है?

सभापति महोदय, जेल के बारे में क्या कहें? आज जेल अपराधी सरगनाओं की ऐशगाह में बदल गया है। आज जेल के अन्दर कुख्यात जो अपराधी सरगना हैं वे सारी गतिविधियां चला रहे हैं। यह जयपुर में अख़बार छापता है, कभी ग्रुप डी के बारे में छापता है कभी ग्रुप दीक्षित के बारे में छापता है। जेल के अन्दर अपराधी षडयंत्र करके जेलर पर गोली चला दें, धौलपुर की जेल में कुख्यात डकैत जगन शराब पीकर ताण्डव करे, जिसका अखबारों में साया हो, और अपना समानान्तर साम्राज्य चलाए, आज जेल के अन्दर मांस, मदिरा, मोबाइल आम बात हो गयी। अजमेर की जेल के अन्दर चरस पकड़ी जाए। इसके साथ ही राजस्थान के अन्दर जिन जेलों के सुधार की बात पिछली बार कही गयी, किसी जेल में जैमर नहीं लगे, किसी में क्लोज सर्किट कैमरे नहीं लगे, किसी में एक्स-रे मशीनें नहीं लगीं।

सभापति महोदय, पैरोल कमेटी कैदी का चाल चलन देखकर उसको पैरोल पर छोड़ती है। एक साल के अन्दर पैंतीस कैदी जो पैरोल पर गये, वे पैरोल पर जाकर अपराध की दुनिया में चले गये।

मैं उन आंकड़ों की तरफ नहीं जाना चाहता कि जेल के अन्दर कितने पद खाली हैं और कितने नहीं पर मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज राजस्थान और राजस्थान की सीमा 1,070 किलोमीटर की सीमा, जिसमें नब्बे फीसदी इलाका पश्चिमी राजस्थान का है, सभापति महोदय, बारह महीने के अन्दर ऐसे लगने लगा है कि राजस्थान मादक पदार्थ, विस्फोटक सामग्री, नकली नोटों का ट्रांजिट पाइंट बन गया है। सभापति महोदय, सी आई ए की फैक्ट्स बुक में इस बार यह उल्लेख किया गया था कि पूरे संसार में अफगानिस्तान मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला देश बन गया और अफगानिस्तान से यह सारे मादक पदार्थ ट्रांसपोर्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहद से अन्तरराष्ट्रीय बाजार में चले जाए, इससे ज्यादा दुखदायी कोई हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक ओ पी एस मलिक ने जनवरी, 2010 में जोधपुर में जो बात कही, उन्होंने बयान में कहा कि कुख्यात आतकंवादी संगठन अल-कायदा नारको-टेरोरिज्म की राह पर चल निकला है। सभापति महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती जिले चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, गंगानगर हो, बीकानेर हो, पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी देने के लिए इंटरनेशनल हब के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। इसलिए इस पर सोचना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी सितम्बर में एक कुख्यात तस्कर सोडे खां, याद मोहम्मद और नजीर पकड़े गये। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम पाकिस्तान के कुख्यात तस्कर औलिया से और फाकिया से छह सात बड़ी खेप में हेरोइन, आर डी एक्स और हथियार लेकर दिल्ली तक देकर आए हैं। तो आप खुद देख लें कि किस तरह के हालात हैं। हमारे जोधपुर के पुलिस महानिरीक्षक उपेन्द्र भी यह कह दें कि बाड़मेर और जैसलमेर में पकड़े गये तस्करों से आर डी एक्स और हथियार का कंसाइनमेंट पंजाब के आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के लिए आया था, चिन्ता और बढ़ा देता है।

सभापति महोदय, बाड़मेर में जो आर डी एक्स पकड़ा गया, जयपुर जैसे बम धमाके चार बार कर लो, इतना बड़ी मात्रा था। मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, कि आज भी आपकी पकड़ से इनके रिश्तेदार, सोडे खां और इसके साथ डीजे खां यह पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों हैं। +++ उनका गांव है भागू। उस गांव से क्या सम्बन्ध है ऐसे लोगों का। मैं समझता हूं यह हम सब के लिए चिन्ता की बात है, सभापति महोदय।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): राजेन्द्र जी, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा गांव है तो अलग चीज है, गांव में पड़ोसी कौन बैठा है, आपके किसी को पता नहीं चलता है कि कौन आदमी क्या है। इसलिए मेरा नाम लेकर आप यह मत कहो कौन बैठा है, क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता। किसी का नाम लेकर यह बात करते हो ना ...(व्यवधान) यह बात कहकर क्या कहना चाहते हैं सदन में? मुझे बता दो आप ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, जयपुर में कोई निवास करता है और जयपुर में क्या घटना हो रही है ...(व्यवधान) यह

(श्री मदन प्रजापत)

चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, यह उनकी जवाबदारी नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान) आदरणीय सदस्य, आप इस चीज का ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात न कहें जिससे किसी को उस बात से ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज किसी के नाम से आरोप लगाना ...(व्यवधान) कि उस गांव में क्या घटना हो रही है, (व्यवधान) माननीय वरिष्ठ सदस्य जयपुर में निवास करते हैं ...(व्यवधान) क्या जयपुर की इनकी गारंटी है ...(व्यवधान) इस तरह से सीधे आरोप लगाना, आपके पास अगर प्रमाण है ...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, गलत बात है यह तो। (व्यवधान) गलत बात है यह तो (व्यवधान)... नाम लेकर के ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपके पास अगर प्रमाण हैं तो ... (व्यवधान)... बिना तथ्य किसी के ऊपर आरोप लगाना, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यह सदन की कार्यवाही से ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): गलत बात है यह तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपा करके विराज जाएं ...(व्यवधान) आप एक मिनट विराजें तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने तो गांव का नाम लिया है।

श्री सभापति: आपकी भावनाओं से आसन ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नाम नहीं लिया, नाम कैसे नहीं लिया? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी भावनाओं की कद्र करता है आसन। I will not let him repeat. (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, यह तो अपमानित करने वाली बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी भावनाओं की कद्र करता है आसन लेकिन कम से कम आसन की कद्र करना तो सीखें। (व्यवधान) आदरणीय सदस्य, आप

(श्री सभापति)
बहुत पुराने और सीनियर सदस्य हैं। कृपा करके ऐसे वक्तव्य न दें जिससे किसी साथी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा आशय बिल्कुल यह नहीं था। मैंने तो सिर्फ भागू गांव की चर्चा की और मुझे मालूम नहीं था कि उसकी चर्चा से इतनी नाराजगी हो जाएगी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपने नाम लिया ...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आपने स्पष्ट नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इस पूरे ...(व्यवधान) गांव में रहना और उस पूरे गांव की गारण्टी ...(व्यवधान) अगर किसी की आज दिन तक है तो उन्हें अवगत करवा दो। कोई गांव में रहने वाले एम एल ए का, भले माननीय मंत्री भी हो और कितना भी बड़ा नेता हो, माननीय सभापति महोदय, कोई गांव में क्या हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इस पर जहां आदरणीय सदस्य विशेष का नाम लिया गया है उस पंक्ति को या उस शब्द को एक्सपंज कर दें। आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं कह रहा था आज हमारी अन्तरराष्ट्रीय सीमा ....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिमांड पारित हो तब तक बढ़ाओ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): फिर बढ़ा लेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि पिछले बारह महीनों में हमारा पश्चिमी राजस्थान ......

श्री सभापति: आपका समय नहीं बढ़ाया मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मादक पदार्थ, विस्फोटक सामग्री और नकली नोटों के लिए इण्टरनेशनल ट्रांजिट पाइंट के रूप में बदलता जा रहा है और इसीलिए सभापति महोदय, जनवरी 2010 में भारत सरकार ने देश में आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ निर्देश जारी किये। उन्होंने राज्य सरकारों को कहा कि कार्यकारी योजना बनाओ और उस कार्यकारी योजना के अन्तर्गत एक सीनियर आई पी एस अधिकारी को प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो सुरक्षा एजेन्सी और आतंककारी निरोधक दस्ते के मद्दे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करे। केन्द्र सरकार ने निर्देश दिये कि आतंककारी घटनाओं के नियंत्रण के लिये क्विक रिएक्शन टीम बने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने, एस ओ पी का गठन हो। अब यह एस ओ पी का गठन इसलिये हो ताकि खुफिया पुलिस की सूचनाओं की रिपोर्ट पर समीक्षा करके उसका आकलन करके योजना बनायी जाए।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां एक ओर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं, वहीं हमारे खुफिया तन्त्र को कमजोर करने के लिये राजस्थान की हुकूमत एक साथ हमारी चौकियों को जो बाड़मेर की 9 चौकियां, जैसलमेर की 7 चौकियां, गंगानगर की 8 चौकियां और बीकानेर की 1 चौकी जो यह इंटरनल ट्रांजिट पाइन्ट पर थीं, इन सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में इन चौकियों को समाप्त करने का काम राजस्थान की सरकार करे, यही नहीं, जैसलमेर, पोकरण और नाचना में बार्डर इंटेलीजेंस के डीवाई एस पी का पद समाप्त हो जाए। और केन्द्र सरकार ने कहा था प्रत्येक थाने में एक-एक खुफियाकर्मी की नियुक्ति हो, 741 थानों में खुफिया कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिये, यह भी सारा दफ्तर दाखिल हो जाए।

सभापति महोदय, अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़मेर और जैसलमेर हैं। वहां दोनों जगह पर 6-6 थाने हैं। अब वहां थानों की हालत क्या है ? शाहगढ़ थाना है, उस थाने में न बिजली है, न पानी है, न टेलीफोन है। जिंजियामिया भी थाना है। पीने का पानी नहीं, गश्त के लिये एक जीप है उसमें भी डेढ़ सौ लीटर डीजल मिलता है एक महीने में। सम की यही व्यवस्था है। बाड़मेर में 14 पुलिस चौकियों पर टेलीफोन नहीं है आज के युग में। मैं समझता हूं, किस तरह यह सारा काम चलेगा, निश्चित तौर पर सोचने की बात है।

(समय : 16.52 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रामगढ़ का था, 6,759 किलोमीटर का क्षेत्र है, अध्यक्ष महोदय, गश्त के नाम पर एक जीप है। इसी तरह मोहनगढ़ का थाना है।

अध्यक्ष महोदय बार्डर बिकने के बारे में कांग्रेस के लोगों ने कई बयानबाजी की। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने तो यहां तक कह दिया कि मामला सी बी आई को सौंप दिया। खैर, ठीक है पर, अध्यक्ष महोदय, बार्डर पर जो जमीनें बिकीं उनकी रजिस्ट्रियों को खारिज करने के लिये अपर जिला और सैशन न्यायालय, बाड़मेर में जो दावे प्रस्तुत हुए, उन दावों के अन्दर जनवरी, 2009 में क्रेता और विक्रेता को नोटिस जारी हुए। क्रेता यानि राज्य सरकार और विक्रेता जिन्होंने जमीन खरीदी। क्रेता की तरफ से जिनकी जिम्मेवारी थी इसकी पैरवी करने के लिये, सब-रजिस्ट्रार की, तहसीलदार की, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और सरकार की अपील खारिज हो गयी। मैं समझता हूं, कहने के कुछ और दिखाने के कुछ।

अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसी फरवरी महीने में देश के प्रधानमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। हमारे मुख्य मंत्रीजी भी गये थे। हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रधान मंत्रीजी ने कहा था, देश की अर्थव्यवस्था के लिये जाली नोट सबसे बड़ी समस्या है और विगत डेढ़ वर्षों में उत्तरी राजस्थान और पाक सीमा से सटे गांव नकली नोटों के कारोबारियों के नेटवर्क के रूप में विकसित हो गये। एक वर्ष में जो नकली नोट के साथ पकड़े गये हैं, वे नौजवान ज्यादातर गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिले के हैं। अभी इसी मार्च महीने में गंगानगर में खाटलबाना गांव में एक नौजवान पकड़ा गया डेढ़ लाख नकली नोटों के साथ। गंगानगर जिला भी नकली नोटों के ट्रांजिट के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिये आर बी आई ने कहा कि राजस्थान में 2008 की तुलना में 2009 में 16 फीसदी नकली नोटों का प्रचलन बढ़ा है और आई बी के सूत्र तो यहां तक कहते हैं केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात आदि में कई मारवाड़ी युवक इन नकली नोटों के धंधे में लिप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, चिन्ता उस समय बढ़ जाती है, जनवरी, 2009 को नागौर के चोटीसरा रोड पर मेघराज नायक को नकली नोटों के साथ पकड़ा। उसके घर पर पुलिस गयी। कम्प्यूटर मिला, प्रिंटर मिला, स्केनर मिला और उसके साथ ही नागौर के सांसद के पी ए के रूप में और ड्राइवर के रूप में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संसद में प्रवेश करने के 2 प्रवेश पत्र भी मिल गये। मैं यह नहीं कहता कि उसमें नागौर के सांसद का कोई हाथ होगा पर निश्चित तौर पर ये तार कहां से कहां जुड़े हैं, इसके बारे में चिन्ता करना वाजिब है।

अध्यक्ष महोदय, नकली नोट बनाने वालों का दुस्साहस देखो आप। 8 जनवरी, 2010 को जयपुर में एस बी बी जे बैंक की बनीपार्क शाखा में नकली नोट जमा करा जाएं; 20 मार्च, 2010 को हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में बनी बैंक में 500-500 के 11 नकली नोट जमा करा जाएं; 4 मार्च, 2010 को गंगानगर की एच डी एफ सी में 38,500 नकली नोट जमा करा जाएं और जयपुर में सांगानेर के अन्दर आदर्श मिश्रा नाम का एक व्यक्ति नोट बनाने को व्यवसाय में बदल दे, 10 असली नोट लेकर आओ, 16 नकली नोट लेकर जाओ, मैं समझता हूं कि हमारे सबके लिये यह चिन्ता की बात है।

भादरा के अन्दर हरियाणा पुलिस के ए एस आई की पत्नी नकली नोट का व्यापार करते पकड़ी जाए, इसी मार्च को मानोता गांव है नगर के पास, हमारे डीग से आने वाले माननीय सदस्य का गांव, साढ़े 26 लाख रुपये के नकली नोट...

श्री अध्यक्ष: इनके गांव में ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जी।

श्री अध्यक्ष: गांव वाले सारे यही धंधा करते हैं क्या ? सारे गांव वाले यही धंधा करते हैं क्या ?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरे ध्यान में बात है। सही है जो क्योंकि यह...

श्री अध्यक्ष: विराजो-विराजो। आपका समय आए जब...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पर यह अलवर से आये थे...

श्री अध्यक्ष: आपका अवसर आयेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): और यह भी एक बहुत बड़ा रूट है जाली नोटों का...

श्री अध्यक्ष: विराजो। विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, उस गांव की पोखर के अन्दर साढ़े 26 लाख रुपये के नकली नोट तैरते मिले। अलवर में नकली नोट पकड़े जाएं और पंजाब में गिरफ्तार होता है नकली नोट छापने वाला सरगना कुलवन्त सिंह, कारोबार चलाता है बीकानेर से।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, 28 अगस्त, 2009 को बाड़मेर में जो हथियार और आर डी एक्स तथा जैसलमेर में जो हेरोइन बरामद हुई, उसमें तस्कर फोटिया जो भभूतों की ढाणी के सोडे खां के माध्यम से नकली नोट और आर डी एक्स के हथियार पांच बार लेकर आया, उसके साथ कितने नकली नोट आ गये, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पाली, सिरोही के अन्दर आदिवासी मजदूरी करने जाता है। हाड़ तोड़ मजदूरी करता है और उसको मजदूरी के बदले में नकली नोट उसके हाथ में दे दिये जाते हैं। बाजार में जाता है, घूमता रहता है। मैं समझता हूं आर्थिक आतंकवाद इसको कहूंगा मैं यह एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मुनावाब में सरकारी प्रेस नकली नोट छाप रही है। आर बी आई स्वयं यह कहती है, देश में जितनी प्रचलित करन्सी है नोट उसमें 4 परसेंट नकली नोट हैं। आज 8,80,000 हजार करोड़ करन्सी प्रचलन में हैं और 24,360, करोड़ नकली नोट हिन्दुस्तान के बाजार में हैं।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के क्वेटा और सिन्ध प्रान्त से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाक सीमा से राजस्थान में ये नकली नोट आ रहे हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस देश की सीमा, जहां की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो कि जहां चाहे वह मादक पदार्थों को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भेजने का रूट बने, चाहे नकली नोटों को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भेजने का रूट राजस्थान बन जाए, मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी ये कुछ बातें ऐसी हैं, राजस्थान का बंटाधार तो कर दिया। राजस्थान के अन्दर आज कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। आज आम व्यक्ति इस कानून के बारे में कहने लगा कानून का राज समाप्त हो गया पिछले 15 महीनों में। और आपको फुर्सत भी है? आपको फुर्सत ही नहीं है। समीक्षा करने की फुर्सत ही नहीं है।

आज जिस तरह शराब की तस्करी हो रही है, मैं जिस जिले से आता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम गृह मंत्रीजी, आप राजनीतिक प्रतिशोध तो लेना बन्द करो। आप गृह मंत्री हो। 12 फरवरी को कोटा के सांसद, उनके घर को राजभवन कहा जाता है, 12 फरवरी को डेढ़ घण्टे पथराव होता है, वीडियो बनती है और राज्य के गृह मंत्री उस वीडियो फिल्म को देख-देखकर मुस्कराते रहते हैं। गृह मंत्रीजी जब बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं सुनते तो सांसद महोदय मुख्य मंत्रीजी को यह कहते हैं। मुख्य मंत्रीजी एडिशनल डी जी पी ढिल्लो को भेजते हैं और गृह मंत्रीजी की एक गम्भीर फटकार से ढिल्लो साहब कहते हैं, मैं तो मेरे निजी काम के लिये आया था।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह छीपाबड़ौद के अन्दर 28 जनवरी को गोविन्दपुरा गांव में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के काफिले पर हमला होता है।

(समय : 17.00 बजे)

उसमें चोट आती है, गोली लगती है एक व्यक्ति शराफत को, हमलावर घायल होते हैं। पत्रावली सी आई डी (सीबी) में बुलाकर, आज वे अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, धौलपुर के एस.पी. की गाड़ी अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए जाती है। वहां अवैध बजरी खनन वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एस.पी. की गाड़ी को टक्कर मारते हैं, 500 मीटर तक टक्कर मारकर ले जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। टुकुर-टुकुर एस.पी. देखता रहता है। मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहता हूं कि राजस्थान की आम-अवाम का इस सरकार से विश्वास उठता चला गया है और इस तेजी से सरकार से विश्वास उठा है, गृह मंत्रीजी आप गुनहगार होंगे, राजस्थान के लोग तो भोगेंगे ही परन्तु जिस दिशा में और जिस दशा में आप राजस्थान को ले जा रहे हैं उसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक बात तो है, नकली नोटों के मामले में तो अच्छी दक्षता हासिल है। नकली नोटों के मामले में तो काफी अच्छी दक्षता हासिल कर ली। विराजें। विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नकली नोट कौन से होते हैं यह खूब जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और आप?

श्री अध्यक्ष: होम मिनिस्टर से तो कैसे छिपेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो ट्रेनिंग है वह एक ही जगह हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारी ट्रेनिंग दिन में होती है कि शाम को होती है, आपको क्या लेना-देना?

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें माननीय, सदस्य।

विश्व जल दिवस पर जल नीति के अनुरूप जल के कुशल उपयोग का आहवान

आज विश्व जल दिवस है। राजस्थान के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। बढ़ती आबादी, वर्षा की कमी, जीवन शैली के कारण बढ़ती पानी की मांग व तेजी से घटते भू-जल के कारण राजस्थान में सतही व भू-जल की उपलब्धता चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गयी है। इससे पेयजल का संकट पैदा हो गया है व हमारे विकास को भी खतरा पैदा हो गया है।

इस स्थिति से निपटने हेतु तात्कालिक एवं दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है। इस दिशा में हम और देरी नहीं कर सकते। पानी की मांग, प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई की कार्य कुशलता में बढ़ोत्तरी व पानी की प्रत्येक बूंद को एकत्रित करने, भू-जल दोहन के नियंत्रण जैसे उपायों पर बिना देरी कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने हाल ही में जल नीति घोषित की है जिसमें जल संकट से निपटने के उपायों का उल्लेख किया है।

आज विश्व जल दिवस के अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे यह संकल्प करें कि जल नीति के प्रावधानों के अनुसार हम सब मिलकर जल संकट का मुकाबला करेंगे और जल की एक-एक बूंद का सदुपयोग करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इस पर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, इस पर नहीं है। इस पर तो जो आपने काम किया है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है और मैं समझता हूं कि जल है तो कल है। इस स्थिति को आपने किया है तो आपको बहुत आभार और धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य: जल ही जीवन है।

व्यवस्था का प्रश्न

उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन विषयक

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपसे संबंधित है और इसलिए मैं सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन में हमारे सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप सरकार को निर्देश देते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप माननीय सदस्यों को निर्देश देते हैं लेकिन एक काम ऐसा है जिसमें आपका ही निर्देश चलता है और उस काम में भी अगर 25 प्रतिशत समय निकल जाये विधान सभा का और माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो तो वह चिंता की बात है।

अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम आठ को देखें। उसमें लिखा है ''सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष विनिश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।'' राजस्थान विधान सभा में उपाध्यक्ष का जो पद है वह परमानेंट पद है, विपक्ष की ओर उसकी पहली सीट है। वैसे उसका हक विपक्ष का होता है लेकिन हम नहीं मांगते हैं। पहली सीट उसकी होती है और उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता की होती है।

अध्यक्ष महोदय, 25 प्रतिशत समय निकल गया, आपने उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में तारीख तय नहीं की। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन के लिए राज्यपाल महोदय टाइम तय करते हैं। मुख्य सचेतक को माननीय मुख्य मंत्री शपथ ग्रहण कराते हैं। वह आपके हाथ में नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि आप तय करते हैं और सदन का जब समय होता है उस समय सुविधा यह रहती है कि सारे माननीय सदस्य यहां पर रहते हैं। इतने सत्र निकल गये, आपने तय नहीं की।

यदि आपके सामने कोई कानूनी अड़चन है तो आप सदन को अवगत करायें कि इस कारण से मैं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं करा पा रहा हूं। अन्यथा तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत आप व्यवस्था दें कि इस तिथि को इसी सत्र में मैं विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराऊंगा ताकि 200 में से कोई भी माननीय सदस्य उपाध्यक्ष बने, उसके अधिकार का हनन नहीं हो और आप उसके अधिकार का संरक्षण करें।

इसलिए इस व्यवस्था के प्रश्न में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आप इंटरेस्टेड हैं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं हूं या नहीं हूं ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। बेहतर तो यह रहेगा कि जिस रोज उपाध्यक्ष का चुनाव करो आप, प्रतिपक्ष के नेता का भी चुनाव करवा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रतिपक्ष के नेता का चुनाव तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन तिथि तय करना तो इनके हाथ में है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): करवा दें, वह भी खाली पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजियें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दोनों साहिबान एक साथ बैठेंगे तो भर जायेगी। इसलिए कह रहा हूं कि इस सीट को भर दो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का नेता तो आपको बनवा दीजिये, माननीय गृह मंत्री महोदय को।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष का नेता इनको बनाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह इसलिए कह रहे हैं कि यह काम हमारा ही कर रहे हैं ...(व्यवधान) जुग-जुग जियें यह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज के दिन तो शांति रखें कम से कम ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था तो करिये। आपका ही काम है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था रिजर्व है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कोई परिस्थिति, कोई कारण जिसमें आप नहीं करा पा रहे हैं तो हम समझें वरना तो आप यह चुनाव करायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कुछ तो फरमायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन। आप विराजें। मैंने उनको बता दिया है, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रिजर्व है, रिजर्व। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा भी अधिकार है इस बात को जानने के लिए ...(व्यवधान) कब व्यवस्था देंगे?

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

मांग संख्या 16 और 17 पर विचार

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष सभी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। आज के जो हालात हैं और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और दिनों-दिन हर तरह की समस्याएं जो हमारे सामने वर्णित हो रही हैं, वह चाहे चोरियां हों, डकैतियां हों, इनका ग्राफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसमें हमें सोचना होगा, हम सब को मिलकर के ठोस उपाय करने होंगे कि किस तरह से हम इन पर काबू पा सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने एक-एक बात बताई कि इतनी डकैतियां हो गयीं, इतनी हत्याएं हुईं, हमारी चोरियां हो गयीं, वे सारी बातें अभी बता रहे थे। इन्होंने 15 महीनों की तो ये सारी बातें बतायीं। पांच साल का इतिहास इनका रहा और उसमें हम सारी घटनाएं बताना चाहें तो उनका कोई अंत ही नहीं होगा कि किस तरह से पांच साल के अन्दर घटनाएं हुईं, कितने गोलीकांड हुए, कितनों की जानें गयीं। किस तरह से ये गुर्जरों और मीणाओं को आपस में लड़ाते रहे, कितने उसमें मारे गये। पानी मांगा गोली मिली और किस तरह से इनके समय में हालात हुए थे। चोरियां देख लो, डकैतियां देख लो, बलात्कार देख लो यह सारे हालात थे। आज हमें सोचना होगा कि इस पर किस प्रकार हम काबू पायें।

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारे कमी है, जिस तरह से थानों में पुलिस पर दबाव है, उन दबावों को कम करना पड़ेगा। अच्छी तरह से सोचकर के निर्णय करना पड़ेगा। अभी मुख्य मंत्रीजी एवं गृहमंत्री जी ने इस बजट के अंदर भी इसके प्रयास शुरू किये हैं, रूके हैं।

आज जयपुर और जोधपुर में जिस तरह से कमिश्नर प्रणाली का प्रयोग करने जा रह हैं। इसके साथ-साथ किस तरह से यह क्राइम कम हो, इसके लिए नये थाने खोलने, महिला थाने खोलने और नयी पुलिस भर्ती करनी, यह सारे प्रयास जारी हैं। इसमें मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, ज्यादा लंबी -चौड़ी बात नहीं करूंगा।

क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता ने सारा जो अपना इतिहास खोला उन पर

(श्री मेवाराम जैन)

नहीं जाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इसमें सुधार कैसे लाएं। आज जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शराब पीकर ट्रक चलाते हैं उनको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास हो, चाहे ट्रेक्टर ट्रॉली हो, उनमें रिफ्लेक्टर लगाकर किस तरह से उन घटनाओं को रोकें, दिनोंदिन बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए, कानून कड़े करने पड़े तो करें। आज एक्सीडेंट करके आते हैं और दूसरे दिन ही उनकी जमानत हो जाती है तो इस प्रकार के प्रयास हमको करने पड़ेंगे तभी इन घटनाओं में कमी आएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में पेट्रोल और खनिजों के अथाह भण्डार हैं और इस वजह से वहां काफी मांग थी, बाहर से भी कम्पनियां आई हैं ऐसे हालात में वहां पर नया थाना नागाणा में खोला उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में पहले से शहर में एक सिटी कोतवाली थाना है, तहसील पूरी बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में आती है जिसमें एक सदर थाना है, अभी दूसरा नागाणा थाना खोला गया है तो इसके अंदर कुछ ऐसी पंचायते हैं जो इस थाना सदन के अंदर आनी चाहिए जिनमें दूधादेही, नादेर, सुराय और रामसर है जो यहां से 30-40 किलोमीटर दूर डाली हुई हैं, इनको इस थाने में डाला जाए। कुछ अभी नागाणा में थाना नया बना है इसमें भी दो-तीन पंचायतें हैं भूटिया, चला, सरणू, इनको डाला जाए ताकि यहां के लोगों को आने-जाने की समस्या न हो। विधान सभा क्षेत्र भी एक है, तहसील भी एक ही है। तो इस तरह से थानों का विभाजन करें ताकि लोगों को आसानी हो जाए।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मांग संख्या 17 में हमारे बाड़मेर में जिस तरह से बोर्डर एरिया है, वहां की जेल की चारदीवारी छोटी है और वहां स्टाफ की कमी है। इसलिए वहां स्टाफ भी लगाया जाए।

बाड़मेर जिले में पुलिस के पास जो साधन हैं, उनके पास जो गाड़ियां हैं उनके लिए डीजल की व्यवस्था करें; नफरी जो कम है उसको बढ़ाया जाए। बाड़मेर जेल में तस्कर और दूसरे अपराधी काफी ज्यादा तादाद में हैं और उसके लिए स्टाफ बिलकुल ही कम है, उसको भरा जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से हम आपस में मिलकर इन सारी व्यवस्थाओं को और आज के माहौल को ठीक करें, एक दूसरे से आपस में उलझें नहीं और मिल बैठकर अच्छे सुझाव दें कि किस तरह से

(श्री मेवाराम जैन)

कानून व्यवस्था ठीक हो, पुलिस का मनोबल बढ़े और अपराध की घटनाएं जो दिनोंदिन बढ़ रही हैं उनको कम करने में कैसे प्रयास करें इस पर विचार करें।

यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आपकी जानकारी में है यह तो।

व्यवस्था का प्रश्न

आफिसर्स गैलेरी में गृह सचिव एवं डीजीपी की अनुपस्थिति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आफिसर्स गैलरी में राज्य के डी जी पी नहीं हों, गृह सचिव नहीं हों तो मैं समझता हूं कि न केवल गृह मंत्रीजी कानून व्यवस्था के लिए लापरवाह हैं बल्कि इनके अधिकारी तो इनसे भी लापरवाह हैं। यह पहली बार देख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसा विद्वान व्यक्ति आसन पर विराजमान हो और नौकरशाहों की इतनी हिम्मत कि डी जी पी और गृह सचिव दोनों की अनुपस्थिति सदन में हो और एक आदमी भी आफिसर्स गैलरी में ऐसा नहीं है जो लिख रहा हो माननीय सदस्यों के सुझावों को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे के सारे पुलिस अधिकारी अभी यहां पर मौजूद थे, सी एम के यहां कोई अर्जेण्ट मीटिंग हो गई, आने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: आइन्दा ध्यान रखा जाए इस बात का।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बिलकुल साहब।

दूसरी बात यह है कि ये मुझे लापरवाह बता रहे हैं। अब ये तो मुझे भी लापरवाह बता रहे हैं। मैंने इनकी एक-एक बात सुनी है, दम तो नहीं था लेकिन फिर भी सुनी है।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों के मामले में हमको नहीं बोलना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण सदन चर्चा कर रहा है। गृह विभाग की मांगों पर चर्चा मुख्य मंत्रीजी की बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको आप बुलाइए, अध्यक्ष महोदय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप दोनों का प्रेम जगजाहिर है। चैम्बर में कर लेना आप जो भी बात करनी हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको अपनी कही हुई बात का गृह मंत्री से जवाब लेना है या किसी पुलिस अधिकारी से जवाब लेना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): देखिए, अगर आप इसको उचित मानते हो, आप इसको उचित मानते हो, उप नेता महोदय..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके प्रति और सदन के प्रति तो मैं उत्तरदायी हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आफिसर्स गैलरी खाली रहे तो भी कुछ नहीं कहें? हम कौन से अधिकारियों को जवाबदेह बना रहे हैं, क्यों अधिकारियों को खुली छूट दे रहे हैं, क्यों अधिकारी इस वक्त आराम फरमा रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले होता यह था, आप तो साक्षी हो, प्रत्येक जिले के एस पी आया करते थे, सारी रेंज के आई जी आया करते थे। आज हालत क्या है? बैंस साहब के अलावा एक जिम्मेदार अधिकारी आफिसर्स गैलरी में नहीं है और बैंस साहब भी अभी आए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय जाया नहीं करना चाहता, मैंने जो आपत्ति की है, मुझे और सदन के सभी माननीय सदस्यों को आपके संरक्षण की आवश्यकता है। आप आसन से निर्देश दें कि डी जी पी और होम सेक्रेटरी दोनों तत्काल सदन में आएं, आपसे उम्मीद है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अभी यहीं बैठे हुए थे। आप बैंस साहब को कम समझते हैं क्या? वे भी डी जी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर नहीं कह रहा हूं कि कौनसी मीटिंग है और कौनसी मीटिंग नहीं है। मैं आपको परम्पराओं और नियमों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सदन में जब डिमाण्ड पर चर्चा होती है तो बहुत सी व्यवस्थाएं इस पर हुई हुई हैं जिनमें जो हैड आफ द डिपार्टमेंट, विभिन्न प्रकार के अन्य सारे लोगों का जो आफिसर्स गैलरी बनी हुई है, उस आफिसर्स गैलरी में उनका रहना अत्यन्त आवश्यक है। यह हमारे उसके खिलाफ है।

मंत्रीजी जवाब देंगे यह बात बिलकुल ठीक है, हम आपसे जवाब लेंगे, आप ही सदन के प्रति जिम्मेदार हो लेकिन हमने सदन की कुछ व्यवस्थाएं की हैं उनमें आफिसर्स गैलरी का भी तय है। वहां उनके बैठने की व्यवस्था की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। प्रगति प्रतिवेदन का भी अपन ने तय किया है। वह सारी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ निर्णय भी आए हुए हैं फिर भी आफिसर्स गैलरी खाली रहे अगर फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो और फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी उपस्थित नहीं हो, गृह मंत्रालय पर बहस हो और डी जी और यह नहीं हो तो इस प्रकार की स्थिति उचित नहीं है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में स्पष्ट निर्णय करें। उन लोगों को यहां सदन में होना चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह आ गए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इससे मतलब नहीं है, यह आ गए हैं। आ गए और चले गए इससे मतलब नहीं है। इनको रहना चाहिए यहां पर, मतलब यह है। आ गए, अहसान नहीं है किसी का। सारे ऑफिसर्स को यहां पर सदन में आफिसर्स गैलरी में रहना चाहिए, यह है मतलब।

व्यवस्था

विशेष परिस्थिति को छोड़कर मांगों पर चर्चा के समय संबंधित शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को आफिसर्स गैलेरी में रहना चाहिए

श्री अध्यक्ष: जैसा कि चूरू जिले से आने वाले माननीय सदस्य और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति की है, निश्चित रूप से यह बात सही है कि जवाब तो सदन में मंत्री देता है लेकिन गैलरी बनाई गई है तो अधिकारियों को इसमें बैठना चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बैठक ली है उसके लिए तो उनको छूट दी जा सकती है। लेकिन भविष्य के लिए सरकार इस प्रकार के निर्देश जारी करे कि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में न हो। यदि डी जी वहां मीटिंग में जाते हैं तो उनके बाद का कोई न कोई सक्षम अधिकारी यहां पर रहना चाहिए। मैंने भी देखा है कि गैलरी में अधिकांश आफिसर्स मीटिंग में चले गए थे। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं हो।

...(व्यवधान) जैन साहब। (व्यवधान) बोल चुके हो? (व्यवधान) नहीं, बीच में व्यवस्था के प्रश्न के कारण मैंने उनको निवेदन किया। (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न बीच में उठाया था, उनके बोलते हुए इसलिए मैंने निवेदन किया कि बात समाप्त नहीं हुई हो तो अपनी बात कह दें।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का ही समय और लूंगा। महिला थाना बाड़मेर में खोला जाए ताकि वहां की महिलाओं की सुरक्षा हो सके। चवा में पुलिस चौकी खोली जाए क्योंकि वहां नजदीक में कोई थाना नहीं है आसपास में। अभी तेल के जिस तरह से भण्डार है, वहां सुरक्षा की आवश्यकता है। इसको देखते हुए चवा में पुलिस चौकी नई खोली जाए इसके साथ-साथ जितने भी थाने हैं उनमें व्हीकल्स और स्टाफ ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि वहां थानों की व्यवस्था अच्छी हो जाए; जहां क्राइम हो, तत्काल वहां पहुंच जाए।

यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री रणवीर पहलवान।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम दिया।

आज पुलिस प्रशासन की जो मांग है इसमें मेन मुद्दे बहुत से सुनाई दिये। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसके कुचक्र में पूरा राष्ट्र पिसा जा रहा है। वैसे तो भ्रष्टाचारियों को धन्यवाद बोलने का जी करता है। पूरे विश्व में भारत किसी चीज में प्रथम नहीं आया लेकिन भ्रष्टाचार में पूरे विश्व में भारत प्रथम आया है। एक चीज का तो इनको धन्यवाद लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारी, उच्च अधिकारी और राजनेता की मिलीभगत से ही पूरे भारत के अन्दर भ्रष्टाचार प्रणाली सुचारू रूप से चलती आ रही है। इसको खतम करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, छोटी-छोटी मेरी दो-तीन प्रार्थनाएं हैं।

नम्बर एक तो जिस अधिकारी के कार्यालय में काम है, एक या डेढ़ महीने से ज्यादा पेंडेंसी रहती है तो उसे सीधा रिश्वत का दोषी माना जाए क्योंकि वह उसके कार्य को रोक कर रिश्वत लेना चाहता है। उसी कानून में एक कार्य को कर दिया जाता है और उसी कानून में एक व्यक्ति के काम को महीनों रोक कर रखा । उदाहरण के तौर पर आज कोई किसान बिजली के लिए एप्लाई करता है तो उसको कहा जाता है कि बिजली आपको प्रायोरिटी पर मिलेगी या इतने नम्बर पर आपकी जो फाइल है; जब भी वह काम करवाने जाता है, चाहे वह जेडीए में 90 बी हो, चाहे नगर निगम में हो, चाहे और कहीं भी हो।

एक पार्टी दूसरी पार्टी को भ्रष्ट कहती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को

(श्री रणवीर पहलवान)

भ्रष्ट कहती है। यह चलते आया है लेकिन पार्टी कोई भी भ्रष्ट नहीं है। जिस तरह से सदन का यह हाउस अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, यह हाउस तो भ्रष्ट हो नहीं सकता। इसी प्रकार पार्टी भी भ्रष्ट नहीं उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को या राजनेता को भ्रष्टाचार के मामले में पूर्ण सबूतों के साथ पकड़ा जाता है तो उसके सहयोगी भी साथ खड़े हो जाते हैं और उस एक व्यक्ति को गुण्डा घोषित कर दिया जाता है लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति संत घोषित कर दिया जाता है कि यह आदमी तो संत था। ऐसी अवस्था के अन्दर कोई आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। हम सब को मिलकर अगर भ्रष्टाचार को खतम करना है तो भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध बोलने वाले या पकड़ाने वाले व्यक्ति का साथ प्रत्येक आदमी को देना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाया गया जो स्वयं भ्रष्टाचार की फैक्टरी चलाता है। दो हजार से ज्यादा व्यक्तियों के चालान, जो भ्रष्टाचार में स्वयं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ट्रेप किये हैं, चालान की अवधि वैसे हर अपराध की एक दो तीन माह की होती है लेकिन 15-15 साल से चालान पेंडिंग पड़े हैं। किसी अधिकारी के संरक्षण में यह काम रुका हुआ है, वह अधिकारी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सहयोग दे रहा है, उस अधिकारी को भी दोषी माना जाए अन्यथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अविलम्ब बंद किया जाए। पहले ही अकाल में हम मर रहे हैं और एक इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया, करोड़ों रुपये उनको तनख्वाह बांटी जा रही है। एक जो भ्रष्ट व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा पकड़वाया जाता है, वह भ्रष्ट व्यक्ति तो पहले से ही पैसे वाला होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वह भ्रष्टाचार चालू करता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी ले लेकर रुपये और उसके लाइसेंस को रिन्यू करते रहते हैं; चलो, इस साल तेरा चालान पेश नहीं करेंगे, अगले साल भी।

जब एक अधिकारी के कार्यालय में कोई काम पेंडिंग होता है और वह अधिकारी उसके एवज में, उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगता है। वह व्यक्ति नहीं देना चाहता है और उस अधिकारी को पकड़ाना चाहता है, उसी 50 हजार रुपये को अंवेषण ब्यूरो जो है, रिश्वत की राशि को कोर्ट के अन्दर कि अमानत की यह राशि रिश्वत की राशि थी, पकड़ स्वयं जमा कर लेता है। वह 50 हजार रुपये उस गरीब की जेब से चले गये और उसके कार्य

(श्री रणवीर पहलवान)

को फिर बिलकुल नहीं किया जाता। दूसरा अधिकारी आता है वह भी उसके कार्य को रोकता है, आखिर उसी का भाई आएगा, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो।

सन् 1993 के अन्दर एक रजिस्ट्रार को पकड़वाया गया, जयपुर के अन्दर था, उस रजिस्ट्रार को 20 हजार रुपये मैंने ट्रेप करवाया। अध्यक्ष महोदय, मेरे 20 हजार रुपये तो एंटी करप्शन ब्यूरो से आज तक नहीं आए, उसकी जेल हुई 4 वर्ष, 10 वर्ष हो गये परन्तु मेरी रजिस्ट्री हाई कोर्ट में आज तक पेंडिंग पड़ी है। वह होने नहीं दी क्योंकि उसी के भाई दूसरे आ जाते हैं। उससे अच्छा मैं क्या, दूसरा भी यही सोचेगा कि यह 15-20 हजार रुपये इसको देकर मेरा काम करवा लूं, क्यों मैं इतने लम्बे-चौड़े झंझट में पड़ूं।

आम तौर पर राजनेता सभी नारों में कहते हैं कि भ्रष्टाचार खतम होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए लेकिन सच्चाई यह है जब भी भ्रष्टाचार खतम करने की कोई पहल करता है तो सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। होना यह चाहिए कि जो रिश्वत की राशि देकर के अधिकारी को पकड़वाया जाता है, वह राजकोष से देनी चाहिए, क्योंकि वह सरकार में जमा हो रही है। उस अधिकारी को सज़ा हो या न हो, यह मैटर दूसरा है। सबसे पहले उसका काम जो सही है वह पहले सरकार करने का वायदा करे। मैं कहता हूं, सब कार्यालयों के अन्दर कल से ही काम शुरू नहीं हो जाए और भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाए तो गारंटी है।

डरता है आदमी, गरीब गांव का भयभीत है कि मैं इसे पकड़ा दूंगा, काम मेरा होना नहीं, पैसे भी चले जाएंगे। दूसरा इसका भाई आएगा, ट्रांसफर करके यहां से दूसरी जगह लगा देंगे, ट्रैप करने के उपरान्त 10-10 वर्ष तक चालान नहीं होते, वह अपने आप में मजबूत व्यक्ति होते हैं। दूसरा, चाहे पटवारी हो तो उसका ही भाई दूसरा पटवारी आएगा, तहसीलदार की जगह तहसीलदार आएगा, आरएएस की जगह आरएएस आएगा, आईएएस की जगह आईएएस आएगा। उसको जब पकड़वाने की कोई हिम्मत करता है तो वे सब के सब संगठित होकर के पटवारी पटवारी एक हो जाते हैं, तहसीलदार एक हो जाते हैं और उस गरीब व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती। मैंने विधायक बनने के बाद टोरड़ी गांव के बैंक मैंनेजर को, अध्यक्ष महोदय, अभी पकड़वाया। उसके घर से 8 किलो सोना, कोई जेवरात नहीं थे बिस्कुट थे, चार मकान और छह प्लाट मानसरोवर में। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोरड़ी में बैंक मैनेजर। काम

(श्री रणवीर पहलवान)

क्या कर रहा था? वह लोन देने के एवज में 5 हजार, 10 हजार रुपये लेता था। 50 हजार पर 10 हजार, 25 हजार पर 5 हजार। एक गरीब आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये लोन एप्लाई किया तो उसने कहा कि 5 हजार रुपये मैं लूंगा। तो मेरे को बोला, अच्छा, पहलवान जी, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ-खिलाफ करते रहते हो, मेरी तो दुर्गति हो गई, मैंने कहा, क्या हो गया, कि 20 हजार रुपये मैं इससे लोन ले रहा हूं और 5 हजार रुपये रिश्वत मांगता है। मैंने कहा, इसको पकड़वा दें तो वह बोला, मेरे घर खाने को रोटी नहीं, बेटी की शादी करनी है, क्या पकड़वा दूं? मैंने उसको कहा, तू जो बैंक से 20 हजार रुपये लेगा यह 20 हजार रुपये तुझे जमा करवाने ही पड़ेंगे, बोला कि करवाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि तेरे को 20 हजार रुपये देता हूं, जिंदगी में वापस नहीं लूंगा पर इसको पकड़वा। हमने सीबीआई की टीम को यहां आकर बताया, सीबीआई वालों ने उसे पकड़ा। अध्यक्ष महोदय, 8 किलो सोना, सोने के बिस्कुट थे, जेवरात नहीं थे और 4 मानसरोवर में मकान, छह प्लाट, एक बैंक मैनेजर के घर से तो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस के अन्य अधिकारियों के क्या हालात होंगे, आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। मतलब कितना भ्रष्टाचार! कहने कहने में ही इतना बड़ा तंत्र डवलप कर रखा है कि एक आदमी मारा भी जा सकता है, वह अगर उनके अगेंस्ट में बोलता है तो। क्या-क्या उसके साथ बीतता है, मेरे को तो, अध्यक्ष महोदय, एक शायर ने इस तरह कहा,

'' जज्बे शौके शहादत को क्या कीजिए,
सिर हाथों में हमने भी ले लिया है,
कत्ल होने से आखिर कब तक डरेंगे,
जब कातिलों के मोहल्ले में ही घर ले लिया है।''

जब कातिलों के मोहल्ले में घर ही ले लिया, यहां कोई नहीं बचेगा। एक कसाई ही अगर 10-20 बकरे खरीद कर लाये, 40, अध्यक्ष महोदय, कसाई मेहरबानी भी कर देगा तो 40 दिन की ही करेगा, आखिर में गर्दन तो कटनी ही है।

मैं कहता हूं, यह मुद्दा है, एक मेरा, एक आपका, एक आपका नहीं है, हम सब का है। इस पवित्र सदन में बैठकर हम उस जनता से क्या-क्या वादे करके आते हैं और फिर हालात यह है, हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलकर चुप रहते हैं तो भ्रष्टाचार को सहयोग दे रहे हैं। पर यह बात नहीं,

(श्री रणवीर पहलवान)

भ्रष्टाचार अच्छा कि बुरा होता है, ''मिट जाते हैं वंश, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुआ और उग्रसेन के कंस'' उसने अपने पिता का भ्रष्टाचारी होने के कारण वध किया था, प्रहलाद भगत ने, तो जो भ्रष्ट व्यक्ति भाई भी हो, पिता भी हो, उसका विरोध करना ही इस सदन की पवित्रता है और धर्म भी बनता है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं होता।

उस व्यक्ति के द्वारा पकड़ाये गये उस अधिकारी को अगर वो पैसे देकर के अपना काम करवा लेता पर उसने रिश्वत देना उचित नहीं समझा। वह पैसे तो एंटी-करप्शन ब्यूरो में जमा हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कभी यह नहीं पूछा जाता कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। कई बार यह भी कहा जाता है कि सबूत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैंने आज तक सबूत के साथ ही काम किया है। 79 में एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सहित 14 पुलिस वालों की फिल्म बनाकर के दिल्ली पुलिस में पहले दिखाई उसके बाद कोई 20-30 और पकड़वा दिये और पकड़वाता ही जा रहा हूं। मरूंगा जब तक इस काम में लगा रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सुनो, जब मैंने पकड़वाया तब मेरे को भी कहा गया कि बदमाश है, रणवीर पहलवान बदमाश है पर मैं बदमाश हूं तो वे देशभक्त हैं? दोनों में से एक बात तो साफ है लेकिन मैं आपको सच्ची बात यह कहता हूं कि बदमाश वह व्यक्ति होता है कि किसी व्यक्ति के सबूत आ जाने के उपरांत उन सबूतों का दुरुपयोग करके उनको ब्लैकमेल कर लेता या फिर उन्हीं सबूतों से दूसरी पार्टी से समझौता करके टिकट लेता। फिर भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और दोनों को हलाल करके आ गया।

अध्यक्ष महोदय, यह चीज दूसरी है, यहां भ्रष्टाचार का भाषण दिया जाता है लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना आज बहुत बड़े संकट की घड़ी है। पाकिस्तान के बोर्डर पर खड़े होकर मारना है, सामान्य बात नहीं है क्योंकि उनके फोलोअर इतने ज्यादा हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास बहुत सी चीजें हैं, वो हर प्रकार का आर्थिक, शारीरिक, हर प्रकार का नुकसान उस व्यक्ति का करते हैं। मैं सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि – ''हीरे कमा, रत्न कमा और कमा मोती, याद एक बात रखने की है कि कफन के जेब नहीं होती''। यहां इस पृथ्वी से कोई व्यक्ति अपने साथ धन बांध करके नहीं ले जायेगा, यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। जन्म के उपरांत प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु को मृत्यु से पहले यहां त्याग कर जाना पड़ेगा और जो वस्तु हम जीवन में साथ नहीं लाये उसे मृत्यु के पार भी लेकर नहीं जा पायेंगे।

(श्री रणवीर पहलवान)

मैं यह बात कहता हूं कि आज आम कार्यालय के अन्दर घोषणा कर दी जाए कि जिस अधिकारी के कार्यालय में किसी व्यक्ति का कार्य एक महीने या दो महीने से पैंडिंग पड़ा है तो विचार करने की जरूरत नहीं, उस अधिकारी को उसी दिन सस्पेंड करो। डेढ़-दो सौ अधिकारी सस्पेंड करने से राज्य की इतनी बड़ी जनता को राहत मिलेगी। माननीय गृह मंत्री महोदय यहीं बैठे हुए हैं, मैं गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि क्योंकि आपके नीचे पूरा पुलिस विभाग है, पूरा एंटी-करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो के अन्दर 1500 से ज्यादा ऐसे केसेज हैं जिनको 10-15 वर्ष हो गये। एंटी-करप्शन ब्यूरो के व्यक्तियों ने पकड़ा, उच्च अधिकारियों ने पकड़ा, रिश्वत की राशि लेकर के एंटी-करप्शन ब्यूरो में जमा कर दी गई, उस राशि को केस प्रोपर्टी मानते हुए आज तक कोर्ट में दिखाई जा रही है कि यह केस प्रोपर्टी है परन्तु उस अधिकारी का आज तक चालान पेश करना तो दूसरी बात, सस्पेंड तक नहीं किया गया। ऐसी अवस्था में पकड़ाने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, वह कहीं भी आगे जाने लायक नहीं रहता।

पक्ष और प्रतिपक्ष यहां बैठे हैं, मैं दोनों ही पक्षों के बाहर निर्दलीय छोटा दुकानदार हूं, बड़ी दुकान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए दोनों पक्षों से प्रार्थना करता हूं कि यह सामान्य बात नहीं है, कि आज गरीब आदमी जिसके घर पर छत नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, मुंह के दांत नहीं है, जवान बेटी घर बैठी है, विदा करने को एक सूट नहीं है उससे रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत खानी है तो कोई व्यापारी, मैं रिश्वत देकर के अगर कोई आर्थिक फायदा करने का काम करता हूं तो मुझे न तो सीबीआई पकड़ सकती, न एंटी-करप्शन ब्यूरो। पर जो व्यक्ति रिश्वत नहीं देना चाहता और उसके काम के एवज में रिश्वत ली जाती है, ऐसे व्यक्तियों को एक आदेश से राहत दी जा सकती है कि आपने जिस दिन से अपना कार्य जिस आफिस में रखा है, उदाहरण के तौर पर 2-4 बात सामान्य सी हैं, माननीय गृह मंत्रीजी के पास यूडीएच डिपार्टमेंट भी है, वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाए, आज जेडीए में जिसने 90बी के लिए एप्लाई किया उससे पहले उसकी अगली डेट वाले का काम नहीं होगा। कानून के दायरे में अगर उसका सही है तो उसका पहले होगा। जब किसान बिजली मांगता है तो उसको कहा जाता है कि आपके पहले 50 ने बिजली कनेक्शन के लिए एप्लाई किया है, उन 50 को कनेक्शन दे देंगे तब आपको दिया जायेगा। लेकिन जेडीए में उदाहरण के तौर पर कोई फाइल

(श्री रणवीर पहलवान)

लगाये 5 वर्ष हो गये, 5 वर्ष वाली पेंडिंग पड़ी है, 10 वर्ष वाली पेंडिंग पड़ी है और आज सुबह लगाई और शाम को 90बी हो चुकी।

इसके अलावा दूसरा कार्यालय जो जनता से जुड़ा हुआ है, मैं आपके मार्फत माननीय गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपके हाथ में पुलिस प्रशासन, एंटी-करप्शन ब्यूरो, और भी बहुत से विभाग हैं, दो आदेश पारित करने से गांव के 90 प्रतिशत व्यक्तियों को राहत मिलेगी। जिस व्यक्ति का काम किसी कार्यालय में जेन्युइन है, कुछ काम गलत भी है और वह अधिकारी नहीं कर सकता हो तो उसका रीजन बता देगा, कई बार एक-आध अधिकारी बीमार हो गया, छुट्टी पर चला गया, कोई बात नहीं, बिना रीजन के 6-6 महीने पटवारी नकल के लिए चक्कर कटवाता रहता है परन्तु हम उन्हीं के वोट लेकर के यहां आते हैं, उनसे ऐसे वादे करके आते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। एक आदेश दें कि जिस कार्यालय के अन्दर कोई बात नहीं, आज 50-60 हजार रुपये तनख्वाह लेता है परन्तु गांव में जो आदमी बैठा है जिसके पास कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उससे रिश्वत की और उम्मीद करता है। वो अधिकारी राष्ट्र, मातृभूमि और मानवता के तो नजदीक हो ही नहीं सकता, वह उसके खिलाफ है।

इसी प्रकार से दूसरी प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति एसीडी के द्वारा ट्रेप कर लिया गया, डीजी साहब भी यहां बैठे हैं, उनके टाइम का तो नहीं पता, पहले का बताता हूं, मैंने एंटी-करप्शन ब्यूरो में बहुत केस पकड़वाये और मेरे से ऐसे बयान लिये गये जैसे मैं तो अपराधी हूं और दूसरा सज्जन व्यक्ति है। मैंने कहा, मैंने गलती क्या कर दी? एंटी-करप्शन विभाग की तीन गाड़ियां गई थीं, 1993 में ट्रेप करवाया और 1999 तक चालान पेश नहीं किया गया। रोज मेरे को धमकियां दी गईं। 1999 के अन्दर एंटी-करप्शन ब्यूरो कोर्ट के जज के सामने एप्लीकेशन लगाई तब जाकर के चालान पेश हुआ है। चार वर्ष की जेल हुई, वापसी में भविष्यवाणी की दुकान खोल रखी है मानसरोवर में, भविष्य बताने की, सतीश जी की। पूरे भारत के भविष्य बताने वालों का अध्यक्ष बना हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का भविष्य भी वह लिखता था, कल की जन्म कुंडली भैरोंसिंह जी की थी। मैं उसके कालेज में गया, मैंने कहा कि आपको अपना भविष्य पता नहीं था क्या कि आप ट्रेप होंगे और अब ये 50 बच्चे-बच्चियां बिठा रखे हैं इनको और बर्बाद करोगे। तो ऐसे व्यक्ति को फिर वह ही दे देते हैं, वह की वह चीज फिर आ जाती है।

(श्री रणवीर पहलवान)

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी चीज है। आज भ्रष्टाचारी उतना ही खतरनाक है जितना पाकिस्तान के बोर्डर से एक उग्रवादी हमारे देश में आकर के अटैक करता है। उतना ही बड़ा खतरनाक भ्रष्ट व्यक्ति है। उसको सामान्य नहीं माना जाए। मैंने सदन के किसी व्यक्ति पर या किसी अधिकारी पर आज तक आरोप नहीं लगाया कि आप भ्रष्ट हो। सबूत है तो सबूत ही दे दिये, नहीं तो मैं आम नेता की तरह यह कहता नहीं फिरता कि यह भ्रष्ट है। सब के सब पवित्र हैं, कोई भी भ्रष्ट नहीं है और फिर जिसका सबूत है तो वह अपने आप ही उसका पर्दाफाश हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है माननीय गृह मंत्री महोदय से और मैं तो सदन के 200 के 200 माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि कितना धन कमा लेंगे भ्रष्टाचार के दरबार में। रात को नींद नहीं आयेगी, डायबिटीज, कैंसर, अवासीर-बवासीर सारे तो रोग हो जायेंगे, मरेगा वह अधिकारी और वह नेता। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होगा तो यहां गोलियों पर गोलियां ले रहा है। शांति की दो रोटी खाकर रहे। अगर धन ही कमाना है तो व्यापार करने के लिए 6 करोड़ रुपये एक साल का इन्कम टैक्स देता हूं। इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य हैं, मैं नहीं जानता कि कोई इससे ज्यादा देता है। मैं तो 6 करोड़ रुपये देने वाला बदमाश घोषित कर रखा हूं और जो साल के 6 करोड़ रुपये की रिश्वत खाता है उसे संत घोषित कर रखा है। कमाल तो यह है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं।

मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि भ्रष्टाचार के कुचक्र को मिटाने के लिए दो आदेश अवश्य पारित किये जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलिविजन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी तक भी खबर तो जा रही होगी, मुख्य मंत्रीजी यहां हैं नहीं पर टीवी पर तो देख रहे होंगे, जिस अधिकारी के कार्यालय में आम आदमी का काम एक महीना, दो महीने रोका जाता है वह अधिकारी माफ करने योग्य नहीं है। उसके बाद में एप्लाई किये गये कार्य उस अधिकारी ने इसलिए कर दिये कि रिश्वत की राशि आ चुकी। उस आदमी के काम को पेंडिंग इसलिए रख रखा है कि उसकी रिश्वत की राशि नहीं पहुंची।

मैं तो यहां तक भी प्रार्थना करूंगा कि जब कोई रेल हादसा, जब कोई अग्निकांड या बड़ा हादसा होता है तो हम सेवानिवृत्त जजों को कमेटी बनाकर के लगा देते हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो के ऊपर 5 हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होने चाहिए ताकि वे बयान ले सकें और उन पर भी अंकुश लगे तथा वो बिना

(श्री रणवीर पहलवान)

किसी दबाव के चालान पेश कर सकें। एंटी-करप्शन ब्यूरो, सीबीआई शस्त्र बना लिये हैं राजनेता ने। चाहते हैं उसकी तो फांसी तुड़वा देते हैं, नहीं चाहते हैं उसको अभय दान दे देते हैं। यह एक तरह से उनके शस्त्र बन चुके हैं। इसलिए पारदर्शिता के लिए वो 4-5 जज हों और उनके ऊपर अंकुश लगायें और जो भी व्यक्ति शिकायत लिखावे उसका एंटी-करप्शन ब्यूरो को नाम नहीं बताये। मैं किसी पुलिस के अधिकारी को पकड़ाऊं और पुलिस के यह अधिकारी के पास रिपोर्ट लिखवाने जाऊं तो वे दोनों सांठ-गांठ करके मरवायेंगे न मेरे को तो। एंटी-करप्शन ब्यूरो में भी पुलिस और वह पुलिस का अधिकारी। एक मेरी मानो, उदाहरण के तौर पर कोई एस.एच.ओ. या एस.पी. ट्रेप करवाना है। वह दोनों तो मौसेरे भाई हैं। मारा तो मैं गया फिर, या मारा तो वह प्रार्थी गया अध्यक्ष महोदय।

इसमें सार्वजनिक जज माननीय गृह मंत्रीजी से प्रार्थना है, आप उन जजों को सब जगह काम में लेते हो, अग्निकांड हो गया, रेल दुर्घटना हो गई, कोई और हादसा हो गया तो वही जज बुद्धिमान हो जाते हैं। तो उन जजों की एक ऐसी कमेटी हो, पारदर्शिता रहे और यह लिखा जाये हर कार्यालय के बाहर कि यह कार्य दिनांक इतने को एप्लाई किया गया है, इसके पहले एप्लाई किये हुए कार्य होंगे, इसके बाद का एक भी कार्य नहीं होगा। रिश्वत अपने आप ही खतम हो जायेगी। रिश्वत क्यों दे देता है आदमी? अपना काम फटाफट करवाने के चक्कर में। पड़ा रहे किसी का काम आज दिया, कल ही काम हो गया। इसलिए एक तो यह सुविधा दे देता है रिश्वत देने वाला। और दूसरा, यह सुविधा भी दे देता है, कोई 150 करोड़ रुपये की मेरी जमीन ले ली, रिश्वत भी ले ली और मुआवजे की राशि, मुआवजा जो दे रखा था, उससे भी चार गुना रिश्वत की राशि मांग ली। यह काम होता है कई नेताओं का और सरकार का यह जुल्म है।

फिर मैंने सदन के सामने और पूरे देश के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात रखी। वह मेरा पहला दिन नहीं था कि मैं कोई बेड-इंटेशन से कहूं। वह जो 22 वर्ष पहले दिल्ली के अन्दर पुलिस प्रशासन की फिल्म बनाकर दिखाया था, और फिर पकड़ाया, मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी चरित्रवान आदमी के चरित्र पर अंगुली उठाऊं, कोई अच्छे अफसर के खिलाफ बोलूं। अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे राजनेता भी हैं, सभी पार्टियों का सम्मान करना चाहिए परन्तु बुरा व्यक्ति तो पिता भी हो तो विरोध करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी तो इतनी सी प्रार्थना है।

(श्री रणवीर पहलवान)

आपने बोलने का मेरी छोटी सी पर्ची पर जो टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं यहां से देख रहा था, आपने 5-6 पर्ची फाड़कर यूं डालीं कि मैंने सोचा कि रणवीर की तो गर्दन कट गई लेकिन फिर भी आपने मेरी पर्ची बचा ली। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यालयों में आप इस समय हर काम करा सकते हैं बस यह पारदर्शिता आये कि आपके कार्यालय में पेंडिंग काम कितने दिन से है। इसने एप्लाई किया है, इसके पहले के काम पूरे हो गये हैं कि नहीं, इसके बाद वाले तब करना। उसी दिन खात्मा। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी। (व्यवधान) नहीं बोलेंगे? आप कह रहे थे मुझे चैम्बर में कि मैं बोलूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा गला खराब है।

श्री अध्यक्ष: समझ गया मैं। समझ गया मैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप जवाब दिला दें। रणवीर बोल गया। बहुत चीज हो गई। पूरा तोड़ आ गया आज के लास्ट का। मंत्रीजी को बुला लें। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, ए.सी. की ठंडक बहुत हो रही है, इसे कम करा दें।

श्री अध्यक्ष: कह दिया। श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्य मांग संख्या 16 और 17, पुलिस और कारागार पर सार्थक चर्चा कर रहे हैं। आपने मुझे भी अनुमति दी, इसके लिए मैं आभारी हूं।

जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, रणवीर जी पहलवान ने जो पीड़ा प्रकट की, मैं समझता हूं, प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था को लेकर आज पूरा प्रदेश न केवल पीड़ित है, न केवल भयभीत है बल्कि चिंतित भी है और इसलिए चिंतित है कि संतों और सूरमाओं का प्रदेश एक शांतिप्रिय राजस्थान धीरे-धीरे बिहार क्यों बनता जा रहा है? सत्ता पक्ष के मेरे भाई जो सामने बैठे हैं, राजस्थान की जनता ने बड़े अरमान संजोकर इनको राज सौंपा लेकिन आज कानून-व्यवस्था की जो चर्चा इस पवित्र सदन में हो रही है, यह बात स्पष्ट निखर कर आ रही

(श्री भवानी सिंह राजावत)

है कि राज जो जनता ने सौंपा, इस राज को सत्ता पक्ष के हमारे भाइयों ने न केवल गुंडाराज बल्कि जंगलराज में बदल दिया। पूरे प्रदेश के बारे में हम सदस्य चर्चा कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा गम्भीर और आश्चर्य की बात है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, स्थिति यह है कि यह जयपुर महानगर जिसको हमारे राज में दुनिया के 10 खूबसूरत शहरों में स्थान पाने का कीर्तिमान मिला, आज वही जयपुर शहर, गुलाबी नगर दुनिया के आपराधिक नगरों में तीसरे नम्बर पर आकर खड़ा हो गया।

आदरणीय धारीवाल साहब अभी गृह मंत्री हैं और जब इस सदन के सदस्य नहीं थे, पूर्ववर्ती सरकार के समय, तब कभी-कभार महिलाओं की चेन लूट ली जाती थी तो आदरणीय धारीवाल साहब विचलित हो जाते थे, चिंतित हो जाते थे और कोटा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते थे कि कानून-व्यवस्था चौपट हो गई, महिलाओं के गले से चेनें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन आज धारीवाल साहब, एक नहीं, हजारों महिलाओं के गले से 14 महीनों में चेनें तोड़ी गई, लूटी गई और अब तो स्थिति यह हो गई है कि बहन-बेटी जब घर से बाजार को निकलती हैं तो चेन और मंगलसूत्र को खोलकर, रखकर बाजार निकलती हैं। यह गहना आवरण नहीं है, यह आभूषण नारी की अस्मिता है लेकिन इन 13 महीनों के राज में महिलाओं की इस अस्मिता को भी लूट लिया। जिस तरह के हालात राजस्थान की धरती पर उत्पन्न हुए, गृह विभाग की मांग पर हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन इन 13 महीनों में गृह विभाग में जो ग्रहण लगा है, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता लेकिन जिस तरह के हालात खड़े हुए, न तो मंदिर में भगवान सुरक्षित है, न दुकान में सामान सुरक्षित है, न मकान में इंसान सुरक्षित है और यहां तक कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो थानों में थानेदार सुरक्षित नहीं हैं। गुंडे थानों में घुसते हैं और थानेदार की पिटाई करते हैं। राजस्थान की धरती पर अतिथि देवो भव: की गौरवशाली परम्परा की संस्कृति है लेकिन अब तो देश और विदेशों के मेहमान भी इस धरती पर सुरक्षित नहीं हैं। इस राजस्थान की धरती पर कभी ऐसी बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था का नंगा नाच नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले जोधपुर में एक नौजवान जो मोटर-साइकिल पर जा रहा है, उस नौजवान की मोटर-साइकिल को रोककर थाने के सामने जिंदा जला दिया। इससे बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था राजस्थान की नहीं हो सकती। इंसान जीता-जागता ही सुरक्षित नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि कोटा की धरती पर अब

(श्री भवानी सिंह राजावत)

तो श्मशानों में अस्थियां भी सुरक्षित नहीं हैं। सात मुकदमे कोटा में दर्ज हुए हैं। परिवार के लोग जब तीसरे के दिन श्मशान में जाते हैं अस्थियां एकत्रित करने के लिए, गंगाजी में विसर्जित करने के लिए, एक-दो नहीं, सात परिवार के लोग खाली हाथ श्मशान से लौटकर थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि हमारे परिवार के लोगों की अस्थियां चोरी हो गई हैं। यह कानून-व्यवस्था प्रदेश की है।

अजमेर में तो एक और सिलसिला शुरु हो गया अस्थियों के साथ। अजमेर में एक बच्चे का शव दफनाकर परिवार के लोग घर जाते हैं, तीसरे दिन जब आते हैं तो उस बच्चे का शव नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई जानवर लेकर चला जाये। जानवर ले जाता है तो अस्थियों का पिंजर मिलता है लेकिन तंत्र-मंत्र करने वाले लोग बच्चे के शव को निकालकर ले जाते हैं।

राजस्थान में जिस तरह के हालात है, हम तो समझते हैं कि सरकार सुरक्षित है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार भी सुरक्षित नहीं है। सरकार में बैठे हुए आदरणीय परसादी लालजी मीणा, अभी यहां नहीं बैठे हैं, परसादी लालजी मीणा ने सार्वजनिक रूप से सितम्बर में बयान दिया कि मुझे जान का खतरा है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। जून, 2009 में हमारे जनजातीय विकास मंत्री भाई महेन्द्रजीत सिंह मालवीया की हत्या की साजिश रचते हुए हेमराज गरासिया सहित तीन जनों को उनके खिलाफ डूंगरपुर जिले में मुकदमा दर्ज करते हुए, गिरफ्तार किया गया। जब मंत्री की हत्या की साजिश रची जा सकती है, तो राजस्थान की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है?

पिछले साल, बारां से आने वाले माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री, भाई प्रमोद जैन भाया एक दिन रात्रि को उनके पास में कोई विवाद आया और वह उन लोगों को, पीड़ित लोगों को लेकर...

श्री अध्यक्ष: यह कोई कविता तो नहीं है, भाया, फिर आया।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): 'भाया' हैं, भाया बोलते हैं और इसलिए निवेदन कर रहा हूं। जब वे थाने में गये रात्रि को, माननीय अध्यक्ष महोदय, थाने में घुसते ही थाने में जो हैड कांस्टेबल तैनात थे, गंडासा लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। साथ के लोगों ने जाकर बचाया, नहीं तो उनके ऊपर हमला गंडासे से होता, राजस्थान सरकार के मंत्री के ऊपर। हाल ही में भाई राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने बताया, पूर्व मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के ऊपर वहां पर हमला हुआ।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता लेकिन हमारे भाई कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जगह-जगह गोलियां चल रही हैं, इन तेरह महीनों के राज में चार बार राजस्थान की सरकार ने, इस गृह विभाग ने गोली चलाई। चित्तौड़ में गोली चली सतपुड़ा में, नांगली-चूरू में गोली चलानी पड़ी पुलिस को, लोक सभा चुनाव के दौरान दौसा में गोली चलानी पड़ी, लोक सभा चुनाव के दौरान सवाई माधोपुर में गोली चलानी पड़ी।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि प्रति दिन 480 अपराध होते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा का प्रतिनिधित्व करता हूं, इस पवित्र सदन में कोटा से आता हूं, कोटा आज हिन्दुस्तान का बड़ा शैक्षणिक नगर है, इस स्थिति में कहना चाहता हूं कि कोटा में आज अपराध जिस तेज गति से बढ़ रहे हैं, ग्यारह दिन में एक हत्या उस शैक्षणिक नगर कोटा में होने लगी है। जहां पूरे प्रदेश, देश भर से विद्यार्थी आता हैं, भय और आतंक का वातावरण कोटा शहर में बढ़ता जा रहा है।

पिछले दिनों एक घटना हुई कोटा में। अध्यक्ष महोदय, गम्भीर बात है कि इस राजस्थान की धरती पर अब आतंकवादियों का भी कहीं न कहीं सिलसिला शुरू होने लगा है। जो गाड़िया लुहार अपने बच्चों का लोहा पीट कर कहीं से लालन-पालन करता है, बच्चों का पेट पालता है, गाड़िया लुहार के कबाड़ में बम रख दिया गया और यह सोच कर कि भीड़ भरा इलाका है, बम विस्फोट होगा, बहुत लोग मारे जायेंगे। लेकिन गाड़िया लुहार ने सुबह सात बजे वह अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और जब लोहे को पीटने लगा, बम विस्फोट हुआ, तीन गाड़िया लुहार के परिवार के लोगों के चिथड़े उड़ गये दूर-दूर तक। कूटने वाला घण जो दस किलो का था वह कम से कम पचास फीट दूर जाकर गिरा। आज तक राजस्थान की सरकार यह पता नहीं लगा पाई, गृह मंत्रीजी, कि कहां, कौन था बम रखने वाला।

अभी एक घटना जो हुई, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, माननीय गृह मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एवार्ड, रिवार्ड, पुरस्कार देने के लिए कुछ मापदण्ड तय होने चाहिए, इसके लिए नौटंकी नहीं होनी चाहिए। रावतभाटा की धरती पर दिन दहाड़े एक जौहरी की दुकान पर डकैत आये। सोलह डकैतों ने आकर दिन-दहाड़े लूटा गोलियां चला कर। चित्तौड़गढ़ जिले के एक हजार जवान पुलिस के, कोटा के पांच सौ जवान पुलिस के, दर्रा के जंगलों में चारों तरफ से डकैतों को घेरा और फायरिंग करते हुए पांच डकैतों

(श्री भवानी सिंह राजावत)

को पकड़ा। ग्यारह डकैत फायरिंग करते हुए चले गये। और उसके बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि कोटा रेंज के आई.जी. को 32 बोर की पिस्तौल से पुरस्कृत किया जायेगा 26 जनवरी के दिन। डकैत भाग जायें फायरिंग करते हुए, ग्यारह डकैत और उसके बाद में आप पुरस्कार देना चाहो उस रेंज के आई.जी. को। पुरस्कार अगर देना था तो एक हजार जवानों को जो जंगल में डकैतों का, उनकी गोलियों का सीने पर मुकाबला कर रहे थे जंगल में। एक सिपाही को पुरस्कार नहीं मिला, एक हैड कांस्टेबल को पुरस्कार नहीं मिला। वातानुकूलित दफ्तर में आई.जी. जो बैठा रहता है अधिकारी, उनको तो पुरस्कृत कर दिया जाय और सिपाही को पुरस्कृत नहीं किया जाय, यह मनोबल गिराने वाली घटना है।

माननीय गृह मंत्री महोदय, आप चम्बल की धरती से आते हैं, आपने चम्बल का पानी पीया है और इसीलिए यह आपके लिए चुनौती है। यह पूरा सदन जिस तरह से आज चिंतित है बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए, आपने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि कमिश्नर प्रणाली जयपुर में, जोधपुर में लागू की जायेगी, लगा राजस्थान की जनता को कि अब तो अपराध खतम हो जायेंगे। अब तो कानून-व्यवस्था नियंत्रित हो जायेगी। लेकिन, माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपको विनम्र आग्रह करते हुए सुझाव देना चाहता हूं, सवाल कमिश्नरी का नहीं है, सवाल है मजबूत मशीनरी का, इस तंत्र को मजबूत करो।

मैंने एक दिन अखबारों में पढ़ा कि राज्य के डीजीपी हरीशजी मीणा साहब को एक दिन इस राजधानी जयपुर में सड़कों पर गश्त करनी पड़ी। जब डीजीपी गश्त करने निकल जायेंगे, तंत्र आपका जो कमजोर है, तंत्र जो ढीला है, इस तंत्र को मजबूत करो। अपराधों ने जिस तरह से राजस्थान को जकड़ लिया, उस जकड़ी हुई चेन की कड़ियों को तोड़ो, इस अपराध के आवरण को तार-तार कर दो। संतों एवं सूरमाओं की इस राजस्थान की धरती पर शांति और सौहार्द की सफेद चादर बिछाने की आवश्यकता है। यह मेरी मांग ही नहीं है, यह सदन के सभी सदस्यों की ही नहीं है, राजस्थान के आम अवाम की आवाज है। राजस्थान में चाहे डकैती हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे नकबजनी हो, चाहे हत्या हो, चाहे हत्या के प्रयास हो; जो अपराध इस राजस्थान की धरती पर बढ़ते जा रहे हैं इन अपराधों को रोकने की आवश्यकता है। सभी सदस्य जिस तरह से आपको आग्रह कर रहे हैं, मैं भी आग्रह कर रहा हूं कि केवल

(श्री भवानी सिंह राजावत)

कागजों के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में अपराध नहीं रुकेंगे। राजस्थान तेज गति से प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए इस राजस्थान पर इन अपराधों का ग्रहण मत लगने दो और अपराध राजस्थान की धरती पर रोको। यही विनम्र आग्रह करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जोशीला भाषण सामने से आ रहा था अभी, बड़े तैश में बात कर रहे थे आप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधों का प्रतिशत कुछ बढ़ा है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि पांच वर्ष जब आपको शासन करने का मौका मिला, इस व्यवस्था को जितना आपने ध्वस्त करके हमको सौंपा, यह उसी का नतीजा है। राजस्थान भूला नहीं है आज तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी पेश कर रहे थे, आंकड़े लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य भी पेश कर रहे थे, राजस्थान का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा आप लोगों को, सौ लोगों, निहत्थे लोगों को पुलिस की फायरिंग से जिस सरकार ने भून दिया हो आज वे बड़ी-बड़ी बातें इस सदन के अन्दर आकर कर रहे हैं। आज अपराध अगर बढ़े हैं तो उनके निस्तारण का प्रतिशत भी आप देखिये, साथ ही आपके जमाने के निस्तारण के प्रतिशत को देखिये। हमारी मानसिकता अपराध बढ़ाने की नहीं है, अपराधों पर लगाम लगाने की है।

माननीय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कौन सी जगह छोड़ी? आदिवासियों पर फायर आपने किया। किसानों के ऊपर फायर आपने किया। पानी मांगते हुए निहत्थे किसानों पर, छह दिन हम भी रह कर

(समय : 17.53 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

आये, शहीद चंदूराम की लाश को लेकर बैठे रहे, यह कामरेड साथी जानते हैं। आपने निहत्थे गुर्जरों पर पुलिस फायरिंग की। जिस तरह से लाशें बिछी हैं राज्य के निर्दोष लोगों की, छह-छह घंटे पुलिस फायरिंग में लोगों की लाशें आती रहीं यहां पर और इतनी लाशें आने के बावजूद जिस तरह से उन लाशों के साथ बर्ताव किया आपकी सरकार ने, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी वह। आज आप बात कर रहे हैं यहां पर । पुलिस की जिस तरह से फायरिंग हुई

(डा. रघु शर्मा)

दौसा के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, लोग मरे ही नहीं, उसके बावजूद आपके तत्कालीन प्रशासन ने जिस तरह की यातनाएं दे-देकर के जो अधमरे लोग थे उनको मारकर गिरा दिया। एक निरंकुश शासन था, एक तानाशाह शासन था आपके जमाने में, लोग भूले नहीं हैं।

और तो और, आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को लेकर राजस्थान में और देश में राजनीति करते आये हैं। यह जगतगुरू ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा, ब्रह्माजी का मंदिर जहां पर है; तिवाड़ी साहब, आपको याद है अच्छी तरह से, कौन से देश की बालाओं ने नृत्य किया वहां पर। आपके जिलाधीश तत्कालीन वहां बैठकर लुत्फ ले रहे थे। मांस परोसा गया, शराब परोसी गई। शर्म आनी चाहिए, राम का नाम लेकर आप लोग राजनीति करते हो, आज यहां पर भाषण देने के लिए खड़े हो रहे हो। अपने किये हुए पापों का प्रायश्चित्त करिये। उन पापों को ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। किस तरह इजरायली बालाओं ने नंगा होकर नृत्य किया पुष्कर के अन्दर।

(समय : 18.00 बजे)

विदेशी सैलानी की जो हमारी विदेशी पर्यटक महिलाएं आती थीं, रिकार्ड बलात्कार की घटनाएं हुईं। मंदिरों में बलात्कार हुआ आपके जमाने के अन्दर, लोग भूले नहीं हैं।

यह तिवाड़ी जी सरकार में मंत्री थे, अब नम्बर दो के तहत, तीन के तहत मैं तो नहीं जानता लेकिन आज तक डेढ़ साल हुआ गृह मंत्रीजी बैठे हैं यहां पर, सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री ने किसी मंत्री की जासूसी में पुलिस को नहीं लगाया और इनकी जासूसी में इन्हीं की सरकार की मुखिया ने पुलिस के जवानों का इस्तेमाल किया। एक ऐसी सरकार आपने दी।

आज आप जिस तरह की बात यहां पर पेश कर रहे हैं, रिकार्ड उठाकर के देखें, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, बार्डर को बेचने वालों का मामला भी इन्होंने उठाया। यह बार्डर बिका किसके जमाने में? बहुत बार्डर के बारे में बातें हुई इस सदन के अन्दर माननीय शेखावत साहब के टाइम से ही, लेकिन एक हजार बीघा जमीन से ज्यादा बार्डर बेच दिया जिन लोगों ने, आज वे कानून-व्यवस्था की यहां पर बात कर रहे हैं कि आपके जमाने में बेकार हो गई और हमारे जमाने में अच्छी थी।

गुलाब जी भाई साहब यहां नहीं हैं, बहुत आदर करता हूं मैं उनका, इसी सदन के अन्दर गुलाब जी ने क्या कहा? रिकार्डेड है वह चीज। राजस्थान

(डा. रघु शर्मा)

का गृह मंत्री, आपके शासन का गृह मंत्री इसी सदन के अन्दर कहता है, मैं लाचार और कुंठित हूं। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात आपके गृह विभाग के लिए क्या हो सकती थी? आज आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक कांन्स्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेरी तो यह बिसात नहीं है। जिस तरह का निरंकुश शासन, जिस तरह की आपके मुख्य मंत्री के अधीन जो पावर्स थी, आज तो हमारे गृह मंत्री यहां बैठे हुए हैं धड़ल्ले से आपकी बातों का जवाब दे रहे है और गृह मंत्री छुपा भी नहीं रहा है किसी तथ्य को।

मैं अभी गया माननीय सभापति महोदय, कि गृह मंत्री जी आंकड़े दीजिए अपराधों के, 2007 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ? इन्होंने कहा कि आंकड़ों में मत जाओ कुछ आंशिक वृद्धि अपराधों की अपने शासन में हुई हैं। यह हमने स्वीकार किया है। पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन आपके सामने है, सदन के सामने है, कौन जता रहा है इन बातों को? लेकिन अपराध होना एक अलग बात है, अपराध होकर के अपराध पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की अगर सरकार की सोच हो तो यह एक दूसरी बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि आज जेलों के हालात बहुत खराब हैं। जेल मंत्री भी यहां बैठे हैं, अगर जेलों की दशा नहीं सुधरी तो एक संगठित अपराध इस राजस्थान में पनपेगा। हम कई बरसों से यह मांग कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी मैंने यह बात रखी कि इन जेलों के अन्दर जैमर लगाये। जेलों के अन्दर अपराधियों के पास, यह सच्चाई है आपके जमाने में भी शराब जाती थी, यह सच्चाई है, कि आपके जमाने में भी मांस जाता था, यह सच्चाई है कि मोबाइल का यूज होता था आपके जमाने में भी। आपने भी कोई कोशिश नहीं की पांच साल तक। वहां से जो अपराधी सरगना बैठे हुए हैं जेलों के अन्दर, वे अपराध का संचालन कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अन्दर। यह राजस्थान की जनता के लिए एक चिंता का विषय है और आज भी वह बदस्तूर जारी है।

मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जेलों की स्थिति सुधारी जाए। जेलों की स्थिति सुधारने के साथ-साथ यह मोबाइल फोन्स जो अंदर धड़ल्ले से आज भी उपयोग में लाये जा रहे हैं, इस पर पचासों बार अखबारों में बात आई, पचासों बार अपराधी पकड़े गये, उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं हुई कारगर। जैमर लगाने की बात हर बार होती है,

(डा. रघु शर्मा)

मैं चाहूंगा कि आप जब अपनी डिमाण्ड का जवाब दे तो सरकार की तरफ से इस बात का आप खुलासा करें कि जेलों की स्थिति को सुधारने के बारे में आप सरकार की तरफ से क्या कदम उठाने वाले हैं। नशीले पदार्थ जेलों में जा रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जेलों के अन्दर, जेल के जो हमारे अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत के माध्यम से हो रही हैं। दुःख की बात तो यह है। जेल में जो हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उनकी मिलीभगत से हो रही है। इसलिए जेलों का सुधार होना चाहिए, मैं मानता हूं।

सभापति महोदय, अपराधों के बारे में कुछ सुझाव भी आने चाहिए। माननीय सदस्य बहुत सारे बोले, आज पुलिस का जो सिस्टम है, कहां कमी है? हमने थानों में यह लिखवा दिया कि अपराधियों में तो खौफ हो और आम जन में विश्वास हो। क्या यह सही है? गृह मंत्रीजी, मेरी बात को ध्यान से सुनिये आप। यह सच्चाई नहीं है और यह सच्चाई अगर आज नहीं है तो यह सच्चाई उनके जमाने में भी नहीं थी। आज थाने में जाते हुए आदमी, सामान्य आदमी, उसको डर लगता है। उसके अन्दर विश्वास पैदा करने की बात हम करते हैं, वह विश्वास आज की तारीख तक भी पैदा नहीं है। उसका मेन कारण यह है कि जिस तरह से बिहेव किया जाता है सभापति महोदय, एक दिन मैं निकल रहा था, ट्रैफिक का एक सिपाई उसकी तोंद थी और वह ऊंघ रहा था चौराहे पर। मैंने कहा, अरे, मोटे; उसने कहा, अपनी तोंद देख पहले। मेरे से कह रहा है। मैंने कहा, मेरे काम में और तेरे काम में फर्क है। यह एक सुझाव और मैं माननीय गृह मंत्रीजी को देना चाहता हूं कि तोंद वाले जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वह एसपी हो, आईजी हो, तोंद वाले जितने भी अधिकारी हैं ...(व्यवधान) डी.जी. साहब नहीं है तो डी.जी. साहब की मैं तारीफ करूंगा, रोज सेंट्रल पार्क में पांच किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। आज आपका जो प्रशासनिक अमला है पुलिस विभाग के अन्दर वह फिजीकली फिट नहीं होगा तो कैसे अपराधों पर नियंत्रण करोगे? दो-दो फीट तोंद जिनके ऊपर हो और फील्ड पोस्टिंग हम उनको दे रहे हो, थाने में बैठकर खर्राटे मार रहा हो। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप फिजीकली फिट लोगों को फील्ड पोस्टिंग दो।

सैकण्ड चीज माननीय सभापति महोदय, एक से एक बढ़िया गाड़ियां आ गई हैं बाजार में। अपराधियों के पास तो वह गाड़ी है जो 160 किलोमीटर से दौड़ रही है और थानों में आपके खचड़ा गाड़ी। तीन बार धक्का लगाओ, चार बार बंद हो जाएगी। गाड़ी में डीजल नहीं होगा। कल ही मैं दौरा कर रहा

(डा. रघु शर्मा)

था मेरे इलाके में। मेरे से आगे-आगे पुलिस की जीप चल रही थी और उस जीप का एक ऊंचाई पर जाकर ब्रेक फेल हो गया और मेरी गाड़ी से मैंने एक गरीब आदमी का नुकसान कर दिया। गृह मंत्रीजी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके संसाधनों को आप बढ़ाये।

अभी एक सुझाव आया था एक माननीय सदस्य की तरफ से। पिछले बजट के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की कि तहसील मुख्यालय को एस.डी.एम. हैडक्वाटर्स में तब्दील करेंगे। बहुत स्वागत योग्य कदम की बात थी। मैं आपसे यह चाहता हूं कि एसडीएम कार्यालय के साथ-साथ डीवाई एस पी का आफिस भी लिंक्ड होता है, उनके साथ-साथ उन्हीं 56 जगहों पर उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय भी खोल दें तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात रहेगी।

अब मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात आपको करना चाहता हूं। तीन पुलिस थाने हैं माननीय गृह मंत्रीजी, तीन में से एक में 10 सिपाही हैं, एक में 15 सिपाही हैं और एक में 12-13 सिपाही होंगे। डीवाईएसपी के पास केवल ... (व्यवधान) तीन सिपाही डीवाई एस पी के पास। 100 किलोमीटर रेडियस का इलाका है जहां पर रास्ते टेढ़े-मेढ़े हैं, जहां पर इतनी दूरी और संसाधन के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। एक बोलेरो जीप जरूर है केकड़ी थाने के सीआई के पास। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो।... बैठ जाइए, माननीय लंकेश...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं किसी को और आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, किसी को नहीं कर रहा हूं। बोलेरो जीप मत लगवाओ, चोरी हो जाएगी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, एक तो यह जो संसाधन आपने दे रखे हैं थानों में, जो डिस्पोजल के लायक हो गये, उनको आप एक बार आक्शन करा दो चाहे, नई गाड़ियां खरीदो, और कुछ बजट को बढ़ाओ।

जो मेरा सावर थाना है, मार्बल का एरिया है, बहुत लम्बा-चौड़ा एरिया है, आये दिन अपराध की घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। उनकी रोकथाम के लिए मैं तो यह चाहूंगा कि वहां सब-इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस अधिकारी की आप नियुक्ति करते हैं, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी की आप नियुक्ति करें और कुछ स्टाफ को बढ़ाये वहां पर। तो मैं समझता हूं कि इलाक़े

(डा. रघु शर्मा)

में न्याय के लिए और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत उचित कदम होगा।

इसी तरह से सरवाड़ है दूसरा थाना। माननीय सभापति महोदय, वहां दरगाह है, जो आदमी जियारत करने के लिए अजमेर जाएगा उसकी जियारत पूरी तभी होती है जब वह सरवाड़ में दरगाह में आकर के मथा टेकता है। हज़ारों जायरीन आते हैं। वहां पर आये दिन कानून और व्यवस्था खतरे में रहती है। ऐसी जगह पर न तो कोई साधन है पुलिस के पास, न पुलिस बल है उनके पास और वह भी सब-इंस्पेक्टर का थाना है। मैं गृह मंत्रीजी से जब आप मांग पर उत्तर दें तो ये दो थाने आप सीआई लेवल क्रमोन्नत करे और इनमें संख्या भी पर्याप्त मात्रा में दे। अब आपात स्थिति अगर माननीय सभापति महोदय, उस इलाके में आ जाए तो डेढ़ सौ किलोमीटर, सवा सौ किलोमीटर अजमेर से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है। तीन-तीन सिपाही मात्र डीवाई एस पी कार्यालय के अन्दर हैं। हमने यह मांग कटौती प्रस्ताव में भी की है कि पचास आदमियों की बटालियन केकड़ी के अन्दर दी जाए क्योंकि वह जिला मुख्यालय से सौ-सवा सौ किलोमीटर दूर है और किसी जिला हैडक्वार्टर से भी उसकी दूरी, अगर आप देखेंगे, सौ किलोमीटर दूर नहीं है। अगर कोई गम्भीर अपराध घट जाए और पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ जाए, माननीय सभापति महोदय, तो ढाई-तीन घंटे पहले पुलिस फोर्स आ नहीं सकती। ऐसी परिस्थितियों में संवेदनशील सरकार के, संवेदनशील गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि वहां कम से कम पचास पुलिस के जवानों की एक बटालियन तैनात करने की आप अपने जवाब में घोषणा करें। उनको नये साधन दें थानों के अन्दर और कुछ पुलिस चौकियां मेरे यहां और स्थापित करने की जो मांग है वह मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मिल कर निवेदन कर दूंगा।

मैं इतना ही निवेदन आपको करना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आप अलग से भी लेना चाहें विधायकों से तो आ जाएंगे लेकिन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। व्यवस्था में सुधार अगर नहीं हुआ तो हम आम जन का जो विश्वास आज पुलिस में नहीं है, उठता जा रहा है, वह भरोसा हम कायम करने में विफल रहे तो हमारी संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार जो हम लोग खुद कह रहे हैं, उस स्लोगन के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): धन्यवाद, सभापति महोदय। पुलिस बल हमारे देश और प्रदेश दोनों के विकास के लिए एक अपरिहार्य अंग है। राष्ट्र व प्रदेश की सभ्यता का स्तर मुख्य रूप से उन तौर-तरीकों से मापा जा सकता है जिन्हें वे अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाये रखने में उपयोग लेते हैं। पुलिस बल अपराध के निवारण, नियंत्रण और निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर उदार नागरिक समाज को निष्पक्ष और साम्यपूर्ण रीति से कार्य करने में समर्थ बनाता है। यह कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता करके व विकास को अनुकूल बनाने के लिए शांति और व्यवस्था की स्थितियों को संरक्षित करके समाज में सुरक्षा की भावना भी जाग्रत करता है। नायकत्व संस्कृति अभिप्राप्त करने के लिए तीसरी डिग्री के तरीके काम में लेना, प्रशासनिक कुमक की शक्तियों का उपयोग करना जिसका आविष्कार औपनिवेशिक काल में भारतीयों को अधीन में रखने के लिए किया गया था और निरंकुशतापूर्ण व्यवहार पुलिस व्यवस्था के आधुनिक संदर्भ में अब एक काल भ्रम है और शायद इसी बात के साथ आज पुलिस को भी मानवाधिकार के प्रति जवाबदेही के परिवर्तित प्रतिमानों के अधीन कार्य करना पड़ता है ।

शायद अगर इस मौलिक चरित्र के साथ में पुलिस विभाग और कानून -व्यवस्था की अगर हम व्याख्या करें तो आज इस बात का हमको अहसास होता है, छः दशक और तीन वर्ष उपरांत इस सदन के इस पवित्र स्तर पर हम बात कर रहे हैं चोर, डकैतों की हम बात कर रहे हैं, अपराधों पर नियंत्रण करने की लेकिन सबसे पहले अगर हमें बात करनी है तो उस व्यवस्था की बात करनी है जिस व्यवस्था के अन्दर जब तक मानव संसाधन हम पूरे तरीके से नहीं देंगे तो आफिसर बैठने वाले चाहे डी.जी. हो, चाहे आई.जी. हो, चाहे एस.पी. हो, वे कोई चमत्कारी जीव नहीं हैं, उनके पास में अगर मानव संसाधन नहीं हैं तो वे किसी भी तरीके के कानून के माध्यम से उस क्राइम करने वाले व्यक्ति को सज़ा नहीं दिला सकते। आपके प्रतिवेदन से यह बात साफ ज्ञात होती है कि जहां तक स्वीकृत पद हैं, उन स्वीकृत पदों के अनुपात के अन्दर वहां कितने लोगबाग कार्यरत हैं अगर उस सूची को हम देखें तो शायद आपको और हमको इस बात की सत्यता प्रत्यक्ष रूप में यह बात बतायेगी। आपके पास में भारतीय पुलिस सेवा के 193 पद हैं और 193 में से 156 कार्यरत हैं। 37 तो आईपीएस आफिसर्स आपके यहां कम हैं। अगर आप भारतीय पुलिस सेवा के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक के देखें तो 708 पद हैं उनमें से सिर्फ 602 कार्यरत हैं। 106 इसमें भी कम हैं।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अब अगर आप फील्ड आफिसर्स पर आ जाएं तो चाहे पुलिस निरीक्षक हों, 168 कम हैं, अगर उप निरीक्षक हों तो 1,195 कम हैं, अगर सहायक उप निरीक्षक हों तो 1,046 कम हैं, हैड कांस्टेबल हों तो 1,097 कम हैं और अगर कांस्टेबल हों तो 3,272 कम हैं। जब इनके पास काम करने का मानव संसाधन नहीं हैं तो आप और हम इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? क्या इनके पास में कोई केस डायरी के क्रिमिनल रिकार्डस हैं कि उस डायरी के पन्ने पलटेंगे और किसने क्या क्राइम किया उसको सज़ा दिला देंगे?

यह जो आपके सृजित पद हैं, यहां की और प्रदेश की जनसंख्या आज से दस वर्ष पहले क्या थी उसके आंकड़ों के अनुपात में यह पद हैं। आज साढ़े छह करोड़ की जनसंख्या के लिए कितने कांस्टेबलों की आवश्यकता है, कितने हैड कांस्टेबलों की आवश्यकता है, कितने अधिकारियों की आवश्यकता है, आखिर चोर को पकड़ने के लिए तो इंसान ही जाता है चाहे वो कांस्टेबल के रूप में हो, हैड कांस्टेबल के रूप में हो, एस.पी. के रूप में हो, जब तक आप पद सृजित करके इन आदमियों को नहीं देंगे तब तक यह व्यवस्था किस तरीके से कानून का जामा पहनेगी?

मैं जिस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं, आज आप इस बात के लिए चिंतित होंगे कि संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी नहीं है। अगर पिछले दस वर्ष के बजट के अनुपात के अन्दर जितना निवेश इस विभाग में हुआ है उसके आंकड़े देखें तो अगर 1999-2000 को शून्य पर करें तो आज की तारीख में, 2009-10 के मेरे पास में बजट एस्टीमेट्स हैं इसका एक्चुअल एस्टीमेट मेरे पास नहीं है, अगर वहां 7.34 प्रतिशत हमारा टोटल रेवेन्यु एक्सपेंसेज का प्रतिशत था, आज की तारीख में पुलिस विभाग में वो 25 से 33 है। यह बात यहां की और वहां की नहीं हो रही है। हम इस बात का स्वागत करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट आफ पुलिस का अगर क्राइम ग्राफ आप देखेंगे और अगर 1999-2000 को 0.43 पर आप देखेंगे तो ऐसे वर्ष भी निकले हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 जहां आपकी क्राइम रेट नेगेटिव में रही है। 2001 में -4.28 प्रतिशत थी, 2002-03 में -2.4 प्रतिशत थी, 2003-04 में -3.75 प्रतिशत थी, 2004-05 में यह 6.37 प्लस हो गयी। क्राइम रेट बढ़ी उस समय हमारी भी सरकार थी लेकिन 2005-06 में 9 प्रतिशत माइनस में आ गयी। आखिर यह वह ही तो महकमा है, ये वे ही तो आफिसर हैं, यह वह ही तो डिपार्टमेंट है। एक साल, दो साल,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तीन साल तक जब ये अच्छा काम करते हैं तब भी इन्होंने ये की ये बात सुनी और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी ये यह की यह बात सुन रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है?

इसका कारण, आदरणीय, मैं परिभाषा पर आपको ले जाना चाहता हूं जो आज से साठ वर्ष पहले हिन्दुस्तान के आजाद होने के तुरन्त बाद में भ्रष्टाचार को परिभाषित करने के लिए एक वयोवृद्ध नेता ने उस वक्त दी थी। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के लिए, 'इस तरह वह मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है जो अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठा कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित अर्थोपार्जन करता है।' अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उत्तेजित मत होना मैं आगे बोलूं जिससे इसी तरह के विचार जनवरी, 1948 में कांग्रेसियों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के संदर्भ में गांधी जी के एक वयोवृद्ध मित्र कोंदावेकंटापैया गुरु ने गांधीजी को एक लिखित पत्र में प्रकट किये। अगर इसके बारे में किसी को भ्रांति हो कि मैंने शायद यह कहीं परिभाषा और यह संदर्भ का अर्थ कहीं से ढूंढ लिया हो तो यह आपके जे.आर. सेवाच हैं 'भारत की राजनीति की व्यवस्था' में पृष्ठ 467 पर है।

आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी मानव जीव जन्म से अपराधी नहीं होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक व्यवस्था उसको भ्रष्ट बनाती है, उसको चोर बनाती है, डकैत बनाती है, असामाजिक तत्व बनाती है। अब जिस पृष्ठभूमि में वह आदमी अपना जीवनयापन करता है जो व्यवस्था सरकार के माध्यम से प्रजातंत्र की व्यवस्था के माध्यम से उसे मिलती है, वह ही उसे उस मार्ग पर ढकेलती है जिसके लिए वह मजबूरी में ऐसे काम करता है।

मैं आपको इसके साथ में वो बात भी निवेदन करना चाहता हूं, एक बात साफ आज भी है साठ वर्ष के प्रजातंत्र के इतिहास में राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति हुई है उसका एक आधुनिक सर्वे, एक बिलकुल निष्पक्ष सर्वे हुआ और निष्पक्ष सर्वे का परिणाम जब निकल कर आया तो आपको और हम सबको यह विस्मय में डालेगा। इसमें साफ दिखाया गया है कि राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालय देश का सबसे कम भ्रष्ट विभाग है लेकिन आम आदमी को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार की दृष्टि से राज्यों के क्रम में और 11 जनसेवाओं के संदर्भ में राजस्थान 543 अंकों के साथ बीस राज्यों की सूची में पांचवां सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य माना गया है। ये परिस्थितियां किसी एक सरकार

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की नहीं हैं, ये परिस्थितियां किसी एक विभाग की नहीं हैं, यह परिस्थितियां वे हैं जो व्यवस्थाओं के माध्यम से एक आधुनिक भारत की कल्पना करते हुए, आजाद हिन्दुस्तान की कल्पना करने के उपरान्त इस प्रदेश में लागू हुई हैं।

अगर आप इसका और विश्लेषण कराना चाहे, सभापति महोदय, तो मुझे बताते हुए जरा भी शर्म नहीं आती कि विभिन्न सेवाओं में संयुक्त सूचकांक के अनुसार भू-प्रशासन में 82 प्रतिशत पर, लोग यह मानते हैं कि पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है लेकिन इस सर्वेक्षण के हिसाब से भू-राजस्व विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है जिसमें 82 प्रतिशत लोगों ने यह बात कही है। उसके बाद में पुलिस वालों का नंबर आता है 73 प्रतिशत पर और उसके बाद अधीनस्थ वह न्यायपालिका जो राज्य के अत्यन्त भ्रष्ट विभाग हैं।

आदरणीय, इस बात का परिवारों के संदर्भ में मैं अगर निवेदन करूं भू-प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के अनुपात में तो 62 प्रतिशत लोग कहते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है लेकिन उससे 10 प्रतिशत ज्यादा यह कहते हैं कि भू-प्रशासन में पटवारी से लेकर तहसील तक भ्रष्टाचार की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसकी मिसाल और कहीं किसी जगह देखने को नहीं मिलती, जो राजस्व विभाग में है और यह वह विभाग है जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी तरीके से हस्तक्षेप करता है।

आदरणीय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस पुलिस विभाग के पांव कौन है। इस पुलिस विभाग का पांव वह कांस्टेबल है, वह हैड कांस्टेबल है जो फील्ड में काम करता है। यह हैड कांस्टेबल वह है जो इस पुलिस विभाग का वास्तविक प्रतिबिम्ब है आप बताइए, इस कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल की क्या व्यथा है? अगर आप मंत्रालयिक कर्मचारियों से और दूसरे विभागों के हिसाब से इनकी तनख्वाह का और इनके वेतनमानों का विश्लेषण करेंगे तो छठे वेतन आयोग के तुलनात्मक रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा। छठे वेतन आयोग में कांस्टेबल की ग्रेड पे है 1900 और उसकी ग्रेड की श्रृंखला है 5200-20200 तक। इसी ग्रेड में राजस्व विभाग का पटवारी है उसकी ग्रेड पे है 1900, वही बराबर, उसकी भी श्रृंखला है 5200-20200 तक और मंत्रालयिक कर्मचारी जिसको हम एलडीसी कहते हैं उसकी भी ग्रेड वही है। लेकिन 9 वर्ष बाद में इनका फर्क देखिए। 9 वर्ष बाद में पुलिस विभाग के हैड कांस्टेबल की ग्रेड बन जाती है 1900 से 2000 लेकिन पटवारी की हो जाती है 1900 से 3200, एल डी सी की हो जाती है 1900 से 2400 । वह पाता है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

5200-20200, गिरदावर आ जाता है 9300-34200 तक और एल डी सी आ जाता है यूडीसी की कैटेगिरी में 5200 से 20200 लेकिन बेसिक उसकी 2400 हो जाती है। अब आप 18 वर्ष बाद में देखिए जहां उसकी बेसिक 2000 से 2400 होती है, वहां गिरदावर बन जाता है नायब-तहसीलदार। नायब तहसीलदार की ग्रेड पे आ जाती है 3600 की, बेसिक के ऊपर जो श्रृंखला है वह आ जाती है 9300-34800 और वह कांस्टेबल अभी भी बैठा हुआ है सहायक उप निरीक्षक पद पर, उसकी श्रृंखला है 5200-20200 तक और कार्यालय सहायक की हो जाती है 9300-34800, ग्रेड उसकी हो जाती है 3200 की।

यह वह कांस्टेबल है जो कभी छुट्टी पर नहीं रहता। यह वह पुलिस का कर्मचारी है जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। इनमें से जो मैंने कम्पेरीजन बताया है 9.30 बजे उसे अपने कार्यालय में आना होता है, 9.30 की जगह तो वह 11 बजे आता है, 5 बजे से पहले वह चला जाता है। 8 घंटे की नौकरी करने वाले राजस्व कर्मचारी या मंत्रालयिक कर्मचारी के अनुपात में एक हैड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल जो आपका जीव है, जो आपकी कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, वह 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा लेकिन जब मानदेय या तनख्वाह उसके घर पर जाती है तो वह सर पकड़ कर बैठ जाता है। वह 5 से 6 घंटे तक कमरे में बैठकर टेबल पर स्याही घिसने वाला व्यक्ति ज्यादा अपने घर पर ले जाता है और उसे सुबह से शाम तक, कपड़े धोने का भी समय नहीं, घर जाने का कोई समय नहीं। आखिर ऐसी मानसिकता से किस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्राइम को कंट्रोल फील्ड आफिसर करता है, क्राइम पर कंट्रोल कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर करता है। इनका जिस प्रकार से हम लोगों ने शोषण किया है, जिस प्रकार से व्यवस्था में इनको नकार दिया है, हम कानून की व्यवस्था चाहते हैं, हम प्रजातंत्र में कानून का अंजाम इनसे लेना चाहते हैं तो कम से कम इस सदन में बैठकर यह भी बात करनी पड़ेगी। 1861 के कानून को परिवर्तित कर के 2006-07 का कानून तो बना दिया, सुप्रीम कोर्ट भी कहता था कि आप व्यवस्था बदलिये लेकिन व्यवस्था बदलने के बाद तो क्राइम कम हो जाना चाहिये था। सभापति महोदय, 1861 का कानून यह कह कर बदला गया कि आप इसको नया बनाइए। आपने 2007 में नया कानून बना दिया। एक व्यक्ति ने खड़े होकर यहां यह नहीं कहा कि क्राइम कम हो गया। कानून बदलने से और बनाने से अगर क्राइम कम हो जाये तो शायद मेरे ख्याल से

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

डी जी से लगाकर कांस्टेबल तक की आपको आवश्यकता न हो।

साथ ही साथ इस बात के लिये भी कहा गया कि बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू होनी चाहिये। आदरणीय लागू होनी चाहिये। लेकिन इस बात में यह भी विचार होना चाहिये कि जितना पुराना वह 1861 का कानून है उतनी ही पुरानी यह कमिश्नर प्रणाली भी है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में वर्तमान प्रजातंत्र के परिप्रेक्ष्य में आपको कमिश्नर सिस्टम को इस तरीके से लागू करना पड़ेगा कि उसके आने के बाद आम जन इस बात की परवाह न करे, आम जन को यह विश्वास हो जाये कि कमिश्नर प्रणाली से क्राइम घटता है, व्यवस्था बढ़ती है, सुखद एहसास होता है। ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं कि समय की कमी है लेकिन मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं । एक चौंकाने वाली बात है, हालांकि तारानगर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने यह बात कही लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप खुद फौज में रहे हैं, जितने सैनिक आपके दोनों पाक युद्ध और चाइना बिट्रेयल में नहीं मरे उतने लोग तो प्रत्येक वर्ष में सड़क हादसों में मर जाते हैं। 5 साल में 39 हजार से कुछ अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और पिछले एक वर्ष में आप मान लीजिए, दिसम्बर, 2009 तक के आंकडे हैं, 8,800 व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। यह चलती फिरती मौत जो इन सड़कों पर चल रही है, अब आप यह भी कह दीजिए कि यह भी डीजी की वजह से है, यह भी एसपी भ्रष्ट है इस वजह से है। यह भी आप कह दीजिए कि पुलिस का तंत्र भ्रष्ट है इस वजह से है, यह भी आप कह दीजिए कि ट्रैफिक का तंत्र भ्रष्ट है इस वजह से है। यह इस वजह से भ्रष्ट है कि जो गाड़ी में बैठ कर चल रहा है उस आदमी को लाइसेंस की जो पद्धति है वह इतनी ज्यादा कमजोर है कि चाहे जो व्यक्ति गाड़ी की सीट पर बैठ कर घर आ गया। लोगों को तो यह अंदेशा है कि ट्रक वाले ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं। इसमें जो आंकड़ा आया है, ट्रक से ज्यादा तो जीप और कार वाले एक्सीडेंट करते हैं।

आखिर इस व्यवस्था को कहीं से तो हमें सुधारना पड़ेगा। कानून बनाने का आपको और सदन को अधिकार है। आपने कानून बनाया लेकिन कानून की पालना के लिये कम से कम इनको व्यक्ति तो दीजिए। इनके जो स्वीकृत पद हैं वे व्यक्ति दीजिए और आज की जनसंख्या के अनुपात में इनको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

व्यक्ति दीजिए वरना कमिश्नर बैठा दीजिए, डीजी की जगह और कोई अगर आपको ओहदा बढ़ाना हो तो वह बढ़ा दीजिए इससे व्यवस्था नहीं सुधरेगी। कमिश्नर व्यवस्था को इस प्रदेश में लागू करें इन दोनों शहरों में चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, सही ढंग से अगर आपको क्राइम रेट कम करनी है और इस शहर को सुरक्षित करना है तो इस कमिश्नर प्रणाली में आपको वह जीव डालना पड़ेगा जो राजनीतिक द्वेषता से परे हट कर हो, राजनीति से परे हट कर हो। राजनेता को यह मानस बनाना पड़ेगा कि जहां कानून व्यवस्था की बात आती है, हां, मुझे किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा और अगर मेरे स्वयं का पी ए, मेरे स्वयं का सैक्रेटरी भी अगर क्राइम कमिट करता है तो चाहे मैं मुख्य मंत्री हूं, चाहे मैं गृह मंत्री हूं, चाहे मैं विधायक हूं मुझे अधिकार नहीं है कि मैं उसे संरक्षण प्रदान करूं। जिस दिन ऐसी मानसिकता जन प्रतिनिधियों के मस्तिष्क में और उनके चरित्र में वास्तविक स्वरूप ले लेगी उस दिन यही विभाग जो आज भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है, यही इस व्यवस्था को पुन: सफल रूप से प्रतिपादित कर देगा।

इसी आशा के साथ कि जिस व्यवस्था को बदलने में हमने भी जन प्रतिनिधियों के रूप में कहीं न कही भूमिका निभाई है, मैं खुद जन प्रतिनिधि हूं और मैं यह मानता हूं कि कहां किसी अधिकारी को लगाने में कभी-कभी हम भी हमारी तरफ से सिफारिश करते हैं। यह सिफारिश का खेल अगर खतम हो जाये और वास्तविक परिणाम अगर हमको देखने को मिले और जन प्रतिनिधि दलों की राजनीति से ऊपर उठकर, अपने लोगों पर अहसान करने की व्यवस्था से ऊपर उठ कर अगर वाकई में पारदर्शी व्यवस्था को जन्म दे दें तो इस राजस्थान की भूमि पर कानून-व्यवस्था का वह सजग प्रहार हो कि यहां क्रिमिनल और कानून को तोड़ने वाले आने से 10 बार डरें। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, पुलिस के मुद्दे पर, पुलिस की व्यवस्था पर और राजस्थान की सरकार का पिछले डेढ़ वर्षों का जो हमारा कार्यकाल रहा, उस पर जब बहस हो रही है। बहस में सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। हमारी मोरल डयुटी बनती है कि जो भी विचार पक्ष या विपक्ष के राजस्थान के चुने हुए माननीय सदस्यों के आयें, जो निश्चित रूप से अच्छे विचार आयें, जो जनता

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

से जुड़े हुए हो जो आम आदमी से जुडे हुए हो, जो गांव और गरीब का दर्द दूर करते हो जो शहर की गली और मोहल्ले की समस्या को लेकर आते हों, ऐसे सुझावों की बात हों, जिनमें आम आदमी की समस्या का समाधान हो सकता हो। पुलिस पर जब विचार हो रहा है, आज पुलिस को लेकर जब चर्चा हो रही है, माननीय विपक्ष के सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये और आरोप-प्रत्यारोप भी हुए।

आदरणीय विपक्ष के बहुत सीनियर सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, आपको याद होगा कि जयपुर को पूरे इतिहास में छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है कि यदि छोटी काशी देखनी हो तो जयपुर में चले जाओ। हर गली में मंदिर मिलेगा, धर्मभाव मिलेगा। जहां पर जिस छोटी काशी सहित राम के मुद्दे पर, राम का नाम लेकर, रामरथ लेकर हिन्दुस्तान में पूरा प्रचार करके जिस पार्टी ने राम के नाम पर शासन हासिल किया, जिस पार्टी ने पूरे हिन्दुस्तान का शासन छीन लिया आजादी के बाद पहली बार कोई विपक्ष इतने बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस के खिलाफ जीतकर आया और राम के नाम पर जीतकर आया, इसी राजस्थान में राम के नाम के साथ क्या हुआ? इसी राजधानी जयपुर में यहां के पांच सितारा होटल रामबाग में, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, वहां पर राम के नाम पर शराब परोसी गई, राम के नाम के कपड़े पहनकर भद्दे डांस किये गये और इसी सरकार की नाक के नीचे किये गये । इस सरकार ने वहां पर क्या कार्यवाही की? क्या सरकार में बैठे हुए लोगों की मोरल ड्यूटी नहीं थी कि राम के नाम पर यदि इतना भद्दा मजाक किया गया हो जो इस हिन्दुस्तान के आराध्य देव हैं और आपकी पार्टी तो उनके नाम को लेकर पूरा राजनीति गरमाकर पूरे हिन्दुस्तान में शासन कर चुकी है लेकिन उस वक्त किसी भी माननीय सदस्य ने खुलकर अपनी बात नहीं कही। किसी भी माननीय सदस्य ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा कि राम के नाम पर जो अन्याय हुआ, उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ता।

ऐसा ही नहीं हुआ, आपको याद होगा वे दिन यहां पर बात बात पर आरोप-प्रत्यारोप होते हैं लेकिन मैं आज चुनौती देता हूं, आपका डेढ़ वर्ष का शासन और हमारा डेढ वर्ष उठाकर देख लीजिए। आपके डेढ वर्ष को देख लीजिए कि आपने डेढ वर्ष में कितनी बार गोलियां चलाईं? कितने लोगों को मारा, कितनी बार लाठी चार्ज किया? और आपके प्रति जनता में किस तरह के

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हालात पैदा हुए? सोहेला में जब पुलिस ने गोली चलाई तो, माननीय सभापति महोदय एक महिला जिसके पेट में बच्चा था उसके गोली लगी। वह वहीं पर मर गई और उसके बाद उसकी मां उसको सम्भालने के लिए आई, जिस मां ने दिन भर पुलिस वालो को पानी पिलाया, उसको भी गोली लगी। एक साथ तीन पीढ़ी की मौत।। यह इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास को अकेले आपने कलंकित नहीं किया, आपकी पूरी सरकार ने कलंकित किया। राजस्थान का इतिहास हमेशा याद रखेगा कि गोली में सबसे ज्यादा लोगों को आजादी के बाद यदि किसी ने मारा तो आपके इन पाँच वर्ष के शासन ने मारा। आप लोगों ने खुले आम गोलियां चलाई, कोई जगह आपने नहीं छोड़ी जहां गोली नहीं चली हो। आपने जमकर अन्याय किया।

आज यह बात उठ रही है यहां पर कि अपराधी और अपराध का ग्राफ बढ़ा है। मैं मानता हूं कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है अपराध भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जयपुर में क्या हुआ? कानून और कानून की मर्यादाओं से पूरा प्रदेश चलता है, पूरा देश चल रहा है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया कि राजस्थान के लोगों, हम धर्मनिरपेक्ष सरकार की तरह काम करना चाहते हैं, आम आदमी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हिन्दू मुसलमान, सिख, ईसाई, सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपकी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी ने यह फैसला लिया कि जयपुर में सांगानेर में हज हाउस का मैं निर्माण करवाऊंगी, मुख्य मंत्री उद्घाटन करने के लिए जा रही हैं और सांगानेर में भारतीय जनता पार्टी के लोग पथराव कर रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, दंगे हो रहे हैं और निर्दोष लोगों पर उठाकर मुकदमे लगा दिये गये, उन लोगों ने कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मुख्य मंत्री तो जाती हैं उद्घाटन करने, मुख्य मंत्री की पार्टी के लोग वहां पर विरोध दर्ज कराते हैं और दंगा होता है पूरे जयपुर में। यह तो जयपुर के हिन्दू-मुसलमान को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समझदारी की और दंगा नहीं भड़का, नहीं तो उस दिन निश्चित रूप से दंगा भड़कता।

जो हालात पैदा हुए इन हालातों में सवाल इस बात का नहीं कि डेढ़ वर्ष में अपराध बढ़े या घटे। सवाल इस बात का है कि अब सुधार कैसे हो। यह सदन, हम मानते हैं कि पक्ष-विपक्ष अपनी बात कहता है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं यह मानता हूं कि जयपुर में और सब जगह अपराध का प्रतिशत बढ़ा है लेकिन इसके पीछे यह भी सोचने की जरूरत है

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कि अपराध के लिए फर्स्ट इन्फोरमेशन रिपोर्ट के बारे में हमेशा से जनता में यह आवाज उठती है कि हम थाने में जाते हैं परन्तु, हमारी एफ आई आर दर्ज नहीं की जाती। आज एफ आई आर के मामले में जयपुर के लिए मैं आपको उदाहरण से कह सकता हूं कि कोई थाना हो सकता है, गलती सब जगह होती है, कोई थाना ऐसा नहीं होगा जहां एफ आई आर दर्ज नहीं होती हो। इसके कारण एफ आई आर दर्ज होती है तो एफ आई आर दर्ज होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है लेकिन बढ़ोतरी होने के साथ चालान पेश करने में और जब्ती में भी बढ़ोतरी हुई है।

मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब हम पुलिस के ऊपर चर्चा कर है हैं, पूरे राजस्थान में चर्चा कर रहे हैं, जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लगी है, यह माना जा रहा है कि पुलिस को हमने अधिक अधिकार दिये हैं। आगे बढ़कर सरकार ने यह निर्णय लिया है और इस निर्णय से मैं यह मानता हूं कि कहीं न कहीं और ज्यादा सुधार नजर आएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ जब पक्ष और विपक्ष के लोग यहां पर बात कर रहे थे और बात करते-करते हमारे लोग भी और उधर के लोग भी एक ही बात कर रहे थे कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, पुलिस के अधिकारियों को हम दबाव में लेते हैं। मतलब हम तो चोर हैं और पुलिस के अधिकारी शरीफ हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि यहां जितने भी सदस्य हैं, एक ही काम में लगे हुए है। एक बात तय कर लेना, आप और हम कुछ भी नहीं है, जो भी पावर है इनके हाथ में है। ज्यादा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पक्ष लोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा।

आज मैं खुलकर यह बात कह रहा हूं। होम मिनिस्टर इधर का हो या उधर का कितनी चलती है होम मिनिस्टर की? कहीं न कहीं कोई न कोई बहाना लगा लिया जाता है। कोई भी आई जी तैयार हो जाता है, कोई डी जी तैयार हो जाता है, यह अधिकारी तो गलत है साहब आपका एमएलए कह रहा है इसके लिए। मतलब आई जी जो कह रहा है वह अधिकारी तो सही है, एम एल ए कह रहा है वह गलत है, डी जी जो कह रहे हैं वह अधिकारी सही है, एम एल ए कह रहा है वह अधिकारी गलत है, मिनिस्टर जो कह रहा है वह अधिकारी गलत है।

यह जो परम्परा। इस सदन में आप वोट लेकर आते हो, हिन्दुस्तान का लोकतंत्र है, यहां पर राबड़ी देवी मुख्य मंत्री बनती है, गोलमा देवी चुनाव

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जीतकर आती है। राजस्थान की जनता, हिन्दुस्तान की जनता डेमोक्रेसी की मर्यादाओं में कानून-कायदे में चलती है वह तय करके एम पी ओर एम एल ए का चुनाव करती है। देवदूत समझती है आपको। यह समझकर आपको भेजती है कि मेरे ऊपर लाठी चलेगी, गोली चलेगी, मेरी गाड़ी जब्त होगी, क्या बात करेंगे आप? राज बदल गया होगा। राज बदल लेने के साथ हर जगह एम एल ए नहीं रुकता क्योंकि कई बार हम भी गाड़ी का कांच बंद करके निकल जाते हैं कहीं हंगामा हो जाएगा, कहीं अखबार में छप जाएगा। 50-50 लोग खड़े रहते हैं। मैंने लोगों से पूछा रात को निकला, मैं बधाई दूंगा डी जी साहब को, ये रात को गश्त पर निकले। ये बधाई के पात्र हैं इसलिए कि, भवानीसिंह जी जब बोल रहे थे, डीजी को निकलना चाहिए। जब बड़े अधिकारी निकलते हैं तो छोटे अधिकारी, कर्मचारी सिपाही को डर लगता है। मैं खुद अंधेरे में जाकर खड़ा हो गया। यह दोनों राज में सिस्टम है। यहां मैं यह मानूंगा जयपुर में सुधार हुआ क्योंकि जयपुर में खडें होकर हमें शर्म नहीं आती। कई बार नम्बर कट जाते हैं, अख़बार में छप जाता है, अधिकारी को डांट लगा दी। लेकिन एक बच्चा खड़े होकर कहता है, पुलिस अंकल, मेरे पापा को छोड़ दो, बाप हाथ जोड रहा है पुलिस वाले के, चल-चल, साइड में चल; हाथ जोड रहा है, उसकी बीबी खड़ी है; जो दो बच्चों के साथ स्कूटर पर जा रहा है, बीबी उसकी साथ में है वह क्या क्राइम करेगा, बच्चे की आंखों में डर हो गया और डर इतना बैठ गया । मैंने उतर कर देखा, मैंने ऐसे-ऐसे सीन देखे कि बच्चा रो रहा है, पुलिस वाले का दिल नहीं पसीज रहा। कोई उतरकर उसकी मदद करने वाला नहीं है।

मैं आज कह रहा हूं, पुलिस के अधिकार आप जितने बढ़ाने की कोशिश करोगे, बढ़ाकर देख लो उतनी ही निरंकुशता बढ़ेगी। आप क्या समझते हो, पुलिस को पूरे अधिकार दे दोगे तो आप क्या पतंग उड़ाओगे छत पर खड़े होकर? क्या कर लोगे? मैं आज कह रहा हूं, मेरी खुलकर बोलने की आदत है, एम.एल.ए. गलती करता है, उसके खिलाफ अख़बार में छपता है, उसके खिलाफ भी जनता कार्यवाही करती है एम पी गलती करता है उसके खिलाफ भी कार्यवाही होती है। अगर कोई भी अधिकारी गलती करे चाहे राज हमारा हो चाहे राज दूसरे पक्ष का हो लेकिन उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यह अधिकारी गलती करता है तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। आज अधिकारी क्या कर रहे हैं कि इस पक्ष से भी ले लिया, उससे भी ले लिया। पहले भी अधिकारी वही कर रहा था।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यह सवाल इस बात का नहीं है कि हम इसी आरोप-प्रत्यारोप में लग जाएं कि आपने यह कर दिया या उन्होंने यह कर दिया। हमने सुधार क्या किया, जरूरत इस बात की है और चर्चा भी इसी बात पर हो रही है कि पुलिस में सुधार की जरूरत है, हमारे सुझाव की जरूरत है। हम कोई ऐसे सुझाव दें जिनको होम मिनिस्टर साहब बड़े दिल के साथ नोट करें और बड़े दिल के साथ नोट करके उसमें सुधार करें।

आप मुझे बता दें। आप में से यहां राजस्थान की विधान सभा के दो सौ सदस्य बैठे हैं। कितने सदस्य कितनी बार थानों में गये और क्या आपने जाकर कोशिश की कि थाने में क्या स्थिति है? रात्रि को आप भी घुस जाते हो क्या? आप भी अकेले होते हैं तो आप भी रात को नहीं जाते। आप भी देखते होंगे कि रात को जाएं और कोई पंगा हो जाए तो छोड़ बाबा। वैसे आप सब जगह जा सकते हैं लेकिन रात को विधायक भी थाने में नहीं जाएगा। वह कन्नी काटेगा कि मुझे अभी थाने में नहीं जाना है। क्योंकि थाने में क्या स्थिति मिलेगी, उसको कुछ पता नहीं है।

आज जो स्थिति है, उस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। डेमोक्रेसी में हमारी मोरल ड्यूटी है। जिन अधिकारों के साथ हमको सदन में भेजा है, उन अधिकारों के लिये आज बात यह उठती है, बार-बार यह बात आती है, कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिये बोल देता है, मंत्री बोल देता है, विधायक बोल देता है। कांस्टेबल अलग से निकल कर आया है? सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अलग से आये हैं? आप यह सब काम नहीं करेंगे। आज होता क्या है? आज यदि मुख्य मंत्री, होम मिनिस्टर, एम.एल.ए., एम.पी. नहीं हों तो फिर यह डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और जब डेमोक्रेसी खतम हो जाएगी तो फिर तो तानाशाही का राज हो जाएगा। इसलिये जरूरी है।

मैं मानता हूं, पुलिस को अधिकार मिलने चाहिए। पुलिस में जो ईमानदार अधिकारी हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको सम्मान के साथ अच्छी पोस्टिंग भी मिलनी चाहिए। ईमानदार अफसरों को अच्छी जगह लगाया जाना चाहिए। आज हमारे यहां पर क्या है? हमारे यहां पर 4-4 डी.जी. हैं। डी.जी.-होमगार्ड, डी.जी.-जेल, डी.जी.-जनरल, जो अभी आदरणीय हरीशजी हैं और डी.जी.-ट्रेनिंग। 4 डी.जी. हैं और 4 डी.जी. में हमने बांट दिया। 5 डी.जी. हैं अभी, वह जो आप कह रहे हैं ना, ए.सी.डी. के अभी ए.डी.जी. देख रहे हैं, उसको इसलिये मैंने नहीं बोला। 5 डी.जी. हैं, 5

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

डी.जी. लगाये गये थे लेकिन अभी मेरे हिसाब से ए.डी.जी. देख रहे हैं उसको, इसलिये मैंने पांचवां नहीं बोला।

डी.जी. होमगार्ड, होमगार्ड के लिये मैं होम मिनिस्टर साहब, आपसे निवेदन करुंगा कि होमगार्ड के इतने पुराने जवान जो चुनाव कराते हैं, सब कुछ करते हैं, इन होमगार्ड के जवानों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देना चाहिए। आज यह होम गार्ड का जवान पुलिस की ड्यूटी निभाता है। पुलिस के बराबर काम करता है, डण्डा लेकर खड़ा रहता है, मेहनत करता है लेकिन किसी होम गार्ड के जवान को तो दो दिन ड्यूटी मिलती है, किसी को 15 दिन मिलती है। आजकल बड़ी-बड़ी सिक्योरिटी कम्पनियां आ गईं, किसी का नाम जी-4 है, किसी का पी-4 है, किसी का पता नहीं, क्या नाम है और वहां पर आप जांच करा लेना, होम मिनिस्टर साहब, बाड़मेर में बैठी हैं, जैसलमेर में बैठी हैं, राजस्थान सरकार का लाइसेंस नहीं है। लेकिन होम गार्ड के जवान को नौकरी नहीं मिल रही है।

बड़ी-बड़ी बाहर की कम्पनियां आ रही हैं। मैं यह मानता हूं कि होम मिनिस्टर साहब की कोई गलती नहीं है, उनकी नालेज में नहीं है यह बात। मैं आज कह रहा हूं यहां पर। बाहर की कम्पनियां हैं, विदेशी कम्पनियां काम कर रही हैं और बिना लाइसेंस के सिक्योरिटी एजेंसीज उनमें काम कर रही हैं। उनका लाइसेंस चैक करने वाला कोई नहीं है। हमारे डी.जी., हमारे आई.जी., हमारी पुलिस फोर्स, हमारे कलक्टर क्या कर रहे हैं? हमारी कार्यपालिका क्या कर रही है? हमारी मोरल ड्यूटी है। बार्डर एरिया में इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं और मनमाने ढंग से काम कर रही हैं और लाइसेंस नहीं है उनके पास, इनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण होना चाहिए, राजस्थान सरकार का, भय बिन प्रीत नहीं हो देवा, लाख करो बैरी की सेवा। सरकार का डर नहीं हो तो फिर सरकार का मतलब क्या है? बिना भय के कोई सरकार नहीं चलती, भय होना चाहिए।

पुलिस का भी भय होना चाहिए। मैं मानता हूं कि यदि आज पुलिस का भय नहीं हो तो राजधानी जयपुर में, मैं तो यहां का उदाहरण दे सकता हूं क्योंकि मैं हमेशा यहां घूमता-फिरता रहता हूं, राजधानी जयपुर में आज हालात यह है कि रोड लाइट पर रोकना लोग पसन्द नहीं करते।

खुले आम जयपुर में हर प्रदेश का हर जगह का व्यक्ति आता है। जयपुर बिलकुल मेट्रो सिटी होता जा रहा है वर्ल्ड क्लास सिटी की बात चल

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

रही है। जयपुर में जनसंख्या भी बढ़ रही है। उसके लिये आदरणीय सभापति महोदय, हमको तय करना पड़ेगा, होम मिनिस्टर साहब, जो अपराध हो रहा है, उस अपराध के पीछे के कारण क्या हैं? उस पर भी जाने की जरूरत है। जो नौजवान अपराध कर रहा है, वह बेरोजगार है, परेशान है। आखिर ऐसा कारण क्या है?

और सबसे बड़ा अपराध कौन करवा रहा है? आज हमारे पुलिस तंत्र को यदि किसी ने बिगाड़ा है तो उसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ जयपुर में भू-माफियाओं का है। मैं बधाई दूंगा, आज के पुलिस तंत्र को, होम मिनिस्टर साहब को कि आप भू-माफियाओं के खिलाफ थाना बनाने जा रहे हैं। भू माफियाओं के खिलाफ आप ऐसा थाना बनायें कि एक ही जगह सबका समाधान हो जाए और उन भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, जरूरत है। सभापति महोदय, एक आम आदमी जब बच्चे और बीबी के साथ जाता है 5 बरस बाद अपने प्लाट को बनाने के लिये तो 10 आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। वह पुलिस थाने में जाकर कहता है, साहब, मुझे प्लाट नहीं बनाने दे रहे हैं। पुलिस के लोग सीधा एक ही जवाब देते हैं। भाई साहब, क्यों झंझट में पड़ रहे हो? आपके पास भी पट्टा है और आपके जैसा पट्टा उसके पास भी है। आप तो ले-देकर मामले को बैठा लो, बैठ लो। वह रोता है कि कहां से लाऊं, भाई साहब, मेरा प्लाट है यदि वह ढंग की जगह पहुंच गया, किसी भले आदमी के पास, तब तो वह बना सकता है, नहीं तो वह नहीं बना सकता है।

कानून भी क्या करेगा? दोनों के पास एक जैसे पट्टे हैं। कानून में यह नियंत्रण होम विभाग का होना चाहिए। आप स्पष्ट कानून बना दो। आपके पास तो दोनों डिपार्टमेंट हैं, यह तय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए यह जो सोसाइटियों के नाम पर यह जो लैण्ड माफिया काम कर रहा है, उस लैण्ड माफिया का आज के बाद किसी भी कीमत पर, यह कानून है, एक भी प्लाट आप काट नहीं सकते हैं, आप गड़बड़ कर नहीं सकते हैं। इतना सख्त कानून बने कि उस भू-माफिया के लिये सीधे जेल का रास्ता बनता हो। तब जाकर दर्द मिटेगा आम आदमी का। आम आदमी का दर्द ऐसे नहीं मिटेगा।

मैंने होमगार्ड के जवान के लिये कहा और आज हालात जेल में, अलग-अलग डी.जी. हो गये, अब तो निश्चित रूप से हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। मैं आपको खुद कह रहा हूं, इस सदन में। मेरे पास फोन आया है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)
मैंने कहा, बोल; कहा भाई साहब बोलो। मैंने कहा, तू जेल में है ना, बोला हां। तू जेल से फोन कर रहा है, बोला हां, भाई साहब, मेरे को छुड़ा दो। मैंने कहा, कमाल का आदमी है, जेल से फोन कर रहा है, जेल से बात कर रहा है। फोन आ रहा है जेल से। मेरे पास आ रहा है तो इसका मतलब जेल में फोन चालू है। फोन चालू है और ऐसा नहीं है कि कोई आज ही चालू है। बहुत दिनों से चालू है। इस व्यवस्था में सुधार तो करना पड़ेगा। यदि यह जेल में से फोन कर रहा है और फोन करके मदद मांग रहा है; चलो, मान लो, कोई निर्दोष ही होगा, लेकिन वह मदद मांग रहा है। इसका मतलब जेल में फोन चालू है। एक आदमी निर्दोष हो सकता है, लेकिन 10 आदमी आज भी यदि जेल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, तो वह गलत है। उसका नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी तरह से नियंत्रण होना चाहिए।

एण्टी-करप्शन ब्यूरो की बात आदरणीय पहलवानजी ने कही, बहुत जोरदार बात कही। जहां तक एण्टी-करप्शन ब्यूरो का सवाल है, मैं एक बात कहता हूं। मैं मानता हूं एण्टी-करप्शन ब्यूरो में गड़बड़ हो सकती है लेकिन जब एण्टी-करप्शन ब्यूरो पुलिस वालों को पकड़ती है, मुझे लगता है कि इस ब्यूरो की जरूरत है। कोई सुधार की जरूरत है तो आपको देखकर उसमें करना चाहिए लेकिन एण्टी-करप्शन ब्यूरो, कई जगह बात अखबारों में छपती है तो लगता है देखकर कि इंचार्ज के पीछे इंचार्ज भाग रहा है और पुलिस की जीप के पीछे पुलिस लगा दी। इंचार्ज भाग गया, 5 दिन से इंचार्ज गायब। सब जनता पढ़ती है, लोग पढ़ते हैं अखबार में कि अब के इंचार्ज साहब, बहुत बार हुआ, या तो इंचार्ज साहब पीछे भागते हैं या पुलिस इंचार्ज के पीछे भाग रही है। तो एण्टी-करप्शन ब्यूरो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है एक-दो जगह गड़बड़ हो लेकिन वहां पर काम हो रहा है। तो इसको और मजबूत करने की जरूरत है। एण्टी-करप्शन ब्यूरो को,मैं आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, आपसे कहता हूं, उसमें और सुधार कर दो, और बढ़िया कर दो आप। यह एण्टी-करप्शन ब्यूरो में जितना सुधार होगा, जितना मजबूत होगा, मैं गारण्टी से कह रहा हूं आपको, उतना ज्यादा राजस्थान का सुधार होगा, हर डिपार्टमेंट में सुधार होगा। लोगों में डर है। एण्टी-करप्शन ब्यूरो का डी.जी., आदरणीय डी.जी. साहब सोचेंगे, आज किसी अफसर को फोन कर दें, होम मिनिस्टर का काम हो या न हो लेकिन एण्टी-करप्शन ब्यूरो के डी.जी. का काम जरूर होगा, मैं गारण्टी से कह सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या कारण है?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कारण एक ही है, डर लगता है सबको, एण्टी-करप्शन ब्यूरो के डी.जी. का काम पक्का होगा क्योंकि एण्टी-करप्शन ब्यूरो का नाम पर्याप्त है।

मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे और आपके समय में क्या हुआ, वह सब जानते हैं। यह फैसला तो हम बाद में कर लेंगे लेकिन यह तय बात है, आप यह कहकर बच नहीं सकते हैं कि आपके समय में अपराध बढ़े हैं, हमारे समय में अपराध कम हुए थे। मैं आज इतना कह सकता हूं, होम मिनिस्टर के नाम पर आप तय कर लें। बांहें तो आपके होम मिनिस्टर साहब भी चढ़ाते थे लेकिन वह चढ़ाकर नीचे कर लेते थे। हमारा होम मिनिस्टर बाहें चढ़ाता है तो नीचे नहीं करता है, ऊपर ही रखता है। यह भी तय गारण्टी से मैं कह सकता हूं आपको। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब, हिम्मत है; इसका मतलब यह है कि हिम्मत है। होम मिनिस्टर हमारा घबराता नहीं है। और हमारे होम मिनिस्टर चाहे स्थिति कुछ भी हो लेकिन बोलने में कमजोर नहीं हैं। चम्बल का पानी पिया है, तुरन्त कहते हैं, नहीं, कुछ नहीं, सब काम हो जाएगा। यह बड़ी बात है। इतनी हिम्मत है।

श्री सभापति: please sum up.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बस, कर रहा हूं मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चम्बल के पानी का पूरा असर है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरा असर है। इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब को इस बात के लिये बधाई दूंगा। आदरणीय कटारिया साहब भी मेरे लिये बहुत सम्माननीय हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूं लेकिन मैं हमारे होम मिनिस्टर का इतना कह सकता हूं, हिम्मत है, जज्बा है, काम करने की ताकत है और आदरणीय तिवाड़ी साहब कोई मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे पर कहीं उनको लगता है तो अधिकारी के खिलाफ विधान सभा में कार्यवाही भी करते हैं। किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते। आज भी जब जयपुर का मामला आया, पूरे राजस्थान ने देखा, मुझे भी दु:ख हुआ, मेरे साथ का एडिशनल एस.पी. राजेश मीणा, बहुत ज्यादा चोट लगी। मेरे टाइम में यूनिवर्सिटी में था। पुलिस वालों के ज्यादा लगी, मुझे पता है। पुलिस वालों के साथ इतनी ज्यादा चोटें लगीं जितनी उनके नहीं लगीं। लेकिन फिर भी होम मिनिस्टर ने खड़े होकर के यह स्वीकार किया कि मैं पूरे मामले की जांच करवाऊंगा और बबली हत्याकांड में जो भी दोषी है, उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यह सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है और जवाबदेह है। आगे बढ़कर काम करने की हिम्मत रखती है। यह कहना होम मिनिस्टर का कि हम मानते हैं अपराध बढ़े हैं, लेकिन बढ़ने का कारण सिर्फ यह नहीं है। बढ़ने का एक कारण आप भी हैं। आपने पूरा सिस्टम, आपने पूरी व्यवस्था इतनी बिगाड़ कर हाथ में दी है कि उसको सुधारने में समय लगेगा। मन में विश्वास है, मन में इच्छा-शक्ति है, काम करने की भावना है और सुधार करने की भावना है। आज राजस्थान की सरकार यह चाहती है कि पुलिस का तंत्र मजबूत हो। पुलिस कमिश्नर प्रणाली इसीलिए जयपुर में लागू की गयी कि पुलिस को ज्यादा अधिकार मिले। यह करके भी देख लें कि यदि इसी से अपराध कम होते हों तो राजधानी में यह एक्सपेरिमेंट भी कर लिया जाए।

श्री सभापति: Now please sum up. समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बस एक मिनट में कर दूं। राजधानी में यह कमिश्नर प्रणाली भी लागू करके देख ली जाए और कमिश्नर प्रणाली से यदि कहीं सुधार नजर आता है तो निश्चित रूप से यह सुधार सब जगह किया जाए।

एक, गृह मंत्रीजी, आपको एण्ड में बहुत जरूरी सुझाव मैं दे रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, यहां पर अधिकारीगण भी बैठे हैं, यहां जयपुर में, पूरे राजस्थान में मल्टी लेवल मार्केटिंग कम्पनियां आ रही हैं। ठगी का बाजार चल रहा है। इंश्योरेंस कम्पनियां आ रही हैं। इंश्योरेंस कम्पनी के लोग जाते हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नई-नई कम्पनियां खुल जाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। राजस्थान के लोगों से ठगी हो रही है। इस तरह की कम्पनियां जब भी आफिस खोले तो सम्बन्धित थानों में एक डाइरेक्शन गृह मंत्रीजी, आपको देना चाहिए कि थाने में उनका रिकार्ड दर्ज हो, उनको पूरा चैक प्रूफ किया जाए। उनके एड्रेस प्रूफ लिये जाएं और यह तय किया जाए कि यह कम्पनी क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए अधिकृत है। यदि अधिकृत नहीं है तो उसको यहां पर कम्पनी को आफिस नहीं खोलने दिया जाए। होम विभाग की ड्यूटी है। यदि गृह विभाग ने इन कम्पनियों को नहीं रोका तो राजस्थान का नौजवान बरबाद हो जाएगा, गांव-गांव में दंगे भड़क जाएंगे। नौजवान आदमी को एजेंट बनाते हैं। वह गांव से जयपुर में मारा-मारा फिरता है और वह आफिस बंद हो जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बस, मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

मैं एक और निवेदन करूंगा। स्मैक और नशे का व्यापार जिस तेजी से बढ़ रहा है, यह आज की समस्या नहीं है। शुरू से बढ रहा है। इन स्मैक वालों के खिलाफ, इन स्मैक बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है। आज छोटे-छोटे बच्चे दवाई की दुकानों से कोई आयोडेक्स लेकर चल रहा है, कोई क्या लेकर चल रहा है। ऐसी दवाइयां भी बिक रही हैं। इसमें होम विभाग एक स्पष्ट नीति तय करे, स्ट्रिक्ट नीति तय करे कि किसी भी कीमत पर दवाइयां, जो नशीली दवाइयां हैं और जो स्मैक बिक रही है खुले आम, उस स्मैक पर नियंत्रण हो जिससे हमारी भावी पीढ़ी जो बरबाद हो रही है, वह भावी पीढ़ी बच सके।

यदि हमने इन सब चीजों पर नियंत्रण कर लिया तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं, होम मिनिस्टर साहब, आज राजस्थान की जनता हमारी सरकार की तरफ देख रही है, हर आदमी यह महसूस करता है कि राजस्थान की सरकार आम आदमी की सरकार है, राजस्थान का मुख्य मंत्री आम आदमी है और राजस्थान का होम मिनिस्टर आम आदमी है और हर व्यक्ति यह आज भी उम्मीद कर रहा है इसीलिए लगातार, चाहे एम.पी. का चुनाव हो, नगरपालिका का हो, पंचायत का हो, हमको लगातार जनता जीता रही है। जनता जीता कर हमको वोट दे रही है लेकिन वोट ठोक बजाकर दे रही है कि अब भी करो, अब भी करो परन्तु काम करो। अब हमको काम करना होगा। सिर्फ संदेश से नहीं, हमको इम्प्लीमेंट करना होगा। काम करके दिखाना होगा। योजना हमारी कागज पर बने तो, होम मिनिस्टर साहब, अधिकारियों को आप ताकीद कीजिए, अधिकारियों को निर्देश दीजिए। इन एम.एल.एज. को भी काम में लो, इन एम.पीज. को भी लो, मिनिस्टर्स को भी लो और यह तय करो कि यदि कोई नीति बने सरकार की तो वह नीति नीचे तक पहुंचनी चाहिए। आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। जब आम आदमी तक नीति पहुंचेगी तो निश्चित रूप से लोग सरकार की जिन्दाबाद के नारे लगाएंगे, मुख्य मंत्री की जिन्दाबाद के नारे लगाएंगे और हम भी सीना चौड़ा करके जाएंगे राजस्थान के गांवों में, राजस्थान के शहरों में और कहेंगे कि यह सरकार केवल नीतियां बनाती ही नहीं है, नीतियां लागू भी करती है और आम आदमी का दर्द दूर करती है।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति: श्री कन्हैयालाल झंवर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए? अगर आपकी सहमति है, सदन की?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया। मांग संख्या 16 पर मैं कुछ सुझाव भी दूंगा और कुछ कमियां भी जो विभाग की हैं, वह माननीय गृह मंत्रीजी के समक्ष उजागर करूंगा।

आपने, माननीय गृह मंत्रीजी, शासन सम्भालते ही सी.आई.डी. में जो फाइलें डम्प की हुई पड़ी थीं उन फाइलों को तो आपने निकाल कर जांच के लिए जिलों में भेज दिया परन्तु जिले के जो आला अधिकारी हैं, वे अब उन फाइलों को डम्प करने लग गये हैं। थाने की तो क्राइम मीटिंग पुलिस अधीक्षक लेते हैं परन्तु पुलिस अधीक्षकों की क्राइम मीटिंग आपको हर महीने लेनी चाहिए जिससे उनके यहां रोकी हुई फाइलें, उनकी मर्जी के खिलाफ जो चालान हो रहे हैं वे नहीं चाहते कि इनमें चालान हो, अत: जो फाइलें उनके पास रोकी हुई है, उनमें कार्यवाही हो सके और आम आदमी को न्याय मिल सके।

भू-माफियाओं का जहां तक सवाल है, मेरे बीकानेर जिले में अभी छह महीने में पांच भू-माफियाओं ने कब्जे किये। फर्जी पट्टे तैयार करके कब्जे कर लिये। मुकदमे दर्ज कराने आम आदमी जाता है जिले के अधिकारी के पास, मुकदमे दर्ज नहीं होने दिये जाते। फिर वे आपके पास आता है फरियादी। आपके आदेश से मुकदमे दर्ज हो गये परन्तु वे चालान नहीं हो रहे हैं। डम्प किये हुए पड़े हुए हैं। उन पर जो जिले के आला अधिकारी हैं उनका हाथ है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक दूसरे मुकदमे और विचाराधीन, पेंडिंग पड़े हैं। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। फिर मुकदमा दर्ज होने के

(श्री कन्हैया लाल झंवर)

बाद में एफ.आर. अदम सबूत लगा दी जाती है। एफ.आर. अदम सबूत के बाद में तीन साल से थाने में मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं जिनकी कोई जांच नहीं कर रहा है और न आपके रिकार्ड में आ रहे हैं कि यह मुकदमा पेंडिंग चल रहा है क्योंकि आपने तो, आपके थाने वालों ने दिखा दिया कि इन मुकदमों एफ.आर. अदम सबूत लगा दी गयी। परन्तु न्यायालय ने पुन: जांच के निर्देश के साथ वापस भेज रखे हैं। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक सैल गठित किया जाए जिले में अलग से जो देखें कि ऐसे कितने मुकदमे पेंडिंग हैं जिनमें एफ.आर. अदम सबूत लगाने के बाद में न्यायालय ने वापस जांच में भेजे हैं और उन पर जांच करवाकर उनका निस्तारण करवाया जाए।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नोखा दो हिस्सों में बंटा हुआ है। थाना उस तरफ रह जाता है बाकी आधा हिस्सा एक तरफ बसा हुआ है। 23 रेलगाड़ियां आती हैं। जब भी कोई घटना घटती है और फोन किया जाता है तो गाड़ी आने से, रेलवे फाटक बंद होने की वजह से पुलिस पहुंचने में बाधा होती है। इसलिए एक पुलिस चौकी का निर्माण किया था परन्तु उसमें स्टाफ नहीं लगा। मेरा निवेदन है कि उस पुलिस चौकी को चालू करवाया जाए ताकि नोखा के इधर वाले लोगों को, आधा हिस्सा जो बसा हुआ है, उनको तुरन्त पुलिस पहुंचने से राहत मिल सके।

इसके अलावा थानों की जो स्ट्रेंथ है, वही नफरी है जो शुरू में जब थाना बना था और उसमें भी 50 परसेंट स्टाफ आज की तारीख में नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्रीजी से कि स्टाफ की व्यवस्था करें ताकि थानों में स्टाफ मिल सके।

रात्रि विश्राम के लिए अधिकारियों को निर्देश तो दिये जाते हैं, दूसरी जगह का तो मुझे मालूम नहीं है, माननीय सदस्यगण जानें, परन्तु मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का, मैं मेरे जिले का निवेदन कर सकता हूं कि मेरे जिले में किसी जिला पुलिस अधीक्षक या किसी आला अधिकारी ने रात्रि विश्राम तो बहुत दूर की बात है, दिन के समय में भी दौरा नहीं किया, एक दिन भी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक माह पहले ए.टी.एम. तोड़ने का प्रयास किया गया था। उस पर पुलिस अधीक्षक मौके पर आये और उस दिन सारा अमला आया क्योंकि उस दिन विधान सभा चल रही थी। परन्तु उसके बाद में आज तक उस फाइल का, उस ए.टी.एम. तोड़ने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं

(श्री कन्हैया लाल झंवर)

की गयी। कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किसी को मुलजिम का मालूम पड़ा है, उस पर किसी बड़े अधिकारी की पहुंच हो गयी है, हाथ पहुंच गया है। क्योंकि ए.टी.एम. में आपके कैमरे लगे होते हैं, उस कैमरे में उसका फोटो कैद है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय और डी.जी. साहब से निवेदन करूंगा कि उस घटना को उजागर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, आवश्यक निर्देश दें। आम तौर पर जो घटनाएं घटती हैं, पुलिस के खिलाफ आक्रोश फैलता है।

(समय : 19.00 बजे)

मुकदमे में देरी होने की वजह से, अत्याचार के खिलाफ कार्यवाही में देरी होने के कारण आक्रोश फैलता है। इसलिये माननीय गृह मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जो मुकदमे दो-दो। तीन-तीन साल से पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2006 में मैंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि 25-25 हजार के चैक कथित फर्जी बिल तैयार करके बैंक से अधिशासी अधिकारी और कैशियर ने नकदी उठा ली। उसका पहले तो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं; बाद में 156(3) के तहत भेजा, उसमें एफ.आर. अदम सबूत लगा दी गयी। न्यायालय में निर्णय पेश नहीं किया गया। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाई। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक महीने में नतीजा पेश करना है, जो भी करना है। वह एफ.आर. अदम सबूत लगा दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नहीं, एफ आर गलत लगाई है, जिसने पैसे उठाये हैं उनके खिलाफ इन छह बिन्दुओं पर तफ्तीश की जाये। आठ महीने से वह फाइल जिला पुलिस अधीक्षक के पास पड़ी है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो दोष दे रहे हैं सरकारों को कि कांग्रेस पार्टी रोकती है, भारतीय जनता पार्टी रोकती है, मैं कहता हूं कि न तो कांग्रेस पार्टी के लोग रोकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकते हैं, जिस पर अधिकारी मेहरबान होता है, वह फाइल रुक जाती है। एक्शन कुछ नहीं हुआ तो मैंने माननीय गृह मंत्री महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। गृह मंत्री महोदय ने एस.पी. साहब को फैक्स किया। उन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील लगवा दी और 26 अप्रैल तारीख है और फाइल अभी भेज दी। जांच नहीं कर रहे हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि अधिकारियों पर अकुंश लगाया जाये। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, अभी कह रहे थे माननीय विधायक महोदय,

(श्री कन्हैया लाल झंवर)

खाचरियावास जी...(व्यवधान) डी.जी. साहब सुन रहे हैं। इसी प्रकार राज्य अन्वेषण ब्यूरो है, उसमें 2003 का 168 नं. का मुकदमा माननीय माथुर साहब के कार्यकाल में दर्ज करवाया था सड़कों में घोटाले का। चालान होकर कम्प्लीट होकर आ गया, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में उसमें एक मुलजिम निकल गया। वह फाइल अभी तक वहां पर पड़ी है।

इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 7, दो फर्जी पट्टे तैयार करने का, 80 लाख रुपये के दो फर्जी पट्टे तैयार करके कम्प्लीट कर लिये। उसकी जांच स्वायत्त शासन विभाग ने कर ली, जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी और फर्जी पट्टे साबित हो गये, परन्तु ए सी बी में वह फाइल आज भी पड़ी है। इसमें चालान की कार्यवाही नहीं की जा रही है। ए सी बी पुलिस चौकी बीकानेर। जांच कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने कई पत्र दे दिये, कई बार निवेदन कर दिये।

जब भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे। जब किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी? अभी तक वहां पड़ी है। वहां के बाद में विभाग में परमिशन के लिये जायेगी। विभाग का एक अधिकारी जो पक्ष में होगा तो उसके चालान की परमिशन नहीं मिलेगी। इस बारे में मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी विभाग के मंत्री हैं, वे और विभाग के मुखिया दोनों सामूहिक रूप से परमिशन देने की व्यवस्था करें ताकि एक अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकें या एक आदमी अपनी मनमानी नहीं कर सके। चालान में जो पेंडिंग पड़ी हुई फाइलें हैं, उनको तुरन्त निपटाने की व्यवस्था की जाये।

इसके अलावा मैं एक विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पुलिस महकमे में चुनाव के वक्त में गाड़ियों की जरूरत होती है। कोई परिवार के साथ कहीं जा रहा है, उसको रोका, तुरन्त नीचे उतारा और गाड़ी पुलिस ने चुनाव के वक्त में काम में ले ली। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जितनी गाड़ियों की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन नम्बर आपके पास है, आप पहले ही व्यवस्था कर लें, 15 दिन पहले उसको सूचना दे दें कि इस तारीख को तुम गाड़ी थाने में लाओगे, हमारे काम के लिये जरूरत है। ऐसा नहीं करने के बजाय यह होता है कि परिवार सहित कोई जा रहा है, उसको रोका और उतारा। चाहे वह सवाई माधोपुर से आ रहा हो, चाहे कोई बांसवाड़ा से आ रहा हो, उसको उतारकर गाड़ी थाने में ले ली और वह 15 दिन तक परेशान होता है। इसलिये मेरा सुझाव है इस व्यवस्था को ठीक कर सुचारू करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर ..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, क्या बोल रहे हैं, सुनो तो सही। जब एम एल ए की हालत यह है तो आम व्यक्ति की क्या हालत होती होगी? बुरी तरह अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और आप हंस रहे हो। यह अपने दर्द की बात बता रहे हैं कि मेरे साथ यह हुआ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आ गया सब।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ): आ गया क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्य, अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और इसके बाद भी मंत्रीजी सीरियस नहीं हैं। यह क्या है? आप यह बताओ 22 जजों को टर्मिनेट किया जा सकता है तो आपने कितने एस.पी. और डी.एस.पी. को सस्पेंड और टर्मिनेट किया? बताओ तो सही। जब पीड़ा व्यक्त करने वाले व्यक्ति की पीड़ा नहीं सुनेंगे...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में पांचू थाना पड़ता है। उसमें 8 दिसम्बर को जब चुनाव हुआ उसके बाद में 13 ट्रांसफार्मर जलदाय विभाग के बिजली विभाग द्वारा लगाये थे, चोरी हुए लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं किये गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके मैंने मुकदमे दर्ज करवाये और वह आज तक 14 महीने हो गये, वैसे ही पड़े हैं। कोई फाइल को देखने वाला नहीं है। मैंने खूब पत्र दे दिये कि इनका मालूम किया जाये। ट्रांसफार्मर कोई जेब से निकाला रुपया तो है नहीं, ट्रांसफार्मर को उतारने में टाइम लगता है। उसके बाद भी ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं। इसलिये माननीय गृह मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इन ट्रांसफार्मरों के मुकदमों की जांच करवाई जाये और चोरों को पकड़ा जाये ताकि राहत मिल सके। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं करें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): ऐसा ही नहीं है, लोहे के सरियों का ट्रक चोरी हो गया। पूरा भरा ट्रक चोरी हो गया। ऐसे ही एक ट्रक चोरी का मामला हनुमानगढ़ थाने का है। श्रीदेवी पोलीटेक्निक महिला कालेज है, उसके दो ट्रक चोरी हो गये और मैंने जहां तक अनुमान लगाया है, चोरों का मालूम भी कर लिया हनुमानगढ़ थाने वालों ने हरियाणा के वे रहने वाले हैं। परन्तु पुलिस वहां जाने से कतरा रही है और वे पकड़े नहीं जा रहे हैं। इसलिये

(श्री कन्हैया लाल झंवर)

माननीय गृह मंत्री महोदय और डी.जी. से निवेदन करूंगा कि हनुमानगढ़ थाने से पता करके और जो जांच अधिकारी है, उसको पर्सनली बुलाकर पूछें तो वह बता देंगे कि वह चोर है और आप फोर्स दीजिये तो वह पकड़ लायेंगे। आला अधिकारी इस मामले को दबा रहे हैं। आला अधिकारी नहीं चाहते कि वह पकड़ में आयें, क्योंकि उनकी पहुंच होगी शायद मेरे हिसाब से। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन चोरों को पकड़ा जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जयहिन्द। जयभारत।

सूचना

सर्किट हाउस, भरतपुर के कर्मचारियों का धरना

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

सभापति महोदय, भरतपुर में सर्किट हाउस के सारे कर्मचारी 21 दिन से बाहर धरने पर हैं और उसका कारण यह है कि वहां जो सर्किट हाउस के मैनेजर हैं, वह आदतन, मेरे ख्याल से सदन में भी सब लोग उनसे परिचित ही होंगे, उन्होंने एक एस.सी. का एक कर्मचारी, साईकिल सवार था, सुबह-सुबह डण्डा लेकर उसकी कुटाई की। बुरी तरह से उसको मारा, गाली-गलौच की। उसने एफ आई आर भी दर्ज करवाई परन्तु आज तक पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया है। पूरे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, हमारे सदन के नेता इस समय उपस्थित नहीं हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह वही है जिसको आपके समय में आपने राजस्थान हाउस में लगाया था।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कहीं भी लगे हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को सर्किट हाउस में लगा रखा है। सर्किट हाउस में हर तरह के लोग आते हैं, माननीय सदस्य भी आते हैं, हमारे मंत्री महोदय भी आते हैं और 24 घंटे दारू के नशे में रहने वाले व्यक्ति को वहां मैनेजर लगा रखा है। 21 दिन से लगातार पूरा सर्किट हाउस बंद है, सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ न कुछ करें। थैंक्यू।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

मांग संख्या 16 और 17 पर विचार

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, दोपहर दो बजे से मांग संख्या 16 और 17, पुलिस और कारागार पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से चर्चा में भाग लिया जा रहा है, मैं भी उसमें भाग ले रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे आंकड़े पक्ष और विपक्ष के मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने रखे हैं, परन्तु मैं कुछ अन्य आंकड़े ही रखूंगा, क्योंकि उनको दोहराने का कोई लाभ नहीं है। देश की सीमा, राजस्थान की सीमा नहीं है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या गंगानगर, देश की सीमा असुरक्षित है और राजस्थान सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से बहुत कमजोरी है। आर डी एक्स 14,500 किलोग्राम पकड़ा जाए या 10016 कारतूस पकड़े जाएं। कारतूस तो बहुत होंगे लेकिन जो पकड़ में आ गए हैं, यह उनकी संख्या है। 158 कोरडेक्स पकड़े जाएं, 12 पिस्टल पकड़े जाएं, टाइमर और बैटरी पकडी जाएं, 10 डेटोनेटर पकड़े जाएं, यह तस्करी का एक अंश है। तस्करी तो बहुत होती होगी। इस तरफ राजस्थान सरकार ध्यान दे और हमारा प्रशासन और पुलिस ध्यान दे।

मैं यह कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत कहा हमारे माननीय सदस्य, पक्ष वालों ने कि जबावदेह है, संवेदनशील है, बहुत ज्यादा पारदर्शी है। अब पारदर्शी कैसी है? राजस्थान के सारे आंकड़े हमारे पूर्व सदस्य बोल चुके हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं जो इस देश को बरबाद कर रहे हैं। हमारे पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी और छिपे हुए पाकिस्तानी जो वहां के नागरिक हैं, पासपोर्ट के जरिए यहां आये, मेरे यहां मेवात में बहुत लोग हैं, मेवात की तो मैं बाद में विस्तृत चर्चा करूंगा, उन बांग्लादेशियों को क्यों नहीं निकाला जा रहा? आखिर क्या कमजोरी है हमारी? हम इतने वोटों के भिखारी हो गये कि किसी तुष्टीकरण के कारण अल्पसंख्यकों को खुश करने के कारण, अल्पसंख्यक खुश भी नहीं होंगे, जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको निकालने के लिए हमारी क्या योजना है? यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हो गया? बैठिए, अपने मन की तसल्ली कर लीजिए। हत्या, लूट, नकबजनी, लूट, बलात्कार और चोरी, इन सबके आंकड़े रखे हैं और आपके राज में वर्तमान में जो चल रहा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, संसदीय सचिव महोदय ने आडवाणीजी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको एक्सपंज करवाइये। इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से, +++

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): इसमें गलत क्या कहा है? वह +++ ही तो हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं समझता हूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सर्वोच्च नेता के लिए, इस तरह से हल्केपन से, यह क्या मजाक बना रखा है?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सम्मान है आडवाणीजी का, खूब सम्मान है। क्या बात कर रहे हैं? आप नाराज हो गये बेवजह। हम तो बहुत सम्मान करते हैं।

श्री सभापति: एक्सपंज किया जाता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): खैर, मैं तो इसलिए नहीं बोला कि अनावश्यक समय विवाद में खराब जाएगा लेकिन जो आडवाणीजी के लिए बोले हैं, मैं भी वहीं से आया हूं। मुझे भी निकालिए आपकी हिम्मत हो तो। मैं सदन में कह रहा हूं, आपमें दम हो तो निकालिए। मैं भी वहीं से आया हूं। आप पाकिस्तानी नागरिक कह रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और सम्मान के साथ इस धर्म को बचाने के लिए, सामाजिकता को बचाने के लिए हम लोग आये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक्सपंज करिए, सभापति महोदय, वरना इनकी आका के लिए हम भी कह सकते हैं कि वे कौन से देश की हैं, कौन से देश की नहीं हैं। एक्सपंज करवाइये। मजाक बना रखा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका जो पिच ऑफ वाइस है न, उसको आप ऐसे रखें। (व्यवधान) This is my personal request to you.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप आसन को धमकायें नहीं। धमकायें नहीं आसन को। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) आप बोल लेंगे क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, संसदीय सचिव ने कहा, मैंने तो इसलिए नहीं कहा कि टालूं इसको, माननीय राठौड़ साहब ने कहा। तो हम भी पाकिस्तान से आये हैं। उस प्रदेश से, देश से अपने सम्मान को और अपने धर्म को बचाकर इस देश में आये। तब अखण्ड भारत

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

था, हम अखण्ड भारत के सदस्य थे। माननीय आडवाणीजी भी अखण्ड भारत के सदस्य थे और आज भी भारत के नागरिक हैं। इसलिए बैशरमाई मत दिखाइये और माननीय आडवाणीजी के बारे में कोई भी शब्द मत कहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके राज में, आपका जो शासन है, बेरोजगारों को किस प्रकार से ठगा जा रहा है, यह रोजगार का गोरखधंधा, यह मैं लाया हूं। इसकी फोटो कापी है, ओरिजनल की चमक ज्यादा होती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पहले एक्सपंज करवाइये। वह अपनी सीट पर भी नहीं बैठे हैं। देखिए, कहां से बोल रहे हैं? (व्यवधान) तो फिर +++ का किसलिए किया था?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक दिन तो शांति रखो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ एक्सपंज क्यों कराया आपने? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, बिना इजाजत के अपनी बात रख रहे हैं। किन नियमों में बोल रहे हैं? एक्सपंज करवाएं जाएं इनके कहे शब्दों को।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये किन नियमों में बोल रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया सुनिए आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप एक्सपंज करिए इसको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। आसन पैरों पर है। देखिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। सदन की व्यवस्था भी यही है और परम्परा भी सदन की यही है कि अगर किसी माननीय सदस्य को बोलना है सदन के अन्दर, तो उसको अपनी सीट जो अलोटेड है, उस पर रहना जरूरी है। उसके अलावा वह बात करने के लिए जा सकता है। ऐसा इधर भी होता है, उधर भी होता है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप बीच में व्यवधान नहीं करें। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, हत्या, लूट, बलात्कार, नकबजनी, चोरी और जासूसी के जो अपराध हैं उनमें 18 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माननीय गृह मंत्रीजी, क्या आप चिन्ता और चिन्तन करेंगे? मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं, यहां पर माननीय पुलिस के अधिकारीगण भी बैठे हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ मेवात में आता है। मेवात में क्या कुछ नहीं है? आपको क्या पता नहीं है? माननीय डी जी पी साहब और उनके साथी बैठे हुए हैं। माननीय शांतनु कुमारजी, पूर्व डी जी पी, माननीय ए एस गिल साहब, पूर्व डी जी पी, उन्होंने चिन्ता जतायी कि मेवात में अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मेवात, हरियाणा का मेवात और राजस्थान का मिलाकर उनकी एक कार्य योजना बनायी जाएगी। हमने पहले बनायी थी लेकिन आपने आकर उसको खटाई में डाल दिया।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि मेवात की जो स्थिति है, जो कामां, डीग, नगर, गोपालगढ़, रामगढ़, कठूमर, लक्ष्मणगढ़, तिजारा और भिवाड़ी की स्थिति है, सरेआम वहां सोने की ईंटें, विशेषकर ध्यान दें, नकली सोने की ईंटें, पूरे देश में फोन कर-करके बुलाया जाता है। सभापति महोदय, आप भी अलवर के हैं, प्रति दिन के हिसाब से लगभग 650 नकली सोने की ईंटें और अशर्फियां। एक प्राइवेट नर्सिंग होम के डाक्टर के 92 लाख रुपये ठगे गये। लेकिन कहें तो कैसे कहें? नम्बर दो की पूंजी थी, लोग ठगे जाते हैं, पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते हैं, एडीशनल एस पी, एस पी साहब को कहते हैं। हमारे यहां के एस पी साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बड़ाई करूंगा, सार्वजनिक रूप से करता हूं, उन्होंने नकली नोटों के लोगों को पकड़ा है। नकली नोटों की खेप जो सोने की ईंटों के साथ, अशर्फियों के साथ जिसको हमारे यहां टटलू कहते हैं, एक-एक गांव का नाम गृह मंत्रीजी को बता सकता हूं, मेरे क्षेत्र में भी हैं, कामां में भी हैं, नगर में है और हरियाणा से भी आते हैं हजारों लोगों को ठगने के लिए। लेकिन 650 घटनाएं मात्र इस एक साल में। इन घटनाओं के पुलिस में केस दर्ज हैं। जो केस दर्ज नहीं हुए, रो-पीटकर लोग चले गये उत्तर प्रदेश के, बिहार के, महाराष्ट्र के।

इसके अलावा है, जाली नोटों के जाल में मेवात। यह छपा है। इसके साथ माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंह के गांव के पास साढ़े छब्बीस लाख पकड़े गये। पूर्व में बोला जा चुका है। नकली नोट चलाने वालों के गिरोह का सरगना पकड़ा हमारे माननीय एस पी वशिष्टजी ने । एस पी साहब ने एक अच्छा काम किया है। वहां पर जितने प्राइवेट डाक्टर्स हैं, मेवात से आये हैं, वे सब इन्हीं कामों में लिप्त हैं। सोने की ईंटों का काम, अशर्फियों का काम, बेरोजगारों को ठगने का काम और सब तरह के अपराध वहां होते हैं।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सभापति महोदय, अपराध होता है वहां नकली घी का। सिंथेटिक घी बनाया जाता है। सिंथेटिक दूध वहां बनाया जाता है मेवात में और सिंथेटिक मावा, कलाकन्द हजारों किलो प्रति दिन हरियाणा और दिल्ली में जाता है। उसकी पकड़ नहीं हो रही है। मैं उसके सबूत आपको दे सकता हूं। वहां नकली नोटों के अलावा सोने की ईंटों, जिनको ठगा जाता है उनको टटलू कहा जाता है, इनके अलावा नकली घी का, दूध का, मावे का, मक्खन का, कलाकन्द का, पनीर का, यह भी काम होता है। इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। पिछली बार मैंने खुद ने पकड़वाये थे मय सबूत के।

अवैध हथियारों का जखीरा है। बिहार और यू पी से ही नहीं, मेवात में भी बनते हैं। आप उनको पकड़ना चाहें और पकड़ना नहीं चाहें। केवल हथियार लेना चाहें, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपको दिलाता हूं वहां से। रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, कारतूस, आप चाहें जितने उनसे लेकर आयें। वे लोग देने को तैयार हैं। यह स्थिति है मेवात की। मेवात खड़ा है आज ज्वालामुखी के मुहाने पर, मेवात खड़ा है आज बारूद के ढेर पर। मेवात दुनिया भर के क्रिमिनल्स का केन्द्र है।

माननीय डी जी पी साहब को मैंने कहा था। बात तो बहुत अच्छी हुई। मेरा सम्मान भी बहुत करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा, मैं आपको बुलाऊंगा। इन सारे अपराधों के बारे में बाकायदा ठोर-ठिकाने, उन गांवों की सूची, 250-250 लोग टटलू का काम, सोने की ईंटों का काम करने वाले और पचासों जगह सिंथेटिक दूध और घी बनाने वाले, पनीर बनाने वाले लोग हैं, मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा।

आपको, गृह मंत्रीजी, मैं आश्चर्य में डालना चाहता हूं कि किस प्रकार से सीमा पार से नकली नोट आते हैं। हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र तिजारा माननीय मंत्रीजी का, एक सज्जन मंत्री हैं, मैं उनको सज्जन मंत्री कहता हूं, उनके क्षेत्र में आज की ताजा खबर, कल की ताजा खबर और आज की ताजा खबर, मैं लेकर के आया, अलवर से आया। पैट्रोल पम्प लुट गया। आप देखिये, अन्तरराष्ट्रीय वाहनों के चोर वहां हैं। वहां चार गांव हैं जहां, गृह मंत्रीजी, आपकी पुलिस हिम्मत नहीं करती। चोरपुरी है, पाटवाड़ा है और कई गांव हैं नगर में, मेरे क्षेत्र से लगे हुए मेवात में। पूरा मेवात डिस्टर्ब है। चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार होते हैं उनको छोड़ने के लिए। यह मैं आज का ही आपको पेपर लाकर दे रहा हूं। मोबाईल मिलावट जांच के लैब, उनमें भी मिलावट। इस तरह के अपराध मेवात में हो रहे हैं।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इस सबसे खतरनाक, शर्मनाक बात यह है कि हम जिस गौवंश की पूजा करते हैं, जिस गौ माता की, गाय माता की...

गृह मंत्रीजी, जरा सुनें। बातें तो आप करते रहिये मंत्रीजी को घर बुला करके कृपा करें। अपने एम.एल.एज. को तो नहीं सुन रहे, मुझे तो सुनिये कृपा करके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात आसन के माध्यम से कह सकते हैं, सीधे मंत्रीजी को कुछ ना कहें। आप बोलिये, आपका सुझाव जारी रखिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): विक्रमादित्य के सिंहासनजी को नमस्कार, आसनजी को नमस्कार।

माननीय मंत्रीजी, कामां में और गोपालगढ़ में और सीकरी में गौमांस की मंडी लगी हुई है। उनकी फोटो सहित माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को मैंने पूरी फाइल दी थी, वो फाइल उनके पास कहीं खो गयी। ऐसी स्थिति मेवात में है। एक गौ तस्करी, हजारों गाय कटने के लिए, गौ हत्या, गौ वध के लिए हरियाणा में जाती है। मेरे क्षेत्र से लगे हुए नौगावां से आगे। वहां जाती है और वहां गौ मांस सरेआम बिकता है। मेरे क्षेत्र में तो हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं एक बात कहता हूं, अभी कुछ एम.एल.एज. कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन हमारी नहीं सुनता। मैं उनमें से हूं जो यह विश्वास करते हैं कि दुनिया झुकती है मगर झुकाने वाला चाहिए, हमारी बात टालने की हिम्मत पुलिस अधिकारियों में नहीं है। मेरी बात टालने की हिम्मत तो थानेदार से ऊपर तक नहीं है क्योंकि मैं अपने ढंग से मेवात में संघर्ष कर रहा हूं।

मैं आपको कहना चाहता हूं कम शब्दों में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मेवात के लिए कोई कार्य योजना आप बनाएं। उस कार्य योजना में नीचे सिपाही से लेकर के डी.जी.पी. साहब तक जैसा सहयोग आप कहेंगे और जैसा सहयोग आप चाहेंगे, मैं उस सहयोग को देने के लिए तैयार हूं और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूं लेकिन मेवात से अपराध दूर होना चाहिए। मेवात से हत्या, लूट, बलात्कार दूर होना चाहिए, वहां पर छेड़खानी बंद होनी चाहिए। अवैध हथियारों के अवैध जखीरे तालीम के केन्द्रों पर हैं, हथियारों के अवैध जखीरे शिक्षा के केन्द्रों पर अण्डर-ग्राउण्ड हैं, क्या आप पकड़ेंगे उनको? आप पकड़ने की हिम्मत रखते हैं तो पकड़ें सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस राज में यह हुआ,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बी.जे.पी. राज में यह हुआ। आप गम्भीरता से सुनें और गम्भीरता से करें, यही मैं आपको सदन में निवेदन करना चाहता हूं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेवात में सब कुछ ठीक हो, मेवात से अपराध दूर हों। मेवात बहुत विस्फोटक स्थिति में है, मेवात ज्वालामुखी के मुहाने पर है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बारूद के ढेर पर है। वहां आ कर के खुद शान्तनु कुमारजी ने अलवर में स्टेटमेंट दिया था, खुद ए.एस. गिल साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि हम कार्य योजना बनायेंगे, आज तक आपने कार्य योजना नहीं बनायी। अब आप बनाएं। दोषारोपण मत कीजिए, हमने नहीं बनायी या आपने नहीं बनायी। मैं व्यक्तिगत आरोप आप पर नहीं लगा रहा लेकिन प्रशासन और पुलिस मिलकर के इस न्यायसंगत बात को सुने। माननीय सभापति महोदय, अवैध सारे काम, चाहे सिंथेटिक दूध के हैं, चाहे मिलावट के हैं, चाहे घी के हैं, चाहे पनीर के हैं, चाहे अवैध हथियारों के हैं, चाहे वो नोटों के हैं, चाहे गौवंश के हैं, गौमांस बिकने के हैं, उन पर प्रतिबंध लगाएं, आप कार्य योजना बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी को उनके अदब में कुछ शेर कहकर के, इनको जो अहम है उस पर मैं हल्की सी बात कहना चाहता हूं। निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी को पेश है–

'हम किसी से नहीं हैं कम,
सब हमारी ही बात और हम में है दम,
घमंड में चूर होकर हम नहीं पड़ते नम,
पर हो जायेगा अब दूर सारा आपका भ्रम।'

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में इकबाल ने एक शेर लिखा है, इकबाल ने लिखा है, इसी बात का समर्थन करते हुए माननीय गृह मंत्रीजी जैसे व्यक्तियों के लिए। माननीय सभापति महोदय, क्षमा करें–

'इकबाल तेरे इश्क ने सब खम्भ दिये निकाल, टेड़ापन, बांकापन।
इकबाल तेरे इश्क ने सब खम्भ दिये निकाल,
मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई।'

यह आपको निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक मैं रामायण का दोहा और सुनाऊंगा, माननीय सभापति महोदय, आपकी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अनुमति से, इसके बाद ज्यादा आज बोलना नहीं चाहता क्योंकि आंकड़े सारे पहले आ गये, बहुत सारे पेपर मैं लाया था और बहुत तैयारी करके आया लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, रामायण का एक दोहा है, 'रहऊ करऊ ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): थोड़ा और बोलो आप। सदन आपको सुनना चाहता है, थोड़ा और बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): छह-छह घंटे बोलने का माद्दा है, ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं मैं और गोटन सीमेंट फैक्टरी में जाटों ने मेरा टैंट, कनात उठा लिया और लाउडस्पीकर उठा लिया। मुझे चिंता नहीं है, मैं तो बोलता रहूंगा लेकिन सभापति महोदय से अनुमति लीजिए, आपके कहने से नहीं बोलेंगे।

'रहऊ करऊ सब का परतोशू,

नतरुतात होई परदोशू,

जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी,

सौ नृप। नृप मानी राजा, शासक, आप,

सौ नृप अवमि नरक अधिकारी।'

'सो नृप अवमि नरक अधिकारी', इसलिए नरक में जायेंगे अगर आप गौवंश को कटने से नहीं रोकेंगे।

आपका भगवान भला करे, सभी का भगवान भला करे लेकिन इन अपराधों को आप रोकें। मेवात की स्थिति बहुत खराब है, उसको आप ठीक करें, सब का सहयोग चाहता हूं। फिर से, मेवात में किसी भी तरह के सहयोग के लिए प्रशासन, पुलिस कहेगी, आज मैं उन सब को सहयोग के लिए तैयार होना कहते हुए अपने शब्दों को विश्राम।

जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं एक-दो व्यवस्था देना चाहूंगा। पहला तो मेरा निवेदन यह है सभी सदस्यों से, क्योंकि यहां पर सभी अधिकारी बैठे हुए हैं तो जब भी आप किसी अधिकारी के बारे में कोई बात कहें तो उसके डेजिग्नेशन को अगर आप बोलें तो काफी अच्छा रहेगा, गरिमा रहेगी। कृपया उसका नाम न लें तो अच्छा रहेगा।

दूसरी व्यवस्था, मुझको अलग-अलग आपकी तरफ से जो सूची बोलने

(श्री सभापति)

वालों की दी गयी है उसमें आप यह ध्यान रखें कि मैं बाध्य हूं, मुझे उसी सूची के मुताबिक बुलवाना है। अगर आप इसमें बदलाव चाहते हैं तो आप अपने सरकारी मुख्य सचेतक महोदय से, विपक्ष के सचेतक महोदय से बात करके और यहां पर संशोधन करवाएं तो अच्छा रहेगा। पहले जो अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपनी सिफारिश दी थी उसका पालन कर दिया गया है पर आगे के लिए व्यवस्था यही है।

तीसरा, मेरा बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन सबसे है कि बहुत लम्बा सदन चलेगा, टाइम का आप ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो कुछ कैजुअल एटिट्युड में आप लोग बात करते हैं, दाएं-बाएं, वे बंद करें। एक तरफ से बोला जाता है आप तो बोलते रहिये, दूसरी तरफ से आप कुछ टिप्पणी करते हैं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अगर आपने कोई ऐसी अव्यवस्था करने की कोशिश की तो हो सकता है कि कोई ऐसी सभापति से व्यवस्था हो जाए जो आपको अच्छी ना लगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ध्यान रखें इस बात का।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 पर जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण 2010-11 में कई घोषणाएं कीं, जिनसे मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। रेलवे में अथवा अन्य कारणों से कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, बड़ी संख्या में लोगों को हताहत होने से बचाने के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स बनायी जायेगी, इससे तुरन्त लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक और घोषणा की कि रिटायरमेंट के कारण रिक्त 2,300 कांस्टेबलों के पदों को पुन: भरा जायेगा और सुरक्षाकर्मी जो आतंकवाद से निपटने के लिए व अन्य जोखिम भरे काम करते हैं, उन्हें सरकार विशेष बीमा कवर देगी तथा जो कमिश्नर प्रणाली लागू होगी उससे पूरे राज्य को बहुत फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो पिछले पांच साल का कार्यकाल निकला है किसी से छिपा हुआ नहीं है। वे राज पोपाबाई के राज के समान,

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

बराबर था। इस राज में क्या-क्या नहीं हुआ, आप सब को मालूम है। इस राज के अन्दर आम आदमी अपने अधिकार के लिए मांग कर रहा था परन्तु पानी के बदले गोलियां खानी पड़ रही थीं और आरक्षण में गुर्जर निहत्थे मारे गये थे। पुलिस का इतना भय हो चुका था, आम आदमी पुलिस की वर्दी से डर रहा था। इसलिए इस राज के अन्दर जिस तरह से प्रतिपक्ष के कुछ नेता बोल रहे थे कि सत्ता पक्ष की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है और भी कुछ आरोप लगा रहे थे, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आपके केबिनेट के मंत्री युनूस खान पर आपके कार्यकर्ता ने हमला किया, आपने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। आपके कैबिनेट के मंत्री आपके राज में सुरक्षित नहीं थे तो आप क्या दूसरे किसी की बात करते हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जो राज चला उससे हमारे मकराना में बहुत फर्क पड़ता था। हमारे मकराना के अन्दर जो पुलिस थाना चल रहा था, एक माफिया गिरोह के अन्दर चल रहा था। हमारे मकराना के अन्दर हरेक चीज की बोली लगती थी, उस पुराने राज के अन्दर हमारे मकराना के अन्दर हरेक काम का कब्जा करने के लिए एक बोली छुड़ाते थे, दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये की। पैसे के बिना कोई कार्य नहीं होता था। मकराना पुलिस थाना भू-माफिया, खान-माफिया के अन्दर घिरा हुआ था। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे गृह मंत्रीजी को, सवा साल के कार्यकाल के अन्दर, बहुत अच्छा कार्यकाल वहां चल रहा है, आम आदमी राहत महसूस कर रहा है।

सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं गृह मंत्रीजी से कुछ मांग करना चाहता हूं। हमारा मकराना पुलिस थाना 1976 में बना। और इसका एरिया पचपन-साठ किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। मकराना विधान सभा में दो थाने हैं एक तो मकराना का और एक गच्छीपुरा का, तथा दो पुलिस चौकियां हैं। एक तो रेल्वे स्टेशन के पास में और एक बोरावड़ के पास में। मकराना पुलिस थाने में एक सी आई है और 42 पुलिस कर्मी हैं जो संख्या बहुत ही कम है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो बोरावड़ के अन्दर पुलिस चौकी है उसे थाना बनाया जाए। वहां बीस हजार की आबादी है और पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। जो रानी गांव हमारे मकराना से 30 35 किलोमीटर दूर है और गच्छीपुरा भी 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी पुलिस चौकियां खोली जाएं और एक जो बूड़सू एरिया है वहां पर भी पुलिस चौकी खोली जाए। वहां पर भी 30-35 किलोमीटर की दूरी हमारे यहां से है।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि मकराना पुलिस थाने के अन्दर वाहन की बहुत कमी है। एक ही पुलिस वाहन है, एक ही जीप है तो कोई घटना हो जाती है तो पुलिस को बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए वहां बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सबसे बड़ी समस्या, हमारे मकराना के अन्दर ट्रैफिक पुलिस थाना खोलने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि पूरे नागौर जिले के जितने वाहन हैं, आधे से ज्यादा वाहन हमारे मकराना विधान सभा के अन्दर हैं। वहां पर मात्र चार-पांच ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। इसलिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां ट्रैफिक पुलिस थाना खोला जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। बहुत सी बार वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं इसलिए इसकी बहुत ही आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मांग संख्या-16 पुलिस और मांग संख्या-17 कारावास पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं भी आपके माध्यम से इसमें अपने विचार रखना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाह रहा था माननीय गृह मंत्री महोदय को पर अभी वो थोड़ी देर के लिए चले गये और धन्यवाद मैं इसलिए देना चाह रहा था कि आपके सराहनीय प्रयास जो रहे हैं पन्द्रह महीने के, जयपुर शहर जो शांति के लिए जाना जाता था, जयपुर शहर जहां लोग आना पसन्द करते थे, ट्यूरिस्ट आना पसन्द करते थे, बाहर से लोग आकर रहना पसन्द करते थे, आपके पन्द्रह महीनों के प्रयासों में पैंतीस बड़े शहरों में तीसरे नम्बर पर क्राइम में सबसे ऊपर आ चुका है जयपुर शहर। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता था माननीय गृह मंत्री महोदय को।

यहां का क्राइम रेट इतना बढ़ा है, सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य खाचरियावास जी कह रहे थे, आम आदमी की सरकार है। सभापति महोदय, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं हो, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हों, जहां पर लूट, चोरी, हत्या, वाहन चोरी जेसी घटनाएं आए-दिन होती

(डा. दिगम्बर सिंह)

रहती हों, वहां पर आप कैसे आम आदमी की सरकार? मैं तो केवल बड़े-बड़े होर्डिंग्स जरूर देखता हूं चौराहे पर, 'आम आदमी की सरकार', 'वर्ल्ड क्लास सिटी।' मैं सुबह जवाहर सर्किल पर घूमने जाता हूं तो वहां पर भी आज कल ऐसे होर्डिंग्स बनाकर रख दिए हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी के उसमें सारे काम चल रहे हैं। जिस वर्ल्ड क्लास सिटी की अपन चर्चा करते हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी की कल्पना करना भी आज की स्थिति में मैं समझता हूं बेमानी है।

सभापति महोदय, आज जयपुर शहर क्रिमिनल्स की एक शरणस्थली बनकर रह गया है और क्राइम इतना जबरदस्त इन्क्रीज हुआ है इन दिनों में, अगर केवल वर्ष 2009 की मैं बात करूं, 128 हत्याएं हुई हैं, 117 हत्या के प्रयास हुए हैं, 11 डकैतियां हुई हैं, 270 लूट की घटनाएं हुई हैं, 160 चेन स्नेचिंग की घटनाएं हुई हैं 314 अपहरण के मामले हुए हैं, 118 बलात्कार के मामले हुए हैं, 227 बलवे के प्रकरण हुए हैं, 1,227 नकबजनियां हुई हैं और चोरी तो, सभापति महोदय, 6,503 केवल एक साल में जिसमें से 4479 तो केवल वाहन चोरी के मामले इस जयपुर शहर में हुए हैं। यह वर्ल्ड क्लास सिटी है, यह आम आदमी की सरकार है जो बार-बार आम आदमी की सरकार के होर्डिंग्स लगा कर इस जयपुर को चकाचौंध कर रखा है?

सभापति महोदय, आज पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले 16 मार्च की बात है, दौसा में योगेन्द्र गुप्ता जो चीफ ब्यूरो है राजस्थान पत्रिका के, रात को दस बजे जब वे अपने कार्यालय से जा रहे थे, थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। तीन घंटे से हमलावर थाने के बिल्कुल सामने दारू पीते रहे, वहां पर मौज मस्ती करते रहे और कांग्रेस के ही किसी लीडर ने आकर थाने में सूचना दी, उनको बुलाया गया, थाने में दस मिनट रोका गया, उसके बाद उनको फिर छोड़ दिया गया। उस योगेन्द्र गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला दौसा में किया गया। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कल का ही दृष्टान्त। अभी जैसा हमारे माननीय खाचरिया जी ने कहा, राजेश मीणा जी आपके साथ पढ़े हैं, मेरे भरतपुर में भी एडिशनल एस पी रहे, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। पर आज जो कर्तव्यपरायण अफसर हैं उनको तो पिटने के अलावा पुलिस में कोई दूसरा तमगा मिलने वाला नहीं है। पुलिस की पिटाई के रिकार्ड की इन पन्द्रह महीनों में ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां पुलिस जाती है, टी वी पर देखते हैं

(डा. दिगम्बर सिंह)

औरतें पकड़-पकड़ कर धून रही हैं, आदमी पकड़-पकड़ कर धुन रहे हैं और वे भाग- भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं। आज भी अख़बार में अगर फोटो देखो आप तो पत्थर पड़ रहे हैं। तो पुलिस वालों के इस तरह से उनके फोटो आ रहे हैं। यह स्थिति है।

पुलिस का जो मनोबल इन पन्द्रह महीनों के अन्दर, मैं यह आरोप लगाना चाहूंगा कि सरकार के कारण से जो पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरा है वह अच्छी बात नहीं है इस कानून-व्यवस्था के लिए किसी भी तरह से। आपको सोचना पड़ेगा, पुलिस के मनोबल को आपको बनाकर रखना पड़ेगा और नहीं तो पुलिस भी एक दिन +++ पर उतर जाएगी। ऐसी स्थिति राजस्थान के अन्दर पैदा हो रही है। सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं ...

श्री सभापति: +++ शब्द को एक्सपंज किया जाए। +++ क्यों कहना चाहिए? +++ ठीक शब्द नहीं है। पुलिस भी +++ पर उतर आयी है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++ बिल्कुल संसदीय है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): +++ असंसदीय कैसे हो गया?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, संसदीय शब्द है यह।

श्री सभापति: नहीं, नहीं +++ शब्द ठीक नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन से आर्ग्यूमेंट नहीं।

श्री सभापति: +++ को एक्सपंज किया जाए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, इस 'आम आदमी की सरकार' में इस 'वर्ल्ड क्लास सिटी' में 13 माह के अन्दर जयपुर में जो बैंक डकैतीयां हुई हैं उनका ही मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे दूं। 3 जून को विद्याधर नगर में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में 62,000 रुपये की लूट हुई थी। 19 सितम्बर, 2009 को चार लुटेरे सांगानेर में गोल्ड आन फाइनेंस कम्पनी में घुसे और वहां से 1 करोड़ 40 लाख रुपये की ज्वेलरी और 3 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गये। अता-पता नहीं पुलिस को। सभापति महोदय, दुर्गापुरा में एस बी बी जे की शाखा में सेंध लगाकर 33 लाख 60 हजार रुपया निकाल लिये और पड़ोसी ने जब देख लिया तो उसको छोड़ भागे। 6 अप्रैल, 2009 को एम आई रोड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 9 लाख रुपये लूटकर

(डा. दिगम्बर सिंह)

फरार हो गये लुटेरे। 21 अक्टूबर, 2009 को खातीपुरा में राजलक्ष्मी महिला अरबन कोपरेटिव बैंक में तीन लुटेरे घुसे और स्टाफ को रिवाल्वर दिखाकर 4 लाख रुपये लूटकर ले गये। 19 मार्च, 2010 को अभी रिसेंटली घटना है जिसमें लूट का प्रयास विफल रहा और तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यही 'आम आदमी का राज' और आपकी 'वर्ल्ड क्लास सिटी' जयपुर की तस्वीर, यह जनता सब कुछ देख रही है।

सभापति महोदय, समय कम है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जिस जिले से आता हूं वह जिला बार्डर का है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ हरियाणा है और दोनों ही प्रदेशों में क्राइम रेट ज्यादा है। इसलिये भरतपुर जिले में भी क्राइम की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी को अब यहां हैं नहीं उसके बावजूद भी। कुछ दिन पहले हमारे वहां आई जी साहब थे बी एम जोगेश्वर, उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया। बहुत अच्छा किया क्योंकि भरतपुर जिले में आज जो पुलिस अधीक्षक महोदय बिराजे हैं और यह बी एम जोगेश्वर जो हमारे आई जी थे, दोनों ने लूट का बंटवारा कर लिया। थाने, चौकी सब बांट लिये। सभापति महोदय, एक कांस्टेबल का भी 15-20,000 रुपये दिये बिना इन्होंने पोस्टिंग नहीं किया। दूसरे जिलों से 30-35, कांस्टेबल की जगह नहीं होने के बावजूद भी आई जी साहब ट्रांसफर कर आये क्योंकि 20 -20,000, 25-25,000 रुपये उन्होंने एक-एक कांस्टेबल से उसके ट्रांसफर के ले लिये।

सभापति महोदय, सीआर पी सी, आई पी सी, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, सब लोग समझते भी हैं और मैंने मेडिकल ज्युरिस्ट का काम भी बहुत लम्बे समय तक किया है। ऐसे-ऐसे उदाहरण भरतपुर जिले में आपको मिलेंगे, कोई केस दर्ज हुआ, आई सी ने उसमें जो भी इन्वेस्टीगेशन किया, आई ओ ने अपनी राय के साथ जब एस पी से परमिशन के लिये, चालान के लिये फाइल पुट अप की तो एस पी उल्टा ही दे रहा है। आई ओ कह रहा है कि यह इस टाइप की घटना है, एफ आर योग्य है। एस पी कह रहा है कि नहीं, फलां-फलां धारा में इसका चालान करिये। सीधा-सीधा सम्पर्क एस पी से अगर पार्टी कर ले तो आई ओ भले ही झक मराता रहे, कुछ भी फाइल को रंगता रहे, होना वही है जो एस पी साहब के आदेश उसमें होंगे।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण के लिये आपको निवेदन करना चाहूंगा,

(डा. दिगम्बर सिंह)

मथुरा गेट थाना भरतपुर की एफ आई आर 469/09 पर एक मुकदमा दर्ज हुआ 395, 307 में। मेरे ख्याल से सी ओ ने उसकी तफ्तीश की और एस पी साहब ने आदेश दिये उसमें चालान पेश करने के पहले कि इस केस में 323, 341 में चालान पेश कर दिया जाए..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग पर चर्चा चल रही है, न तो होम मिनिस्टर हैं और न डी जी हैं। तो इसकी क्या सीरियसनेस है? यानि न तो डी जी साहब बैठे हैं, न होम कमिश्नर है और न होम मिनिस्टर हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार बैठी है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गृह विभाग पर चर्चा चल रही है, सरकार मुझे लगता है कि बिलकुल सीरियस नहीं है। (व्यवधान) व्यवस्था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आसन से यह व्यवस्था हो चुकी है...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, यह बात जो कह रहे हैं, ये खुद सदन में नहीं थे, यह बात पहले हो चुकी है और यह दो मिनट भी नहीं हुए, बार-बार इस बात को...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप वकील हो क्या उनके ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आसन से यह व्यवस्था होने के बाद..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं हैं। कहां हैं ? व्यवस्था हो चुकी, उसके बाद भी नहीं हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैं वकील कालीचरण जी सराफ का नहीं हूं। जनता ने मुझे वकालत करने के लिये यहां सदन में भेजा है। यह एक ही बात बार-बार कहना ठीक नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप डी जी साहब के वकील हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, सभापति महोदय, आसन ने एक बार व्यवस्था दे दी कि डी जी पी साहब और होम कमिश्नर उपस्थित रहें...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): वकील जैसे आप हैं वैसे सदस्य मैं भी हूं। इस बात से कोई अर्थ नहीं है कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप मेहरबानी करके मेरा टाइम खराब...

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जब अध्यक्ष महोदय आसन पर विराजमान थे तब उन्होंने व्यवस्था दे दी थी कि डी जी पी साहब और होम कमिश्नर, दोनों निश्चित तौर पर आफिसर गैलेरी में उपस्थित रहें। यह आसन का अपमान है, सभापति महोदय। मेरा निवेदन इतना सा है।

श्री सभापति: देखिये, माननीय सदस्य, आपने कहा वह नोट कर लिया गया लेकिन मैं यह व्यवस्था देना चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य बीच में उठकर किसी भी जरूरी कार्य से जा सकते हैं, ऐसे ही अधिकारी महोदय भी, मंत्री महोदय भी और विशेष तौर से गृह मंत्री भी किसी काम से अपने दफ्तर में जा सकते हैं। इसलिये यह कहना, अगर आपको उनके सामने ही बोलना है तो मैं इतनी ही व्यवस्था दे सका हूं कि कृपया आप अपनी बात जब वे आ जाएं तब बोल लीजियेगा। बैठे रहें लेकिन यह कहना, बार-बार व्यवधान पैदा करना...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन का समय क्यों जाया कर रहे हैं, माननीय कालीचरण जी? विराज जाओ आप। जवाब दे रहे हैं। सरकार बैठी है..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): होम मिनिस्टर रहते हैं, होम कमिश्नर रहते हैं और डी जी रहते हैं। आज यहां कोई नहीं है। केवल डी जी साहब अब आये हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्री बैठे हैं सरकार के, गृह मंत्री तो हाउस में हैं। बार-बार उसी चीज का जुमला बोल रहे हो आप।

श्री सभापति: देखिये, डी जी साहब यहां ने बैठना इसलिये उचित नहीं समझा कि आपने एक ऐसे शब्द का और ऐसे रेफरेंस का का जो कांटेक्सट इस्तेमाल किया जिसको मैंने एक्सपंज करवाया। मैं बोला नहीं उस टाइम इसलिये कि आपके कुछ सदस्य बोल रहे थे कि साहब, यह उचित नहीं है एक्सपंज कराना। मैंने एक्सपंज करवाया। जिस कांटेक्सट पर आप बोल रहे थे वह उचित नहीं था। मैंने कहा, डी जी साहब उस समय यहां नहीं थे, मैं नहीं चाहता था कि डी जी ऐसे टाइम पर यहां हों। बैठिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, अगर, सभापति महोदय, डी जी साहब होते तो क्या होता ?

श्री सभापति: हां, बोलिये अब आप। बोलिये आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह कोई बात थोड़े ही हुई, साहब। अगर डी जी साहब होते तो...

श्री सभापति: अब आप अपनी बात जारी रखिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, मैंने उस समय कुछ गलत बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि पुलिस का मोरल अगर ऐसे ही गिरता जायेगा तो एक दिन वह आयेगा कि पुलिस भी +++ पर उतर आयेगी। मैंने इसमें कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ शब्द फिर आ गया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मथुरा गेट भरतपुर थाने की एफ आई आर नम्बर 469/09 में 395, 307 मुकदमा दर्ज हुआ। सी ओ ने शायद तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जब 395 और 307 उसमें साबित होता था या नहीं होता था, पता नहीं, वह जब फाइल पर आदेश लेने के लिये गये तो एस पी साहब ने आदेश दिये कि इसमें 323, 341 का जुर्म साबित होता है, इसमें इसका चालान कराया जाए। उसके तुरन्त बाद पार्टी एस पी साहब से मिली और दो घण्टे के अन्दर, सभापति महोदय, यह मेरा आरोप है, दो घण्टे के अन्दर उस फाइल में से वह आदेश निकाल करके दूसरा आदेश टाइप करवाया गया और उसमें लिखा गया कि यह 395, 307 का केस बनना साबित होता है और चालान की इजाजत 395 और 307 में दी। आप चाहो तो मैं कल उसको टेबल कर दूंगा कागज जिसमें दोनों आदेश उनके मौजूद हैं।

अगर यह स्थिति भरतपुर के एस पी की रहेगी और यह स्थिति भरतपुर के पुलिस अधिकारियों की रहेगी, सभापति महोदय, बार्डर का डिस्ट्रिक्ट है। क्राइम होता है यू पी में, क्रिमिनल आकर छुप जाता है भरतपुर के अन्दर। क्राइम होता है भरतपुर में, यू पी के अन्दर या हरियाणा के अन्दर क्रिमिनल जाकर छुप जाता है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे अधिकारी भरतपुर जिले की रक्षा के लिये भेजें तो मैं समझता हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जिले में कुछ नहीं होगा। यह तो मैंने एक बार पहले भी धन्यवाद दिया कि आई जी साहब हमारे जो बदल गये, बहुत अच्छा। अगर आई जी बी एम जोगेश्वर होते तो मेरे ख्याल से इस भरतपुर जिले का सत्यानाश हो चुका होता।

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, एक मर्डर हुआ खुले आम, शादी के अन्दर। बजाज मैरिज होम के अन्दर मर्डर हुआ और एफ आई आर नम्बर 698/09 जिसमें 147, 148, 149, 307, 302 में मुकदमा दर्ज हुआ। एफ आई आर बाई नेम है। मर्डर करने वाले जाने पहचाने लोग थे और ऐसे क्रिमिनल्स को आज तक वहां की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है। दुनिया भर के अख़बार रंग-रंगकर पटक दिये लोगों ने परन्तु कोई कार्यवाही नहीं।

भरतपुर में तो स्थिति यह है लोग कहते थे कि एक कान्फ्रेंस हुई, एक जॉक था, एक इंटरनेशनल कान्फ्रेंस हुई होम मिनिस्टर्स की तो उसमें था कि आपके कंट्री में इंग्लैंड में किसी केस को कितने दिन में खोल देते हैं। उन्होंने कहा, हम तो 24 घण्टे के अन्दर खोल देते हैं। कईयों ने कहा कि तीन दिन के अन्दर खोल देते हैं। जब हिन्दुस्तान का नम्बर आया तो उन्होंने कहा कि हम तो 24 घंटे पहले ही बता देते हैं कि कहां क्राइम होने वाला है। भरतपुर में तो यह स्थिति है कि पैसे देकर के एस.पी. साहब को डकैती डालने वाला डकैती डालकर के ले गया। तो उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, जो इल्लीगल माइनिंग की बात करते थे, जो ओवरलोडिंग की बात करते थे, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ओवरलोडिंग को चैक करने में लगा हुआ है, परन्तु हर ट्रक से आज पुलिस रोजनदारी, महीनादारी नहीं, रोजनदारी पर आ गई है। आज जुएं में, सट्टे में, थाने में कोई काम ऐसा नहीं है, केवल पैसा दे दीजिये और आपके मर्जी आये जो क्राइम करिये। ब्लाइंड मर्डर हो गये पिछले तीन महीने के अन्दर कम से कम दस, एक मर्डर का भी अभी तक अता-पता नहीं है। ऐसी स्थिति है और जिसमें हम सपना देखें कि हम इस राजस्थान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब यहां पधार गये हैं, भरतपुर जिले में जो भी क्राइम वहां हों उनमें तत्परता से वहां के पुलिस अधिकारी काम करें और जो क्राइम हुए हैं उसके अन्तर्गत ही उनमें चालान पेश हों या एफ.आर. लगे, उस हिसाब से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। केवल पैसे के ऊपर अगर पुलिस का ढंग चला तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वैसे तो उन एस.पी. साहब की ससुराल भरतपुर में ही है और भरतपुर में ससुराल होने के नाते सिस्टम भी बन गया है कि उनकी ससुराल में जाकर के पैसे जमा करा दो, कल आदेश ले लो।

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, उनके आफिस में एक हरिओम नाम का कांस्टेबल है, वह पूरी तरह से दलाली का काम करता है। अगर ट्रांसफर कराना है, किसी इम्पोर्टेंट चौकी पर लगना है, जो बोर्डर की चौकी है, हरिओम को पैसा जमा कराओगे तो आपको कल आदेश मिल जायेंगे। अगर यही स्थिति रही तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्डर के डिस्ट्रिक्ट में यह बात ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं जयपुर का भी एक मामला माननीय होम मिनिस्टर साहब की नालेज में लाना चाहता हूं नवरत्नसिंह करके एक आर्मी रेजीमेंट ग्वालियर में टैंक ड्राइवर था। उस आदमी का मर्डर हुआ और मारने के बाद उसको रेल की पटरी पर फेंक दिया गया, खातीपुरा वाली पुलिया के पास। और पुलिस ने बड़े आराम से उसको मर्ग संख्या 30/2009 में उसको दर्ज कर दिया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से एक लैटर इश्यु हुआ कि प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 29.07.2009 को किसी भी व्यक्ति की रेल से कटने या टकराने की कोई रिपोर्ट कंट्रोल कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है जब कि पुलिस ने बड़े आराम से उसको मर्ग में दर्ज कर दिया कि रेल से कटकर मरा है। अगर ऐसी घटनाएं हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी चीज नहीं है।

सभापति महोदय, यह जो कमिश्नर प्रणाली की बात माननीय सदन के नेता ने अपने बजट भाषण में कही थी, मैं समझता हूं कि कमिश्नर प्रणाली काफी ठीक व्यवस्था है अगर इसको ठीक ढंग से लागू किया जाये तो। क्योंकि एक तो मल्टी-फैकल्टी वाला एडमिनिस्ट्रेशन हो, आदेश कोई और देगा और क्रियान्विति कोई और करेगा, कमिश्नर व्यवस्था से निश्चित रूप से तुरन्त एक्शन वाली स्थिति आयेगी और छोटी-मोटी जो समस्याएं हैं, जैसे आर्म्स लाइसेंस बनाने की है, गंगानगर का जो कांड हुआ उसके बाद पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से आर्म्स लाइसेंस बनने बंद हो गये चाहे आदमी कितना भी परेशान है, कितनी भी आवश्यकता है। एस.पी. भी जानता है कि इसकी आवश्यकता है, कलक्टर भी जानता है कि आवश्यकता है पर उसके बावजूद आर्म्स लाइसेंस इश्यु नहीं करते। एस.पी. की अनुशंषा के बाद कलक्टर साहब की टेबल के अन्दर जाकर वह कागज जमा हो जाता है। आज तो किसी को आर्म्स लाइसेंस इश्यु नहीं हो रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया छोटा करें आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो अच्छा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अगर हमारे भरतपुर

(डा. दिगम्बर सिंह)

एस.पी. जैसे आदमी को कोई मौका मिल गया तो फिर इस प्रणाली की धज्जियां ही उड़ जायेंगी। इसमें ईमानदार, कर्तव्यपरायण जो लोग हैं उन लोगों को अगर इसमें शामिल किया जायेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छी पुलिस व्यवस्था साबित होगी। मैं तो कहता हूं कि जयपुर और जोधपुर में ही क्यों, ये हर संभाग स्तर पर इसको लागू किया जाना चाहिए। मैं इसका हामी हूं और बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

सभापति महोदय, जेल के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि जेल के बारे में अखबारों में जो पढ़ने को मिलता है, मुझे लगता है कि आजकल लोग क्राइम करने से इसलिए नहीं डरते हैं कि शायद उनको पता है कि जेल जाने में कोई तकलीफ नहीं है। जेल में वह घर से ज्यादा आराम से रहता है। घर से ज्यादा ऐशो-आराम में रहता है। सारी व्यवस्थाएं उनको ड्रिंक्स की, खाने की, टेलीफोन की जो व्यवस्था उनको चाहिए वह जेल के कर्मचारी, अधिकारी उनको मुहैया कराते हैं। ऐसी स्थिति में जो क्रिमिनल्स हैं वे बिलकुल भी नहीं डरते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 18 फरवरी, 2010 को चित्तौड़गढ़ की जेल से 23 कैदी जो डकैती, तस्करी, लूट और बलात्कार के आरोपी थे वे ऐसे निकल गये जैसे कि कहीं घूमने जा रहे हों। संतरी को मार-पीटकर के निकल गये। यह हमारी जेल की सुरक्षा है। यह हमारी जेलों की स्थिति है। माननीय गृह मंत्रीजी भी बैठे हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि जेलों की जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से कितने कैदी अन्दर हैं और कितने स्टाफ की उनको वहां जरूरत है, कम से कम इस बात पर तो एक बार गौर करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कई जेलों में जो कैदियों की संख्या है, मैं समझता हूं कि क्षमता तो 12,800 की है और 20 हजार से ज्यादा कैदी हैं। आठ जो हमारे केन्द्रीय कारागृह हैं उनकी क्षमता 7970 की है और वर्तमान में 12,300 कैदी उनके अंदर हैं। 25 जो सब-जेल हैं उनकी क्षमता 5,879 है और वर्तमान में 10 हजार से ज्यादा कैदी उनके अन्दर हैं। माननीय गृह मंत्री जी जानते होंगे कि स्टाफ की उपलब्धता अगर जेलों के अन्दर नहीं करवायेंगे, कारागृह के अन्दर नहीं होगी तो जो कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं उससे ज्यादा स्थिति और खराब होगी। क्रिमिनल जेलों में बैठकर अपना धंधा करते हैं। वाहन चोरी के जो गैंगस्टर हैं वे जेल में बैठा-बैठा वाहनों की चोरी करवा रहे हैं। जो चरस

(डा. दिगम्बर सिंह)

और गांजे का धंधा करने वाले हैं वे अन्दर बैठे-बैठे जेल से चरस और गांजे का धंधा करवा रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अंत में मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर सबसे ज्यादा खराब कंडीशन किसी की है तो पुलिस के कांस्टेबल की है। उसको कितनी सैलेरी मिलती है और कैसी उसकी हार्ड डयुटी है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से असेस कर सकते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो छोड़ दिये चार कांस्टेबल जंगल में। कहां खाना खायेंगे, कहां सोयेंगे, कहां बैठेंगे, उनका कोई अता-पता नहीं है। कहीं आग लग गयी तो पुलिस, कहीं बाढ़ आ गयी तो पुलिस, सब जगह पुलिस का कार्य क्षेत्र और सुविधाओं के नाम पर इनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। अगर गृह मंत्री महोदय की कुछ चल जाये तो इनकी सुविधाओं के बारे में भी आप जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। पुलिस में कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर तक जब ये टूर करते हैं, चाहे सरकारी यात्रा पर कहीं जा रहे हों, सरकार के काम से जा रहे हों या और किसी काम से जा रहे हों तो इनको रोडवेज में कुछ रियायत मिल जाये। इतना भी अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से पुलिस के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार आपका होगा।

सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 की अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस पर बोलते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि हमारा जिले गंगानगर पड़ोस के जिले हनुमानगढ़ के भादरा में 14 मार्च, 2009 को एक 12 वर्षीय लड़की कृष्णा जोगी का हत्याकांड हुआ था। उस समय विधान सभा सत्र चल रहा था और विधान सभा सत्र में भी इस बात की जोरदार तरीके से मांग उठायी गयी थी कि मुलजिमों को पुलिस पनाह दे रही है, पुलिस मुलजिम पकड़ नहीं पा रही है। एक प्रश्न के उत्तर में भी राजस्थान के गृह विभाग से उत्तर मिला है, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ''मुलजिमों की तलाश हेतु घटनास्थल पर एफ एस एल टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करवा गया। डाग स्कवाड द्वारा तलाश जारी है।

(समय : 20.00 बजे)

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सभी चौपहिया वाहन चालकों, घटना स्थल के आस-पड़ोसियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। घटनास्थल पर मिली बोरी व डोरी का डोर टू डोर सर्वे करवा कर मालूम किया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल काल डिटेल का विश्लेषण किया गया है। मुखबिर मामूर किए गए हैं, पड़ोसी राज्य हरियाणा की पुलिस का सहयोग लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ के नेतृत्व में तलाशी हेतु गठित 7 टीमों के द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी आई डी, सी बी, बीकानेर के द्वारा अग्रिम अनुसंधान कर मुलजिमों की तलाश की जा रही है।'' यह उत्तर है 21.07.09 का और आज लगभग 12 महीनों बाद जो रिपोर्ट आई है विसरा की, उसमें पुलिस ने यह कहकर फाइल को बंद करने की कोशिश की है कि कृष्णा जोगी की मौत पायजन से हुई है। माननीय सभापति महोदय, सरकार खुद इस बात को मान रही है कि कृष्णा जोगी जो 12 वर्षीय बच्ची थी उसको चीनी वाली बोरी के अंदर बंद कर उसका मुंह बंद कर डाला गया था। अगर उसने पायजन ही लिया था तो वह उस बोरी में कैसे चली गई? और अगर चली भी गई तो, माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी जब अपना उत्तर दें तो मैं उम्मीद करूंगा कि वह बताएं कि उसने ऊपर वाला उसका मुंह कैसे बांध लिया। नतीजा शून्य।

दूसरा ऐसा ही केस हनुमानगढ़ में उसी दौरान हुआ था, 21.06.2009 को चक राजासर में एक परिवार के चार सदस्यों को धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया। उसका खूब हंगामा हुआ और जांच बैठाई। ऐसी ही डाग स्क्वाड से सरकार ने कार्य करवाया। परिणाम उसका क्या निकला? खूब धरने-प्रदर्शन होने के बाद, तीन महीने के बाद पुलिस ने पड़ोसी को पकड़ लिया। चार कत्ल और एक पड़ोसी मुलजिम को पकड़ लिया। उससे सच्चाई नहीं उगला पाई, उसका गुजरात में नार्को टेस्ट हुआ और नार्को टेस्ट में भी कुछ नहीं आया। परिणाम वही का वही शून्य।

माननीय सभापति महोदय, चिंता इसी बात की है कि पुलिस किसी भी देश और प्रदेश की छवि का आइना है कि पुलिस का रवैया क्या है। किसी भी देश की कानून-व्यवस्था और हर एक क्षेत्र के अन्दर प्रगति, विकास के अन्दर पुलिस की अहम भूमिका रहती है।

हाल ही का एक ऐसा ही मुकदमा मर्डर का 25 फरवरी, 2010 को

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

बीकानेर के खाजूवाला में हुआ। रतनदीप पब्लिक स्कूल, खाजूवाला में एक 14 वर्षीय मासूम बच्चा सुरेन्द्र कुमार जो दसवीं क्लास का विद्यार्थी था और उस स्कूल के हास्टल में रह रहा था, माननीय सभापति महोदय, उसको सरेआम फांसी पर लटका कर मार दिया गया। उसके परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट दी मगर सुनिए, माननीय सभापति महोदय, आप और गृह मंत्रीजी, 25 फरवरी, 2010 को मौत होती है और धरने-प्रदर्शन के बाद 6 मार्च, 2010 को, यानि 12 दिन बाद पुलिस एफ आई आर दर्ज करती है। कहां है कानून-व्यवस्था? स्कूल के अन्दर विद्यार्थी पढ़ने जाए, उसकी लाश घर पर मिले और फिर उसके माता-पिता चिल्लाए न्याय के लिए, तब 12 दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है। आज एक महीना हो गया, माननीय सभापति महोदय, पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, यह बात केवल कांग्रेस के कार्यकाल की नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी जब सत्ता में थी तो भी निश्चित रूप से ऐसा ही था लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उसकी सज़ा तो ये भुगत रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं पर आप क्यों भुगत रहे हो।

अभी भाई रघु शर्मा जी भी कह रहे थे कि इन्होंने गोलियां चलाई, किसान को मारा, किसान के बेटे को मारा। हम कहते हैं, यह सच है कि पिछली सरकार ने भी 2004 और 2006 के दौरान किसान के 7 बेटों को घड़साना में मारा। माननीय सभापति महोदय, 16 अक्टूबर, 2006 को घड़साना के अन्दर जो भीषण लाठी चार्ज हुआ, पूरे इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया ने हिन्दुस्तान के कोने-कोने में खबर पहुंचाई। माननीय सभापति महोदय, 16 अक्टूबर को लाठी चार्ज में एक किसान का 25 वर्ष का बेटा साथी चंदूराम पानी मांगने आया था लेकिन लाश घर पर गई। 7 दिन तक उसकी लाश लेकर हजारों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के तत्कालीन समय के नेता प्रतिपक्ष डाक्टर बी डी कल्ला भी मौजूद थे, डाक्टर चन्द्रभानजी भी मौजूद थे और माननीय सदस्य केकड़ी के रघु शर्माजी जो यह सदन में कह रहे हैं, ये भी मौजूद थे। 7 दिन बाद उसका दाह संस्कार किया। और आज तकलीफ है इस बात की, जनता की तकलीफ को देखते हुए उसका पोस्टमार्टम भी तत्कालीन सरकार द्वारा करवाया गया, यह सच है कि मेडिकल बोर्ड भी बैठाया गया, उसकी फोरेंसिक लेबोरेटरी से भी जांच करवाई गई, उसकी पेथोलाजिकल जांच भी करवाई गई मगर मौत का कारण आज तक पता नहीं

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

लगाया गया। क्या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं जो मौत के रहस्य का इस वैज्ञानिक युग में पता लगा सके? अगर है तो चंदूराम की मौत का कारण सरकार आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाई?

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं इस बात का कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने प्रथम अभिभाषण के दौरान पहले ही दिन चंदूराम को शहीद मानते हुए उसके परिवार से उसकी पत्नी को नौकरी दी, उसको 5 लाख रुपए का पैकेज दिया। मगर मेरा यह आरोप है कि पैकेज और 5 लाख रुपए देते समय कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि आपको यह मुकदमा जो चंदूराम का चल रहा है यह उठाना पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। माननीय सभापति महोदय, उस परिवार को पांच लाख रुपए और नौकरी देकर मजबूर किया गया। मजबूर किया उन्होंने। आखिरकार यह सही है कि वे उस मुकदमे को उठाने के लिए कोर्ट तक गए, नौकरी के दबाव में।

माननीय सभापति महोदय, इस बात का गृह मंत्रीजी जब जवाब दें तो मैं चाहूंगा कि वे इस बात से सदन को अवगत कराएं। यह सही है कि कोर्ट ने एफ आर को स्वीकार कर लिया। कोर्ट अगर एफ आर स्वीकार कर ले तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुलजिम निर्दोष है, एफ आर तो तकनीकी कारण से भी स्वीकार की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो सरकार मान रही है इस बात के लिए कि चंदूराम को तत्कालीन पिछली सरकार ने पीट-पीट कर मारा, उसको शहीद का दर्जा दिया वहीं दूसरी तरफ पुलिस के उन तत्कालीन आला अधिकारियों, एस पी, विनिता ठाकुर, एडीशनल एस पी, डीवाई एस पी और एस एच ओ और पुलिस कर्मचारियों को न केवल भारतीय जनता पार्टी ने बचाया बल्कि कांग्रेस भी उनको बचाने का प्रयास कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है कि जो मुकदमा दर्ज किया वह असत्य है। एफ आर लगी और जब एफ आर लगी तो चंदूराम को पांच लाख रुपए क्यों दिए? अगर मुकदमा असत्य है। तो उसकी पत्नी को नौकरी क्यों दी सरकार ने? यह जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने उत्तर भी दिया है कि मृतक चंदूराम के परिवार को पांच लाख रुपए और मुख्य मंत्री सहायता कोष से व आश्रिता को नौकरी क्षेत्र की जनता की मांग पर मानवीय दृष्टिकोण से दी है। मानवीय दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? कोई खैरात नहीं दी चंदूराम को, उसने बलिदान दिया है किसानों

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

के लिए, उसने संघर्ष किया है। अभी हाल ही में जो घटना हुई है, 26 विद्यार्थियों की एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हुई है। आप उसमें भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाओ और पांच-पांच लाख रुपए दो, यह सरकार से मेरी मांग है फिर।

मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस ही नहीं, कानून-व्यवस्था ही नहीं, प्रदेश में राज करने वाली कोई भी पार्टी हो, जनता का विश्वास उनसे दूर-दूर तक उठता जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि चाहे कृष्णा जोगी हत्याकाण्ड हो, चाहे राजासर के अन्दर एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो या पूरे प्रदेश के अन्दर जो घड़साना रावला का आंदोलन हुआ, उसमें चन्दूराम के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखाया है, अगला निशाना अब कांग्रेस पार्टी का उस इलाके में होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मैं अर्ज करता हूं, सभापति महोदय, अभी खाजूवाला का जो प्रकरण है, उसमें माननीय मंत्रीजी जब जवाब दें तो उसके अन्दर भी मुलजिमों को शह देने वाले उन आला अधिकारियों को लाइन में भेजने की घोषणा करें।

सभापति महोदय, जहां तक जेल का सवाल है, हम तो खुद भारतीय जनता पार्टी की कृपा दृष्टि से 12 महीने जेल में रहे हैं। जेल में तकलीफ है, यह न तो कभी भारतीय जनता पार्टी के जेल मंत्री रहे थे, वह गये थे और न ही शायद वर्तमान मंत्रीजी कभी गये जेल में पूछने के लिए। सभापति महोदय, जेल में रहने वाले कैदी, उन्होंने अपराध किया है, यह सही है मगर वहां भी तो मानवता का दृष्टिकोण होना चाहिए। उनको क्या खिलाया जा रहा है, उनको क्या पिलाया जा रहा है, उनके साथ कैसा सलूक जेल के अन्दर किया जा रहा है? (व्यवधान) आपका नम्बर भी आ जाएगा। इसलिए, सभापति महोदय, जेल के अंदर रहने वाला इंसान चाहे उसने कैसा अपराध किया है, वह सज़ा भुगत रहा है, पर उसके खान-पान की, उसकी मेडिकल सुविधा की अगर बात करें तो वह शून्य मात्र है। मेरा यह भी आरोप है कि जब जेल में मुलजिम से मिलने के लिए उसके परिवार के सदस्य जाते हैं तो उनसे भी वसूली की जाती है। वरना कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है आज

इसलिए, सभापति महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जब माननीय गृह

(श्री पवन कुमार दुग्गल)
मंत्री जी जवाब देंगे, मेरी ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं है, 4 केसेज हैं और चारों का मुझे उत्तर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: रविन्द्र बोहरा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापतिजी, आपने मांग संख्या 16 और 17 पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। खुशी की बात है कि इस वक्त माननीय गृह मंत्रीजी और डीजी महोदय भी विधान सभा में मौजूद हैं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजाखेड़ा से, वह तीन प्रांतों का उद्‌गम है, संगम है, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान में पहले अगर कोई पुलिस जिला है तो धौलपुर जिला है। मैं मेट्रो पुलिसिंग की बात नहीं कर रहा, अरबन पुलिसिंग की बात नहीं कर रहा, रूरल पुलिसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल राजाखेड़ा पुलिसिंग की बात कर रहा हूं। यह हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, मुझे नहीं मालूम लेकिन आज जो व्यवस्था है धौलपुर में, विशेष तौर पर राजाखेड़ा में, एक प्रकार के प्रकरण चुनाव के दौरान थानों में दर्ज होते हैं। एक प्रकरण में तो पुलिस फटाफट लोगों को बंद करती है, महिलाओं को बंद करती है और दूसरे प्रकरण में तो आज तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। लोगों के हाथ-पैर टूट गये। पीड़ा की बात यह है, वहां थानों का हाल यह है कि एक जगह विशेष से जब तक आर्डर नहीं मिल जाएं पुलिस वालों को, बमुश्किल एफ आई आर तो दर्ज हो सकती है लेकिन कार्यवाही नहीं हो सकती। मैं सदन के पटल पर दोनों एफ आई आर को रखना चाहूंगा। हालत यह है कि एक थाने में तो पांच-पांच एफ आई आर जाट भाइयों ने, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने दर्ज कराई, एक में चार्जशीट हुई, दर्ज की गई, मेन मुलजिम को निकाल दिया गया, दूसरे में भी दर्ज होती है, उस मुलजिम को निकाल दिया जाता है, तीसरे के अन्दर लिखा जाता है एफ आर आमदन झूठ, चौथे में चार्जशीट दाखिल होती है, फिर उस मुलजिम को निकाल दिया जाता है और पांचवें में लिखते हैं एफ आर गलतफहमी से। एक परिवार के लोग बार-बार एफ आई आर करा रहे हैं और उसका हश्र यह हो रहा है कि कौन से जमाने में हम रह रहे हैं? क्या अभी इम्पीरियलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें हम जी रहे हैं? लोगों को न्याय नहीं मिल रहा डी जी साहब को टेलीफोन करो, अगर घर पर नहीं हों तो लौट कर उनका टेलीफोन तो आ जाएगा लेकिन हमारे एस पी

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

साहब लौटकर टेलीफोन नहीं करेंगे। बाजार बाड़ी का पांच दिन बंद रहा ...... (व्यवधान) पांच दिन बंद रहा। बैठ जाइए, आपका काम नहीं है। एस पी गया ही नहीं वहां। (व्यवधान) आपका नम्बर आ जाए तब बोलिएगा। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): एक लुटेरे की ......(व्यवधान) एक ने लूटमार की इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बैठ जाइए (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): क्या हुआ, बाड़ी के अन्दर क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बैठिए, टुकड़ा डाल दिया। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): अखाड़ा बना दिया बाड़ी को। (व्यवधान) क्यों बोलूं? बाड़ी के अन्दर जाकर बी जे पी के लोग बाजार तो बंद कराते हैं...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बी जे पी के ही लोग नहीं, तुम्हारे भाई भी थे। (व्यवधान) तुम्हारे खुद के भाई थे। (व्यवधान) बैठ जाइए, नम्बर आए तो बोल लेना। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): आप लोग फिरते हो +++ ...... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिए। (व्यवधान) आप बैठिए। आप उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, पुलिस ने एक बदमाश को मारा, इनामी डकैत को मारा। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): रोज वहां लूट हो रही है। (व्यवधान) चार-चार, पांच-पांच लाख लूट कर लेकर जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): +++ ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, क्या हो रहा है यह? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): जवाब गृह मंत्रीजी को देना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फ्लोर उनके पजेशन में है। (व्यवधान) फ्लोर उनके पजेशन में है। बोलने दीजिए, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिएगा।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): क्या बोलें? सही बात तो बोलें। झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): झूठे आरोप, आप अख़बार पढ़ो। (व्यवधान) हमारे भाई मौजूद थे वहां। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): बात करते हैं डकैतों की। (व्यवधान)...... डकैतों को लेकर कलेक्ट्री पर धरना देते हैं। (व्यवधान) इन कामों को करते हैं आप लोग।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): एस पी नहीं पहुंचा वहां, पांच दिन बाजार बंद रहा।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): आप लोग राजनीति करते हैं डकैतों के ऊपर।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, पहले इनकी सुन लीजिए। मैं बैठ जाता हूं, आप इनकी सुन लीजिए।

श्री सभापति: आप कृपया बोलिएगा। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): कई केसेज के अन्दर पुलिस खुद एफ आई आर दर्ज कराती है, नामजद दर्ज कराती है और उसके बाद पिक एण्ड चूज होता है। जो लोग निर्दोष हैं, पहले उनके नाम लिखाये जाते हैं और दोषियों को निकाल दिया जाता है। सभापतिजी, मैं कोई कांग्रेस की और सरकार की खिलाफत करने नहीं खड़ा हुआ हूं। यह नये-नये कांग्रेसी हैं। जेल मैं गया हूं, इनको तो पता भी नहीं होगा। (व्यवधान) कांग्रेस को ......(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठें, बैठें। माननीय सदस्य, आप कृपया बोलने दीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं जेल गया हूं। +++ तो अभी पैदा ही हुए हो।

धौलपुर की हालत यह है कि सीलपुरा पंचायत के अन्दर झगड़ा होता है, एफ आई आर दर्ज होती है, नामजद है और करीब 8-9 महीने पूर्व माननीय गृह मंत्रीजी को मैंने एक रिप्रजेंटेशन दिया था, उस व्यक्ति का नाम धौलपुर में था, और यह कह कर मुझे जवाब दिया गया कि वह डीवाईएस पी महोदय गुर्जर आंदोलन में गये हुए हैं इसलिए उसकी जांच नहीं हो रही है। उस आदमी

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

के खिलाफ न उस केस में चालान हुआ और न इस केस में गिरफ्तारी हुई। तो यह दो तरह के कानून, कांग्रेस में लोग हैं इनके लिए यह कानून है और कांग्रेस में जो नहीं हैं उनके लिए यह कानून है। उनके खिलाफ तो कार्यवाही ही नहीं होती है।

आज धौलपुर रेता के नाम पर एक अभिशाप बन गया। सरकार सुनती नहीं। मेरे पास जवाब लिखित में मौजूद है कि राजाखेड़ा क्षेत्र में बहने वाली चम्बल नदी, उसमें कई स्थानों पर कुल दो-दो फीट पानी है, वहां घड़ियाल नहीं रहते हैं, लोग इस पार से उस पार पैदल जाते हैं। यह असेम्बली क्वेश्चन का जवाब है। मेरा कहना यह है कि धौलपुर के अन्दर चम्बल में खनन निरन्तर अनादिकाल से होता चला आया है। कोर्ट ने एक रोक लगा रखी है। राजस्थान की सरकार धौलपुर के बारे में इतना भी नहीं सोच सकी कि धौलपुर के अन्दर आखिर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, इनके मकान बनेंगे किससे। हमारे पास इसके अलावा कोई भी बजरी नहीं है। आज सरकारी बिल्डिंग भी जो बन रही हैं, वे चोरी के खनन से बन रही हैं, चोरी की बजरी से बन रही हैं। अरावली के अन्दर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खनन रोका तो यहां तहलका मच गया। हमारे यहां रोजाना 400-500 ट्रैक्टर निकलते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए कि कितनी वसूली रोज हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और विशेष तौर से कहना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, डी जी पी महोदय, अगर आपको इन तथ्यों की जानकारी नहीं है तो इससे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है। इतना बड़ा अन्याय लोगों के साथ हो रहा है। लोग पकड़े जाते हैं, कुछ को छोड़ा जाता है, कुछ को सताया जाता है, कुछ के खिलाफ चालान होते हैं। वसूली सब से हो रही है। आखिर यह प्रजातंत्र है, कौन से युग में हम रह रहे हैं? जनता ने तो आप में, हम में विश्वास करके यहां तक भेजा है, इतनी तो जनता हमसे उम्मीद करती है कि कम से कम उसके न्यायिक पक्ष को तो अपन बैठकर के देखेंगे।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर भी दो तरह का सैट है। लोग ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं और कुछ लोग फील्ड पोस्टिंग के लिए अपनी आत्मा भी बेचते हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि इस पिछड़े जिले में, दूर-दराज के जिले में निष्पक्ष और ईमानदार अफसरों को भेजा जाए? जब तक आप चहेते लगायेंगे, अगर मेरा चहेता होगा तो जो भी पाप मैं कराऊं वह उसे करना पड़ेगा और जनता भुगतेगी। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर में कम से कम ऐसे अफसरों को पोस्टिंग दी जाए जो जनता की सुनते हों। पार्टी से कोई मतलब नहीं कि किसी पार्टी का कौन है और क्या है। हालत इतनी हो गई है कि सिपाहियों तक के ट्रांसफर पुलिस हैडक्वार्टर से हुए हैं। स्पेसिफिक जगह पर हुए हैं। ट्रैफिक में, थाने में और ऐसे लोगों के पोस्टिंग धौलपुर में ट्रैफिक में की गई है किये हैं जो पहले ट्रैफिक में रह चुके हैं। ऐसा मेरी जानकारी में लाया गया कि एक बार जो ट्रैफिक में रह लिया उसको दुबारा वहां पोस्टिंग नहीं दी जाए। लेकिन ऐसे लोग फिर लगा दिये गये।

मैं अपना सारा सार, सारा विचार उन सिपाहियों को समर्पित कर रहा हूं जो 24 घंटे इस राज्य की जनता की सेवा करते हैं, उन हैड कांस्टेबल्स को कर रहा हूं। मेरा अपना मानना है कि जब तक सिपाही और हैड कांस्टेबल को आप मजबूत नहीं करेंगे क्योंकि वे ही धुरी हैं इस राज्य की, इस पुलिस की। मेरे बगल की कांस्टीट्युएंसी में मनिया थाना है उसमें 12 सिपाही हैं और उससे लगा हुआ यू पी का थाना सैंयां हैं वहां 40 की नफरी है। दो-तीन आदमी छुट्टी पर रहते हैं, दो-तीन आदमी नोटिसों की तामील में रहते हैं तो अब बताइये कि 5-5, 6-6 सिपाही 24 घंटे किस तरह से नौकरी करते होंगे? यह हम लोगों के लिये सोचने का विषय है।

हमारे रेंज की स्थिति यह है कि एक साल के अन्दर तीन आई जी बदल गये। मेरा ख्याल है कि पोस्टिंग कम से कम एक साल की, डेढ़ साल की, दो साल की होनी चाहिए। या तो उनसे पूछ लिया जाए कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो और जाना नहीं चाहते हैं तो आप उनको भेजते क्यों हो? और अगर अच्छे हैं तो उनको वहां बैठे रहने दीजिये। तो ये भरतपुर, धौलपुर बदनसीब जिले हैं। हमको कभी पीड़ा होती है कि हम राजस्थान में आ क्यों गये, इससे तो मध्य प्रदेश में चले जाते। यहां केवल स्थिति यह है कि जयपुर में बैठकर के जो स्थानीय नेता बताते हैं वह ही सत्य कहलाता है। हम विरोध पक्ष में हैं लेकिन हम भी जनता के नुमाइंदे हैं और एक बात भी आपसे वह नहीं कहेंगे कि जो गैर-वाजिब हो। यह दुर्भाग्य है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मान्यवर, पीड़ा कहते ही आपने भी समाप्त का कह दिया। आपसे तो उम्मीद करता हूं।

श्री सभापति: आपको पैरों से भी पीड़ा हो रही होगी इसलिए मैं सोचता हूं कि जल्दी कर दें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मुझे पैरों से पीड़ा हो रही है लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं आया हूं और आपसे निवेदन किया है कि मुझे आप जरा ऊपर ले लें वरना 12 बजे नम्बर आयेगा।

भरतपुर रेंज में हमारे यहां जितने भी ए सी डी के केसेज होते हैं उनको कोटा जाना पड़ता है। मान्यवर, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ए सी डी का कोर्ट जिसके लिए लोगों को कोटा जाना पड़ता है वह भरतपुर में अलग से स्थापित किया जाय।

दूसरा, धौलपुर के अन्दर अभी तक महिला थाना नहीं है। पिछड़ा जिला है हमको तो सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए धौलपुर के अन्दर एक महिला थाना स्थापित किया जाए। चम्बल के ऊपर एक स्थायी चौकी लगाई जाए।

तीसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल हाइवे पर पुलिस जिस कार्य के लिए लगाई गई है उस कार्य को करे तो अच्छा है बजाय ट्रकों को रोकने के।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल इतना चाहता हूं, गृह मंत्री जी, आपके पास निष्पक्ष और ईमानदार अफसर हों उनसे जांच करा लें कि धौलपुर की पुलिसिंग की हालत है क्या। अगर मेरे कथन में सत्यता हो तो ईश्वर के नाम पर हमारी इतनी मदद कर दीजिये कि हमें निष्पक्ष अधिकारी दे दीजिये, इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए।

सादर धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, मैं भी धौलपुर से हूं। मैं इन लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि बाड़ी की पुलिस ने एक वाहन चोर, एक डकैत, एक लुटेरे को मारा। बाड़ी का बाजार पांच दिन बंद रहा। पैट्रोल पम्प की छह लाख रुपये की लूट हुई उस गुंडे को पुलिस ने गोली से मारा। उस गुंडे को पुलिस ने गोली से मारा तो उसमें पुलिस ने क्या गुनाह कर दिया? पुलिस ने क्या गुनाह कर दिया अगर एक डकैत को मारा तो? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। अपनी बात कहने दीजिये इनको।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): दूसरा, इन्होंने एक परम्परा बना रखी है। जगन डकैत, जो 10 लाख रुपये का इनामी था, वसुंधरा जी को उसने धमकी दी थी, उस डकैत को डाक्टर भेजने के लिए भाजपा का पूर्व विधायक था। बाड़ी थाने में एफ आई आर दर्ज हुई, इनके शासनकाल में हुई, इन्होंने उसमें एफ आर लगाई। मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि उस फाइल को दुबारा खुलवाया जाए और उसकी जांच कराई जानी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। मरे हुए की लाश पर राजनीति करते हैं। उस बाड़ी डीवाई एस पी के खिलाफ दबाव बनाकर लाश को कलेक्ट्री पर लाये। एफ आई आर दर्ज की, छह लाख रुपये का उसने पैट्रोल पम्प लूटा और उसके खिलाफ काफी मुकदमें दर्ज है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैंने डीवाई एस पी का नाम नहीं लिया है, मैंने कहा है कि एस पी नहीं पहुंचे।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): एस.पी. कहां नहीं पहुंचा है? एस.पी. को मालूम होगा तब ही तो पहुंचेगा ना। उससे पहले पहुंच गया था।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): फिर कहां गया? फिर क्यों नहीं आया वह?

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): आप आरोप लगाते हैं झूठे। सारे डकैतों को... (व्यवधान) आप बजरी को चलवाना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): डीवाई.एस.पी. का कोई नाम नहीं लिया। +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आपकी बात खतम हो गई।

श्री रमेश खण्डेलवाल जी।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 पर आपने जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी की तरफ से जब आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 का बजट पेश किया जा रहा था, तब उसमें पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए जिन नये थानों की घोषणा की जा रही

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

थी, उसमें नीमकाथाना में नया थाना का नहीं खोलना हमें एकदम अजीब लगा। मैं गृह मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि पूरे जिले पर एक बार नजर डालकर देखिये। नीमकाथाना में मुकदमों की संख्या 697 है जबकि पूरे जिले में श्रीमाधोपुर, लक्ष्मणगढ़, थोई, इनमें सिर्फ 300 और 300 के ऊपर 10-15 हैं। बाकी सब में 200, 250, 230, 150, खाटू-खण्डेला वगैरह में। यानी 250 की संख्या भी पार किसी ने नहीं कर रखी है। नीमकाथाना जहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया विकसित हो रहा है, यहां आसपास के स्टेट के लोगों ने आकर क्रेशर और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई हैं। बिनानी सीमेंट हमारे आलरेडी लग चुकी है। इससे बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का बाहर के स्टेट से आना होता है। जे.के. सीमेंट, अभी तेजी से विकसित हो रही है। एक ए.सी.सी. का प्लांट और है, जो नीमकाथाना को ही नही बल्कि पूरे नक्शे को बदल कर रख देगा। बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट है, वह तेजी से बनाया जा रहा है। आलरेडी जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें सब इण्डस्ट्रीज विकसित हो चुकी हैं और 250 हैक्टेयर में जिसे 100 बीघा का हम इंडस्ट्रियल एरिया कहें, यह हमारी राज्य सरकार बनाने जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तेजी से और जिस तेज गति से नीमकाथाना के क्षेत्र का विकास न केवल मिनरल लाइन में, इंडस्ट्रियल लाइन में, बल्कि इंडस्ट्रियल लाइन के साथ-साथ 125 से ज्यादा वहां क्रेशर लग चुके हैं। वहां बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बाहर की स्टेट से भी आये हुए हैं, प्रोपर नीमकाथाना की हालत मैंने आपको बताई है, लगभग 700 मुकदमे हैं, वहां थाने का न खोलना पुलिस तंत्र को कमजोरी ही आने वाले समय में दे पायेगा। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको नीचे के किसी अधिकारी ने अगर पूरी रिपोर्ट नहीं दी है तो कृपया आप गहराई से देखें। फतेहपुर में सदर थाना और कोतवाली थाना बन गया जबकि वहां तो कोई इंडस्ट्रियल सैट-अप इतना लम्बा-चौड़ा है भी नहीं, नीमकाथाना में क्राइम के हिसाब से पिछले लम्बे समय से आप देखेंगे कि हमेशा ऊपर रहा है जिले में, उस नीमकाथाना में शांति बनाये रखने के लिए और क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए क्योंकि अक्सर आसपास के स्टेट के कुछेक लोग जिन्हें हम लुटेरे टाइप के कहें, वे लोग आकर के क्राइम को अंजाम देते हैं और उसके बाद अपने स्टेट में वापस चले जाते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आप नीमकाथाना में एक सदर थाना और एक कोतवाली थाना खोलें। इसके लिए आपको किसी भी बजट की आवश्यकता नहीं है। हमारे नीमकाथाना में जो

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

पुलिस स्टेशन है, वह इतना बड़ा और विकसित है कि अगर उसको आप सदर थाना का रूप दें तो आपको एक रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे डीवाई.एस.पी. साहब के पास में काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आलरेडी तैयार है, आपको सिर्फ स्टाफ देना पड़ेगा। एक बिल्डिंग और एक रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप वहां पर नीमकाथाना में बहुत महती आवश्यकता जिसकी है, एक पुलिस थाना अवश्य खोलें जिससे क्राइम पर पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सके।

अभी पूर्व गृह मंत्रीजी चले गये, उनकी बात सुनकर हमें यह महसूस हुआ था कि हकीकत में एक गृह मंत्री को कितना संवेदनशील होना चाहिए। समय-समय पर उनके कार्यकाल में भी जो बातें अच्छी लगीं, वह हमने देखा कि वे उस पर बेबाक अपनी बात रखते थे। आज हमारे यहां भी पुलिस तंत्र मजबूत करने के लिए जिस तरीके से कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जयपुर सिटी क्राइम की रैंकिंग में अगर तीसरे नम्बर पर आती है तो यह हम सबके लिए एक बेहद शोचनीय विषय है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली से हमें उम्मीद है कि वह इस पर कंट्रोल कर पायेगी, ऐसा हमारी सरकार का मानना है।

मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हायर लेवल पर कितना ही बड़ा पुलिस का सेट-अप कर दें, निचले स्तर पर जो बीट प्रणाली होती है, उसमें एक साधारण सा सिपाही काम करता है। अगर आपने बीट प्रणाली को ज्यादा मजबूत किया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका न केवल क्राइम के ऊपर कंट्रोल होगा, बल्कि उन क्रिमिनल्स को रिकोग्नाइज करने में या जो घटना को अंजाम देते हैं, उनको कंट्रोल करने में, उनको पहचानने में और उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। एक बीट इन्चार्ज को बड़ी मजबूती से, उसका तंत्र विकसित करते हुए, उसको सुविधाएं देते हुए आप उसको विकसित करें तो वह बतायेंगे कि किस मकान में कौन किरायेदार आकर रहा, किस मकान में चार आदमी चार दिन तक कौन रहे, किस जगह कौन आदमी संदिग्ध अवस्था में आकर यहां ठहरा। आज जितने भी टेरेरिस्ट लोगों ने जो भी कांड किये हैं, आप उसमें यह देखिये, वे लोग बाहर से आते हैं और आकर ठहरते हैं। अगर बीट का सिपाही मजबूत तंत्र के साथ में अपना काम करेगा तो हम यह मानकर चलते हैं कि उस क्राइम के ऊपर काफी कंट्रोल किया जा सकेगा। मैं, गृह मंत्रीजी, मेरे नीमकाथाना की एक बात बताना

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

चाहूंगा, आप गहराई से सुनें। 2008 में एक ऐसा कांड हुआ कि हमारे गोपाल जाट नाम का एक बुजुर्ग था, उसके ऊपर 365 का यह मुकदमा लगा दिया कि वह अपनी छत के ऊपर से दूसरे की छत पर जिसके बीच की दीवार आठ फीट और उस बुजुर्ग की उम्र 72 साल। वे उठाकर ले आये, उसके ऊपर 365 का मुकदमा दर्ज किया और लाकर उसके साथ मारपीट की। पक्ष-विपक्ष ने और भाजपा के लोगों ने भी और हमने भी बहुत समझाने की कोशिश की कि यह ऐसी घटना नहीं घटी है। एक बुजुर्ग आठ फीट की दीवार को उलांघकर छत के ऊपर से और दूसरी तरफ से एक नौजवान आदमी को लाकर कैसे मार सकता है, कैसे पीट सकता है? लेकिन इस तरीके से यह केस चला कि गोपाल जाट को आखिर जेल जाना पड़ा। वह इज्जतदार परिवार था उस समाज का और जेल से आने के पांच दिन बाद ही हार्ट अटैक होकर वह मर गया।

घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। घटना अभी ताजा बता रहा हूं। बिरदी चंद नाम का व्यक्ति, पंचायत के जब चुनाव हुए तो शाम के वक्त जश्न मनाया गया, सरपंच जीत गया और लोगों ने शराब पी। उन लोगों के साथियों ने बहुत खुशी मनाई। जो सरपंच जीता, उसको, बिरदी चंद को और उसके साथ में तीन आदमियों को लेकर उनके गांव में कुंभाका की ढाणी, वहां लाकर बस स्टैण्ड पर छोड़ दिया कि आप अपने घर चले जायें। मैं इसलिए यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 302 का केस अगर नाजायज कोई जेल में जाये, यह सबके लिए शोचनीय विषय है। एक छोटी सी पर्ची लगाकर, 302 लिखकर अगर पीपल के पेड़ पर लगा दें तो पीपल का पेड़ सूख जाता है, यह तो इंसान है, जो नाजायज जेल में गया। वे तीनों आदमी आखिरी वक्त देखे गये सिर्फ और इस बात को लेकर वह रात में, उस समय धुंध थी या जो भी घटना घटी, वह मर गया। मरने के दूसरे दिन पुलिस के पास जब इंफार्मेशन पहुंची और सात दिन बाद पूरी कांस्पीरेंसी के तहत मुकदमा दर्ज उसी परिवार के खिलाफ किया गया जिसका गोपाल जाट मरा कि तीनों आदमियों को आखिरी वक्त आपके साथ देखा गया और इस बात को लेकर थाने में बैठा दिया। एक महीने तक थाने में तीनों आदमी बैठे रहे। लोग हमें कहते रहे कि आप इनकी मदद कीजिये। हमने कहा कि मर्डर के केस में कोई भी राजनेता मदद नहीं करना चाहेगा। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। एक महीने तक लगातार बैठने के बाद वे लोग बड़े षड्यंत्रकारी थे, पुलिस की हायर अथोरिटी के पास यहां जयपुर आ गये और आकर उस समय

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

विधान सभा चली हुई थी और हम विधान सभा में थे। पुलिस अधिकारियों ने आनन-फानन में विधान सभा का दबाव महसूस किया या पता नहीं, क्या महसूस किया, उन तीनों को जेल में डाल दिया। सिर्फ आखिरी वक्त देखा गया उनके साथ जबकि वे खुद ही पार्टी में शामिल थे, परन्तु उन तीनों को जेल में डाल दिया गया।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि उस आदमी की आखिरी काल निकालिये कि आखिरी काल में उसने बात किससे की। 1.55 मिनट पर उस आदमी ने एक अन्य आदमी से बात की जिसके बारे में वह गाड़ी में कह रहे थे, मैं तो उसके पास जाऊंगा, मुझे तुम यहां कहां छोड़ रहे हो, मैं तो जाऊंगा। मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि वह तीन आदमी जेल में चले गये पुलिस की हायर अथोरिटी के दबाव में। मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा कि यह मेरा सौभाग्य है कि हमारे वहां का एस.पी. ईमानदार है, इसमें कोई दोराय नहीं। यह जनता जानती है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही जानते हैं। ईमानदारी का जीता-जागता नमूना सीकर के एस.पी. का है। हमने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा जांच बदल देते हैं। मैंने कहा, आप जांच क्या बदलते हो, तीन को जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद आज कितना बड़ा अन्याय हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके जरिये गृह मंत्री महोदय से इसकी जांच हायर लेवल पर जब आप करायेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि 169 के जरिये उनको रिलीज करना पड़ेगा जिसको 302 में आपने बंद कर रखा है। यह बड़ा अनर्थ और अन्याय हो गया। इसमें पक्ष और विपक्ष हमारे नीमकाथाना में कहते हैं कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, सब कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में, बिरदीचन्द के केस में जांच होनी चाहिए। उसकी आखिरी टेलीफोन की काल को निकाल कर पूर्ण रूप से पता लगाना चाहिए कि इसमें आखिर यह घटना क्या घटी है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस भगवान नहीं है, पुलिस के पास कोई जादुई डंडा नहीं है। जब जनता कि आम जनता और वहां का जन-प्रतिनिधि या वहां के पक्ष और विपक्ष के सभी लोग सकारात्मक रुख रखेंगे तो पुलिस अपने काम को अंजाम देगी, पुलिस अपने काम पर सही मुकाम पर पहुंचेगी। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई ऐसी

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

सख्ती आती है जो पुलिस को दबाव देती है, तब कानून अपनी जगह छोड़ जाता है, पुलिस अधिकारी अपना काम छोड़ जाता है। कई बार हमने देखा है।

मेरे यहां एक गरीब परिवार की एक गाय परन्तु कुछेक बदमाश लोगों ने मावण्डा के पास चुरा ली। आप अचम्भा करेंगे कि गाय का चुराने वाला मिल गया और गाय के पैसे देने के लिए तैयार हो गया, कुछेक राजनेता इंवाल्व हो गये कि गाय के छह हजार रुपये दिलवा दो, आठ हजार रुपये दिलवा दो लेकिन वह गरीब औरत यह कहती रही कि मुझे मेरी ही गाय चाहिए, मैं दूसरी गाय नहीं लूंगी, मैं पैसे नहीं लूंगी। आज तक वह केस दम तोड़ता हुआ वहीं खड़ा हुआ है।

ऐसी ही घटना और घटी है, गृह मंत्री महोदय, हम आपसे मिलकर भी कह सकते हैं लेकिन करें क्या, आपके काम की व्यवस्था और हर बात को, मुकदमे का उठाना और मुकदमे में नीचे वाली प्रोपर जो जांच एजेंसी होती है उसी को उसकी हायर अथारिटी वेरी फाई करती है, लगभग सौ प्रतिशत। कहीं उन्नीस-इक्कीस करके उस मुकदमे को आगे बढ़ाती है क्योंकि अपने सबोर्डिनेट के खिलाफ कोई भी न तो आर्डर लिखना चाहता है और न उसके खिलाफ कुछ करना चाहता है लेकिन हम क्या करें जब हमें सफेद का काला होता हुआ नजर आता है? यही हुआ, एक गरीब विधवा के यहां कुछेक लोग रात को बड़ गये और रात को जब उसके बच्चे जागे और उस गरीब औरत ने शोर मचाया, उसके अगर धक्का डंडे के ऊपर से मार दिया और वह कूदते वक्त लग गया, क्रोस केस दर्ज हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है, उस क्रोस केस में इतना दबाव बन गया कि राजीनामा करना पड़ा।

तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कुछेक मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस का संवेदनशील होना आवश्यक है और कुछेक मामले ऐसे हैं जिनमें कंट्रोल करने के लिए हमारे देहात की बीट की पुलिस सही ढंग से, तरीके से काम करे। अभी बता रहे थे कि आपके काल में कानून बिलकुल चरमरा गया। लेकिन कटारिया साहब की बात मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा यह तो होता ही आया है, हम और आप मिलकर, पुलिस तंत्र मिलकर तथा गृह मंत्री महोदय की संवेदनशीलता और मुख्य मंत्री महोदय की तत्परता देख कर और मिलाकर हम लोग कंट्रोल काफी कुछ कर पाते हैं। आदि काल से ही होता आया है। आप यह देखेंगे, किस काल में क्राइम नहीं हुआ? यह तो सदन इस वक्त है, अगर सदन बहुत पहले हुआ होता तो चांद पर जो धब्बा लगा है न वह 376 और

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

354 का मुकदमा लगता। लेकिन उस वक्त सदन नहीं था। इसलिए यह आदि काल से होता आया है। रावण के ऊपर लग जाता 365 का कि तुम अपहरण कर ले गये। लेकिन यह हमारी व्यवस्था लोकतंत्र की है, जिसने मजबूती के साथ जन्म दिया और मजबूती के साथ आप और हम मिलकर कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें जिस तरीके से बढ़ते हुए हम अपनी व्यवस्थाओं को बना रहे हैं।

तो मेरा आपसे यही निवेदन है, गृह मंत्री महोदय, नीमकाथाना बिल्कुल अशांत क्षेत्र लम्बे समय से रहा है, आप बहुत पहले से भी परिचित हैं, यहां पुलिस के उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं। मेरा उनसे भी यह निवेदन है कि इस नीमकाथाना में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, सिर्फ स्टाफ की व्यवस्था आपको करनी है, मेरे यहां सदर थाना और कोतवाली थाना अलग-अलग कर दें। नीमकाथाना प्रोपर के 250 और 238-39 केस की एवरेज आ रही है सिटी की तो आप कोतवाली को अलग कर दीजिये और आप उसका सदर अलग कर दीजिये। जब अलग करेंगे तो पुलिस तंत्र मजबूत होगा और जब तंत्र मजबूत होगा तो व्यवस्थाओं को, हम काम को अंजाम दे सकेंगे, क्रिमिनल जितने भी हैं उनको पहचान कर। हमारे यहां की पोजीशन क्या है? अभी जो बता रहे थे, एक सी आई, दो सब-इंसपेक्टर, छह ए एस आई और हैड कांस्टेबल और सिपाही गिनती के सोलह, जिनमें तीन-चार चले जाते हैं छुट्टी, तीन-चार बंदूक पकड़ कर खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक ड्रेस के लिए, सिर्फ चार सिपाही मिलते हैं। फौज में थानेदार बहुत हैं, सिपाही नहीं हैं। तो आपने जो 2,300 की भर्ती की, इस भर्ती को मध्यनजर रखते हुए अगर बढ़ाई जाय भर्ती तो आप पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती बढ़ाना। हाथ मजबूत होंगे तभी किसी का मस्तिष्क काम करेगा। जब उसके हाथ ही मजबूत नहीं होंगे, जब उसके पास कांस्टेबल ही नहीं होंगे तो कौन थानेदार, कौन सी आई और कौन सब-इंस्पेक्टर काम कर पायेगा? तो मेरे नीमकाथाना की मांग, सदर की मांग, कोतवाली की मांग अति आवश्यक है वरना बारूद के ढेर पर बैठे हुए, जैसे सामने बता रहे थे, कभी कोई कर्म काण्ड बड़ा हो गया तो फिर आप और हम सब परेशान होते फिरेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, मांग संख्या 16

(श्री रामहेत सिंह)

और 17 पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मैं बता देना चाहता हूं, अलवर जिले की स्थिति बड़ी खराब है। किसान के खेत में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अलवर जिले में सितम्बर माह के बाद, सितम्बर, 2009 के बाद एक किशनगढ़ डिवीजन है जहां एक्सईएन बैठता है उसके अधीन पांच थाने पड़ते हैं उनमें 143 एफ आई आर दर्ज हुई हैं। सितम्बर, 2009 के बाद 143 एफआईआर दर्ज हुईं। मेरे अतारांकित क्वेश्चन नम्बर 445 में गृह ने बताया, एक में एफ आई आर मानी है टपूकड़ा में और उसमें भी एफ आर लगा दी। मैंने सूची माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से गृह मंत्रीजी के पास भिजवाई है। विधान सभा में क्वेश्चन का जवाब भी गलत दिया गया है। मेरे पास यह सूची है 143 एफ आई आर की, जो सितम्बर के बाद की है, ऐसे हालात हैं। यह तो वे एफ आई आर हैं जिनको दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के हालात यह हैं, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं परन्तु बीस तारीख के बाद एफ आई आर दर्ज नहीं करते। कोई जाता है, कोई जन-प्रतिनिधि सिफारिश करता है तो पुलिस का एस एच ओ कहता है कि दो-चार चोरी और हो जाएं, एक साथ दर्ज करा देना, इससे हमारी एफ आई आर की संख्या बढ़ती है इसलिए मेहरबानी करके दस दिन बाद दर्ज करा देना। अलवर जिले में छह डिविजन बिजली विभाग के हैं, एक डिविजन में 143 सितम्बर के बाद हैं, अगर पूरे साल की कल्पना करें तो अलवर जिले के अन्दर हजारों ट्रांसफार्मर चोरी हुए और यह पुलिस की तत्परता देखिये कि एक भी ट्रांसफार्मर चोरी का बरामद नहीं हुआ। बिजली विभाग सरकार का है, वह एफ आई आर दर्ज कराकर इतिश्री मान लेता है। इसकी मानीटरिंग कौन करेगा कि अलवर जिले में पाँच करोड़ रुपये से ज्यादा वेल्यु के ट्रांसफार्मर चोरी हो गये, एक भी बरामद नहीं हुआ?

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेरे जो प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, जिस अधिकारी ने भी, जिस एजेंसी ने आपके पास जवाब भिजवाया है, निश्चित रूप से आप उसके खिलाफ कार्यवाही करें। यह सूची मैं आपके माध्यम से भिजवा चुका हूं, फिर आपको सूची दे दूंगा मेरी बात रखने के बाद परन्तु जो जवाब दिया है इसमें निश्चित रूप से मानिटरिंग होनी चाहिए कि सैंकड़ों की संख्या में जो एफ आई आर दर्ज हैं और सब पर एफ आर लगा दी गई, यह पुलिस की तत्परता आपकी दिखती है। क्या हालत है अलवर जिले की?

(श्री रामहेत सिंह)

एक बात और कहना चाहूंगा इस अवसर पर। पिछले दिनों खैरथल में एक व्यापारी के पास दिन में लूट करने वाले दो व्यक्ति आ गये। उस व्यापारी ने हिम्मत करके एक को पकड़ लिया, उसकी रिवाल्वर खोस ली परन्तु पुलिस वहां से बीस मीटर दूर खड़ी तमाशा देखती रही, वह बीस मिनट तक नहीं आई। तीन सौ मीटर पर थाना था । पूरे बाजार के लोगों ने उसको पकड़ कर थाने के हवाले कर दिया। एक आदमी आज तक नामजद होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

इसी तरीके की यह एक घटना है। नीमेड़ा एक गांव है, खैरथल थाने के अन्दर पड़ता है, उसके एक शरीफ खां के भाई की भैंस खोल ली। गांव के लोगों ने डेढ़ बजे चोर को पकड़ लिया, थाने में खैरथल में दे आये, थाने ने उनको कहा कि सुबह एफ आई आर दर्ज करा देना। सुबह गये परन्तु आज तक उनमें एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। वह एस.पी. से मिले, डीवाई.एस.पी. से मिले, मैंने भी कहा, मुलजिम थाने में जनता पकड़ कर लाई है, आप इससे कुछ बरामद तो करें। एक दूसरे केस में वांटेड था उसमें गिरफ्तारी डाल दी। इसमें एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए थी चोरी की। वह तीन दिन बाद थाने से छूट गया जेल से। दूसरे केस में वांटेड था उसमें बंद कर लिया और इसमें दर्ज नहीं हुई। उसने गांव में आकर गांव के लोगों को कहा, अब तो आपने मन की कर ली, आप देख लेना मैं फिर आ गया हूं। चोर गांव में आकर गांव के लोगों को धमका गया, उसके बाद भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की।

इसी तरीके से खैरथल के अन्दर चन्द्रभान नाम का व्यक्ति है, किसान है, उसका महेन्द्रा ट्रैक्ट्रर था। एक और किसान का ट्रैक्टर चोरी हुआ, पुलिस ने एक ट्रैक्टर बरामद कर लिया, मुलजिम पकड़ लिया, दूसरा ट्रैक्टर उसने कबूल कर लिया, कि मैंने फलां आदमी को बेचा है। वह आदमी 50 हजार रुपये खर्च कर थाने में, एस पी और डीएसपी के घूमते-घूमते परेशान हो गया । बीस बार तो उसने गाड़ी दी यूपी जाने के लिए लेकिन आज तक उसका नामजद होने के बाद भी उसका ट्रैक्टर बरामद नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका भी जवाब दें ।

पिछले दिनों की एक घटना मैं बताना चाहता हूं, टपूकड़ा थाने में दिन दहाड़े थाने से 20 कदम दूर एक व्यापारी को धमका दिया, चार दिन तक पूरा कस्बा थाने के सामने धरना देकर बैठा रहा कि थानेदार को बदलिये, पुलिस में ऐसी व्यवस्था है, इतना प्रभावशाली थानेदार था कि उसको पुलिस ने नहीं हटाया।

(श्री रामहेत सिंह)

उसके बाद जो घटना हुई वह तो बड़ी विचित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सात जून को एक एफ आई आर दर्ज हुई और उसमें कहा गया कि एक महिला के साथ बलात्कार हो गया। थाना टपूकड़ा की घटना है, जब एफ आई आर दर्ज हो गई तो पुलिस के आदमी ने मुलजिमों को बता दिया मुलजिमों के थाने में आने पर, पुलिस प्रजेंस के अंदर उस महिला के मुलजिम को दे दिया और भास्कर अख़बार ने लिखा कि रिश्वत के आरोपी थानेदार पर एस पी ने की कार्यवाही, आई जी ने लगाई रोक। यह पूरा अख़बार छपा और सबके वर्जन छपे। एस पी साहब ने डी जी पी को पत्र लिखा कि जांच प्रभावित होती थी इसलिए मैंने इसको हटाया, इससे पुलिस का मोरल डाउन होता है लेकिन किन्हीं कारणों से एस पी को कुछ दिन बाद जाना पड़ा और वही एस एच ओ तीन महीने तक उस थाने में रहा। यही नहीं, उसके विरूद्ध करप्शन के चार्ज लगे, बहुत सारे दबाव आये और जब बड़ी मुश्किल से उसकी जांच हुई, यहां से जांच होने के बाद 16 सी सी ए का एक नोटिस दिया उस एस एच ओ के खिलाफ लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि उसको होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया, उसको प्रिविलेज दिया गया। ऐसी हालत पुलिस की है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आसपास के हरियाणा, दिल्ली, यू पी से लगते हुए जो इलाके हैं हमारे जिले के उनमें क्राइम बढ़ा है और क्राइम बढ़ने का कारण है कि पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरा हुआ है। एक सिस्टम हो गया, टपूकड़ा थाना सरकार जी ओ कर देती है, तिजारा थाना जी ओ कर देती है, भिवाड़ी थाना जी ओ हो जाता है, शाहजहांपुर थाना जी ओ होता है। तो फिर यह एस पी क्या करेगा अलवर का? कौन थानेदार होगा, यह जी ओ के माध्यम से तय होगा तो जिले के सुपरीटेंडेंट अधिकारी की कौन बात मानेगा? इसमें निश्चित रूप से जब जांच में जाओगे तो पायोगे कि ये मलाईदार थाने कहलाते हैं। इनमें लाखों-लाखों रुपये की मंथली आती है, नीचे से ऊपर तक उसका बंटवारा होता है।

पिछले देखिये आप, इन दिनों सरेआम एस पी ने खुद कबूल किया है। सारा विभाग पुलिस का एक सूत्री कार्यक्रम में लगा हुआ है, जितने भी टूडी के ट्रैक्टर जाएंगे सबसे सौ रुपये-दौ सौ रुपये बाँध रखे है। हजारों-हजारों गायें कटने के लिए जाती हैं सब चैक पोस्टों पर फिक्स रहता है। इतना क्राइम बढ़ा है।

(श्री रामहेत सिंह)

जैसा रामगढ़ के विधायक ने बताया टकलू का काम तो सरेआम होता है। गुजरात चले जाएं, राजस्थान के दूरवर्ती इलाकों में चले जाएं, अन्य प्रान्तों में चले जाए सबको पता है टपूकड़ा और तिजारा में पुलिस का काम एक ही है। जिसका माल गया है उसको बुलाते हैं और कहते हैं आधा तो इसके पास छोड़ जा कुछ हमारे पास छोड़ जा और तेरा कोई दो-चार आने, दस-बीस-तीस पैसे बनते हैं तो इसको ले जा वरना इससे भी जाएगा। खुले रूप से सौदेबाजी होती है। आज कोई ट्रैक्टर की चोरी हो जाए आज कोई मोटरसाइकिल की चोरी हो जाए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाये तो पुलिस का आदमी कह देता है, फलां आदमी से मिल ले, हजार-दो हजार फिरौती का देकर इसे ले आ। पुलिस का काम फिरौती दिलाना हो गया। नामजद होने के बाद, मुलजिम आइडेंटिफाई होने के बाद पुलिस के आस पास जो आदमी घूमते रहते हैं पुलिस के नुमाइंदे के साथ जो घूमते हैं उनको सबको पता रहता है। इसलिए आम आदमी का विश्वास इन दिनों साल-डेढ़ साल से पुलिस से हटा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुण्डावर के धर्मवीर एडवोकेट थे जिसकी हत्या हुई। डेढ साल हो गया, वहां की बार ने प्रदर्शन किया, गृह मंत्री से मिले, मुख्य मंत्री से मिले, आज तक भी मुलजिम कौन है, किसने उस वकील की हत्या की थी, आज तक ज्ञात नहीं हुआ मुलजिम का पता नहीं है। ऐसी हालत है।

एक बात और कहना चाहता हूं जैरोली तिजारा थाने के अंदर गांव है जिसकी एफ आई आर नम्बर 443/8 है,। तिहरा मर्डर हुए, 20 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई । बड़ा षड्यंत्र करके, पुलिस से मिलकर वे हत्याएं हुई, असत्य मुकदमों में जिनके लोग मरे हैं उनके परिवारजनों को जेल भिजवाया गया। जब वे जेल चले गये तो उनके पीछे से तीन लोगों को मारा गया। बहुत जघन्य अपराध था। 20 लोगों का नामजद हुआ, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 73/8 में आज डेढ़ साल से ज्यादा हो गया जांच पेंडिग पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि यह जो जांच है यह कब पूरी होगी, ये मुलजिम कब जेल जाएंगे? जब आपने बारह, आठ मुलजिमों को बाहर रख लिया तो उनका काम धमकाने का है, प्रैशर बनायेंगे, लोगों को धमकायेंगे, गवाह को तोड़ेंगे। तीन-तीन हत्या करने वाले लोगों को कैसे सज़ा होगी, यह कल्पना नहीं की जा सकती है।

इन दिनों बहरोड़ थाने की बात है, बूंद में बहुत बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर

(श्री रामहेत सिंह)

है। उनके महंत के यहां से गांय चोरी हो गई, चार बजे गायें चोरी होती हैं, साढ़े चार बजे मुझको फोन कर दिया मैंने पुलिस कन्ट्रोल रूम को, एसपी को सबको कहा परन्तु नाकेबंदी होने के बाद भी गायें निकल गई, संतों ने आमरण अनशन किया, पुलिस के आश्वासन के बाद वे उठ तो गये लेकिन हालात क्या हुई?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 11 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सबकी सहमति है तो सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 11 बजे तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, पिछले दिनों की खैरथल की घटना है, जसोरिया कालोनी के लोग पुलिस के पास गये, पुलिस ने नगरपालिका में भेज दिया कि उनकी कालोनी के बिलकुल सामने अवैध रूप से आठ मीट की दुकानें खुली हुई हैं। मैं भी उस नगरपालिका की उस मीटिंग में था, वे सब लोग आ गये। मैंने भी एस एच ओ से आग्रह किया, डी एस पी से आग्रह किया। दस दिन हो गये, जो अवैध धन्धा करते हैं, मीट खुले रूप से काटते हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है लेकिन पुलिस के प्रोटेक्शन के कारण बस्ती में रहते हैं और उन लोगों को धमकाते हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, हम दुकानों को खाली नहीं करेंगे। यह पुलिस पुलिस का काम तो नहीं कर रही। न चोर गिरफ्तार हो रहे हैं, न ट्रांसफार्मर बरामद हो रहे हैं, न मोटरसाइकिल बरामद हो रही हैं, न ट्रैक्टर बरामद हो रहे हैं न एफ आई आर दर्ज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? यह जो कर रहे हैं वह आपको बताना चाहता हूं। यह जीओ कराके ले जाते हैं। एस एच ओ भिवाड़ी लगता है, टपूकड़ा लगता है। ठेका बंदी की व्यवस्था है। अलवर जिले का इल्लीगल माइनिंग का काम है उसमें सारा प्रोटेक्शन है सारी जिसकी देखरेख में काम हो रहा है वह

(श्री रामहेत सिंह)

पुलिस है। टपूकडा के आसपास रोजाना दिल्ली के लिए निकलता है पत्थर। पुलिस को बहुत भारी पैसा आता है। उसका बंटवारा नीचे से ऊपर तक, जयपुर तक पैसा आता है। शाहजहांपुर का यही हाल है, खैरथल कस्बे का यही हाल है।

मैं बताना चाहता हूं, खैरथल कस्बे के थाने की तो हालत यह है कि दातला, अगवानी, हुसैनपुर, शाहपुर, बिरवास की पहाडियों में जो ट्रैक्टर लगे हुए हैं इनलीगल रूप से पत्थर का कारोबार कर रहे हैं। वह क्रैशर तक ट्रैक्टर कैसे जाए, इस पर पुलिस लगी रहती है । वहां की पुलिस और कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है।

दिल्ली से दो नम्बर का माल आता है। आये दिन घटना होती है लेकिन पुलिस का सरंक्षण है। जो सैल्सटैक्स की चोरी करके ट्रक लाते हैं, वे पुलिस से मिलजुल कर सारा काम करते हैं। पहले बताते हैं कि आज सैल्सटैक्स के लोग आने वाले हैं, सेल्सटैक्स के कर्मचारियों को उन्होंने फोन दे रखा है। पुलिस के संरक्षण में हरियाणा से आने वाली दारू, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अलवर जिले के अन्दर इतनी दारू हरियाणा से आती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी भारी दारू हरियाणा से आती है आये दिन दुर्घटना होती है पुलिस खुले आम, पुलिस को सब पता है, पुलिस के किसी भी आदमी से कह दो, वह सब व्यवस्था कर देता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मैं कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पुलिस में बहुत भारी गिरावट आई है और उसका कारण है कि जयपुर का दखल। पुलिस सुपरिंटेंडेट को मजबूत करना चाहिये और जी ओ सिस्टम है इस परम्परा को बंद करना चाहिये। पहले इंस्पेंक्टर, सब इंस्पेक्टर जिसका भी आदेश होता था पहले

(समय : 21.00 बजे)

लाइन में जाता था, एस.पी. तय करता था कि कौन कितना सक्षम थानेदार है, कौन कितना सक्षम इंस्पेक्टर है उसको उसकी योग्यता और सक्षमता के आधार पर दिया जाता था। लेकिन जो ठेका व्यवस्था हुई है, जो लेन-देन की व्यवस्था हुई है, उसने अलवर जिले की सारी व्यवस्था को चरमरा दिया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पूरे अलवर जिले में हालात बड़े नाजुक हैं और जिस तरह से रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि कभी भी कोई भी अनहोनी हो जाएगी

(श्री रामहेत सिंह)

जिसके कारण अलवर जिले को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और जो सीमावर्ती थाने हैं उन पर स्टाफ बढ़ाया जाए।

एक घटना, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से और है...

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें। कृपया।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, एक मिनट का टाइम चाहूंगा।

थाना कोटकासिम के अन्दर फतेहपुर गांव है। लगभग तीन सौ इंजन उस गांव में हैं, खेती अच्छी होती है। पानी ऊपर है इसलिए इंजन हैं, नदी के किनारे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को कि पिछले डेढ़ साल में 40 इंजन चोरी हुए हैं। चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनके एक साल में दो -दो बार इंजन चोरी हुए हैं और दो सौ इंजन ऐसे हैं जिनके फाउंडेशन तो खड़े हैं परन्तु उनके सामान चोर निकाल कर ले जाते हैं । एक भी चोरी का माल बरामद नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। एक स्थान है, जोर्डिया बड़ा गांव हैं और वे दो विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ता है। इसी तरह से एक एजुकेशन का सेंटर है बीबरानी, दस हजार स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। चारों तरफ का क्राइम जो आएगा तो उस रोड से जरूर गुजरता है। इसलिए जोर्डिया और बीबरानी में चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए और पुलिस की नफ़री बढ़नी चाहिए।

यही आपसे कहते हुए कि अलवर जिले की पुलिस व्यवस्था की स्पेशल रूप से सीमावर्ती जिला होने के कारण, क्राइम अधिक होने के कारण उसकी समीक्षा कर उस पर पुनर्विचार करें और व्यवस्था ठीक हो, यही आपसे आग्रह करना था।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आपने जो किसी एस.पी. साहब के लिए कुछ कहा, उनके साथ में इनजस्टिस हुआ उनका नाम बताना चाहेंगे?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता। यह तो एक व्यवस्था है। जब माननीय सभापति महोदय ने पूछा है तो उनका नाम मि. एम.पी. यादव है।

श्री सभापति: ठीक है। नहीं, मंत्रीजी ने शायद सुना नहीं तो इसलिए मैंने बताने के लिए पूछा है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): और टपूकड़ा थाने में जो व्यक्ति था, एस.पी. का पहले ट्रांसफर हुआ और उस दोषी का जो थानेदार था वह तीन महीने बाद उस टपूकड़ा थाने से हटा है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई, जो दोषी था। बयान थे फाइल पर।

श्री सभापति: ठीक है, कृपया बैठें, बस। श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, जहां तक मांग संख्या 16 का सवाल है, यह सही है कि इधर से बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में यह हुआ, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बोलते हैं तो कांग्रेस के राज में यह हो रहा है लेकिन वाकई में राजस्थान की जनता के साथ जो परेशानी हो रही है वह निश्चित तौर पर मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पुलिस महकमे में राजस्थान की सरकार को चाहिए कि नंबर-1 तो भर्ती और करें। बाबा आदम के जमाने से स्टाफ चलता आ रहा है, रिटायरमेंट होते रहे हैं। अभी हमारे सीकर जिले के नीमकाथाना से माननीय सदस्य कह रहे थे माननीय सभापति महोदय, सीकर जिले की पोजिशन यह है कि नीमकाथाना में उसी पुलिसकर्मी को भेजा जाता है जिसको काला पानी की सज़ा दी जाती है। वाकई में वहां पर स्टाफ की भयंकर रूप से कमी है। निश्चित तौर पर सरकार में ये भी रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, कभी नीम का थाना के स्टाफ की पूर्ति ये भी नहीं कर पाये और अभी कांग्रेस वाले आये हैं, स्टाफ की पूर्ति वे भी नहीं कर पाये। उसका दिनोंदिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए स्टाफ के लिए नयी भर्ती करें।

इसी के साथ वाकई में जो पुलिस महकमे के छोटे कर्मचारी हैं क्योंकि बड़े वाले अफसर का तो निश्चित तौर पर है, छोटे कर्मचारी की देखें, उनका मैस का जो भत्ता सरकार दे रही है उसको अपन देखें तो जब महंगाई बढ़ रही है, सब लोगों की बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर मैं मांग रखूंगा कि राजस्थान सरकार उस पर विचार करे और जो चाहे कांस्टेबल है, हैड कांस्टेबल है निश्चित तौर पर उनका भी बढ़ाया जाना चाहिए, महंगाई के अनुरूप। यदि उनको सुख सुविधा नहीं दे पाएंगे चौबीस घंटे उनकी ड्यूटी लेंगे तो निश्चित तौर पर वे अपराधी से भी मिलेंगे और गलत काम भी करेंगे इसलिए सरकार को चाहिए कि पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़ायें।

मैं, माननीय सभापति महोदय, अभी चूंकि पुलिस के लोग तो हैं,

(श्री पेमाराम)

आर.ए.सी., जहां भी कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, गृह विभाग के अन्दर है, उस आर.ए.सी. के जवान के बारे में कोई बोले ही नहीं। इससे पहले 9, 18, 27 का उनको मिलता था और उसके बाद सरकार ने जो बदल करके आर्डर निकाला 6.10.2008 को उसके बाद हालत यह हो गयी कि एक-एक जवान को पचास-पचास हजार रुपये का नुकसान हो गया। उस पर सरकार विचार करे, उन जवानों को होने वाले नुकसान के बारे में करें। वे सीधे न तो थाने में होते, न भ्रष्टाचार में सीधे लिप्त होते, यह जरूर है कि आंदोलन होता है तो वहां लट्ठ लेकर तैयार मिलते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि उस पर भी कुछ करे।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि स्टाफ एक तरफ कम है, दूसरी तरफ थानों की कमी है और तीसरा अपराध बढ़ रहे हैं। बड़े अफसरों के घरों में आज भी जो पुलिसकर्मी नियुक्त हैं उनको न भारतीय जनता पार्टी वाले हटा पाये, न कांग्रेस वाले उनकी सेवा चाकरी से हटा पाये। यदि किसी थाने में दो सिपाही एक्स्ट्रा जाते हैं तो शायद वहां पर ज्यादा काम होता, जनता की ज्यादा सेवा करने का काम मिलता। वहां पोस्टों की कमी है और अफसरों की सेवा चाकरी में लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं चाहूंगा कि पुलिस तंत्र को वाकई चुस्त-दुरुस्त जब तक नहीं किया जाएगा, चोरी, डकैती, जीप, बोलेरो, अपराध, बलात्कार, कत्ल ये तमाम बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पाना, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, तमाम कांग्रेस-भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बैठ करके यह तय करके नहीं उठेंगे तो निश्चित तौर पर अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा और अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो राजस्थान की जनता अपने आपको सुरक्षित नहीं समझ पाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार करे और चुस्त-दुरुस्त करे।

इसी के साथ सरकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पुलिस तंत्र का राजनीतिकरण नहीं करे। यह राजनीतिकरण का ही नमूना है माननीय सभापति महोदय, हमारे सीकर में शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है, सरकार ने सीकर में शुद्ध के लिए युद्ध के सवाल को लेकर के नकली चीजें पकड़ीं, एक भंवरी देवी की मृत्यु हो गयी। सारे अखबारों ने सब कुछ लिख दिया। सीकर के राजकीय कल्याण अस्पताल में वह खाने से बीमार हुई, भर्ती हुई। डाक्टरों ने फूड पोइजनिंग बता दिया, एफ.आई.आर. दर्ज हुई और राजनीतिकरण हो रहा

(श्री पेमाराम)

है। अपराधियों को पता नहीं कौन बचा रहा है लेकिन बचा पा रहा है।

यही हालत, माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहूंगा...

श्री सभापति: कृपया संक्षेप में दें, माननीय सदस्य।

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो, अभी एक ही मिनट हुई है। सभापति महोदय, 11.00 बजे तक का टाइम है और ये चीजें ही बताने में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है मैं तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सीकर में जहां हमारे नीमकाथाना के माननीय सदस्य कह रहे थे, 15 अगस्त को पूरे के पूरे देश में लोग तिरंगे झंडे के साथ, हिन्दुस्तान की आजादी मना रहे थे, ये पुलिस तंत्र की कमजोरी और स्टाफ कम होने का नमूना है कि कालेज की कोई छात्रा 15 अगस्त मना करके अपने घर जाए और बीच रास्ते में गैंग रेप हो जाए। नीमकाथाना से माननीय सदस्य चुन कर आये, वे भी दबाव बना रहे थे कि गिरफ्तारी हो, हम लोग भी दबाव बना रहे थे, जनता भी सड़कों पर आ रही थी, व्यापारी भी अपनी दुकानें बंद करके पुलिस पर दबाव बना रहे थे। यह उसी का नमूना है कि गिरफ्तारी भी हुई लेकिन लम्बे टाइम बाद जब जनता उद्वेलित हो गई।

यही हालत का उदाहरण मैं सीकर का पुन: दे रहा हूं। 10 जनवरी को सीकर में सदर थाने की एफ आई आर 10 नम्बर की एफ आई आर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने घर से आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाती है, गैंग रेप हो जाता है। दलित की बेटी है। पुलिस का राजनीतिकरण है इसलिए आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। आरोप का सवाल नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर ये झकझोरने वाली घटनाएं हैं।

पंचायत समिति धोद का कोई गबन हुआ यह कोई आरोप मैंने नहीं लगाया, जनता का कोई मजदूर आया, कलक्टर के पास आया। सीकर के कलक्टर ने जांच करवायी।

सीकर का एस डी एम, सीकर का सी ई ओ, 2-2 आर ए एस ने जांच करके कहा कि ये मस्टररोल हैं जिनमें वाकई में गबन हुआ है। एफ आई आर दर्ज हुई। मैं तो कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, गिरफ्तार करने का काम नहीं कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है। मेरा आरोप है। यदि नहीं बचाने का होता तो जब

(श्री पेमाराम)

प्रमाणित दस्तावेज हैं, जिला कलक्टर की रिपोर्ट पर दो आर ए एस आफिसर के हैं, 10 जनवरी की एफ आई आर दर्ज है, शायद या तो वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर +++ बचाने का काम करती है वरना तो निश्चित तौर पर वे आज जेल के हवाले होते।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, निश्चित तौर पर दलित की जमीनों पर कब्जा, एफ आई आर दर्ज और यह भी 15 जनवरी थाना सदर सीकर में 16 नम्बर की एफ आई आर, दलित का वोट लेने के लिये तो आ जाते हैं लेकिन उसके बाद जुल्म के सवाल पर कोई कार्यवाही नहीं।

यही हालत सीकर में, सभापति महोदय, झकझोर देने वाली घटना है इसलिए कहूंगा, मैं तो समाप्त कर दूंगा लेकिन डबल मर्डर है। आज तक, यह गृह मंत्रीजी भी बैठे हैं, पुलिस के आला अफसर भी बैठे हैं, 20 फरवरी, 2010 को 75 नम्बर की एफ आई आर, एक महीना बीत गया, भय और आतंक का वातावरण है, लोग सुरक्षित नहीं हैं। ढ़ाणियों में आवास करने वाले जो लोग हैं निश्चित तौर पर भयभीत हैं। पता नहीं, कब कोई गला घोंट कर चला जायेगा। डबल मर्डर, पति और पत्नी दोनों का कत्ल हो गया....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। कृपया समाप्त करें अब।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं तो अभी खड़ा ही हुआ हूं और उसी में आप यह कह रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

यही हालत रुग्णनाथ थाने की है। सभापति महोदय, अभी भी महिलाएं सीकर के कल्याण अस्पताल में भर्ती हैं। पीटने वाला पुलिस का कर्मचारी अभी तक अपराधी को कोई नहीं बचाये, एफ आई आर दर्ज है, कोई गिरफ्तारी नहीं।

इसलिए मेरा सुझाव है कि निश्चित तौर पर पुलिस महकमे को सभी लोग मिल कर चुस्त-दुरुस्त करें, वाकई में जो अपराधी हैं उन्हें बचाने का काम करेंगे तो अपराध बढेगा और उन्हें बचाने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अपराध घटेगा। यह चोरी, डकैती, बलात्कार, अपराध निश्चित तौर पर घटेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सरकार को मिलकर काम करना चाहिये और अपराधी को तुरन्त जेल के हवाले करना चाहिये।

(श्री पेमाराम)

इसी के साथ मैं जेल के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा कि जेल में भी वाकई में स्टाफ कम है। सरकार को चाहिये कि जेल में भी वह भर्ती करे और स्टाफ डबल करे जिससे जेल की सुरक्षा भी हो। अभी झुंझुनूं में जेल में जो कैदी सज़ा भोग रहा था उसका मर्डर हो गया। जेल में भी इतने अपराध हो रहे हैं, कोई चीज छिपी हुई नहीं है। इसलिए स्टाफ बढ़ाकर उसको भी चुस्त-दुरुस्त करे तो राजस्थान की जनता के लिये बेहतर होगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। जनाब शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे मांग संख्या 16 पर बोलने का मौका दिया।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की बात कही है। मैं समझता हूं कि जो अतिरिक्त अधिकार इससे दिये जा रहे हैं, इससे आम जन को लाभ मिलेगा व पुलिस प्रणाली और मजबूत भी होगी। इस बजट में जिस प्रकार से आगामी वर्ष में जो सेवानिवृत्त कांस्टेबल हो रहे हैं, 2,300 कांस्टेबल भर्ती करने की जो बात कही है उसके लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

काफी लम्बे समय से मांग संख्या 16 पर जो चर्चा चल रही है, उसमें तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि बार्डर पर जमीनों का बेचान हो रहा है, इस सम्बन्ध में मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यह बेचान कब हुआ और किसके समय हुआ? जब यह बेचान हो रहा था उस समय आपकी सरकार क्या कर रही थी? राजस्थान पत्रिका का भला हो जिसने इस बात को उजागर किया। पूरे देश को इस बात का पता चला कि किस प्रकार से बार्डर पर जमीनों का बेचान हो रहा है। उसके बाद सरकार की आंख खुली, उसके बाद सरकार चेती। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने उस समय कहा था कि सीबीआई से जांच करायें, तो आप लोगों को किसने मना किया था, आप लोग जांच करा सकते थे। पर आप लोगों ने उस समय यह कार्यवाही नहीं की क्योंकि आप लोग यह अच्छी तरह से जानते थे कि वे जमीन खरीदने वाले कौन थे, किसने खरीदी थी और यह सब किस के हाथों से हो रहा था। इसी वजह से आप लोग जानबूझ कर जो बार्डर पर जमीनें बेची जा रही थीं उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे थे।

जो बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि 15 महीनों में पुलिस तंत्र में इस

(श्री शाले मोहम्मद)

प्रकार से अपराध हो गया कि पुलिस तंत्र बिलकुल बेकार हो गया, खुले आम अत्याचार हो रहे हैं, अभी राव राजेन्द्रजी खुद कह रहे थे, वह जो वर्षवार आंकडे बोल रहे थे वह मैं भी सुन रहा था, वे खुद कह रहे थे कि 2006 के बाद क्राइम बढ़ा है। वे यह आंकड़े खुद बता रहे थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार या आम जन के साथ, इन आंकड़ों में 2006 में वृद्धि हुई है। पांच साल तक आप लोगों का शासन था तो यह तय है कि वास्तव में पुलिस प्रशासन में जिस प्रकार से अत्याचार बढ़े हैं यह सब पिछले पांच सालों में बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसको ठीक करने में वक्त तो लगेगा, उसमें सुधार होने में वक्त जरूर लगेगा, सुधार धीरे-धीरे आयेगा। क्योंकि इस प्रकार से पांच सालों में इस प्रणाली का, पूरे तंत्र के हालात इतने खराब हुए हैं ...(व्यवधान) सही कह रहा हूं। वह अलग बात है, वह हमारा आपसी मामला है। पर वास्तव में जो हालात खराब हुए यह गम्भीर मामला है। आप आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं पर हकीकत को समझना चाहिये कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत आप लोग जानते हुए भी अंजान बनते हो, यह गलत बात है। यदि हकीकत में गलत किया है, यदि आपके खुद के आंकड़े बता रहे हैं तो आप लोगों को मानना चाहिये कि हां, वास्तव में अत्याचार और जो ऐसे लोगों को आपकी शह थी उसकी वजह से इस प्रकार का माहौल पैदा हुआ।

इसलिए काफी बातें मैं कहना नहीं चाहता पर मैं गृह मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस प्रणाली के इस तंत्र से यदि अच्छी शुरुआत होगी, अच्छा सुधार होगा तो इससे मैं समझता हूं, आम जन को अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रणाली में और सुधार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी प्रणाली को दागदार करते हैं।

मैं मेरे जैसलमेर जिले की बात करूं तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी पूरे प्रदेश में अकाल है, पानी की कमी है जैसलमेर जिले में अंतिम छोर पर हमको नहीं लग रहा था कि अब की बार हमारे किसानों को पानी मिलेगा। पानी चुराने वाले लोग ऐसे थे कि पिछले पांच सालों में उन्होंने सरकारी जमीनों पर बो-बो कर इतना पैसा कमाया कि वह अतिक्रमण 1991 का एक भी केस नहीं बना, पर अब की बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि उन्होंने ऐसा तंत्र बनाया कि एक बूंद पानी की भी चोरी हमारे जैसलमेर जिले में नहीं होने दी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज अंतिम छोर पर

(श्री शाले मोहम्मद)

जो व्यक्ति बैठा है, वह किसान जिसके पानी नहीं पहुंचता था, आज पानी नहीं होने के बाद भी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी पानी मिला है। आज वह आदमी कह रहा है, मुझे पानी ज्यादा था तब भी नहीं मिला पर आज

(समय : 21.21 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

पानी की कमी है और पानी की कमी के बावजूद भी ...(व्यवधान) पहले बात सुनिये मेरी आप। हकीकत सुनिये आप, यह सही कह रहा हूं, आपको बुरी लगती होगी बाकी यह सुनना चाहिए। उस समय भी पानी की कमी होने के बावजूद भी पानी चोरी पर रोक लगाई, अच्छा तंत्र बनाया, वहां आर ए सी के जवान मजबूत रखे गए। उसके बाद आज किसानों को पानी मिला है। इसलिए गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तंत्र में सुधार करने के लिए, इस पानी की चोरी पर रोक लगाने के लिए मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव में भी निवेदन किया है कि वहां पर पुलिस चौकियां स्थापित की जाएं। ताकि जो पानी चोरी करते हैं, उन को रोक सके और किसान को इसका लाभ मिल सके, आइंदा पानी की चोरी न हो। जो इस तरह के बड़े-बड़े स्टेशन हैं, जैसे सुलताना गांव है, चाहे रामगढ़ की चालीस आर डी हो, चाहे अंतिम छोर पर हो, तीन-चार जगह जो बड़ी-बड़ी जगह हैं जहां वास्तव में पानी चोरी होता है यदि वहां चौकियां स्थापित की जाती हैं, यदि वहां इस तंत्र को मजबूत किया जाता है तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे यहां के जो किसान हैं, उन किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा।

इसलिए मैं यह भी बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी कहा कुछ लोगों के कारण, पुलिस में इस प्रकार के कुछ लोग हैं, जो सदस्य बात कर रहे थे, इसी प्रकार का हमारे पुलिस थाना मोहनगढ़ का एक मामला था। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी दस्तावेज कोई फाड़ जाता है और वहां जाकर ग्राम सेवक या सहायक ग्राम सेवक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, वह नामजद रिपोर्ट होती है वास्तव में उनके गवाह भी पेश होते हैं। जो जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र था जो एक सकारात्मक दस्तावेज है, जो लोगों की सबकी जरूरत की बात है, उस दस्तावेज के दो-तीन पन्ने फाड़ के जाते हैं, वहां पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है और तीन महीने में वापस पुलिस उस पर एफ आर लगाती है कि यह ग्राम सेवक ने ही फाड़ दिया। जबकि वह नामजद है, दो व्यक्ति कह रहे थे, तीसरा गवाह भी कह रहा है और खुद दो दिन पहले

(श्री शाले मोहम्मद)

वह कह रहा है फाड़ने वाला कि हां, मैंने फाड़ा है और मैंने जला दिया, अब वह दस्तावेज मेरे पास नहीं है। यदि कोई लोग इस प्रकार का काम करते हैं और इस प्रकार की सही बातों में वह एफ आर लगाती है तो यह बहुत बड़ी गलत बात है। तो इसमें पुलिस तंत्र में जो ऐसे लोग हैं, उसमें, मैंने पुलिस निरीक्षक से निवेदन किया कि यदि कोई गलत कर रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

इसी प्रकार पोकरण में हुआ। एक पिता जाता है थाने पर और जाकर के वह कहता है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करो, मेरी बेटी को, नामजद आदमी बताता है, वह लेकर के गया, उसके तीन दिन तक कार्यवाही नहीं होती। तब मुझे इस बात की जानकारी मिलती है गृह मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने वहां जब डी एस पी से बात की, वह मुझे कहता है कि हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। जबकि वह नामजद दे रहा है कि मेरी इस प्रकार की रिपोर्ट है और यह आदमी है इसको आप लेकर के आये। जब मैंने उनसे पूछा तो वह मुझे जवाब देता है, हमारी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो इसके लिए मैंने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की है।

यदि नामजद मामलों में इस प्रकार का होता है तो लोगों में, आम जन में यह चीज जाती है कि वास्तव में गलत चीजें हैं ...(व्यवधान) हकीकत बात छुपाते नहीं है, सही बात हम कहते हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आपको सही चीज सुननी चाहिए, सही बतानी चाहिए। आप लोग छुपाते हैं। हम चाहते हैं कि कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी चीजों को हम छुपाना नहीं चाहते हैं कि कोई गलत चीज है। (व्यवधान) मैं यही तो कह रहा हूं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उसमें सुधार लाने के लिए बात यहां पर नहीं कहेंगे तो गृह मंत्रीजी को क्या पता चलेगा? आज डी जी पी को क्या पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है? इनकी जानकारी में होगी तब होगा। आप तो हकीकत छुपा रहे हो। आपने बड़े-बड़े घोटाले किए वह छुपा रहे हो, आपने वहां पर घड़साना में गोलियां चलाईं, पानी मांगने गए थे, वह चीजें यहां पर आप कहना नहीं चाहते, लोग पानी मांग रहे हैं उन पर गोलियां चलाईं वह आप कहना नहीं चाहते। आपको हकीकत अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं, हकीकत जो चीज है, यदि पुलिस तंत्र का पूरा पता नहीं चलेगा गृह मंत्रीजी को या पुलिस के मुखिया को, उनको क्या पता वहां पर क्या हो रहा है? इसलिए हकीकत सुननी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि पुलिस प्रणाली में

(श्री शाले मोहम्मद)

सुधार होना चाहिए। कुल लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस को दागदार बनाते हैं, पर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। हम सब चाहते हैं, आप सब नहीं चाहते हैं क्या? जिस प्रकार से पहलवान साहब कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, आप सब कहते हैं न कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए तो हकीकत को भी सुनना चाहिए। सही बात कहनी चाहिए यहां पर। यहां यदि इस सदन में सही बात नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? इसलिए गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है कि इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो आपकी इस प्रणाली को अच्छा नहीं देखना चाहते। ये किस प्रकार के लोग हैं मैं यह कहना नहीं चाहता हूं पर इस तरह के लोगों पर, ऐसी चीजों पर कम से कम जांच होनी चाहिए। जिससे आपकी पुलिस प्रणाली को लोग अच्छा कह सके और इससे आने वाले समय में पुलिस तंत्र भी मजबूत होगा।

इसलिए मैं खास तौर पर यही कहना चाहूंगा कि एक तो मेरे जहां पर नहरी क्षेत्र हैं उस नहरी क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की जाए ताकि यहां जो एरिया बढ़ा है, जहां पर कम से कम पांच जिलों के लोग आकर बैठे हैं तो वहां पर पानी चोरी हो या अन्य मुकदमे हों चोरी के, और मामले भी हों, उन सब में मैं समझता हूं पुलिस को भी सहयोग मिलेगा और वहां के आम जन जो हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए खास तौर से, गृह मंत्रीजी मुझे विश्वास है कि इन चीजों पर, सब पर अमल लगाया जाएगा। मैं एक बार पुन: गृह मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

मांग संख्या 17 पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कही है, अपराध करके जो जेल में है, अपराध करके वास्तव में गया है, अपराध किया है, जो आदमी रह रहा है यदि उनको जेल में हम अच्छी सीख देंगे तथा उनको अच्छी चीजें सिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि जब वह अपनी सज़ा को भुगत करके बाहर आएगा तो कम से कम उसकी मेंटेलिटी में चेंज होगा, उसमें एक सुधार होगा। यदि जेलों में खुद वह इस प्रकार रह रहा है, यदि उसी संगत के साथ रहेगा जिसमें वह रहता रहा है तो वापस बाहर आकर इस प्रकार की घटना करेगा। यदि जेल के अन्दर हम उसको अच्छी चीजें सिखाएंगे, अच्छी उनको शिक्षा देंगे तो उससे उनकी मेंटेलिटी चेंज भी होगी और उसमें अच्छा सुधार भी होगा।

मैं समझता हूं कि जो भी काफी सदस्यों ने चित्तौड़ की घटना पर, इस

(श्री शाले मोहम्मद)

प्रकार की घटनाओं पर जो चिंता व्यक्त की है, इसमें भी मैं समझता हूं कि जेल प्रहरियों की संख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में नहीं घटित हों। इसलिए सब चीजें मैं गृह मंत्रीजी और सैनी साहब जो मंत्रीजी हैं, उनसे भी निवेदन करुंगा कि आप इसमें सुधार लायें।

मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 व मांग संख्या 17 पर चर्चा में मैं अपने आपको शामिल करते हुए कुछ सुझाव और कुछ चीजें आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा।

अभी काफी लोगों ने चर्चा की, सार्थक चर्चा हुई और हमारे जितने भी साथी यहां पर चाहे इधर बैठे हो, चाहे उधर बैठे हों, वे राजस्थान की जनता के लिए काफी चिंतित हैं। थोड़ी बहुत बात आपस में कभी हो जाती है लेकिन वास्तव में जो चर्चा हुई है, जो चीज़ें आई हैं अगर वास्तव में उनमें आगे जाकर हम सुधार कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ा वरदान देंगे हम। माननीय हमारे गृह मंत्रीजी आप बड़े ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुन रहे थे क्योंकि सम्माननीय सदस्यों ने जयपुर में बैंक डकैती, रोज की चोरी, डकैतियां का जिक्र किया। जब हम राजस्थान की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, जयपुर जैसा शहर, कोटा जैसा शहर, सवाईमाधोपुर या और जो जिन-जिन लोगों ने मेरे मित्रों ने जिक्र किया है, ऐसी-ऐसी बातें बताई हैं चाहे इधर के मित्र हो, चाहे उधर के मित्र हो, हमारे माननीय सदस्यों ने बड़ी भारी चिंता व्यक्त की है। इस चिंता पर हम पूरी तरह मनन करके, हमें मौका है क्योंकि यह चिंता सबकी है, कोई सरकार चाहे इधर की हो या उधर की हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे टाइम में चोरियां हों, डकैती हों, बलात्कार हों या कोई चेन-झपटी हों, चेनें तोड़ी जाएं या सट्टे हों, सटोरिये हो या पर्ची लिखने वाले हों, स्मैक बेचने वाले हों, पोश्त के ट्रक के ट्रक आयें, शराब के ट्रक के ट्रक आयें यह चिंता तकरीबन सब लोगों ने व्यक्त की है। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इच्छा शक्ति अगर हमारे पूरे सदन की हो और यह सदन दे ताकत हमारे होम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर दें ताकत अपने डी जी को तो कोई चीज दुनिया में सम्भव नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति की जरूरत है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मैं आपको ऐसी एक मिसाल देना चाहता हूं। ऐसा है कि पहले की बात है, मैं अपनी बात तो बाद में कहूंगा बहुत पहले की बात है हमारे गंगानगर के अन्दर एक लड़के को उठा लिया गया फिरौती मांगने के लिए।

एस.पी. ने बड़ी तलाश की। काफी पहले की बात है। इस बीच में लोगों ने शिकायत की, शहर बंद हुआ। एस.पी. का ट्रांसफर कर दिया। एस.पी. दूसरे आये, मिस्टर हंसूका। हंसूका के सामने लोग पेश हुए। अब यह इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं, हंसूका ने कहा, 24 घंटे में अगर मैं यह भेद नहीं निकाल दूं तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अब भगवान जाने किस तरह उनके क्या सोर्स थे, 24 घंटे के अन्दर वह लाश तीन पुली के पास उस बच्चे की मिली। जब उसको यह मालूम हुआ तो उस बच्चे को उसमें डाल दिया, नहर में।

इसी तरह मेरे को पूरा याद है, जब पंजाब के अन्दर बहुत सारी उग्रवाद की घटनाएं चल रही थीं, पंजाब और गंगानगर में एक किलोमीटर का भी फासला नहीं है, उस वक्त की सरकार ने ऐसा बढ़िया इंतजाम किया कि एक एस.पी., मुझे नाम याद नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं आपको, उन्होंने यह कहा कि कोई भी दुर्घटना हो, तीन मिनट के अन्दर हमारी पुलिस वहां पहुंच जाएगी। मैं सदन में ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, तीन मिनट में जिप्सी जो आप सोच ही नहीं सकते, जो भी काल करे, तीन मिनट के ऊपर मशीनगन लगी हुई जिप्सी पहुंचती थी, हर जगह पहुंचती थी। वह आपने बंद कर दी चीज। उस बंद करने से क्राइम बढ़ गये, बदमाश और गुण्डों को भय नहीं रहा। उस वक्त गुण्डागर्दी या बदमाशी या बैर बिलकुल खतम हो गया था। गंगानगर जो माना जाता था, इस मामले में, बदमाशी और गुण्डागर्दी के लिये और कत्ल हुआ करते थे, वे सारी चीजें बंद हो गईं।

इसी तरह एक और मिसाल देकर मैं अपनी बात कहूंगा, इच्छा शक्ति की। होम मिनिस्टर साहब, बड़े गौर से आप आज सदन में बैठकर सुनते रहे, डी.जी. साहब भी सुनते रहे। अब इसमें नया कोई परिवर्तन होना चाहिए। आने वाला जब बजट आये, जब आपकी डिमाण्ड आये तो इसके अन्दर पुलिस में बहुत सारे चेंजेज आने चाहिए, जिसकी उम्मीद जनता रखती है या सदन रखता है। एक शंकरिया नाम का व्यक्ति गंगानगर में हुआ था, मेरे गंगानगर के साथी यहां कई बैठे हैं, और उसकी क्या आदत थी, भगवान जाने उसको क्या तकलीफ थी, गर्मी में सोए हुए व्यक्तियों को यहां मारता था हथौड़ा। वह

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आदमी तड़पता था और वह तड़पते-तड़पते मर जाता था। करीब उसने 70 मर्डर किये। गवर्नमेंट के बड़ी दिक्कत हो गई। बड़ी हड़ताल हुई, लोगों को बड़ा भय हो गया, क्या हो रहा है, पता लगा नहीं कि क्यों मारता है। एक ऐसे अधिकारी लगाये गये, इतने नेक और ईमानदार जिन्होंने आकर एक महीने के अन्दर उस शंकरिया को भटिण्डा के अन्दर गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। सारे मुक़दमे आये और चलते-चलते केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, वह बोले नहीं। कोई भी बात बोले नहीं। पहले तो नीचे से सज़ा हुई सेशन कोर्ट में, फिर सज़ा हुई हाइ कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कभी बोला नहीं वह जैसे जबान नहीं हो उसकी। तो जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उससे पूछा, तेरे को इस बात में बता तो सही, कारण क्या था, तूने 70 मर्डर कर दिये। फांसी की सज़ा तेरे को सेशन कोर्ट ने दी है, आगे अपील हो गई, फिर तुझे आगे हाइ कोर्ट ने दे दी और सुप्रीम कोर्ट अब तैयार बैठा है। तेरे को मालूम है, तेरे साथ क्या होने वाला है। तो अब तो सच बता दे। कहता है, बात तो कुछ नहीं है, जब मैं हथौड़ा मारता था तो आदमी तड़पता था और मेरे को मजा आता था। उसको मजा आता था। मैं यह एक्जाम्पल इसलिये दे रहा हूं कि कई ऐसे अपने अधिकारी हैं, कई ऐसे पुलिस में लगे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं।...

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति)): गंगानगर से आने वाले सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के अन्दर मुलजिम को पेश किया जाता है क्या?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बिलकुल पेश किया था।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति)): मुलजिम तो नीचे की अदालत में पेश होता है, सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम पेश होता है क्या?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है, जो चीज मैंने कही है, वह चीज आपके सामने पेश कर दूंगा। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अब तो पूरे गंगानगर के लोग जानते हैं। आप वैसे बहुत सूझ-बूझ वाले हैं लेकिन शायद आपकी जानकारी में यह बात नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इच्छा शक्ति, यदि आदमी की सही हो, इच्छा शक्ति से ईमानदार व्यक्ति हो तो वह कठिन से कठिन काम को कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान चाहे और वह काम हो नहीं।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मैं अब आपको जिक्र करना चाहूंगा, गंगानगर के ऊपर एक निवेदन करना चाहूंगा। कृष्णा योगी हत्याकाण्ड, भादरा, हनुमानगढ़ जिले में हुआ। यह 12.03.2009 की बात है। मैंने निवेदन किया था यहां। बोरी के अन्दर बांधकर लाश को थाने के पीछे गिरा दिया गया। आज तक उसका अता-पता नहीं। उसके घर वाले रो रहे हैं लेकिन पता नहीं लगा। कुछ भी नहीं हुआ उसका, वह बीच में ही पड़ा है।

इसी तरह एक विक्रम कटारिया नाम से फर्म कटारिया गन हाउस हनुमानगढ़ में थी। उसको फंसाने के लिये मिस्टर बोथरा, आपके पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने उसको फंसाने के लिये, आपस में कोई झगड़ा हो गया, उसकी दुकान पर छापा मारा और अफीम और कई चीजें उसके जिम्मे लगा दीं। बड़ा प्रताड़ित किया और यह कहा कि तुम्हारी सारी फैमिली अन्दर जाएगी। यह कहने के बाद वह घबरा गया। जब वह घबराया तो मेरे को उन्होंने जिक्र किया। मैंने कहा, यह बोथराजी से इंक्वायरी चेंज करवा देते हैं अपन। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी चेंज कौन करेगा? वह तो कहता है, इंक्वायरी तो मैं ही करूंगा, मेरे को हुक्म हुआ है। मैंने, होम मिनिस्टरजी, याद होगा, मैंने टेलीफोन से आपको अर्ज किया था, आपने दो मिनट में इंक्वायरी चेंज की। इंक्वायरी चेंज की, वह तफ्तीश हो रही थी लेकिन उसको डर लगा तो वह हाइ कोर्ट में चला गया। हाइ कोर्ट ने दो मिनट में ही उसकी जमानत ले ली और वह केस चल रहा है। एक तो आपने दो मिनट में डिसीजन लिया, केवल विधायक के कहने पर टेलीफोन करके आपने उसको चेंज कर दिया। तो अच्छी जो बात है उसको अच्छा कहना पड़ेगा।

गंगानगर के अन्दर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, क्रिकेट सट्टा, बुकी सट्टे की पर्चियां, नशे का धंधा बढ़ता जा रहा है। मेरे क्षेत्र में नौजवान युवक इस गोरखधंधे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सादुलशहर में अफीम, पोस्त और स्मैक की भारी मात्रा में आवक होती है, जिसको सारा आपका विभाग जानता है।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): अब तो कण्ट्रोल में है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने कहा था।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): कण्ट्रोल में है।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): वहां से विधायक आप हैं। आपके कहने से मंत्रीजी काम करते हैं तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है, मैं तो वही बात कह रहा हूं, जो आपने कही है। आपने खुलासा नहीं किया, मैं उसका खुलासा कर रहा हूं।

ट्रकों के ट्रक आते हैं पोस्त के। एक-आध ट्रक पकड़ लिया जाता है और बाकी मिलीभगत से छोड़ दिये जाते हैं। (व्यवधान) पकड़ने का कहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप बैठे-बैठे ही मेहरबानी कर रहे हैं। मेरी बात तो आपने सुनी ही नहीं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह स्मैक हमारी नौजवान पीढ़ी को खतम करने जा रही है। हमें इस पर बड़ी भारी चिन्ता करनी चाहिए, चिन्तन करना चाहिए। जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, पांच ग्राम कोई स्मैक पकड़ी गई, उसको तो हम चार जूते मारकर ठीक करके कुछ दिन बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो बड़ी भारी मात्रा में सुल्फा, गांजा और यहां पर स्मैक लेते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। मेरी मांग है कि उक्त धन्धों पर अंकुश लगाने के लिये श्रीगंगानगर में अधिक से अधिक पेट्रोल विभाग, अपने पहले जैसे जिप्सियां घूमती थीं, जब तक आप इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे, इन चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा। मोबाइल टीम्स आपकी गंगानगर में कम से कम दो और बढ़ाई जानी चाहिए। पहले शहर छोटा था, आज शहर का स्वरूप ज्यादा बड़ा हो गया। आबादी बहुत बढ़ गई। सौ के करीब कालोनियां हो गईं। महाराजा गंगासिंह ने जो शहर बसाया था, उससे सैकड़ों गुना आगे बढ़ गया परन्तु आज पुलिस की नफरी आपकी उतनी की उतनी है। आपके कांस्टेबल और आपके जो पुलिस विभाग के हमारे सब-इंस्पेक्टर वगैरह हैं उनकी कमी है और उस कमी के कारण उनको सुविधाओं की भी जरुरत है। नया जमाना आ गया, नये टेक्निकल चेंज आ गये। आपको उस तरह की चीजें पुलिस को मुहैया करानी चाहिए ताकि इन चीजों पर कंट्रोल लग सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपका ध्यान... अभी तो ऐसा है सम्माननीय, 11 बजे तक आपने टाइम बढ़ाया है, अभी तो मेरे को एक मिनट भी नहीं हुआ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: 13 मिनट हो चुके हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): महोदय, श्रीगंगानगर में मोहल्लों में, मैरिज प्लेसेज में, सिनेमा हाल के इलाकों में स्कूटर, मोटर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

साइकिल, कार और इन चीजों पर आकर जो बच्चे, नौजवान बच्चे, वे हमारी बेटियों की चेनें खेंच लेते हैं और ऐसी घटनाएं सैकड़ों हुई हैं। कितनी चोरियां हुई हैं, मैं कहता हूं कि मैं सारे अख़बार आपके सामने पेश करूंगा, मेरे पास सब कटिंग्स है। राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सीमा संदेश, सांध्य बार्डर, सब अखबारों ने बार-बार इस बात को लिखा है कि कितनी चोरियां हो रही हैं। आप देखो, पदमपुर के अन्दर, पदमपुर से हमारे माननीय मंत्री महोदय गुरमीत सिंहजी आते हैं, पदमपुर में बैंक में 10 लाख की डकैती हुई, आज तक उसका पता नहीं चला। गंगानगर में मोटर साइकिल पर बैंक से तीन लाख रुपये लेकर वह रवाना हुआ, दो मिनट में उसको दबोचा और ले गये। आज तक उसका पता नहीं लगा। ये घटनाएं कोई छोटी घटना नहीं हैं। इसमें हमें पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।

एक मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक हमारे रमेश मिगलानी, दस वर्ष पूर्व दिल्ली की पार्टी से जमीन खरीदी थी। भू-माफियाओं ने दिल्ली की पार्टी को लालच देकर उक्त जमीन को हड़पने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही के उपरान्त रमेश मिगलानी की जमीन पर इकबाल सिंह, मजदूर कार्य करता था, जिस पर पांच माह पूर्व मार-पीट की गयी। पीड़ित द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और तत्कालीन एस.पी. ने, मैंने टेलीफोन किया, तत्कालीन एस.पी., हमारे एस.पी. बहुत नेक और अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने फौरन केसरी चन्द जानू ...(व्यवधान) द्वारा तफतीश की गयी। लेकिन भू-माफियाओं ने गृह मंत्रालय के कार्यालय से सम्पर्क कर तफतीश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जांगिड़ से करवाने के आदेश करवाये। ओम प्रकाश जांगिड द्वारा भू-माफियाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाकर ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बात तो अपनी कहेंगे ही। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 28 माननीय सदस्यों को और बोलना है। 28 और।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है, बोलना है तो हम भी तो सुबह से बैठे हैं जी। जब-जब भी मैं बोलता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कोई आपको प्यार ज्यादा है क्या मेरे से? जब भी मैं खड़ा होता हूं, कुछ तो मेरा गला ऐसा है, कुछ मेरी भाषा ऐसी है, कुछ आप। अच्छा, मैं अभी जल्दी खतम करता हूं।

मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस मुकदमे के पश्चात् संबंधित पार्टी को धमकाया। धमकियां मिलती रहीं और भू-माफियाओं ने समझौता किये जाने की, उनको पार्टी को कहा कि समझौता कर लो, नहीं तो आपको मार देंगे। 420 का केस उनके खिलाफ हुआ। इस जमीन का केस आलरेडी कोर्ट में चल रहा है। एग्रीमेंट हुआ है। उसे 80 लाख रुपये दिये हुए हैं। उसने दुबारा जिसको बेच दी...। 420 का केस जब कोर्ट में चलता है तो पुलिस उसमें कहां दखल दे सकती है? उसके बाद उसने यहां आकर वापस आई.जी. को एप्लीकेशन दी बीकानेर में। आई.जी. साहब ने तफतीश गौड़ साहब को दे दी और गौड़ साहब ने अभी तफतीश शुरू ही नहीं की कि वापस चीफ मिनिस्टरजी के यहां से आर्डर हुए कि उसी ओम प्रकाश जांगिड़ को तफतीश दे दो। नाम से। मेरा मतलब जिसकी शिकायत की गयी, जो होम मिनिस्टर और आई.जी. साहब की, आपके आर्डर से तफतीश बदली गयी, गौड़ साहब को दी गयी, गौड़ साहब ने अभी तफतीश चालू ही नहीं की तो बीच में एक आर्डर दुबारा चला गया, नाम से कि ओम प्रकाश जांगिड़ को दुबारा तफतीश दे दी जाए।

इसी तरह मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग हर हालत में बढ़नी चाहिए। हमारे जो गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल में पानी आता है, उसकी रास्ते में चोरी होती है। उस चोरी को रोकने के लिए भी जब तक पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होगी, जब तक पुलिस पार्टी को नहीं लगाया जाएगा, हम आगे से आगे नहर का स्वरूप बढ़ाते जा रहे हैं, हम कहते हैं कि यह 35 हजार एकड़ भूमि हम और सिंचित करेंगे। पानी हमारे पास है नहीं, पानी आ रहा है कौनसा, वह पानी की जब डिमांड आयेगी मैं उस वक्त अर्ज करूंगा, लेकिन पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी हो रही है पंजाब में। उसको रोकने के लिए अपने को कोई कदम उठाने चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन की ट्रैफिक की व्यवस्था पर। ट्रैफिक व्यवस्था यह है कि अभी ई-टी.वी. में दो-तीन दिन से आधे घंटे का प्रोग्राम आ रहा है। गंगानगर के अन्दर बीरबल चौक पर या किसी भी चौक पर, गंगासिंह चौक पर या सुखाड़िया सर्किल पर या आपके भगत सिंह चौक पर, कहीं पर भी आप देख लो, या आप गांधी चौक पर चले जाओ, गोल बाजार में, ट्रैफिक की बड़ी बुरी हालत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ट्रैफिक की पुलिस का कोई इन्तजाम नहीं, ट्रैफिक का व्यक्ति नहीं होता। आये दिन मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चली जाती है और काफी लोग इस बात से परेशान हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि ट्रैफिक की व्यवस्था को भी सुचारु रूप से सुलझाया जाए।

एक माननीय सदस्य: धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): धन्यवाद तो मैं बंद करूंगा तब होगा न।

माननीय सभापति महोदय, आज से लगभग 10-12 वर्ष पूर्व पुलिस व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं इस अच्छी व्यवस्था के लिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि पुलिस की व्यवस्था जिस दिन ठीक हो गयी, हमारे वे माननीय सदस्य अभी बैठे नहीं हैं, पहलवान साहब, भ्रष्टाचार के लिए जो उन्होंने बाते कही वास्तव में सदन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको वे बातें अच्छी नहीं लगी हों लेकिन अच्छी लगने का तो फायदा तब है जब हम उसको रोकें। वे चीजें जो सामने हमारे यहां पर सब लोगों ने रखी हैं, आने वाले समय में उन पर हम रोक लगा सकें और अच्छे ढंग से व्यवस्था करके हम राजस्थान की जनता को राहत दे सकें।

अब ऐसा है कि काफी कुछ बोलना है, अब आपका ही अगर हुक्म नहीं है तो बात अलग है। आपके कहने से नहीं, उधर से आदेश हो रहे हैं। अब क्या बोलें? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री सी.एल. प्रेमी।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-16 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट के केशवरायपाटन से चुन कर आया हूं तो जन-प्रतिनिधि होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जन समस्याओं के बारे में सदन को बतायें। बजट 2009 और 2010 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे लोकप्रिय गृह मंत्रीजी ने जोधपुर और जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू की है। मैं इसके लिए गृह मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री सी.एल. प्रेमी)

देना चाहूंगा। साथ ही मैं गृह मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि यदि कोटा में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करते तो मैं समझता हूं कि हाड़ौती को भी इस कमिश्नर प्रणाली का लाभ होता।

मैं केशवरायपाटन कस्बे की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय गृह मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक धारा सिंह गुर्जर का मर्डर हुआ था। कस्बा करीब 12 दिन तक लगातार बंद रहा, पूरी अव्यवस्था रही और हिन्दू-मुसलिम दंगा हुआ। बड़ी मुश्किल से जाकर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पुलिस फोर्स भेजकर, बटालियन भेजकर उसको कंट्रोल किया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस टाइम पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद महावीर जयन्ती पर भी आज से करीब 6-7 महीने पहले हनुमानजी का एक पोस्टर था, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको फाड़ दिया गया और फिर वापस वह कस्बा हिन्दू-मुसलिम दंगे का शिकार हो गया। लेकिन फिर भी हमारे पुलिस वालों ने, वहां के एस.पी. ने, वहां के डीवाई एस.पी. ने, वहां के सी.आई. ने बहुत अच्छी तरह काम करके उस कस्बे को हिन्दू-मुसलिम दंगा होने से बचाया। इसके लिये भी मैं माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां जो पुलिस लगी हुई है, वहां सी.आई. बहुत अच्छा काम कर रहा है, एस.पी. बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीवाई.एस.पी. बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वास्तव में जैसा भारतीय जनता पार्टी वाले माननीय सदस्यों ने और कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने यह बताया, हमारे यहां पुलिस में कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल की बहुत ज्यादा कमी है। मैं समझता हूं, कांस्टेबल की कमी 3,272 जो 1-1-2010 के रिकार्ड है, उसके हिसाब से कांस्टेबल की संख्या 3,272 कम पड़ती है। इसी तरह से हैड कांस्टेबलों की संख्या 1,093 हैं और 37 आई पी एस अधिकारी कम हैं, 106 आर.पी.एस. कम हैं। तो माननीय गृह मंत्री महोदय से कहूंगा कि वास्तव में पुलिस की व्यवस्था हम सुधारना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट करके, इन अधिकारियों की भर्ती करके पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुधारी जा सकती है। मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि अच्छे अधिकारियों को लगाया जाये।

मैंने पिछली बार एक एस.पी. और आई.जी. साहब को एक लिस्ट दी थी कि यह-यह अधिकारी मेरे यहां लगें। मेरे कहने से तो उन्होंने लगाया नहीं, लेकिन फिर भी कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वे अच्छा काम

(श्री सी.एल. प्रेमी)

कर रहे हैं। अच्छा है, हमारे तो आवश्यकता नहीं कि हमारे कहने से लगें लेकिन यदि जन-प्रतिनिधि के कहने से कोई आई पी एस अधिकारी, आर ए एस अधिकारी और सी.आई. वगैरह लगते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी भी इससे समस्या साल्व होती है और इनकी भी समस्याओं का समाधान होता है। मैं तो गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आर पी एस की, सी आई की, थानेदार की पोस्टिंग हो तो उसमें विधायक की डिजायर पर वह पोस्टिंग हो, इसके लिये मैं इनसे अनुरोध करूंगा।

एक और बात के लिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि थाना कापरेन में सरेआम एक फंक्शन चल रहा था वहां एक ओम प्रकाश गुर्जर का मर्डर होता है और आज तक उस मर्डर का कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक इसमें एफ आर लगाई है या कार्यवाही की है, अभी तक कोई पता नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कापरेन के मर्डर का जरूर खुलासा किया जाये ताकि इस तरह की कोई घटना दुबारा वहां न हो।

अभी पिछले महीने गांव सखावदा में 400 बीघा जमीन, जो वन विभाग की जमीन है, उसमें कोटा-इटावा वालों ने आकर कब्जा कर लिया था। वहां लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बावजूद थानेदार ने धरना-प्रदर्शन करने वाले जन-प्रतिनिधियों को पकड़ा। हमने एस पी साहब से, डीवाई एस पी साहब से कहा कि इस थानेदार को बदलें। उन्होंने बदल तो दिया लेकिन कापरेन में लगा दिया। तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे पुलिस इंस्पेक्टरों को, जो दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिये ताकि लोगों को न्याय मिले।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति) : पांच मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बोलूं ही नहीं मैं। (व्यवधान) जिस पर इस सदन में चर्चा हो रही, राज के सबसे महत्वपूर्ण विभाग पर आज चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने 3 जनवरी को विश्वास मत के समय बहुत पीड़ा और दर्द से सदन में कहा था कि भाजपा

(श्री ओम बिरला)

शासन की पीडा और दर्द बहुत खतरनाक था। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राज्य की मुख्य मंत्री महिला महामहिम राज्यपाल भी महिला और और विधान सभा अध्यक्ष भी महिला है। लेकिन क्या स्थिति थी, बीजेपी के शासन में राज्य की महिला मुख्य मंत्री होते हुए भी महिलाओं की चेनें लूटी जा रही थीं, डेढ़ महीने में 6-6 डकैतियां हो रही थीं, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही थीं। हमने सोचा कि मुख्य मंत्रीजी आये हैं, बहुत विश्वास के साथ सदन में कह रहे हैं, राम राज्य होगा और शायद 15 महीने के अन्दर राजस्थान में कोई महिला की चेन नहीं खींची गई, कोई महिला का मंगलसूत्र नहीं टूटा, कोई मां-बाप का कन्यादान नहीं लुटा, कोई डकैती नहीं, कोई हत्या नहीं, कोई लूट नहीं। ऐसा राम राज्य जिसकी कल्पना राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने की थी, आज वह कल्पना साकार हो रही है।

आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर सरकार मान चुकी है, लेकिन स्थिति क्या हो गयी है? आज इस जयपुर जैसे महानगर में 12 घंटे के अन्दर 4-4 हत्याएं होती हों, जिस राजधानी के अन्दर और पूरे प्रदेश में 4 बलात्कार, 4 हत्याएं, 15 नकबजनी, एक डकैती रोज जिस राज में होती हो, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री को शायद 15 महीने के कानून-व्यवस्था के आंकड़े पता नहीं। अच्छा होता, सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री इस कानून-व्यवस्था पर लगाम लगाते। आज स्थिति यह है, किसी महिला का मंगलसूत्र टूट जाये, महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाये तो एक थाने वाला कहता है कि महेश नगर वाला शिवा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ। जिस मंगलसूत्र टूटने की 20-20 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती हो, जिस महिला की चेन टूटने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं होती हो, सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यह चेन तोड़ने वाला कोई अलग-अलग व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं। एक अपराधी जिसने कबूल किया, 35 वारदातें साजिद नाम के व्यक्ति ने की हों जयपुर की राजधानी की धरती पर और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। कौनसे ला एण्ड आर्डर की बात कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं उस दिन पकड़ में नहीं आता तो जयपुर शहर के अन्दर कोई महिला मंगलसूत्र और चेन पहनकर नहीं घूम सकती थी। कौनसा ला एण्ड आर्डर सुधारना चाहते हैं हम?

किसी जमाने में राजस्थान में एक आई जी हुआ करते थे। आज चार-चार डी.जी. हैं, ए.डी.जी. हैं, आई.जी. हैं। एक लम्बी फेहरिस्त अधिकारियों की है, राजधानी के अन्दर रहते हैं लेकिन उसके बाद भी मुख्य मंत्रीजी जिस पीड़ा

(श्री ओम बिरला)

को कहते हों, जिस चेन की टूटने की घटना को सदन में कहते हों और चेन टूटने की घटना को नहीं रोकते। इससे बड़े शर्म की बात इस राज के लिए हो नहीं सकती।

(समय : 22.00 बजे)

सभापति महोदय, राजस्थान के गृह मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, मुख्य मंत्रीजी भी यहां पर हैं, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा। भूमि घोटाले हुए हैं, फोन टेपिंग हुए हैं। आज पन्द्रह महीने हो गये। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी यह बतायें, गृह मंत्रीजी बतायें कि कौन-कौन से नेताओं के फोन टेपिंग हुए, किस-किस ने टेप किये और क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही। इतना ही नहीं सभापति महोदय, आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुहिम चलाने के लिए अभियान किया और ए डी जी रैंक के एक अधिकारी को लगाया गया जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त था। जब सरकार उसको नहीं रोक सकी तब राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ कहा कि इनके खिलाफ सी बी आई से इन्क्वायरी होनी चाहिए और इस महत्वपूर्ण पद पर यह ए डी जी नहीं रहना चाहिए। यह मंशा है इनकी भ्रष्टाचार रोकने की?

सभापति महोदय, यही नहीं आज राज्य के गृह मंत्री स्वायत शासन मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। दो विभाग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं। पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर के अन्दर भूमि घोटालों को लेकर, जमीनी दर्द की पीड़ा को लेकर लोग थानों के चक्कर काटते हैं। आज पन्द्रह महीने हो गये, केवल जे डी ए में एक थाना बना देने से अपराध रुक नहीं सकते। आपको दो- दो विभाग दिए हैं और महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, अच्छा हो, माननीय गृह मंत्रीजी, अगर आप घोटालों पर रोक लगायें। उन भूमिखोरों पर रोक लगाओगे तो अपराध भी घटेंगे क्योंकि अपराध गांवों में बढ़ते हैं भूमि के मामलों को लेकर, जहां राजस्व के मामले बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल तक नहीं निपटते हैं। एस डी ओ के यहां चक्कर काटते रहते हैं, झगड़ा बढ़ता है, थानों में जाते हैं। शहरों के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति में 50 परसेंट से ज्यादा मुकदमे भूमि के होते हैं।

सभापति महोदय, हम जिस कानून की बात करते हैं, आज राजस्थान के अन्दर जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, उन मुकदमों में 30 परसेंट में एफ आर लगती है। सभापति महोदय, सज़ा की अगर स्थिति देखें तो पांच परसेंट

(श्री ओम बिरला)

अपराधों में सज़ा होती है जबकि सी बी आई के अन्दर जो अपराध दर्ज होते हैं उनमें 65 प्रतिशत लोगों को सज़ा होती है।

सभापति महोदय, आज स्थिति बदतर होती जा रही है। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि एक-एक वर्ष के अन्दर आठ-साढ़े आठ हजार दुर्घटनाओं से लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। सारा सदन चिन्तित हैं, पूरा राजस्थान चिन्तित है। सड़कों का जाल बना है, फोर लेन बनी है, सिक्स लेन बनी है, किसी जमाने में एक लेन होती थी, उसके बाद भी हम दुर्घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं।

सभापति महोदय, हम पुलिस की धाराओं में परिवर्तन नहीं करें जिसको पूरा सदन चाहता है कि कौनसी धाराओं में परिवर्तन होना है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो राह चलता हुआ व्यक्ति उसकी लाश उठाने की हिम्मत नहीं करता और इसलिए नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि मैं इस लाश को लेकर अगर अस्पताल में जाऊंगा तो पुलिस आठ-दस सवाल पूछेगी। जिस पुलिस के प्रति यह विश्वसनीयता हो, कोटा के अस्पताल में तीन सौ मीटर की दूरी पर तीन नौजवान बालक दुर्घटना के शिकार हो जाएं और तीन घंटे तक उन लोगों को कोई उठाये नहीं, पुलिस उनकी चिन्ता नहीं करे, ऐसा अविश्वास क्यों पैदा हुआ, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आज स्थिति और बदतर होती जा रही है। जेलों के अन्दर जो बन्द हैं और वे जिस तरीके से जेल से गिरोह चला रहे हैं, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान की जितनी जेलें हैं, उनमें सिस्टम बिगाड़ रखा है। गृह मंत्रालय के अन्दर जेल भी होना चाहिए, होम गार्ड भी होना चाहिए। जेल मंत्री अलग, होम गार्ड के मंत्री अलग। होम गार्ड के मंत्री यदि डी जी साहब को बुलायें तो डी जी साहब आये नहीं, जेल मंत्री को डी जी साहब पूछे नहीं। इस तरह दो-तीन विभागों में बांटना न्यायोचित नहीं है। सभापति महोदय, राजस्थान की जेल से अगर कोई क्राइम चलाये इससे बड़ी खराब स्थिति इस राजस्थान की धरती पर हो नहीं सकती।

मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, आप तो बहुत संवेदनशील मुख्य मंत्री हैं, यहां चालीस किलोमीटर की दूरी पर साहिल को जिन्दा दफनाया गया। आप गये क्यों नहीं? हरियाणा के मुख्य मंत्री गये लेकिन आपके केबिनेट मंत्री नहीं गये। जोधपुर में दुर्घटना घटी, कितने लोग

(श्री ओम बिरला)

मरे, दो घंटे मुख्य मंत्रीजी उस समय लेट हो गयीं तो आपने चर्चा की। छब्बीस लोगों की अभी मौत हुई लेकिन आपके केबिनेट मंत्री नहीं गये। हमारे खानपुर के विधायक बात उठा रहे थे, वे कह रहे थे कि हम गये थे। फिर आप क्यों नहीं गये? विधान सभा चल रही थी। उन गरीब मृतकों को मुआवजे की आवश्यकता थी। उन गरीबों को मुआवजा मिलना चाहिए।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, पिछले दिनों बहुत नारे लगाये गये। आठ बजे शराब की दुकानें बन्द कर दीं और कह दिया कि इससे अपराध कम हो गये। सभापति महोदय, आपने क्या बन्द कर दिया? आठ बजे शराब की दुकानें बन्द कर दीं और जितने बीयर बार के लाइसेंस इन पन्द्रह महीनों में दिये गये, आठ गुना बीयर बार के लाइसेंस बढ़ाकर आपने जो नया काम किया है उसको राजस्थान की जनता जानती है। इतना ही नहीं, उन क्लबों के अन्दर, उन बीयर बारों के अन्दर किसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदमी बीयर बार के अन्दर शराब पीयेगा तो वहां अपराध बढ़ेंगे। उससे क्या अपराध रुक जाएंगे?

इतना ही नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, हम सब में पीड़ा और दर्द होना चाहिए, आज संवेदनशीलता की तरह बात होनी चाहिए। जब घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं, मन को पीड़ा होती है। मंगल सूत्र की घटना हो जाए, बीस दिन तक आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करो। महिला का मंगलसूत्र कोटा जैसी धरती पर, कापरेन से भाईदूज पर महिला अपने भाई के यहां आयी, भाईदूज के उपहार में उसकी चेन टूट गयी। सभापति महोदय, जयपुर राजधानी की जिसे आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, उस वर्ल्ड क्लास सिटी की स्थिति क्या है? आज क्राइम की स्थिति क्या बन चुकी है? सभापति महोदय, हमें संवेदनशीलता से काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी प्रधान मंत्रीजी की अध्यक्षता में सम्पन्न समारोह कह रहे हैं कि हम एक वर्ष के अन्दर पांच हजार कांस्टेबल्स की भर्ती करेंगे। क्या क्रेडिटिबिलिटी ली है। आप क्या बात कह रहे हैं? आप प्रधान मंत्रीजी, की अध्यक्षता में कह रहे हैं। एक भर्ती नहीं कर रहे हैं।

गृह मंत्रीजी आप यहां बैठे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि हर व्यक्ति को, आम अवाम को लगना चाहिए, उसकी हर पीड़ा और दर्द से संवेदनशीलता से निपटने की आवश्यकता है। आप राजस्थान से, जयपुर से निकलो, जिलों के

(श्री ओम बिरला)

अन्दर जाओ, तहसील के अन्दर जाओ और आम अवाम की बात सुनो। पन्द्रह महीनों में आपने जन-प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा नहीं की कि कैसे अपराधों को रोका जाए और अपराध रोकने के लिए क्या उपाय हैं।

मैं आज भी कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज भी राजनीतिकरण नहीं हुआ है। मैं जानता हूं, आज राजनीतिकरण नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में जब हमारे विधायकजी बोलेंगे, सदन में बोल रहे हैं, हमारी अनुशंसा पर थानेदार लगने चाहिए, डी एस पी लगने चाहिए, यह कार्यशैली जिस दल की हो, जहां विधायक इस कार्यशैली के हों, आने वाले समय में इस परिपाटी को समाप्त करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि अपराध जो घटित होता है उस अपराध के घटने के पीछे कौन लोग हैं, कैसे अपराध घटित हुआ है, आज हाड़ौती के अन्दर, गृह मंत्रीजी बैठे हैं, उनको पीड़ा दर्द होगी, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में यह यह मादक पदार्थो का अड्डा बन चुका है। हम क्यों नहीं उस अन्तिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते? क्यों नहीं क्रेडिट वाले अच्छे आफिसर लगाते ताकि वे अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचें, जहां मादक पदार्थ बनता है? क्यों नहीं हथियारों का जखीरा बनाने वाले उस कारखाने तक पहुंचते? उसका हम इन्तजाम क्यों नहीं करते? हमें जो काम करना चाहिए? उस अन्तिम व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक राजस्थान में अपराध कम नहीं होंगे।

अपराधों के आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, अपराधों के आंकड़े कभी एक वर्ष में ज्यादा हो जाएं, कभी कम हो जाएं लेकिन आज हालत यह हो चुकी है, चर्चा है कि राज्य के मुख्य मंत्रीजी के यहां से सूचियां आती हैं सी आई की परन्तु डी एस पी की परन्तु गृह मंत्रीजी से पूछा नहीं जाता। जहां गृह मंत्री असहाय हो वहां पर राज की क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ऐसी चर्चा क्यों होती है? अच्छा हो, या तो राजस्थान के गृह मंत्री कहें कि सारा ढांचा हमारे नियंत्रण में है और हमारे नियंत्रण में होने के बाद भी अपराध बढ़े हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है और इस अपराध को रोकने के लिए हम ये कारगर कदम उठायेंगे। आज हालत यह है कि सबसे कम इक्विपमेंट के आधार पर, सबसे कम साधन के आधार पर राजस्थान की पुलिस चल रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला आपने बना दी, कोटा में भी आपने दो करोड़ रुपये की बिल्डिंग बना दी परन्तु एक आदमी के हवाले छोड़ दिया। आखिर स्थिति

(श्री ओम बिरला)

क्या है? एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का एक नमूना, दो-दो साल तक आप उसके नमूने की रिपोर्ट नहीं भेजो और आप अपराध रोकने की बात कर रहे हो। माननीय सभापति महोदय, इस ढांचे को सुधारने की आवश्यकता है।

राजस्थान में जहां के डी.जी. यह कहते हों कि यहां पर अपराधी बेखौफ हैं और अपराधी का पुलिस के प्रति भय समाप्त हो गया, इससे बदतर स्थिति इस राजस्थान की नहीं हो सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने विश्वास मत के समय जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया परन्तु 15 महीने के अन्दर राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति और बदतर होती जा रही है, उस बदतर स्थिति को आप 15 महीने में नहीं रोक पाये, 15 महीने और निकल जायेंगे, चुनाव नजदीक आ जायेंगे, राजनीतिक आधार पर पोस्टिंग, ट्रांसफर होंगे, राजनीतिक आधार पर कानून-व्यवस्था को तौला जायेगा और बदतर स्थिति होती जायेगी। अच्छा हो, हम सब लोग, यहां पर बैठे जितने विधान सभा सदस्य हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने राजनीति के अन्दर 25 साल गुजारे हैं, आज जितने अपराध घटित होते हैं उन अपराधों के अन्दर अंतिम व्यक्ति तक, अपराधियों तक पहुंच कर सज़ा दिलानी चाहिए। उसके लिए इस कानून के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं होती। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, उस अंतिम व्यक्ति तक, जिसने जितना अपराध किया हो उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, यह कानून का नियम है लेकिन जो अपराधी है उसको सज़ा नहीं और जिसने अपराध नहीं किया हो उसको सज़ा मिले, यह न्यायोचित नहीं है।

गृह मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको दो-दो विभाग दिये हैं। गृह मंत्रीजी, एक विभाग, दो विभाग, तीन विभाग। माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा दावा है, मैं इस कोटा की धरती से आया हूं और कोटा की धरती से आने के बाद में मैं यह कह सकता हूं कि अपराध को अगर रोकना है तो आपको फास्टट्रैक कोर्ट बनाना पड़ेगा। फास्टट्रैक कोर्टस की संख्या बढ़ेगी, कोटा में अपराध घटित होते थे, बड़ी संख्या के अन्दर फास्टट्रैक कोर्टस बनीं, छह-छह महीने के अन्दर, सात-सात महीने में सज़ा हो गयी, अपराधों पर नियंत्रण हो गया। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हत्या

(श्री ओम बिरला)

के बाद 15 साल तक वह न्याय के लिए भटकता रहे, ऐसी कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

गृह मंत्रीजी, आपको गृह मंत्रालय भी दिया है, आपको स्वायत्त शासन मंत्रालय भी दिया है, आपको विधि मंत्री भी दिया है, आपको तीन-तीन विभाग दिये हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने या तो आपको पावर लेस कर रखा है, अगर पावरलेस नहीं कर रखा है तो आप कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारो और किस तरीके से अपराध रुक सकते हैं, उसकी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, नहीं तो 15 महीने के अन्दर जो राजस्थान की स्थिति हुई है, जेल से लेकर, थानों से लेकर, दुर्घटनाओं से लेकर कोई क्षेत्र नहीं बचा है। दुर्घटना से लेकर, महिलाओं की चेन खींचने से लेकर, महिलाओं की हत्याओं से लेकर, बलात्कार से लेकर, पांच-पांच वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, एक नहीं तीन-तीन घटनाएं हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि हम इन घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? रोकने के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप कमिश्नर प्रणाली का हल्ला कर रहे हैं, कमिश्नर प्रणाली भी कई लगा दो, कोई प्रणाली लगा दो जब तक सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था नहीं होगी, ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी थानों में नहीं लगाये जायेंगे और ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी के आधार पर जितनी मेहनत करते हैं उसको उस तरीके का न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस राजस्थान में अपराध रुक नहीं सकता। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी अपने जवाब में बताएं कि ला एण्ड आर्डर को ठीक करने के लिए, कानून-व्यवस्था के अन्दर अपराध रोकने के लिए हमने 15 महीने में क्या-क्या पैरामीटर अपनाये और आने वाले समय में क्या-क्या पैरामीटर अपनायेंगे जिससे राजस्थान की कानून-व्यवस्था को सुधारेंगे?

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल। श्री पानाचन्द मेघवाल। (अनुपस्थित) श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-16 पर सदन में चर्चा हो रही है, मुझे उसके लिए आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।

सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी बातें कह रहे हैं। अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, ओम बिरलाजी कह रहे थे, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने भी कहा, माननीय सभापति महोदय, आज से सवा छह साल पहले से पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, ये शर्मनाक घटनाएं उस दौरान जो हुईं, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में भ्रष्टाचार तथा अराजक सरकार ने सोहेला में पुलिस फायरिंग की, घड़साना में पुलिस फायरिंग की और दौसा जिले में गुर्जर आन्दोलन की दमनकारी नीति के कारण पुलिस फायरिंग से सैकड़ों लोग मौत के घाट उतरे। यह राजस्थान के इतिहास में जब लिखा जायेगा, काले अक्षरों में लिखा जायेगा लेकिन वे खून से लिखा जायेगा, कोई भी उसको भुला नहीं सकता और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कभी भी माफ नहीं कर सकता।

भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में 90-बी की काली कमाई, सेज के नाम पर सेज की काली कमाई में बंटवारे पर झगड़ा, आये दिन मंत्रियों का आपस में गाड़ी सचिवालय भेज देना, केबिनेट में सामंजस्य नहीं होना, ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आम बात थी। माननीय सभापति महोदय, जिस सरकार की और सरकार में बैठे लोगों की नीयत साफ हो और नीयत अच्छी हो, वह सरकार काम सही कर सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में नीयत भी खोटी थी और जो नीति थी वह भी खराब थी और इसी के कारण पांच साल तक भा.ज.पा. के शासन में अराजकता फैली।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के शासन में मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में राजस्थान प्रदेश की जनता को अमन-चैन, शांति कायम करने की बात कही और इसी दृष्टि से जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कायम करने की बात कही। जयपुर शहर की आबादी लगभग 40 लाख पहुंच रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, गृह मंत्रीजी ने यह माना कि इतनी बढ़ती आबादी में कानून-व्यवस्था सही रहे इसके लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने से निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। दिल्ली इसका उदाहरण है। आये दिन हम सभी लोग दिल्ली जाते रहते हैं, काफी लम्बे समय से दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, वहां की कानून-व्यवस्था अच्छी है। भ्रष्टाचार और जो लोग ऐसे हैं, उनको भय है और आम जनता में विश्वास है,

(श्री भगवान सहाय सैनी)

वह भयमुक्त है। यह दिल्ली में हो रहा है। यदि जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाती है तो निश्चित रूप से इसके अच्छे फायदे होंगे।

माननीय सभापति महोदय, पांच महिला थाने खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। मैं इसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां चाहे कस्बे में हो, चाहे तहसील हो, जहां महिला उत्पीड़न के अधिक मामले हों उनका चयन करके, गृह मंत्रीजी, सबसे पहले महिला थाने वहां खोले जाने चाहिए जिससे महिलाओं को तुरन्त न्याय मिले और तुरन्त उनकी सुनवाई हो।

माननीय गृह मंत्रीजी विराज रहे हैं, चौमूं जयपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है। दूदू में एडिशनल एस.पी. का आफिस है, कोटपूतली में एडिशनल एस.पी. का आफिस है, वहां एडीशनल एस.पी. के पद स्वीकृत हैं लेकिन चौमूं में एडिशनल एस.पी. का पद नहीं होना एक गम्भीर समस्या है। मैं, गृह मंत्रीजी, आप से निवेदन करूंगा कि इतने बढ़ते हुए कस्बे को, 80 हजार की आबादी कस्बे की है और आस-पास की पंचायतें भी चौमूं थाने में निहित हैं, चौमूं में एडिशनल एस.पी. का पद नया सृजित करके एक एडिशनल एस.पी. को चौमूं में बैठाओ जिससे चौमूं की जनता को वहीं पर सुगत न्याय मिल सके, हर मामले के लिए जयपुर नहीं आना-जाना पड़े इतने एडिशनल एस.पी. जयपुर जिले में हैं, लगभग 30 एडिशनल एस.पी. हैं, एक पोस्ट को चौमूं ट्रांसफर कर दें तो उस पर खर्चा भी नहीं आयेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चौमूं थाने में जो पिछले पच्चीस साल से एक निश्चित नफरी है, जो पुलिस कर्मियों की संख्या है, वही लग रही है। आबादी बीस हजार से अस्सी हजार हो गई है, चौमूं कस्बे की परिधि ढाई-तीन किलोमीटर से आज दस बारह किलोमीटर हो गई है, चार गुना आबादी बढ़ गई, चार गुना क्षेत्र बढ़ गया लेकिन गश्त नहीं होती है, चोरियां बढ़ रही हैं, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसको रोकने के लिए चौमूं में पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि होम गार्ड को 150 रुपया दिया जाता है, वह बहुत कम है, कम से कम 200 रुपया दिया जाना आवश्यक है। यही नहीं, होम गार्ड की जो नियुक्ति की जाती है, उसके प्रावधान में बदल कर जब

(श्री भगवान सहाय सैनी)

इनकी नियुक्ति की जाए तो एक समय सीमा बांधकर के, दस साल के बाद में इन्हें परमानेंट किया जाएगा, इस तरह की नीति बनाएं जिससे होम गार्ड में जो भी जवान आते हैं उनको दस साल बाद स्थाई कर दिया जाए और वे पुलिस में नौकरी करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

गृह मंत्री जी विराज रहे हैं, 15 फरवरी को चौमूं क्षेत्र में नेशनल हाइवे 11 पर एक बिंदोरी ट्रक हादसे में नौ लोग मारे गये और सड़सठ लोग घायल हुए। पिछले सप्ताह सवाई माधोपुर जिले में एक बस दुर्घटना में बहुत से स्टूडेंट जो बी एड के और एस टी सी के थे, पुल पर से गिर जाने से 26 लोगों की मृत्यु हुई। सदन में आपने घोषणा की कि इनको पचास-पचास हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, इससे पहले भी जब जोधपुर में मेहरानगढ़ काण्ड हुआ, पांच-पांच लाख रुपये की सहायता दी गई, जयपुर में बम विस्फोट हुआ, पांच-पांच लाख रुपये का भुगतान दिया गया। यही नहीं, एक पैकेज दिया गया, जिनके मां-बाप खतम हो गये, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार ने देने की घोषणा की और जोधपुर में भी पैकेज दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चौमूं का जो बिंदोरी एक हादसा था, एक्सीडेंट नहीं था, बिंदोरी निकल रही थी, अनियंत्रित ट्रक ने जाकर उनको कुचल दिया। 9 लोग मारे गये, 67 लोग घायल हुए। सरकार ने बीस-बीस लाख रुपये जो मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिए जाते हैं उसके अलावा एक भी रुपया सहायता का नहीं दिया गया। मेरा आपसे इस अवसर पर निवेदन है कि उनको कम से कम पांच लाख रुपये सहायता के रूप में दिया जाए।

माननीय सभापतिजी, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि गम्भीर घायलों को दस-दस हजार रुपये दिये जायेंगे जबकि एक भी गम्भीर घायल को दस हजार रुपये नहीं दिये गये, केवल पांच हजार रुपये दिये गये जबकि कुछ घायल जो गम्भीर थे अभी भी हास्पिटल में हैं। एक महिला तो अचेत है, कोमा में है। सरकार या डाक्टर किसको गम्भीर मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं, इसकी भी जांच करवाई जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि गम्भीर घायलों को भी एक-एक लाख रुपये की सहायता देकर उनका जीवन बचाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक पींचा।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री अशोक पींचा)

माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर सत्तर दिन पहले मदन सिंह सन आफ रूप सिंह नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ। आज तक उस मर्डर के मामले में कोई भी मुलजिम, कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इस सम्बन्ध में वार्ता करते हैं तो उनका एक रटारटाया शब्द है, मैं दिखवा लूंगा, मैं दिखवा लूंगा, मैं स्वयं देख रहा हूं। इसके अलावा इससे सम्बन्धित कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। इसकी एफ आई आर संख्या 9/10 पुलिस थाना भानीपुरा है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस प्रकरण की जांच अविलम्ब करवाकर दोषियों को दण्डित कराएं। परिवादी इस विषय में पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले, जांच परिवर्तन के बारे में भी उनसे निवेदन किया। जांच परिवर्तन न करके अभी भी उसी सम्बन्धित थानाधिकारी के पास जांच है जो आज सत्तर दिन से इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा मेरे सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र में बहुत से प्रवासी लोग हैं जो अन्यत्र राज्यों में प्रवास करते हैं। चोरी की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आज तक जो चोरी की घटनाएं हुईं, मैं एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं, सरदारशहर थाने से सौ मीटर की दूरी पर मोबाइल शाप है, उसमें दो लाख रुपये के मोबाइल चोरी हो गये। चोरों की शिनाख्त भी हो गई, चोरों से जिन्होंने माल खरीदा उनकी भी शिनाख्त हो गई, वहां के पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में बार-बार उनको बुलाते हैं, समय देते हैं लेकिन न तो माल बरामद किया गया न चोरों को सज़ा मिली। इस घटना को हुए छह महीने व्यतीत हो गये। मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें तत्काल जो चोरी के आरोपी पकड़े जाने के बाद, शिनाख्त होने के बाद भी छह महीने तक नहीं पकड़े जाएं, इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती।

इसके अलावा सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र चूरू जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, 8-9 साल हुए वहां उप-खण्ड कार्यालय भी स्थापित है। तो बजट के प्रावधान में माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में सी ओ का, डी वाई एस पी का कार्यालय सृजित किया जाए। वहां सौ किलोमीटर की दूरी से लोगों को चूरू जाना पड़ता है। कई-कई गांवों की हालत तो ऐसी है उनको पहले सरदारशहर रात को आकर विश्राम करना पड़ता है तब वहां जाकर

(श्री अशोक पींचा)

चूरू पहुंचते हैं और बार-बार वहां के सर्किल डीवाई एस पी, चूरू को सरदारशहर में जांच के लिए आना पड़ता है। इससे यात्रा भत्ता भी लगता है, पैट्रोल भी सरकार का खर्च होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर सी ओ का कार्यालय, डीवाई एस पी का कार्यालय खोल दिया जाए ताकि सरदार शहर की जनता को न्याय मिल सके।

इसके अलावा, वहां पर जो बीकानेर से चूरू, सरदारशहर से जो बीकानेर रोड जाती है, नेशनल हाइवे है, उस रोड पर एक भी ग्रामीण थाना नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस बजट में वहां भी बनराऊ या तो घड़सीसर है उन स्थानों पर ग्रामीण थाना स्थापित किया जाए ताकि वहां पर अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके, और अपराध में कमी हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर आप ग्रामीण थाना स्थापित करें।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव भी माननीय गृह मंत्रीजी को देना चाहता हूं, अभी थाने में जो अपराध घटित होते हैं, एफ आई आर दर्ज होती है, उसके बाद में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति के लिए अलग विंग होनी चाहिए और इन्वेस्टीगेशन के लिए अलग विंग होनी चाहिए। यह मेरा गृह मंत्रीजी को सुझाव है।

इसके अलावा जब एफ आई आर दर्ज हो उसकी जांच कम से कम दो तीन दिन में कर दी जाए ताकि गवाह को धमकाने का टाइम भी न मिले, उसको घटित दुर्घटना को, घटित अपराध को मोड़ने का समय भी नहीं मिले। तो इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि इतने समय में जांच पूरी कर ली जाएगी, चाहे चालान जब भी करें लेकिन जांच का समय निश्चित होना चाहिए।

इसके अलावा जैसे प्रत्येक जिले में जैसे मिलिट्री स्कूल चल रहे हैं, उसी हिसाब से मेरा एक सुझाव है कि हर जिले में पुलिस स्कूल भी चलना चाहिए ताकि पुलिस के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी सहायता मिले। मेरा सुझाव है।

इसके अलावा जो बड़े अपराध होते हैं 302, 376, उनके गवाहों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वे गवाह जो हकीकत में अपराध करते हैं, उस समय उनको सज़ा दिलाना चाहते हैं। समय व्यतीत होने के बाद सज़ा न मिले इसलिए अपराधी लोग गवाहों को धमकाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी बड़े अपराध होते हैं उनके गवाह के रूप में उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए।

(श्री अशोक पींचा)

इसके अलावा अभी वर्तमान में पांच-सात रोज पहले हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा ढाई किलो अफीम पकड़ी गयी। अफीम पकड़ने के बाद उस ड्राइवर से पूछा गया कि यह अफीम आप कहां से लाए तो उसने बताया कि मैं सरदारशहर में फलां जगह बहादुरसिंह कालोनी जहां व्यक्ति रहता है वहां से अफीम लाया हूं। सरदारशहर पुलिस और हनुमानगढ़ पुलिस ने मिलकर वहां पर छापे की कार्यवाही की। चार किलो अफीम वहां से बरामद किया, दो आदमी को वहां से पकड़ कर ले गये लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेन आदमी था उसको तो पकड़ने के बाद निकाल दिया और जो ड्राइवर था जीवन माथुर, उसको पकड़ कर रख लिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की गयी और मुख्य मुलजिम को मिलीभगत करके पुलिस द्वारा छोड़ा गया है, इसकी पुन: जांच करवायी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री लालशंकर घाटिया। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित) श्री मदन जी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर दोपहर से जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में पक्ष, विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे हैं। मैं भी इस चर्चा में भाग ले रहा हूं।

आज के ठीक दो दिन पहले सदन में जो घटनाक्रम हुआ उसमें सदन के माननीय नेता, प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता और वरिष्ठ सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा के सदन की परम्परा और गरिमा बनी रहे और ऐसा सन्देश जाए, इसके लिये जो पहल की उसका मैं स्वागत करता हूं।

आज सदन में चर्चा शुरू हुई, उसमें पूर्व गृह मंत्रीजी ने जो सुझाव रखे और कुछ मुद्दों पर चिन्ता व्यक्त की उसमें कुछ सुझावों का भी मैं स्वागत करता हूं। बार-बार यही बात सुनने को मिल रही थी और इतिहास गवाह है पुलिस विभाग के लिये आज दिन तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, धन्यवाद शब्द लिखा हुआ नहीं है।

आज बार-बार यह भी चर्चा कर रहे थे कि माननीय गृह मंत्रीजी गम्भीर नहीं हैं, मैं सदन में आपसे निवेदन करता हूं कि आज लोकप्रिय

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय गृह मंत्रीजी गम्भीर हैं। विपक्षी सदस्य जब अपनी बातें रख रहे थे तो घंटी बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके पास विरोध करने के कोई शब्द नहीं थे और अपने आप ही धन्यवाद कह कर अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है माननीय गृह मंत्रीजी और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी कानून-व्यवस्था के मामले में गम्भीर हैं। राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर के मामले में डेढ़ साल का रिकार्ड देखा जाए-पिछली सरकार के समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ इस मामले की गहराई में न जाकर यह प्रमाण है कि डेढ़ साल में राजस्थान में कानून-व्यवस्था, शांति व्यवस्था है। हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों का भी रिकार्ड देखा जाए तो उस संदर्भ में भी मैं माननीय गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभी सदस्यों के द्वारा एक ही बात आ रही थी कि महिलाओं की चेनें लूटी जा रही हैं, बोलेरो गाड़ियां चोरी हो रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के मार्फत पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार बनने के बाद ही यह सिलसिला शुरू हुआ है? पिछली सरकार में नहीं था? उनका रिकार्ड देखा जाए, कितने अपराध हुए, कितनी बार गोलियां चली, कितनी गाड़ियां चोरी हुई और कितनी मां-बहनों की चेनें लूटी गयीं? जो जवाबदेह सरकार में जवाबदेह पद पर थे, खास करके नये माननीय सदस्यों के मुंह से यह बात नहीं थी। उन्होंने गम्भीर बातें रखीं। जो सरकार में जवाबदारी के पद थे उनके द्वारा ही बार-बार महिलाओं का शब्द आ रहा था। शायद उनके पास चेन वाले मामले और गाड़ी चोरी के मामले के अलावा गृह मंत्रालय से सम्बन्धित और कोई एनर्जेटिक सुझाव नहीं थे।

मैं मानता हूं कि विपक्ष का धर्म है, सरकार की कुछ कमी है तो वह उजागर करे, सुझाव दे और सरकार का भी मानने का धर्म है लेकिन बार-बार वरिष्ठ सदस्यों के मुंह से यही सुनने को मिल रहा था कि चेन लूटी जा रही हैं, मंगलसूत्र लूटे जा रहे हैं। यह कोई नई परम्परा शुरू हुई है इस सरकार में? या पहले की सरकार में ऐसा नहीं हुआ? मैं इसकी गहराई में न जाते हुए कि गत सरकार में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कानून की अगर बात कर रहे हैं तो राजस्थान प्रदेश की जो परम्परा रही है, राजस्थान आज विश्व में, पूरे भारत में मान-सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गत सरकार के समय राजस्थान में धार्मिक स्थल पर नंगा नाच हुआ, सरकार ने देखा और आज वह कानून की बात कर रहे हैं।

(श्री मदन प्रजापत)

आज सदन में तीसरी बार बात आयी कि बाड़मेर में बार्डर बिक रहा है, जमीनें बेची जा रही हैं। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करवायी जाए कब से जमीनें बिकीं? किस सरकार में जमीनें बिकी? इसमें कौन-कौन लिप्त थे ? उनकी इंक्वायरी करायी जाए, हम यह मांग रख रहे हैं। बार-बार आज जमीन की बात आ रही थी, उस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि आदरणीय शाले मोहम्मद जी ने जो बात कही, यह तो अखबारों में बार-बार आया और फार्मेलिटी के रूप में कार्यवाही की गयी। आज अपना समय है, बार्डर पर जो गरीब लोगों की जमीनें बिकी हैं उसके लिये कार्यवाही की जाए और वास्तव में जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके सज़ा दी जाए।

तारानगर से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य का मैं सम्मान भी करता हूं लेकिन बार-बार वह एक ही बात कर रहे थे कि बाड़मेर में वह हो रहा है, जैसलमेर में वह हो रहा है। इतिहास गवाह है 60 सालों से यही बात आ रही थी। शायद चूरू के ऊपर उनको इतनी चिन्ता नहीं थी जितनी बाड़मेर के ऊपर थी। बाड़मेर में 7 में से 6 सदस्य जीतकर आये हैं, सातवें शाले मोहम्मदजी हैं। बाड़मेर और जैसलमेर की चिन्ता हमें भी हैं लेकिन बार-बार बाड़मेर का जिक्र करना, मतलब या तो शायद चूरू से मन ऊब गया है या बाड़मेर के ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। नकली नोटों के बारे में बात हो रही थी कि वह वहां से आ रहे हैं। शायद कोई अनुभवी और जानकार व्यक्ति इस तरीके से बात को नहीं रखता जिस तरीके से आपने रखी है।

समय बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सुझाव दे रहा हूं कि चाहे पुलिस कांस्टेबल के पे स्केल का मामला हो, चाहे आर ए सी के नौजवान साथियों का हो और होम गार्ड वाली बात हो, इन तीनों बातों पर माननीय सदस्यों की बातों का मैं समर्थन करता हूं कि सरकार की तरफ से कुछ हो ताकि उनका भला हो। काफी सदस्यों की बातों का मैं समर्थन करता हूं।

तस्करी की रोकथाम के लिये बात आ रही है तो मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन और सुझाव है कि आज कुछ इस प्रकार के पुलिस थाने हैं जहां वारदातें और घटनाएं ज्यादा होती हैं। उन थानों में विशेषकर इस प्रकार के वाहन दिये जाएं, 80-90 की रफ्तार के व्हिकल्स आज के जमाने के 150-200 की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अपन

(श्री मदन प्रजापत)

सब मानते हैं, सब जगह व्यवस्था नहीं हो सकती लेकिन इस प्रकार के स्थान जहां घटनाएं और तस्करी की बार-बार वारदातें होती हैं वहां इस प्रकार की गाड़ियों की व्यवस्था करें ताकि तस्करी के ऊपर रोकथाम हो। यह मेरा सुझाव है। इससे काफी फर्क पड़ सकता है।

साथ ही मैं मेरे क्षेत्र के बारे में सुझाव दूं कि बालोतरा बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा उपखंड क्षेत्र है जिसकी आबादी लगभग एक लाख की है। आज वहां डी.एस.पी. की पोस्ट है, वहां अगर एडिशनल एस.पी. कार्यालय खोला जाये तो अच्छा रहेगा। बाड़मेर वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इससे वहां कानून-व्यवस्था में और मदद मिलेगी।

सभापति महोदय, बालोतरा पुलिस थाने में नफरी बढ़ायी जाये, वहां संख्या काफी कम है विशेषकर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की। वहां एक भी पोस्ट नहीं है, प्रतिनियुक्ति पर बाड़मेर से लगाये जाते हैं। वहां भी परमानेंट पोस्टें की जायें। व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है लेकिन परमानेंट पोस्टें नहीं होने की वजह से बार-बार तकलीफ महसूस होती है। ट्रैफिक और भारी जनसंख्या को देखते हुए इसको किया जाये।

सभापति महोदय, साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत दूधवा बाड़मेर और बालोतरा के बीच में है, इधर बायतु पुलिस थाना लगता है, उधर बालोतरा लगता है, बीच में 40-45 किलोमीटर के दायरे में पुलिस थाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र है और नेशनल हाइवे संख्या 112 के ऊपर है। यह दुर्घटनाओं का संभावित क्षेत्र है, कई दुर्घटनाएं हुई भी हैं। वहां पर पुलिस चौकी स्थापित की जाये ताकि एक्सीडेंट के मामले में प्राथमिक रिपोर्ट और सूचना में आम अवाम को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, ट्रांसफर नीति की बात बार-बार आ रही थी, इस मामले में नीति बनाई जाये। इसका मैं भी समर्थन करता हूं कि कोई नीति बनायी जाये और इसके हिसाब से अधिकारी लगें यह डिजायर सिस्टम खत्म हो, मैं इसके पक्ष में हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं कि डिजायर सिस्टम खत्म किया जाये। जो भी माननीय विधायक डिजायर देता है, उनके 6 महीने में कोई निस्तारण नहीं होता है और ये पोस्टें खाली रह जाती हैं। यह मेरा निवेदन है कि जो भी चुनावों से पूर्व और दो-दो साल के बाद बालोतरा में चाहे पुलिस थाना कल्याणपुर हो, चाहे पचपदरा हो, चाहे मंडली हो तमाम जो हैं, उनमें आगे जो सुझाव हैं उनको मान्य करके व्यवस्था की जाये।

(श्री मदन प्रजापत)

सभापति महोदय, मेरा इस चर्चा से हटकर व्यक्तिगत सुझाव है। मैं मानता हूं कि आज के जमाने में लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ अख़बार हैं, जो संदेश देते हैं और संदेश से क्रांति का आदान-प्रदान होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं लेकिन आये दिन किसी अख़बार में 'सदन के सितारे नाम से कोई फोटो देखे जाते हैं। राजस्थान की जो विधान सभा है, सदन है, इस सदन से बड़ा कोई नहीं है। सदन में व्यक्ति कुछ करे, जो हकीकत है उनकी न्युज छपे, यह लोकतंत्र में अधिकार है लेकिन सदन के सितारे तय करने का अधिकार, माननीय सदन से बड़ा अख़बार नहीं है। आपके माध्यम से मेरा सुझाव है और लगभग सभी साथियों की यह भावना है कि सदन बड़ा है या एक अख़बार, बाकी कई पत्रिकायें और अख़बार आते हैं, उन अख़बारों में इस प्रकार का कोई सुनने और देखने को नहीं मिलता है। एक व्यक्ति विशेष को सदन के सितारे और कुछ दिन बाद यह एक नम्बर, यह दो नम्बर और इनके पांच नम्बर, और मंत्रियों का भी निर्णय करते हैं, माननीय विधायकों का भी निर्णय करते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत मत है कि या तो यह सदन का निर्णय हो या कमेटी कोई निर्णय करे लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो। बाकी कोई अख़बार नहीं करते लेकिन एक अख़बार में बार-बार यह सदन के सितारे, क्या परम्परा है? मैं पहली बार जीतकर के आया हूं, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर नार्म्स में कोई तय किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन किस प्रकार से होता है उनका, इस पर विचार किया जाये। उसमें और भी कई मामले सुनने को मिल रहे हैं।

मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 जो कि गृह विभाग से संबंधित हैं, यह विभाग संवेदनशील विभाग है जिससे पूरे प्रदेश में कानूनी व्यवस्था को अमली जामा पहनाने का काम किया जाता है। आज पहली बार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद नहीं दिया, मैं देउंगा आप तसल्ली तो रखें, एक ही बात रखी कि जयपुर के अन्दर, जोधपुर के अन्दर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की है उसके लिए धन्यवाद।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सभापति महोदय, आपको राजस्थान की जनता ने तो नहीं लेकिन हमारे साथी बहुजन वालों ने और निर्दलियों ने यह सरकार चलाने का मौका दिया है। आपने यह नहीं कहा कि पांच साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, उसको उजागर करने का काम नहीं है1 मेरे साथियों, 15 महीने तो आप लोगों को हो गये, आप लोगों ने कहीं भी पुलिस विभाग में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी आप रीति-नीति बखान कर सकें।

सभापति महोदय, पुलिस ने कहीं भी अपराधों के रोकथाम का कोई काम नहीं किया। आपने हर मामले में यह कहा कि पिछले पांच साल में अपराध घटित हुए लेकिन विगत 15 महीनों में जो भी अपराध घटित हुए हैं उनकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं होकर के कांग्रेस सरकार की है।

सभापति महोदय, आप अपराधों पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे अपराधों पर कंट्रोल कर लें, लूटपाट को कंट्रोल कर लें, बलात्कार पर रोक लगा लें। उसके लिए आवश्यकता है संसाधन जुटाने की, आवश्यकता है पुलिस में भर्ती करने की, आवश्यकता है पुलिस के वाहनों को सही कराने की। पुलिस में आज से बीस वर्ष पहले जो थाने थे और उनमें जो स्टाफ था आज भी थानों में वही स्टाफ हैं और वही पुरानी गाड़िया हैं। किसी भी गाड़ी में यह नहीं कि यह इतनी किलोमीटर चलेगी। हर विभाग में यह होता है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी चेंज होगी या इतने समय के बाद चेंज होगी। लेकिन पुलिस महकमे के अन्दर 15-15 साल गुजरने के बाद भी गाड़ियां खटारा होकर के खड़ी हैं लेकिन उनको सुधारने का काम, उनको नयी बनाने का काम, उनको नीलाम करने का काम पुलिस नहीं कर रही है। जब तक पुलिस अपने संसाधन नहीं जुटायेगी, माननीय गृह मंत्रीजी कहते हैं कि हमने सब घटनाओं को रोका, सारे काम आपने किये लेकिन यह एक ऐसा विभाग है, गृह मंत्रालय जिसमें 15 महीनों में अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। यह आंकड़े कहते हैं। सरकार आपकी है, आंकड़े आपने दिये हैं।

मैं अलवर जिले की कहना चाहूंगा 2008 में 640 चोरी की घटनाएं हुईं और 2009 में 920 चोरियों की घटनाएं हुई। पिछले साल से डेढ़ गुना चोरी की घटनाएं अलवर जिले में हुईं। यह पुलिस विभाग पर, माननीय गृह मंत्रीजी पर प्रश्न चिन्ह है कि नहीं है?

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सभापति महोदय, पुलिस विभाग के मामले में माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है कि हम भिवाड़ी में, अलवर में सब चौकियों को थानों में परिवर्तित कर देंगे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भिवाड़ी में उद्योगपति लोग रहते हैं, पूंजीपति लोग रहते हैं उनकी रक्षा के लिए तो आप पुलिस चौकियों को थानों में बदल दो लेकिन मेवात के अन्दर जो चौकियां हैं जहां तीन और चार का स्टाफ है, जहां पर राजस्थान के अलवर जिले और भरतपुर जिले का हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है, जहां गौ-तस्करी होती है, जहां से सोने की ईंट बेचने वाले जाते हैं, जहां से वाहन चोर जाते हैं, उन चौकियों के अन्दर स्टाफ की व्यवस्था नहीं की। क्या चाहते हो आप?

आप कहते हैं कि हम पुलिस में पारदर्शिता लायेंगे। निश्चित रूप से सब थानों में, अलवर जिले में चिह्नित हुए थाने जहां पर अवैध कारोबार होता है, अवैध माइनिंग होती है, जहां पर लूटपाट की घटनाएं होती हैं, जहां चोरी और डकैती की घटनाएं होती हैं वहां पर राजकीय आदेश माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार के जाते हैं। टपूकड़ा थाने के अन्दर पिछले एक साल में तीन एस एच ओ बदले गए, शाहजहांपुर थाने में पिछले एक साल में तीन एस एच ओ बदले गए, भिवाड़ी थाने में पिछले एक साल में तीन एस एच ओ बदले गए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों थानों में एस एच ओ जो भी लगाए गए हैं वे सारे के सारे गवर्नमेंट आर्डर, राजकीय आदेश से लगे हैं। क्या टहला में राजकीय आदेश लागू नहीं होते? क्या थानागाजी में लागू नहीं होते? क्या टेणी में लागू नहीं होते? क्या नारायणपुर और बानसूर में लागू नहीं होते? यह राजकीय आदेश वहीं लागू होते हैं जहां पर पुलिस के दो नम्बर धंधे, काले कारनामे होते हैं, जहां पर अवैध व्यापार होता है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा जिससे कि सरकार के मंत्रीजी आरोपों में घिरे लेकिन निश्चित रूप से इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यह है कि जहां पर जिनको पुलिस की भाषा में 'ए' क्लास थाने कहा जाता है, उन थानों के अन्दर आपने गवर्नमेंट आर्डर करा रखे हैं।

मेरे से पूर्व के सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने कहा कि पूर्व सरकार ने गोलियां चलाई, घड़साना में चलाई, गूर्जर आंदोलन में चलाई लेकिन आपने आने के बाद में गोली चलाई। पूर्व सरकार ने कानून-व्यवस्था को सम्भालने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कानून-व्यवस्था कायम करने के लिए यह किया।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने भी एक भी गोली काण्ड के किसी भी दोषी पुलिसकर्मी को निलम्बित किया? क्या उसको सज़ा दी? या 16 सी सी ए का नोटिस दिया? 17 सी सी ए का नोटिस दिया? या उसको कोर्ट में तलब कराया? एक को भी नहीं कराया और भाषण देने लग गए। रही बात गोली चलाने की, गांधीवादी क्यों बनते हो? क्यों गांधीवादी का ढोंग करते हो? लोक सभा चुनावों में सवाईमाधोपुर और दौसा में, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने गोली चलाई, निर्दोष लोगों को मरवाया। कहां आवश्यकता पड़ी थी गोली चलाने की? हम पर गोली चलाने का आरोप लगाते हो, आप गांधीवादी बनने की बात करते हो, आपने किसी भी पुलिसकर्मी को आज तक दण्डित नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अलवर जिले के अन्दर सबसे ज्यादा तस्करी का काम होता है। हमारी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हुई है, भरतपुर और मथुरा से यहां पर अपराधी आते हैं और अपराध करके चले जाते हैं, बेरोकटोक। वहां पर पुलिस के पास एक जरूर है, माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को आप जो टार्गेट देते हैं उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। पुलिस के लोग कहते हैं कि हमारे पास टार्गेट है। कोई व्हीकल पकड़ लिया जाता है तो वह कहते हैं कि एस पी साहब का आदेश है टार्गेट का। टार्गेट क्या हैं इनके? एम वी एक्ट में चालान करना, फोरेस्ट एक्ट में चालान करना, ई सी एक्ट में चालान करना और न जाने कितने एक्ट हैं जिनके कालम पूर्ति आपके पुलिस वाले उच्च अधिकारियों के कहने से करते हैं। उस टार्गेट के अन्दर फंसता कौन है, ग्रामीण व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, मोटर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, शराब ले जाने वाला। वह व्यक्ति जो खेत से गांव तक जाता है उसको जबरदस्ती कच्ची थैली डाल दी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर पुलिस प्रणाली की खामियों को उजागर करना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस की जो क्राइम मीटिंग होती है हर महीने और पेंडेंसी चाहे मर्डर हुआ हो, चाहे लूटपाट हुई हो, चाहे बलात्कार हुआ हो, 25 तारीख को अगर कोई गया तो उसको कहते हैं कि 31 तारीख तक मत आओ, हमारी पेंडेंसी खतम हो जाएगी। चाहे आदमी मर

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

जाए, लुट जाए, चाहे व्हीकल चोरी चला जाए लेकिन पुलिस वालों की यह पेंडेंसी और टार्गेट जब तक खतम नहीं होगा तब तक प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। उस पेंडेंसी और टार्गेट से कौन पीड़ित होता है। जिसकी राजनीतिक एप्रोच नहीं है, जो पूंजीपति नहीं है, जिसका ऊपर के बड़े अधिकारियों से लेना-देना नहीं है।

ट्रांसफार्मर फुंकता है तो किसान को कहते हैं पांच ट्रांसफार्मर फुंक जाने दो, सात ट्रांसफार्मर फूंक जाने दो, इतने में किसान की फसल सूख जाती है इसलिए इस पर नीति बनाने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए कि किसान 15 चक्कर जे ईएन के लगाएगा, जे ईएन कहेगा कि आप बिजलीघर थाने में जाइए, बिजली वाले कहेंगे कि उस सम्बन्धित थाने में जाइए, उसका अफसर कहेगा कि महीने का एण्ड हो गया। महीने के एण्ड में अगले का एण्ड हो जाएगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, आप उनके संसाधन बढ़ाने की बात करते हो, एक थाना जिसका स्टाफ 12 या 15 का है, 3 डाक ले जाते हैं, 2 सम्मन ले जाते हैं, 2 छुट्टी पर चले जाते हैं, 2 ड्युटी पर चढ़े हुए रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपराधों का बढ़ना रोकना चाहते हैं तो पुलिसकर्मियों की भर्ती जब तक नहीं करेंगे, थाने खोलने से ही अपराध नहीं रुकेंगे, जब तक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए व्हीकल नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अच्छे संसाधन नहीं बढ़ाएंगे तब तक अनुसंधान के दौरान जितने भी कर्मी होते हैं चाहे वह सब इंसपेक्टर हो, चाहे ए एस आई हो, हमेशा अनुसंधानकर्ता को दोषी पाया जाता है, दण्डित किया जाता है, लेकिन उसके उच्च अधिकारियों को जो उसके चालान की अनुमति देते हैं, एफ आर की मंजूरी देते हैं, उनको कभी भी दण्डित नहीं किया जाता है। उसको भी उतने ही अधिकार दें। थानों में एक सिपाही की ड्युटी होती है दूसरी गन मैन की, दो-दो ड्युटी जब तक रहेगी तब तक सही मायने में सुधार नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं एम वी एक्ट की बात बताऊं, मोटर व्हीकल एक्ट ऐसा है जो पुलिस की शुद्ध दादागीरी है। पहले भी निश्चित राशि का चालान काटने का अधिकार था। हमारी सरकार के समय में 100 रुपये या

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

200 रुपए से अधिक का एम वी एक्ट का चालान अलवर जिले में कभी नहीं हुआ। इस बार पहली बार देखने को मिला है कि मोटरसाइकिल पकड़ी गई मेरे वहां पर प्रतापगढ़ थाने में, मैंने एस एच ओ कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर दो, मैंने कहा रसीद काट दो छोटी-मोटी लेकिन रसीद दी 3100 रुपए की। वह मोटरसाइकिल 17 साल पुरानी, 1,700 रुपए में बिकेगी नहीं। इसलिए आपको सीमा तय करनी पड़ेगी, आपको राशि तय करनी पड़ेगी। अब एम वी एक्ट ऐसा हथियार है जिसको कभी भी पुलिस अपने हिसाब से यूज कर लेती है।

माननीय सभापति महोदय, जेलों में मोबाइल की व्यवस्था है। जेलों में जिनको 20-20 साल की सज़ा है, जिनको 302 में है, डकैती में है, 376 में है, वह वहां पर जेल में बास बने हुए हैं। सारी जेलकर्मियों की मिलीभगत है, उनके यहां मंथली घरों से पैसा आता है और सारे अधिकारियों को पता है, सारे विभाग को पता है। उसके बावजूद भी उनको वहां पर सारी सुरक्षा मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए इसलिए उस को मंथली दी जाती है और उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है। जेलों के अन्दर जब तक बास प्रथा जारी रहेगी...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

अब सम अप करें, माननीय सदस्य।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले में 4

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

थाने हैं, राजस्थान में हो सकता है अन्य कितने हों, थानागाजी, बानसूर, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर, ये थाने नई बिल्डिंगों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और जो इन पुराने थानों की जगह हैं वहां पर ताला पड़ा है, पशु रहते हैं, सूअर बैठते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन थानों में पुलिस चौकियों की व्यवस्था करें, स्टाफ की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो होम गार्ड हैं जो आपके चुनाव कराता है, रात्रि में गश्त करता है और 5 दिन आता है, महीने में 10 दिन आता है और 20 दिन छुट्टी लेता है, जब बोलते हैं तब आता है, उनको भी सरकार थर्ड ग्रेड में किसी भी तरह मानदेय करके कंफर्म करने की व्यवस्था कराएं। इतना ही कहते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे यहां सूरसर में एक नया थाना खोला।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे यहां लम्बा चौड़ा क्षेत्र है और थानों में स्टाफ की कमी है। इसलिए वहां स्टाफ की पूर्ति की जाए। आढ़सर जो सरदारशहर रोड पर पड़ता है और हरियाणा से जो भी शराब आती है वह इसी रास्ते से आती है। कल भी एक ट्रक डूंगरगढ़ में पकड़ा गया है। वहां से हमेशा इसी रास्ते से शराब आती है और पकड़ी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी से कि आढ़सर में एक चौकी खोली जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चौकी खोलने से बहुत बड़ा फायदा इसमें होगा क्योंकि हरियाणा से जो भी शराब की गाड़ियां आती हैं वे इसी रास्ते से आती हैं।

(समय : 23.00 बजे)

दूसरा, मेरा एक, सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे यहां डीवाई. एस.पी. जो लगे हुए हैं वह सी ओ सदर लगता है और बीकानेर तहसील और कुछ भाग लूणकरणसर क्षेत्र का आता है। काफी लम्बा-चौडा क्षेत्र है। (व्यवधान) इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि

(श्री मंगलाराम गोदारा)

डूंगरगढ़ में सीओ का आफिस खोला जाए जिससे डूंगरगढ़ की जनता को फायदा मिल सके क्योंकि लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है और अगर कोई वारदात होती है और सी ओ को मेसेज होता है तो कम से कम तीन-चार घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि सी ओ डूंगरगढ़ अलग से लगाया जाए जिससे डूंगरगढ़ की जनता को फायदा हो सके।

दूसरा मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे यहां पुलिस आवास के लिए जमीन अलाट हुई है थाने के पास में, इसमें अगर कुछ पैसे स्वीकृत हो जाएं तो पुलिस को रहने के लिए वहां पास में ही आवास की व्यवस्था हो सकती है। पुलिसकर्मी जो हैं वे दूरदराज क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कस्बे में क्योंकि वहां आवास की व्यवस्था नहीं है और दूर रहने से क्या है कि टाइम पर वह नहीं पहुंच सकते, कभी कोई वारदात ऐसी हो तो। अत: जिससे कि यह जमीन है, पास में ही अलाट हुई है और वहां आवास होने से काफी फायदा होगा।

तीसरा, सभापतिजी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो हैड कांस्टेबल के बाद में यह खाना भत्ता है, यह बंद किया जाता है इनका। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम ए एस आई तक यह खाना भत्ता इनका चालू रखें जिससे कि इनको फायदा हो सके। क्योंकि इनका अगर प्रमोशन होता है हैड कांस्टेबल से ए एस आई का तो ये सोचते हैं कि 800 रुपये हमारे को ये नहीं मिलेंगे इसलिए प्रमोशन भी कम ही लेते हैं। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि यह अगर हो जाए तो कम से कम यह स्टाफ की पूरी भर्ती हो सके। दूसरा, एक डूंगरगढ़ कस्बे के अन्दर एक चौकी है, उस चौकी के अन्दर एक इंस्पेक्टर लगा दिया जाए। पहले वह थाना था फिर थाना डूंगरगढ़ हाईवे पर बाहर आ गया रोड पर। तो वह एक बिल्डिंग भी वहां बनी हुई है अन्दर, इस कस्बे के अन्दर, वह कस्बा काफी बड़ा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां एक इंस्पेक्टर लगा दिया जाए तो क्योंकि ये चोरियां हो रही हैं और ये वारदात रात-दिन होती रहती हैं, वहां अगर एक थाना, जैसे चौकी की बजाय वहां थाना हो तो वहां पूरे कस्बे को फायदा मिल सकता है। कभी-कभी रात को कस्बे में चोरियां होती हैं वहां सर्दी के टाइम मेंश तो वहां पहुंचने में और आने में काफी टाइम लगता है और वारदातें होती रहती हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि डूंगरगढ़ कस्बे में एक थाना खोला जाए।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

आपने बोलने का समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष-प्रतिपक्ष ने सभी बिन्दुओं पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और सब का सार भी आ गया है। अब मेरा निवेदन है कि रात्रि के 11 बज चुके हैं, दोनों माननीय मंत्री महोदय भी जो आपने प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब भी देंगे और अपने विभाग के बारे में, प्रगति के बारे में क्या कार्य हुए हैं, उसके बारे में भी सदन को अवगत कराएंगे। लगभग माननीय 20 सदस्यों को और बोलना है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, मैं उप नेता महोदय, आपका और सचेतक महोदय आपका, सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके अब केवल अपने क्षेत्र के बारे में क्या समस्याएं, क्या सुझाव हैं, उन तक ही सीमित रहते हुए आप अब अपना ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सहयोग के लिए समर्पित हैं, सभापति महोदय, आप हुकुम फरमाएं, हमारे सत्ता पक्ष की ओर से कोई और नहीं बात रखेंगे। आप कोई एक दो को बुलाना चाहते हैं तो कोई एक-दो को बुलवा लीजिए। (व्यवधान) कोई भी एक-दो बोलना चाहते हैं तो बुलवा लीजिए।

श्री सभापति: श्री ज्ञान जी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में पुलिस पर चर्चा हो रही है। इस सरकार के 15 महीने के शासन काल में अपराध कितने बढ़े हैं, यह आंकड़े माननीय गृह मंत्रीजी के पास भी मौजूद हैं और सदन के जितने भी सदस्य हैं, वे भी इन आंकड़ों को जानते हैं। क्या हालत होगी? प्रदेश के अपराधों पर कोई अंकुश नहीं। दावा करते हैं कि अपराध कम करेंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करेंगे और होता उसके बिलकुल विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि कोई भी सरकार अपराध खतम कर सकती है लेकिन सरकार का प्रभावी अंकुश होगा तो अपराध कम जरूर किये जा सकते हैं। पता है, अपराध हुआ है, अपराधी का भी पता है और ऐसे समय में यदि राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाए और उसके बाद आप यह उम्मीद करो कि अपराध कम होंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी तो यह उम्मीद करना बेमानी है।

माननीय सभापति महोदय, आपने कहा था कि अपने क्षेत्र तक बात सीमित रखें। विशेष तौर से जो यह नया अपराध पनप रहा है, भू-माफिया के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नाम से मेरा पाली उससे बहुत ज्यादा त्रस्त है। एक प्लाट चार-चार को बेच दिया, खरीददार आपस में झगड़ें और जिसने बेचा है वह चैन की नींद सो रहा है। उसको कोई कहने वाला नहीं, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने वाला नहीं, सरकारी भूमि भी बेच दे और जिसने खरीदा, भूल से वह यदि उस भूमि पर कब्जा करने जाए कि मैंने यह पैसा देकर खरीदा है तो स्थानीय निकाय कब्जा नहीं करने देती, उसको भूखण्ड नहीं मिलता। लेकिन जिसने सरकारी भूमि बेच दी, उसका आज तक कभी कुछ नहीं बिगड़ा।

माननीय सभापति महोदय, सन् 2002 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे राजस्थान में भू-माफिया विरोधी अभियान चालू किया था। जिन जिन शहरों में भू-माफिया थे, लिस्टेड भी हो गये। कौन-कौन सी सरकारी भूमि उन्होंने बेची, उसकी सूची भी बन गई लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी भू-माफिया के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। आज भी भू-माफिया धड़ल्ले से जो जमीन बेचना चाहे, चाहे उसकी है या नहीं है या उसका कोई और मालिक पहले से है, निर्दोष लोगों को बेच रहा है, ऐसे कई सारे प्रकरण पाली पुलिस थाने में दर्ज हैं।

मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इस भू-माफिया पर आप प्रभावी अंकुश लगाओ क्योंकि इसकी चपेट में गरीब या मध्यम वर्ग का व्यक्ति आ रहा है जो अपनी गाढ़ी कमाई उस भूखण्ड में लगा रहा है और जिसके पास इतना पैसा नहीं होता कि हाथों-हाथ मकान बना दे या हाथों-हाथ उसकी चारदीवारी बना दे। चारदीवारी और मकान के लिए 5-10 साल तक पैसा इकट्ठा करता आया है और जब भूखण्ड पर जाता है तो वहां उसको कोई और मालिक नजर आता है। जब पुलिस में जाता है और पुलिस दस्तावेज देखती है तो एक ही प्लाट के दस्तावेज दो-दो, तीन-तीन लोगों के पास मौजूद होते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पाती।

आपस में खरीददार लड़ते हैं लेकिन भू-माफिया मजे करते हैं। मेरा, माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि ऐसे जो भी प्रकरण आये उसमें किस व्यक्ति ने भूखण्ड बेचा है उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करें तब कहीं जाकर इस पर अंकुश लग पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में और विशेष तौर से मैं मेरे पाली शहर की बात कर दूं, क्रिकेट का सट्टा इस कदर बढ़ गया कि जो नौजवान पीढ़ी है वह सारी इसमें लिप्त हो रही है। 15-20-25 साल के मासूम

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बच्चे क्रिकेट के सट्टे में लग जाते हैं। पिछले एक वर्ष में इस क्रिकेट के सट्टे ने पाली शहर के तीन युवाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। 30-40 लाख का सट्टा लगाकर हार गये और जो घर में हालत बनी, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। यह मैं आपको पाली की सच्चाई बता रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से ये जो निजी फाइनेंस कम्पनियां हैं ये भी इस कदर गरीब और मध्यम वर्ग का पैसा हथिया रही हैं और उन पर भी सरकार का कोई अंकुश नहीं है। कम्पनियां आती हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, आपने जैसे कहा, मैं अपने क्षेत्र तक ही सीमित हूं, मैं मेरे क्षेत्र की ही बता रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया कि जो विषय पहले आ चुके हैं, ये जो आप विषय बोल रहे हैं वे आ चुके।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): इन निजी फाइनेंस कम्पनियों की चपेट में मेरे पाली शहर के कम से कम एक हजार से ज्यादा परिवार आये हैं जिन्होंने अच्छे ब्याज या अच्छे बोनस के लालच में अपना कमाया हुआ पैसा उस कम्पनी में जमा करा दिया और कुछ दिनों बाद में देखते हैं कि कम्पनी के कार्यालय में ताला लगा हुआ है, कम्पनी का मालिक भाग गया, आदमी जो काम करने वाले थे वे भी भाग गये। ऐसे मुकदमे भी दर्ज हुए पर उस पर जो प्रभावी कार्यवाही होनी थी वह नहीं हुई। जिन गरीब और मध्यम वर्ग का पैसा गया वे बहुत प्रयास के बावजूद भी उन कम्पनियों से अपना पैसा नहीं ले सके। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, जितनी भी निजी फाइनेंस कम्पनियां हैं, आप सरकार को इस बात के लिए पाबंद करें कि जो निजी फाइनेंस कम्पनियां हैं वे गरीब लोगों से पैसा नहीं वसूलें या बिना लाइसेंस के वे किसी प्रकार की कोई राशि जमा नहीं करे। पुलिस को सारा पता होता है कि कौन-कौन से भू-माफिया हैं, यह पुलिस को पता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं है कि भू-माफिया कौन-कौन हैं। पुलिस को यह भी पता है कि क्रिकेट के बुकी कौन-कौन हैं। यह जानकारी भी पुलिस को है और निजी फाइनेंस कम्पनियां जो पैसा लूट रही हैं इसकी जानकारी भी वहां की स्थानीय पुलिस को है। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती, यह बहुत शर्मनाक बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मेरी अंतिम बात है, सभापति महोदय। यह बाकी जगह भी चल रहा है, पाली में भी चल रहा है, लाशों की राजनीति के दबाव में पुलिस बहुत जल्दी आती है। किसी फैक्टरी में कोई बीमारी से मर गया तो अड़ जायेंगे कि इतना मुआवजा दो तब लाश उठाने देंगे या इसका पोस्टमार्टम करायेंगे या इसका दाह संस्कार करेंगे। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे किस्से हो गये। ऐसे समय में पुलिस उस मालिक को कहती है कि आप ले-देकर मामले को शांत कर दो। निजी चिकित्सालय में कोई मर गया तो लाश लेकर वहीं अड़ गये। पाली में लोढ़ा अस्पताल में हुआ, बीमारी से मर गया, गम्भीर था वो, अड़ गये कि लाश को हम अस्पताल से नहीं ले जायेंगे। चाहे सरकारी अस्पताल में कोई मर गया। तो यह लाश पर जो राजनीति करते हैं उनके दबाव में मेहरबानी करके पुलिस नहीं आये। लगता हो कि वाकई में गलती हुई है तो उसकी जांच करवा दें और जांच में अगर दोषी लगे, चाहे निजी अस्पताल का मालिक लगे, सरकारी डाक्टर लगे या फैक्टरी का मालिक लगे, कोई दिक्कत नहीं है कार्यवाही करने में लेकिन लाश के बहाने यह जो लूट-खसोट हो रही है इसको रोकना बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं अनुशासन तोड़ना नहीं चाहता, बातें मेरी और भी थीं, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पुलिस एवं कारागार पर आज दोनों तरफ से सकारात्मक एवं सुधारात्मक सुझाव आये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिना भूमिका के सीधे-सीधे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं भी इस मांग में अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं।

पुलिस का इकबाल होना चाहिए, आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय होना चाहिए। मगर आज इसके बिलकुल विपरीत हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से 2009 में भारतीय दण्ड संहिता के दर्ज कुल अपराधों में 2007-08 की अपेक्षा 11.89 और 10.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह सरकार मानती है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, यह भी सरकार के आंकड़ों से बिलकुल स्पष्ट है कि 2007-08 की अपेक्षा 2009 में

(श्री केसाराम चौधरी)

20.32 प्रतिशत और 18.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह से कुल अपराधों की संख्या 2007 में 1,48,870 थी वह 2008 में 1,51,174 हो गई और 2009 में भारतीय दंड संहिता के कुल अपराध 1,66,565 हो गये। अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार के जो मुकदमे हुए उसमें एस सी, एस टी के 2007 में 5,284, 2008 में 5,340 और 2009 में 6,168, इस तरह से आपने स्वयं ने माना है कि 2009 में वर्ष 2007-08 की तुलना में अपराधों में वृद्धि हुई है।

माननीय सभापति महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में जो कानून- व्यवस्था है वह दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मैं इसमें मेरे सुझाव देने चाह रहा हूं कि पुलिस में कानून एवं व्यवस्था अलग हो तथा अन्वेषण से न्यायालय तक अलग शाखा हो। गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि गवाह बेझिझक होकर के अपनी गवाही दे सके। जो डराने और धमकाने की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि गवाह सही बयान दे सके।

माननीय सभापति महोदय, अपराध बढ़ रहे हैं। उसके अनुपात में पुलिस की नफरी नहीं बढ़ाई तो आने वाले समय में अपराधों की संख्या और बढ़ती जायेगी। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि जो होम गार्ड में लगे हुए व्यक्ति हैं उनको इस पुलिस शाखा के साथ जोड़ना चाहिए ताकि उनको भी अपने जीवन-यापन के लिए पूर्ण पैसा मिल सके। वे सरकार के इस काम में सहयोगी बन सकते हैं।

आज अपराधियों के पास अत्याधुनिक साधन हैं और हमारी पुलिस के पास वो ही खटारा जीपें हैं। आज अपराध इस तरह से आधुनिक तम हो रहे हैं जिसकी तुलना में हमारी पुलिस के पास साधन नहीं है। सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए।

इस राज में हमारे यहां सोजत की विधायिक बहन संजना आगरी की बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। जब एम एल ए की सुरक्षा नहीं है तो दूसरों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? इसके बारे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पाली जिले के पीपलिया गांव के पुष्पेन्द्र मेवाड़ा की पुत्री आरती मेवाड़ा की शादी 18.4.2008 को नरेन्द्र कुमार पुत्र रतन लाल निवासी उदयपुर देबारी के साथ हुई थी। उसके पिता ने अपनी बच्ची की शादी बड़े धूमधाम से की और जितना दहेज बन पड़ा उतना दिया

(श्री केसाराम चौधरी)

था। पिछले 8 माह से वह बच्ची अपने पीहर में आकर के रह रही थी मगर उसकी दादी सास का निधन हो जाने से समाज के लोगों की समझाइश पर आरती को 5.3.2010 को पुन: ससुराल भेजा। समाज के लोगों ने जिम्मेदारी ली कि तुम्हारी बच्ची के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होगी और इसकी दादी-सास की मृत्यु हो गई है इसलिए इसको वापस भेजना जरूरी है। जिस बच्ची को पुन: 5.3.2010 को उदयपुर भेजा, दिनांक 8.3.2010 को उस आरती ने पीहर में फोन लगाकर, 8 बजकर 13 मिनट पर जिसका नम्बर 02937-287265 है, पर मां को फोन किया और सारा हाल बताया। मां को बताया कि मां, मेरी यहां पर मृत्यु हो जायेगी। ससुराल वाले मेरे को मारने पर उतारू हैं। इस पर मां ने कहा कि तू तेरे पापा से बात कर। उस आरती ने 8.17 पी.एम. पर पिता को दिल्ली टेलीफोन लगाकर बात की और अंत में 8.20 पी.एम. पर घर पर मां के पास पुन: फोन आया और उसने कहा कि मुझे घसीटकर ले जा रहे हैं और ये ससुराल वाले मुझे मार देंगे। उसके बाद उसका फोन कट गया और सुबह उसके पिता जो पुष्पेन्द्र मेवाड़ा दिल्ली में थे, उनके पास उदयपुर से श्यामजी नाम के व्यक्ति का टेलीफोन आया कि आपकी बच्ची को जलाकर मार दिया है। माननीय सभापति महोदय, एक महिला के साथ इस तरह से अत्याचार उदयपुर में हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसकी जांच सी.आई.डी. सी.बी. से कराई जाये ताकि न्याय हो सके।

इसी तरह से मेरे सिरियारी थाने में सी.आर. नम्बर 2709 दिनांक 27.2.2010 का एक मुकदमा गंगाबाई पत्नी श्री केसाराम की हत्या के संबंध में हुआ था। उसका रात में घर में सोते हुए का अज्ञात लोगों ने मर्डर कर दिया। पहले भी इस बात को मैंने उठाया था तो गत विधान सभा सत्र में एक टीम गठित कर इसकी जांच करके जल्दी से जल्दी पता लगाने बात कही थी लेकिन आज दिन तक उसका राज नहीं खुला। मैं चाहता हूं कि इसका राज खुलना चाहिए।

इसी तरह से पी.एस. सिरियारी में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की दो-तीन घटनाएं हैं, मैं बता रहा हूं...

श्री सभापति: वह तो पूर्व में बता चुके हैं आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं दूसरी बता रहा हूं। पी.एस.

(श्री केसाराम चौधरी)

सिरेरी, सी.आर. नम्बर 4/2010 एस.सी. के शंकर लाल की रहस्यमय मृत्यु हुई और 279/304-ए, आई.पी.सी. में दर्ज प्रकरण किया गया मगर उसका राज नहीं खुला है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सी.आई.डी. सी.बी. से एक गरीब, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मृत्यु का राज साफ हो सके। इसलिए इसकी जांच चेंज की जाये।

पी.एस. सिरेयारी के सी.आर. नम्बर 30/2010 दिनांक 11.3.2010 को दर्ज हुआ। रात के अंधेरे में रसोई का वेंटिलेटर तोड़कर घर में एक आदमी घुस गया और औरत की कंठी तोड़कर, उसके चिल्लाने से वह मुलजिम पकड़ा गया, नहीं तो इस औरत की भी मृत्यु हो सकती थी।

इसी तरह से खिंवाड़ा थाने में एक नाबालिग बच्ची पूरण कंवर को शादी की नीयत से पूर्ण सिंह पुत्र डूंगर सिंह निवासी खटूकड़ा थाना रेलमगरा मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया। पांच व्यक्तियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। उस लड़की को बरामद करके तो ले आये मगर जो व्यक्ति मुलजिम थे, उन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया और केवल वहां की एक लेडी और एक जीप चालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, सी.आर. 20/दुर्गादेवी व पेमाराम निवासी खिंवाड़ा की नाबालिग पुत्री को भगाकर ले गये। उसकी भी नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, उसको भी आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया। केवल एक चारण और एक गाड़ी को सीज किया गया मगर आज दिन तक उसका पता नहीं लगा है।

इसी तरह से मारवाड़ जंक्शन में सी.आर. नम्बर 195 अण्डर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा, नहीं होगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): केसाराम जी, केसेज से कोई मतलब नहीं है। एक-एक केसेज के डिस्कशन में तो बहुत टाइम लगेगा। आपके क्षेत्र की कोई विशेष समस्या हो तो बताओ। केसेज में तो बहुत लम्बा समय लगता है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग की मांग संख्या 16 और 17 पर आपके माध्यम से अपने कुछ सुझाव अपने क्षेत्र के संबंध में देना चाहूंगी। जैसा आपने बताया कि अपने क्षेत्र के संबंध में ही कहें तो मैं आपकी आज्ञा का अक्षरश: पालन करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर शहरी क्षेत्र में क्रिश्चियनगंज थाना जो कि अजमेर शहर का सबसे बड़ा थाना है, कई बार गृह विभाग को मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया और हमारे माननीय एस.पी. साहब ने यहां पत्र-व्यवहार करके इस बात को कहा है कि क्रिश्चियनगंज थाना की सीमा को तार्किक किया जाये। शहर का सबसे बड़ा थाना होने के कारण से और थाना माकड़वाली रोड पर स्थित होने के कारण से क्रिश्चियनगंज थाना के अन्तर्गत जितना भी क्षेत्र आता है, वहां चोरी, लूट और डकैती, चैन-स्नेचिंग की घटनाएं सबसे ज्यादा घटित होती हैं इसलिए मेरा एक सुझाव है। मैं सिर्फ अपने सुझाव देना चाहूंगी। मेरा अन्य सुझाव है कि अजमेर का दूसरा थाना जो गंज थाना कहलाता है, उस गंज थाने की आनासागर पुलिस चौकी जो फाइसागर रोड पर स्थित है, यदि उस चौकी को उसमें गंज थाने में मिला दिया जाये, क्रिश्चियनगंज थाने से हटाकर के तो अपराधों की संख्या भी घटेगी और पुलिस अपराधी तक पहुंच सकेगी। इसको शामिल करने से गंज थाना क्षेत्र में और दरगाह थाना क्षेत्र में जो अपराध होते हैं, उन अपराधों पर भी कुछ अंकुश लगा पायेंगे क्योंकि जैसे ही थाना क्षेत्र में कोई अपराध घटित होता है, दरगाह की जो नई बाई-पास रोड है, उस पर कोई भी अपराध घटित होता है तो जैसे ही पुलिस के कर्मचारी वहां तक पहुंचते हैं, उतनी ही देर में वे सारे के सारे अपराधी उस थाना क्षेत्र से निकलकर दरगाह थाना क्षेत्र में या गंज थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इस तरह पुलिस की पहुंच में नहींहोने के कारण वे नहीं पकड़ पाते हैं और अन्दर की तंग गलियों में, दरगाह की तंग गलियों में कहीं न कहीं छिप जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस क्रिश्चियनगंज थाने में जो जितने अपराध बढ़ रहे हैं, अजमेर में सबसे ज्यादा अपराध यदि दर्ज होते हैं तो इस क्रिश्चियनगंज थाने में दर्ज होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस आनासागर की पुलिस चौकी को गंज थाना क्षेत्र में शामिल कर दिया जाये।

दूसरा मेरा निवेदन है, अजमेर में जो राजकीय संग्रहालय है, जो पुरातत्व विभाग की एक बहुमूल्य धरोहर है, उस धरोहर में सी.आई.डी. का

(श्रीमती अनिता भदेल)

कार्यालय संचालित है और बहुत लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है कि उस सी.आई.डी. के कार्यालय को वहां से स्थानान्तरित किया जाये। पिछली बार इस सी.आई.डी के कार्यालय को वहां से स्थानान्तरित करने के लिए स्वीकृति भी मिली और 30 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार की ओर से दी गई लेकिन जैसे ही काम प्रारम्भ हुआ तो उस जमीन के नीचे एक बावड़ी थी, इस कारण से बहुत सारा पानी वहां निकल गया और जो लागत थी उस कार्यालय को बनाने की, भवन बनाने की, वह लागत दुगनी हो गई जिसके कारण से निविदादाता ने काम प्रारम्भ नहीं किया। तो जो एक साल पूर्व हमने राशि स्वीकृत की थी, उस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस राशि का उपयोग हो, इसके लिए अतिरिक्त जो राशि हमें जितनी भी देनी चाहिए, उसको देकर के उस कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि सितम्बर-अक्टूबर, 2009 में ब्यावर क्षेत्र में एक शराब की दुखांतिका हुई थी। 6-7 लोग उसमें मारे गये थे और संभागीय आयुक्त महोदय से उसकी जांच करवाई गई थी। इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह सरकार पर लग रहा है। माननीय सभापति महोदय, जांच में संभागीय आयुक्त महोदय ने जिन-जिन अधिकारियों को दोषी पाया, वे अधिकारी जांच में किसी न किसी तरह से बच गये और अपना पूरा जाल बिछाने का काम कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से इसमें से बरी हो जायें तो मेरा एक निवेदन है कि अजमेर अवैध शराब को लाने-ले जाने का एक पाइंट बना हुआ है। हर दूसरे-तीसरे दिन अवैध शराब की बहुत सारी पेटियां और ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं। ब्यावर-मेवाड़ जितना भी क्षेत्र है, वहां पर कच्ची शराब बनाने का धंधा बहुत जोर-शोर पर है और उसी के कारण से इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो संभागीय आयुक्त महोदय की रिपोर्ट आई है, कम से कम उस रिपोर्ट को आप अक्षरश: लागू करा दें। जो दोषी अधिकारी हैं, वे दंडित हो जाये तो आगे भविष्य में इस तरह की लापरवाही अधिकारी स्तर पर नहीं होगी और अधिकारी सचेत रहकर इस कच्ची शराब को बनाने की जितनी भट्टियां हैं, उनको समाप्त कर पायेंगे।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि रामगंज थाना क्षेत्र में, यह क्षेत्र ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, जहां अधिकतर एस.सी., एस.टी. के लोग रहते हैं और ऐसे परिवार रहते हैं जो कच्ची शराब बनाने का काम करते हैं। तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

इस थाना क्षेत्र में आये दिन झगड़े होते हैं आम जनता और पुलिस के बीच में। कई बार पुलिस के बारे में यह कहा जाता है कि पुलिस ऐसे लोगों से अवैध वसूली करती है कि आप अपना काम करते रहो और हमें तो पैसे देते रहो। हमें कोई लेना-देना नहीं है। आप कच्ची शराब बनाओ, बेचो, कुछ भी करो, हमें कुछ लेना-देना नहीं है। तो मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्री महोदय से कि ऐसे थाने जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं वहां ईमानदार अफसर को नियुक्त किया जाय और यह नियमित रूप से जांच की जाय कि कितनी कच्ची शराब की भट्टियां वहां हैं और उनको समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र से संबंधित ही पाइंट बता रही हूं, बस समाप्त कर रही हूं, एक बात और रह गई। मैं इतना ही कह रही हूं कि वहां, मैंने पिन पाइंट भी किया है, इसको लिखा है मैंने कि रोजमेल मार्ग पर आम व्यक्ति भी देख सकते हैं कच्ची शराब अवैध रूप से बिकती हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस मार्ग पर जो कच्ची शराब बिकती है उसको समाप्त किया जाय।

एक निवेदन और करना चाहूंगी होमगार्ड के बारे में, होमगार्ड को कम से कम वर्ष में। दस माह काम मिले क्योंकि उनका मासिक जो भत्ता है वह बहुत कम है और बहुत गरीब वर्ग के लोग जिनको काम नहीं मिलता वे यहां पर आते हैं। तो इसलिए निवेदन है कि होम गार्ड के बारे में जब आप अपना उत्तर दें तो उसके बारे में जरूर कुछ करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास। आप तो जोधपुर की ही हो और..(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आप सही कह रहे हैं। मैं बोलना इसलिए आवश्यक समझ रही हूं कि मैं भी एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं..(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट बोलने दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): दीदी, एक मिनट। मैं यह चाहूंगा कि सीनियर मेम्बर्स नहीं बोलें। अब रात के साढ़े ग्यारह हो गये हैं, अब ये काफी बोलते रहते हैं। कोई और जो जूनियर मेम्बर्स हैं, पहली बार बोल रहे हैं उनको चांस देओ न आप।

श्री सभापति: यह आप तय कर लो। उप नेता महोदय के साथ बैठ करके आप तय कर लो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आयी हूं, जोधपुर में सूरसागर क्षेत्र है और जोधपुर क्षेत्र ऐसा है जहां हर औरत कितने तोले के जेवर वगैरह पहन कर घूमती भी तो भी उनको कोई भय नहीं रहता था। अब जमाना कुछ बदल गया है और ऐसी व्यवस्था हो गयी है कि आये दिन इस सूरसागर क्षेत्र के अन्दर इतनी चोरियां हो रही है उसका मैं एक-एक वर्णन करूं तब तो टाइम लग जायेगा मगर मैं संक्षेप में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगी।

हाल ही में 6 मार्च को एक ही रात में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की शोभावतों की ढाणी के अन्दर भीतर रात में एक घंटे के चार वारदातें हुईं, एक घंटे में चार वारदात हुईं और आज तक उसका कोई भी पता नहीं। माननीय सभापति महोदय, और भी मैं बताऊं, इसी गिरोह ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में एक ही रात में सोती हुई महिला के गले से जेवर चुरा लिये। उसका भी कोई पता नहीं। मतलब जितनी बात कहूं उतनी कम है, इतनी इस तरीके से चोरियां हो रही हैं। माननीय, 18 फरवरी को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में 16 सेक्टर में एक शादी के लिए गये थे, दो घंटे के अन्दर सारा मकान साफ कर दिया। यह तो वहां क्षेत्र का हाल है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से आखलिया चौराहा जहां पर कि एक पैट्रोल पम्प है, वहां कोई महिला और एक बच्ची खड़ी थी, उनका बैग चुरा कर ले गये। आज तक कोई पता नहीं। इसी तरीके से ऐसी कई वारदातें हैं। माननीय, शास्त्री नगर थाने के पास एक सिंधी व्यापारी संदिग्ध परिस्थितियों में गाड़ी सहित मृत पाया गया। उसको पुलिस जल्दबाजी में आत्महत्या सिद्ध मान लिया, वह मर गया था और उसकी आत्महत्या का एक हवाला दे दिया।

इसी तरीके से ऐसी कई वारदातें हुई हैं, मैं अगर एक-एक का वर्णन करूं, मेरे पास सारे अख़बार की कटिंग्स हैं मगर मैं ज्यादा नहीं कह कर चूंकि हमारे उप नेता का भी आदेश है, आपका भी है, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र के अन्दर, सूरसागर क्षेत्र के अन्दर प्रताप नगर थाना है, सूरसागर थाना है और हाउसिंग बोर्ड थाना है। हाउसिंग बोर्ड थाने की यह स्थिति है कि वह चारों तरफ करीब दस-पन्द्रह किलोमीटर में फैला हुआ है, दस किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां नफरी उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि उस थाने को

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ए, बी में कर दें, दो थाने बना दें तो उसमें वारदातें भी कम होंगी। एक दूसरी बात और भी है, अपन ने पुलिस के बारे में कितनी भी बात की, इधर से की, उधर से की मगर मैं यह कहना चाहूंगी कि आप अगर इनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो सबसे पहली तो बात है कि इनको व्हीकल की अच्छी व्यवस्था करो ताकि ये हर जगह जा सकें क्योंकि जोधपुर शहर एक ऐसा है जहां पर जुलूस वगैरह आये दिन कुछ न कुछ होता रहता है। वहां पर पुलिस की अव्यवस्था हो जाये तो भी हम लोग चिल्लायेंगे, हम ही कहने वाले हैं। तो मैं यह चाहूंगी कि इनकी व्यवस्था करने के लिए इनको व्हीकल दें और नफरी दें। जिस तरीके से जोधपुर, जयपुर से दूसरा नम्बर जोधपुर है, मगर जयपुर के बराबर जोधपुर को अभी तक भी नफरी वगैरह कुछ भी नहीं है, जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है...

श्री सभापति: तो कमिश्नर प्रणाली लागू हो रही है आपके यहां। कमिश्नर प्रणाली लागू हो रही है आपके यहां तो। आप क्यों चिंतित हो रही हो?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, जब होगी तब देखा जायेगा साहब। बात तो अभी की है, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा, वह होगा तब देखा जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप यहां जयपुर के बराबर, मैं चाहूंगी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, दोनों आंख से बराबर देखें, जयपुर में सौ हो तो जोधपुर में कम से कम पचास तो हो, इतनी तो व्यवस्था करें। अगर कोई भी थाने के अन्दर आप चले जायें, नफरी नहीं के बराबर है। फिर भी हम कह देते हैं। भई, पुलिस की व्यवस्था नहीं है। मैं यह मानने को कतई भी तैयार नहीं हूं। मैंने पुराना जमाना देखा हुआ है, अभी माननीय सदस्य हैं नहीं, जिस माननीय सदस्य ने यह कहा था कि डीजीपी साहब वगैरह गश्त करते हैं। यह तो बहुत पुरानी परम्परा है, गश्त करना कोई मामूली बात नहीं है, गश्त तो करनी ही चाहिए, अगर गश्त नहीं करेंगे तो अपराध कैसे कम होंगे? गश्त तो करनी ही चाहिए। मैं उस जमाने की भी बात करूंगी, उन लोगों को भी याद करूंगी, बख्तावर सिंहजी जैसे आई जी पी थे, बलदेवरामजी जैसे थे, इशहाक हुसैनजी जैसे थे, वे रात को गश्त करते और वर्दी पहन कर गश्त करते थे और एक लवाजमे के साथ सारे जोधपुर शहर में घूमते थे। मैंने वह जमाना भी देखा हुआ है। मैं यह कहूंगी कि गश्त तो करनी अति आवश्यक है। पुलिस कांस्टेबल

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

वगैरह को जो भी आप भत्ता दे रहे हैं, मेरे को जैसी जानकारी मिली है कि आठ सौ-साढ़े आठ सौ रुपये मैस भत्ता दे रहे हैं। आठ सौ-साढ़े आठ सौ रुपये में पेट भरता है क्या एक महीने के अन्दर? मैं यह चाहूंगी, आप इस भत्ते के एक व्यक्ति को कम से कम पच्चीस सौ रुपये दें तब उसका पेट भर पायेगा। मेरी यह मांग है आपसे।

मैं बहुत कुछ नोट करके लाई थी, मगर अब समय भी ऐसा दिया है कि मेरे को कुछ बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। हां, मैं आपको राइटिंग में सारा लिख कर दूंगी, पर आपको, सभापति महोदय, मैं बताऊं कि मेरे को जितना पुलिस का अनुभव है, मेरे ख्याल से किसी ...

श्री सभापति: 18 सदस्य और बोलेंगे अभी। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मगर मैं यह चाहूंगी..(व्यवधान) अब समय नहीं रहा है मेरे को, आपके कहने से नहीं, मेरे को सभापतिजी घंटी बजा देते हैं फिर मैं बोलती नहीं हूं। मैं आप सब लोगों को, सभापतिजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सूरज भानजी धानका ।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): कम से कम बोलने का टाइम तो मुझे भी दिया करो, सिर्फ आशीर्वाद तो बहुत दिया करते हैं आप जैसे।

माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मांग संख्या 16 और 17 पर अपने विश्लेषणात्मक सुझाव पेश करूंगा। (व्यवधान) विश्लेषण भी होगा साहब, नहीं तो फिर टाइम तो देना पड़ेगा। कभी-कभी बोलते हैं तो बोलने का टाइम दिया जाय।

हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे परिवार के हैं, तो हम उनका यही दोषारोपण नहीं करें कि ये भ्रष्ट हैं, हमारी कार्य प्रणाली में भी बदलाव लायें। जिस प्रकार से हमारे हिन्दू धर्म में जन्मने के बाद पंडित नामकरण संस्कार से लेकर मरने तक चाहिए उसी प्रकार से आज पुलिस की इतनी महती आवश्यकता है। जैसे बार्डर पर आर्मी सुरक्षा करती है तो आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की अति विशेष भूमिका है। (व्यवधान) साहब, डोंट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मत करो। आपके उसमें हम कभी बोलते हैं तो बताइये। हमारे में भी आप ध्यान से सुनिये।

(श्री सूरजभान धानका)

चाहे कोई जुलूस निकलता हो, चाहे जाम लगता हो, चाहे कोई फंक्शन मंत्री के हों, कहीं मेले हों, सब जगह पुलिस की जरूरत पड़ती है। जबकि हमारी नफरी बहुत कम है। हमारी पुलिस का मनोबल ऊंचा रहे उसके लिए हमें उनके वेलफेयर के बारे में देखना पड़ेगा। उनको समय पर छुटि्टयां मिले....

क्वाटर्स मिलें, अच्छे मैस भत्ते की व्यवस्था हो। एक सिपाही का बाप मरने को बैठा है और यहां चुनाव हो रहे हैं और उसकी लगा दी ड्यूटी तो बताओ चिंतन में रहेगा या वह आपकी ड्युटियां देगा? इसलिए उसकी समस्याओं को देखते हुए उसके वेल्फेयर का ध्यान रखें।

नफरी जो पहले थाने थे उसके मुकाबले जनसंख्या बढ़ती गई, जिस प्रकार से रोड फोर लेन से सिक्स लेन में हो रही हैं लेकिन हमारी पुलिस की नफरी वही है। मैं आपको बताऊं राजगढ़ में स्टेट हाइवे निकल गया, रोज एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं लेकिन पुलिस की नफरी इतनी ही है। कई गांवों में दंगे होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए। एक्युमेंट के बारे में, हमारे पास वहीं राइफल है थ्री नोड थ्री, वहीं पुरानी खटारा गाड़ियां हैं जबकि आजकल जो उग्रवादी डकैत हैं, उनके पास नए इक्विपमेंट हैं एके-47 राइफल है और दूसरी 7.62 एमएम आदि हैं। हमारे पास वहीं थ्री नोड थ्री जिसका बार-बार गोड टेक्शन करना पड़ता है, गाड़ियां खटारा हैं, उनके पास गाड़ी इतनी तेजतर्रार होती हैं कि तुरन्त 160-170 की स्पीड से निकल जाती हैं, हमारी धक्का दे-दे के वहीं घुमती रहती हैं।

दूसरा हौसला अफजाई के लिए या कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए अच्छे काम करने वालों को गेलेन्ट्री अवार्ड दिया जाए और जो भ्रष्टाचार या निकम्मापन करते हैं तो उनको सज़ा दें। एक तो जो अच्छा काम करता है वह तो घर जाए शाम को सब्जी भी नहीं लेकर जाए और जो भ्रष्ट तरीके से काम कर जाता है उसके छोकण लगता है। तो उसको भी उसके अनुसार रहना पड़ता है। उसको पागल कहेंगे कि यह पागल है।

हमारा खुफिया तंत्र मजबूत हो ताकि घटना होने से पहले हमें जानकारी मिले या घटना होने के बाद उनको खुलासा करने में मदद मिले।

राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें कम हो। राजनेताओं का धर्म होना चाहिए कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष मारा न जाए। यहां रहकर भी अगर पक्षपात करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं आएगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहूंगा..

(श्री सूरजभान धानका)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, अगर जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, वह कहते हैं पांच-सात चोरी और हो जाने दो। तब तक उस फसल का सत्यानाश हो जाएगा और उस किसान का क्या होगा? इसलिए बिजली के बारे में चोरी होती है तो जल्दी से एक्शन लें। धन्यवाद देते हुए जेल प्रहरी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जेल प्रहरियों की संख्या बढ़ाये, उनके वेतन भत्ते बढ़ाये। दूसरा, हालात के कारण कैदी बनते हैं, कोई कैदी जन्मजात मुजरिम नहीं होता है। उसका कुछ साल आधा या थ्री-फोर्थ टाइम निकल जाता है और वह आदमी काम करने के बाद पश्चाताप करता है तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर बोर्ड बैठा कर, अब मेरे राजगढ़ का है 72 साल का कैदी है जबकि वह ससुराल गया था वहां कैद हो गया। हमारे जेल मंत्रीजी को पता है कि वह निर्दोष है लेकिन हमारा कानून अंधा है, उसने उसको सज़ा दी। तो ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया जाए उनकी चालचलन की रिपोर्ट लेकर।

पुन: धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको आपके माध्यम से उसमें शामिल करते हुए कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की कि किस प्रकार से हमारा पुलिस तंत्र मजबूत किया जाए? किस प्रकार से अपराधों पर रोक लगाई जाए और इन अपराधों की संख्या कम की जाए? माननीय सभापति महोदय, मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि आपने क्षेत्र के बारे में बात कहनी है।

माननीय गृह मंत्रीजी बहुत ही टेलैंटेड और विद्वान आदमी हैं। पुलिस कितनी संवेदनशील हैं? विवाद के संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में माननीय गृह मंत्रीजी काचौला थाने के एएसआई का मर्डर हुआ, मुकदमा 83/09 दर्ज हुआ, अण्डर सेक्शन 302, 120 बी आज दिनांक 24.11 को यह मर्डर हुआ। तीन महीने के बाद भी आप मुलजिम को पकड़ नहीं पाये हैं। जबकि बाईनेम मुलजिम का मुकदमा दर्ज हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से बदनौर के सब-इंस्पेक्टर श्री रामपाल मीणा जिनका ट्रांसफर काछौला में किया गया, 24.10.09 को सुबह कुए में किस प्रकार से मरे? अब तो यह संवेदनशील पुलिस ही बता सकती है

(श्री शिवजीराम मीणा)

कि उनका मर्डर हुआ था। वह सुबह ड्यूटी जोइन करने वाले थे, 23 तारीख की नाइट को जयपुर से रवाना हुए, गुलाबपुरा में उनको पुलिस की गाड़ी लेने के लिए आई और सुबह जब उनका पता नहीं लगा, काछौला में उन्होंने जोइन नहीं किया तो तीन बजे पता लगा कि उनकी डैड बाडी थाने के पास में जो सूखा कुआ था उसमें पड़ी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने और हमारे वन राज्य मंत्रीजी ने, पंचायती राज मंत्रीजी ने हमारे ज़िले में नरेगा जो वास्तव में बहुत अच्छी योजना है, उसका सामाजिक अंकेक्षण कराने की पहल की, वहां भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि हमारे यहां जहाजपुर थाने में मुकदमा नम्बर 214/09 अण्डर सेक्शन 408 आई पी सी दर्ज हुआ। गृह मंत्री महोदय, यह मुकदमा दर्ज कराया बी.डी.ओ. ने, आपकी पुलिस द्वारा अदमवकू झूठा पाया गया और इसमें एफआर लगा दी। माननीय सभापति महोदय, दूसरा मुकदमा दर्ज किया 231/09 अन्तर्गत सेक्शन 409 । आपके यहां से। चिट्ठी गई, आप कहो तो मैं पढ़कर के बता दूं, डिप्टी सेक्रेटरी साहब के यहां से इसमें लिखा उन्होंने ''उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त अभ्यावेदन में श्री बद्रीलाल, एडवोकेट निवासी ग्राम पंचायत रावत खेड़ा पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रावत खेड़ा द्वारा नरेगा अन्तर्गत फर्जी उपस्थिति दर्ज कर भुगतान उठाए जाने के संबंध में आप द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट जिसमें संविदा पर नियोजित ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त करते हुए सेवा से पृथक करना एवं ग्राम सेवक ग्राम पंचायत रावत खेड़ा के विरुद्व 17 सी सी ए के तहत नोटिस जारी कर विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा कार्यवाही किया जाना वर्णित है। प्रकरण में राज्य स्तर पर यह निर्णीत किया गया है कि दोषी पाए गए ग्राम सचिव को अविलम्ब निलम्बित करते हुए सरपंच के विरुद्ध सरकारी राशि के गबन के लिए आरोप पत्र एवं सचिव एवं सरपंच के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर के विस्तृत जांच करवाई जाए। प्रकरण में उक्त निर्देशानुसार की गई कार्यवाही की प्रगति से विभाग को दिनांक 29.7.09 को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।'' माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो इनका मुकदमा दर्ज नहीं करवाया और मुकदमा दर्ज किया तो अदमवकू झूठा मानकर के पुलिस ने एफआर लगा दी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी

(श्री शिवजीराम मीणा)

से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अदमवकू झूठा है तो आपको 182 में कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। अब आप किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकेंगे, यह मेरे समझ से परे की बात है।

माननीय सभापति महोदय, कलक्टर के निर्देश पर 16 दिसम्बर को गंदेर ग्राम पंचायत में जे सी बी का उपयोग किया गया। जहाजपुर एस डी ओ साहब ने एफ आई आर लिखकर के भिजवाई, आज दिन तक आपके थाने में उन्होंने दर्ज नहीं किया और आज भी वह परिवाद के रूप में पेंडिंग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने मुझे मेरे एरिये के बारे में बताने के लिए कहा है। माननीय गृह मंत्रीजी, आपके पंडेर के एस एच ओ साहब कहते हैं कि आई पी सी के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नरेगा में जे सी बी से काम किया जाए और उसकी एफ आई आर दर्ज करायी जाए, उसका आई पी सी में कोई प्रावधान ही नहीं है। कलक्टर निर्देश दे रही हैं कि आप इसकी एफ आई आर दर्ज कराइये। एस एच ओ, पंडेर ने आज भी परिवाद के रूप में इसको पेंडिंग कर रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने यह कहा था कि हम सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण देंगे, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। मेरे क्षेत्र में जहाजपुर की सी एच सी में डॉक्टर के साथ में मारपीट की गई जिसका मुकदमा नंबर 35/9 दर्ज हुआ अंडर सैक्शन 186, 332, 353 और 3 पी डी बी में माननीय गृह मंत्री महोदय, साल भर होने के बाद भी आज दिन तक उनका चालान नहीं कर रहे हैं। चूंकि वे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इसलिए आप चालान नहीं करना चाह रहे हो। आपने फाइल ट्रांसफर कर दी, जांच के लिए सी आई डी (सी बी) में उसको भिजवा दिया गया है। आप किस प्रकार से संरक्षण करेंगे सरकारी कर्मचारियों का?

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर थाने का मुकदमा नंबर 239/8, झूंठा शपथ-पत्र देकर आपके पार्षद ने पट्टा प्राप्त किया। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप 182 की कार्यवाही कराइये न आपकी सरकार से । आपके आरएएस अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है, आपके ई.ओ. ने मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर आप संवेदनशील हैं, बिलकुल

(श्री शिवजीराम मीणा)

जवाबदेह सरकार है आपकी तो ये जो अपराध हुआ है, सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया है इसमें चालान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): नहीं तो आप क्यों कर रहे हो, फिर यों हाथ क्यों जोड़ रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करें अब।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन आपके पास यह संख्या पहले ही आ जाती है...

श्री सभापति: अब एफ आई आर आपने लाज करा दी, वह तो चलता रहता है प्रकरण, आप जानते हो।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): आप पहले ही सबको समान समय दें तो कम से कम इस तरह की समस्या नहीं आये।

श्री सभापति: एफ आई आर एक-एक थाने की अगर आप यों करने लग जाएंगे तो बहुत लम्बा समय लग जाएगा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): थाने की नहीं है। सभापति महोदय, ये तो वे हैं जिनमें सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया। कितनी संवेदनशील है यह सरकार?

श्री सभापति: सम अप करें अब।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, माननीय गृह मंत्री महोदय, सभापतिजी के माध्यम से कि ये जो प्रकरण है, सरकार बहुत गम्भीर है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है लेकिन नरेगा में जो प्रकरण पंडेर थाने के एस एच ओ ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है आज भी उसको परिवाद के रूप में रख रखा है और यह कहता है कि आई पी सी में इसका कोई प्रावधान नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भ्रष्टाचार को रोकिये और संबंधित थाने को निर्देश दीजिये, उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये और यदि गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप 182 की कार्यवाही कीजिये।

सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलालजी बैरवा । (अनुपस्थित) श्री जगसीरामजी कोली।

श्री जगसीराम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 पर जो चर्चा हो रही है, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है लेकिन, सभापति महोदय, इस एक साल के कार्यकाल में मेरे क्षेत्र में जनता थानों के अन्दर जब जाती है, साधारण परिवार के लोग जो जाते हैं पीड़ा को लेकर तो सीधी-सीधी उनकी सुनवाई नहीं होती है और दलालों के माध्यम से जब थानों के अन्दर जाते हैं तो उनकी कार्यवाही की जाती है।

मैं सारी बातों को न बताते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में आबू रोड के अन्दर और करके गांव है उसके अन्दर मूर्ति चोरी हुई है। उसमें प्राचीन मंदिर गणेश जी का मंदिर है और विट्ठल भगवान का मंदिर है और गणेश जी की मूर्ति 2004 में जो चोरी हुई है आज तक उसकी कोई किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

आबू रोड क्षेत्र के अन्दर रेलवे स्टेशन, पर्यटक स्थल आबू पर्वत और आबू रोड अंबाजी को देखते हुए चारों तरफ से वहां आवागमन रहता है, आये दिन वहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाए। होम गार्ड के भरोसे जो वहां की व्यवस्था चलायी जा रही है। तो मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर आबू रोड शहर की अच्छी व्यवस्था करायी जाए।

आबू रोड रीको के अन्दर दिन प्रतिदिन वारदातें होती रहती हैं तो वहां पर आबू रोड गांधीनगर क्षेत्र के अन्दर एक पुलिस चौकी की आवश्यकता है। आबू रोड सदर जो है वहां पर थाने के अन्दर लगभग पैंसठ गांव आते हैं और वे पैंसठ गांव पूरे ट्राइबल क्षेत्र हैं। अत: वहां पर जाम्बूडियामिन पर भी पुलिस चौकी की आवश्यकता है तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां पर विशेष तौर से आवश्यकता है वहां पर पुलिस चौकी खोली जायें।

मैं एक सिरोही जिले की घटना के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि जमुना कुमारी थामरारामजी गरासिया है निवासी रायदरा फली लोटाना है और पुलिस हलका है स्वरूपगंज, तहसील पिंडवाड़ा, घटना 6-12-08 की है और विधवा मां की वह पुत्री है। वह वहां जंगल में लकड़ी लेने गयी थी तो उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद में उसको फांसी लगाकर जंगल में लटकाया गया। उस विधवा की बच्ची के बारे में आज तक किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बच्ची के

(श्री जगसीराम)

बारे में और इस मां की व्यवस्था के लिए आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो सरकार दिखवाये कि रेवदर क्षेत्र के अन्दर मैंने सरकार से मांग की है कि रायपुर और भडभ, लगभग तीस-चालीस किलोमीटर की दूरी तक ट्राइबल एरिया है और इंटीरियर है और वहां पर पुलिस चौकी की जो आवश्यकता है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि वहां पर पुलिस चौकी खोली जाए। मैं चाहता हूं कि ये जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि एक साल भर में शराब के कई ट्रक रेवदर में पकड़े गये लेकिन उन तस्करों के नाम तक नहीं पहुंचे। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो जो आबू रोड मावज और मंडार चौकी वहां पर, यह गुजरात बार्डर पड़ता है, हर तरह की तस्करी वहां पर होती है, शराब की, गौ तस्करी और उसके बाद में स्प्रीट की तस्करी। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि इन चौकियों पर आप नियंत्रण करें ताकि वहां की पुलिस व्यवस्था सही तरीके से रहे।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की जो व्यवस्था है, आबू पर्वत वाली जो है, वहां पर पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए आबू रोड शहर क्षेत्र के लिए आप पुख्ता व्यवस्था करवायें। मैंने सरकार से, गृह मंत्रीजी से निवेदन किया है कि जो यह तस्करी है उसको रोकें ताकि वहां व्यवस्था सुनिश्चित रहे।

मुझे काफी कुछ कहना था लेकिन समय के अभाव में यही तक सीमित रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कृष्णेन्द्र कौर। (अनुपस्थित) श्री हनुमान जी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस व मांग संख्या 17 कारागृह की चर्चा पर बोलने की आपने मुझे अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आज दोपहर से ही सदन के अन्दर करीब 55-60 वक्ताओं ने, माननीय विधायकों ने राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो,

इसके लिये अपने सुझाव, और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगडती हुई स्थिति के बारे में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया। और तो और, पहली बार देखने का मौका मिला कि सत्ता पक्ष के भी लगभग एक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दर्जन विधायक इस कानून-व्यवस्था से दुःखी नजर आये और अपने भाषण में अपने अपने इलाके की पीड़ा इन्होंने व्यक्त की।

आज राजस्थान में अपराध, पिछले साल का प्रगति प्रतिवेदन बता रहा है कि 2008 की तुलना में 11.8 प्रतिशत बढ़े हैं।

सभापति महोदय, शराब तस्करी के मामले में हरियाणा प्रदेश से आने वाली शराब आज राजस्थान में धड़ल्ले से बिक रही है। अभी सम्पन्न हुए प्रदेश के पंचायती राज के चुनावों में अरबों रुपये की शराब राजस्थान में धड़ल्ले से बिकी और राजस्थान को करोड़ों रुपये का राजस्व लास उठाना पड़ा। पुलिस का एक अधिकारी नीमकाथाना का डीवाई एस पी जो शराब तस्करी में लिप्त है और 8 बजे के बाद उनके कार्यालय में बैठकर नीमकाथाना के और सीकर जिले के शराब तस्कर शराब तस्करी को अंजाम देते हैं। +++ एक चिट्ठी प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को और माननीय गृह मंत्रीजी को लिखी थी कि नीमकाथाना का डीवाई एस पी शराब तस्करी में लिप्त है लेकिन उस चिट्ठी का असर राजस्थान की सरकार पर मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

अभी सिविल लाइन्स से आने वाले हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और माननीय विधायक गृह मंत्रीजी के पक्ष में बड़े-बड़े कसीदे पढ़ रहे थे जैसे गृह मंत्रीजी ने बहुत बड़ा तीर राजस्थान में मार लिया हो और हमारे पूर्ववर्ती सरकार के गृह मंत्रीजी कटारिया जी के लिये कह रहे थे कि कटारिया जी केवल बात करते हैं लेकिन हमारे गृह मंत्रीजी जो बात करते हैं उससे पलटते नहीं है और बहुत बडे सूरमा और वीर गृह मंत्री हमारे हैं। इन गृह मंत्रीजी की वीरता का छोटा सा सबूत मैं आपको दे दूं कि 30 दिसम्बर को खासा कोठी में प्रदेश में ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ...(व्यवधान) जो आरोप लगा रहे हैं। एक रुपये का भी आरोप उनके ऊपर कोई साबित कर दें, मैं कहता हूं हम यहां जिम्मेदार हैं, वह ईमानदार डीवाई एस पी, उसके पास एक रुपये की रिश्वत कोई साबित नहीं कर सकता। अगर किसी बात का विरोध है ...(व्यवधान) यह असत्य आरोप क्यों लगाते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। विराजिए ।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ...(व्यवधान) मैं कहता हूं विपक्ष भी आरोप नहीं लगा रहा है, आपका प्रतिपक्ष भी आरोप नहीं लगाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: विराजो, विराजिए । माननीय सदस्य, आप भी विराजो। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) 30 दिसम्बर का, मैं गृह मंत्रीजी की वीरता का एक नमूना आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। बसपा से आये हुए जो इस सरकार में एक राज्य मंत्री हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, बाई नेम कोट किया है, वह आदमी अपनी सफाई नहीं दे सकता। आप इसे एक्सपंज करवाइए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) उन्होंने गृह मंत्रीजी का हाथ पकड़ा ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए । मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। क्या साबित करना है? (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, व्यवस्था फरमाइए, जो आरोप लगा है उसे एक्सपंज कराने की व्यवस्था फरमा दीजिए।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) राजस्थान विश्व विद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ चिट्ठी को भी आप गलत करार दें जो आज रिकार्ड में मौजूद है +++ चिट्ठी। नीमकाथाना के डीवाई एस पी के खिलाफ +++ चिट्ठी लिखी कि वह शराब तस्करी में लिप्त है। आप कहो तो उस चिट्ठी की फोटो स्टेट आपको लाकर दे दूंगा।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान)... +++ क्यों कर रहे हो?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय, आपके माननीय सदस्य को आप यह व्यवस्था के बारे में जानकारी दें कि +++ इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, आप यह एक्सपंज कराइए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ये +++ हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय अध्यक्षजी, माननीय उपाध्यक्ष और इस विधान सभा सचिवालय पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती। यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आप इनको इंगित करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है, +++ कोई चर्चा इस सदन में नहीं हो सकती।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने चिट्ठी का हवाला दिया है।

श्री सभापति: इसको एक्सपंज कर दें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इस तरह बहस में उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है, गृह मंत्रीजी जवाब दे देंगे। यह बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) आपको क्या मतलब है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जो सदन में है नहीं, अपनी सफाई नहीं दे सकते, बाई नेम करने की कहां जरूरत पड़ गई? सभापति महोदय, ऐसे व्यक्ति जो बार-बार आदतन इस तरह की हरकत करते हैं इनको प्रताड़ित

(श्री राजेन्द्र पारीक)

किया जाना चाहिये। रात के 12-12 बजे तक यहां बैठे हैं, यह बात सुनने के लिये बैठते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) किसी अधिकारी के बारे में माननीय सदस्य कोई बात कह रहे हैं ...(व्यवधान) यह कोई बात हुई क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, रात को 12-12 बजे तक सदन में बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? जो आदमी सदन में मौजूद नहीं है, उसको बाई नेम ब्लिेम करेंगे यहां बैठ कर? माननीय अध्यक्षजी को भी यहां कोट कर रहे हैं।

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इसमें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य या मंत्रीजी या भूतपूर्व विधायक कोई भी हैं वे सदन में मौजूद नहीं हैं तो उन पर आप नहीं कह सकते। लेकिन किसी अधिकारी पर अगर हमको बात करनी है तो उस पर यह लागू नहीं है कि वह सदन में मौजूद हो। वह कभी होता नहीं है। उसका डिफेंड करने के लिये गवर्नमेंट होती है। उसकी कोई बात आयेगी तो गृह मंत्रीजी इसका जवाब देंगे, सारी लाबी बैठी है वह इसका जवाब देने के लिये बैठे हैं। इसलिए इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। उनका जवाब दे देंगे। आप अपने क्षेत्र की जो बात करनी है, वह कहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्षजी को भी कोट करेंगे आप सदन में ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। माननीय सदस्य, विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, ये आदतन अपराधी हैं।

श्री सभापति: मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि सारी बातें प्रतिपक्ष की जो भावना है, कानून-व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी बोलना था, बोल दिया। उसके बावजूद भी कई वरिष्ठ सदस्य बोल चुके हैं। सत्ता पक्ष से भी बोल चुके हैं, प्रतिपक्ष से भी बोल चुके हैं। मैंने आपको निवेदन किया, अभी लगभग 13-14 माननीय सदस्यों को और बोलना है, मंत्रीजी को जवाब देना है।

(श्री सभापति)

इसलिए मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में कोई सुझाव हों, कोई समस्या हो तो उसी पर आप ध्यान आकर्षित करें सरकार का और मंत्रीजी का।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) तो फिर उपयोगिता क्या है इस सदन की? कमाल कर दिया।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय मंत्रीजी, विराजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे पूर्व गृह मंत्रीजी की तुलना वर्तमान गृह मंत्रीजी से की। हो सकता है कई मायनों में उनकी तुलना सही हो लेकिन 30 दिसम्बर को बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए इनके एक राज्य मंत्री ने

गृह मंत्री का हाथ पकड़ा और वह हाथ इसलिये पकड़ा कि उनको प्रोटोकाल नहीं दिया गया। मंत्री का प्रोटोकाल उनको नहीं दिया गया। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गृह मंत्रीजी का हाथ, +++ तो प्रदेश की जनता इनसे क्या सुरक्षा की मांग करेगी? (व्यवधान) मैं राजस्थान विधान सभा के अन्दर विधायक हूं। मेरे घर पर पुलिस भेजी गई, मेरे नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर पुलिस भेजी गई। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ×××

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह। (व्यवधान) श्री गोपाल जोशी। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलेंगे तो अंकित होगा। आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलें। मेरा पुन: आपसे निवेदन है। (व्यवधान) आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: नहीं, जहां आपका विधान सभा क्षेत्र है उसके बारे में आप बोलें। मैंने, आपके उप नेता महोदय ने भी निवेदन किया। आपके सचेतक महोदय ने भी निवेदन किया। आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) समाप्त करो। अब माननीय सदस्य, समाप्त करो अब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बोलने ही नहीं दिया मुझे तो आपने। बोलने से पहले ही समाप्त करो।

राजस्थान के अन्दर आपकी सरकार ने और आपने कीर्तिमान स्थापित किया है।

राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, राजस्थान के अन्दर डकैतियों की घटनाएं बढ़ी हैं, राजस्थान के अन्दर चेन लूटने की घटनाएं बढ़ी हैं, राजस्थान के अन्दर वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं और राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है वह राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है। वह आपकी सरकार ने किया है। बहुजन समाज पार्टी का जो नाटक करके ब.स.पा. के नाम पर, मायावती को बहन मानकर और हाथी पर सवार होकर जो 6 विधायक आये थे, उन सबको राजनीतिक भ्रष्टाचार के तहत आपने कांग्रेस पार्टी... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ×××

श्री रमेश चन्द्र मीना (संसदीय सचिव): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये आप। (व्यवधान) नहीं, आप विराजिये, विराजिये। चर्चा समाप्त हो गई। (व्यवधान) नहीं, अब आप विराजो, विराजो, चर्चा समाप्त हो गई। अब नहीं बोलेंगे, आप विराज जाइये। मैं आपको... (व्यवधान) आप विराजो, आप विराज जाइये। आप मांग 16 व 17 पर बोल रहे हैं। बोलते-बोलते आप किधर जा रहे हैं? (व्यवधान) सदन में जो व्यवधान आया है, वह व्यवधान आपके शब्दों से ही आया है। फिर आप उन शब्दों का इस्तेमाल न करें, मेहरबानी करके। विराजिये, विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। श्री बहादुर सिंह कोली। (व्यवधान) श्री बहादुर सिंह कोली। श्री गोपालजी जोशी।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह। हैं, खड़े होइये ना।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): धन्यवाद, अब हो गया ना। बात खतम करिये। अब विराजो ना साहब आप। (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर आपने बोलने का मौका दिया।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, किसको पुकारा है आपने? मेरा नाम पुकारा है ना अभी। आप विराजो।

श्री बहादुर सिंह (वैर): मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आपके दल के माननीय सदस्य हैं। पहले इनका नाम बोला। ये खड़े ही नहीं हुए तो मैंने सोचा शायद उपस्थित नहीं हैं। अब आप तय कर लें। (व्यवधान)

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): मैं खड़ा हो गया बोलने के लिये अब।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): यह तो कोई ठीक नहीं हुई बात। यह कोई बात थोड़ी है। (व्यवधान) धन्यवाद साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद,

(डा. गोपाल जोशी)

आपने मुझे समय दिया, मौका दिया। मैं मांग संख्या 16 और 17 के सम्बन्ध में अपनी बात रखूंगा। बोलता तो नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि गलत बोलने वाला और न बोलने वाला पाप का भागी होता है। अगर मैं न बोलता तो पाप का भागी होता। तो इसलिये मैं पाप का भागी नहीं होना चाहता हूं। मैं तो इतने दिनों से कुछ बोला ही नहीं और आज पहली दफे बोलने लगा हूं, वह भी इतनी देर के बाद में। उसमें रोड़ा पड़ रहा है। तो मैं तो पाप का भागी हो जाता, इसलिये बोल रहा हूं, धन्यवाद आपका।

मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत पहले की बात है कि कांग्रेस ने एक नारा लगाया था, 'Elect the Government that works.' और चला भी। लेकिन बाद में क्या हुआ। आप जानते हैं कि कांग्रेस की कैसी स्थिति रही? लेकिन चलो, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी बात पर रहूंगा। जब मैं बीकानेर से रवाना हो रहा था, सभापति महोदय, तो एक व्यक्ति ने मेरे को रोका कि जरा, गोपालजी, ठहरना, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा, बात नहीं, मैं जा रहा हूं जयपुर, विधान सभा है। तो उसने कहा, नहीं, एक श्लोक सुनते जाओ। अब उस श्लोक का मैं तो मतलब नहीं समझा, लेकिन उसने मुझे सुना दिया। कहने लगा, अपूज्यानाम यत्र पूज्यंते, पूज्यानाम च वृत्तिकर्मा। त्रणि त्त्र भवशियंति दुभीक्षम मरणम, भयम। मैंने कहा, मतलब तो बताओ इसका। तो कहा, मतलब तो कहा किसी से पूछ लेना। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं वहां तिवाड़ीजी से पूछ लूंगा, वह जानते होंगे, ज्यादा इसका। फिर कहा, एक और सुनो। मैंने कहा, एक और सुना दो, ऐसा कहते हो तो। देखो, पहले में और इसमें कुछ फर्क था लेकिन मैं एक श्लोक ही सुना देता हूं आपको। मैंने कहा, सुनाओ। ददाति स्वर्ण मुद्रा गता, जो स्वर्ण मुद्रा देती थी, वह तो चली गई, सापद्म संकर्णी, वह पदम संकणी थी, अहम, अब एक शब्द मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वह हो सकता है, कंटेम्प्ट मान लें उसको, बुरा मान लेवे, तो अहम... सांनास्यि बदामिच दादामिनो, मतलब बस इतना ही है, बोलता ही बोलता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि मैं क्या हूं वह तो यह बीच में रख दिया, इसलिये रखा है कि अच्छा नहीं लगता, कोई कह देता कि यह क्यों बोल दिया आपने लेकिन बदामिच-दादामिनो मैं बोलता ही बोलता हूं, देता कुछ नहीं हूं। तो इस सरकार के अन्दर देने को तो बहुत कुछ है, यह इस मांग के अन्दर भी यह है, 220 नम्बर का पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि आगामी वर्ष के अन्दर लगभग 2,300 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी।

(डा. गोपाल जोशी)

मैं हमारे बीकानेर की बात करूंगा, मैं दूसरी जगह की बात नहीं करूंगा। सूडसर के अन्दर, जैसे मंगलारामजी ने कहा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक नया थाना खुलवाने का प्रस्ताव है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर नगर निगम बन गया परन्तु वहां पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, बहुत ही बड़ी भयंकर खराब है। कोट गेट के पास में जब जाते हैं तब कचहरी से भी रास्ता आता है, शहर से रास्ता आता है,

फिर वह एक स्कूल है उधर से आता है, स्कूल के पास में एक गली आती है उसमें से आता है और कसाइयों की बारी में से आता है। यूं करके ऐसी भीड़ लगती है कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब, यह कि वहां ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक करने के लिए जो नफरी है या जो आपके आफिसर लगे हुए हैं, एक इंस्पेक्टर लगा हुआ है, एक इंस्पेक्टर और जहां पर 24 कांस्टेबल की जरूरत है वहां पर चार कांस्टेबल लगे हुए हैं। चार कांस्टेबल कैसे पूरे बीकानेर के ट्रैफिक को सम्भाल सकते हैं? चार कांस्टेबल उस यातायात को कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। वे नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मांग यह है, लोगों ने मेरे से कहा है कि कम से कम वहां पर इंस्पेक्टर की जगह डीवाई.एस.पी. लग जाए तो ज्यादा अच्छा है और एक इंस्पेक्टर की जगह दो इंस्पेक्टर लगे। एस.आई. जो 12 होने चाहिए वहां पर तीन हैं। कांस्टेबल 24 होने चाहिए वहां पर चार हैं। सिपाही 72 हैं लेकिन पूरे नगर निगम का जो एरिया है, उसके अन्दर 72 सिपाही यातायात को कंट्रोल नहीं कर सकते। नफरी बहुत ही कम है। इसको आप कृपा करके पूरा कीजिए।

जोधपुर में कहते हैं कि ए.एस.पी. लगा हुआ है उस रैंक के, इस सम्बन्ध में और कोटा के अन्दर, आप जानते हैं, कि शायद डीवाई.एस.पी. या एडिशनल एस.पी. लगा हुआ होगा, आपके वहां पर भी। मैं एक और कहना चाहता हूं जो हमारे थाने हैं जैसे कोतवाली है, बीकानेर के अन्दर बहुत पुरानी शायद गंगासिंह जी के समय की होगी, वहां पर अभी तक एस.आई. लगा हुआ है। पांच थाने मेरे बीकानेर पश्चिम विधान सभा के अन्दर है, उनके अन्दर तीन में एस.आई. लगे हुए हैं जबकि बीकानेर एक बड़ा शहर है, अच्छा शहर है, नगर निगम बना हुआ है, वहां सभी थानों के अन्दर कम से कम इंस्पेक्टर लगने चाहिए तो मतलब वहां की जनता को कुछ थोड़ी राहत मिल सकती है।

गृह मंत्रीजी साहब, थोड़ी सी मेरी बात सुनें, बहुत जरूरी हैं यह सारी चीजें। मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी, सुनिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): तो यह एस.आई. की जगह वहां पर इंस्पेक्टर लगायें आप तो बात हो सकती है और बीकानेर वालों को कुछ न कुछ राहत मिल सकती है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन अच्छे ढंग से कंट्रोल हो सकती है। यह बात भी है।

एक और है कि बीकानेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुरलीधर व्यास कालोनी का थाना लगता है गंगा शहर जो वहां से पांच-छह किलोमीटर दूर है जबकि उसके पास 500 गज या 500 मीटर दूरी तक नया शहर थाना लगा हुआ है। अगर मुरलीधर व्यास कालोनी को नया शहर थाने के साथ में जोड़ दिया जाए तो ज्यादा ठीक है। वहां तक पांच-छह किलोमीटर जाना नहीं पड़े किसी को और न गंगाशहर थाने वालों को वहां तक आना पड़े।

यह सब चीजें हैं। वहां नफरी का मैंने आपसे अर्ज किया कि नया शहर थाने के अन्दर 25 आदमी हैं जबकि 60 आदमी वहां पर वे कहते हैं, सेंक्शंड हैं या आवश्यकता है। उसी ढंग से आपके कोट गेट थाने के अन्दर भी 30 कांस्टेबल हैं जबकि 49 की आवश्यकता है।

अब मैं वैसे तो वारदातें जो कुछ हुई, यहां पर जो कुछ बातें हुई, मैं यहां, यहां की तरफ से जो कुछ कहा गया उनसे सहमत हूं। बहुत लोगों ने सब कुछ कह दिया, चेन लुटने की बात भी कह दी, चोरी की बात भी कह दी, डाके की बात कह दी। मरने की, मर्डर की बात कह दी, वे सब बातें हो रही हैं। इसीलिए कहा है और आपकी तरफ से भी जो लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने तो जरूर क्रिटिसाइज भी किया और उनकी अपनी आवश्यकताओं को उजागर किया तो वह तो बात ठीक है। अब सिर्फ आपको राज़ी रखने के लिए किसी ने कोई बात कही है तो वह तो देखो उनकी मर्जी है। वे अगर ठीक समझते हैं कि आपको राज़ी रखना चाहिए, आपकी तारीफ करनी चाहिए वह भी की होगी तो उसमें मुझे तो कोई एतराज नहीं है, वे तारीफ करें भले से लेकिन एक बात यह है कि आपके उधर के लोगों ने भी यह माना है और आपने यह खुद ने माना है, खुद ने माना, रघुजी, माननीय रघुजी ने कहा है कि हमारे क्राइम रेट कुछ बढ़ी है आपकी, यहां ऐसा भी कहा है। तो क्राइम रेट जो बढ़ी है, उसको मान लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात से भी मैं सहमत हूं कि क्राइम रेट बढ़ गयी है और आपने मान लिया है। अब उसको ठीक करना आपका काम है। वह आप करें, देखिये।

अब एक मैं जेल के बारे में बात करना चाहता हूं और बहुत जरूरी है

(डा. गोपाल जोशी)

इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिये। मंत्रीजी, इसको ध्यान से सुनिये। यह पुरानी जेल जो अब तो नई जगह पर चली गयी, हमारे बीकानेर की जो जो पुरानी जेल की जगह है पहले तो यह था कि उसको नीलाम कर रहे थे, नीलामी लगी भी लेकिन हम यह चाहते हैं कि उस जगह पर पार्क बना दिया जाए ताकि मतलब लोगों को आस-पास में कहीं पार्क नहीं है। वह जगह ऐसी है कि अगर पार्क बना दिया जाए तो आपकी सरकार का यह जो हरित राजस्थान का नारा है यह भी वहां पर सफल हो जाएगा, यह भी आपको फायदा है और लोगों को बड़ा फायदा है। किसी भी शहर के अन्दर जब योजना बनती है नगर नियोजन के दृष्टिकोण से तो उसमें कम से कम चालीस परसेंट आपके बाग़-बगीचे और इस ढंग का होना जरूरी होना चाहिए तो फिर यह भी हो जाएगा। इसको बेचें नहीं। वहां के लोगों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और बाग़वानी करके दूब ऊब लगाकर इसको रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

मैं इससे ज्यादा और आपको कुछ भी नहीं कहना चाहता। आपके यहां जो लोगों ने कहा, वह सब मैं इससे सहमत हूं। मैंने यह भी कहा कि जो क्राइम रेट बढ़ी है, आप कृपा करके इस क्राइम रेट को वापस नीचे कैसे लाए इसका प्रयत्न करें तो बहुत-बहुत ठीक रहेगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा अगर यह क्राइम रेट चली जाएगी नीचे तो। अभी तो शिकायत ही करूंगा कि क्राइम रेट आगे बढ़ी हुई है, आप इसको ठीक कीजिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह कोली। बोलेंगे नहीं?

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 व 17 पर आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

पुलिस की जो चर्चा हो रही है, सदन में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। आज हमारे देश के अन्दर कई प्रकार की फोर्स हैं। एक फोर्स तो देश की रक्षा करती है और दूसरी फोर्स जो पुलिस राजस्थान की है वह राजस्थान की रक्षा करती है। आज जो पुलिस की स्थिति है उसको देखते हुए, वह जनता की या राजस्थान की रक्षा नहीं कर रही है। वह आज रक्षक नहीं है, वह आज हमारे राजस्थान की भक्षक बन चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, कहना चाहता हूं कि गुजरात से हमारे यहां गोवर्धन, मथुरा और वृन्दावन यात्री आते हैं और दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी यात्री आते हैं। जो फोरलेन हैं, जो रोड्स हैं उन पर

(श्री बहादुर सिंह)

पुलिस वाले लूट करते हैं, चाहे वह गुजरात का यात्री हो, चाहे वह दिल्ली का यात्री हो। आज वे अपने राज्य में जाकर यह कहते हैं कि भाई, 14-15 महीने से राजस्थान में क्या हो गया, किस तरीके से हमको लूटा जाता है, पुलिस द्वारा लूटा जाता है। आज यानी, हमारे राजस्थान की पुलिस के लिए यह शर्मनाक नहीं है परन्तु हम राजस्थान के सभी लोगों के लिए शर्मनाक बात है कि आज गुजरात वाले, दिल्ली वाले जो हमको नीचा दिखाने की और जो हमारे राजस्थान के बारे में कहते हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, इस पर भी विचार किया जाए जो कि यह रोड्स पर लूट-मार होती है।

माननीय सभापति महोदय, विधायकों ने अपने-अपने चोरियों के मामले बताये। हमारे क्षेत्र में 300 चोरियां हो गयीं, 400 चोरियां हो गयीं। भरतपुर जिले के अन्दर मेरा विधान सभा क्षेत्र वैर आता है। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर जिले के अन्दर हमारे सबसे ज्यादा भैंसों की चोरी होती है। भैंस एक मजदूर पालता है, एक किसान पालता है और उन भैंसों की चोरी होती है। जो भैंसों को चोरी करके ले जाते हैं, कुछ गांव ऐसे हैं, माननीय सभापति महोदय, वे चोर खूंटेलाओं के लिए जाकर दे देते हैं, वह खूंटेलाओं के पास जब भैंस पहुंच जाती है उनके ही दलाल जिसकी भैंस चोरी गयी है, उनके पास आते हैं कि भाई, आपने पुलिस में रिपोर्ट करवायी तो आपकी भैंस नहीं आएगी और रिपोर्ट नहीं कराओगे तो आपकी भैंस वापस आ जाएगी। जो पचास हजार रुपये की भैंस होती है वह चालीस हजार रुपये में फिरौती द्वारा वापस आ जाती है और जो पुलिस में रिपोर्ट करा देता है, माननीय सभापति महोदय, उसकी भैंस चोरी की नहीं आती है। सैकड़ों मुकदमे थानों में दर्ज हो गये मगर उनकी आज तक एक भी भैंस चोरी की वापस नहीं आयी। क्योंकि वह पहले बिचौलिया जाकर कहते हैं कि पुलिस हमारी सुनेगी, आपकी नहीं सुनेगी। माननीय सभापतिजी, इस पर भी ध्यान देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, मुझे थोड़ा बोलने तो दो, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूं। सभापतिजी, वैर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मेरा थाना आता है। वैर के अन्दर 14 महीने से, जब से यह सरकार आई है एक सी.आई. वह आफिस में काम करता था। 10 महीने वह सेवर थाने में रहा। उसके भ्रष्टाचार के कारण वहां आन्दोलन हुए, जनता ने आन्दोलन किये, रोड जाम हुए। उसके

(श्री बहादुर सिंह)

बाद उसका सेवर थाने से वैर थाने पर ट्रांसफर कर दिया। माननीय सभापति महोदय, उसको आफिस में से दो सिपाही पकड़कर जीप में बिठाते हैं, मुंह से बोला नहीं जाता, वह क्या चोरों और बदमाशों को पकड़ेगा?

अभी चार-पांच दिन के अन्दर एक पांच साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, चोरियां हुईं। अभी कल के अख़बार में छपा था। आज के भी अख़बार में छपा है। मैंने एस ई साहब से, एक्स ईएन. साहब से फोन करके यह कहा था कि बिजली डिपार्टमेंट के लोग ही रास्ते में ट्रांसफार्मर को बेच जाते हैं। स्टोर-कीपर ने रास्ते में ही ट्रांसफार्मर उतार दिये। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ, गांव के लोगों ने आन्दोलन किया। थाने में जब्त हुए। और पुलिस वाले उन कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, वैर हैडक्वार्टर है, एस डी एम बैठता है, तहसीलदार बैठता है परन्तु प्रभावशाली लोगों के कारण भुसावर के अन्दर प्राइवेट में सी.ओ. का आफिस चलता है। उनके रेजिडेंस के लिये कोई जगह नहीं है। किसी प्राइवेट मकान में किराये पर रहते हैं। सभापतिजी, गृह मंत्रीजी बैठे हैं, सी.ओ. का हैड आफिस वैर हैडक्वार्टर पर होना चाहिये।

सभापतिजी, भुसावर का जो थानेदार है दिन में कभी भी आप फोन कर लो, थाने पर नहीं मिलता, फील्ड में गया हुआ है, क्योंकि भुसावर के अन्दर क्रेशर जोन है वह महीनेदारी उगाहने के लिये क्रेशर पर मिलेगा। सात बजे बाद पुन: फोन करोगे तो भी यही बात आयेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: सम-अप करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापतिजी, थोड़ा सा और कहूंगा। सात बजे बाद फोन करोगे तो फिर भी यही जवाब आयेगा कि फील्ड में गये हैं थानेदार जी। एन एच 11 पर गाड़ी लेकर गाड़ियों को रोककर डकैती डालने का काम करता रहता है।

सभापतिजी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं जो भ्रष्टाचार की विपक्ष वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, यानि जनता के सामने आता है तब हम जन प्रतिनिधि कहते हैं, यह हमारे सामने जब आता है तब हम आपको बताते हैं। माननीय सभापति जी, मेरी गृह मंत्रीजी से यही मांग है भ्रष्टाचार रोका जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल। (अनुपस्थित) श्री सुखराम कोली।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में धौलपुर के बारे में ही बताऊंगा। उससे पहले, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, यहां हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, या तो हमें बोलने का पहले मौका दिया जाये, अगर मौका नहीं दिया जाता है तो हमारे लिये एक समय सीमा निर्धारित की जाये कि इतने समय में आप बोलेंगे। सभापति महोदय, जब हम यहां बोलने के लिये खड़े होते हैं तो उधर से मंत्री महोदय कहते हैं कि जल्दी समाप्त करो। सभापति महोदय, यह उचित नहीं है, हमारे साथ आपकी यह बात ठीक नहीं है।

श्री सभापति: आप अपने मूल विषय पर आकर बोलो। बोलो आप, जो मांग संख्या है उस पर बोलो आप।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मूल विषय, अभी घंटी बजा देंगे सभापति महोदय। मैं पूरी विषय वस्तु बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

पहले मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, धौलपुर की बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था और वहां बढ़ रहे अत्याचार और अपराध की घटनाओं से मैं शुरू करता हूं। यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सभापति महोदय, कि धौलपुर जिला अपराध की नगरी बन चुका है और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी अनदेखी है और वहां के जो जन-प्रतिनिधि हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनका भी उसमें कहीं न कहीं योगदान है। मैं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठ जायें। आप बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): आपने इसी सदन में आवाज उठाई थी कि बाड़ी का बाजार बंद है। आपने उठाई? बीजेपी के वक्त में बाजार बंद हुए। पुलिस ने कार्यवाही की उस डाकू के साथ तो आते ही बी जे पी वालों ने उस डैड बाडी को लेकर कलेक्टरी पर धरना दिया। इसका जवाब दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, किसी को बोलने देंगे? क्या है, सभापति महोदय? माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): आपने क्या बीच-बीच में फाय-फाय लगा रखी है? आपसे क्या मुझे डर लगता है? क्या चल रहा है? (व्यवधान) आपके कहने से मैं बैठने वाला नहीं हूं। क्या डराना चाहते हैं मुझे? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): आपसे क्या डर लगता है मुझे?

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसे क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) फालतू की बात बोल रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या तरीका हुआ यह? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य नाराज हो रहे हैं। यहां पर न तो मैं उस केदार का पक्ष ले रहा हूं, न किसी का पक्ष कर रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप खुलकर बोलो न। डर लग रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। कोई वह थोड़ी है, जो स्पष्ट बात है, वह मैं कहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): बीच में नहीं टोकेगा कोई भी। (व्यवधान) नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी जवाब देंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। कतई नहीं। (व्यवधान) आप आसन से व्यवस्था दो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हम बोलते हैं तो आप टोकते हो और यह बोलते हैं तो छोड़ देते हो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप पक्षपात क्यों करते हो? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी शह पर यह सब कुछ हो रहा है और यह सरकार की आंखों में हैं। जो वहां पर कलक्टरी में बैठा हुआ है, एक बार सस्पेंड हुआ, ए पी ओ तीन बार हुआ और अब भी उसकी डी ओ पी में जांच चल रही है आर ए एस कैडर के अधिकारी को वहां पर जब कलेक्टर लगाया तो क्या सरकार ने यह नहीं सोचा कि धौलपुर एक संवेदनशील जिला है, जिसकी मध्य प्रदेश और यू.पी. से सीमा लगती है और जहां पर अपराधी यू पी और एम पी से आकर शरण लेते हैं? एक आर ए एस कैडर के अधिकारी को जो कम से

(श्री सुखराम)

कम छह महीने सस्पेंड रहा, चार महीने ए पी ओ फिर यहां पर आठ महीने ए पी ओ रहा और डी ओ पी फोर्थ में उसकी जांच चल रही है। ऐसे अधिकारी को हमारे यहां पर कलक्टर लगाया। वही अधिकारी, गृह मंत्री महोदय, यह देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ''जिला कलक्टर के गनमैन, जीप चालक तथा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना मनिया में अवैध वसूली का मामला दर्ज किया गया, जिस पर सभापति महोदय, अनिल जसोरिया'' ..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, समाचार पत्र को आधार बनाकर यहां पर बात रखने की कोई परिपाटी नहीं है। समाचार पत्र को आधार बनाकर नहीं, आप अपनी जानकारी के आधार पर कहें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मुख्य सचेतक महोदय, यह समाचार नहीं है, वहां की जनता के हृदय पर हाथ रखकर देखो कि वहां के प्रत्येक बच्चे से लेकर बिजनेसमेन तक सब त्रस्त हैं। यह तो समाचार है, आपके सी.ओ. मनिया का वक्तव्य है, उसे मैं आपको बता रहा हूं कि ''ट्रक चालक ने जिला कलक्टर के गनमैन, चालक तथा एक अन्य जने के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज कराया है। अवैध वसूली में सरकारी गाड़ी का उपयोग किया गया है।'' यह मानना है मनिया के खुद सी ओ का। तो दो व्यक्ति तो थे एक गनमैन था और एक चालक था परन्तु वह तीसरा व्यक्ति कौन था? मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कि वह तीसरा व्यक्ति जिला कलक्टर धौलपुर था और उसके कहने से अवैध वसूली हुई है । यहां पर आपको अगर विश्वास नहीं होता है,सभापति महोदय, जिला कलक्टर धौलपुर का वक्तव्य है कि मैं बाहर गया था, मामले की रिपोर्ट मंगवाई है अगर कोई दोषी होगा तो उसे सज़ा मिलेगी। अगर यह बात सही है तो मैं मांग करता हूं इस सरकार से कि 11, 12, 13 फरवरी की लाग बुक को चैक कराया जाये कि आखिर ये कलक्टर कहां थे? आपको स्पष्ट पता चल जायेगा कि यह कलक्टर वहीं पर था और उसी की शह पर यह रिश्वत का कांड हुआ था।

यहां पर बात आती है अपराधों की। हमारे यहां पर ऐसे एस पी को लगाया गया जिसका सर्विस रिकार्ड आप उठाकर देखें, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, उसकी सर्विस बुक उठाकर देखी जाए, उसके कार्यकाल में, मात्र एक साल हुआ है, सभापति महोदय, वहां पर 12 प्रतिशत हत्या के मामले बढ़े, 42 प्रतिशत बलात्कार के मामले बढ़े, 4.6 प्रतिशत अपहरण के मामले बढ़े, डकैती के 33.33 प्रतिशत मामले बढ़े, लूट के 15 प्रतिशत मामले बढ़े और

(श्री सुखराम)

नकबजनी के 21.57 मामले बढ़े, चोरी के 22.12 प्रतिशत मामले बढ़े और अन्य अपराधों के 15.43 प्रतिशत मामले बढ़े। ऐसे अधिकारी को जिसकी शह पर चम्बल से अवैध रेता निकाला जाता है, जिसकी शह पर एम पी से आने वाले ट्रकों से...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सदस्य, जब आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): बोलेंगे, आपको जबाव देंगे।

श्री सुखराम (बसेड़ी): हम मना नहीं कर रहे हैं। आप बोल लेना। मुझे बात रखनी है, मुझे रख लेने दो।

इसके साथ-साथ एक और शर्मनाक घटना माननीय गृह मंत्रीजी को बताता हूं कि धौलपुर के अन्दर पुलिस के जवानों को गोली मारकर तीन मार्क थ्री बन्दूकों को अपराधी छुड़ाकर ले गये जिनको आज तक एस पी धौलपुर बरामद नहीं कर पाये। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। उसके बाद राजाखेड़ा के चुनावों के समय एक एस आई को पीटा गया, उसका सर्विस रिवाल्वर छीनकर ले गये। परसों, हमारे यहां तूरे का एक कूप बना देते हैं, उस कूप में मिली है वह सर्विस रिवाल्वर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आखिर वह सर्विस रिवाल्वर उस तूरे के कूप में चार किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गयी? इसकी जांच की जाए। इसमें निश्चित रूप से मिलीभगत है।

सभापति महोदय, यहां पर गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उनका ध्यान आपके माध्यम से एक दर्दनाक घटना की तरफ इंगित करना चाहता हूं। उस घटना को आज से पांच दिन पहले मैं। गृह मंत्रीजी के सामने आपके माध्यम से रखा था कि नांदनपुर की छह वर्ष की वह बालिका...

श्री सभापति: बोल दिया न, वह तो आपने। आ गया न वह तो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): नहीं। सभापति महोदय, यह अगर आपको गलत लग रहा है तो मैं नहीं बोलता हूं, बैठ जाता हूं मैं।

श्री सभापति: न, न, आप बोल चुके हैं न पांच दिन पहले।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं चाह रहा हूं इस बात को रखना कि आज इतना समय हो गया, जिस छह वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ

(श्री सुखराम)

सरमथुरा में, उस बालिका के हत्यारों का आज तक सुराग क्यों नहीं लगा? क्या एक भी अपराधी वहां पर पकड़ा गया? गृह मंत्रीजी, जबाव दें।

गृह मंत्रीजी, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कैलादेवी के दो रास्ते हैं जहां चैत्र मास और कार्तिक मास में मेला लगता है। एक रास्ता धौलपुर से जाता है और दूसरा नांदनपुर होकर जाता है। वहां अभी परसों एक घटना घटित हुई है। एक बच्ची अपनी भाभी और मां के साथ जा रही थी पैदल। उस बच्ची को चन्द अपराधी तत्व घसीटकर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया परन्तु उसकी मां ने मात्र इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी कि उसकी बच्ची की बदनामी होगी, कहीं पर विवाह नहीं होगा। क्या हमारे धौलपुर जिले को इतना भी नसीब नहीं होगा कि जिस समय कैलादेवी का मेला लगता हो, उस समय वहां पर चौकियों की व्यवस्था की जाय या गश्त की व्यवस्था की जाय? तो कम से कम ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।

अन्त में, सभापति महोदय, हमारा धौलपुर जिला आतंक का पूरा पर्याय बन चुका है और इस आतंक को रोकने के लिए मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई चौकी और थाने जैसे एक तो नांदनपुर में थाना बना दिया जाए, दूसरा धोवी की तिवरिया पर चौकी, बथुआ खोह जो यू पी से करौली और धौलपुर की सीमा को जोड़ती है, चिलाचोंध और श्योली यहां पर चौकियां बना दी जायें। नांदनपुर के लिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि बीच क्षेत्र में पड़ता है, इसको थाना बनाया जाए।

दूसरा, जो ए डी एफ फोर्स है, बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा मैं समझ सकता हूं कि वहां पर एक जाति विशेष का, शायद वह गलत समझ रहे थे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा था कि वहां पर एक जाति विशेष के डकैतों का आतंक रहता है।

श्री सभापति: श्री हरि सिंहजी रावत।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अगर हम अपराधी का साथ देते हैं तो पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि वह हमें भी शूट कर दें क्योंकि हम अपराधी का सहयोग कर रहे हैं।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, मुझे भी एक मिनट बोलना है। एक मिनट मेरे को भी दी जाए।

श्री सभापति: नहीं, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, कल इनका पूरा भाषण करवा दो।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): क्यों?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। श्री हरि सिंहजी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 एवं 17 पुलिस एवं कारागार के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आज पुलिस के बारे में जो चर्चा हो रही है, हर पुलिस स्टेशन के बाहर लिखा होता है, ''अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास। इन बातों को मैं महसूस करता हूं कि वे मिथ्या है। मैं मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं। मैं लम्बे-चौड़े भाषण नहीं करना चाहता क्योंकि समय कम है और उसी समय में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कि आज से डेढ़ साल पहले मेरे यहां एक एस एच ओ था जिसका नाम है दयाराम फडोदा, वह एक आतंक, भ्रष्टाचार, व्यभिचार का एक ताण्डव करता हुआ जीता जागता पुलिस वर्दी में एक नमूना था। उस व्यक्ति के लिए मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा, डी जी पी को पत्र लिखा और मैं उनसे मिला भी था। उसकी इंक्वायरी भी करवायी लेकिन अफसोस है कि ढाक के तीन पात वाली बात हुई। इतनी इंक्वायरी सब कुछ होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को तीन महीने पहले ट्रांसफर किया वह भी वापस फील्ड पोस्टिंग, उसको कुम्भलगढ़ लगा दिया गया जिसके ऊपर आपने अखबारों में पढ़ा होगा।

ब्यावर के पास एक बहुत बड़ी शराब दुखान्तिका हुई थी जिसमें आठ-दस आदमी मारे गये थे, बच्चे भी मारे गये थे। वहां डी जी पी साहब भी गये थे। अनिताजी ने भी उसका यहां जिक्र किया था। अजमेर पुलिस प्रशासन भी वहां गया था। उसका सरगना भी वही दयाराम फड़ोदा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं हुआ और जो पुलिस के छोटे कर्मचारी थे, उन बेचारों को जबरन फंसाया गया। और कितना आतंक था। वह पूरी घटना मैंने बतायी थी।

बंदिया बोरवा मेरे वहां शराब का सबसे बड़ा अड्डा है, वहां से शराब पूरे ब्यावर में जाती है और आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें भी जाती है। वहां पर आये-दिन दो तीन माह में रेड पड़ती है। वहां पर उसी सी आई ने बढ़ावा दिया। कहा कि जितना आपको कमाना है, तुम भी खाओ और मुझे भी दो। इतना करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री हरिसिंह रावत)

उसके अलावा फिर मेरे भीम के पास शराब से भरे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। ट्रक भरा हुआ था, उसमें शराब के 180-185 कैरेट थे परन्तु उनमें से केवल तीन बरामद दिखाई और बाकी पूरा हजम कर गया। एफ आई आर दर्ज हुई। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मुझे अफसोस है कि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी, जब पुलिस इंक्वायरी एस पी ने की और आई जी, उदयपुर ने की, सबने उसको संरक्षण दिया और उसको बचा दिया। मैंने डी जी पी साहब से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वह तो ससपेंड होगा, 17 सी सी का उसको नोटिस जारी हो गया लेकिन अफसोस 17 सी सी ए का नोटिस तो गया भाड़ में, सीधा उसको कुम्भलगढ़ लगा दिया।

तो मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप शह देंगे, एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी बोलते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से उठाकर यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मुझे बड़ा अफसोस है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर्स और लाइनें चोरी हुईं। उसमें भी वह इंवाल्व। उसके अन्दर तीन-चार मुलजिम पकड़े गये, पूरा माल बड़ोदा में सैल हुआ। उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और पुलिस बोलती है कि यह तो बहुत अच्छा आफिसर है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आफिसर अच्छा कैसे हो गया? यह तो इनकी मिलीभगत है। या तो इसकी जयपुर से भीम तक चेन लगी हुई है या कुम्भलगढ़ तक। इतनी घटना होने के बाद भी अगर वह आदमी सेफ बचता है, 17 सी सी ए के नोटिस के अलावा उसको फील्ड पोस्टिंग दे दी जाती है, मैं क्या समझूं इसके बारे में?

सभापति महोदय, इसके अलावा एक और मैं घटना बताता हूं। मेरे भीम में एक पी ओ दिनेश शर्मा है और वह अजमेर का रहने वाला है, चार पांच महीने पहले उसकी पत्नी ढाई लाख रुपये लेकर भीम आ रही थी। फण्ड, इंश्योरेंस के पैसे कलेक्ट किये घर बनाने के लिए। जवाजा के पास पांच सात बदमाश घुसे और उस अटैची में से ढाई लाख रुपये निकाल लिये। जब उनकी पत्नी वहां भीम पहुंचती है, उसको पता लगता है कि मेरी अटेची में कोई ताला वाला नहीं है, अन्दर देखती है तो अन्दर पैसे नहीं मिले। उसने इमिजिएट जाकर वहां भीम पुलिस स्टेशन पर एफ.आई.आर. दर्ज करायी। यही दयाराम

(श्री हरिसिंह रावत)

फड़ोदा, एफ.आई.आर. दर्ज हुई और उस गाड़ी का पकड़ा है कामली गाड़ी के पास में जिसमें दो मुलजिम पकड़े लेकिन आश्चर्य है कि उनसे मिलीभगत करके उस केस को भी रफा-दफा कर दिया।

इतना भ्रष्ट अधिकारी होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इनका विश्लेषण पूरा करके इसकी जांच करके अगर दोषी है तो इसको जरूर दंडित किया जाए।

इसके अलावा एक केस और भी है। बांदणी में एक दस साल की बच्ची थी, दस साल की बच्ची को एक बीस का नोट देकर एक लड़का रेप करने के इरादे से लेकर गया कि जा, तू कुछ नमकीन लेकर आ। नमकीन लेने गयी, बीच में गांव, गांव के बीच में एकांत पड़ता है, वहां में छोरी के साथ बलात्कार तो हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में सब उसको रफा-दफा कर दिया और इसको यह बता दिया कि यह लड़की तो ऊपर से, जबकि उसको मारा है। हो सकता है, उसने शायद विरोध किया, विरोध किया लेकिन उस बच्ची को मारा है। उसके मां-बाप रोते हैं, मैंने भी देखा है वे फोटो लेकिन उसने बोला, नहीं नहीं, साहब, वही आपका सी.आई. फड़ोदा और वहां पर जो भी आपके पुलिस के कांस्टेबल वगैरह थे उन्होंने सब रफा-दफा करके और उस केस को निपटा दिया। व बेचारा आज भी पागलों की तरह गांव-गांव भटकता फिर रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई बार पुलिस में आता है, कई बार जयपुर, कई बार उदयपुर गया है लेकिन उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरा मैं नमूना बताना चाहता हूं, मैं कल रात की घटना बता रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जैतारण पुलिस स्टेशन, कल रात को मेरी ग्राम पंचायत बार वहां एक जसवंतपुरा गांव है, वहां पर कोई एक भजन मण्डली में एक लड़का गया, उसका नाम था छोटू सिंह, वह वहां से कोई लड़की को अगवा करके ले गया। जैतारण पुलिस में वहां जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाही उसने, रात को साढ़े ग्यारह बजे मुझे फोन आया सोहन सिंह करके एक व्यक्ति का कि, साहब, हमारे वहां से एक लड़की को फरार करके ले गया। मैंने जैतारण पुलिस को फोन किया, वहां पर एस.एच.ओ. मिला कोई विश्नोई करके, उनसे मैंने बोला, भाई, यह कोई आये हैं, इनकी आप एफ.आई.आर. दर्ज

(श्री हरिसिंह रावत)

करो, आप इनकी हैल्प करो। मुझे बोला, हां साहब, मैं कर रहा हूं और जैसे ही मैंने फोन रखा, उसके बाद उनको बुला कर बोले, साले, तू एम.एल.ए. से फोन करवाता है, देखता हूं, तू शराब पीया है। चार दिन से बेचारे की जिसकी लड़की गायब हो वह परिवार भटकता हुआ शराब पीयेगा क्या? उनको उलटा यह प्रताड़ित कर के भगा दिया कि तुम शराब पीये हो, तुम यहां पुलिस में कैसे आ गये और उनको पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, अगर कोई आपकी फरियाद लेकर जाए और उसके साथ अगर ऐसा अन्याय हो तो उसका क्या होगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा थोड़ा आपसे निवेदन है। एक तो मेरे क्षेत्र में बाहर चौकी है भीम से सात किलोमीटर दूर पड़ती है, एक ए.एस.आई. की वहां पोस्ट है। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां मेरी सात पंचायत पड़ती हैं अगर वहां सब-इंस्पेक्टर की पोस्ट आप लगा दें तो मैं सोचता हूं हमारे लिए बहुत सुगमता हो जायेगी। साथ ही साथ वहां पर एक जीप की व्यवस्था हो जाए और पुलिस स्टेशन के लिए केवल दो कमरे बने हुए हैं। तो, गृह मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि वह ब्यावर के पास भी पड़ता है और पूरा शराब का सरगना पूरा वहीं पर होता है, अगर वहां पर सब-इंस्पेक्टर की पोस्ट हो जायेगी तो मैं समझता हूं कि वहां हमारे उन लोगों के लिए काफी अच्छी सहूलियत हो जायेगी। दूसरा, वहां पर पुलिस चौकी के लिए भी एक आलेला की पाल पर आलरेडी जमीन अलाट की हुई है, अगर आप सैंक्शन दे दें तो वहां इमिजिएट पुलिस चौकी बन जायेगी और वहां भी एक व्यवस्था हो जायेगी।

दूसरा, मेरा भीम विधान सभा क्षेत्र राजसमंद से करीबन 105 किलोमीटर पड़ता है और अगर मेरी लास्ट पंचायत मानें तो वह भी 165 दूरी पर रहती है। मेरा निवेदन है कि मेरे वहां एडिशनल एस.पी. की अगर पोस्ट क्रिएट कर दें तो मैं सोचता हूं कि वहां भी बहुत अच्छी एक सुविधा हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा दूसरी मेरी एक समस्या है कि नगरपालिका देवगढ़, वह

(श्री हरिसिंह रावत)

भी एक बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर केवल पोस्ट है। तो मेरा निवेदन है कि वहां सी.आई. सर्कल बन जाए तो इस व्यवस्था में चार चांद लग जायेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दो मिनट, माननीय सभापति महोदय। दूसरा मेरा निवेदन है, जयपुर की कुछ घटना मैं बताना चाह रहा हूं ...

श्री सभापति: अब घटना तो आप बता चुके, घटना तो काफी बता चुके, स्पेसिफिक हो तो बताओ आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): एक तरफ तो मैंने देखा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज से करीब दो साल पहले जो यह टटलू वाली बातें कर रहे हैं, अलवर जिले में एक मालाखेड़ा गांव है, वहां पर मेरे भीम के एक व्यक्ति से करीब दो ईंट बोल करके छह लाख रुपये के करीब लूट लिये थे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व निवर्तमान गृह मंत्री, गुलाबजी को और जिसमें उनके एक एस.पी. थे बीजू जोर्ज जोसफ और एक डीवाई.एस.पी. पारस जैन, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...कि ये पहले व्यक्ति हैं जो कि चोरों के घर से वे छह लाख रुपये लेकर आये। ऐसे में मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री बंशीधर जी खंडेला। माननीय सदस्य, अब ...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): साथ ही साथ अब जो जयपुर की घटना मैं बताना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में ही खतम होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री बंशीधर जी खंडेला। (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम जी कोली। (व्यवधान) मैं तो तैयार हूं, माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का बहुत कम समय मिला है और आपसे पहले ही निवेदन कर देता हूं कि कम से कम मेरे क्षेत्र की समस्याओं को तो बोलने का मुझे समुचित समय दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहले मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे

(श्री ग्यारसाराम कोली)

में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। बयाना कस्बे में 27.11.2008 को जिस समय विधान सभा का चुनाव अपने यौवन पर था, एक वकील के पुत्र की नृशंस हत्या दिन के छह बजे असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई। इस मामले में बयाना कस्बे में वकीलों का एजिटेशन हुआ, खूब हड़ताल हुई, स्थानीय पुलिस अधिकारी आये और मैं भी एक-दो दिन उस भूख हड़ताल पर बैठे हुए वकीलों के बीच में बैठा। स्थानीय डीवाई.एस.पी. और ए.डी.एम. साहब पधारे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम निश्चित रूप से मुलजिमों का पता लगायेंगे लेकिन 27.11.2008 के बाद में चार दिसम्बर का था विधान सभा का रिजल्ट, 8 दिसम्बर का था, आपकी यह सरकार एग्जिस्टेंस में आयी और आज तक उसका कोई पता नहीं लगा है। एक भी मुलजिम को पकड़ने में यह सरकार नाकामयाब रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बातों में मशगूल नहीं रहें, कम से कम ऐसी दर्दनाक घटना को आप नोट करें और बयाना के इस पहले काण्ड को आप उजागर कराने में सहयोग करें तो मैं मान लूंगा कि यह संवेदनशील सरकार है, अन्यथा काल्पनिक सरकार और पंगु सरकार जिसको संज्ञा देते आये हैं, ऐसी सरकार अगर ऐसे नृशंस हत्याकाण्ड को उजागर नहीं करे तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए।

दूसरा, इसके अलावा एक अन्य घटना आपको फिर पेश करता हूं। बयाना पंचायत समिति के सामने पैट्रोल पम्प है, पैट्रोल पम्प से सात बजे रामेश्वर दयाल एडवोकेट, जो उसका मालिक था, डेली पैसे लेकर के अपने घर जाता था। चूंकि पूरा कलेक्शन करने के बाद बैंक आवर्स नहीं रहते थे, सात बजे गया और बीच रास्ते में सरेआम चाकुओं से गोदकर के रामेश्वर दयाल अग्रवाल की नृशंस हत्या कर दी गई। इस पर भी वो ही बयाना के नगरवासियों ने बाजार बंद रखा, भूख हड़ताल हुई, निश्चित रूप से मैं भी उसमें दो दफे शामिल हुआ और काफी आश्वासन मिलने के बाद में, जिसको मैंने 295 में भी उठाया था, आज तक उस मामले में मुलजिमों को तो पकड़ना दूर

(समय : 01.00 बजे)

रहा, पुलिस को यह तक पता नहीं है कि इसको कर कौन गया। आज भी

(श्री ग्यारसाराम कोली)

स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब मैं जाता हूं और कंसर्न्ड सी ओ से या एस पी से बात करता हूं तो कहते हैं कि जांच चल रही है। यह जांच कब तक चलेगी, क्या दस साल तक चलेगी? या यह सरकार चली जाएगी तब तक पूर्ति होगी?

तीसरा काण्ड दिनांक 20 फरवरी, 2010 का है। 20 फरवरी, 2010 की रात को गणेशी मार्केट में एक थोक व्यापारी के यहां शटर को तोड़कर के बड़े स्केल पर घी के पीपे और बहुत अच्छी बैस्ट क्वालिटी का चावल, रिफाइन्ड, इस तरह से ट्रक में भर कर के माल चोरी हुआ। इसको भी मैंने 295 के तहत उठाया था। उसका जवाब किस तरह से आता है कि हमने गश्त बढ़ा दी है। गश्त बढ़ाओ या थानेदार लगाओ या एस पी लगाओ या आई जी लगाओ, हमें आपकी व्यवस्थाओं से कुछ लेना-देना नहीं है, हम चाहते हैं कि मुलजिमों को पकड़ा जाए।

तो ये तीन उदाहरण हैं बयाना कस्बे के। मैं तो निकम्मी सरकार कहूंगा और उदासीन सरकार कहूंगा कि एक कस्बे में तीन-तीन काण्ड हो गये जो जघन्य अपराध की श्रेणी के हैं। दो मर्डर हैं और एक भारी भरकम चोरी का मामला है। गृह मंत्री जी इस बात के लिए अपने भाषण में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अभी तो मेरे फर्स्ट वर्डस हैं, यह तीसरा भी पूरा नहीं हुआ और आपने घण्टी बजा दी।

आप कहते हैं कि संवेदनशील सरकार, हम ऐसा वातावरण देंगे, हम ऐसा प्रशासन देंगे, लॉ एण्ड आर्डर की ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, क्या करेंगे, कितनों को मरवाओगे? अभी तो आपने एक ही कस्बे में करवाया है, पन्द्रह महीने में एक कस्बे का उदाहरण दिया है मैंने, ऐसे राजस्थान के गिनाएं तो हजारों केसेज हैं।

इसलिए, सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार के कानून को मैं सावचेत करना चाह रहा हूं और गृह मंत्रीजी का विशेष ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि कम से कम ऐसे जघन्य अपराधों को तो आप ट्रेस-आउट करवा दें अन्यथा आपका क्या माजरा रहेगा, इस सरकार का क्या स्थान रहेगा? मैं कह रहा हूं और यह वहां की पब्लिक की आवाज है, आप वहां जाकर तो देखो, वहां पुलिस अधिकारियों के घुसने की हिम्मत नहीं है। जब मैं वहां जाता हूं तो

(श्री ग्यारसाराम कोली)

पुलिस अधिकारियों को लेकर जाता हूं जनता के बीच में, तब कहीं वह कहते हैं कि विधायक महोदय, आप इस सरकार के ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देते हो। उलटा मेरे ऊपर आरोप इसलिए आता है कि काम तो मुझे इनसे ही लेना है।

दूसरा, यहां इन्वेस्टीगेशन का सवाल है। हो सकता था, यह खुल जाता लेकिन सरकार की नीति को और उजागर करना चाह रहा हूं। इस पीरियड में तीन सी आई के ट्रांसफर, तीन दफे सी आई के ट्रांसफर। जब मैं माहौल बनाकर रखता हूं कि चलो, यह अधिकारी इसमें काम करेगा तब तक उसका ट्रांसफर। लाइन पर आए तब ही ट्रांसफर।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करो।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): स्थानीय डीवाई एस पी के दो बार ट्रांसफर। सभापति महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है, यह कोई मैं किसी पार्टी विशेष की भर्त्सना नहीं करता, अपोजिशन नहीं करता, मैं अपने दुःख को आपके माध्यम से सरकार को बताना चाह रहा हूं और अगर इसमें भी घंटी बजती है तो यह मेरे लिए तो बड़े दुःख की बात है।

माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को एक बात के लिए मैं सावचेत भी करना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा। पुलिस अधिकारी क्या करे और पुलिस अधिकारी की हिम्मत क्या है, यदि सरकार चाहे तो किसी पुलिस अधिकारी की, चाहे वह आई पी एस ही क्यों न हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वह किसी केस को ओपन नहीं करे और काम नहीं करे। लेकिन हम जब हमारे कृत्य ही ऐसे हैं तो हमारे सबआर्डिनेट हमारी क्या परवाह करेंगे? उदाहरण के तौर पर जो ट्रांसफर .....

श्री सभापति: सम अप करें। श्री अब्दुल सगीर जी।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): एक मिनट, मैं अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। थानेदार और डीवाई एस पी के जो ट्रांसफर्स लोअर स्तर पर हुआ करते थे, आज गृह मंत्रालय से होते हैं। क्या यह भ्रष्टाचार को नहीं दिखाता?

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर जी।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, आपने बोलने का जो समय दिया, धन्यवाद।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर के साथ करना चाहूंगा और तवज्जोह चाहूंगा हमारे गृह मंत्रीजी की कि

इस शहर ने किस चीज की कीमत नहीं मांगी,

इस शहर ने किस चीज की कीमत नहीं मांगी,
मैं खुश हूं इसी पर कि शराफत नहीं मांगी
और अर्ज किया है कि हर बात को कहने के लिए अपनी जुबां से
हाकिम से कभी मैंने इजाजत नहीं मांगी।

आज देखिये, गृह मंत्रीजी इस सदन के अन्दर आज जितने वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं दोनों पक्ष के, यह इस बात का सबूत है और दलील है कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन राजस्थान में बद से बदतर हो गई है। रात के एक बजे यहां 23 तारीख लग गई है और सारे विधायकगण व यह सदन इस बात पर बड़ी गम्भीरता से चिन्तन और मनन कर रहा है कि हमारी पुलिस को कैसा रोग लगा है। यह प्रशासन और यह गृह मंत्रालय किस तरह से विफल हुआ है, सारे राजस्थान की जनता देख रही है। गृह मंत्रीजी, सारे आंकड़े जो आपने प्रस्तुत किये हैं राजस्थान पुलिस के नाम से, यह इस बात के सबूत हैं और शहावत हैं कि यह जितने भी हैं, ये एफ आई आर की बेसिस पर हैं। इसमें private complaints u/s 200 and 202 of the Cr. P.C. are not being included. अगर उनको मान लिया जाए जो पुलिस एफ आई आर रजिस्टर नहीं करती which is mandatory. as per the latest proouncement of the Supreme Court, they have to register an FIR. क्यों नहीं करते? वे इन्तजार करते हैं कि गृह मंत्रीजी का फोन आएगा, विधायकजी का फोन आएगा और उसके बाद, दो दिन के बाद एफ आई आर दर्ज करते हैं कि किस-किस का इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। इधर का पलड़ा भारी है कि एफ आई आर दर्ज की जाए या नहीं की जाए।

दुर्भाग्य यह है, हमारी जनता को यह पता नहीं कि अगर पुलिस एफ आई आर दर्ज भी नहीं करती, you have got a right, you can approach the court, take an order u/s 156(3) of Cr. P.C. which will make it mandatory for them to register the case and produce either a charge for sheet or say that there is no case made out, FR. जो एफ आर भी लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूं मेरे विधायक बन्धुओं से कि पुलिस को अनब्रिडल्ड पावर्स हैं लेकिन हिन्दुस्तान के संविधान ने और हमारे कानून ने अदालतों को सबसे बड़ी शक्ति दी हुई है। पुलिस

(श्री अब्दुल सगीर खां)

निरंकुश नहीं हो सकती बशर्ते कि ये मैम्बर्स आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली कानून को समझें। एफ आर लगने के बाद भी अदालत में प्रोटेस्ट पीटिशन डाली जा सकती है That cannot be the final order of the police. Police is not the final authority लेकिन हम यह जनता को शिक्षित नहीं कर पाते।

जनता समझती है कि पुलिस ने अगर एफ आई आर नहीं ली तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। हमारा कुछ हो ही नहीं सकता और वह घर में जाकर बैठ जाते हैं। तो कानून ने प्रावधान दिये हैं। उन प्रावधानों का अगर ज्ञान जनता तक जाए तो हम पुलिस के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे और असहाय होकर घर में नहीं बैठेंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस को प्रिवेंटिव पावर्स हैं. You are simply planning to commita robbery. This comes to the knowledge of the police. They can arrest those guys. लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स को पुलिस कितनी बार इस्तेमाल करती है? पुलिस का खुफिया तंत्र जहां पर भी पुलिस है सारे छुटभैयों के अड्डे से उनके नाम, उनके पते और वही उनके स्पाइज होते हैं जो कि सारी इन्फोर्मेशन उनको देते हैं। तो यह बात नहीं, पुलिस के पास शक्तियां हैं, शक्तियां देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकार की नीयत और नीति कैसी है। सवाल सिर्फ नीयत का होता है और हाकिम की नीयत पाक है और हाकिम अगर साफ है तो ब्युरोक्रेसी की मजाल नहीं है, पुलिस की भी मजाल नहीं कि बिना गृह मंत्री और मुख्य मंत्री के कोई भी ऐसी बात हो सके जो वे नहीं चाहते हैं।

हाहाकार मचा है। दोनों तरफ के विधायक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम जब प्राइवेट इंस्पेक्शन करते हैं, corruption is no issue. Why? This is eating into the vitals of this country. It is a cancer.

इस देश के अन्दर अगर सबसे बड़ा पतन हुआ है, सबसे बड़ी बीमारी है तो वह है मोरल क्राइसिस. When wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost and when character is lost everything is lost. This nation has lost its character. आज हम अंगुली उठा रहे हैं लेकिन हम अपने गिरेबान में जब झांक कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम किसको पत्थर मारें, हम खुद भी इस पाप के भागीदार हैं। अगर हम लोग जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इस अदालत में जो

(श्री अब्दुल सगीर खां)

जनता की सबसे बड़ी अदालत है राजस्थान की, उसमें अपनी आत्मा, अपने दिल की आवाज को और मन से यह प्रण लेकर जो जनता के बीच में भावुक भाषण देकर और उनके वोट बैंक को लूटकर यहां प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं यह Politicians in additional to police and criminals have got lapses. This is an admitted position. हम पालिटिशियंस भी उतने जिम्मेदार हैं जितने कि पुलिस वाले, जितने कि क्रिमिनल्स। उनकी बदौलत जीतकर यहां आते हैं और इसीलिये क्रिमिनल्स खतम नहीं होते। पुलिस पेट्रोनाइज करके उनको रखती है। वे आपको वोट दिलाते हैं।

तो जब तक यह तंत्र नहीं टूटेगा चाहे राजस्थान हो या हिन्दुस्तान, पुलिस की स्थिति नहीं बदलेगी। पुलिस में रिफार्म्स लाने की आवश्यकता है। रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा। जिस तरह कि मिलिट्री के नौजवान देश के फ्रंटियर्स को डिफेंड करते हैं, एक जज्बा होता है, एक भावना होती, दिल में एक कसक होती है..

श्री सभापति: माननीय सदस्य सम-अप करो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): पुलिसमैन उस भावना के साथ जो प्रैयर वह सुबह अपने कार्यालय में करते हैं और जिसका बखान यहां हुआ है 'जन रक्षा संकल्प हमारा, जन रक्षा ईमान, आरक्षी का धर्म एक है त्याग और बलिदान', मैं प्रभु, ईश्वर से यही दुआ करूंगा, काश, आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतार लो तो इस देश का और इस राजस्थान का उद्धार हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द जी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 16 पर चर्चा के माध्यम से विभाग पर जो कालिख पोती गयी है उसमें और कालिख पोतने की कोई जगह मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं केवल मेरे क्षेत्र की बात करूंगा।

जयपुर जिले में लूट की परसेंट है 78.95, बलात्कार का प्रतिशत है 40, हत्या 15.52 और नकबजनी 33.90, ये जयपुर जिले के आंकड़े हैं और इसमें भी एस टी, एस सी के अत्याचारों की जो स्थिति है वह 13.24 है। इसी राजस्थान सरकार द्वारा पर कैपिटा वृद्धि दर जो दी गयी है वह .50 है, आधा परसेंट। इस कारण से वह आईना दिख रहा है।

मेरे क्षेत्र का एक मतदाता की जो जयपुर में रहता था, मुकेश मंगल

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

की हत्या हुई और एडिशनल एस पी ने टेलीफोन करके छुड़वाया, उसके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। पुष्कर और राकेश दोनों अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गये। यह 10 महीने पहले का वाकया है।

दूसरा अपराध कैसे रुके ? विधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से गृह मंत्रीजी ने मुझे एक क्वेश्चन के उत्तर में दिया है जो मुझे 25.8 को प्राप्त हुआ था। अभियोग में थाना प्रभारी द्वारा अनुसंधान के उपरान्त एफ आर गलतफहमी में दी गयी जाकर अभियोग का निस्तारण किया गया। आगे जवाब देते हैं। आरोपी डीलर को थाने से एफ आर की प्रमाणित-अप्रमाणित कापी उपलब्ध नहीं हुई। यह मेरे पास मौजूद है। सभापतिजी, यह असत्य जवाब अगर गृह मंत्री देगा तो फिर अपराधी छोड़ने का पुलिस को पूरा राईट है ऐसा मैं मानता हूं। इसमें अगर गृह मंत्री अपराधी है तो पुलिस भी अपराधी है। इसके नीचे लिखा है, 8 महीने बाद बात कर रहा हूं, तीसरा उत्तर दिया है कि अभियोग री-ओपन कर शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर निस्तारण किया जायेगा।

अब आगे की स्थिति मैं निवेदन कर रहा हूं। 1,206 क्विंटल ए पी एल और बी पी एल के गेहूं का गबन, 609 क्विंटल अकाल राहत का गेहूं, 29,599 लीटर केरोसीन इसका जो गबन था उसका 22.12.2008 को आदेश हुआ डी एस ओ का और एफ आई आर दर्ज हुई 5.1.2009 को। अगर 13 दिन बाद एफ आई आर दर्ज होती है तो मैं मान सकता हूं कि क्या स्थिति हो रही है? मैं यह भी मान सकता हूं कि एफ आई आर की कापी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दे चुके हैं जवाब। आगे क्या..

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, मैं एक ही केस निवेदन करूंगा। यही अंतिम केस है। 15.3.2009 को एफ आर लगी और 26.3.2009 के एक पत्र में अपराधी लिख रहा है कि एफ आर लग चुकी है इसलिये मुझे बहाल किया जाए। सभापतिजी, इस पर रिकमंडेशन है एक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की और वहीं नम्बर डले हुए हैं राज्य मंत्रीजी के 156/31.3.2009, उसमें नीचे लिख रहा है जिला रसद अधिकारी जयपुर, निर्देशानुसार उपयुक्त कार्यवाही कर अवगत कराएं और कितनी तारीख को बहाल हो गये? उसके 6 दिन बाद वह बहाल हो गये। बहाल होने के 6 महीने बाद मुझे गृह मंत्रीजी का दूसरा उत्तर मिला है अतारांकित प्रश्न का, उसमें यह नहीं लिखते। बाद में यह लिखते हैं कि मैंने एडिशनल एस पी से जो इंक्वायरी करायी थी, री-ओपन करके उसमें और पुराने एफ आर जिसमें गलतफहमी के आधार पर एफ आर

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लगी, उसमें दोनों में ही समावेश नहीं है। इस कारण से तीसरी इंक्वायरी खुद गृह मंत्रीजी के आदेश से हुई है और उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आयी। अगर इतना 27 लाख का गबन उस दिन था तो आज वह गबन इतनी महंगाई के कारण से कितना चला गया? उसमें भी 15 महीने अगर एफ आर के कारण से वह नहीं लगा और चालान पेश नहीं हुआ तो इस राजस्थान का दुर्भाग्य मानता हूं जिसमें गृह मंत्री और गृह मंत्री का विभाग सम्मिलित है। यह स्थिति मैंने आपके सामने निवेदन की। ऐसी स्थिति में मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूं तथा कम से कम ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से न दिलाया जाए जिससे हमें भी जनता के सामने शर्मिन्दा होना पड़े।

मैं 2 मिनट और चाहता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गलतफहमी में एफ आर लगायी है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या हुआ ? उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी? इस गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर गांधी जी का फोटो छाप कर और पाप किया है। कम से कम इतना तो मेरा निवेदन स्वीकार करें कि आइन्दा गृह मंत्री की जो असत्य रिपोर्ट आती है उस पर माननीय पूज्य गांधी जी का फोटो नहीं छापा जाए।

मैं आपसे कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव में वह अपराधी मंच पर था, राज्य मंत्री के मंच पर वह मौजूद था। इसको मैं प्रमाणित कर सकता हूं। इस कारण से मैं क्या उम्मीद करूं कि 15 महीने में चालान पेश होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी जी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): दो सुझाव आपको देना चाहता हूं। सभापतिजी, मैं सुझाव देना चाहता हूं। दो सुझाव, केवल दो सुझाव। (व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजें आप। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मेरे साथ अन्याय हुआ। मैंने प्रमाणित आरोप लगाये हैं।

श्री सभापति: आपने दे दिये ना सुझाव। मंत्रीजी को ले जाकर के दे देना। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मिनट दे दीजिये।

श्री सभापति: विराजें आप, माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मिनट दे दीजिये, ज्यादा नहीं

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि दागी अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देते हैं इसको रोका जाये और चालान में कम से कम यह तो नहीं किया जाये कि मंत्री चपेट में आयें।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एसीबी बाकी सभी विभागों के अधिकारियों को पकड़ रहा है लेकिन पुलिस का एक भी केस ए सी बी नहीं पकड़ रहा है। इसको मुख्य मंत्रीजी के नियंत्रण में रखा जाये, गृह मंत्रीजी से हटाकर।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी जी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जयपुर जिले में एक एस.पी. की पोस्टिंग की जाये, उत्तरी एस.पी. के नाम से जयपुर ग्रामीण की। बस इतना ही निवेदन था। जयहिन्द।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी जी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की स्थिति आपके सामने आ चुकी है। मैं केवल भीलवाड़ा शहर की स्थिति के बारे में आपके सामने कुछ शब्द रखूंगा। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि कृपया इन्हें गम्भीरता से सुनें।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है परन्तु पिछले 15 महीनों से इस शहर की ऐसी दुर्दशा हो रही है कानून और व्यवस्था के बारे में, उसकी कुछ बानगी मैं आपके सामने रखता हूं। वकील अमित यादव हत्याकांड हुआ, पूरे राजस्थान में उसका आंदोलन हुआ, तीन पुलिस वालों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई। पूरे राजस्थान में उस घटना क्रम की निंदा की गयी। आज तक वह तीनों पुलिस वाले फरार हैं और चालान आज तक नहीं हुआ, समय निकल चुका है, अधिकांश अपराधियों की जमानत हो चुकी है। बहुत शर्मनाक विषय है यह।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर में चार बार सांप्रदायिक तनाव हुआ। मैंने कलक्टर और एस.पी. को खुद चिट्ठी लिख करके दी कि अगली घटना जब भी होगी तो बहुत गम्भीर होगी। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और मोहर्रम के अवसर पर ऐसी दुर्घटना हुई कि भीलवाड़ा शहर 5 दिन तक कर्फ्यु के साये में रहा।

सभापति महोदय, ये सारी घटनाएं एक थाना क्षेत्र में हो रही हैं। सुभाष

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

नगर थाना क्षेत्र है, ये सारी घटनाएं वहां से शुरू होती हैं। उसके बाद प्राइवेट बस स्टैंड पर एक दिन पहले एक छोटी सी घटना होती है। पुलिस के अधिकारी उस पर भी गम्भीरता से ध्यान नहीं देते और दूसरे दिन बहुत भयंकर पंगा होता है। पुलिस हास्टल में घुसकर के निर्दोष छात्रों के साथ, प्राइवेट बस स्टैंड पर निर्दोष व्यक्तियों के साथ और थाने के अन्दर जन-प्रतिनिधियों पर भयंकर लाठी चार्ज करती है और उस लाठी चार्ज को जस्टिफाइ करने के लिए असत्य मुकदमे लगाये जाते हैं। उनकी हाई कोर्ट में जमानत होती है। मजबूर होकर के विधायक को चार दिन की भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है।

सभापति महोदय, इस सबका लब्बोलुआब यह है कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राजस्थान सरकार ने जिनको हमारे जिले का प्रभारी बना रखा है, वे प्रभारी मंत्री माननीय जितेन्द्र सिंह जी वहां पधारे और उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस की। उस प्रेस कांफ्रेंस का पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने एक मिनट के अन्दर रखता हूं। प्रभारी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समन्वय की कमी के कारण अराजकता, मैं वापस जोर देकर के कहूंगा कि प्रभारी मंत्री ने भीलवाड़ा जिले में अराजकता की स्थिति मानी है और उन्होंने आगे कहा कि बीते कुछ महीनों में वस्त्र नगरी की बिगड़ती कानून व्यवस्था के पीछे बड़ा कारण पुलिस और प्रशासन के बीच आपसी समन्वय का अभाव रहा है, इससे भीलवाड़ा की प्रतिष्ठा और साख को गहरा आघात पहुंचा है। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने आये जिले के प्रभारी ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद कानून-व्यवस्था पटरी पर आ जायेगी व पहल करके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर लाकर शहर के खोये अमन चैन को लौटायेंगे। सर्किट हाउस में सोमवार रात बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शांति भंग होने से यहां निवेशक आने से कतरा रहे हैं।

उस भीलवाड़ा से हजारों करोड़ का राजस्व इस सरकार को प्राप्त होता है और इस सरकार ने ऐसी स्थिति वहां पैदा कर दी है अराजकता की कि वहां निवेशक आने से कतरा रहे हैं। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि एक ही थाना क्षेत्र की घटनाओं के कारण से भीलवाड़ा की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है। इन सब घटनाओं की आप न्यायिक जांच करायें या किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच करायें और भीलवाड़ा की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है और वहां उद्योगों को जो नुकसान पहुंचा हैं उसके बारे में गम्भीरता से विचार करें

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

मेरा निवेदन है कि आप इस भीलवाड़ा शहर की कानून और व्यवस्था को अगर अब पटरी पर नहीं लाये तो वास्तव में वहां अराजकता की स्थिति होगी और सरकार के लिए शर्मनाक विषय होगा।

सभापति महोदय, दो-तीन बातें मैं व्यक्तिगत रूप से सुझाव के रूप में निवेदन कर रहा हूं। भीलवाड़ा में ट्रैफिक व्यवस्था बिलकुल बिगड़ चुकी है। उसको पटरी पर लाने के सम्पूर्ण उपाय होने चाहिए अन्यथा वहां एक्सीडेंट की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा भू-माफियाओं के कब्जे में है। हजारों केस वहां भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज हैं। वे सब पार्टियों में हैं। उनको राजनीतिक संरक्षण से परे हटकर के, इस पर सम्पूर्णता से विचार करके भू-माफियाओं के कब्जे से इस शहर को मुक्ति दिलायी जाये।

सभापति महोदय, एक बात और है कि जिले में गायों को अनाथ छोड़ दिया गया है। भीलवाड़ा जिले में सांप्रदायिक तनाव की बातें बहुत हो रही हैं। इस कारण से इन गायों पर ध्यान देना आवश्यक है अन्यथा ये सारी गायें कटने की लिये जायेंगी और छोटी सी बात पर कभी भी वापस सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। मेरी सरकार से मांग है कि तीन-चार माह के लिए इन गायों को सरकार अपने संरक्षण में लेकर उनको पालने की व्यवस्था करे।

मेरे को बोलने के लिए आपने मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय अपना जवाब दें उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): सभापति महोदय, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट।

श्री सभापति: मंत्री जी, मंत्री जी। मेरा निवेदन है, मंत्री जी।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): मैं तो बहादुर सिंह जी कोली की व्यवस्था करवा रहा था। सुबह तो दो आदमी चलाकर के लाये थे और अब वे भाग रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस के बाबत आज जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं और जो अच्छे-अच्छे सुझाव उन्होंने मुझे दिये हैं मैं उन सबके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। वक्त काफी हो गया है, इसलिए मैं धन्यवाद के लिए भी लम्बी बात बोलूं तो मेरा ख्याल है वह भी ठीक नहीं रहेगा। मुद्दे की बात पर आ जाना ठीक है।

कटौती प्रस्ताव मुझे मिले 184, मैं उनको शोर्ट में बता देता हूं और बाकी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सबके कटौती प्रस्तावों के उत्तर मैं उनके पास समय रहते हुए भिजवा दूंगा। खास तौर से 5-6 तरह के इसमें टाइटल्स बनते हैं, अपराध और कानून-व्यवस्था के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव मुझे मिले हैं जिसमें बाबूसिंह राठौड़ भी है, माननीय प्रभुलाल जी सैनी हैं, मोहनलाल जी गुप्ता है, राजेन्द्र राठौड़ जी हैं, श्रीमती संजना हैं, श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर हैं, बाबूलाल जी बैरवा हैं, रूपाराम जी डूडी हैं, डा. रघु शर्मा हैं, रामहेत सिंह जी हैं, अनिता सिंह जी हैं, कमला जी कस्वां हैं, कालीचरण जी सराफ हैं, अमराराम जी हैं, सी.एल. प्रेमी हैं, अनिता भदेल जी हैं, डा. फूलचंद भिंडा हैं, पेमाराम जी हैं, निर्मल कुमावत जी हैं, कैलाश चंद जी भंसाली हैं, केसाराम जी चौधरी हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मान लिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप तो मान लो, दूसरों को सुनने दो। आपको यदि जल्दी हो तो आप पधारो भले ही।

शिवजीरामजी मीणा हैं, मुझे दो घण्टे लगे हैं कम से कम, यह समझ लो आप। अवस्थीजी हैं, राधेश्याम जी गंगानगर हैं, अभिषेकजी मटोरिया हैं और जगसीरामजी हैं। मोटे तौर पर आपने जितनी भी बात कही है वह अपराध और कानून-व्यवस्था के बाबत कही है। अपराध बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, कौन-कौन से अपराध हैं जो बढ़ गए हैं, इस बाबत जो बात कही है उन सब का उत्तर मैं उनके पास भिजवा दूंगा।

दूसरी बात है आधारभूत ढांचे के लिए, आधारभूत ढांचा मतलब, किसी माननीय सदस्य का सुझाव था कि थाने में सी आई लेवल का आदमी होना चाहिए, पुलिस की चौकी खुलनी चाहिए, पुलिस के पास साधन कम हैं। पुलिस के पास वाहन होना चाहिए, उपकरण होने चाहिए, वगैरह-वगैरह जैसे बाबूसिंह जी राठौड़ हैं, मेवाराम जी हैं, अर्जुनलाल जी हैं, भगवान सहाय जी सैनी हैं, पवन जी दुग्गल हैं, गोविन्द सिंह जी डोटासरा हैं, सूर्यकांता जी व्यास हैं, संजना जी हैं, देवनानी जी हैं, बंशीधर जी खण्डेला हैं, अशोक जी पींचा हैं,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

राधेश्याम जी गंगानगर हैं, डाक्टर दिगम्बर सिंह जी हैं, हरिसिंह जी रावत हैं, कृष्णेन्द्र जी कौर हैं, छोटूसिंह जी भाटी हैं, बाबूलाल जी बैरवा हैं, पवन दुग्गल जी हैं, मंगलाराम जी हैं, डाक्टर गोपाल जी जोशी हैं, हेमसिंह जी भडाना हैं, कर्नल सोनाराम जी हैं, सूरजभान जी हैं, सुन्दरलाल जी हैं, शाले मोहम्मद जी हैं, रमेश जी खण्डेलवाल हैं, संतोष जी सहारण हैं, कालीचरण जी सर्राफ हैं, अमराराम जी हैं, सी एल प्रेमीजी हैं, मदन प्रजापत जी हैं, अनिता भदेल जी हैं, रामनारायण जी हैं, सुखराम जी हैं, पेमाराम जी हैं, भिण्डा जी हैं, कटारिया जी हैं, अनिलजी जैन हैं, पदमारामजी हैं, जाकिर हुसैनजी हैं, कुमावतजी हैं, प्रकाशचन्द्र जी चौधरी हैं, रमेश जी मीणा हैं, बहादुर सिंह जी हैं, शिवजीराम जी मीणा, ओमजी बिरला हैं, गोपाल जी, ममता जी, पानाचन्द जी, ममता जी भूपेश हैं, राधेश्याम जी, जगसीराम जी, वगैरह-वगैरह लोग हैं। इनको भी मैं अपने उत्तर भिजवा दूंगा।

तीसरा है नीतिगत निर्णय जिसमें है अर्जुनलालजी, प्रभुलालजी हैं, डोटसराजी हैं, ज्ञानदेवजी आहूजा हैं, रघुजी शर्मा हैं, रविन्द्रजी बोहरा हैं, केसारामजी चौधरी हैं, महेन्द्र सिंहजी चौधरी हैं, संतोषजी सहारण हैं, कमलाजी हैं, कालीचरणजी हैं, अमरारामजी हैं, अनिता भदेलजी हैं, राव राजेन्द्रसिंहजी हैं, रामनारायणजी मीणा हैं, सुखरामजी हैं, पेमारामजी हैं, दयारामजी परमार हैं, कटारिया साहब हैं, प्रतापसिंहजी खाचरियावास हैं, करणीसिंहजी हैं और रमेशजी मीणा, ये माननीय सदस्य हैं। इन्होंने नीतिगत निर्णय सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव दिए हैं कि इसमें किस तरह की कटौती होनी चाहिए, कमिश्नर पद्धति कहां-कहां लागू होनी चाहिए। कानून-व्यवस्था को किस प्रकार से अन्वेषण से अलग कर दिया जाए, ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं।

तीसरी खास, भ्रष्टाचार, पुलिस व्यवहार और पुलिस के प्रति शिकायत। इसके लिए रणवीर जी पहलवान, श्रवण कुमार जी, किरण जी माहेश्वरी, मोहनलाल जी, सूरजभान जी, कालीचरण जी, कटारिया जी, और ओम बिरलाजी, इन सब ने प्रस्ताव दिए हैं।

मेरा स्पष्ट निवेदन है कि वर्ष 2009 में आई पी सी के कुल मिलाकर 1 लाख 66 हजार 565 अपराध दर्ज हुए जो कि वर्ष 2008 में, आपके शासन में 1 लाख 51 हजार 174 की तुलना में 10.18 प्रतिशत अधिक थे। इसको स्वीकार करने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है। 10.18 प्रतिशत अपराध 2008 की तुलना में निश्चित रूप से बढ़े हैं। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि राष्ट्रीय

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

स्तर पर अपराधों में कितनी वृद्धि हुई। एन सी आर बी का जो विश्लेषण हुआ उसके अनुसार 15.7 प्रतिशत की वृद्धि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। यह एक अकेले राजस्थान में ही वृद्धि हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे ज्यादा वृद्धि और भी कई प्रदेशों में हुई है। इसका जिक्र चूंकि बात लम्बी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं करना चाहता। यह वृद्धि क्यों हुई, किन कारणों से हुई और हर साल होती है। यह भी नहीं, 2008 में हुई, 2007 में कम थी। ऐसा नहीं है, 2008 में वृद्धि नहीं हुई हो, पहले कम थी, 2007 में वृद्धि नहीं हुई हो। हर साल वृद्धि हुई है और यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर हर साल होती आई है।

देखिए, कई चीजें आ गई हैं। एक हजार किलोमीटर का आपके पाकिस्तान का बोर्डर है और आई एस आई अपना काम करती है, तस्करी भी करती है, जाली नोट भी भेजती है, हेरोइन भी भेजती है, यह भी करती है, वह भी करती है, वगैरह-वगैरह। सामाजिक परिदृश्य बदले हैं, आर्थिक परिदृश्य बदले हैं, अंतरराष्ट्रीय अपराधों के कारण भी आपके साइबर क्राइम बढ़ा है, कई तरह की चीजें हुई हैं जिनके कारण से इस वृद्धि को रोकना चाहते हुए भी कोई प्रदेश नहीं रोक पाया, केवल अकेला राजस्थान ही क्या, दूसरे प्रदेश भी नहीं रोक पाए। यही कारण रहा लेकिन फिर भी 2009 में आई पी सी के केसेज में, अपराधों में जो वृद्धि हुई उसमें राजस्थान की पुलिस ने 80.12 परसेंट पर चालान पेश किए और खास तौर पर सम्पत्ति के अधिकारों पर, प्रोपर्टी केसेज में बरामदगी जो हुई, वह 55.18 परसेंट की बरामदगी फिर भी करके दिखाई।

मेरा निवेदन यह है कि इण्डिया टुडे ने एक सर्वे छापा है सितम्बर, 2009 में और वह सर्वे चौंकाने वाला सर्वे था। मेरा ख्याल है, आप लोग विद्वान हो, आपने जरूर देखा होगा, 2002-03 में जब गहलोत सरकार थी, उसमें पूरे भारत के प्रदेशों में कानून-व्यवस्था में राजस्थान की गिनती नम्बर चौथे पर रखी। उसके बाद जब गिरावट आई तो वह गिरावट ऐसी आती गई कि वह 2008 में यह छठा स्थान हो गया लेकिन 2009 में भी यह छठा स्थान ही रहा, हमने इसको गिरने नहीं दिया। इसके कई कारण हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, दो तरह के अपराध होते हैं एक माइनर क्राइम और एक मेजर क्राइम । माइनर क्राइम तो यह भी है कि पांच आदमी इकट्ठे हुए, 341 लग गई। आपने मेरा कान मरोड़ दिया, मैंने आपके हल्का सा थप्पड़ मार दिया, धक्का मार दिया, इसमें भी 323 का केस बन गया। तो भी वह क्राइम की गिनती में आएगा ही आएगा। कुल मिलाकर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जो मेजर क्राइम थे, वे मेजर क्राइम पूरे राजस्थान में 2009 में कुल मिलाकर 4,998 ही रहे। माइनर क्राइम्स की संख्या जरूर ज्यादा थी। माइनर क्राइम्स थे 1 लाख 61 हजार 567 । अब इन माइनर क्राइम्स में क्या, धोखाधड़ी है, इतना बड़ा व्यवसाय है, पूरे हिन्दुस्तान में आपस में एक दूसरे के बीच में धोखाधड़ी भी होती है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे देता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा दे देता है। कम्पनियों में झगड़े होते हैं, यह होते हैं, वह होते हैं, इस तरीके के केसेज हैं जिनसे आम जनता प्रभावित नहीं होती। आम जनता को कोई लेना-देना नहीं होता इन चीजों का लेकिन उन माइनर क्राइम्स को भी हमने इसमें इनक्लूड किया है टोटल क्राइम्स की संख्या में, वह संख्या जो मैंने बताई है आपको 1 लाख 61 हजार की उसमें वह माइनर क्राइम्स भी शामिल हैं। कई प्रकार के हैं।

एक बात आपने उठाई थी, कटारिया साहब ने चालान की। दो बातें थीं आपकी, एक तो बरामदगी और दूसरी चालान की। मैं चालान का प्रतिशत आपको बताता हूं, बरामदगी का भी प्रतिशत बताऊंगा, चालान का प्रतिशत बताना चाहता हूं 2009 का, एक साल का बताना चाहता हूं नहीं तो लम्बा हो जाएगा बहुत सारे सालों का बताऊंगा तो, हत्या के मामलों में चालानी प्रतिशत 92.25 प्रतिशत रहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हंडरेड परसेंट रहता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हण्डरेड परसेंट रहता हो किसी साल तो वह साल बता दें आप मुझे। (व्यवधान) कब रहा? ...(व्यवधान) मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, मैंने बहुत शांति प्रिय तरीके से भाषण सुना है आपका, कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जिसके बीच में मैं बोला हूं। कृपया मुझे बोल लेने दीजिए, फिर कोई शिकायत हो तो मुझसे जरूर कह दीजिएगा। मैंने आज अपने आप को खूब रेस्ट्रेन करते हुए, मैंने किसी का भाषण बिलकुल थोड़ा सा भी इंटरप्ट नहीं किया। (व्यवधान) हत्या का प्रयास ......(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह पहली बार हुआ है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेहरबानी आपकी।

हत्या के प्रयास में 98.64 रहा, डकैती के मामले में चालानी प्रतिशत 87.50 लूट के मामले में 62.90 प्रतिशत रहा, बलात्कार के मामले में भी 99.66 परसेंट रहा और इसी तरीके से बलवे के मामले में 99.8 परसेंट रहा,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

नकबजनी में 32.51 रहा, कम रहा इसमें कोई दो राय नहीं है, चालानी के मामले में कम रहा, 22.96 रहा और जितने भी दूसरे दीगर केसेज हैं उनके मामले में 95.23 रहा।

यह परसेंटेज कम नहीं है। यह उपलब्धि नहीं है कि राजस्थान की पुलिस ने कितनी मेहनत से यह इनकी तफतीशें करके वक्त पर चालान पेश किया है। मैं आपको लम्बी बात नहीं कहते हुए सिर्फ दो माह की प्रगति बताता हूं। दो माह मतलब 2009 की जनवरी और फरवरी में क्या हालत थी और 2010 की जनवरी और फरवरी में क्या हालत थी। हत्या के मामले ले लें आप। 2009 में कुल मिलाकर के जो दर्ज हुए केस हत्या के वह 207 थे और 2010 में वह घटकर के 195 रह गये मतलब माइनस 5.80, यह कमी हुई। आज इसी तरीके से हत्या के प्रयास 2009 की जनवरी, फरवरी में 223 थे जो घटकर के 210 रह गये, डकैती के 10 थे जो घटकर 7 रह गये, लूट के 123 केसेज थे जो 116 रह गये, अपहरण के 445 थे जो घटकर 425 रह गये। इसी तरीके से बलात्कार के केसेज 226 थे वह 192 रह गये, बलवे 150 से 148, नकबजनी 941 से 836, चोरी 3,847 से 3,546 । इस प्रकार से टोटल 2009 के जनवरी और फरवरी के जो टोटल कैसे बने, रजिस्टर हुए वह 25,229 थे, जबकि इन दो महीनों के 2010 के घटकर 22,944 रह गये, जो माइनस 9.04 थे। यह आपकी जानकारी के लिए है। इसके संदर्भ में अलावा हम एक तरह से ठीक हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस पर 50 तरह के भ्रष्टाचार के... राव राजेन्द्र सिंह जी ने भाषण दिया और उन्होंने यह कहा कि आज यह आम इम्प्रेशन है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वह पुलिस का डिपार्टमेंट है। यह आप इशारा कर रहे हो। उनकी तरफ से वही बात बोल रहा हूं। हम यह नहीं कहना चाहते कि उनकी कही हुई कोई बात बिलकुल ही सत्यवादी हरिश्चन्द्र की बात कही हुई, हो लेकिन आम इम्प्रेशन जो बताया जाता है कि साहब, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो वह पुलिस में है। लेकिन वह पता नहीं, किसी सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस का भ्रष्टाचार नम्बर दो पर है, कोई दूसरा विभाग है जो पहले नम्बर पर है। यह उन्होंने कहा।

मैं ठीक तरह से यह बात कहना चाहता हूं कि कई बार वारदातें जो आप आपके वक्त पर खोलने में असफल रहे, वह राज बदलने के बाद कांग्रेस

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

के टाइम पर खुलीं। मैं उन वारदातों को भी आप चाहें तो बताना चाहता हूं, 10 -12 वारदातें ऐसी हैं जो मुख्य वारदातें हैं। पंजाब नेशनल बैंक के लिए डा. दिगम्बरसिंह जी ने आज भाषण दिया कि एमआई रोड पर पंजाब नेशनल बैंक पर 9 लाख रुपये छीन लिये गये। तमिलनाडु की गैंग थी और 22 आदमियों की गैंग थी। यह राजस्थान की पुलिस ही थी जिसने कि उनको गुजरात में जाकर के गिरफ्तार किया और न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनकी गिरफ्तारी से भोपाल, आगरा, अहमदाबाद, आदि कई शहरों में जहां पर उसने बैंक में डकेती की, उन सब को खोला। यह राजस्थान की पुलिस को मैं कहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण काम था, इतनी जिम्मेदारी का काम था कि जितनी प्रशंसा इन अधिकारियों की की जानी चाहिए उतनी ही कम है।

आज इसी तरह से वैशाली नगर थाने की बात है। चार लुटेरे 19 तारीख की बात है, यह 19 जो अभी निकली है, 15 लाख 40 हजार रुपये की लूट हुई। लुटेरों को उसी वक्त पकड़ लिया गया और पकड़ा ही नहीं गया बल्कि उनसे 2000 व 1996 में जो उनके द्वारा लूट की गई, चाहे वह कोटपूतली की लूट थी, अलवर की लूट थी, 2000 में मुरलीपुरा की लूट थी, वह सारे के सारे बैंकों की लूट इन्हीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा खोली गई।

आज इसी तरह से अलवर का लीजिए। अलवर कीपुलिस ने दिसम्बर, 2009 में मध्य प्रदेश के कालबेलिया गैंग को पकड़ा इस प्रकार दर्जनों हत्याएं, डकैती, पैर काट कर कड़े काट लेना, जेवर लूट लेना, अलवर में, भरतपुर में, दौसा में, करौली, सवाईमाधोपुर में सैकड़ों वारदातें खोलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो यह राजस्थान की पुलिस को जाता है।

अलवर के नरायणा को ले लें जहां 22 लाख रुपये की लूट हुई। 3 अभियुक्त दिसम्बर, 2009 में पकड़े गये और सिर्फ पकड़े ही नहीं गये बल्कि हरियाणा और अलवर में जो उनके द्वारा एक दर्जन बैंकों में लूट हुई, वह सारे के सारे प्रकरण राजस्थान की पुलिस ने खुलवाये।

कोटा पुलिस की बात ले लें आप। 6 डकैतों को अभी पांच रोज पहले उन्होंने पकड़ा जो भिण्ड, मुरेना की तरफ से आये हुए थे और जिनके पास सैकड़ों की तादाद में रिवाल्वर, बंदूकें, कारतूस और क्या-क्या चीजें, आर्म्स एण्ड एम्युनिशंस वगैरह-वगैरह थे जो किसी जेवरात के शोरूम पर लूट लगाने की, डकैती का प्लान बना रहे थे उनको डकैती करने के पहले ही पकड़ लिया गया।

चन्देरिया के जिंक प्लांट का किस्सा ले लें, पर्वत सिंह राणा का केस

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

ले लें आप, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करो और राजस्थान की सरकार को उन बेकसूर लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन इस पर्वत सिंह को किसने पकड़ा? इस राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आप ही के जमाने की बात थी। आपने खुद कोशिश की, आपकी कोशिश में मुझे कोई शक नहीं है, आपने बहुत ईमानदारी के साथ पकड़ने का प्रयत्न किया लेकिन आप असफल रहे यह सफलता प्राप्त की। कुछ इसी तरीके से मेका गूजर का किस्सा ले लें, केदार गूजर का किस्सा ले लें, रावतभाटा में ज्वेलरी का शोरूम पर जो झाबुआ के लोगों ने डकैती डाली, उसका किस्सा ले लें आप। यही नहीं, कपासन का किस्सा ले लें आप। 2008 में बहुचर्चित जो भानूप्रताप की गैंक थी जिसने की दसों मर्डर किये, जो आज तक कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, दसों सालों से गिरफ्तारी में नहीं आया। उसको भी इसी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, पूरी गैंक को, अकेले भानूप्रताप को ही नहीं पूरी गैंग को पकड़ा गया।

रामलाल गूजर का किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपने आज अपनी बात में एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी आपने कि वर्किंग के हिसाब से स्थान नहीं दोगे और टीम को ठीक ढंग से नहीं लगाओगे तो ऐसी ही स्थिति बनेगी। ऐसी ही स्थिति आपने उस पर बोला था कि यह कानून - व्यवस्था कंट्रोल में नहीं थी। आपने यह बात कही थी। दो-तीन एक्जाम्पल देना चाहता हूं, कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहता। रामलाल गूजर भवानीमण्डी के चैयरमेन हैं, म्युनिसिपल चैयरमेन हैं, वह भारतीय जनता पार्टी कट्टर सक्रिय सदस्य जिनके खिलाफ एन डी पी एस के कम से कम भी 6 केसेज बलात्कार के अलग, हत्या के अलग, नकबजनी के अलग, चोरी के अलग। पांच साल तक लगातार वह म्युनिसिपेलिटी की चैयर पर बैठा उसके खिलाफ 9 वारंट। पांच साल तक लगातार बैठे रहे, पांच साल तक। मैं कहता हूं ऐसी शर्मनाक इस तरीके से शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती, सम्भव नहीं है। बार-बार जब भी वारंट आया करता था पुलिस के एस पी से लेकर नीचे तक लिख देते थे कि रामलाल कौन है, हम नहीं जानते और वह रोज चैयरमेनशिप किया करते थे। सरकार बदली, अशोक गहलोत की सरकार बनी, एक महीने के अन्दर-अन्दर उसको गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया।

दो बात और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो आपकी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

व्यक्तिगत जानकारी में हैं। यह भी व्यक्तिगत आपकी जानकारी में है, एक दूसरा केस और व्यक्तिगत आपकी जानकारी में है।

सर्किल इंस्पेक्टर भगवत सिंह हिंगड़ जो कोटा में पोस्टेड था। जिस जगह वह पोस्टेड था वहां पी एच ई डी का आफिस था। पी एच ई डी के ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पानी की मांग को लेकर गये कि पानी नहीं आ रहा है। इंजीनियर से थापड़-थोलिया हो गये, पुलिस आ गई, भगवत सिंह हिंगड़ पहुंच गये, भगवत सिंह हिंगड़ ने जो स्थानीय पार्षद था उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में तत्कालीन सांसद रघुवीर सिंह कौशल साहब ने इश्यू बना लिया कि इसको सस्पेंड करो, इसको यहां से हटाओ। पुलिस का कोई अधिकारी उसको हटाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने पूरी ड्यूटी निभाई, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई उस भगवत सिंह हिंगड़ ने। आदरणीय कटारिया साहब पर खूब प्रेशर पड़ा, इन्होंने रेजिस्ट भी किया, यह भी मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है। आपने खूब मना करने की कोशिश की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं उनको मेरी ही कांस्टीट्युएंसी में उदयपुर लेकर के गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं स्वीकार करता हूं, मैं बता रहा हूं। उस भगवत सिंह हिंगड़ को हटाने के लिए रघुवीर सिंह कौशल साहब ने बयान दिया कि अगर फलां तारीख तक इस भगवत सिंह हिंगड़ को नहीं हटाया गया तो मैं भूख-हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। वह दिन आ गया, 11 बज गये, 11 बजे का समय दिया था, वो कलेक्ट्री के बाहर धरने पर बैठने लगे तब जाकर के आर्डर निकला, इस भगवत सिंह हिंगड़ को हटा दिया गया। उस हिंगड़ की कार्यकुशलता को देखते हुए कटारिया साहब अपने यहां पर अम्बा माता थाने पर लेकर गये। आज वह भगवत सिंह हिंगड़ वापस कोटा है।

उसको कोटा किसने लगाया? वह भी आप ही ने लगाया। जब कोटा की कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई, गली-गली में गोलियां चलने लग गई, खूब लूट के किस्से हुए, खूब डकैतियां डलने लगीं, अंधाधुंध चोरियां होने लगीं तब जाकर के कटारिया साहब ने उन दो सी.आई. को भेजा जिन्होंने कोटा में जाकर के कंट्रोल किया। उनमें एक भगवत सिंह हिंगड़ भी था। आपके सामने कह रहा हूं मैं।

ठीक इसी तरीके से आप ही की सरकार के टाइम पर जब अमीन

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पठान नाम के एक पार्षद ने सैकड़ों बीघा वन विभाग की जमीन पर प्लाट काट-काटकर के बेच दिये और जब वह बेचे तो सुमित शर्मा नाम का एक आई ए एस आफिसर जो बाद में चित्तौड़ में कलेक्टर लगा, जब वह उसका अतिक्रमण हटाने के लिए गया, वो अतिक्रमण हटा रहा था पूरे फोर्स के साथ दिन के बारह बजे, एक बजे यहां से आदेश जाता है कि आपका ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या इस तरीके से इनको ठीक ढंग से हम लगायें?

अगर यही तरीका है तो निश्चित तौर पर क्राइम रेट बढ़ेगी। कोशिश है हमारी कि जो 5 साल तक आपके राजनीतिक दखल के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की दखल के कारण जिस तरीके से पुलिस में जो बिगाड़ आया है वह आज हमें भुगतना पड़ रहा है। 15 महीने में आप हमसे पांच साल का रिजल्ट लेना चाहो तो हम नहीं दे पायेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सुधार पर हैं और विश्वास करते हैं कि आइंदा भी हम इस क्राइम रेट को कम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसी के साथ धौलपुर से आने वाले सगीर साहब ने प्रिवेंटिव एक्टिविटिज के बाबत बात कही है। इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस केसेज एक तरफ होते हैं, मैं 156 (3) में अदालत में चला जाऊं, अदालत से इस्तगासा वहां जाकर के रजिस्टर हो जाए, वह जाकर के थाने में पुलिस केस रजिस्टर करवा दे। वह तो खैर इसमें मैजर क्राइम में और उसमें आ जाता है, उसमें गिनती हो जाती है लेकिन प्रिवेंटिव एक्टिविटीज की गिनती कहीं नहीं होती। प्रिवेंटिव एक्टिविटिज पुलिस अपने आप करती है, इसलिए करती है कि क्राइम नहीं हो जाए। उसके लिए 1,33,063 प्रकरण राजस्थान पुलिस के द्वारा तैयार किये गये और 3,84,176 लोगों को पाबंद किया गया। यह कम उपलब्धि नहीं है, मामूली उपलब्धि नहीं है। आखिर पुलिस ने इतना बड़ा काम किया प्रिवेंटिव एक्टिविटिज में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पानी मंगा लो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वे पानी पी रहे थे तब आप गिन रहे थे तो मेरी भी गिनती करना चालू कर दोगे आप।

इसी के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए और अन्तरराज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सनसनीखेज वारदातों को सुलझाने में भी राजस्थान की पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कीं।

महिलाओं पर अत्याचार की बात आपने उठायी। दो-तीन बातें आपने और कहीं उनका भी आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। एक बात तो आपने कट मोशन में यह बात दी है कि भारत में पहली महिला आर ए सी बटालियन हाडी रानी की घोषणा को क्रियान्वित न कर बीच में ही छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। शायद किसी ने आपको गलत फीड कर दिया। मेरा अर्ज करना यह है कि महिला आर ए सी बटालियन हाडी रानी महिला बटालियन के पदों को भरने के लिए दो बार भर्ती प्रक्रिया लिखित और आउटडोर पूर्ण करते हुए 509 कांस्टेबलों को नियुक्ति दे दी गई है, आपकी इन्फार्मेशन के लिए।

दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह आपने कही थी कि दुनिया का सबसे बढ़िया थाना शिप्रा पथ है वहां किसने लगाया वीरसिंह को? वाकई में हमारे लिए भी बड़ा सोचने का रहा जब आपने यह प्रश्न उठाया। तब मुझे भी बड़ी फिक्र हुई कि यह वीरसिंह जैसा आदमी कैसे लग गया, इतना बड़ा कांड। जब मैंने निकलवाया तो देखा कि एक अकेला वीरसिंह ही नहीं, यह रघुवीर सिंह डीवाई एस पी जो पट्टा कांड में था, यह भी आपके ही वक्त आपके द्वारा लगाया गया। हमारे वक्त में नहीं लगाया गया। मैं आपको तारीख बता देता हूं। 21.12.05 से लेकर के लगातार यह 24.9.2009 तक जयपुर में पोस्टेड रहा, यह आप ही की सरकार के द्वारा था। ठीक इसी तरीके से वह रामप्रताप यादव जिसके लड़के ने जो कल वाली लड़की थी बबली, बबली वाला, उसी रामप्रताप को भी आप ही की सरकार के द्वारा जयपुर में पोस्टेड किया गया। वह कब किया गया? 5.7.08 से लेकर के 2010 तक रहा। इसी वीरसिंह को आपने सबसे पहले तो जयपुर में लगाया, जयपुर शहर में लगाया, किस जगह लगाया यह मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 20.1.07 को जयपुर शहर में लगाया, फिर मानसरोवर थाने में 13.2.07 को लगा दिया और मानसरोवर थाने में यह 28.2.2009 तक रहा और फिर यह शिप्रा पथ में लग गया। शिप्रा पथ में यह निश्चित तौर पर हमारे वक्त में लग गया लेकिन जयपुर में घुसाने वाले आप ही थे, जयपुर का दरवाजा आपने ही दिखाया, हमने नहीं दिखाया। ठीक इसी तरीके से यह भंवरलाल जो पट्टा प्रकरण में था यह भी आप ही के वक्त में लगा।

एक सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया। मैं उसके लिए आपको बहुत-

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि दागी लोगों का सर्वे करवाओ। जो पुलिस में दागी लोग हैं उनके सर्वे के लिए आपने कहा। निश्चित तौर पर इस पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और क्या हो सकता है इसको करने की कोशिश करेंगे।

कार्मिक विभाग में चालान की स्वीकृति के बाबत भी आपने निवेदन किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ए सी डी के केसेज हैं, 2005 में 28 केसेज पर कार्मिक विभाग के द्वारा स्वीकृति दी गई थी, 2009 में वह बढ़कर के 58 हो गई। ठीक इसी तरीके से 2010 के सिर्फ दो महीनों में 22 स्वीकृतियां तो दी गई हैं कार्मिक विभाग के द्वारा और 54 स्वीकृतियां एच ओ डी के द्वारा दी गई हैं।

(समय : 02.00 बजे)

एच.ओ.डी. के द्वारा, विभागाध्यक्षों के द्वारा। इसलिए बड़ी तेजी से काम इस पर चल रहा है। मेरा ख्याल है, अब बहुत कम ऐसी स्वीकृतियां रह गई हैं जो देना बाकी हैं। चाहे एच.ओ.डी. देंगे चाहे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। क्या है कि इनकी संख्या होती है 300, तो स्वीकृति निकलती है 30 की। इसको देखिये कि वास्तव में कितने लम्बे समय से पेंडिंग पड़ी रहती हैं। या तो कार्मिक विभाग में या एच.ओ.डी. के पास में। उसको समय-समय पर देखकर उनको तुरन्त स्वीकृति मिले ताकि उनका चालान हो सके।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह फिगर्स भी, मैं कागज देखकर बताता हूं आपको अभी कि कितने पेंडिंग हैं, कितने नहीं है, लेकिन यह विश्वास रखिये, इसमें यह सरकार काफी तेजी लाई है।

एक बात और आपने निवेदन की। वह तो पुलिस एक्ट के तहत बात बोली आपने। पुलिस एक्ट आपने बनाया, नियम भी आपने बनाया लेकिन क्या हुआ, बनाकर क्या किया? 2007 में आपने बना लिया। 2007 में सरकार आपकी, 2008 में सरकार आपकी, हमारी सरकार तो 2009 में आई। दो साल तक उस एक्ट को आपने इतनी मेहनत से बनाया लेकिन उस पर किया क्या? मेन जो उसके सैक्शंस थे, उनके नोटिफिकेशन आपने नहीं निकाले। कुछ हुआ ही नहीं। न तो आपने उसमें पुलिस आयोग का गठन किया, न महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया और उसकी नियुक्ति के जो मिनिमम दो वर्ष होने चाहिए थे, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला, न दो वर्षों की न्यूनतम कार्यावधि के

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

लिए जिसके लिए आज आपने निवेदन किया, आज आपने फरमाया, उसके लिए कुछ नहीं किया। न कानून-व्यवस्था और अपराध अनुसंधान के लिए अलग-अलग पुलिस व्यवस्था के बाबत जो कुछ प्रोविजन आपने डाले थे, उसके लिए कुछ किया आपने। न पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का कोई गठन किया और न ही जिला स्तर पर पुलिस कम्प्लेंट अथोरिटी का कोई गठन किया। इसी के साथ-साथ तीन जो सैक्शंस थे, सैक्शन-5, सैक्शन 5(42) और सैक्शन-48, इन तीनों का नोटिफिकेशन नहीं निकाला। इन तीनों का नोटिफिकेशन नहीं निकालने के कारण आज यह सैक्शन-5 में तो महानगर डिक्लेयर होगा, मेट्रोपोलिटन सिटी डिक्लेयर हुई। मेट्रोपोलिटन सिटी डिक्लेयर करने के पश्चात हमने कमिश्नर प्रणाली को चालू किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपने कहा कि जो कुछ काम हम कर सके साल भर में, वह तो हमने किये। आप 14 महीनों में जहां हमने छोड़ा है, उससे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं, यह मैंने कहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। यह कमिश्नर प्रणाली बनना कोई मामूली बात थी क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): रूल्स कहां बने?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): रूल्स तो अब बनेंगे। मैं रूल्स पर आता हूं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं मैं रूल्स पर आता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसको नहीं बनाओ तो ज्यादा ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं बनाओ, वह तो खैर देख लेंगे कमिश्नर प्रणाली के लिए कह रहे होंगे आप? मैं निवेदन करूं आपसे, तमिलनाडु को ले लें, केरल को ले लें, कर्नाटक को ले लें, गुजरात को ले लें, महाराष्ट्र को ले लें और दूर छोड़ें आप? हरियाणा को ले लें आप। हरियाणा ने अभी गुड़गांव में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी और फरीदाबाद में भी कर दी। जिस जगह पर भी कमिश्नर प्रणाली किसी भी प्रदेश ने लागू की है, एक ने भी आज तक विदड्रा नहीं की। आखिर क्यों नहीं की? क्यों नहीं की?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए विदड्रा नहीं की, विदड्रा तो एक बार करने के बाद नहीं करते हैं। लेकिन जिन-जिन ने की है, उनसे क्राइम रेट अपने कम हैं। अभी आपने भी बताया है और ज्योंही आप करोगे, क्राइम रेट बढ़ जायेगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हो सकता है। जो आप कह रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ जायेगी, मैं तो नहीं मानता कि कमिश्नर प्रणाली से क्राइम रेट बढ़ जायेगी। यह बात जरूर है कि कई आई.ए.एस. आफिसर्स आपके मित्र हैं, शायद वह बात आपके दिमाग में बैठी हो।

रूल्स के बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आपने एक्ट बना दिया लेकिन चार पेज के रूल्स बने हैं जबकि आप इंडीपेंडेंस के पहले के रूल्स देखेंगे तो कम से कम 150 पेज के रूल्स हैं और उसके बाद में जो 1965 के रूल्स बने, वे भी कम से कम 90 पेजेज के रूल्स हैं क्योंकि उसमें एक-एक चीज देनी पड़ती है कि कांस्टेबल की क्या ड्यूटी है, हैड कांस्टेबल की क्या ड्यूटी है, ए.एस.आई. की क्या ड्यूटी है, यह है, वह है। यह एक-एक चीज देनी पड़ती है, तो रूल्स तो अब बनेंगे। हमने शुरुआत की है, कमिश्नर प्रणाली सैक्शन-5 में ही करेंगे। सी.आर.पी.सी. में डिक्लेयर करेंगे उसको बाकायदा, 15 (1) में जायेंगे।

कमिश्नर प्रणाली लागू करने के बाद में फिर एस्टेब्लिशमेंट, आपका पुलिस आयोग के गठन पर भी विचार चल रहा है। इस प्रक्रिया पर भी विचार चल रहा है कि कम से कम दो साल की पोस्टिंग होनी चाहिए। आप ही के टाइम पर, मैं जानता हूं, यह आपके मन की जो इच्छा थी, वह वाकई यह थी कि दो साल तक आदमी रहना चाहिए। लेकिन ये आप ही के द्वारा निकले हुए आर्डर हैं जो बता रहा हूं आपको कि एडिशनल एस.पी. 13 महीनों के अन्दर-अन्दर जो 180 एडिशनल एस.पी. थे, उनमें से 20 के तबादले आपने किये हैं। डीवाई.एस.पी. जो 304 थे, उनमें से 18 के तबादले सिर्फ 13 महीनों में आप ही ने किये हैं। पुलिस निरीक्षक जो 475 थे, उनमें से 35 आदमियों को आप ही ने हटाया है। तो कई बार यह राजनेतिक लाचारियों की वजह से या अन्य किसी कारणों की वजह से अपन को करना पड़ता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें तो यह नहीं है कि 100 प्रतिशत आप दो साल ही रखें। अगर हटायें तो उसका कोई न कोई रीजन हो हटाने का कि इसको किस कारण से हटा रहे हैं। यह अधिकार तो अपने पास है कि दो साल के पहले भी अपन हटा सकते हैं पर उसका रीजन अपने को लिखना पड़ेगा कि इसको किस कारण से हटाया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस एक्ट पर, निश्चित तौर पर यह माडल एक्ट आपने बनाया, इस पर बाकायदा विचार हमारे यहां पर चल रहा है और चलकर इस

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किन-किन के नोटिफिकेशंस निकाले जा सकते हैं, किन-किन आयोगों का गठन किया जा सकता है, इस पर बहुत गम्भीरता से हम लोग सोच रहे हैं।

इसी के साथ-साथ महिला अत्याचार के बाबत आपने कहा। महिला अत्याचार के बाबत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 98.01 परसेंट का चालान किया गया है। यह बात सही है, जो आपने शंका जाहिर की कि पति की तो गलती है और उसके भाई को भी फंसा लिया जाता है, उसकी भाभी को भी फंसा लिया जाता है, उसकी नानी को भी फंसा लिया जाता है, ऐसे भी हैं। ये भी केसेज हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह से एस.सी. एस.टी. एक्ट के बाबत भी अपन सुनते हैं लेकिन जो लाचारी है, वह है। जिस तरह का एक्ट है और जिस तरह की अदालतें फैसले देती हैं, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते हैं।

ठीक इसी तरह से 12 स्थानों पर आज भी महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं। 19 थाने महिला पुलिस के कार्यरत हैं जिनमें 29 पारिवारिक केन्द्र भी मौजूद हैं।

कुल मिलाकर अनुसूचित जाति के बाबत आज काफी कुछ बोला गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे वर्ष में 6,168 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनका चालानी प्रतिशत 99.92 रहा है।

ठीक इसी तरह से मुख्यालय स्तर पर भी सिविल राइट सेल कार्यरत हैं। 17 जिलों में विशेष न्यायालय इन्हीं के लिए गठित किये गये हैं।

दूसरी जो बातें हैं वे ये हैं कि आपने एस.ओ.जी. का गठन किया। एस.ओ.जी. के साथ-साथ हमने एक कदम आगे जाकर ए.टी.एस. का गठन किया और आज उस ए.टी.एस. के गठन से कई अच्छे परिणाम सामने आये हैं। भू-माफियाओं की खूब बात चली। पाली वाले पारख साहब, पारख साहब के अलावा भी कई अन्य....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे पारीक नहीं, पारख हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो भी हैं, हैं तो वे ओसवाल। हां, तो फिर क्या बात है? ओसवालों का शुद्ध नाम आप जानोगे या मैं जानूंगा। हां, ये पंडित सबको जानता है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए ए.टी.एस. का गठन किया जिसकी जयपुर और जोधपुर में स्थापना की गई। रिटायर्ड आर्मी जनरल की देखरेख में एक इमरजेंसी रेस्पॉंस टीम कमांडो की सात यूनिट सारे संभागीय मुख्यालयों को हमने देना तय किया है। उसके अच्छे रिजल्ट्स आये हैं। कोई किसी तरह की एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह तो गुप्त बात है। उनकी तैयारियां बिलकुल गुप्त रहती हैं लेकिन फिर भी उनके काम से हम लोग काफी कुछ संतुष्ट हैं और मेरा ख्याल है, आप भी संतुष्ट होंगे।

ठीक इसी तरह से सी.एल.जी. की पुनर्संरचना है। इसी के साथ-साथ संभागीय स्तर पर शांति समितियां हैं, बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए हम लोग बहुत गम्भीर हैं,

बराबर इसके बारे में बैठकें कर रहे हैं और हो सकता है आगे वाले समय में इस बीट प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाये।

पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना के बाबत आपने कहा था कि पैसा खर्च किया, तो 78 करोड़ 67 लाख रुपये इसके लिए स्वीकृत भी हुए हैं। नवीन पुलिस मुख्यालय के लिए निर्माण कार्य चालू है। दस हजार आवासीय योजनाओं की जो बात आपने कही थी उसमें से 9,720 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और 4,634 तो करीब-करीब बन भी गये हैं।

ठीक इसी तरीके से मादक पदार्थों की और अवैध शराब की खूब बात हुई यहां पर, अवैध हथियारों की बात हुई। तो मादक पदार्थों के बाबत भी 1,029 प्रकरण दर्ज करके 1,216 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के बारे में तो रोज की बात है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवैध शराब खूब आ रही है लेकिन पकड़ाई में भी खूब आ रही है। काफी लोग एक्टिव हैं और हजारों की तादाद में आपके विदेशी बोतलें और देशी बोतलें वगैरह-वगैरह जो कोई भी हैं, वह पकड़ाई में आ रही हैं। अवैध हथियारों की बात बहुत सीरियस है। आर्म्स एक्ट के तहत 3,582 प्रकरण दर्ज करके 3,726 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 278 बंदूकें, 706 रिवाल्वर और 2,232 देशी कट्टे-कारतूस, ये सब बरामद किये गये हैं। अवैध विस्फोटक भी बरामद किया है, जुए-सट्टे की बाबत भी काफी कुछ काम हुआ है।

वाहन चोरी का एक किस्सा है, निश्चित तौर पर वाहन चोरी खूब बढ़ी है। खूब बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और यह कई बार पुलिस की पहुंच

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

के भी बाहर है। 3,217 वाहन बरामद किये गये जो वर्ष 2007 में 2,574 व 2008 में 2,650 से कहीं अधिक हैं। 2007 में भी कम थे, 2008 में भी कम थे लेकिन 09 में बढ़ गये। इनकी बरामदगी की जो परसेंटेज दी गई है वह दी गई है 56.22 प्रतिशत। वर्ष 2009 में 3144 वाहन चोर पकड़े भी गये जबकि वर्ष 2007 और 2008 में, 2008 में 2,507 वाहन चोर ही पकड़े गये थे।

मोबाइल की लूट और मोबाइल की चोरी, यह भी है। चेन का छीनना, चेन के छीनने के बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह किस्सा कब से चला? मेरा ख्याल है आज के आठ-नौ साल पहले कभी किसी ने सुना नहीं होगा राजस्थान में कि चेन स्नेचिंग भी होती है। यह कब से चालू हुई..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने सिखाई।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसी बात, ठीक है अब मजाक करने का मूड है आपका, कर लें आप मजाक लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह आपके वक्त में चालू हुई। चेन स्नेचिंग की खबर सन् 2002 और 2003 तक कभी किसी ने सुनी नहीं होगी, कभी किसी ने नहीं सुना होगा लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर पुलिस पर इल्जाम लगता है तो वह चेन स्नेचिंग का लगता है और मुझे खुशी इस बात की है कि कल ही एक चेन स्केचर जो यहां पर पकड़ा गया जिसने यह कहा कि 35 चेन स्नेचिंग मैं कर चुका हूं और अगर मुझे पुलिस नहीं पकड़ती तो मैं औरतों को चेन पहनना भुला देता। तो निश्चित तौर पर मैं खुद, इन दो बातों के लिए बिलकुल आप जो कुछ मुझसे कहना चाहें, जितना बुरा मुझे बताना चाहें, जितना बुरा पुलिस को आप बताना चाहें, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, वाहन चोरी के लिए और चेन स्नैचिंग के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, कोशिश है और इसीलिए पकड़ी जा रही हैं जगह-जगह। जिस कोटा में, जहां का मैं रहने वाला हूं, चेन स्नेचिंग के केसेज पिछले छह महीने में कुलमिलाकर एक या दो हुए हैं, जहां पर रोज चेन स्केचिंग हुआ करती थीं। बिरलाजी यहां पर मौजूद नहीं हैं, वह मेरा ख्याल है, मेरा जवाब सुनने को तैयार नहीं थे इसलिए जल्दी चले गये, राजेन्द्रजी ने भगा दिया उनको। खैर, ठीक है।

जाली नोट की बात कही। एक सड़क दुर्घटना की बात मैं आपसे आखिरी निवेदन करना चाहता हूं। सड़क दुर्घटनाएं तो वाकई खूब बढ़ी हैं, बढ़ेंगी। जिस तरीके से व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, चाहे सड़कें फोर लेन हों, आज

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सिक्स लेन हो गई है, सिक्स लेन हैं वे एट लेन हो जायेंगी लेकिन उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या किया, क्या कर सकते हैं, इसमें मैं तो आपसे सुझाव चाहता हूं, आपके पास कोई अच्छे, अमूल्य सुझाव हों, जरूर दें, हम उनको इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। ट्रैफिक की नफरी बढ़ाने को तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं कि किसी तरीके से ये रुकेंके लेकिन यह हो रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। जुगाड़ की बात आज सुबह चली थी..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल लाइसेंस सस्पेंड करो आप जो एक बार एक्सीडेंट करे तीन साल के लिए। आप और मेरा भी। बहुत चलाते तो हैं, दस बार ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट हुआ नहीं, लाइसेंस कैंसिल हुआ नहीं। यह एक रास्ता है उसका जिसको करना चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक तो ओवरलोडिंग वाला मामला है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह बात, जो रोड सेफ्टी कौंसिल बनी है उसमें यह बात सीरियसली डिस्कस की जा चुकी है ओर इतना ही नहीं, दिल्ली में माननीय यातायात मंत्री कमलनाथजी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें तो हम एक स्टैप आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि टू व्हीलर्स को बिना लाइसेंस के सेल ही नहीं करें। इस तक भी जाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ओवरलोडिंग की भी एक प्रोब्लम है। इसीलिए इन पिछले कुछ महीनों में सरकार काफी कुछ स्ट्रिक्ट हुई है और एक 1,84,320 चालान ओवरलोडिंग के किये गये हैं जबकि...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मंत्रीजी, एक मिनट। यातायात मंत्री दिल्ली की सरकार ने, कमलनाथजी ने राजस्थान में ओवरलोडिंग पर हमको कांग्रेचुलेट किया है, 70 से 75 प्रतिशत ओवर-लोडिंग पर हमने काबू पाया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभी जिला मुख्यालयों पर नगरपालिका की सीमा में हेलमेट पहनने की बात आती है लेकिन लोग अपोज करते हैं। पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि दस रुपये दो, बीस रुपये दो, छोड़ देते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हम यहां करते हैं शहर के अन्दर, हेलमेट लगाना, जहां स्पीड बीस-तीस से ज्यादा नहीं होती। मैं तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहता हूं वहां भी लगाना चाहिए, जो खुली सड़क पर जाते हैं उन पर तो हंड्रेड परसेंट लगा हुआ होना ही चाहिए। वहां ज्यादा खतरा है। शहर के अन्दर तो बीस की स्पीड रहती है, अगर नहीं भी है तो, लेकिन हमारी सारी ताकत लगती है केवल शहर में जबकि खुली रोड पर जो भी चलेगा उसको हेलमेट लगाना अनिवार्य होना चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): खैर, लेकिन इसमें भी कोई और सुझाव अगर आपकी तरफ से आये तो मैं तो उनका वेलकम करूंगा क्योंकि यह वाकई बहुत बड़ी समस्या है, ज्यादा एक्सीडेंट की काफी।

मैं आपको यही अपनी तरफ से एश्योर करना चाहता हूं कि मैं उन केसेज को भी दिखवाऊंगा जो चाहे कितने ही पुराने केसेज हों, और अच्छे आफिसर्स लगा करके, मुझे कई तरीके की शिकायतें मिलीं जैसे आपने जहाजपुर वालों ने कहा, कइयों ने कहा, पेमारामजी ने भी कहा कि यह इस, इस तरह से गिरफ्तारियां नहीं हुईं, यह नहीं हुआ। वह नहीं हुआ, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी तो बात मैं लिख नहीं पाया लेकिन जिन-जिन को भी किसी भी क्रिमिनल केस के बाबत कोई शिकायत है तो जरूर मुझे लिखें, जितना सम्भव हो सकेगा मुझसे, मैं निश्चित तौर पर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ तो मुलजिम को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करूंगा, गलत तरीके से अगर मान लीजिये झूठा फंसाया गया है तो उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करूंगा।

ठीक इसी तरीके से जो भी कमजोरी हमारी रही है, कमजोरी रही होगी इसमें कोई दो राय नहीं है, कमजोरी सबकी रहेगी, कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाय, हमसे भी अच्छी कोई गवर्नमेंट आयेगी, आपकी गवर्नमेंट तो खैर थी जैसी थी, माफ करना, लेकिन हमसे भी अच्छी कोई गवर्नमेंट आ जाय तो कमजोरी उसकी भी कोई न कोई रहेगी। मैं तो यह निवेदन करूंगा, अपराधी को दण्डित करना, उसकी छानबीन करना और उसकी सच्चाई तक किस तरीके से पहुंचे, इस आधार पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मुझे यह लगता है कि वे लोग सक्सेस होंगे। पुलिस विभाग के द्वारा जो केस खोले गये हैं उनको लोगों ने सराहा भी है। कई केसेज पुलिस के अधिकारियों ने इतने अच्छे-अच्छे केसेज खोले जिनकी सराहना किए बगैर कोई आदमी रह नहीं सकता।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। खेतसिंह जी कहा करते थे, खेतसिंह जी ने एक एस पी को टेलीफोन करके कहा कि यह मेरे पास आया है तो उसने कहा कि यह आया है आपके पास, उन्होंने कहा कि हां, यह आया है तो यह तो पक्का चोर है तो खेतसिंह जी ने कहा कि चोर ही तो आएंगे हमारे पास, और तो कौन आएगा? तो अपने पास हर तरह का आदमी आता है। अब सवाल यह है कि पुलिस को इंवेस्टिगेशन देना, इंवेस्टिगेशन देकर के पुलिस तय करेगी कि वाकई वह चोर है या मुलजिम है या वाकई उसके साथ नाइंसाफी हुई है। यह सब काम अपने को करने होते हैं।

पुलिस को स्ट्रैंथन करने वाली बात है तो सरकार अपनी क्षमता के अनुसार जो है पुलिस को स्टैंथ करने में भी कसर नहीं छोड़ती। जहां तक कम्प्यूटराइजेशन की बात है, का टाइम, आपके टाइम पर चालू किया लेकिन उसका इंटरकनेक्शन का काम जो है वह भी तेजी से चल रहा है।

एक बात आपने यह निवेदन की कि एफ आई आर दर्ज करवाना हमने कानूनी प्रावधान रखा है। कानूनी प्रावधान आपने नहीं रखा यह तो सीआरपीसी में आलरेडी प्रावधान है कि एफ आई आर दर्ज होगी। इसको कोई भी, न तो आप रख सकते हैं और न मैं रख सकता हूं, न आने वाला कोई होम मिनिस्टर रख सकता, न सी.एम. रख सकता है। यह तो सीआर पी सी का प्रावधान है।

एक साम्प्रदायिक घटना के बाबत् आज आपने कुछ नहीं कहा। 2008 की मैंने एक बार आपकी स्पीच पढ़ी थी जिसमें आपने कहा था कि साम्प्रदायिक घटना के कारण, हम लोगों के लिए कहा था, आप लोग हमें जो है गालियां देते थे कि साम्प्रदायिक दंगे हम करवाते हैं, यह करवाते हैं लेकिन हमारे टाइम पर साम्प्रदायिक दंगे कम हुए और आपके टाइम पर ज्यादा होते हैं। तो यह बात तो सही है। कालेज का जो नामी-गिरामी आदमी था प्रिंसिपल ने उससे कह दिया कि तुम वाइस प्रिंसीपल बन जाओ ...(व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह आपके समझने की बात है, साम्प्रदायिक दंगे फिर होंगे कहां से? हिरासत की मौतों की बात है। हिरासत की मौतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तीन-तीन, चार-चार आपके टाइम हुई थी- हमारे टाइम पर तीन हुई हैं। एक का फर्क है, कोई खास बात नहीं है।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधी को दण्डित

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

करना, उसकी पूरी छान-बीन करवाना, सच्चाई तक पहुंचना और उसके कृत्य पर यह निर्णय करना कि वह वाकई में अपराधी है या नहीं, इस बात के बारे में आपको अपनी तरफ से एश्योरेंस देना चाहता हूं कि यह सरकार साफ नीयत के साथ मुलजिम के साथ मुलजिम जैसा बर्ताव करेगी और जो बिलकुल सत्य है, जो सत्य पर कायम है उसको पूरा न्याय देते हुए उसको बचाने की कोशिश करेगी। हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम इन पुलिस के अच्छे अधिकारियों को हमेशा प्रोत्साहित करें, इनको फ्री हैंड दें और दूसरी बात यह कि इनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेते हुए यह क्राइम रेट को सुधारें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, कई लोगों ने यह कहा कि पुलिस के सामने राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। यह कभी सम्भव नहीं हो सकता। यह वे लोग जो उधर बैठे हुए हैं उनको सूट करता है यह कहना क्योंकि अब आपके कहने से तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली नहीं है इसलिए यह आपको सूट करता है, इन लोगों के कहने से तो होगी, ये राज में बैठे हैं। हम एक अकेले पुलिस अधिकारी के ऊपर सब कुछ नहीं सौंप सकते। पुलिस अधिकारी को जन-प्रतिनिधि की राय लेनी होगी। अगर जन-प्रतिनिधि की राय उसको गलत दिखती है तो निश्चित तौर पर वह अपनी हायर अथ्यारिटिज को बता सकता है कि यह मुझे गलत राय देता है, मैं इसकी नहीं मानता हूं। यह अधिकार है उसको। अगर उसको बताया हुआ व्यक्ति कोई बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है या किसी तरह का कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो यह अधिकार उस पुलिस अधिकारी को है कि वह उसको हटाये और हटाकर के उसकी कम्प्लेंट करे और उस जन-प्रतिनिधि को जिसने उसकी शिकायत की है उसको प्रतिपाडना करे कि यह आपके द्वारा किया हुआ गलत काम है लेकिन जन-प्रतिनिधि के द्वारा राय देना, जन-प्रतिनिधि द्वारा अपने-अपने इलाके बाबत् अच्छी राय देना इसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता और मेरे ख्याल है कि इससे आप भी एग्री करते होंगे। चूंकि आज आप उधर बैठे हुए हैं, आप इधर बैठे हुए होते तो आपके पास भी उतनी दरख्वास्तें आतीं जितनी रोज मेरे पास में आती हैं।

आखिर में मैं गृह विभाग की अनुदान मांग संख्या 16 और 17 जो हमारे साथी सैनी साहब बैठे हुए हैं उनकी तरफ से बजट चर्चा के दौरान निम्न घोषणा करता हूं:-

मैस भत्ते में बढ़ोतरी है, पहले 775 रुपए मिलता था अब 825 रुपए

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

मिलेगा और इस प्रकार कुल 383.83 लाख रुपए का इस पर व्यय आएगा। स्पोर्टस फण्ड में 15 लाख रुपए, उत्सव फण्ड में 20 लाख रुपए, राजस्थान पुलिस हितकारी निधि में 43 लाख रुपए, पुलिस कल्याण निधि में 30, अंशकालीन रसोइयों की वर्तमान दर में वृद्धि 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 हजार रुपए और इस प्रकार कुल वित्तीय भार जो पड़ेगा, वह 601 लाख 63 हजार का यह वित्तीय लाभ मिलेगा।

होम गार्ड विभाग:- कर्मचारी कल्याण निधि पर 5 लाख, मैस भत्ते की बढ़ोतरी 775 रुपए से बढ़ाकर 825 रुपए प्रतिमाह, गृह रक्षा स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ते में वृद्धि 150 रुपए से बढ़ाकर के 180 रुपए कर दी गई है और अग्निशमन सेवा कर्मचारी हार्ड ड्यूटी भत्ते में वृद्धि 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर के इस पर जो वित्तीय भार पड़ेगा वह 309.49 लाख मतलब वही 3 करोड़ रुपए। उपरोक्त के अतिरिक्त 5 हजार होम गार्ड स्वयंसेवकों का चयन भी किया जाएगा।

कारागार विभाग में बंदी कल्याण कोष पर 10 लाख रुपए, कर्मचारी कल्याण कोष में 10 लाख रुपए, मैस भत्ते में 775 रुपए से बढ़ाकर वही 825 रुपए प्रतिमाह, स्पोर्टस फण्ड में 5 लाख रुपए, कुल वित्तीय भार 38.84 और कुल मिलाकर पुलिस, होम गार्ड और कारागर इन पर जो कुल मिलाकर जो भार पड़ेगा वह साढ़े 9 करोड़ का यह भार पड़ेगा।

श्री सभापति: श्री राम किशोर जी सैनी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 17 कारागार विभाग पर आज दिन के दो बजे से सदन में चर्चा हो रही है और लगभग 50 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां व्यक्त किये हैं।

जेल विभाग के बारे में जो चर्चा यहां की है उसमें मुख्य चीज यह निकल कर आई है कि मोबाइल के प्रकरण हैं, मादक पदार्थों के बारे में है, जेल कस्टडी से अपराध का जो संचालन हो रहा है उसके बारे में है और फरारी के बारे में हैं। ये मुख्य बातें यहां आई हैं लेकिन मुझे बहुत वेदना के साथ यह कहना पड़ रहा है

कि बहुत विद्वान सदस्य यहां पर मौजूद हैं, ये सारी चीजे हम सबकी जानकारी में हैं कि जेलों में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं लेकिन किसी प्रकार के कोई सुझाव कि इनको किस प्रकार से दूर किया जाए, किसी भी

(श्री रामकिशोर सैनी)

माननीय सदस्य द्वारा यहां पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लगभग पचास माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किये लेकिन उनमें से लगभग पन्द्रह लोगों ने केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दी होगी जेल के बारे में कि वहां पर मोबाइल मिलते हैं या मादक पदार्थ वहां पर चले जाते हैं या फरारी हो रही है। अच्छा होता, यदि विस्तार से कोई चीज बताई जाती लेकिन माननीय सभापति जी की व्यवस्था थी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो जेल विभाग है एक विशेष प्रकार का विभाग है इसमें हम अदालत से जो लोगों का निर्णय होता है जिन लोगों को सज़ा का प्रावधान किया जाता है, जब अदालत द्वारा दंड दिया जाता है तो जेल के अन्दर उसकी क्रियान्विति हम कराते हैं। यह विभाग अन्य विभागों से इस प्रकार से अलग है कि अन्य विभाग तो जनकल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए, उनके विकास के लिए, प्रदेश के लिए ये सब योजना बनाते हैं लेकिन यह विभाग है जिसमें हम केवल कैदियों को रखते हैं और कैदी हमारे पास जो हैं वो दो प्रकार के कैदी हैं। एक वह कैदी जो कंविक्ट है सजायाप्ता है और दूसरा कैदी वह जो अंडरट्रायल है। अंडरट्रायल कैदी किसी भी प्रकार से, हो सकता है बाईचांस उससे कोई अपराध हो गया हो और वह आ गया जेल के अन्दर और कुछ दिनों बाद जमानत कराके वापस चला जाता है। लेकिन कुछ कैदी जो सजायाप्ता हैं, हमेशा उनको यह मालूम होता है कि हमें आजीवन कारावास की सज़ा हो गयी और हमें जेल में ही जीवन बिताना है तो वे उस जेल को एंजॉय करते हैं। जेल में रहना उनके लिए एक खुशी की बात हो जाती है, उनको यह नहीं होता कि हमको बाहर निकलना है। वैसे कोशिश हर आदमी की यह रहती है, जो जेल में रहता है उसकी कोशिश यह रहती है कि मैं कैसे भी यहां से निकलूं। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, मुझे यह कहते हुए कोई खुशी नहीं है कि ये जिस प्रकार के अपराध हमारे यहां राजस्थान में हैं उसी प्रकार के अपराध अन्य प्रदेशों की जेलों में भी संचालित हो रहे हैं, इससे मुझे कोई संतोष नहीं है कि वहां यदि इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं तो यहां भी वे अपराध सम्भव हों।

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ी प्राब्लम जो हमारे साथ है वो है मोबाइल की प्रोब्लम। ये मोबाइल जो जेलों के अन्दर मिलते हैं उसके लिए हम प्रभावी तलाशी लेते हैं, बार-बार सर्च करते हैं इसका यह कारण कि जो बार-बार हम सर्च करते हैं तो मोबाइल

(श्री रामकिशोर सैनी)

निकल कर आते हैं, इन मोबाइलों की रोकथाम कैसे की जाए क्योंकि इन्हीं से अपराधों का संचालन हो रहा है, इन्हीं से और गतिविधियों में सारी बातें होती हैं। इसके लिए जैमर लगाने का जो हमारा प्राविजन है वो हमने तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां जिक्र किया था कि अभी कहीं भी जैमर नहीं लगाये हुए हैं तो मैं आपकी सूचना के लिए यह कहना चाहूंगा कि जोधपुर जेल में हमने जैमर लगा दिये हैं, वे वहां पर प्रारम्भ हो गये हैं और शीघ्र ही राज्य की और जो सेन्ट्रल जेलें हैं उनमें भी हम जैमर लगा देंगे यह प्रक्रियाधीन है।

माननीय सभापति महोदय, हमने जेल के अन्दर गेट तलाशी को प्रभावी बनाया है कि गेट पर तलाशी होनी चाहिए और पिछले 2009 में जब हमारे यह तलाशी प्रभावी हुई तो 2009 में सात लोगों को 2010 में एक कर्मी को जो हमारे इससे रिलेटेड था, उसको हमने पकड़ा है और उनके खिलाफ हमने कार्यवाही भी की है। हमारे प्रयास ये हैं अब कि हमारी जो जेल की व्यवस्था है इसमें मोबाइल अन्दर तक नहीं जाए, कोई निषिद्ध सामग्री अन्दर तक नहीं जाए, इसके लिए दो स्तरीय तलाशी की व्यवस्था की जाए। पहले गेट पर तलाशी हो एक बार हमारा जेलकर्मी तलाशी ले, एक बार दूसरी एजेंसी इसकी तलाशी ले। तो निश्चित तौर पर ये जो मोबाइल के प्रकरण हैं इनमें कमी आएगी और अपराधों में भी कमी आएगी।

माननीय सभापति महोदय, एक जो सबसे बड़ा कारण इन अपराधों के बारे में रहा है वह यह भी रहा है कि हमारे जेल स्टाफ की कमी है। ओवरक्राउडिंग की समस्या है। हमारी जो जेलें हैं पुराने सेटअप से बनी हुई हैं और आज जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, कई बार अंडरट्रायल कैदी इतने ज्यादा आ जाते हैं कि ओवरक्राउडिंग की स्थिति बन जाती है। उसमें सुबह जब पेशी पर हमारा कैदी जाता है और शाम को छह बजे जब लौटता है तो उसकी तलाशी उतनी प्रभावी रूप से नहीं होती क्योंकि डेढ़ सौ-दो सौ लोग एक साथ आते हैं और उनकी तलाशी लेकर के उनको हमको लाक अप में बंद करना होता है। तो उसमें कहीं न कहीं, मैं यह नहीं कहता हूं, हम बहुत सीरियसली या सिंसियरली उसको कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे स्टाफ की भी कमी हो सकती है लेकिन उसको प्रभावी बनाने के लिए हमने जैमर का भी प्राविजन रखा है और मेटल डिटेक्टर के बारे में भी, दो मेटल डिटेक्टर हमने लगाये हैं और हैंड हैल्क मेटल डिटेक्टर भी हमारे चल रहे हैं, माइक्रो-स्केनर फिंगर

(श्री रामकिशोर सैनी)

स्केनर की व्यवस्था हमने की है। इस प्रकार से इस चीज को कि कोई भी अपराध जेलों से संचालित न हो इसके लिए हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 250 प्रहरियों की भर्ती का आह्वान किया था उसमें हमने पिछले सत्र की 246 प्रहरियों की भर्ती कर ली है और इस बार बजट में तीन सौ प्रहरियों की और भर्ती का प्रावधान किया है। इस प्रकार 550 प्रहरियों की भर्ती कर ली जाएगी। इससे काफी हद तक हमें सहूलियत मिलेगी। अभी वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं वो होम गार्ड्स से हम काम लेते हैं या एक्स सर्विसमेन को हम लेते हैं। तो होम गार्ड और एक्स-सर्विसमेन उतनी ज्यादा रेस्पांसिबिलिटी अपनी यहां नहीं समझते वे, कहीं न कहीं वे मैनेज हो जाते हैं और इस प्रकार से वे अपराध करने में शामिल हो जाते हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट सर्वेंट हमारा कर्मचारी नहीं होगा तब तक जो इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उनको रोकने में हम सफल नहीं हो पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जो फरारियों के बारे में बात की, खास कर जो चित्तौड़गढ़ की जेल की फरारी के बारे में बात की है, वाकई गम्भीर विषय है। हमारे डी.जी. साहब और मैं भी उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी, चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे और सारी स्थिति हमने देखी है। वहां पर एक मैन कारण यह है, ओवरक्राउडिंग की जो स्थिति है वह मेन कारण है। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी की वजह से भी ये घटनाएं होती हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो जेल से फरारियां हैं, वे तीन-चार प्रकार की हैं। एक तो हमारे जेल से फरारी हो जाए, एक अदालतों में जैसे चालानी गार्ड लेकर जाते हैं वहां से कोई मुलजिम फरार हो जाए, हास्पिटल से जहां हम इलाज के लिए भेजते हैं वहां से कोई फरार हो जाए या जो हमारे ओपन कैम्प्स हैं वहां से कोई बंदी फरार हो जाए, तो ये अलग-अलग प्रकार की फरारियां हैं। इनमें सारी फरारियों में जिम्मेदारी जेल विभाग की नहीं होती है लेकिन कैदी चूंकि हमारा होता है इसलिए ऐसा लगता है कि कैदी किसी के भी पजेशन से भाग गया हो, जेल विभाग ही उसका जिम्मेदार होगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले सत्र में 2007 में 10 घटनाएं हुईं जिनमें 34 बंदी फरार हुए, 2008 में 11 घटनाएं हुईं जिनमें 12 बंदी फरार हुए, 2009 में 10 घटनाएं हुईं जिनमें 10 बंदी फरार हुए और 2010 में 2 घटनाएं हुईं जिनमें 24 बंदी फरार हुए। इस प्रकार घटनाओं में कमी तो आयी

(श्री रामकिशोर सैनी)

है लेकिन ये कोई संतोष का विषय नहीं है। ये घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए हम तो यह चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां भोजन के बारे में भी बात आयी कि जो सुविधाएं दी जाती है वो ठीक नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुविधाएं दी जा रही है वो डाइट स्केल के अनुसार दी जाती है वो डाइट स्केल फिक्स है उसके अनुसार ही इनको दी जाती है और जो प्रारंभिक सुविधाएं बिस्तर की हैं कपड़ों की है वह नेचुरली उनको मिलती है।

तो, माननीय सभापति महोदय, जो मेन चीज निकल कर आती है, उसमें यह है कि ओवरक्राउडिंग की स्थिति है, नई जेलों का प्राविजन होना चाहिए, हमारे स्टाफ की जो कमी है उसका प्रोविजन होना चाहिए।

जेल विभाग के बारे में आज कटौती प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं लगभग 81 माननीय सदस्य हैं, उनके कटौती प्रश्नों का जवाब शीघ्र ही भिजवा दिया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के मांग संख्या 17 पर आपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसका पास करने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, केवल एक प्रश्न, प्रश्न नहीं जिसको मैं नहीं कर पाया और जिसका मुझे आज भी दुःख है कि पांचवें वेतन आयोग के समय जेल का जो स्टाफ है, उसके और पुलिस का जो स्टाफ है उसके वेतन में बहुत बड़ा अंतर हो गया। कोर्ट से भी वे जीत करके आये हैं कि उनको बराबर मिलना चाहिए। इसको किसी भी तरह से आप और आप दोनों मिलकर के क्योंकि आखिर भी हमारे ही कर्मचारी हैं, जो समान वेतन पांचवें वेतन आयोग से पहले था का वह जेल के लोगों का भी हो तो जेल की सर्विस में आने की लोगों की इच्छा रहेगी नहीं तो जेल सर्विस में कोई भी आना पसंद नहीं करेगा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, एक बीकानेर की पुरानी जेल को बेचने के संबंध में कोई बात थी इसके बारे में कोई आपकी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-16 पुलिस को पारित किया जाए।

मांग संख्या 16-पुलिस का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,54,88,78,000/- (अक्षरे इक्कीस अरब चौवन करोड़ अठासी लाख अठहत्तर हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 17-कारागार का पारण

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-कारागार को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62, 76,76,000/- (अक्षरे बासठ करोड़ छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक आज मंगलवार दिनांक 23 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 2.41 बजे मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रबंध संचालक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही

242. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर द्वारा वर्ष 2008-09 में नाबाई को दी जाने वाली किश्त का भुगतान किया जाना था? यदि हां, तो कितना तथा इसकी देय तिथि क्या थी?

(2) क्या उक्त देय तिथि को भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किश्त का भुगतान देय तिथि तक न किये जाने के कारण वर्ष 2008-09 में पदस्थापित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध संचालक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो, क्यों?

(4) राजस्थान सहकारी आवासन संघ जयपुर में अगस्त, 2009 में जीवन बीमा निगम की देय किश्त कितनी थी और कितना भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो इसका क्या प्रतिकूल असर हुआ? क्या यह सही है कि किश्त जमा न होने के दोष के कारण राजस्थान सहकारी आवासन संघ, जयपुर को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण वितरण करने के लिए पुनर्भरण हेतु मना कर दिया?

(5) क्या इससे आवासन संघ की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? यदि हां, तो तत्कालीन संचालक के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। देय तिथि एवं राशि का विवरण निम्न प्रकार है-

विवरण	राशि किश्त (करोड़ रु. में)	देय तिथि
ब्याज	90.98	1 जुलाई, 2008
मूलधन	222.09	1 जुलाई, 2008

(2) जी नहीं। दिनांक 1.7.2008 को देय ब्याज राशि रुपये 90.98

(सहकारिता मंत्री)

करोड़ का भुगतान देय तिथि 1.7.2008 को कर दिया गया था। मूलधन की किश्त रुपये 222.09 करोड़ रुपये का भुगतान देय तिथि 1.7.2008 के स्थान पर 17.10.08 को किया गया। देय तिथि को मूलधन की किश्त का भुगतान नहीं किये जाने का कारण यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा बजट वर्ष 2008-09 माह फरवरी 2008 में ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 की घोषणा के फलस्वरूप सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी कृषकों को योजना के अन्तर्गत ऋण माफी एवं राहत प्रदान की गई। ऋणी कृषकों को प्रदत्त की गयी ऋण माफी एवं ऋण राहत की राशि भारत सरकार से उस समय प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने नाबार्ड से 1.7.2008 को देय मूलधन की किश्त को 31.12.08 तक के लिये स्थगित करने हेतु निवेदन करने पर नाबार्ड ने मूलधन की किश्त 31.1.09 तक जमा करवाने पर सहमति प्रदान की। भारत सरकार से ऋण माफी की राशि दिनांक 17.10.2008 को प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 1.7.2008 को देय मूलधन की किश्त रुपये 222.09 करोड़ का भुगतान नाबार्ड को दिनांक 17.10.2008 को कर दिया।

(3) जी नहीं। क्योंकि अधिकारी का कोई दोष नहीं बनता है।

(4) अगस्त, 2009 में जीवन बीमा निगम को 264.31 लाख रुपये की राशि किश्त पेटे देय थी जिसमें से 40.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया। नहीं संघ की कमजोरी वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत जीवन बीमा निगम द्वारा संघ के पक्ष में और ऋण स्वीकृत करने से मना किया गया।

(5) नहीं। क्योंकि संघ भारतीय जीवन बीमा निगम की वर्तमान ऋण किश्तों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, अत: भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त होने पर संघ पर ऋण किश्तों का अतिरिक्त भार होता।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश को आयातित अनुदानित दालों में से आबंटित कोटा

247. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को आयातित अनुदानित दालों का नियतांश (कोटा) कितना आबंटित किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियतांश में से राज्य सरकार द्वारा किस-किस किस्म की कितनी-कितनी मात्रा में दालें इस वर्ष में उठाई गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के माध्यम से कितनी मात्रा में दालें वितरित की गई? विवरण सदन की मेज परन्तु रखें।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु केन्द्र और राज्य सरकार प्रतिकिलो कितना अनुदान दे रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को आयातित अनुदानित दालों का कोई नियतांश (कोटा) आबंटित नहीं किया हुआ है।

(2) राज्य के लिए दालों का नियतांश (कोटा) आबंटित नहीं होने के कारण आबंटित कोटा में से दाल नहीं उठाई गई।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालें वितरित नहीं की गई। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार की नीति एवं दिशा निर्देशानुसार 1000 मै. टन मूंग की दाल का आयात करवाकर भारत सरकार के उपक्रम एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से अक्टूबर 2009 से 7 संभाग मुख्यालयों पर अनुदानित दर पर वितरण किया गया है।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केन्द्र सरकार द्वारा मूंग की दाल के लिए 10/- रुपये प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा दालों के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

चित्तौड़गढ़ जिले की कारागारों में कार्मिकों के रिक्त पद

248. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(1) चित्तौड़गढ़ जेल में कुल कितने-कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जेल से कैदी फरार हुए हैं? यदि हां, तो कैदियों के फरार हुये दिन कितने कर्मचारी किस पद पर कार्यरत थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़गढ़ जेल से कैदियों के फरार होने वाले दिन भी काफी पद रिक्त थे और इनको लम्बे समय से भरा नहीं गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कैदियों के फरार होने के पश्चात् रिक्त पद भर दिये गये? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश की जेलों में कितने-कितने पद किस-किस संवर्ग के कब से रिक्त हैं और उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जेल पर वर्तमान में स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	सहायक कारापाल	1
2	मुख्य प्रहरी	2
3	प्रहरी	11
4	प्रहरी (बंदी खुला शिविर हेतु)	1
5	कनिष्ठ लिपिक	1
6	मेलनर्स	1 (पद प्रास्थगित किया हुआ है)

(2) जी हां। चित्तौड़गढ़ जेल से दिनांक 18.02.10 को 23 बंदी फरार हुए थे। फरारी की घटना के दिन 10 कर्मचारी स्वीकृत पदों के विरुद्ध एवं 2 अन्य कारागृहों से अटैचमेन्ट पर कार्यरत थे तथा 4 होमगार्ड स्वयंसेवकों को लगाया हुआ था, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

(कारागार राज्य मंत्री)

क्र. सं.	पदनाम	कार्यरत	रिक्तियां	विशेष विवरण
1	उप कारापाल	1	-	पद स्वीकृत नहीं। अतिरिक्त के रूप में अटैचमेन्ट पर लगाया हुआ था।
2	सहायक कारापाल	1	-	-
3	मुख्य प्रहरी	1	1	-
4	प्रहरी	7	4	रिक्तियों के विरुद्ध 4 होमगार्ड स्वयंसेवकों को लगाया हुआ है।
5	महिला प्रहरी	1	-	पद स्वीकृत नहीं। महिला बंदियों की देखरेख हेतु केन्द्रीय कारागृह उदयपुर से अटैचमेन्ट पर लगाया हुआ है।
6	कनिष्ठ लिपिक	1	-	-

(3) जी नहीं। चित्तौड़गढ़ जेल से दिनांक 18.02.2010 को हुई फरारी की घटना वाले दिन एक मुख्य प्रहरी एवं 4 प्रहरियों के पद रिक्त थे। जबकि कारागृह पर एक उप कारापाल एवं एक महिला प्रहरी को अन्य कारागृहों से अटैचमेन्ट पर तथा प्रहरियों के 4 रिक्त पदों के विरुद्ध 4 होमगार्ड स्वयंसेवकों को लगाया हुआ था।

(4) चित्तौड़गढ़ जेल से दिनांक 18.02.2010 को हुई फरारी की घटना के बाद कारागृह पर एक कारापाल को पदस्थापित किया गया है तथा वर्तमान में कार्य व्यवस्था सुधार हेतु एक मुख्य प्रहरी तथा 8 प्रहरी और लगाये गये हैं।

(5) कारागार विभाग/प्रदेश की जेलों में दिनांक 01.02.2010 की स्थिति के अनुसार विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "ए" पर उपलब्ध है। रिक्त पदों की पूर्ति नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले में पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान

249. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 में सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त क्षेत्र के गांवों में कुल कितने चारा डिपो खोले गये तथा कितनी राशि सब्सीडी हेतु जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25-8-2009 व 13-11-2009 के अनुसरण में चूरू जिले में कितनी पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान दिया गया व इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

(3) श्री कृष्ण गौ सेवा समिति साहवा का कुल कितना अनुदान कब से बकाया है? क्या सरकार उक्त बकाया अनुदान का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) जिला चूरू के कुल कितने गांवों को सरकार ने अभावग्रस्त घोषित किया है तथा कुल कितने गांवों में चारा डिपो खोल रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 में अकालग्रस्त घोषित क्षेत्र के गांवों में अब तक प्राप्त सूचना अनुसार 1128 चारा डिपो खोले जा चुके हैं तथा चारा परिवहन अनुदान हेतु 808.50 लाख रु. की राशि अब तक जिलों को आबंटित की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) आदेश दिनांक 25-8-2009 व 13-11-2009 के अनुसरण में चूरू जिले में पंजीकृत 63 गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को अनुदान दिया जा रहा है जिस पर अब तक 128.86 लाख रु. का व्यय किया जा चुका है।

(3) श्री कृष्ण गौ सेवा समिति साहवा को माह जनवरी, 2010 तक के अनुदान बिलों का भुगतान कर दिया गया है तथा माह फरवरी, 2010 के बिल कोष कार्यालय में भिजवा दिये गये हैं।

(4) चूरू जिले के 912 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है राज्य द्वारा जिले को 120 चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं, जिनके विरुद्ध जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत 79 चारा डिपो में से वर्तमान में 34 चारा डिपो चालू हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक में अनियमितता की जांच

250. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक में खाताधारकों की जमा राशि का भुगतान रोका गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अरबन को-आपरेटिव बैंक में भारी भ्रष्टाचार हुआ है? यदि हां, तो कितने खाताधारियों की कितनी राशि का और सरकार द्वारा अब तक भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व पीड़ित परिवारों को अब तक क्या न्याय दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्था में नकद तरलता/वसूली नहीं होने से खाता धारकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, वसूली होने पर ही नियमानुसार भुगतान सम्भव होगा।

(2) अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है। परन्तु संस्था द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आडिट व जांच सम्भव नहीं हो पाई है। बैंक के पूर्व चैयरमेन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जानकारी, बकाया ऋणों की वसूली, जमाकर्त्ताओं की जमा राशि का विवरण, व उनको भुगतान बाबत् सही स्थिति रिकार्ड उपलब्ध होने व बैंक की आडिट होने पर ही सम्भव है।

बैंक में अनियमितताओं के आरोपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है तथा संचालक मण्डल के पदाधिकारियों को हटाकर प्रशासक नियुक्त किया गया है।

पूर्व प्रबन्धन द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने के कारण वर्ष 2004-05 से बैंक का आडिट नहीं हो पाया है। रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने के कारण बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गयी है। प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर के न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रिकार्ड व चार्ज प्राप्त करने हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 31(2) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ है।

अजमेर जिले में संचालित छात्रावासों हेतु भवन निर्माण

251. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा संचालित कितने छात्रावास किराये के भवन में संचालित हैं? क्या सरकार इन छात्रावासों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा उक्त छात्रावासों में रह रहे प्रति छात्र कितनी-कितनी राशि वर्तमान में व्यय की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि महंगाई के हिसाब से उक्त राशि पर्याप्त नहीं है? क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त छात्रावासों में कौन-कौन से पद स्वीकृत एवं कौन-कौन से पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में 20 छात्रावास संचालित हैं इनमें छात्रों की स्वीकृत संख्या 710 एवं छात्राओं की स्वीकृत संख्या 135 है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा संचालित 4 राजकीय छात्रावास किराये के भवन में संचालित हैं इनमें से राजकीय अम्बेडकर छात्रावास ब्यावर के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में 48 लाख रुपये का बजट एवं राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पीसांगन, सांपला एवं मसूदा के भवन निर्माण नाबार्ड सहायता योजनान्तर्गत 73.30 लाख रुपये का बजट सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसी वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त छात्रावासों में से राजकीय अम्बेडकर छात्रावास ब्यावर, सांपला और मसूदा में छात्रावास निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(3) सरकार द्वारा उक्त छात्रावासों में रह रहे प्रति छात्र 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से वर्तमान में व्यय की जा रही है जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) सरकार द्वारा वर्तमान में नवीन दरों से दिनांक 1.8.2009 से छात्रावासों के छात्रों हेतु मैस भत्ते की राशि 725 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 1000 रुपये की गई है इसलिए उक्त राशि को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(5) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के 18 पद स्वीकृत हैं। तथा इसमें से 17 पद भरे हुये हैं। रसोईया/चौकीदार के 13 पद स्वीकृत हैं। इनमें से चौकीदार/रसोईया के 12 पद भरे हुए हैं। छात्रावास अधीक्षक के रिक्त 1 पद एवं रसोईया/चौकीदार के 1 रिक्त पद को भरने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित-प्रश्न

दिनांक 15 मार्च, 2010

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को देय बकाया छात्रवृत्ति

144. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती हैं? यदि हां, तो गत शिक्षा सत्र के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना शेष है?

(2) क्या सरकार उक्त छात्रों को अब छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) अब तक छात्रवृत्ति नहीं देने के क्या कारण रहे व इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय/अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। गत शिक्षा सत्र 2008-09 के अनुसूचित

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के 3682 आवेदन-पत्र एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के 6402 आवेदन-पत्र बकाया हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के उपयोग के लिये छात्रवृत्ति आवेदन के लिये विभागीय गाइड लाइन्स में दर्शाई गई प्राथमिकताओं के अनुसार राशि वितरित की जाती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 86155, अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवार के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 1935 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये 139970 आवेदन-पत्र लम्बित बताये गये हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु संचालित मैरिट-कम-मीन्स, उत्तर मैट्रिक एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि का पात्र विद्यार्थियों को वितरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आबंटन किया जा चुका है।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2008-09 के बकाया आवेदन-पत्रों को स्वीकृत करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये संसाधनों में से जितनी छात्रवृत्ति वितरित की जा सकती है, उतने आवेदक लाभान्वित हो पाते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये गये बजट में से प्राथमिकताओं के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है।

अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2008-09 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया गया।

(3) वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 15.02.2009 थी तथा इसमें शिथिलता प्रदान कर दिनांक 31.03.2009 तक के आवेदन-पत्रों को स्वीकृत करने के निर्देश किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की पात्रता की जांच, एवं जांच में पाई गई कमियों/आक्षेपों की पूर्ति पश्चात् छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। जिसमें कुछ समय लगना स्वभाविक है। अत: वर्ष 2008-09 की छात्रवृत्ति समय पर नहीं देने के लिये अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं में आई.टी. केन्द्र की स्थापना

252. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर में पंचायतीराज स्वर्ण जयंती समारोह में सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को एक बार फिर 16 विभाग देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन से विभाग पंचायतीराज को दे दिये गये?

(2) क्या सरकार पंचायतीराज को फण्ड फगरान व फगरानरी के साथ 16 विभाग देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त सम्मेलन में केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री ने जयपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से पंचायती राज संस्थान खोलने की घोषणा भी की थी? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है व नहीं, तो कितना समय और लगेगा?

(4) क्या पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को अधिक अधिकार एवं उनके वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी करने का सरकार विचार रखती है?

(5) क्या मुख्य मंत्रीजी ने सरपंचों की राष्ट्रीय संगोष्ठी में 500 करोड़ रुपये से पंचायतों में आई.टी. केन्द्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये थे? क्या उक्त आधार पर प्रत्येक पंचायत समिति को 25 लाख एवं प्रत्येक पंचायत में 5 लाख खर्च किये जावेंगे? यदि हां, तो अब तक कितनी पंचायत समिति एवं पंचायतों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायतों को अधिकार दिये जाने के लिए राज्य सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही है। संसद, नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते इस कार्य में प्रगति धीमी रही है।

(2) जी हां। पंचायतीराज को फण्ड, फंक्शन व फंक्शनरी के साथ 16 विभाग देने के लिये सरकार संकल्पबद्ध है। जिस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री ने जयपुर में शोध संस्थान स्थापित करने की घोषणा के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने अपनी बैठक दिनांक 30.9.2009 में जयपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को सेन्टर स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के निवेदन पर संस्थान को ग्राम चौप (आमेर) में भूमि आबंटित की जा चुकी है।

(4) पंचायतीराज संस्थाओं को 16 विभाग हस्तान्तरित कर पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिये सरकार संकल्पबद्ध है।

अधिसूचना दिनांक 22-10-2009 के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(5) जी हां। प्रत्येक पंचायत समिति स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के लिए 25.00 लाख रुपये एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्र के लिये 10.00 लाख रुपये खर्च किये जावेंगे। अब तक 103 पंचायत समितियों एवं 488 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक:-एफ951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/09-10/7387

जयपुर, दिनांक- 22.10.2009

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के

अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक:- एफ 951(19) (41) परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/09-10/6439 दिनांक 1.9.2009 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

<u>मानदेय की दरें :-</u>

जनप्रतिनिधि का पद नाम	**वर्तमान में देय दर रु. (दि. 1.9.2009 से प्रभावी)**	**दि. 2.10.2009 को की गई घोषणानुसार बढ़ाई गई दर रु.**	**दि. 2.10.2009 को की गई घोषणानुसार बढ़ाई गई दर से अन्तर राशि**
1	**2**	**3**	**4**
जिला प्रमुख, जिला परिषद	5100/-	7500/-	2400/-
प्रधान, पंचायत समिति	3100/-	5000/-	1900/-
सरपंच, ग्राम पंचायत	1000/-	3000/-	2000/-

<u>बैठक भत्ता की दरें :-</u>

जन प्रतिनिधि का पद नाम	**वर्तमान में देय दर रु. (दि. 1.9.2009 से प्रभावी)**	**दि. 2.10.2009 को की गई घोषणानुसार बढ़ाई गई दर रु.**	**दि. 2.10.2009 को की गई घोषणानुसार बढ़ाई गई दर से अन्तर राशि**
1	2	3	4
सदस्य, जिला परिषद	90	125	35/-
सदस्य, पंचायत समिति	75	100	25/-
सदस्य, ग्राम पंचायत	50	75	25/-

कालम सं. 4 में अंकित वृद्धि राशि का भुगतान नरेगा के प्रशासनिक चार्जेज मद से प्रभावी होगी।

उक्त संशोधित दरें दिनांक 02.10.2009 से प्रभावी होंगी।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 330900356 दि. 14.10.2009 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल के आदेश से

(आर.के. मीणा)

प्रमुख शासन सचिव

किशनगढ़-बास विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकृत ग्राम

253. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कुटीर ज्योति स्कीम के तहत तहसील किश्नगढ़बास तथा कोटकासिम के कितने बी.पी.एल. परिवार के घरों को विद्युत उपलब्ध कराई गई और उक्त स्कीम में व्यय की गई राशि में केन्द्र व राज्य का हिस्सा कितना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के अन्तर्गत सभी आबाद गांव विद्युतीकरण है अत: ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कोई भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया जाना है।

(2) कुटीर ज्योति स्कीम (योजना) वर्तमान में चालू नहीं है। वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में तहसील किशनगढ़बास में 1030 बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अलवर जिले में माह फरवरी-2010 तक 59.26 करोड़ रु. खर्च किये जा चुके हैं। जिसमें शत-प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का है। उक्त योजना में कुल योजना लागत का 90 प्रतिशत सब्सिडी तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में देने का प्रावधान है।

जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र हेतु स्वीकृत चारा डिपो

254. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र जहाजपुर (भीलवाड़ा) के सभी गांवों को सरकार द्वारा इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बावजूद नगरपालिका क्षेत्र में अकाल राहत कार्य एवं चारा डिपो स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में नगरपालिका जहाजपुर क्षेत्र को सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित करने पर अकाल राहत कार्य एवं चारा डिपो खोलने की स्वीकृतियां जारी की जाकर प्रदान की गई थी? यदि हां, तो स्वीकृतियों के आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र जहाजपुर में अकाल राहत कार्य एवं चारा डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र जहाजपुर सहित तहसील जहाजपुर के सभी राजस्व ग्रामों को इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के कार्यालय आदेश दिनांक 24-02-2010 के अनुसार नगरपालिका, जहाजपुर में चारा डिपो स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-4-2010 से द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की समस्त नगरपालिकाओं/उनकी सीमा में शामिल गांवों में भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दिनांक 17-3-2010 को जारी किये जा चुके हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर है।

(2) वर्ष 2005 में नगरपालिका क्षेत्र जहाजपुर को अकालग्रस्त घोषित कर अकाल राहत कार्य एवं चारा डिपो खोलने की स्वीकृतियां जारी की गयी थीं। जारी स्वीकृतियों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर हैं।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में स्थिति अंकित है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड

255. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ओम बिरला)

(1) राज्य में सहकारी बैंकों से कितने किसान क्रेडिट जारी हो चुके हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण दिया गया एवं कितनों को नहीं दिया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष रहे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार फसल ऋण, ऋण नियमित जमा कराने वाले ऋण धारकों को 2% अनुदान देती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार फसल ऋण पर 4 प्रतिशत अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में जनवरी, 2010 तक कुल 29,77,558 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में जनवरी, 2010 तक जारी किये गये कुल 29,77,558 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों में से, ऋण की मांग करने वाले सभी पात्र 19,51,856 किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है। शेष 10,25,702 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा ऋण की मांग न करने के कारण ऋण उपलब्ध नहीं करवाया गया। संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण की मांग करने वाले सभी पात्र किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है। शेष 10,25,702 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा ऋण की मांग नहीं की गई। संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के बजट में समय पर ऋण चुकारा करने वाले ऋण धारकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की घोषणा की गई है।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा बजट भाषण 2010-11 में सहकारी बैंकों को रुपये 30.00 करोड़ का ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया है)

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति

256. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के समस्त राजकीय एवं अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2007 से 2009 की अवधि में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों का ग्रामवार नाम सहित अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के समस्त राजकीय एवं अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की अवधि में दी गई छात्रवृत्ति का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों का ग्रामवार अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक/बालिकाओं का नाम सहित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गये)

भीम विधान सभा क्षेत्र में जल ग्रहण योजना में करवाये गये कार्यों में अनियमितता की जांच

257. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में जल-ग्रहण योजना कब लागू हुई?

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों के ग्रामों में कार्य कराया गया? ग्राम अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों का मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ जांच एजेंसी से कराने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना अन्तर्गत सारोठ पंचायत के किलियावास, राजवा में कराये गये कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं? यदि हां, तो क्या?

(श्री हरिसिंह रावत)

(5) क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर किये गये भुगतान को मय पैनल्टी वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जल ग्रहण योजना वर्ष 1991 से लागू की गई।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में योजनान्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों के ग्रामों में कार्य कराया गया उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। सारोठ पंचायत के बिलियावास राजवा में कराये गये कार्यों में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी हैं :-

अ. ग्राम बिलियावास में पीपली लागा मादेला एनीकट टूटी हुई पाई गई।

ब. ग्राम राजवा में सिमाडा वाला वाले एनीकट में रिसाव हो रहा है।

स. बिना मूल्यांकन किये कार्यों पर राशि रु. 321500/- का अनियमित भुगतान।

द. सचिव द्वारा राशि रुपये 50000/- उठाकर समायोजन का अभाव।

(5) जी हां। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। अनियमित व्यय की गई राशि की नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। अनियमितताओं के लिए ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुरलीधर पण्ड्या को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है एवं श्री त्रिलोक चन्द्र तत्कालीन सचिव, क. अभियन्ता श्री शलभ टण्डन, सहायक कृषि अधिकारी श्री सैयद जाहिद अली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। सरपंच श्रीमती मानी पत्नी श्री किशन सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्भागीय आयुक्त उदयपुर को प्रकरण अग्रेषित किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के सीमावर्ती ग्रामों का विद्युतीकरण

258. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दौलतराज समेजा)

(1) क्या सरकार सीमा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में किन गांवों में कार्य चल सहा है तथा उपरोक्त गांवों का निर्धारण किन मानदण्डों के अनुसार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र (0 km से 10 km तक) के ग्रामीणों को कब तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कुल 703 गांव हैं। श्रीगंगानगर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य चालू है। इसके तहत विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के 58 गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। योजना वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ की जा चुकी है। अब तक योजनान्तर्गत 39 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं 15 गांवों में विद्युतीकरण/विद्युत तंत्र विस्तार का कार्य जारी है जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। योजनान्तर्गत सभी गांवों को विद्युतीकरण/सघन विद्युतीकरण के लिये सम्मिलित किया जा चुका है।

(3) जोधपुर डिस्काम के सभी जिलों को स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में जिलों के सभी गांवों को विद्युतीकरण एवं इन्टेन्सिव इलेक्ट्रीफीकेशन हेतु समाहित है। अत: इस योजना में सीमाक्षेत्र (0 किमी. से 10 किमी. तक) के गांवों का विद्युतीकरण का कार्य भी सम्मिलित है। उक्त विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अभावग्रस्त ग्रामों हेतु स्वीकृत राशि

259. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की किस-किस ग्राम पंचायत को अकालग्रस्त घोषित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 तक अकाल राहत कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए तथा वर्तमान में कौन-कौनसी ग्राम पंचायत में अकाल राहत कार्य चल रहे हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन मजदूरों को नरेगा के अन्तर्गत 100 दिन पूर्ण हो गये हैं उन्हें अकाल राहत कार्यों में कार्य देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए कब तक दिशा-निर्देश जारी कर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के 239 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) अभाव सम्वत 2066 हेतु, रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.9.2009 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रभावित क्षेत्र के परिवारों को प्रथमत: 100 दिन का रोजगार नरेगा के तहत उपलब्ध कराया जाना है। तथा 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को, अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता होने पर (सी.आर.एफ. मद) से राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया जावे। इस हेतु जिला जयपुर को हर माह श्रमिक सीमा भी स्वीकृत की जाती रही है। मार्च, 2010 हेतु जिला जयपुर को 5000 श्रमिक सीमा स्वीकृत की हुई है। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2009 तक पृथक से कोई अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। और न ही वर्तमान में चल रहे हैं।

(3) जी हां। दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिला जयपुर को प्रति माह श्रमिक सीमा भी स्वीकृत की गयी है। जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर है तथा माहवार श्रमिक सीमा परिशिष्ट-3 पर है।

(सूचियां व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विधान सभा क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों को जारी विद्युत कनेक्शन

260. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में गत दो वर्षों में (डीग क्षेत्र सहित) कुल

(श्रीमती अनिता सिंह)

कितने बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब शेष विद्युत कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में बी.पी.एल. श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा देरी की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों हेतु प्राथमिकता का क्या आधार है व पालना किस प्रकार सुनिश्चिततता की जा रही है?

(5) क्या यह सही है कि गैर आबादी व आबादी क्षेत्रों में उक्त कनेक्शनों हेतु कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में गत दो वर्षों में (डीग क्षेत्र सहित) कुल 2002 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं तथा 4190 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन देना शेष हैं।

(2) शेष बचे हुए बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन माह मई-2010 तक दिया जाना सम्भावित है।

(3) जी नहीं। भरतपुर जिले की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यादेश दिनांक 28.11.2008 को मै. पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा मै. श्यामा पावर, गुड़गांव को दिया गया है तथा कार्यादेशानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि मई, 2010 तक प्रस्तावित है। अत: वर्तमान में अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य करने में कोई देरी नहीं की है।

(4) बी.पी.एल. सूची वर्ष 2002 के आधार पर कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। कार्य की प्राथमिकता उन गांवों/ढाणियों को दी जा रही है जो अविद्युतीकृत हैं अथवा पूर्व में विद्युतीकृत गांव जहां विद्युत तंत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव के समस्त कनेक्शन एक साथ दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(5) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अवैध रूप से सरकारी आवासों पर काबिज अधिकारियों से किराया वसूली

384. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) **एवं डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर व उदयपुर में कितने सरकारी अधिकारी सरकारी आवास में अवैध रूप से कब से रह रहे हैं तथा इन अधिकारियों में से कितनों को सरकार द्वारा नोटिस दिया गया? क्या सरकार उक्त पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) जिन अधिकारियों ने पद के लिए चिन्हित मकान को स्थानान्तरण या सेवानिवृत्ति के बाद खाली नहीं किया, उन पर कुल कितना किराया बाकी है? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के वेतन पेंशन से किराया वसूल करने विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर में सरकारी आवासों में अनियमित रूप से निवास कर रहे अधिकारियों की सूची (परिशिष्ट-क) पर संलग्न है। 29 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है।

जी हां। आबंटन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(2) पद के लिए आरक्षित आवास को रिक्त कराने का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में कृषि बीमा योजना से लाभान्वित कृषक

385. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कितने किसानों का कृषि बीमा किया गया और कितने किसानों को लाभ दिया गया? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत तहसील बहरोड में गत दो वर्षो में निम्न विवरणानुसार 19,072 कृषक बीमित किए गए। फसल मौसमवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(कृषि मंत्री)

फसल मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या
खरीफ 2007	9779	0
रबी 2007-08	4864	0
खरीफ 2008	3574	0
रबी 2008-09	855	0

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार तहसील को इकाई मानकर राज्य में क्रियान्वित की गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा ग्रामवार आंकड़े संधारित नहीं कराए जाते हैं।

कठूमर विधान सभा क्षेत्र में नवीन राशन डीलरों की नियुक्ति

386. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में कितने राशन डीलरों की कमी है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र में नये राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर दिनांक 6.10.2009 को आदेश जारी कर अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। रोस्टर प्रणाली के आधार पर भविष्य में निकलने वाली रिक्तियों पर अनुसूचित जाति व अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी जावेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में 8 राशन डीलरों की कमी है। इन 8 राशन डीलरों की पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां, राज्य सरकार द्वारा रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकान हेतु डीलर्स की नियुक्ति किये जाने के संबंध में दिनांक 24.2.2010 को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उक्त क्षेत्र में डीलर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र पूर्ण कर नियुक्ति कर दी जावेगी।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र कठूमर उपखण्ड क्षेत्र**	**नवीन दुकान खोलने हेतु रिक्त/ अतिरिक्त स्थान (ग्राम पंचायत का नाम)**
1	कठूमर	टीकरी (रिक्त)
2	कठूमर	टीकरी 1/2 भाग (अतिरिक्त)
3	कठूमर	ईसरोता 1/2 भाग (अतिरिक्त)
4	कठूमर	मथुराहेडा 1/2 भाग (अतिरिक्त)
5	कठूमर	सालवाड़ी 1/2 भाग (अतिरिक्त)
6	कठूमर	कठूमर 1/4 भाग (अतिरिक्त)
7	कठूमर	न.पा. खेडली वार्ड नं 5 (रिक्त)
8	कठूमर	खोह 1/2 (अतिरिक्त)

जिला रसद अधिकारी
अलवर

राजमसन्द विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण

387. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2009-10 में कितनी उचित मूल्य की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा कितनी दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों में अनियमिततायें पायी गई, उन दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत एक वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में गेहूं, चावल, केरोसीन एवं चीनी की कितनी मात्रा अन्त्योदय, निर्धन सीमा रेखा एवं अन्य परिवारों में वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक 39 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 37 उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताएं मिली हैं। विवरण परिशिष्ट-ए में संलग्न है।

(2) जिन उचित मूल्य दुकानदारों के यहां अनियमितताएं पाई गई, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। अब तक 37 प्रकरणों में से 31 प्रकरणों को निर्णित किया जाकर 14523/- रुपये की प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई है, शेष 6 प्रकरणों में कार्यवाही जारी है। विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(3) गत एक वर्ष में अर्थात फरवरी, 2009 से जनवरी, 2010 के दौरान निम्नांकित सामग्री का वितरण किया गया :-

माह	योजना का नाम (मात्रा क्विंटल/लीटर में)							
	ए.पी.एल. गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामान्य)	ए.पी.एल. गेहूं (सूखा राहत)	ए.पी.एल. गेहूं (खुली बिक्री योजना)	बी.पी.एल. गेहूं	ए.ए.वाई. गेहूं	अन्नपूर्णा गेहूं	लेवी चीनी	केरोसीन
फरवरी, 09	2339.02	-	-	1553.62	1409.16	76.45	47	173090
मार्च, 09	1901.09	-	-	1418.76	1269.59	49.6	214	165310
अप्रैल, 09	4021.18	-	-	1745.38	1630.75	21.40	171.50	165160
मई, 09	3336.56	-	-	1423.56	1331.26	16.80	231.50	170240
जून, 09	2981.67	-	-	1604.65	1564.43	-	178.50	165260
जुलाई, 09	3153.11	-	-	1507.70	1369.39	-	-	165420
अगस्त, 09	3330.82	-	-	1618.74	1561.53	-	-	165940
सितम्बर, 09	2936.44	-	-	1531.96	1447.36	111.40	229.30	164570
अक्टूबर, 09	2747.46	-	-	1558.01	1463.62	151.00	13.70	168515
नवम्बर, 09	2808.14	355	-	2056.12	1446.67	107.15	-	177125
दिसम्बर, 09	2980.19	4178.92	3185.33	1713.58	1408.59	24.19	-	175640
जनवरी, 2010	2730.66	86.60	129.70	1873.75	1698.08	47.70	219	172650

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना में गैस एजेन्सी द्वारा गैस सिलेण्डर आपूर्ति में अनियमितता

388. श्री ग्यारसा रामकोली (बयाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बयाना इंडेन गैस एजेंसी बयाना के क्षेत्राधिकार में कितनी तहसीलें हैं?

(2) उक्त इंडेन गैस एजेंसी बयाना के लिये गैस वितरण करने के क्या नोर्मस है एवं उपभोक्ता सीमा कितनी है और अब इसके पास कितने उपभोक्ता हैं?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 17 जनवरी, 2010 को व्यापार मंडल अध्यक्ष बयाना ने इसी गैस कम्पनी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को भरकर/वैर/रूपवास/रूदावल में कालाबाजारी किये जाने हेतु शिकायत की है? क्या उपखंड अधिकारी ने बयाना में गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी रोकने की कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त एजेन्सी को अक्टूबर एवं नवम्बर, 2009 में कोई विशेष आदेश दिये गये थे? क्या उक्त एजेन्सी ने आदेशों की पालना की है? यदि नहीं, तो क्यों और अब उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर एजेन्सी के पदाधिकारी उपभोक्ताओं को चूल्हा आदि जबरन बेचते हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक के अनुसार वर्तमान में मैसर्स बयाना गैस सर्विस, बयाना, जिला भरतपुर 15 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र में गैस आपूर्ति उपलब्ध करवा रहा है जिसमें तहसील बयाना, तहसील रूपवास का कुछ भाग सम्मिलित है। जैसे ही इस क्षेत्र में नई गैस एजेन्सी स्थापित होगी तत्पश्चात बयाना गैस सर्विस द्वारा अपने नगरपालिका सीमा में ही अपना कारबार किया जाएगा, क्योंकि यह शहरी क्षेत्र का वितरक है।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक के अनुसार उक्त इंडेन गैस एजेन्सी बयाना के लिए अपने स्थान से 15 किलोमीटर की परिधि में कार्यभार करने के नार्मस निर्धारित है परन्तु रूपवास तहसील का कुछ भाग इसके अधीन आने के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

कारण वहां भी उक्त एजेन्सी द्वारा घरेलू गैस की आपूर्ति की व्यवस्था गैस कम्पनी द्वारा वर्तमान में की हुई है। वर्तमान नीति के अनुसार किसी भी गैस एजेन्सी के लिए उपभोक्ताओं की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं है तथा इनके पास वर्तमान (01.02.2010 तक) में उपभोक्ताओं की संख्या 14365 है।

(3) जी नहीं। अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, बयाना द्वारा दिनांक 17.01.2010 को उक्त गैस एजेन्सी के विरुद्ध कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी बयाना के समक्ष किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की है, फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा कालाबाजारी रोकने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं था।

(4) जी नहीं। उक्त अवधि में उक्त एजेन्सी को कोई विशेष आदेश नहीं दिये गये।

(5) राज्य स्तरीय समन्वयक के अनुसार किसी भी गैस वितरक द्वारा हाटप्लेट तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री उपभोक्ता-सेवा को सुगमता प्रदान करने के लिये बेचा जाता है फिर भी एम.आर.टी.पी. एक्ट के अनुसार किसी भी उपभोक्ता को वितरक द्वारा उक्त सामान खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के अनुसार बयाना गैस इंडेन गैस एजेन्सी, बयाना के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा चूल्हा आदि बेचने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों की नियुक्ति

389. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में राशन डीलरों की नियुक्तियां की जानी हैं? यदि हां, तो कब तक व कितनी कहां-कहां? गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में 15 राशन डीलरों की नियुक्ति की जानी है। 3 दुकान वर्तमान में रिक्त हैं एवं 500 राशन कार्ड के हिसाब से 12 उचित मूल्य की दुकान नवसृजित की गई हैं, दुकानवार विवरण निम्नानुसार है। नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

1	पालड़ी	(नवसृजित)
2	नाडसर	(नवसृजित)
3	गजसिंहपुरा	(नवसृजित)
4	सुरपुरा खुर्द	(नवसृजित)
5	उस्तरा	(नवसृजित)
6	बासनी हरिसिंह	(नवसृजित)
7	अरटिया कलां	(नवसृजित)
8	देवातड़ा	(नवसृजित)
9	रजलानी	(नवसृजित)
10	कोसाणा	(नवसृजित)
11	रतकुड़िया	(नवसृजित)
12	खांगरा	(नवसृजित)
13	कोसाणा-।।	(रिक्त)
14	रतकुड़िया-।।	(रिक्त)
15	लवेरा कलां	(रिक्त)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

390. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष कितने-कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय किया गया है। इसके लिये सरकार द्वारा चालू वर्ष में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने के लिए 800 नये 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने की "ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना" का कार्य शुरू किया गया है।

(ऊर्जा मंत्री)

इस योजना में प्रत्येक पंचायत को अलग फीडर से विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। इस योजना का कार्य 3 वर्ष में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

(2) राज्य के सभी तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष माह अप्रैल से दिसम्बर, 2009 तक औसतन 5 घण्टे प्रतिदिन रबी के मौसम में माह अक्टूबर, 09 से फरवरी, 2010 तक 6.30 से 7.00 घण्टे प्रतिदिन कृषि कार्य हेतु थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग हेतु माह अप्रैल से दिसम्बर, 2009 तक औसतन 6 घण्टे प्रतिदिन एवं अक्टूबर, 2009 से फरवरी, 2010 तक औसतन 14 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूत्रि की गई।

मथानिया (जोधपुर) में सौर ऊर्जा इन्स्टीट्यूट की स्थापना

391. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सौर ऊर्जा में विकास के लिए योजना बनाई है? यदि हां, तो उसमें किन-किन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सूर्य नगरी जोधपुर से 30 किलोमीटर मथानियां में सौर ऊर्जा हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मथानियां सौर ऊर्जा इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने हेतु दिनांक 19.11.2009 को "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौलर मिशन" जारी किया गया है। पूरे देश में इसके तहत 2022 तक 20000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 2000 मेगावाट क्षमता के आफ ग्रिड सौलर एप्लीकेशनस एवं 2 करोड़ वर्गमीटर क्षमता के सोलर कलक्टर लगाये जाने का प्रस्ताव है। (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौलर मिशन की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है)

(2) जी हां। राज्य सरकार ने मथानियां में सौर ऊर्जा संयंत्र के डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौलर मिशन" के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नदबई विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

392. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार डहरा मोड़ नदबई (भरतपुर) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा नदबई क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डहरा मोड 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना हेतु प्रस्ताव से सम्बनित सूचनाएं/अन्य आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(2) नदबई क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। प्रस्तावित सब-स्टेशन निम्न प्रकार है:- 1. गढावली, 2. ऊंच, 3. रायसीस, 4. खटोटी, 5. झारकई, 6. पिंगोरा, 7. पहरसर।

प्रदेश की ढाणियों का विद्युतीकरण

393. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश की ढाणियों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में ढाणियों में विद्युतीकरण वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा लागू "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं" तथा राज्य सरकार द्वारा लागू "मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना" के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। राज्य में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित 300 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में विद्युतीकरण किया जा रहा है। इन स्वीकृत योजनाओं एवं 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतीकृत सम्मिलित होने से वंचित अविद्युतीकृत ढाणियों में विद्युतीकरण हेतु 18 जिलों की पूरक "राजीव गांधी ग्रामीण

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकरण योजनाएं" बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को स्वीकृति हेतु भिजवाई हुई है, जिनकी स्वीकृति अभी अपेक्षित है। शेष जिलों की पूरक योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के तहत माह फरवरी, 2010 तक 3922 ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष सम्मिलित ढाणियों का विद्युतीकरण योजना पूरी होने तक किया जाना सम्भावित है।

"मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना" के तहत राज्य में 100 से कम आबादी वाली ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत 100 से कम आबादी वाली अविद्युतीकृत ढाणियों को स्थापित 11 के.वी. लाइन से 1 कि.मी. के अन्दर व 10 आवेदकों के समूह होने पर तथा एल.टी. लाइन 1 कि.मी. तक होने पर ही उपरोक्त ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। यह योजना अभी तक दिनांक 31.3.2010 तक प्रभावी है। इस योजना में माह फरवरी-2010 तक 5535 ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्राम

394. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत अब तक कितने गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के 77 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अब तक उक्त योजनान्तर्गत 10 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं 12 गांवों में विद्युतीकरण/तंत्र विस्तार का कार्य जारी है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत शेष रहे गांवों में विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2010-11 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

खानपुर एवं बकानी पंचायत समिति (झालावाड़) में लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शन

395. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ की खानपुर एवं बकानी पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कृषि कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये?

(2) क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन के साथ लगने वाली एबीसी केबल सरकार द्वारा सभी सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्काम कार्यालय से वितरण हेतु भेजी जाती है?

(3) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितनी एबीसी केबल सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्काम द्वारा खानुपर एवं बकानी में भेजी एवं कितनी केबल कनेक्शन हेतु उपयोग में ली गई तथा कितनी केबल उक्त कार्यालयों में शेष बची हुई है?

उत्तर

(1) झालावाड़ वृतान्तर्गत खानपुर एवं बकानी पं.स. क्षेत्र में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कृषि कनेक्शन के लिए प्राप्त/जारी किये गये आवेदन/कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्न है :-

प.स. का नाम	**श्रेणी वार प्राप्त आवेदन**				**श्रेणीवार जारी कनेक्शन**			
	2008-09		**2009-10**		**2008-09**		**2009-10**	
खानपुर	438	74	889	84	245	116	532	77
बकानी	197	25	298	20	201	32	237	29

(2) जी हां।

(3) जी हां। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्काम, जयपुर द्वारा खानपुर एवं बकानी पंचायत समिति को भेजी गई एवं उपयोग में ली गई केबल का विवरण निम्न प्रकार है :-

(ऊर्जा मंत्री)

पं.स. का नाम	भेजी गई केबल		उपयोग में ली गई केबल	
	2008-09	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**
खानपुर	140 कि.मी.	3.955 कि.मी.	140 कि.मी.	3.955 कि.मी.
बकानी	84.09 कि.मी.	5.99 कि.मी.	84.09 कि.मी.	5.99 कि.मी.

वर्तमान में सहायक अभियन्ता खानपुर एवं बकानी को दी गई सम्पूर्ण केबल काम में ली जा चुकी है और कोई केबल स्टोर में शेष नहीं है।

कालाडेरा (जयपुर) में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

396. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थित है?

(2) क्या यह भी सही है कि कालाडेरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और समस्या के समाधान हेतु चौमूं आना पड़ता है? क्या सरकार कालाडेरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में कालाडेरा में सहायक अभियन्ता (पवस) का कार्यालय नहीं है। कालडेरा में सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मन्द बुद्धि, मूक बधिर व्यक्तियों को पेंशन

397. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत वर्ष में नि:शक्तजन, मन्दबुद्धि व श्रवण बाधित व्यक्तियों को पेंशन देने के नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) क्या गत वर्ष में नि:शक्तजन, मन्द बुद्धि व श्रवण बाधित व्यक्तियों को पेंशन दी गई है? यदि हां, तो जिलेवार कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया तथा कितनी राशि इस पर व्यय की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि सरकार द्वारा नि:शक्तजनों को राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत पेंशन दी जा रही है।

मन्दबुद्धि व श्रवण बाधित व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 08.01.2010 को उक्त नियमों में संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त श्रेणी के व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना राज्य में लागू करने के आदेश दिनांक 24.11.2009 को जारी किए गए हैं, प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) गत वर्ष नि:शक्तजन व्यक्तियों को राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत दी गई पेंशन की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। उक्त नियमों में मन्दबुद्धि व श्रवण बाधित व्यक्तियों को दिनांक 08.01.2010 से शामिल किया जा कर संशोधित आदेश जारी किए गए हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में उक्त दोनों श्रेणी के नि:शक्तजनों को पेंशन दिये जाने के संबंध में दिनांक 24.11.2009 को आदेश जारी किए गए है।

गत वर्ष में मन्दबुद्धि व श्रवण बाधित व्यक्तियों को उक्त नियमों में पेंशन दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण पेंशन नहीं दी गई हैं। चालू वर्ष में मन्दबुद्धि व श्रवण बाधित व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जा कर उक्त नियमों के तहत पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतियां एवं सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र जयपुर हेतु दिये गये उच्च न्यायालय के निर्देश

398. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र सेठी कालोनी, जयपुर में वर्तमान में कितने बालक-बालिकाएँ रह रहे हैं तथा यह किस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं? आयुवर्ग व विकलांगता की श्रेणी के अनुसार 0-6, 6-14, 14-18 व 18 से अधिक के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में केन्द्र पर कितने नये बच्चों की भर्ती की गई तथा कितनों की मृत्यु हुई? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत छह वर्षों में इस केन्द्र के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने कब-कब तथा क्या-क्या दिशा निर्देश/आदेश प्रदान किये? माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों/आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों/दिशा निर्देशों पर आज तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मानसिक विमंदित पुर्नवास केन्द्र, सेठी कालोनी, जयपुर में वर्तमान में 111 बालक एवं 120 बालिकाएं/महिलाएं रह रहे हैं, जो मानसिक विमंदिता एवं बहुविकलांगता से ग्रसित है। आयुवर्ग व विकलांगता की श्रेणी के अनुसार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में 104 (56 बालकों तथा 48 बालिकाओं/महिलाओं) की भर्ती की गई तथा 16 (7 बालक व 9 बालिकाएं) की मृत्यु हुई। उक्त अवधि में भर्ती हुए का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर तथा जिनकी मृत्यु हुई, का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) इस केन्द्र के संदर्भ में विगत 6 वर्षों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/आदेश की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों/दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में पालना रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावास

399. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दौलतराज समेजा)

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितने छात्रावास कहां-कहां कब से व कितनी छात्र/छात्रा संख्या के साथ संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पद रिक्त हैं तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त सुविधायें व भवन उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में छह राजकीय छात्रावास संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम छात्रावास	कब से संचालित	स्वीकृत संख्या	
			छात्र	छात्रा
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रायसिंहनगर	1964-65	70	
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रायसिंहनगर	1981-82	35	
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, समेजा कोठी	1982-83	40	
4.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, श्री विजयनगर	1984-85		25
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मुकलावा	1985-86	50	
6.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, रायसिंहनगर	1989-90		50
	योग		**195**	**75**

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के छह पद एवं

(सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

चौकीदारों के छह पद स्वीकृत हैं जिनमें से एक छात्रावास अधीक्षक एवं दो चौकीदारों के पद रिक्त हैं। राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, रायसिंहनगर के रिक्त पद पर गजसिंहपुर छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक के पास अतिरिक्त चार्ज है। इन छात्रावासों में मैस कमेटी के माध्यम से व ऐजेन्सियों के माध्यम से भोजन बनाने हेतु रसोईये रखे जाते हैं।

इन छात्रावासों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं व भवन सुविधा उपलब्ध है। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रायसिंहनगर (अन्य पिछड़ा वर्ग) का छात्रावास का नवीन भवन बन चुका है जिसमें छात्रावास इसी वर्ष शिफ्ट करवा दिया जायेगा तथा राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (स्वच्छकार) रायसिंहनगर के भवन निर्माण के लिए बजट प्राप्ति हेतु प्रस्ताव पत्र क्रमांक 524 दिनांक 6.1.2010 द्वारा राशि केन्द्रीय हिस्से की राशि 30.00 लाख रुपये की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। भारत सरकार से राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उक्त छात्रावास का भवन निर्माण कार्य करवाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्तमान में पर्याप्त छात्रावास स्वीकृत एवं संचालित होने के कारण कोई नया छात्रावास खोलने का विचार नहीं है।

अनुसूचित जाति के बी.टेक. विद्यार्थियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति

400. श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005 से 2008 में पूर्णिमा कालेज व जयपुर इंजीनियर एवं रिसर्च कालेज सीतापुरा के बी.टेक. छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी-कितनी?

(2) उक्त कालेजों में उक्त अवधि में किन-किन अनु. जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई? वर्षवार नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 तक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वि. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पूर्णिमा कालेज आफ इंजीनियरिंग सीतापुरा, जयपुर एवं जयपुर इंजीनियरिंग कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, सीतापुरा, जयपुर के बी.टेक. के छात्रों को निम्नानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

वर्ष	पूर्णिमा कालेज आफ इंजिनियरिंग कालेज, सीतापुरा, जयपुर		जयपुर इंजिनियिरिंग कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर सीतापुरा, जयपुर	
	छात्र संख्या	राशि रुपये में	छात्र संख्या	राशि रुपये में
2005-06	78	2322560	35	630700
2006-07	50	1551450	2	71940
2007-08	36	1282130	6	214830

(2) उक्त कालेजों में उक्त अवधि में जिन अनुसूचित जाति के बी.टेक. के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है, की सूची वर्षवार नाम सहित परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्टाली ग्राम जिला उदयपुर में संचालित राजकीय पशु चिकित्सालय

401. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में राजकीय पशु चिकित्सालय का भवन बना हुआ नहीं है? यदि हां, तो वर्तमान में पशु चिकित्सालय कहां संचालित है? क्या सरकार उक्त ग्राम में नया पशु चिकित्सालय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त ग्राम के पशु चिकित्सालय में शुरू से अब तक कितने कितने, कौन-कौन चिकित्सक/कम्पाउण्डर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम इन्टाली के राजकीय पशु चिकित्सालय में विगत कई वर्षों से चिकित्सक का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्यों और कब तक उक्त पद को भर दिया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पशु चिकित्सालय में पशुओं के लिए समुचित मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त पशु चिकित्सालय में वर्तमान में कितने-कितने कर्मचारी कब-कब से कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(6) उक्त केन्द्र पर कलेण्डर वर्ष 2008 व 2009 में कौन-कौनसी, कितनी-कितनी दवाइयां सप्लाई की गई? क्या दवाइयों की प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियों को रजिस्टर में संधारित किया जाता है? यदि हां, तो नवम्बर, 2008 एवं फरवरी, 2009 में वितरित की गई दवाइयों से संबंधित पृष्ठों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में पशु चिकित्सालय इण्टाली, पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में संचालित है।

वर्तमान में पशु चिकित्सालय इण्टाली के लिये नया पशु चिकित्सालय राजकीय भवन बनवाने का विचार नहीं है।

(2) पशु चिकित्सालय इण्टाली में शुरू से अब तक कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	पद	अधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम		
1	पशु चिकित्सा अधिकारी	डा. ललित जोशी	डा. पराग कुमार	डा. शेषराव लहाने
2	पशु चिकित्सा सहायक	श्री महावीर सिंह	श्री रमेश भणात	-
3	पशुधन सहायक	श्री शहजाद हुसेन	श्री कांतिलाल	-
4	पशुधन परिचर	श्री चेनराम गमेती	श्री डाया राम मीणा	-
5	सफाईकर्ता	श्री पूनमचन्द हरिजन	श्री किशन लाल	श्री बंशीलाल हरिजन

(3) पशु चिकित्सक का पद अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2009 तक रिक्त रहा। पशु चिकित्सा अधिकारी का पद दिनांक 19.12.2009 से भर दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(पशुपालन मंत्री)

(5) पशु चिकित्सालय इण्टाली में वर्तमान में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

पशु चिकित्सा अधिकारी	- डा. शेषराव लहाने	19.12.2009 से
सफाईकर्ता	- श्री बंशीलाल हरिजन	10.07.2008 से

(6) पशु चिकित्सालय इण्टाली में वर्ष 2008 में उपलब्ध करवाई गई औषधियों का विवरण संलग्न है। वर्ष 2009 में पशु चिकित्सालय इण्टाली को कोई औषधि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

जी हां। नवम्बर 2008 एवं फरवरी 2009 में पशु चिकित्सालय इण्टाली को औषधियों का वितरण नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना

402. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गौ-शालाएं खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। गौशालाएं निजी क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं या दानदाताओं द्वारा खोली जाती हैं।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा की सुविधाएं

403. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत तीन वर्षो में पशु चिकित्सा हेतु कहां-कहां नई सुविधा उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशुओं में होने वाली बीमारी खुरपका व मुंहपका रोगों के निदान हेतु उक्त अवधि में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में उक्त बीमारियों से हुई पशुओं की मौत पर गत

(श्री गोपाल मीणा)

तीन वर्षों में कहां-कहां कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत तीन वर्षों में तीन पशु औषधालय चावण्डिया, बिलोद एवं रायसर को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया।

दिनांक 1 अगस्त, 2009 से प्रदेश में "पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार" योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों में विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत नहीं है वहां प्रत्येक माह एक पशु चिकित्सा शिविर एवं पशुपालक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

(2) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशुओं में होने वाली बीमारी खुरपका व मुंहपका रोग का कोई रोग प्रकोप नहीं हुआ है। केवल सेम्पल संग्रहण एवं जांच के कार्य पर व्यय हुआ है, जो पूरे राज्य में हुए व्यय में सम्मिलित है।

प्रदेश में खुरपका मुंहपका रोग के निदान पर गत तीन वर्षों में राज्य पशु रोग निदान प्रयोगशाला जयपुर द्वारा निम्नानुसार राशि व्यय की गई :-

2006-07	-	61726.00 रुपये
2007-08	-	67730.00 रुपये
2008-09	-	98189.00 रुपये

(3) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बीमारियों से होने वाले पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर नये पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं।

नगर विधान सभा क्षेत्र में गौ-पालक बीमा योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति

404. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अनिता सिंह)

(1) गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) में गौ-पालक बीमा योजना के तहत कितने गौ-पालकों का बीमा किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गौ-पालक बीमा योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) में गौ-पालक बीमा योजना के तहत 53 गौ-पालकों का बीमा किया गया। सूचि अनुसंलग्नक-क सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2008-09 में गै-पालक बीमा योजना अन्तर्गत बीमित गौ-पालकों के समस्त 49 योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।

सूची अनुसंलग्नक-ख सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाई गयी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में विश्वास योजनान्तर्गत नि:शक्तजनों को ऋण

405. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में विश्वास योजना के तहत गत पांच वर्षों में कितने नि:शक्त जनों को ऋण उपलब्ध कराया गया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नि:शक्त व्यक्तियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना होने के उपरान्त भी सहकारी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराने से नि:शक्त जन अनुदान राशि से वंचित रहते

(श्री रामहेत सिंह)

हैं? क्या सरकार ऐसे बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर जिले में विश्वास योजना के तहत गत पांच वर्षों में अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा 46 नि:शक्तजनों को ऋण उपलब्ध कराया गया। ऋण उपलब्ध कराये गये नि:शक्तजनों की संख्या का पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	2005-06 संख्या नि:शक्तजन	2006-07 संख्या नि:क्शतजन	2007-08 संख्या नि:क्शतजन	2008-09 संख्या नि:क्शतजन	2009-10 (28.2.2010 तक) संख्या नि:शक्तजन	योग
1	राजगढ़	1	2	6	5	0	14
2	तिजारा	2	1	0	2	0	5
3	लक्ष्मणगढ़	1	2	0	1	1	5
4	कोटकासिम	2	0	0	0	0	2
5	बानसूर	1	0	1	0	0	2
6	मुण्डावर	0	2	0	0	0	2
7	कठूमर	0	1	2	0	0	3
8	किशनगढ़	0	1	0	1	1	3
9	रैणी	0	1	0	1	1	3
10	उमरैण	0	0	2	1	0	3
11	नीमराणा	0	0	1	0	1	2
12	थानागाजी	0	0	0	1	1	2
	योग	**7**	**10**	**12**	**12**	**5**	**46**

(2) जी नहीं।

चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील में भूख से मृत्यु

406. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील में भूख से मौत होने की घटना हुई? यदि हां, तो कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त परिवार को मौत होने से पहले सहायता उपलब्ध करवाई गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस परिवार को मृतक की मृत्यु से पूर्व बी.पी.एल. परिवार कार्ड जारी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ में हाल ही में भूख से मौत होने की कोई घटना नहीं हुई है। श्री किशन सिंह पिता लक्ष्मण सिंह निवासी चाम्पाखेडी की मृत्यु दिनांक 25.12.2009 को बीमारी के कारण हुई थी।

(2) श्री किशन सिंह पिता लक्ष्मण सिंह निवासी चाम्पाखेड़ी की मृत्यु दिनांक 25.12.2009 को बीमारी के कारण हुई, जिसका इलाज राजकीय श्री सावलिया जी सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ में मृत्यु पूर्व चला था।

(3) उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सरकार द्वारा इस परिवार को मृत्यु से पूर्व बीपीएल परिवार कार्ड जारी नहीं किया गया।

भीम एवं देवगढ़ तहसील की गौशालाओं को अनुदान

407. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील भीम एवं देवगढ़ में कितनी गौशालायें किनके द्वारा संचालित की जा रही हैं?

(2) क्या अकाल को देखते हुये सरकार उक्त गौशालाओं को घास एवं पानी हेतु अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र के ग्राम भीम में 1 गौशाला है, उसमें पशुओं की उपलब्धता नहीं होने से गौशाला संचालित नहीं की जा रही है। तहसील देवगढ़ के ग्राम ताल में 1 पंजीकृत गौशाला "जयश्री जैन गौशाला" है जिसे जैन समाज द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त गौशाला में संधारित बड़े पशु हेतु 20 रु. एवं छोटे पशु हेतु 10 रु. प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।

बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट जयपुर को स्वीकृत राशि से क्रय सामग्री

408. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधायक कोष की राशि से स्थानीय विधायक की अनुशंषा दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के आधार पर दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट, जयपुर को पुस्तकें, ग्रंथ, डाटा बेस परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण उपकरणों सहित कम्प्यूटर, फोटोस्टेट व फैक्स मशीन एवं पुस्तकें क्रय करने हेतु राशि तीन लाख की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो इस संबंध में जारी स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बार एसोसियेशन द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग कर लिया गया? यदि हां, तो क्रय की गई सामग्री के बिलों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कम्प्यूटर/फोटो स्टेट/फैक्स मशीनों का उपयोग बार एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त उपकरण किस स्थान पर एवं किसकी अनुमति से लगाये गये? इस संबंध में बार एसोसियेशन द्वारा प्राप्त अनुमति की प्रति सदन की मेज पर रखें? क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि से पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय भी कर लिया गया? यदि हां, तो किस-किस पुस्तक का क्रय किया गया? पुस्तकों के बिल की प्रति व क्रय की गयी पुस्तकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बार एसोसियेशन द्वारा उक्त उपकरणों को बिना वांछित स्वीकृति के लगाया जाकर राजकीय राशि का दुरुपयोग/व्यवसायीकरण किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त उपकरण वापस लेने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध व कब तक?

उत्तर

(1) माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के पत्रांक दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के द्वारा दो कार्यों हेतु दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसियेशन कलेक्टेट, जयपुर को (1) पुस्तकें, ग्रंथ डाटा बेस परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर सम्पूर्ण उपकरणों सहित, फोटो

(ग्रामीण विकास मंत्री)

स्टेट व फैक्स मशीन व उपरोक्त उपकरणों के व्यवस्थित संसाधन के लिए व्यवस्थित फर्नीचर हेतु 2.00 लाख रुपये एवं (2) पुस्तकें क्रय हेतु 3.00 लाख रुपये की अनुशंषा के आधार पर जिला कलक्टर, जयपुर के अनुमोदन के क्रमांक (1) पर वर्णित कार्य की दिनांक 22.5.2008 को प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी (संलग्न प्रपत्र-अ) एवं दिनांक 29.09.08 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। (संलग्न प्रपत्र-ब)

क्रमांक (2) पर अंकित कार्य पुस्तकें क्रय हेतु 3.00 लाख रु. की स्वीकृति विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में अनुमत नहीं होने के कारण जारी नहीं की गई थी।

(2) जी हां। उक्त स्वीकृति राशि का कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड प्रथम जयपुर द्वारा प्रदत्त जवाब अनुसार कम्प्यूटर, डिजिटल कोपीयर मय प्रिन्टर, फैक्स मशीन, एयर कंडीशनर, वाटरकूलर एवं पेनडाइव क्रय हेतु उपयोग किया गया है। सामग्री क्रय के बिलों की छायाप्रति (संलग्न प्रपत्र-स) पर संलग्न हैं 1 कार्यकारी संस्था को जिला परिषद जयपुर द्वारा रुपये 1.60 लाख की राशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं। शेष राशि का भुगतान स्वीकृत राशि 2.00 लाख रु. की सीमा में ही कार्यकारी संस्था को उनके द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र अनुसार किया जावेगा।

(3) जी हां। उक्त कम्प्यूटर/फोटो स्टेट/फैक्स मशीनों का उपयोग जिला बार एसोसियेशन द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त उपकरण जिला बार एसोसियेशन जयपुर के लाईब्रेरी भवन में बार एसोसियेशन की मौखिक सहमति से कार्यकारी संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये हैं। जिला बार एसोसियेशन के अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा प्रदत्त जवाब अनुसार उक्त लगाये गये उपकरणों के स्थान से वे आज भी सहमत है एवं इसमें उनकी पूर्ण अनुमति है।

पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय हेतु किसी प्रकार की राशि की स्वीकृति जारी नहीं की गयी हैं। अत: पुस्तकें क्रय नहीं की गयी हैं।

(4) दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेटस बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट, जयपुर द्वारा उक्त सम्पत्ति का कोई दुरुपयोग/व्यवसायीकरण नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष एवं महासचिव बार एसोसियेशन द्वारा प्रदत्त जवाब अनुसार उक्त सम्पति का सभी अभिवक्ता सदस्यों के उपयोग के लिए नि:शुल्क उपलब्ध है एवं उपकरण समस्त अधिवक्ताओं के काम आ रहे हैं।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची

409. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची बनी हुई है? यदि हां, तो कब की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नई प्रतीक्षा सूची बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची वर्ष 2006 की है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। इन्दिरा आवास के लाभार्थियों हेतु प्रतीक्षा सूची बी.पी.एल. सैन्सस के बाद बनती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजगढ़ महाविद्यालय में कला संकाय के अतिरिक्त विषयों का संचालन

410. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कया सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजगढ़ महाविद्यालय (पी.जी. कालेज) में कला संकाय वर्ग के अन्तर्गत संचालित इतिहास व राजनीतिशास्त्र विषय के अतिरिक्त अन्य विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में नवीन विषय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

आयुक्तालय शिक्षा में संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के रिक्त पद

411. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(1) राज्य के आयुक्तालय शिक्षा में संयुक्त निदेशक के कितने पद स्वीकृत हैं व उक्त में से दिनांक 28.1.2010 को कितने भरे हुये हैं तथा पद रिक्त होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह व्याख्याता जो अतिरिक्त निदेशक पद पर कार्यरत है, उसे संस्थापन शाखा का सभी स्तरों का कार्य दिया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) राज्य के आयुक्तालय कालेज शिक्षा में संयुक्त निदेशक के पांच पद स्वीकृत हैं। उनमें से दिनांक 28.1.2010 तक दो पद भरे हुऐ थे। पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता प्रभावी होने के कारण पद रिक्त थे।

(2) आयुक्तालय में अतिरिक्त निदेशक पद सृजित नहीं है। संस्थापन शाखा का कार्य संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

(3) संयुक्त निदेशक के सभी पद भरे जा चुके हैं तथा एक उप निदेशक का पद रिक्त है जिसे शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में उपाध्यक्ष का चुनाव एवं अन्य समितियों का गठन

412. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में नियुक्त सदस्यों की विधिसम्मत अवधि में बैठक नहीं बुलाने से बोर्ड कार्यों के निर्णय में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के गठन से एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद का चुनाव एवं अन्य समितियों का गठन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब कब तक उपाध्यक्ष का चुनाव एवं समितियों का गठन कर लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सही है कि बोर्ड के उपाध्यक्ष पद का चुनाव एवं अन्य समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसका कारण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि दिनांक 8.9.2008 को हुई है, परन्तु तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 14.11.2008 को त्यागपत्र दिये जाने के कारण बोर्ड में अध्यक्ष का पद रिक्त रहने तथा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 4 (क) के अन्तर्गत नये अध्यक्ष का मनोनयन नहीं होने के कारण उपाध्यक्ष का चुनाव एवं अन्य समितियों का गठन नहीं हुआ है।

(3) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 यथा संशोधित 1976 की धारा 4 (क) अनुसार प्रावधान है कि बोर्ड का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होगा तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 24 (26) उद्योग/2/72/ पार्ट दिनांक 15.05.09 द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की शक्तियां सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रदत्त की गयी हैं। इस अनुसरण में उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में मार्गदर्शन हेतु पत्रावली विधि विभाग को भिजवाई गई है। विधि विभाग से राय प्राप्त होने के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

धोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा के परिवारों के जाब कार्ड

413. श्री पेमाराम (धोद) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय रोजागर गारंटी योजना में कार्य करने वाले मजदूर के लिए बनाये जाने वाले जॉब कार्ड का ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति के रजिस्टर में इंद्राज होता है?

(2) जिला सीकर की पंचायत समिति धोद की मुण्डवाडा ग्राम पंचायत में कुल कितने परिवारों के जॉब कार्ड बने हुए हैं? उन जॉब कार्डधारी मजदूरों की सूची तथा जॉब कार्ड का इन्द्राज करने वाले रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत मुण्डवाडा में दिनांक 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक किन-किन मजदूरों ने सौ-सौ दिन का कार्य पूर्ण किया है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए बनाये जाने वाले जॉब कार्ड का ग्राम पंचायत के रजिस्टर (प्रपत्र-5) में इन्द्राज होता है।

(2) जी हां। जिला सीकर की पंचायत समिति धोद की मुण्डवाडा ग्राम पंचायत के कुल 710 परिवारों के जॉब कार्ड बनाये गये। उन जॉब कार्ड धारी मजदूरों की सूची तथा जॉब कार्ड का इन्द्राज करने वाले रजिस्टार (प्रपत्र-5) की परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत मुण्डवाडा की दिनांक 01 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक कुल 56 मजदूरों ने 100 दिवस एवं 01 जनवरी, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक कुल 68 मजदूरों ने 100 दिवस के कार्य पूर्ण किये हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सम व जैसलमेर पंचायत समिति में नरेगा कार्यों में रोजगार की उपलब्धता

414. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2008-09 व 2009-10 में पंचायत समिति सम व जैसलमेर के कितने ग्रामों व ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों द्वारा कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? एजेंसीवार, ग्रामवार व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

जी हां। जैसलमेर की पंचायत समिति सम व जैसलमेर में एजेन्सीवार ग्राम पंचायतों व ग्रामों में लगाये गये श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

पंचायत समिति	एजेन्सी	पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	नियोजित श्रमिक
सम	वन विभाग	21	41	1180
सम	सा.नि.वि.	8	15	1133
सम	सिंचाई विभाग (जल संसाधन)	02	02	70
	योग	**31**	**58**	**2383**

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पंचायत समिति	एजेन्सी	पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	नियोजित श्रमिक
जैसलमेर	वन विभाग	19	33	961
जैसलमेर	सा.नि.वि.	11	14	2050
जैसलमेर	सिंचाई विभाग (जल संसाधन)	5	6	346
	योग	**35**	**53**	**3357**

एजेन्सीवार, ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामवार नियोजित श्रमिकों की संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में नरेगा कार्यों में अनियमितताएं

415. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में अब तक कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में मजदूरों को मजदूरी कितने दिन में दी जाती है? क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में अभी तक कुछ मजदूरों की मजदूरी की राशि बकाया है? यदि हां, तो उसके क्या कारण रहे और अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में उक्त योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नरेगा योजना में हुये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) नरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में जनवरी 2010 के द्वितीय पखवाड़े तक का समस्त भुगतान कर दिया गया है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

माह फरवरी 2010 के प्रथम पखवाड़े में वन विभाग के 12 कार्यों का व फरवरी के द्वितीय पखवाड़े के विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के 18 कार्यों का भुगतान बकाया है। उक्त भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नरेगा योजना में मस्टररोल में फर्जी हाजरी के संबंध में निम्न पांच ग्राम पंचायतों क्रमश: कांसली, नां. पण्डितपुरा पुरुषोत्तमपुरा, सांगटेडा, कं. खुर्द की शिकायतें सही पाई मई व तीन शिकायतें असत्य पाई गई। दोनों ही पंचायतों के संबंधित मेटों को ब्लेक लिस्टेड कर फर्जी पाई गई हाजरियों का भुगतान रोक दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में दिशा-निर्देश अनुरूप कार्य

416. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में गांवों के विकास हेतु दिशा-निर्देश/ मानदण्ड तय हैं? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में गांवों का विकास किस तरह होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा नरेगा के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों के आधार पर गांवों के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जाती है एवं इन कार्यों को योजनान्तर्गत सम्पादित कराया जाता है। इसके लिए भी उक्त मार्गदर्शिका काम में ली जाती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चाकसू विधान सभा क्षेत्र में नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कार्य

417. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कहां-कहां क्या-क्या कार्य करवाए गए हैं एवं इसमें कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक मजदूरों को कुल कितना पारिश्रमिक दिया गया है?

(3) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में भविष्य में उक्त योजना के अन्तर्गत और कहां-कहां क्या-क्या कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में नरेगा के अंतर्गत कहां-कहां क्या-क्या कार्य करवाये गये व कितनी राशि व्यय की गई की सूचना परिशिष्ट-क पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत आने वाली दो पंचायत समितियों पर व्यय राशि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	व्यय राशि (करोड रु. में)
1.	चाकसू	32.64
2.	फागी	19.99
	कुल व्यय राशि	52.63

चाकसू एवं पंचायत समिति फागी के ग्राम पंचायतों जो विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अंतर्गत आती है में करवाये गये कार्यों पर व्यय राशि निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	व्यय राशि (करोड रु. में)
1.	चाकसू	29.46
2.	फागी	17.39
	कुल व्यय राशि	46.85

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में नरेगा के अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों मे मजदूरों को दिया गया पारिश्रमिक निम्न प्रकार से है :-

(3) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वितीय वर्ष 2010-11 हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों में करवाये जाने वाले कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(सूचना व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

मांगलियावास (अजमेर) में नरेगा के अन्तर्गत आम रास्ते पर अतिक्रमण

418. श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मांगलियावास, अजमेर के राजस्व रिकार्ड में चारागाह खसरा नं. 1839 आम रास्ते को रोकने हेतु गांव की बिना सहमति के राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नाडी का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त नाडी पर कितना व्यय हुआ? उक्त नाडी के पास ही एक बड़ा एनीकट होते हुए भी इसके निर्माण का क्या औचित्य है?

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा संख्या 1835, 1837 और 1839 चारागाह भूमि पर बने आम रास्ते को अतिक्रमण द्वारा रोकने की कार्यवाही के विरुद्ध गांव के निवासियों ने तत्कालीन जिला कलेक्टर के समक्ष रास्ता खुलवाने की मांग करने पर रास्ता खुलवा दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त रास्ते पर पुन: अतिक्रमण कर लिया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रास्ते को स्थायी तौर पर रोकने और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नरेगा के अंतर्गत निवर्तमान सरपंच ने गांव के हितों के विपरीत उक्त नाडी का निर्माण करवाया है? क्या सरकार उक्त मामले की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम मांगलियावास अजमेर के राजस्व रेकार्ड में चारागाह खसरा नंबर 1839 आम रास्ते को रोकने हेतु किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। नरेगा स्कीम की मार्गदर्शिका के अनुसार दिनांक 02.10.08 को ग्राम पंचायत मांगलियावास की ग्रामसभा एवं अन्य सक्षम सदन में अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में से नाडी का निर्माण कार्य करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नाडी निर्माण पर रुपये 12.60 लाख व्यय किये गये है। उक्त नाडी के निर्माण से अन्य जल संग्रहण ढांचे के केचमेन्ट एरिया पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

(2) जी नहीं। खसरा संख्या 1835 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म चाही, खसरा नंबर 1839 रकबा 3.40 हैक्टर किस्म गैमुनाली है, जो राजस्व विभाग की जमाबन्दी के खाता संख्या एक में सिवायचक खाते में दर्ज है एवं इस भूमि पर रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त खसरों पर रास्ते के संबंध में विगत चार पांच वर्षों में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की जानकारी राजस्व अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है। खसरा नंबर 1835 पर श्री सांवल लाल पुत्र पांचू जाट

(ग्रामीण विकास मंत्री)

निवासी मांगलियावास ने हल चलाकर एवं कांटों की बाड लगाकर नवीन अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी पटवारी हल्का द्वारा अन्तर्गत धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(3) उक्त नाडी का निर्माण ग्राम पंचायत में लिये गये प्रस्ताव एवं वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित होने के बाद कराया गया। उक्त कार्य किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कराया गया। अपितु ग्रामवासियों की सहमति से ग्राम के हित में कराया गया है।

चूरू जिले में नरेगा कार्य में फर्जी भुगतान की जांच

419. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नरेगा कार्यक्रम में फर्जी भुगतान उठाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो चूरू जिले में 01 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक कितनी शिकायतें कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों की प्राप्त हुई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच की गई? यदि हां, तो जांच में कितनी शिकायतें सही पाई गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच में दोषी पाये जाने पर उक्त जिले में कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला चूरू में 01 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक नरेगा कार्यों में ठेके पर कार्य करवाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक फर्जी भुगतान के संबंध में जिले में 44 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्राप्त 44 शिकायतों में से 35 की जांच हो गई है। इनमें से 29 शिकायतें प्रमाणित नहीं पाई गई। 6 शिकायतें सही पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की गई, तथा 9 शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) जिन 6 मामलों में जांच प्रमाणित पाई गई उनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. ग्राम पंचायत ईयारा पंचायत समिति सुजानगढ़ में शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर ग्राम सेवक के विरुद्ध नियम 17 सीसीए में कार्यवाही के साथ संबंधित सरपंच, ग्राम सेवक तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरुद्ध राशि वसूली के आदेश दिये गये हैं।

2. ग्राम पंचायत घंटियाल बढी पंचायत समिति सुजानगढ़ के दोषी सरपंच के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है।

3. ग्राम पंचायत भीमसर पंचायत समिति सुजानगढ़ में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव का निलम्बन कर नियम 17 सीसीए के अंतर्गत कार्यवाही की गई है तथा सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज विभाग को आरोप-पत्र भेजा गया है।

4. ग्राम पंचायत खण्डवा पंचायत समिति चूरू में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध नियम 17 सीसीए के तहत कार्यवाही की जा रही है तथा सरपंच को नोटिस जारी किया गया है।

5. ग्राम पंचायत खांसोली पंचायत समिति चूरू में संबंधित सरपंच, ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किये गये हैं।

6. ग्राम पंचायत बडावर पंचायत समिति सुजानगढ़ में जिनरासर मालासी ग्रेवल सड़क को ग्राम पंचायत तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों के द्वारा सम्पादित करवाते हुए किसी एक एजेन्सी द्वारा फर्जी भुगतान उठाने के प्रकरण में जिला परिषद के तकनीकी अधिकारी से प्रारम्भिक जांच करवा परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में दर्ज करवाया गया।

(4) चूरू जिले में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक महानरेगा के कार्यों को ठेके पर करवाये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या - 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के गांवों में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही चोरियों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शराब के अवैध कारोबार को रोकने एवं तस्करों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम पंचायत चामू, 54 मील जवाहरनगर, आगोलाई में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

6. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत चवा में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

7. जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विभिन्न स्थानों यथा खारिया मीठापुर भावी कापरड़ा, पालासनी ग्रामों में पुलिस चौकियों का निर्माण एवं स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

9. पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 117, 151, 110 के मनमाने (दुरूपयोग) तरीके से उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

10. जिला स्तर पर पुलिस परिवार के बच्चों के अध्ययन हेतु मिलेट्री स्कूल की भांति विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
11. राज्य में कानून व्यवस्था एवं अन्वेषण शाखा अलग-अलग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. पुलिस अन्वेषण में विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
13. बढते अपराध व घटते पुलिस संसाधन से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रणवीर पहलवार (मालपुरा) :

14. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की कार्य शैली पर चर्चा के लिए।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

15. चौमूं तहसील के ग्राम जाटावाली, एन.एच. बस स्टैण्ड पर स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
16. चौमूं तहसील के ग्राम खेजरोली में नया थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
17. चौमूं तहसील के ग्राम नांगल-भल्डा स्थित सामोद वाले बालाजी मंदिर पर पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

18. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में रोजड़ी में पुलिस चौकी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
19. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना व रावला में पुलिस कर्मियों हेतु आवासीय भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
20. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त हेतु वाहनों व स्टाफ की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

21. थाना सामोद गोविन्दगढ़ व कालाडेरा (चौमूं) में पुलिस कर्मियों की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
22. चौमूं थाने के पुलिस कर्मियों की नफारी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

23. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ कस्बे में वृत्ताधिकारी कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. पुलिस थाना बेहता (सीकर) को सी.आई. स्तर का किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

25. सूरसागर क्षेत्र में पुलिस के सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बढ़ रहे अपराधों एवं नगरीय विस्तार से बढ़े क्षेत्र के अनुरूप पूर्वी-पश्चिमी पाल रोड योजना में नई पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

27. सोजत सिटी में महिला थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

28. पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

29. अजमेर में नागफणी क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

30. खण्डेला शहर में पुराने थाने में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

31. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने एवं नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

32. भरतपुर तहसील स्थित पुलिस चौकी, ऊंचा नगला को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

33. ग्राम हेलक, तहसील कुम्हेर, (भरतपुर) में पुलिस चौकी शीघ्र चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

34. भरतपुर जिले के तीन थाने (नदबई, सेवर, कुम्हेर) हेतु वृत्ताधिकारी पुलिस (ग्रामीण) का कार्यालय कुम्हेर में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

35. कुम्हेर तहसील में ग्राम शरह स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

36. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में हाईवे पेट्रोलिंग, अतिरिक्त वाहन एवं स्टाफ बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

37. जयपुर शहर की यातायात पुलिस एवं विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा वाहन चालकों के अनावश्यक चालान करने की कार्यवाही को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. पुलिस कर्मियों का जनता के प्रति व्यवहार सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. जयपुर शहर में बढ़ रही चैन तोड़ने, ठगी, लूटपाट एवं चोरी, वाहन चोरी जैसी घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. जयपुर शहर में हुए हर्षित हत्याकांड के अभियुक्तों को पकड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

41. विधान सभा क्षेत्र भीम के बार चौकी में जीप की व्यवस्था पुलिस सब इन्स्पेक्टर की पोस्ट क्रमोन्नत करने एवं बार आलेला की पाल पर स्वीकृत भूमि पर पुलिस चौकी कार्यालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

42. विधान सभा क्षेत्र सोजत में पीडितों की समय पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

43. जैसलमेर जिले के विभिन्न थानों में रिक्त पदों को भरने तथा पुलिस

(श्री छोटू सिंह भाटी)

कर्मियों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

44. कस्बा नदबई में चोरी की निरन्तर हो रही घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

45. रूपावास तहसील के दसमोरा इलाके में आये दिन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

46. थाना नदबई में दर्ज मुकदमा नम्बर 350/07 के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

47. अलवर जिले के थाना क्षेत्र खेडली में हरियाणा से शराब मंगा कर बेचने पर पुलिस द्वारा अंकुश नहीं लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

48. थाना खेड़ली व कठूमर जिला अलवर क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियों की रोकथाम एवं किसान बुग्गों पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49. नगरपालिका क्षेत्र खेड़ली जिला अलवर के थाने में कोतवाल का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

50. हर जिला मुख्यालय पर महिला थाना खोलने एवं पुलिस विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

51. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में समस्त थानों/चौकियों में पूर्ण स्टॉफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

52. थाना डीडवाना में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 114/06 दिनांक 27.6.06 के ईनामी मुल्जिमों की गिरफ्तारी नहीं करने, एफ.आई.आर. नं. 34/09 दिनांक 28.2.09 एवं एफ.आई.आर. नं. 30/09 दिनांक 6.4.09 में एफ.आर. लगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री रूपाराम डूडी)

53. पुलिस थाना डीडवाना एफ.आई.आर. नं. 75/09 दिनांक 30.5.09 शराब तस्करी में बरामद 1000 पेटियों में से सम्बन्धित सी.आई. द्वारा 500 पेटियां बेच देने तथा मुल्जिम नामजद नहीं करने एवं थाना खुनखुना एफ.आई.आर. नं. 58/09 दिनांक 5.6.09 शराब तस्करी में पकड़ी गई शराब की गाडियों में मुल्जिमान नामजद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. थाना लाडनूं एफ.आई.आर. नं. 37/10 दिनांक 4.3.10 में अनूसचित जाति बावरी युवति का अपहरण, बलात्कार व जलाकर मारने वाले दोषी लोगों को नामजद नहीं करने, एफ.आई.आर. नं. 30/10 दिनांक 10.3.10 हत्याकाण्ड प्रकरण में एक पागल व्यक्ति को गिरफ्तार कर दोषी को राहत देने तथा एफ.आई.आर नं. 27/10 दिनांक 2.3.09 धारा 302 में त्वरित कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. थाना खुनखुना में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 06/09 दिनांक 14.1.09 थाना डीडवाना में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 191/09 दिनांक 14.12.09 तथा थाना लाडनूं में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 61/09 दिनांक 17.4.09 में धारा 19/54 तीनों ही प्रकरणों में मुल्जिमान को नामजद नहीं करने से हो रही फौरी जांच से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

56. राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार करने एवं पर्यटन वाले शहरों/जिलों में एक अलग से पुलिस अधीक्षक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

57. जिला उदयपुर के थानों में स्वीकृत पदों के अनुरूप पुलिस कर्मियों का पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में लम्बे समय से पदस्थापित पुलिस कर्मियों को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

59. मुरलीधर व्यास नगर में नया पुलिस थाना स्थापित करने एवं थानों की दूरियां कम करने के सम्बन्ध में।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

60. थाना श्रीडूंगरगढ में स्टॉफ की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

61. राज्य में हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए कारगार कदम उठाने के सम्बन्ध में।

62. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी मुख्यालय में 50 जवानों की अतिरिक्त बटालियन स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

63. धौलपुर जिले में पुलिस की कार्यशैली से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

64. मारवाड़ जंक्शन के थानेदार को गोली लगने के बावजूद भी माल सहित तस्करों को पकड़ने पर राज्य स्तर पर सम्मानित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

65. गत वर्ष अलवर जिले में चोरी हुए ट्रांसफार्मरों की बरामदगी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के थानों में बढ़ते अपराध व चोरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

67. जयपुर के पुलिस थाने में वर्ष 2007 से आज तक बालकों के साथ ठगी के प्रकरणों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी होने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री हेम सिंह भड़ाना (थानागाजी) :

68. अलवर जिले में थानागाजी, बानसूर, लक्ष्मणगढ़ में पुराने थानों के भवनों में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

69. मेवात में सक्रिय अन्तर्राज्यीय गिरोह के चोरी एवं नकली सोने की ईंट के अवैध काराबोर को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

70. चवा-बायतू मार्ग पर पुलिस चौकी चवा में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल - कवास में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

72. विधान सभा क्षेत्र पिलानी हरियाणा बॉर्डर पर होने से ग्राम बन गोठड़ी एवं बेरी में नई पुलिस चौकी स्थापित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में बढ़ते अपराधों को देखते हुए समस्त थानों में नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र पिलानी जिला झुंझुनूं में पुलिस चौकी मंडेला को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पिलानी के अन्तर्गत पुलिस चौकी मंडेला में वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ थानों में नये वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

77. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध शराब की हो रही तस्करी व महिला कर्मचारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

78. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पुलिस कार्मिकों के व्यवहार व जनता से संवाद में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

79. इन्दिरा गांधी नहर के नहरी क्षेत्र में पानी की चोरी को रोकने के लिए नहरी क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

80. आधुनिक तकनीक से किये गये अपराधों को रोकने के हेतु प्रशिक्षण एवं सेमीनार आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

81. पुलिस जन सहभागिता शिविरों के आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

82. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में नया पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

83. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर सीमा क्षेत्र के पुलिस थानों को आधुनिकतम संसाधनों से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. पुलिस विभाग में कार्मिकों के स्थानान्तरण एवं कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

85. पुलिस विभाग में कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ कम्प्यूटर कार्य में दक्ष स्टॉफ के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. थाना कोतवाली शहर श्रीगंगानगर में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 321/05 में असली अपराधियों को पुलिस द्वारा दोषमुक्त करने से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. पुलिस उप अधीक्षक वृत्त शहर, श्रीगंगानगर कार्यालय से श्री सीताराम विश्नोई द्वारा वांछित डायरी में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

88. जयपुर शहर में नये थाने खोले जाने व पुलिस चौकियां बढ़ाये जाने एवं रात्रि में गश्त की माकूल व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. राज्य के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा किये जाने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90. पुलिस को आधुनिकतम हथियारों से लैस किये जाने, नये वाहन उपलब्ध करवाये जाने व थानों में वाहन के लिए पेट्रोल/डीजल की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री कालीचरण सराफ)

91. जयपुर शहर के थानों में पुलिस की नफरी बढ़ाने एवं यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. जयपुर शहर के थानों में दर्ज प्रकरणों में चालान की प्रतिशतता कम होने एवं चोरी के दर्ज प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बावजूद माल बरामदगी की प्रतिशतता कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

93. राज्य में कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने के कारण आम जन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

94. राज्य में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करने के सम्बन्ध में।

95. दांतारामगढ़ में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सी. एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

96. थाना कापरेन जिला बून्दी में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 161/09 में एवं ओम प्रकाश गुर्जर प्रकरण में मुल्जिमों को नामजद नहीं किये जाकर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के केशवरायपाटन मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के करवर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

99. पुलिस थाना बालोतरा में नफरी बढ़ाने व शहर बालोतरा में ट्राफिक पुलिस के पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

100. अजमेर के राजकीय संग्रहालय में संचालित सी.आई.डी. विभाग के कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि को और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

101. रामगंज थाना क्षेत्र में अवैध रूप से सड़कों पर (रोजमेल रोड) बिकने वाली कच्ची शराब से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

102. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की दरगाह की पुख्ता सुरक्षा हेतु वहां अवैध रूप से रह रहे बांगलादेशियों को बाहर खदेड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. अलवर गेट थाना क्षेत्र के बढ़ते अपराधों को रोकने एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु नगरा एवं गुलाबबाड़ी फाटक से मदार फाटक के बीच नई पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. अजमेर शहर में स्थित क्रिश्चयनगंज एवं गंज थानों की सीमाओं को तार्किक बनाने हेतु फायसागर रोड पर स्थित आनासागर पुलिस चौकी को गंज थाने के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

105. जयपुर श्हर के विभिन्न थानों में 15 वर्ष से अधिक ठहराव वाले ए.एस.आई. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण जयपुर शहर से बाहर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

106. थाना विराटनगर के थानेदार के द्वारा तेवड़ी डीलर के खिलाफ मुकदमें में एफ.आर. लगाकर कोर्ट में पेश किये बिना प्रति उपलब्ध करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

107. पुलिस चौकी पौल्याड़ा (टौंक) में तैनात स्टॉफ के लिए रिहायशी आवास निर्माण में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिए।

108. टौंक एवं बून्दी जिला मुख्यालय पर सिविल डिफेन्स एवं अग्निशमन दल की स्थापना किये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टौंक) में स्थित पुलिस थानों में कार्यरत स्टॉफ हेतु आवासीय सुविधा विकसित करने में बरती जा रही सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टौंक) में स्थित पुलिस थानों का सुव्यवस्थित भौगोलिक पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामनारायण मीणा)

111. डूब क्षेत्र के गांवों की विशिष्ट अवस्थिति के बावजूद प्रमुख कस्बा नासिरदा (टौंक) की पुलिस चौकी को उपनिरीक्षक अधिकारी के स्तर की चौकी में क्रमोन्नत करने में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

112. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के बसेड़ी कस्बे की कोतवाली व उसके लिए भवन निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. धौलपुर जिले में डकैतों के साथ मुठभेड़ में घायल, शहीद, जवानों तथा परशुराम शर्मा जैसे दिलेर जवानों को पदोन्नति एवं सुविधाएं दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में नादनपुर में थाना तथा धौवी की तिवरिया, सिंहौली, चित्ताचौद, बथुआ खोह पर नई पुलिस चौकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कार्यरत ए.डी.एफ. को नई गाड़ी, बुलेट प्रूफ जॉकेट तथा अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

116. धौलपुर में डकैतों के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य योजना बनाये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पेमाराम (धोद) :

117. राजस्थान के थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के थानेदारों को पोस्टिंग देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

118. पुलिस थाना रघुनाथगढ़ को दादिया चौकी में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119. लोसल थाने में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 4/2010 की पत्रावली को पुन: सी.आई.डी. से अविलम्ब थाने में मंगाकर अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120. सीकर जिले की कोतवाली में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 75/2010 एवं थाना सदर में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 16/2010 व 10/2010 पर तुरन्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121. पुलिस विभाग में सभी रिक्त पदों को तुरन्त भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

122. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा के मध्य एक पुलिस थाना तथा जमवारामगढ़ आमेर को मिलाकर उत्तरी जिला पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123. मैड (विराटनगर) में थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विराटनगर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

125. मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा की नफरी आर.ए.सी. के बराबर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

126. राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण एवं अन्य विकास कार्य जो वर्ष 2004 से 2008 तक की अवधि में प्रारम्भ किये गये उन्हें शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. भारत में पहली महिला आर.ए.सी. बटालियन हाडी रानी की घोषणा को कार्यान्वित न कर बीच में ही छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले एक वर्ष में बद से बदतर होने पर चर्चा के लिए।

129. भ्रष्टाचार विभाग द्वारा विभागों एवं कार्मिकों से चालान हेतु अनुमति मांगने के बावजूद भी स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

130. केस ऑफिसर स्कीम को और प्रभावित बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

131. राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने तथा पुलिस को आधुनिक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

132. कसबा बकानी में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

133. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पुलिस थानों की सीमाओं के निर्धारण,

(श्री पदमाराम)

पुलिस नफरी बढ़ाने व आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

134. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पुलिस थाने व चौकियों के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

135. पुलिस थाना आंधी (जयपुर) में कु. इन्द्रा कुमावत का जबरन अपहरण कर भगा ले जाने की एफ.आई.आर. संख्या 20/2008 में नामजद आरोपियों को आज दिनांक तक गिरफ्तार कर पूछताछ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम पचकोडिया में पुलिस चौकी स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

137. राज्य में बढ़ते अपराधों, लूट, चोरी, अपहरण हत्याओं की बढ़ती वारदातों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के थाना साम्भरलेक फुलेरा व किशनगढ़ रेनवाल में महिला कांस्टेबलों की स्थायी नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री करण सिंह (छबड़ा) :

139. राज्य की पुलिस व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

140. धरियावाद के आरामपुरा व विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव बोहेड़ा, मूंजवा व खरदेवला सांगरिया में नई पुलिस चौकियां खोलने व पुलिस जाब्ता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. जिला प्रतापगढ़ में पुलिस थाना दमोतर, देवगढ़ रठाजना थानों का पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय दमोतर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. हाल ही नवगठित जिला प्रतापगढ़ में पर्याप्त पुलिस थाने एवं पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने तथा नये आधुनिक पुलिस वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. पुलिस थाना सादड़ी को पंचायत समिति कार्यालय झरखाणा चौराहे पर

(श्री प्रकाश चौधरी)

सरकारी खाली जमीन पर शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

144. बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र के गांव अजीत में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145. जोधपुर शहर में रात्रि पुलिस गश्त की व्यवस्था बढ़ाकर चोरों के गिरोह को पकड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. जोधपुर शहर में सोजत गेट, जालौरी गेट, शनिचर जी का मंदिर, पावटा चौराहे पर समुचित ट्रेफिक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. आये दिन आकस्मिक दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम में पुलिस द्वारा तत्परता नहीं दिखाने एवं रिपोर्ट अस्पताल में एक घण्टे में पोस्टमार्टम के लिए नहीं पहुंचाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

148. अग्नि दुर्घटना एवं आग लगने के कारणों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

149. राजस्थान में पुलिस की पिटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

150. पुलिस थाना सिरीमारी में दर्ज सी.आर. नं. 4/2010 दिनांक 4.1.2010 के राज नहीं खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

151. करौली जिले में टोडाभीम पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय व नादौती में विभिन्न चौकियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. पुलिस बल को एण्टी टेररिस्ट, बम डिस्पोजल, रासायनिक हथियारों के निरोध का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. राजस्थान में पुलिस बल को अधिक प्रभावी व संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

154. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम मोडियाखेड़ा, बेलवा तथा ग्राम पंचायत कोठाज एवं काटी के सभी गांवों को अव्यवहारिक रूप से सम्मिलित कर पुलिस थाना छोला से हटाकर कोटडी में मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार में वृद्धि की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में वृद्धि की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. जहाजपुर मुख्यालय पर उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. भीलवाड़ा जिले में गत 6 माह में साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

159. कोटा शहर की जगपुरा चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. कोटा शहर में हेलमेट चैकिंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली व वाहन चालकों के साथ की जाने वाली अभद्रता को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. कोटा शहर में पासपोर्ट बनवाने व अन्य कार्यों के लिए पुलिस से आवश्यक चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को समयबद्ध करना तथा निर्धारित अवधि में उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की असुनिश्चित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. कोटा शहर में गुमानपुरा, विज्ञान नगर, महावीर नगर, दादाबाड़ी, जवाहर नगर थाना क्षेत्र में नफरी बढ़ाने तथा नये कोटा क्षेत्र में एक लाख अध्ययनरत छात्रों के लिए विशेष थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

163. विधान सभा क्षेत्र वैर में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के नये सरकारी आवास व कार्यालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र वैर में स्थित खेड़ली मोड पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री बहादुर सिंह)

165. विधान सभा क्षेत्र वैर में एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

166. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नई पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थानों में रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

168. भीलवाड़ा की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति में अधिकारियों में सामंजस्य नहीं होने से अराजकता की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

169. प्राइवेट बस स्टेण्ड भीलवाड़ा पर एक दिन पहले की छोटी सी घटना पर पुलिस द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं करने से दूसरे दिन छात्रावास में एवं प्राइवेट बस स्टेण्ड पर उत्पन्न स्थिति में पुलिस द्वारा भयंकर लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

170. वकील अमित यादव हत्याकांड में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. में तय समय में जानबूझकर चालान पेश नहीं करने से अभियुक्त एवं पुलिस अधिकारियों की जमानत हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) :

171. खेड़ली गंज (अटरू) में पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

172. बड़ोरा (अटरू) में नवीन पुलिस थाने की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय) :

173. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ग्राम दूदवा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

174. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में श्रीगंगानगर शहर में ट्रेफिक नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त ट्रेफिक पुलिस जाब्ता लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

175. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पुलिस तन्त्र मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में रात्रिकालीन गश्त एवं कालेज छात्राओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में महिला थानों पर महिला थानाधिकारियों एवं अन्य महिला कार्मिकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

178. विधान सभा क्षेत्र भादरा में जोगी हत्याकाण्ड की कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र नोहर के चक राजासर हत्याकांड में अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

180. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रायपुर या बडवज में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में।

181. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पुलिस द्वारा जनता के प्रति अभद्र व्यवहार व व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

182. झालावाड़ जिले में बढ़ती चोरियों की रोकथाम हेतु ठोस कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

183. झालरापाटन तहसील के कस्बा रत्लाई में नवीन पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. बकानी थाना, बकानी शहर से दूर होने के कारण पुराने थाने के भवन में बकानी कस्बे में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

1. जिला कारागृह बाड़मेर में रिक्त पदों को भरने एवं जेल की विशेष सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

2. बिलाड़ा स्थित पिचियाक कारागार एवं राज्य के कारागृहों में गार्डों एवं कार्मिकों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की दो वर्षों से बन्द पडी पिचियाक कारागार को पुन: प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

4. राज्य की जेलों में कैदियों के पास मिल रहे मोबाईल व अन्य सामग्री पर जेल अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. राज्य से पैरोल पर गये कैदियों के फरार हो जाने व जेल अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

6. सोजत सिटी के कारागार को बड़ा और आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

7. प्रदेश की जेलों में कर्मचारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा मोबाईल फोन, शराब व अन्य सामग्री के उपयोग रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

8. केन्द्रीय कारागृह, सेवर (भरतपुर) में कैदियों के पास से बरामद हथियार एवं मोबाईल की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

9. डीग (भरतपुर) स्थित उप कारागृह में बन्दियों के लिये दैनिक उपभोग की आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

10. उप खण्ड कार्यालय भीम के अन्तर्गत कारागृह को नन्दावर में विलानाम जमीन पर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

11. जयपुर सेन्ट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों पर दबाव डालकर उनके परिजनों से रुपये लेने में सम्मिलित अधिकारियों/कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

12. महिला कारागार में सुविधाऐं बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

13. अनूपगढ़ कारागार को शीघ्र प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
14. श्रीगंगानगर जिले की समस्त कारागृहों में शुद्ध भोजन, पेयजल, सफाई, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. श्रीगंगानगर जिले की समस्त कारागृहों में स्टाफ पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
16. श्रीगंगानगर जिले के समस्त कारागृहों में जेनरेटर सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

17. अलवर जेल को सेंट्रल जेल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

18. राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के साथ कर्मियों से मिलीभगत कर आपत्तिजनक एवं मादक वस्तुऐं कैदियों तक पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
19. राज्य के कारागार भवनों की उचित देखभाल एवं पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. राज्य के विभिन्न कारागार से कैदियों के भागने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

21. राज्य के कारागृहों में कारागृह कर्मियों की मदद से कैदियों तक पहुंच रहे मोबाईल फोन एवं अन्य सुविधाओं पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. कारागृहों से कैदियों के फरार होने की घटनाओं की जांच करवाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

23. मारवाड़ जंक्शन एस.डी.एम. एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय होते हुये भी कारागार भवन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

24. अलवर, किशनगढ़बास की जेल में क्षमता से अधिक अपराधी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. अलवर किशनगढ़ की जेलों के अन्दर होने वाली आपराधिक घटना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागजी) :

26. अलवर जिले की कारागार में कैदियों को सर्दी में औढ़ने के लिये कम्बल उपलब्ध कराऐं जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

27. भरतपुर एवं डीग की जेलों में बंद कैदयों द्वारा आपस में झगड़ा करने, नशा व मोबाईल फोन का इस्तेमाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

28. प्रदेश के कारागृहों की स्थिति एवं कैदियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

29. कैदियों को कारागार से न्यायालय तक लाने व ले जाने के लिये उचित जाप्ता व पर्याप्त साधन दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

30. जिला श्रीगंगानगर में पुराने कारागार भवन के स्थान पर शहरी क्षेत्र के बाहर नवीन कारागार भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

31. कारागार में कैदियों के पास समय-समय पर मोबाईल, मादक पदार्थ आदि मिलने की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. कारागार में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने, कार्यरत स्टाफ के नैतिक चरित्र बल में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

33. राज्य के कारागारों में मोबाईल फोनों की रोकथाम के लिये जैमर लगाने व प्रहरियों को आधुनिकतम उपकरण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. जयपुर केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. जेलों से कैदियों के भागे जाने की घटनाओं में वृद्धि एवं न्यायालय में पेशी के दौरान कैदियों में झगड़ों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. कारागार प्रहरियों का वेतनमान पुलिस कर्मियों के समान करने, प्रहरियों की संख्या बढ़ाने एवं कारागार अधिकारियों द्वारा वी.आर.एस. लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. जयपुर के केन्द्रीय कारागार में बंदियों के पास से मोबाईल बरामदगी की घटनाओं में बढ़ोत्तरी प्रहरियों की मिलीभगत एवं जेल में बंद अपराधियों द्वारा धमकियों एवं चौथ वसूली की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

38. कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रसिंग से पेशी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. खुली जेलों की संख्या बढ़ाने व निर्मित सामान को पूर्णत: कर मुक्त करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. राज्य की जेलों से बन्दियों की फरारी, बन्दियों द्वारा जेल में मोबाईल का उपयोग जेलों में बन्द माफियाओं द्वारा चोरी, लूट व अन्य अपराध संचालन को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

41. राज्य की केन्द्रीय व जिला कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दियों की संख्या को देखते हुए विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राज्य के कारागारों में सुरक्षा प्रहरी के पदों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

43. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में कारागार स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

44. अजमेर जेल में कैदियों के पास से मोबाईल बरामद होने के बावजूद इनकी रोकथाम के लिये कोई कारगर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश की जैलों में बंद कैदियों का चारित्रिक एवं मानसिक विकास के नियमित कार्यक्रमों का संचालन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. केन्द्रीय कारागार अजमेर को शहर के मध्य से हटाकर अन्यंत्र स्थान पर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. जेलों में बढ़ रही फरारी को रोकने हेतु सुरक्षा के आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. अपराधियों द्वारा जेलों में से ही दी जा रही धमकियों एवं अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

49. जेलों में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. राज्य की सभी जेलों में रिक्त पदों को भरने तथा स्टाफ की संख्या बढ़ाकर दुगनी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

51. शहर के अन्दर की जेल को बाहर स्थानान्तरित करने एवं सजायाप्ता कैदियों की जेल अलग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. आजीवन कारावास के बन्दियों को किसी न किसी व्यवसाय में पूर्णता देने के लिये जेलों में औद्योगिक इकाई प्रारम्भ कर आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

53. जेल में कैदियों की संख्या के अनुपात में कर्मचारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. जेल में बन्द अपराधियों द्वारा जेल के बाहर अपराध कारित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. पुलिस विभाग में देय वेतन के समान ही कारागार विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

56. कारागार में विचाराधीन कैदियों को सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

57. झालावाड़ स्थित कारागार को नव-निर्मित भवन में शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

58. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी उप खण्ड मुख्यालय पर उप कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. कारागृहों में बन्द कैदियों के पास आये दिन मिलने वाले मोबाईल व अन्य सुविधाएं जो कानूनन वर्जित है पर प्रभावी रोक लगाने व जेल विभाग का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

60. उनियारा (टोंक) न्यायालय के विचाराधीन कैदियों के लिये पृथक से उपकारागार स्थापित करने में की जा रही अनदेखी पर चर्चा के लिये।

61. टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित जेल की इमारत काफी पुरानी, क्षतिग्रस्त, अपर्याप्त एवं असुविधाजनक होते हुये भी नवीन जेल निर्माण कराने में किये जा रहे विलम्ब से मानवाधिकारों को हो रही अनदेखी पर चर्चा के लिये।

62. टोंक एवं बून्दी जिले में संचालित किशोर सुधार गृहों के लिये उपयोग में लिये जा रहे भवनों की अपर्याप्तता एवं असुविधाओं का निराकरण करने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

63. जेल स्टाफ को आधुनिकतम तकनीकीयुक्त शस्त्रोंसज्जा एवं वाहन आदि से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

64. प्रदेश की जेलों में स्टाफ की कमी के चलते बढ़ती अनियमितताओं एवं अपराधों पर अंकुश लगाने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

65. जेलों से फरार हो रहे मुल्जिमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र भंसाली (जोधपुर) :

66. जोधपुर सेन्ट्रल जैल पुराने बिजली घर के पास से स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. जोधपुर कारागार में आये दिन आंतकवादियों को रखने के बावजूद मोबाईल फोन्स एवं अन्य गतिविधियों को नहीं रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. जोधपुर कारागार में कैदियों को सुधारने के लिये नियमित शिक्षा एवं योग की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. राजस्थान के समस्त कारागारों में योग शिक्षा तथा संस्कार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. राज्य की जेलों से कैदियों के भाग जाने की घटनाओं को रोकने के लिये समुचित सुरक्षा एवं स्टाफ की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

71. राज्य के कारागारों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

72. राज्य की जेलों में बन्द कैदियों द्वारा आपस में झगड़ा करने, नशा व मोबाईल फोन के इस्तेमाल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश की जेलों के आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा के लिये अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. राज्य में कैदियों के फरार हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. प्रदेश की जेलों में मोबाईल जेमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. कारागार में बंदियों को नैतिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें सभ्य नागरिक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

77. सेन्ट्रल जेल कोटा में बंदियों को उनकी मूलभूत आवश्यकता यथा कम्बल, बर्तन, पंखे, बिस्तर आदि की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. दिल्ली की तर्ज पर राज्य में भी तिहाड़ जेल बनाकर बंदियों को विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जोड़कर उन्हें आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर करने के उपायों के अन्तर्गत कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु जयपुर व कोटा कारागार को आदर्श जेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) :

79. कारागार अटरू में पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवैल लगाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

80. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर कारागार पर कैदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. जिला कारागार श्रीगंगानगर में मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने व परिजन मुलाकात में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।